माला, खंड 24, अंक 27

सोमवार, 29 अप्रैल, 2002
9 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

FOR REFERENCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

PARLIAMENT LIBRARY
No. 3...53...
Date 13.11.02

(खण्ड 24 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 24, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 27, सोमवार, 29 अप्रैल, 2002/9 वैशाख, 1924 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	481 से 483	2-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	484 से 500	34-53
अतारांकित प्रश्न संख्या	5160 से 5366	53-358
सभा पटल पर रखे गए पत्र		359
राज्य सभा से संदेश		361
प्राक्कलन समिति		
आठवां और दसवां प्रतिवेदन		363
लोक लेखा समिति		
तेंतीसवां प्रतिवेदन		364
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन		364
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में दिए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में		368-387
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) राज्यों में, विशेषकर राजस्थान में केन्द्र द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता		
श्रीमती जस कौर मीणा		387
(दो) छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता		
श्री पुन्नू लाल मोहले		388
(तीन) झारखंड में ग्राम पंचायतों में विभिन्न वर्गों के लोगों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता		
श्री राम टहल चौधरी		388

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(चार) राजस्थान में किशनगढ़ और ब्यावर रेलवे स्टेशनों पर आश्रम एक्सप्रेस का ठहराव बनाए जाने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

प्रो० रासा सिंह रावत 388

(पांच) लोहरदगा और जसपुर बरास्ता गुमला के बीच एक रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

प्रो० दुखा भगत 389

(छह) गडग-बंगलौर और गडग-बीजापुर के बीच सीधी रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता

श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार 389

(सात) देश के कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कपास पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री वाई०वी० राव 389

(आठ) पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उसके वाणिज्यिकरण पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन . . 390

(नौ) उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फतेहपुर ताल रेटॉय और फतेहपुर ताल नारजा झीलों को पर्यटन स्थलों के रुप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान . . 390

(दस) बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड की लाभ अर्जित करने वाली सेलम इकाई को बंद किए जाने से रोकने के लिए उसे मूल कम्पनी से अलग किए जाने की आवश्यकता

श्री टी०एम० सेल्वागनपति . 391

(ग्यारह) बंगाल के मालदा जिले में रातुआ ब्लाक-I का सर्वांगीण विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी . 391

वित्त विधेयक, 2002

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री अधीर चौधरी 392

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति 393

श्री रामजीलाल सुमन 401

श्री किरीट सोमैया 404

श्री सी० श्रीनिवासन 419

विषय	कॉलम
श्री त्रिलोचन कानूनगो	421
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	426
श्री प्रदीप रावत	434
श्री रूपचन्द पाल	437
श्रीमती रेनु कुमारी	442
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	448
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	453
श्री लक्ष्मण सिंह	458
श्री आनन्दराव विठेबा अडसुल	461
श्री प्रबोध पण्डा	464
श्री धर्म राज सिंह पटेल	466
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	469
श्री रामदास आठवले	472
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	474
श्रीमती कुमुदिनी पटनायक	475
श्री यशवन्त सिन्हा	479
खण्ड 2 से 153 और 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव	500 500-540

लोक सभा

सोमवार, 29 अप्रैल, 2002/9 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में दंगाई लोग फिर से सिर उठा रहे हैं। वहां के मुख्य मंत्री की बर्खास्तगी का क्या हुआ ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 481, डा० सी० कृष्णन्।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में फिर से अशांति पैदा हो गई है। वहां रोजाना मार-काट हो रही है। *(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल वहां शांति यात्रा निकाली गई लेकिन इसके बावजूद वहां दंगे भड़क उठे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल है। डा० सी० कृष्णन।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वहां तुरन्त शांति स्थापित होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में बाधा न डालें। श्री रामदास आठवले, आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वहां रोजाना दंगे हो रहे हैं। दो महीने से वहां दंगे हो रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : गुजरात में क्या हो रहा है ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राष्ट्रपाल जी, आप ऐसा न करें। आपको 'शून्य काल' के दौरान अवसर मिलेगा। अब, डा० सी० कृष्णन।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल में आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती चीखलीया, कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। आप अब भी व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, ये रोजाना प्रश्नकाल को डिस्टर्ब करते हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्यों हल्ला कर रही हैं ?

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आयातित फलों में खतरनाक नाशिकीट

+

***481. डा० सी० कृष्णन :**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ आयातित फलों में खतरनाक नाशिकीट होते हैं;

(ख) यदि हां, तो आयात किए जा रहे विदेशी फलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फलों के आयात की अनुमति देने से पूर्व सरकार द्वारा जोखिम संबंधी कोई विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस संबंध में सावधानी बरतने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ङ) क्या भारत में आवश्यक संगरोध उपायों तथा जांच सुविधाओं की कमी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या बहुत से देशों ने भारतीय फलों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है जबकि इन देशों के उत्पाद भारत में बिना किसी जांच के आते हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। किन्तु ऐसे फलों, जिनमें विदेशी नाशिकीट/रोग होते हैं, को देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है तथा उन पर निर्धारित पौध संगरोध प्रक्रिया का अनुसरण करके उन्हें नष्ट कर दिया जाता है या वापस भेज दिया जाता है। बहरहाल, जिन फलों को उपचार करके नाशिकीट/रोगों से मुक्त किया जा सकता है, उन फलों को उपचार के पश्चात् देश में प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

(ख) देश में आयात किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण विदेशी फल सेब, नाशपाती, अंगूर तथा नीबू जातीय फल हैं।

(ग) सेब, नाशपाती, अंगूर तथा नीबू जातीय फलों पर नाशिकीट जोखिम विश्लेषण (पी०आर०ए०) किया गया है।

(घ) नाशिकीट जोखिम विश्लेषण के आधार पर, संगरोध के अभिव्यंजक नाशिकीटों की पहचान की गई है। खतरनाक नाशिकीटों के प्रवेश को रोकने के लिए निम्नलिखित एहतियाती उपाय किए गए हैं :–

(i) मूल देश द्वारा जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र हेतु अतिरिक्त घोषणाएं और विशेष शर्तें निर्धारित की जाती हैं।

(ii) फलों सहित सभी आयातित पौधे तथा पौध सामग्री उन्हें प्रवेश पत्तन पर भेजने से पूर्व समग्र पौध संगरोध जांच, निरीक्षण, प्रयोगशाला जांचो तथा उपचार की शर्त के अधीन होती हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) प्रत्येक देश में पौधों, फलों एवं बीजों के आयात पर पौध संगरोध प्रतिबंध लगाने हेतु अपने नियम एवं विनियमन हैं। भारत ने विदेशी कृमियों तथा बीमारियों के प्रवेश के विनियमन हेतु विनाशक कीट एवं कृमि अधिनियम, 1914 तथा पौध, फल एवं बीज (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 1989 अधिनियमित किया। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देशों ने पादप स्वच्छता के आधार पर आम जैसे भारतीय फलों के आयात को प्रतिबंधित किया। भारत ने भी उपर्युक्त आदेश के अधीन कुछ देशों से कुछ वस्तुओं हेतु पौध एवं पौध सामग्रियों के आयात पर पादप स्वच्छता प्रतिबंध लगाया। तथापि, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के प्रावधानों के अनुसार पौध संगरोध प्रतिबंध केवल वैज्ञानिक कारणों के आधार पर लगाया जाना चाहिए और ये भेदभाव रहित तथा पारदर्शी होने चाहिए। ये प्रतिबंध निरंकुश नहीं होने चाहिए।

डा० सी० कृष्णन : महोदय, कृपया आप हमें उन फलों के नाम बताएं जिनका देश में आयात किया गया है और उनकी अनुमानित मात्रा एवं मूल्य क्या है।

श्री अजित सिंह : जहां तक आयतित फलों का संबंध है, वर्ष 2001-02 में, दिसम्बर तक गत नौ महीनों के दौरान, 5600 टन सेब का आयात किया गया। 337 टन नाशपाती का आयात किया गया है, 234 टन साइट्रस फलों का आयात किया गया और लगभग 2162 टन अन्य फलों का आयात किया गया।

यदि आप करोड़ रुपयों में आय और निर्यात के आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो आप यह पायेंगे कि कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 1998-99 में, 670 करोड़ रुपये मूल्य का आयात हुआ और 266 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। वर्ष 1999-2000 में, 590 करोड़ रुपये मूल्य का आयात और 307 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया गया। वर्ष 2001-02 में, 803 करोड़ रुपये मूल्य का आयात किया गया और 385 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया गया।

डा० सी० कृष्णन : मैं उन पत्तनों और विमानपत्तनों के नाम जानना चाहूंगा जहां पर विदेशी फलों और फल उत्पादों का आयात किया जाता है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन पत्तनों और विमानपत्तनों में कीटनाशनकों के परीक्षण और उनका पता लगाने एवम् संबंधित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए वहां कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

श्री अजित सिंह : यदि आप आयात की राशि पर दृष्टि डालें, तो आप यह पायेंगे कि हम 13 लाख टन सेब का उत्पादन करते हैं और केवल 5600 टन सेब का आयात किया गया है। इसलिए, आयात इतना अधिक नहीं है।

जहां तक विमानपत्तनों पर दी जाने वाली सुविधाओं का प्रश्न है, हमारे पास संगरोधन सुविधाएं हैं और हम उनमें वृद्धि करना चाहते हैं। हमें और अधिक योग्य व्यक्तियों और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है।

हमने इन स्थानों पर संगरोधन सुविधाएं दे रखी हैं। वास्तव में, हमारे पास ऐसी 33 कृषि वस्तुएं हैं जिन पर पेस्ट रिस्क एनेलिसिस

किया गया है। सेबों और अगूंरों के मामले में हमने कुछ कीटनाशकों का पता लगाया है। कुछ अंतर्रोधन किये गये हैं। हम आवश्यक उपाय कर रहे हैं जो यह देखने के लिए आवश्यक है कि कीट-संक्रमित फल देश के भीतर न आ पाएं।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूं। किन्तु प्रश्न अब भी मौजूद है। उत्तर के भाग (छ) और (झ) में, यह उल्लेख किया गया है कि आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चीन और अमरीका जैसे कुछ देशों ने पादप स्वच्छता के आधार पर आम जैसे भारतीय फलों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह बताना असंगत न होगा कि आम की हापुस और पयारी जैसी अति प्रसिद्ध किस्मों का निर्यात महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से किया जाता था। इस प्रतिबंध का मुख्य प्रभाव किसानों पर पड़ता है। क्या मंत्री जी ने इस प्रतिबंध को हटाये जाने के लिए कोई कदम उठाया है ताकि आम का, जिसे फलों का राजा कहा जाता है, निर्यात किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : वे चाहते हैं कि प्रतिबन्ध हटा लिया जाये।

श्री अजित सिंह : महोदय, इन देशों ने कतिपय रोगों, विशेषत: फ्रूट फ्लाई नामक रोग के कारण आम के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले कि आम के आयात को अनुमति प्रदान की जाये वे यह चाहते हैं कि हमारे यहां कतिपय सुविधाएं और उपचार की कतिपय सुविधाएं प्रदान की जाएं। हम इन मामलों की जांच कर रहे हैं। हम सुविधाओं को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम इन रोगों का उपचार कर सकें। हम इन देशों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : मैं प्रतिबंध हटाये जाने के संबंध में पूछ रहा हूं ताकि आम के निर्यात को सुगम बनाया जा सकें। आप भारत से बड़ी मात्रा में निर्यात होने वाली आम की हापुस और पयारी किस्मों के लिए क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अजित सिंह : जैसा कि मैंने कहा, इन देशों ने आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है क्योंकि वे यहां कतिपय परीक्षण करवाना चाहते हैं और इन आमों में पाये जाने वाले कीटों के लिए कतिपय उपचार प्रदान करवाना चाहते हैं।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : मैं विशेष रूप से आम के बारे में बोल रहा हूं।

श्री अजित सिंह : मैं भी केवल आम की ही बात कर रहा हूं।

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चीन और अमरीका जैसे देश पादप स्वच्छता आधार पर आयात की अनुमति प्रदान करने से पूर्व हमारे यहां आमों के लिए कतिपय प्रमाणन और कतिपय उपचार प्रदान करवाना चाहते हैं। अत:, हम इन परीक्षण सुविधाओं और उपचारों को यहां पर बढ़ावा देना चाहता हूं। हम इन देशों के साथ यह बातचीत कर रहे हैं कि हम इन सुविधाओं को प्रदान करने वाले हैं ताकि इनके निर्यात को सरल बनाया जा सके।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : इसमें कितना समय लगेगा ? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका मौसम आ रहा है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, जैव संबर्धित फलों ने पहले ही विश्व भर में हो-हल्ला मचा दिया है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि स्वच्छता और पादप स्वास्थ्य उपायों की आड़ में और कोडेक्स एलेमेनटेरियस के सिद्धांतों के आधार पर विकसित देश कृत्रिम रूप से भारतीय फलों के आयात में अड़चन डाल रहे हैं। सरकार ने अभी किसी जैव संबर्धित खाद्य नीति पर भी विचार नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सूक्ष्म जैविक संदूषण को रोकने के लिए हमारे देश के पास सभी उपकरण उपलब्ध हैं और क्या हमारे सभी राज्यों के पास और जिलों के पास ऐसे संदूषण को रोकने के सभी साधन हैं। मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या जैव-तकनीकी समन्वय समिति हमारे सभी राज्यों में पहले ही गठित की जा चुकी है।

श्री अजित सिंह : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारे पास जैविक रूप से संदूषित फलों और पादप पदार्थों के आयात को रोकने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास दस अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों, दस समुद्र पत्तनों और नौ भू सीमाओं पर संगरोधन स्टेशन हैं। हम अपने स्वच्छता और पादप स्वास्थ्य उपायों को भी सुदृढ़ कर रहे हैं।

मैं यह अवश्य मानता हूं कि हमें बहुत अधिक तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। हम तकनीकी विशेषज्ञता और संगरोधन स्टेशनों और परीक्षण सुविधाओं में सुधार करने का भी प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस संबंध में कुछ कार्य किया जाना है। हम तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षित लोगों आदि की जांच कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास सुविधाएं है। हम उपाय कर रहे हैं।

श्री अधीर चौधरी : लेकिन हमें लम्बी दूरी तय करनी है।

श्री अजित सिंह : हां, हमें लम्बी दूरी तय करनी है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन-कौन से देश हैं जिन्होंने हमारे फलों के अपने यहां आयात पर प्रतिबंध लगाया है और ऐसे कौन से प्रतिबंध लगाने वाले देश हैं जिन्हें हम लोगों ने अपने यहां फल भेजने की अनुमति दी है। खासकर इंग्लैंड ने सैंकडों टन आम मंगाने का आग्रह किया है लेकिन कुछ फैसिलिटीज मांगी हैं। सरकार ने उन फैसिलिटीज को देने की क्या व्यवस्था की है जिससे कि हमारे आमों की अधिक से अधिक देशों को अधिक से अधिक मात्रा में आपूर्ति की जा सके।

श्री अजित सिंह : आम के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि कुछ कंट्रीज *(व्यवधान)* आज आम के बारे में ही चलेगा। मैंने पहले भी अर्ज किया था

उपाध्यक्ष महोदय : आम के बारे में सब इंटरेस्टिड हैं।

श्री अजित सिंह : कुछ लोग खास के बारे में भी इंटरेस्टिड हैं। आम के बारे में तो आम राय है, लेकिन खास के बारे में भी कुछ लोग इंटरेस्टिड हैं। आम के बारे में मैंने पहले अर्ज किया था कि कुछ कंट्रीज ने कहा है कि हमारे यहां जो ट्रीटमैन्ट फैसिलिटीज हैं, उनके देश में आम भेजने के पहले उन्हें ट्रीट किया जाए, वे फैसिलिटीज हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उन देशों से बात कर रहे हैं कि हम अपने यहां ये फैसिलिटीज लगा रहे हैं और वे अपने देश में इम्पोर्ट अलाऊ करें।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं पूछा है मैंने पूछा है कि किन-किन देशों ने हमारे फलों पर प्रति-बंध लगाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे रहे हैं।

श्री अजित सिंह : सर, हमने जो स्टेटमैन्ट रखा है, उसमें कंट्रीज के नाम दिये हुए हैं, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना और यू०एस०ए० – ये देश हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उन्होंने प्रतिबंध क्यों लगाया है।

श्री अजित सिंह : अगर आपके पास साइंटिफिक रीजन्स हैं कि आप जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, चाहे वे फ्रूट्स हों, वैजिटेबल्स हों या प्लान्ट मैटीरियल हो, अगर हमारे लॉज के खिलाफ, सैनेटरी या फाइटो-सैनेटरी लॉज के अनुसार, यदि उनमें कोई कमियां हैं या उनमें कोई पेस्ट है तो हम उन पर रोक लगा सकते हैं। मैंने अभी यह भी कहा कि दो फ्रूट्स एप्पल और ग्रेप्स हैं जो इम्पोर्ट हो रहे हैं, उनमें हमने कुछ पेस्ट इन्टरसैप्ट किया है। अब हम उसमें एक्शन ले रहे हैं कि उन पेस्ट्स को जब तक वे नहीं हटायेंगे, तब तक हम इम्पोर्ट अलाऊ नहीं करेंगे। इसी तरह से हमने बहुत सी चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाये हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : हमारे फलों पर प्रतिबन्ध लगाने वाले ऐसे कौन से देश हैं जिन्हें हम फल भेजने की अनुमति दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन्हें सारी डीटेल्स भेज दीजिए।

श्री अजित सिंह : यह नहीं हो सकता है कि जिन कंट्रीज ने रोक लगाई है उनके खिलाफ हम कोई रिटेलियेटरी एक्शन लें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो डीटेल्स मांग रहे हैं, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं हैं तो आप उन्हें कलैक्ट करके भेज दीजिए।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू : महोदय, गत पांच वर्षों से हम बागवानी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज भी, भारत सरकार बागवानी पर काफी बल दे रही है। हम किसानों को फलों की सभी किस्में उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन, अब तक, हमने अपने आम, अंगूर, केला और अन्य फलों का निर्यात करने के लिए कोई तंत्र तैयार नहीं किया है। सरकार की इस संबंध में क्या नीति है ? सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय से परामर्श करके इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ? हमारे बहुत-से विमानपत्तन हैं किन्तु वहां पर शीतागार सुविधाएं नहीं हैं। हम किसानों से अधिक फल उगाने के लिए कह रहे हैं। हम उन्हें ऐसा करने का परामर्श दे रहे हैं। अंततः, यदि वे निर्यात के उद्देश्य के लिए सभी प्रकार के फलों का उत्पादन करते हैं तो हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं हैं। हमें जैविक संदूषण समाप्त करना होगा। हम इन बातों का ख्याल रखना होगा। जब सरकार वास्तव में कृषक समुदाय के लिए नीति बना रही है तो यह कोई सुविधाएं प्रदान क्यों नहीं कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार किसानों की सहायता करने के लिए इन सुविधाओं को कब प्रदान करेगी।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : हॉर्टिकल्चर में जाने के लिए हम फार्मर्स को एनकरेज कर रहे हैं और कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिट्रीज भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बहुत सी स्कीम्स हैं और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी, 'एपीडा' ने एक्सपोर्ट जोन्स बनाए हैं फ्रूट्स के लिए जिसमें मैंगो, लीची और सेब एक्सपोर्ट करने के लिए वे फैसिलिटीज दी जा रही हैं। लेकिन हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए हमें इनफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चाहिए और इन सबकी तरफ सरकार ध्यान दे रही है।

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सेब, अंगूर और नींबू का उत्पादन हमारे देश में बहुत अच्छा है। हमारे देश का सेब आस्ट्रेलिया या बाहर के देशों के सेब से अच्छा है लेकिन फिर भी हम सेब का आयात कर रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा कहना है कि कई फलों का उत्पादन हमारे देश में अच्छा है, जिस तरह से अंगूर नासिक और सांगली में बहुत अच्छा है और उसका उत्पादन भी अच्छा है। बाहर के सेब का मूल्य 120 रुपये किलो तक है जबकि हमारे देश के सेब का मूल्य 50-60 रुपये प्रति किलो तक है। हमारे देश का सेब इतना अच्छा है कि इसको खाने से कलर भी चेन्ज हो सकता है, इसलिए बाहर का सेब मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन फलों का उत्पादन हमारे देश में अच्छा है उनको आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा सवाल है कि क्या मंत्री जी मे फलों का आयात न करने के लिए कोई आदेश दे सकते हैं या नहीं ?

श्री अजित सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी फ्रूट्स के इंपोर्ट पर कस्टम्स ड्यूटी लगी हुई है और मैंने फिगर्स दिये थे कि 13 लाख टन सेब हम प्रोड्यूस करते हैं जबकि पिछले साल सिर्फ 5600 टन इंपोर्ट किया है। बहुत स्मूज क्वांटिटी में फ्रूट्स बाहर से नहीं आ रहे हैं। साइट्रस फ्रूट्स 234 टन आए हैं। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 500 टन और 2000 टन

से ज्यादा फ्रूट नहीं आ रहे हैं और ऐसे समय में आ रहे हैं जब हमारा सेब एवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ सीज़न इंपोर्ट होते हैं। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि इंपोर्टेड सेब सौ रुपये किलो का है जबकि हमारे देश का सेब 50 रुपये किलो है, तो इंपोर्ट करने वाले भी यही बात महसूस कर रहे हैं। इसलिए इनका इंपोर्ट नहीं बढ़ रहा है।

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, अभी फल और बागवानी की वस्तुओं के आयात-निर्यात पर हम चर्चा कर रहे हैं। फल, फूल और बागवानी की वस्तुओं के और विकास के लिए उनके निर्यात पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। उसी क्रम में इन्होंने बताया कि बंदरगाह और एयरपोर्ट पर कार्गो की व्यवस्था है। देश की 10 करोड़ आबादी झारखंड और बिहार में रहती है और वहां फलों और बागवानी में काफी उपलब्धियां हासिल होने की स्थिति है। लीची हमारे बिहार का स्पेशलाइजेशन है। वहां पर काफी दिनों से मांग उठती रही है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री, जल-भूतल मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम मे कार्गो की व्यवस्था की जाए। क्या कृषि मंत्री महोदय ने 10 करोड़ आबादी वाले बिहार और झारखंड को बंदरगाह और हवाई जहाज के माध्यम से कार्गो की व्यवस्था देने के बारे में कोई विचार किया है ?

श्री अजित सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पैम्ट के बारे में था। अब हम फ्रूट्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में पहुंच गए हैं। वहां भी सवाल कार्गो देने का आ गया है। हम इन सब पर ध्यान दे रहे हैं। हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि हमारे फ्रूट्स का एक्सपोर्ट बढ़े।

[अनुवाद]

श्री पी०आर० किन्डिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रयास का समर्थन करता हूं। उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि 'पेस्ट रिस्क एनेलिसिस' सेब, नाशपाती, अंगूर और सिट्रस फलों पर किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि बंग्लादेश के सीमावर्ती सम्पूर्ण मेघालय क्षेत्र में हजारों लोग अपनी आजीविका का अर्जन सिट्रस फलों, अंगूर, अनन्नास, पान के पत्ते और इसी प्रकार की चीजों पर कर रहे हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से, बंग्लादेश का पड़ोसी होने के कारण मैं नहीं समझता कि हमने कीट वाले फलों का आयात किया है लेकिन ऐसे फल जाने-अनजाने देश में घुस आते हैं जिनमें कीट होते हैं और जो स्थानीय किस्मों में मिल जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप हजारों फलोद्यान डाई-बैक नामक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। मूलरूप से इसका प्रभाव संतरे पर पड़ता है।

एक अन्य रोग पान के पत्ते पर अपना बुरा असर डाल रहा है जो सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आजीविका का साधन है। बंग्लादेश से लगी हुई हमारी 100 कि०मी० लम्बी सीमा है और सीमावर्ती अंगों के लोग अपनी आजीविका सिट्रस फल, सुपारी और पान के पत्तों से उपार्जित करते हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से 'पेस्ट रिस्क एनलिसिस' इस क्षेत्र में भी कराने का अनुरोध कर सकता हूं ?

श्री अजित सिंह : महोदय, माननीय सदस्य का कहना यह है कि सीमा के दोनों ओर गैर-कानूनी रूप से फलों की आवाजाही की जाती है और हमें किसी भी प्रकार से इसे प्रतिबंधित करना चाहिए। हमारे पास 'पेस्ट रिस्क एनेलिसिस' कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम जिस भी कीट का पता लगाते हैं उसका हमारी फसलों आदि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आदि का विश्लेषण करते हैं। माननीय सदस्य के सुझाव पर भली-भांति विचार किया गया है और हम इस मामले को देखेंगे।

कृषि उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध

*482. **श्री महबूब जहेदी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के परिणामस्वरूप इनके आयात के कारण स्वदेशी कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत समेत विकासशील देश मात्रात्मक प्रतिबंधों से छूट संबंधी मामले को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू० टी०ओ०) के साथ उठाने की योजना बना रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) कृषि उत्पादों के मूल्य मांग और आपूर्ति तथा अन्य विभिन्न वृहत् आर्थिक कारकों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट अथवा वृद्धि के लिए किसी एक कारक को जिम्मेवार मानना उचित नहीं है।

विभिन्न कृषि जिंसों के थोक मूल्य मिश्रित रूख प्रदर्शित करते हैं। गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, मूंग, चूना तथा मसूर जैसी कुछ जिंसों में वृद्धि का रूख देखा गया है। दूसरी ओर, पिछले एक वर्ष में कुछ कृषि जिंसों तथा उत्पादों जैसे चावल, जौ, उड़द अरहर और कपास के थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट का रूख देखा गया है। 6 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार कृषि जिंसों का थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष की तुलना में 3.5% बढ़ा।

मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के स्थिति में सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात की निगरानी के लिए एक समुचित तंत्र की व्यवस्था की है तथा विश्व व्यापार संगठन से संगत विभिन्न उपायों को अपनाकर स्वदेशी उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए वचनबद्ध है, जिसमें कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत बाध्यकारी टैरिफ के अन्तर्गत एप्लाईड अनुप्रयुक्त टैरिफ का अंशांकन, पाटनरोधी (एन्टी डम्पिंग) और सुरक्षा कार्रवाई तथा बराबर का शुल्क लगाना शामिल है।

भारत ने अपने शुरू के समझौता प्रस्तावों में आयातों में बढ़ोतरी अथवा मूल्यों में गिरावट की स्थिति में तथा लोगों की खाद्य और जीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में अस्थायी मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने के प्रावधान के साथ-साथ विशेष सुरक्षा तंत्र की मांग की है।

[हिन्दी]

श्री महबूब ज़हेदी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो विवरण सभा-पटल पर रखा है, वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कोई और बात पूछी थी और माननीय मंत्री जी ने कुछ और उत्तर दिया है।

महोदय, अब निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है और निर्यात के लिए बाजार खोल दिया गया है। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसान जिन चीजों को अपने यहां उगाते हैं, उनमें से 147 चीजों को खुले बाजार के माध्यम से निर्यात की अनुमति प्रदान कर दी गई है जिसके कारण बाहर से वे चीजें भारत में सस्ती आ रही हैं। इस कारण भारत के किसानों द्वारा उत्पादित चीजों के दाम नीचे जा रहे हैं। बाहर से सस्ती आने वाली चीजों के मुकाबले में भारत के किसान अपनी चीजों को उतने कम दामों पर नहीं बेच सकते हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश से निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने के बाद, आप बतायें कि देश में कृषि उत्पादों का आयात ज्यादा हो रहा है या निर्यात – क्योंकि हम देख रहे हैं कि कृषि जिन्सों की कीमतों में गिरावट के कारण आज देश के किसान खुदकुशी कर रहे हैं – यह मेरा पहला प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि मंत्री इस बारे में बताए कि सरकार क्या कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री अजित सिंह : कृषि उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जहां तक कृषि उत्पाद के आयात और निर्यात का संबंध है हमारी पास हमेशा अतिरिक्त भण्डार रहा है। व्यापार हमारे पक्ष में है और मात्रात्मक प्रतिबन्धों के हटने के पश्चात भी आयात में कोई भारी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। 714 वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए गये थे फिर भी आयात में मात्र 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक समिति है जो कृषि उत्पादों के आयात में असामान्य बढ़ोत्तरी को देखने के लिए एक समिति है जो यह देखती है कि कोई असामान्य बढ़ोत्तरी तो नहीं हुई है, और यदि हुई हो तो हम उसे रोकने के लिए उचित कार्यवाही कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री महबूब ज़हेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि वे सूटेबल मैकेनिज्म इम्पोज कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों गवर्नमैंट रायल्टी आदि इम्पोज करके इसे रोकने की कोशिश कर रही है ? तेल, रेप सीड और कोकोनेट वगैरह हमारे यहां आते हैं। अभी हालत यह है कि सब चीजों के भाव नीचे गिरे हुए हैं। आपने कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज की है, कुछ-कुछ बढ़ायी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं ? आप डब्ल्यू०टी०ओ० से बात कर सकते हैं कि कम से कम किसानों द्वारा पैदा की हुई चीजों पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रक्शन को फिर से लागू किया जाये।

श्री अजित सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए डब्ल्यू०टी०ओ० में हमने जो भी सवाल उठाये, बहुत सारे सवाल उठाये थे, जैसे डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज को डिफेंशियल ट्रीटमैंट दिया जाये। ''दोहा'' में डब्ल्यू०टी०ओ० का जो सम्मेलन हुआ, उसमें यह मान लिया गया कि जो इम्पलीमेंटेशन इश्यूज थे, उसमें डेवलप्ड कंट्रीज अपने डोमेस्टिक सपोर्ट को कम करे। इसके अलावा एक्सपोर्ट में अपने देश के फार्मर्स को जो मदद देते हैं, उस एक्सपोर्ट की मदद को कम करें, यह मान लिया गया। जैसा मैंने कहा कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रक्शन संभव नहीं है, वह हटाये गये हैं, जहां बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पक्ष में है। इसलिए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रक्शन डब्ल्यू०टी०ओ० के कानूनों के आधार पर नहीं लग सकता। आज दुनिया में केवल तीन देश हैं जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रक्शन लगा सकते हैं। बाकी कोई भी देश क्वांटिटेटिव रिस्ट्रक्शन अब नहीं लगा सकता।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि गेहूं, ज्वार, बाजरा, मेज, मूंग, ग्राम आदि के दाम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रक्शन हटने के बाद बढ़े हैं। शायद यह सच होगा लेकिन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रक्शन हटने के बाद गन्ना उत्पादकों की क्या हालत है, यह आप अच्छी तरह से जानते होंगे। आज चीनी उत्पादकों की क्या हालत है, उसके बारे में भी आप जानते होंगे। आज चीनी का निर्यात पूरी तरह से बंद है। गन्ना उत्पादकों का दर्द अगर आप नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा ? अगर बागपत का जन-प्रतिनिधि, देश का कृषि मंत्री जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र से चुना हुआ है, वह नहीं जानेगा तो और कौन जानेगा ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज चीनी मिलों की हालत है, चाहे कोआपरेटिव क्षेत्र की हों या निजी क्षेत्र की हों, गन्ना उत्पादकों की हालत बहुत खराब है। आज गन्ना खेत में जलाया जा रहा है क्योंकि किसानों को उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि चीनी का निर्यात हम बराबर कर सकें, गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलों को बचा सकें, इसके लिए आप क्या सुनिश्चित कदम उठा रहे हैं ?

श्री अजित सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइज या हरेक चीज के लिए डब्ल्यू०टी०ओ० पर ब्लेम कर देना उचित नहीं होगा। अभी आपने शुगर के बारे में कहा। दुनिया भर में शुगर का ओवर प्रोडक्शन है इसलिए उसके दाम घट गये हैं। पिछले साल पांच परसेंट से ज्यादा शुगर के दाम घटे हैं। उसका कारण यही है कि शुगर का ओवर प्रोडक्शन सारी दुनिया में हुआ है। हमारे देश में भी पिछले दो-तीन सालों में जरूरत से ज्यादा चीनी पैदा हुई थी। इस साल उत्पादन करीब-करीब बराबर रहेगा। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रक्शन तो वैसे भी शुगर पर नहीं था इसलिए यह कहना कि शुगर

मिल्स पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रक्शन से फर्क पड़ रहा है, उचित नहीं होगा। यह सही है कि बहुत से क्षेत्रों में गन्ना उत्पादकों का पेमेंट पूरा नहीं हुआ है। कुछ मिलों ने किया है और कुछ मिलें कर रही हैं। इसके पीछे कारण यही है कि सारी दुनिया में चीनी का ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से चीनी का दाम कम है। अभी आपने पूछा कि शुगर एक्सपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, पिछले दो-तीन साल के मुकाबले यह बढ़ा है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज को जो डब्ल्यू०टी०ओ० कम्पेटिबल सबसिडी दे रहा है। अभी गवर्नमैंट की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पालिसी एनाउंस हुई थी। उसके अनुसार ट्रांसपोर्ट सबसिडी और कुछ चीजों में एक्सपोर्ट के लिए टैक्स सबसिडी चाहे सीरियल्स हों, वेजीटेबल्स हों या फ्रूट्स हों, सबको सबसिडी देने की घोषणा इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पालिसी में की गई है।

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर वस्तुत: अत्यधिक निराशाजनक है। उत्तर में समस्या के मूल की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तव में, श्री अजित सिंह जो श्री चरण सिंह के सुपुत्र हैं से इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं की जाती है। कई अवसरों पर श्री चरण सिंह ने किसानों के हितों की रक्षा की। अब, यह अत्यधिक हल्के ढंग से दिया गया उत्तर है। बल्कि यहां वाणिज्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी में, ये 'वाणिज्य' शब्द को बचा रहे हैं। *(व्यवधान)* यह अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है। यदि माननीय मंत्री थोक मूल्य सूचकांक का उल्लेख करके अपने उत्तर को सही ठहराने की कोशिश करते हैं तो यह समूचे किसान समुदाय के साथ धोखा होगा। कृषि और संबंधित उत्पादों की 500 मदों में से 429 मदों पर से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाया गया है।

यदि माननीय मंत्री पूरी 500 मदों जो कृषि और पशुपालन से संबंधित हैं को इकट्ठा करके थोक मूल्य सूचकांक दें तो अधिकांश किसान आत्महत्या कर लेंगे। तब क्या होगा ? क्या माननीय मंत्री जी कृषि मंत्रालय की ओर से कुछ कह सकेंगे ? क्या कोई ऐसा अवसर आया है जब मंत्रालय ने किसी ऐसे विशेष उत्पाद से संबंधित मुद्दे को उठाया जिसको लेकर इस देश के किसान मात्रात्मक प्रतिबन्धों के हटाए जाने और बेतहाशा आयात के कारण कष्ट झेल रहे हैं ?

कई मामलों में से कपास के मामले को ही उदाहरणार्थ लेते हैं। आयात शुल्क कितना है ? पिछले साल तक, यह मात्र पांच प्रतिशत था। हमारे मुख्यमंत्री समेत कई मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को उठाया है कि कपास की खेती करने वाले किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वे आयात के साथ प्रतियोगिता करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा है कि इसे कम से कम 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से इसे 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। आज भी, भारत में कपास उगाने वाला किसान आयातों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। क्या आप किसी एक निर्णय पर टिके रहें हैं ? उदाहरण के लिए खजूर की बागवानी ? भारत सरकार ने उन्हें खजूर की बागवानी करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने फसल तैयार की है। अब, वह पेड़ों को उखाड़ रहे हैं क्योंकि मलेशिया से होने वाले आयात इन किसानों के सिर पर खड़ा है।

उदाहरण के लिए नारियल गिरी (कोपरा) को लीजिए। कम से कम इन सभी तेल के मामलों में एक बाध्यकारी शुल्क है। इस संबंध में कई प्रकार की शक्तियां हैं। जब हम उत्पाद वार प्रभाव का विश्लेषण करने में समर्थ नहीं होते तब हम कृषक समुदाय के साथ धोखा कर रहे होते हैं।

अन्त में, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक कृषिमंत्री के रूप में आपको किसानों के हितों की रक्षा करनी है। भारतीय अर्थतंत्र के हितों की रक्षा वाणिज्य मंत्रालय कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सवाल पूछिए।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : भारत के कृषि मंत्री के रूप में, क्या कोई ऐसा मौका था जब आपने यह कहा हो कि अमुक और अमुक उत्पादों में किसान नुकसान उठा रहे हैं और इस प्रकार उन किसानों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया हो ?
(व्यवधान)

कपास की फसल में व्यापारियों की लॉबी मूल्य ढांचे को नियंत्रित करती है। यह किसानों की लॉबी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटेस्वरलु, उन्हें उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने किसानों के बारे में चिन्ता जताई है। बहुत सी क्राप्स के बारे में उनकी चिन्ता उचित है। जब मैंने 3.5 प्रतिशत कहा — मैं जानता हूं कि हरेक चीज का दाम नहीं बढ़ा है, कुछ का कम भी हुआ है। रॉ-कॉटन का दाम 20 प्रतिशत से ज्यादा कम हुआ है। ये सब डिटेल्स मेरे पास हैं, मैं आपको भेज दूंगा। यदि आप कमोडिटी-वाइज़ सूचना चाहते हैं कि किस चीज के दाम बढ़े हैं और किस के दाम कम हुए हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐडीबल ऑयल के करीब-करीब 15 प्रतिशत दाम बढ़े हैं, फ्रूट्स एंड वैजीटेबल्स के 17 प्रतिशत बढ़े हैं। रा-जूट के दाम 14 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाए हैं। पलसेज के दाम कम हो रहे हैं। बहुत सी चीजों के दाम कम हुए हैं और कई चीजों के दाम ज्यादा हुए हैं। किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है। इसीलिए एम०एस०पी० और एम०आई०एस० की स्कीम है। आप चाहेंगे तो मैं उसकी डिटेल में जा सकता हूं। जो किसानों के हितों की बात कर रहे हैं, उनको यह अच्छी तरह से मालूम है कि सरकार जो कर रही है, अगर आयात बढ़ाया है तो समय-समय पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाई है। गेहूं पर 50 प्रतिशत ड्यूटी बढ़ाई है, आर्कानेट पर 35 प्रतिशत से 100 प्रतिशत ड्यूटी कर दी है। इसी तरह से पोल्ट्री पर भी 35 प्रतिशत से 100 प्रतिशत कर दी है। मिल्क पाउडर पर पहले जीरो प्रतिशत थी, उसको 60 प्रतिशत कर दिया है। एप्पल्स पर 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50

प्रतिशत ड्यूटी कर दी गई है। राइस पर पहले जीरो प्रतिशत थी, उसको 70 प्रतिशत कर दिया है। समय-समय पर हमने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है।

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : हालके बजट में घी पर यह 40 से घटाकर 30 प्रतिशत किया गया है। अगले वर्ष के लिए भी, अभी घोषित कर दिया गया है कि *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : किसानों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, यह बताएं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, पहले मंत्री जी को अपना जवाब पूरा करने दें। जवाब के बीच में आप प्रश्न नहीं कर सकते।

कुंवर अखिलेश सिंह : पूरा देश जल रहा है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। इन्होंने जो उत्तर दिया है, वह भी गुमराह करने वाला है। यह एक गम्भीर सवाल है। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के वाद भी विदेशी गेहूं हमारे बाजार में यहां के गेहूं की तुलना में सस्ता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में न बोलें।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : मैं माननीय सदस्य की बात का जवाब दे रहा हूं, आप कहेंगे तो उनका भी जवाब दे दूंगा। अभी माननीय सदस्य ने बटर आयल के बारे में कहा। सरकार ने निर्णय लिया है और हम बटर आयल पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जा रहे हैं। इसकी घोषणा हुई थी, चूंकि माननीय सदस्य को भी चिंता है, हमें भी है इसलिए उस पर ड्यूटी कम नहीं की गई है, बढ़ाई जा रही है। अब बटर आयल पर 40 प्रतिशत तक ड्यूटी बढ़ाने का निर्णय हो चुका है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक अनुपूरक प्रश्न पूछा गया है और मंत्री जी उसका उत्तर दे रहे हैं। इस बीच आप इस प्रकार प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : कॉटन फार्मर्स के बारे में भी आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्य ने कहा है। *(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव : हमें भी इस पर प्रश्न पूछना है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जाधव, आप पुन: वही गलती कर रहे हैं। प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा है। कृपया उन्हें पूरा उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : कॉटन फार्मर्स के बारे में माननीय सदस्य की चिंता सही है। अभी कॉटन पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। कॉटन का ज्यादातर जो आयात हो रहा है, वह लौंग स्टेज की कॉटन है, जो यहां पैदा नहीं होती। इसलिए यहां के कॉटन फार्मर्स की यह समस्या नहीं है। देश में उस कॉटन का आयात हो रहा है, जो यहां पर पैदा नहीं होती, जिसकी टैक्सटाइल मिल्स को जरूरत है। कॉटन फार्मर्स की और बहुत सी समस्याएं हैं। इसके अलावा जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर आप इस पर अलग से डिसकशन करना चाहते हैं, तो हम तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर मैं आधे घंटे की चर्चा अलाऊ करता हूं।

[अनुवाद]

श्री दलित इजिलमलाई : उपाध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश के अपने मित्र को सुनने के पश्चात् मेरा प्रश्न बहुत संक्षिप्त हो गया है। मात्रात्मक प्रतिबन्ध के विषय में, देश में उपजाए जाने वाले कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आयी है। क्या कृषि उत्पादों के उत्पादन में बड़ी कमी आई है ?

मंत्री जी अपने उत्तर में कहते हैं :

"मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने की स्थिति में सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात की निगरानी के लिए एक समुचित तंत्र की व्यवस्था की है तथा विश्व व्यापार संगठन से संगत विभिन्न उपायों को अपनाकर स्वदेशी उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए वचनबद्ध है, जिसमें कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत बाध्यकारी टैरिफ के अन्तर्गत एप्लाईड अनुप्रयुक्त टैरिफ का अंशांकन, पाटनरोधी (एन्टी डम्पिंग) और सुरक्षा कार्रवाई तथा विशेष परिस्थितियों में बराबर का शुल्क लगाना शामिल है।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री दलित इजिलमलाई : अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। आज देश में घरेलू कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है। यह अस्पष्ट है।

जहां तक हमारा संबंध है, हम तमिलनाडु से हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष इसी मौसम में, पूरे राज्य में त्राहि-त्राहि मची हुई थी। ऊटी

और नीलगिरि चाय बागान के सभी उत्पादक गाड़ियों में चाय लाद कर मुख्य सड़क पर ले आए और वही सड़क पर उन्हें छोड़ दिया। उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। पुनः, थेनी जिले में, आलू और टमाटर गाड़ियों पर लाद कर शहरों और कस्बों की मुख्य सड़क पर लाया गया। उन्हें फेंक दिया गया। उसी प्रकार तंजावूर जिले में, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, आज यही स्थिति है। अब धान पड़ा हुआ है। उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। यहां मंत्री जी विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न संगत उपायों की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दलित इजिलमलाई, आप प्रश्न को देखिए। अनुपूरक प्रश्न को उसी तक सीमित होना चाहिए।

श्री दलित इजिलमलाई : मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। ये विश्व व्यापार संगठन की बातें कर रहे हैं। प्रश्न कृषि उत्पादों से संबंधित है। प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु ने स्पष्ट प्रश्न पूछा है। महोदय क्या इसका संबंध वाणिज्य मंत्रालय या उद्योग मंत्रालय से है ? या यह कृषि मंत्री बताएंगे ? ऊटी तंजावूर और थेनी जिले के कृषि उत्पादों के संबंध में इस प्रश्न का उत्तर चाहे कोई भी मंत्री दे, हमें प्रसन्नता होगी। तमिलनाडु की वर्तमान सरकार ने बागानों में काम करने वालों को राजसहायता दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री दलित इजिलमलाई : जिम्मेदारी क्या है ? भागीदारी कितनी है ? केन्द्र सरकार की कृषि मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय या उद्योग मंत्रालय के रूप में कितनी भागीदारी है ? कृषकों का कृषि-उत्पाद पड़ा हुआ है। इसे देखने वाला कोई नहीं है कृषि मंत्री की घरेलू उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट के मामले में क्या जिम्मेदारी है मेरा यही प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपको इनका प्रश्न समझ में आ गया है ?

श्री अजित सिंह : मुझे तमिलनाडु के किसानों के प्रति इनकी चिन्ता को समझ में आती है। तमिलनाडु में चाय बागान या धान की खेती कई कठिनाइयों का सामना कर रही है। मुझे यही बात समझ में आयी है। यह इनकी चिन्ता का विषय है। जैसा कि, मैंने कहा है कई उत्पादों की कीमतों में कमी आई हैं। कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। यह सब विश्व व्यापार संगठन या मात्रात्मक प्रति-बन्ध हटाए जाने के कारण नहीं है। इसके कई कारण हैं। कई क्षेत्रों में, यदि यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है, तो हम जो भी कार्रवाई कर सकते हैं, करते हैं। हम सीमाशुल्क बढ़ाते हैं। हमारे पास पादप-परिरक्षण उपाय हैं। हमारे पास एम०एस०पी० है। हमारे पास बाजार में हस्तक्षेप करने वाली योजनाएं (मार्केट इन्टरवेंशनिष्ट स्कीम) हैं। किसी वस्तु विशेष की जो खास समस्याएं हैं, हम राज्य सरकार के साथ इस संबंध में सहयोग करने की कोशिश करते हैं। एम० आई०एस० राज्य सरकार के साथ सहयोग से चलती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि इस प्रश्न के लिए आधे घंटे की चर्चा होगी। यदि आप चाहते हैं तो इसके लिए नोटिस दीजिए।

लंबित सिंचाई परियोजना

***483. श्री प्रबोध पण्डा : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सहित देश में किन-किन प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को अभी पूरा किया जाना शेष है;

(ख) ये परियोजनाएं कब प्रारंभ की गई थीं और प्रत्येक परियोजना की आरम्भिक लागत तथा उसके पूरा होने की लक्षित तिथि क्या थी;

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

देश में पिछली 171 वृहद सिंचाई परियोजनाओं को नौवीं योजना में लाया गया है। इन परियोजनाओं के नाम, उनकी मूल लागत, योजना जिसमें वे प्रारंभ की गई तथा उनकी नवीनतम अनुमानित लागत संलग्न अनुबंध में दी गई है।

सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, वित्त पोषण, क्रियान्वयन, प्रचालन एवं उनके रखरखाव का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकार का है।

संसाधनों का बिखराव तथा चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिए बिना ही बहुत-सी सिंचाई परियोजनाओं को प्रारंभ करना, परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास संबंधी समस्याएं, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएं, ठेकेदारी संबंधी विवाद एवं मुकदमेबाजी, वितरण प्रणाली के निर्माण के बिना ही मुख्य कार्यों को पहले पूरा करने आदि जैसी अन्य समस्याओं के कारण परियोजनाओं के पूरा होने के विलंब हुआ है और राज्य सरकारें सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने की निश्चित तिथि की सूचना नहीं दे पाती हैं।

राज्य सरकारें, परियोजनाओं को प्रारंभ करते समय अथवा उनके क्रियान्वयन के दौरान उनके पूरा होने की निश्चित तिथि को दर्शाने की स्थिति में नहीं होती है।

अनुबंध

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

(लागत करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	किस योजना में शुरू हुई	मूल लागत	नवीनतम अनुमानित लागत
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	नागार्जुनसागर	II	91.12	1025.00
2.	श्री रामसागर चरण-I (पोचम्पाद)	III	40.10	2425.00
3.	वम्सधारा चरण-I	IV	8.78	109.00
4.	पुलिवेन्दुला शाखा नहर	IV	2.98	110.14
5.	सोमसिला	V	17.28	467.00
6.	सिंगुर	V	29.76	180.00
7.	येलेरू जलाशय	VI	107.35	335.34
8.	श्रीसैलम दायां तट नहर	VI	220.22	1600.00
9.	श्रीसैलम बायां तट नहर	VI	अननुमोदित	1260.00
10.	तेलुगुगंगा	VI	अननुमोदित	2347.00
11.	जुराला (प्रियदर्शिनी)	VI	अननुमोदित	545.82
12.	वम्सधारा चरण-II (नेराडी बराज)	VI	अननुमोदित	749.83
	कुल			11154.13
	असम			
13.	धनसिरी	V	15.83	224.80
14.	बोरदिकराई	V	3.56	48.03
15.	एकीकृत कल्लोंग	V	4.57	80.55
16.	चम्पामती	VI	15.32	80.00
	कुल			433.38
	बिहार			
17.	पश्चिम कोसी नहर	III	13.49	900.00
18.	बागमती जलाशय	V	5.78	154.73
19.	दुर्गावती जलाशय	V	13.88	177.76
20.	बरनार जलाशय	V	8.03	230.43
21.	वटेस्वरस्थान पम्प फेज-I	V	91.31	249.54
	बाणसागर (केवल यूनिट-I अनुमोदित)	V	अननुमोदित	118.09
22.	ऊपरी कियुल जलाशय	V	8.07	109.93
23.	गंडक फेज-II	VII		578.27
24.	पूर्वी कोसी नहर फेज़-II	VII	अननुमोदित	156.32
	कुल			2675.07
	झारखंड			
25.	सिक्तियापर अजय बराज	V	115.24	206.89
26.	सुबर्णरेखा	V	अननुमोदित	1502.22
27.	औरंगा जलाशय	VII	125.40	699.36
28.	कोनार डाइवर्जन	V	अननुमोदित	373.00
29.	तिलैया डाइवर्जन	V	अननुमोदित	301.79
30.	उत्तर कोयल जलाशय	V	अननुमोदित	814.72
31.	पुनासी जलाशय	VII	अननुमोदित	185.82
	कुल			4083.80
	गोवा			
32.	सलौली	IV	9.61	153.00
	तिल्लारी	V	141.22	525.59
	कुल			678.59
	गुजरात			
33.	दमनगंगा	IV	24.40	272.78
34.	पानम	IV	10.66	106.79
35.	साबरमती	IV	17.59	123.57
	माही बजाजसागर (गुजरात हिस्सा लागत)	IV		
36.	करजन	V	37.20	280.98
37.	सुखी	V	23.11	121.36
38.	सिपु	1978-80 वा०यो०	18.80	102.44

1	2	3	4	5
39.	वतरक	1978-80 वा०यो०	43.71	63.77
40.	सरदार सरोवर (नर्मदा)	VI	6406.04	10156.27
41.	जंखारी	VI	18.70	90.00
	कुल			11317.96
	हरियाणा			
42.	गुड़गांव नहर	III	2.88	65.00
43.	जवाहर लाल नेहरू लिफ्ट	V	40.00	245.75
44.	सतलज-यमुना संपर्क नहर	V	59.70	601.00
45.	लोहारू (द०)	IV	4.13	81.46
46.	रेवाड़ी चरण-II	III	अननुमोदित	39.60
	कुल			1032.81
	हिमाचल प्रदेश			
47.	शाहनहर	VIII	143.32	143.32
	कुल			143.32
	जम्मू व कश्मीर			
48.	रावी तावी सिंचाई नहर	V	29.84	151.18
	कुल			151.18
	कर्नाटक			
49.	भद्रा	I	31.93	155.23
50.	तुंगभद्रा बांध एवं बायां तट नहर	I	33.41	319.09
51.	तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर	II	2.57	79.48
52.	काबिनी	II		480.00
53.	मलप्रभा	III	19.91	703.71
54.	हरंगी	III	अननुमोदित	373.00
55.	हेमावती	1968-69 वा०यो०	अननुमोदित	2100.00
56.	ऊपरी कृष्णा चरण-I	IV	58.20	5435.90
57.	करंजा	V	98.00	340.00
58.	बेनीथोर	V	73.25	153.00
59.	हिप्पारगी बराज	V	418.77	524.21
—	दूधगंगा	VI	अननुमोदित	110.00
60.	ऊपरी तुंगा	VIII	अननुमोदित	877.75
61.	वराही	VII	अननुमोदित	122.50
62.	यगाची	VIII	अननुमोदित	239.70
	कुल			12013.57
	केरल			
63.	कन्हीरापुझा	III	3.65	100.00
64.	पझासी	III	4.42	137.00
65.	कल्लडा	III	13.28	698.00
66.	मुवत्तुपुझा	V	48.08	455.00
67.	इदमलयार	VI	17.85	107.00
68.	चलियार (बेपोरपुझा)	VIII	अननुमोदित	645.00
69.	कुरियारकुट्टी (करापारा)	VIII	अननुमोदित	140.00
	कुल			2282.00
	मध्य प्रदेश			
70.	कोलार	IV	139.14	195.00
71.	सिन्ध फेज-I	IV	4.95	58.43
	राजघाट	V		
	यूनिट-I	V	61.61	133.50
	यूनिट-II	V	309.21	523.41
72.	बाणसागर			
	यूनिट-I	V	91.31	936.00
	यूनिट-II	V	344.66	345.00
73.	बारगी (रानी अवंती बाई सागर)	V		
	यूनिट-I	V	566.34	759.00
	यूनिट-II	V		
74.	ऊपरी वेनगंगा	V	50.80	249.72
75.	बरियारपुर बायां तट नहर	V	18.40	204.43
76.	उर्मिल	V	6.41	22.01

1	2	3	4	5
77.	थनवर	78-80 वा०यो०	24.38	27.22
78.	माही	VI	61.52	192.85
	बावनथाडी यूनिट-I	VI	74.06	95.28
	यूनिट-II	VI	52.75	52.75
79.	मान	VI	44.10	96.13
80.	जोबत	VI	30.75	67.23
81.	इंदिरा सागर	VI	752.16	1574.00
82.	बारना	II	6.66	34.36
83.	भंडार नहर	II	2.04	27.79
84.	सिन्ध फेज-II	VI	510.94	607.67
85.	ओमकारेश्वर	VIII	350.00	755.00
86.	बारगी डाइवर्जन	VIII	1101.23	1554.50
87.	पेंज डाइवर्जन	VIII	91.60	184.04
88.	महान	VI	39.00	155.10
	कुल			8850.42
	छत्तीसगढ़			
89.	महानदी जलाशय	IV	15.34	1223.45
90.	पैरी	IV	4.97	33.54
91.	जोंक (डाइवर्जन)	IV	4.13	48.99
92.	कोदार	V	2.94	48.83
93.	हसदेव बांगो	78-80 वा०यो०	115.30	858.31
	कुल			2213.12
	महाराष्ट्र			
94.	खडकवासला	II	11.62	353.91
95.	कृष्णा	III	27.66	375.00
96.	भीमा	III	42.58	918.56
97.	कुकादी	1966-69 वा०यो०	17.90	1044.93
98.	ऊपरी गोदावरी	1966-69 वा०यो०	14.20	133.23
99.	वारना	IV	31.08	992.82
100.	ऊपरी तापी	IV	12.09	172.12
101.	ऊपरी पेनगंगा	V	84.48	1050.00
102.	ऊपरी वर्धा	V	39.88	661.86
103.	दूधगंगा	V	204.68	757.28
104.	वाधुर	V	12.28	189.32
105.	ऊपरी प्रवरा	V	15.87	287.14
106.	चसकमन	V	22.48	329.27
107.	नन्दुर	V	अननुमोदित	284.26
	मधमेश्वर (ए)			
	मधमेश्वर (एन)		72.66	294.11
108.	भातसा	V	164.11	322.49
109.	जायकवाड़ी चरण-I	V	127.36	769.87
	चरण-II	V		
110.	सूर्य	1978-80 वा०यो०	19.35	175.14
111.	बावनथाड़ी	1978-80 वा०यो०	34.77	124.17
112.	इस्थापुरी (विष्णुपुरी)	1978-80 वा०यो०	78.93	196.60
113.	तिल्लारी	1978-80 वा०यो०	76.00	424.06
114.	लेन्दी	VI	अननुमोदित	204.50
115.	निचली थिरना प्रवाह	VI	37.65	129.67
	निचली थिरला लिफ्ट	VI	अननुमोदित	53.71
116.	घोसी खुर्द (स्वरगांव)	VI	461.19	2091.00
117.	निचली वरधा	VI	39.88	540.14
118.	निचली वुन्ना	VI	87.55	261.33
119.	वान	VI	46.85	158.35
120.	अरूणावती	VI	66.48	148.71
121.	तुलतुली	VI	अननुमोदित	169.40
122.	कडवा	VI	27.00	48.96

1	2	3	4	5
123.	तालाम्बा	VI	289.09	286.24
124.	पुनाड	VI	29.92	115.62
125.	हुमान	VI	अननुमोदित	370.04
126.	नीरा देवघर	VIII	अननुमोदित	510.84
127.	बेम्बला	VIII	अननुमोदित	307.82
128.	भामा असखेडा	VIII	अननुमोदित	233.28
129.	उरमोदी	VI	18.85	361.19
130.	गुंजावानी	VIII	अननुमोदित	130.69
131.	जनाई शीरसाई एल०आई०एल०	VIII	अननुमोदित	124.65
132.	खड़क/पुरना	VIII	अननुमोदित	177.65
133.	कृष्ण कोयना एल०आई०एस०	VI	259.10	1083.00
134.	निचली दुधना	VIII	53.21	347.83
135.	निचली पेनगंगा	VIII	अननुमोदित	207.14
136.	सिना कोलेगांव	VIII	अननुमोदित	170.00
137.	सिना माधा एल०आई०एस०	VIII	अननुमोदित	73.00
	कुल			18160.9
	मणिपुर			
138.	थोबल	1978-80 वा०यो०	47.25	390.00
139.	खुगा	VI	15.00	150.29
	कुल			540.29
	मेघालय		शून्य	
	मिजोरम		शून्य	
	नागालैंड		शून्य	
	उड़ीसा			
140.	पोट्टेरू	IV	14.81	169.61
141.	रेंगाली			
	(क) बांध	IV	57.93	40.77
	(ख) सिंचाई	V	233.64	2148.50

1	2	3	4	5
142.	ऊपरी कोलाब			
	(क) बांध	V	7.58	48.81
	(ख) सिंचाई	V	16.47	270.00
143.	ऊपरी इन्द्रावती			
	(क) बांध	1978-80 वा०यो०	34.92	176.16
	(ख) सिंचाई	1978-80 वा०यो०	42.74	480.96
	सुबर्णरेखा	VII	1013.62	1270.50
144.	कानुपूर सिंचाई	VIII	268.65	330.89
145.	महानदी चित्रोत्पाला	VII	39.93	131.00
	(उड़ीसा)-कुल			5067.20
	पंजाब			
	सतलज यमुना संपर्क नहर			
	(क) संवाहक नहर	VI	176.00	601.25
	(ख) पंजाब क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करना	VI	अननुमोदित	58.12
	कुल			659.37
	राजस्थान			
146.	जखम	III	2.33	104.00
—	गुडगांव नहर		2.88	35.40
147.	माही बजाज सागर	IV	31.36	799.04
148.	सोम कमला अम्बा.	V	4.48	207.48
149.	इंदिरा गांधी नहर चरण-II	V	89.12	2267.44
—	नर्मदा (सरदार सरोवर)	VI	467.53	1462.00
150.	बिसालपुर	VII	173.03	325.00
151.	सिधमुख नहर	1990-92 वा०यो०	143.59	309.00
	कुल			5509.36

1	2	3	4	5
	सिक्किम		शून्य	
	तमिलनाडु		शून्य	
	त्रिपुरा		शून्य	
	उत्तर प्रदेश			
152.	सारदा सहायक	III	64.84	1250.00
153.	लखवर व्यासी			
	(क) बांध (उत्तर प्रदेश हिस्सा)	V	140.97	578.40
	(ख) जल उपयोगिता	V	अननुमोदित	36.25
154.	मध्य गंगा नहर चरण-I	V	66.01	543.96
155.	सरजू नहर (घाघरा नहर बायां तट)	V	78.66	2810.00
156.	पूर्वी गंगा नहर	V	48.46	579.00
157.	राजघाट			
	(क) बांध	V	123.22	133.08
	(ख) नहर	V	126.43	179.24
158.	मोन पंप नहर	V	5.64	72.55
159.	कन्हर सिंचाई	V	अननुमोदित	240.00
160.	बेवर फीडर	V	27.91	59.90
161.	मौदाहा बांध	V	66.82	125.16
	बाणसागर			
	(क) बांध	V	91.31	234.00
	(ख) उत्तर प्रदश में परिवहन प्रणाली		169.52	268.00
	(ग) मध्य प्रदेश में परिवहन प्रणाली		27.92	27.92
162.	चित्तौड़गढ़ जलाशय	V	34.06	36.70
163.	ज्ञानपुर पंप नहर	V	110.51	159.88
164.	चम्बल लिफ्ट	VII	अननुमोदित	79.24
165.	हिण्डन कृषि दोआब में पेट्डी चैनल प्रदान करना	VII	15.53	39.24
166.	टेहरी			
	(क) बांध (सिंचाई हिस्सा)	VII	197.92	711.14
	(ख) जल उपयोगिता		अननुमोदित	50.00
167.	जरौली पंप नहर	90-91 वा०यो०	47.92	48.22
	कुल			8255.88
	उत्तरांचल			
168.	जमरानी बांध	V	61.25	433.00
	कुल			433.00
	पश्चिम बंगाल			
169.	दामोदर घाटी निगम की बराज एवं सिंचाई प्रणाली	I	अननुमोदित	60.00
170.	कंग्साबती	II	25.26	250.00
171.	तीस्ता बराज	V	69.72	1177.00
	सुबणरेखा	VIII	228.82	595.00
	कुल			2082.00
	कुल योग			97737.35

अननुमोदित

— इन परियोजनाओं को नौवीं योजना के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

श्री प्रबोध पण्डा : महोदय, मैंने मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर का अध्ययन किया है। परन्तु यह स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया। परियोजनाओं के लिए आवंटन 97,737.35 करोड़ रुपये का है। परन्तु इसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा कितना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस परियोजना में योगदान किया है अथवा नहीं। अथवा इसमें केवल राज्य सरकारों द्वारा ही योगदान किया गया है ? उस संबंध में मेरा प्रश्न है कि क्या पश्चिम बंगाल में सुवणरेखा बैराज परियोजना को मंजूरी दी गई है अथवा नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां त्वरित सिंचाई विकास कार्यक्रम (ए०आई०डी०पी०) को केंद्रीय ऋण सहायता के अंतर्गत शुरू किया जा रहा है। यदि मंजूरी दी गई है तो पश्चिम बंगाल में सुवणरेखा बैराज हेतु कितना धन मंजूर किया गया है।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, हम सभी जानते हैं कि सिंचाई राज्य का विषय है। वर्तमान नीति के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा अपनी

प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं को नियोजित, जांच, तैयार और लागू किया जाता है। राज्य सरकारें प्राथमिकताएं निर्धारित करती हैं। वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार और उपलब्ध निधियों का अपने विवेक से उपयोग करके परियोजनाओं को निष्पादित करती हैं। केन्द्र सरकार ब्लॉक ऋण और अनुदान प्रदान करती है हालांकि यह किसी विशेष परियोजना से सम्बद्ध नहीं होता।

इन्होंने उल्लेख किया है कि 97,763 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं परन्तु यह विभिन्न योजनाओं की चालू अथवा विलंबित परियोजनाओं के पूरा होने की नवीनतम अनुमानित लागत है। हमने ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत 84,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है।

जहां तक सुवर्णरेखा परियोजना का संबंध हैं माननीय सदस्य जानते हैं कि यह अनुमोदित परियोजना नहीं है। जहां तक उड़ीसा के अंश का संबंध है इसे अनुमोदित कर दिया गया है। परन्तु जहां तक पूर्ववर्ती बिहार सरकार का संबंध हैं तो इसे अनुमोदित नहीं किया गया है। तथापि, जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, हमने इस नहर को पूरा करने हेतु ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत आज तक लगभग 2 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है।

श्री प्रबोध पण्डा : जहां तक सुवर्णरेखा बैराज परियोजना का संबंध है परियोजना की लागत 595 करोड़ रुपए है और प्रदान की गई ऋण सहायता केवल 2 करोड़ रुपए है जो बहुत कम है। इसलिए, क्या सरकार का इस बैराज परियोजना के लिए और धन प्रदान करने का विचार है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सुवर्णरेखा बैराज परियोजना की निगरानी करने के लिए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को शामिल करके कोई विकास बोर्ड़ गठित करने पर विचार कर रही है।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, जहां तक सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना को पूरा करने हेतु विकास बोर्ड़ गठित करने का संबंध है, केन्द्र सरकार ने पहले ही उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक हाल ही में गठित झारखण्ड राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। हमें अभी तक राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

जहां तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना के हिस्सों का संबंध है इसमें संदेह नहीं है कि यह एक अनुमोदित परियोजना है; परन्तु जहां तक पूर्ववर्ती बिहार के हिस्से का संबंध है यह अनुमोदित नहीं है। इसे अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है। तथापि, माननीय प्रधान मंत्री ने निर्देश दिया है कि चालू परियाजनाएं जो पूर्ण होने की अवस्था में हैं के लिए हमें 'फास्ट ट्रैक'' आधार पर ए०आई०डी०पी० के अंतर्गत निधियां प्रदान करनी होंगी और जहां तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भाग का संबंध है हम इसे प्रदान करेंगे। हम उन हिस्सों को पूरा करने के लिए अनुदान और ऋण प्रदान कर रहे हैं। झारखंड के हिस्से के संबंध में हमने लिखा है कि एक विकास बोर्ड होना चाहिए ताकि विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके और परियोजना को तत्काल लागू किया जा सके।

श्री शिवराज वि० पाटील : हमें खेद है कि माननीय मंत्री इस प्रश्न का यह कहते हुए उत्तर दे रहे हैं कि केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो केंद्रीय स्तर पर सिंचाई मंत्रालय रखना आवश्यक नहीं होता।

जब परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो उन्हें योजना आयोग को प्रस्तुत किया जाता है और योजना आयोग इन पर विचार करता है।

जहां तक प्रमुख परियोजनाओं का संबंध है तो उन्हे तब तक नहीं चलाया जाता जब तक केंद्रीय जल आयोग (सी०डब्ल्यू०सी०) द्वारा मंजूरी नहीं दे दी जाती। और जब परियोजनाएं योजना आयोग और केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की जाती हैं तो केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक है कि उस समय सीमा पर विचार करे जिसके भीतर उन्हें पूरा किया जा सकता है। जिस धनराशि की आवश्यकता होगी और एजेंसियों तथा अन्य बातों पर विचार किया जाता है। अब माननीय मंत्री कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मामले हैं। भूमि का भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अधिग्रहण किया जाता है और भूमि अर्जन अधिनियम में कहा गया है कि आकस्मिक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं और भूमि का तत्काल अधिग्रहण किया जा सकता है। इन ब्यौरों पर ध्यान देने की बजाय और यह देखने की बजाय कि समय और लागत में वृद्धि न हो, माननीय मंत्री कह रहे हैं कि भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यही कारण है कि हम देश की वित्त व्यवस्था का उचित रूप से प्रबंध नहीं कर पाये हैं। यही कारण है कि राजकोषीय घाटा हो रहा है और यदि भारत सरकार शासन नहीं कर रही है, यदि भारत सरकार पर्यवेक्षण नहीं कर रही है, यदि भारत सरकार विद्यमान कानूनों का प्रयोग नहीं कर रही है, यदि भारत सरकार सृजित संस्थाओं का प्रयोग नहीं कर रही है तो यही होने वाला है। इसलिए, हम भारत सरकार से जानना चाहते हैं कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि लागत और समय में वृधि न हो क्या करने जा रहे हैं।

श्री अर्जुन सेठी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अंतर-राज्यीय परियोजनाओं का संबंध है यह सच है कि परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय के पास आती है और केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं को मंजूर किए जाने के पश्चात राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन शुरू किया जा सकता है। परन्तु जहां अंतर-राज्यीय विस्तार नहीं है वहां राज्य सरकारें कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : नहीं, महोदय यह सही नहीं है। सभी प्रमुख परियोजनाएं, चाहे अंतर-राज्यीय हो अथवा नहीं, तकनीकी स्वीकृति के लिए केंद्रीय जल आयोग के पास आनी चाहिए हैं और उसके पश्चात उन्हें योजना आयोग के पास भेजना पड़ता है। कृपया इस बात को अपने विभाग के साथ स्पष्ट कर लें।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, मैं सम्माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने यह कहते हुए कि जहां तक परियोजना

की मंजूरी का संबंध है केंद्रीय सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के सामने जब हित याचिका दायर की है। यह उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है। *(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : यह अलग बात है। मामला उच्च न्यायालय के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु लम्बित है। परन्तु विद्यमान नियम क्या है ? माननीय सदस्य विद्यमान नियम के बारे में पूछ रहे हैं। भारत सरकार परियोजनाओं में बाधा पहुंचा रही है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, जहां तक अंतर-राज्यीय नदी परियोजना का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक हम मंजूरी नहीं देते, तब तक वे आगे नहीं बढ़ सकते अथवा उन परियोजनाओं को लागू नहीं कर सकते। जहां तक राज्य के भीतर की सिंचाई परियोजनाओं का संबंध है, उन्हें हमारे पास आने की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वक्तव्य में मैंने 36 गैर-अनुमोदित परियोजनाओं का जिक्र किया है जिन्हें राज्यों द्वारा चलाया जा रहा है। हमने उन्हें अनुमोदित नहीं किया है। इसलिए, यह स्थिति है। राज्य सरकारें कभी-कभी कार्य शुरू कर देती हैं और वे परियोजना की स्थिति के बारे में न तो हमसे सम्पर्क करती है और न ही सूचना देती हैं इसीलिए, 36 गैर-अनुमोदित परियोजनाओं को राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। केवल अंतर-राज्यीय नदी परियोजनाएं मंजूरी के लिए हमारे पास आती हैं और हम विभिन्न संबंधित राज्यों के अनुमोदन से तकनीकी मंजूरी देते हैं।

[हिन्दी]

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि सिंचाई परियोजनाएं राज्यों का विषय है, उनमें राज्य निर्णय करते हैं। लेकिन कुछ बड़ी योजनाएं ऐसी भी है, जिनमें एक नहीं, एक से अधिक राज्य, दो या तीन राज्यों तक की संयुक्त परियोजनाएं होती हैं, उनमें केन्द्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विशेषकर जब वन भूमि का अधिग्रहण करना होता है या वन भूमि उस प्रोजैक्ट के क्षेत्र में आती है वैसी दशा में इनका निर्णय अंतिम होता है। मैं मध्य प्रदेश के संबंध में जानना चाहता हूं, कि क्या बाण-सागर योजना, राजघाट-योजना, बर्गी-योजना, इंदिरा-सागर योजना, ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गयी थीं लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई हैं। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि इनके 10वीं पंचवर्षीय योजना में पूरी होने की संभावना है। एक तरफ तो आपने कहा है कि यह राज्य का विषय है और दूसरी तरफ आपने कहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये पूरी हो जाएंगी – ऐसा आपने किस आधार पर कहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं में राज्य सरकार को दिये गये अनुदान की राशि क्या है और केन्द्र सरकार की अनुशंसा के आधार पर ऋण-राशि क्या है ?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया है राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर हम यहां सभा पटल पर *यह बता सकते हैं कि कौन सी परियोजना के दसवीं योजना के अंत* तक अथवा एक वर्ष के भीतर पूरी होने की संभावना है। जहां तक बारगी परियोजना का संबंध है हम ए०आई०बी०पी० फास्ट-ट्रैक त्वारित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां प्रदान कर रहे हैं और अब तक हमने 94 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इसी प्रकार, बाणसागर, इंदिरासागर तथा अन्य संबंधित परियोजनाओं पर कार्य अभी चल रहा है और यह पूरा होने ही वाला है। जैसा कि मैंने बताया है हम ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत धन प्रदान कर रहे हैं। जब भी कोई राज्य केंद्र के पास आता है तो हम परियोजना को पूरा करने के लिए न कि नई परियोजना शुरू करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार को ऋण प्रदान करते हैं। हम परियोजना को पूरा करने के लिए ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत धन प्रदान करते हैं। हम इन परियोजनाओं के लिए भी धन प्रदान कर रहे हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री से जानना चाहता हूं कि 20 और 25 वर्ष की अवधि बीतने के पश्चात भी बोड़ोलैंड क्षेत्र में दो प्रमुख नदी सिंचाई परियोजनाओं को अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष जी, मैंने विशेष रूप से राजघाट, बरकी और इंदिरा-सागर योजना के बारे में पूछा था कि क्या ये योजनाएं दसवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जाएंगी ?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, मैं यहां स्पष्टीकरण देना चाहता हू। जैसाकि मैंने बताया कि इन दो सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। जब तक वे तेजी से परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं करते और परियोजनाओं को तेजी से पूरा नहीं करते, मैं क्या कर सकता हूं ? मैं केवल धन प्रदान कर सकता हूं और इसकी निगरानी रख सकता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस विषय पर नियम 193 के अधीन चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मैं सहमत हूं। आप इसे उठा सकते हैं। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। हम इसके बारे में कार्य मंत्रणा समिति में पता लगाएंगे।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, मैं माननीय जल संसाधन मंत्री से जानना चाहता हूं कि मेरे बोड़ोलैंड क्षेत्र के भीतर दो प्रमुख नदी सिंचाई परियोजनाओं को अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया। पहली है चम्पा मोती नदी सिंचाई परियोजना जो वर्ष 1980 में 15 32 करोड़ रुपए की आरम्भिक लागत से शुरू की गई थी और दूसरी है धनश्री नदी सिंचाई परियोजना जो वर्ष 1975 में 15.83 करोड़ रुपए की आरम्भिक परियोजना लागत से शुरू की गई थी। क्रमश: गत 20 और 25 वर्षों से इन दोनों परियोजनाओं को पूरा

नहीं किया गया। ऐसा क्यों है कि बोडोलैंड के लोगों के साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है ? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन दो प्रमुख परियोजनाओं को पूरा क्यों नहीं किया गया। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस पर नियम 193 अथवा नियम 184 के अधीन चर्चा होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : असम सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसने बोडोलैंड के लोगों के साथ कभी भी न्याय नहीं किया। कृपया हमें कारण बताये जाएं कि ये दो प्रमुख नदी सिंचाई परियोजनाएं अभी तक पूरी क्यों नहीं की गई। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, कृपया प्रश्न पूछें। प्रश्न-काल समाप्त होने वाला है।

(व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : 20 और 25 वर्षों के पश्चात भी परियोजनाओं के पूरा होने में यह विलम्ब क्यों है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, माननीय सदस्य दो योजनाओं की बात कर रहे हैं जिन्हें ये कहते हैं कि पूरा नहीं किया गया। मैंने विशेष रूप से इन्हें समय दिया है क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, माननीय सदस्य कहते हैं कि ये दो परियोजनाएं पूरी नहीं की जा रही हैं। *(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : आप इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और कितना समय लेंगे ? ये दो परियोजनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

श्री अर्जुन सेठी : जहां तक चम्पामती सिंचाई परियोजना का संबंध है तो यह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ की गई थी। वास्तविक लागत 15.32 करोड़ रुपए थी। इस समय नवीनतम अनुमानित लागत लगभग 80 करोड़ रुपए है। जैसा कि मैंने बताया है कि हम निधियां देते हैं और परियोजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। निःसंदेह हम राज्य सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

श्री तरित बरण तोपदार : इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

श्री अर्जुन सेठी : 8 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत ऋण के लिए हमसे सम्पर्क नहीं किया। जब भी वे हमारे पास आएंगे हम निश्चय ही ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत ऋण देने पर विचार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं का निजीकरण

*484. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार नौ अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर *ग्राउंड हैंडलिंग* सेवाओं का पुनरूद्धार तथा निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष मई माह में इस उद्देश्य हेतु किसी कंपनी का चयन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिनांक 20 मार्च, 2002 के *इंडियन एक्सप्रेस* में प्रकाशित समाचार के अनुसार गृह मंत्रालय ने कुछ कंपनियों, जिनका इस उद्देश्य के लिए चयन किया गया था, के विरुद्ध आपत्ति उठाई है; और

(च) यदि हां, तो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उनके विरुद्ध आपत्ति उठाए जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (च) प्रतियोगी तथा अति आधुनिक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए, फरवरी 2000 में ग्राउंड हैंडलिंग संबंधी नए विनियम अधिसूचित किए गए जिनमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यह अनुमति दी गई है कि वह अन्य बातों के साथ-साथ मांग और उपलब्ध आधारभूत संरचना को दृष्टिगत रखते हुए भिन्न-भिन्न हवाई अड्डों पर राष्ट्रीय कैरियरों के अलावा और अधिक ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों को लाइसेंस दे देवे। तदनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने फरवरी, 2001 में ऐसी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों को दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, तिरूवनंतपुरम, बंगलौर, अहमदाबाद, हैदराबाद तथा गोवा हवाई अड्डों पर कार्य करने के लिए लाइसेंस देने हेतु टेंडर आमंत्रित किया। इस प्रक्रिया को परिवर्तित सुरक्षा परिवेश को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

एयर इंडिया का गैर-संचालन (नॉन आपरेटिंग) राजस्व

*485. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विमान सेवाओं के साथ कोड *शेयरिंग, ब्लॉक स्पेस अरेंजमेंट्स*, द्विपक्षीय तथा अन्य समझौतों से गैर-संचालन (नॉन-आपरेटिंग) राजस्व अर्जित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश को कुल कितना गैर-संचालन राजस्व प्राप्त हुआ;

(ग) इस संबंध में प्रत्येक विमान सेवा की वर्तमान हिस्सेदारी कितनी है;

(घ) क्या उस सूत्र की पूर्ण समीक्षा की जा रही है जिसके द्वारा इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया गैर-संचालन राजस्व का बंटवारा करेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो इक्विटी संबंधी नए सूत्र को किस तारीख को लागू किया दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं। विदेशी एयरलाइनों के साथ की गई सभी किस्म की वाणिज्यिक प्रबंध-व्यवस्थाओं से सृजित राजस्व को एयरलाइनों के प्रचालन राजस्व में शामिल किया जाता है न कि अप्रचालन राजस्व में।

(ख) और (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के लिए अप्रचालन राजस्व निम्नानुसार है :–

(करोड़ रु० में)

वर्ष	अप्रचालन राजस्व		
	एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस	कुल
1999-2000	324.57	16.71	341.28
2000-01	351.39	60.57	411.96
2001-02	324.04	102.50	426.54

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खान सुरक्षा में श्रमिकों की भागीदारी

***486. श्री राम मोहन गाह्डे :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक नई खान सुरक्षा नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या खान सुरक्षा को बढ़ावा देने में कामगारों तथा स्थानीय लोगों को शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा खानों और खनन कार्य को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाए जाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) सरकार किसी नई खान सुरक्षा नीति पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, सुरक्षा कानूनों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, आवश्यकतानुसार उनमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं।

खान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कर्मकारों को शामिल करने का प्रावधान पहले से ही विद्यमान है। खान में सुरक्षा मामलों के बारे में प्रबंधक को सलाह देने के लिए कर्मकार निरीक्षक (उन खानों में जहां प्रतिदिन कम से कम 500 लोगों को रोजगार मिलता है) संस्थान है। साथ ही, सुरक्षा समितियों में (उन खानों में जिनमें प्रतिदिन कम से कम 100 व्यक्ति नियोजित किए जाते हैं) कर्मकारों की ओर से कम से कम 5 प्रतिनिधियों को भेजा जाना आवश्यक होता है। इस समिति की महिने में कम से कम एक बार बैठक होती है।

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी०जी०एम०एस०) के मार्ग दर्शन में इस समय खनन में निम्नलिखित सुरक्षा उपाय, जो भारतीय खनन उद्योग के लिए नए हैं, लागू किए जा रहे हैं :

(i) सभी कोयला खानों में सपोर्ट के तरीके के रूप में रूफ बोल्टिंग शुरू किया जा रहा है। इससे छत गिरने की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

(ii) अग्नि क्षेत्र में हवा के फैलाव को रोकने के लिए विशेष सीलेंट (केन्द्रीय खनन अनुसंधान द्वारा विकसित) लगाने का कार्य शुरू किया गया है। इससे खानों में आग पर बेहतर ढंग से नियंत्रण किया जा सकेगा।

(iii) जोखिम आकलन की अवधारणा और सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करने का कार्य सामान्य पूर्वानुमान और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है।

(iv) लम्बी दीवार द्वारा निष्कर्षण के दौरान सख्त छत प्रबंधन के लिए सतह से विस्फोट करने का कार्य कुछ खानों में शुरू किया गया है।

(v) खड़े पानी में कार्य के दौरान अवरोधकों की मोटाई को जांच करने की भू-भौतिकीय पद्धतियों का प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है।

(vi) सर्वेक्षण के लिए नवीनतम सर्वेक्षण उपकरणों का प्रयोग तथा योजना बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(vii) खान योजनाओं का डिजिटीकरण शुरू कर दिया गया है।

(viii) हैवी अर्थमूविंग मशीनरी में स्वचालित अग्निशमन यंत्रों का जल्दी ही प्रयोग शुरू किया जाएगा।

(ix) हवा में व्याप्त धूल कणों को कम करने के लिए ब्लास्ट होल ड्रिलों के साथ वेट ड्रिलिंग व्यवस्था का प्रयोग।

महानगरों में प्रदूषण

*487. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी महानगरों तथा वृहत नगरों में प्रदूषण के चिंताजनक स्तर को नीचे लाने के लिए कोई व्यापक और एकीकृत कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली और अन्य महानगरों में प्रदूषण स्तर के संबंध में सी०एन०जी० के उपयोग के प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) सरकार ने देश के महानगरों और बड़े शहरों में प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें वाहन और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करना, नगरीय एवं जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबंधन तथा प्लास्टिक अपशिष्टों का निपटान करना शामिल है। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई के संबंध में नगर विशिष्ट कार्य योजनाएं भी तैयार की गई हैं और ये योजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में परिवेशी वायु गुणवत्ता की मानीटरिंग कर रहा है और वर्ष 2000 व 2001 के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकड़ों की तुलना से यह पता चला कि परिवेशी वायु में रेग्युलेटरी प्रदूषकों के सान्द्रण में कमी आई है। यह मोटर वाहनों में स्वच्छतर ईंधन जैसे कम सल्फरयुक्त डीजल तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी०एन०जी०) का प्रयोग बढ़ने के कारण संभव हुआ है।

[हिन्दी]

रासायनिक उर्वरकों का प्रतिकूल प्रभाव

*488. **श्री जयभान सिंह पवैया : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए० आर०) ने कृषि उत्पादों पर रासायनिक उर्वरकों के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भूजल पर रासायनिक उर्वरकों का क्या प्रभाव पाया गया है;

(ग) क्या आई०सी०ए०आर० ने कोई उपचारात्मक उपाय सुझाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार मृदा, भूजल तथा पर्यावरण के संरक्षण हेतु एक सलाहकार निकाय स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं नामत: (I) दीर्घकालीन उर्वरक परीक्षण और (II) भूजल उपयोग के अंतर्गत इन पहलुओं पर अध्ययन किए हैं। पहले वाली परियोजना से यह सिद्ध हुआ है कि अपर्याप्त एवं असंतुलित उर्वरकों के दीर्घीकृत प्रयोग से पोषक तत्वों की कमी, मृदा स्वास्थ्य तथा फसल उत्पादकता की अवनति हो सकती है। बाद वाली परियोजना ने देश के उच्च उर्वरक खपत वाले क्षेत्रों में भूजल में 'नाइट्रेटों' के बढ़ते सान्द्रणों को इंगित किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उपचारी उपायों के रूप में मृदा परीक्षण आधारित संतुलित एवं समाकलित पोषक तत्व प्रबंधन तथा समाकलित जल प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश कर रही है। देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषक कृषि सेवा केन्द्र

*489. **श्री भर्तृहरि महताब : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अभी तक स्थापित किए गए कृषक कृषि सेवा केन्द्रों (एग्रो सर्विस सेन्टर्स) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों के क्या कार्य हैं; और

(ग) वास्तविक तथा वित्तीय मदों के संबंध में अभी तक इन केन्द्रों के कार्यनिष्पादन के आकलन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) वर्तमान में, केन्द्र सरकार के पास कृषक कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना से संबंधित कोई स्कीम नहीं है। बहरहाल, कुछ राज्य सरकारों ने ऐसे केन्द्रों की स्थापना की है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा स्थापित कृषक कृषि सेवा केन्द्रों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

कृषक कृषि सेवा केन्द्रों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं : कृषि उपस्करों, यंत्रों, बीजों, उर्वरकों और कृमिनाशियों का वितरण, किसानों को तकनीकी

सूचना/सेवाएं प्रदान करना, टपका तथा छिड़काव सिंचाई उपस्करों की स्थापना और वितरण, कस्टम हायरिंग, किसानों के लाभार्थ कृषि उपस्करों की मरम्मत तथा रखरखाव सेवा प्रदान करना।

उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कृषक कृषि सेवा केन्द्रों सहित विभिन्न कृषि उद्यमों, जिनका उनके द्वारा संवर्धन किया गया है, के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु एक अध्ययन शुरू किया गया है। अध्ययन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

जहां तक छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल का संबंध है, कोई अध्ययन नहीं किया गया है क्योंकि इन राज्यों में कोई कृषक सेवा केन्द्र नहीं है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कृषक कृषि सेवा केन्द्रों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु कोई औपचारिक विधिवत अध्ययन नहीं किया है। तथापि, अप्रैल से अक्तूबर, 2001 की अवधि के दौरान उनका सकल कारोबार 205.92 लाख रु० के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 192.00 लाख रु० था। चूंकि कृषक कृषि सेवा केन्द्रों को सहायता राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है, अत: उनके वास्तविक तथा वित्तीय निष्पादन के मूल्यांकन की प्रारंभिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

अनुबंध

कृषक कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या

क्र० सं०	राज्य का नाम	कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या
1.	उड़ीसा	243
2.	छत्तीसगढ़	शून्य
3.	आंध्र प्रदेश	21
4.	पश्चिम बंगाल	शून्य

राष्ट्रीय जल नीति

***490. श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 2002 के ''दि हिन्दू'' में ''कट्र पालिसी साइलेंट ऑन इंटर-स्टेट शेयरिंग'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या नई जल नीति में अंतर्राज्यीय जल के बंटवारे संबंधी कोई दिशानिर्देश नहीं दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(च) सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधनों के विकास तथा प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा नई नीति के कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता देने हेतु क्या कार्य-योजना तैयार की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) और (छ) जी, हां। राष्ट्रीय जल नीति का उद्देश्य देश के जल संसाधनों का एकीकृत और सतत विकास तथा कुशल उपयोग कर देश का त्वरित और समान आर्थिक विकास करना हैं इस नीति का उद्देश्य जल संसाधनों की गुणवत्ता बनाए रखना तथा देश के जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन में सभी दावाधारकों की सक्रिय भागीदारी भी है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 1 अप्रैल, 2002 को आयोजित अपनी पांचवी बैठक में संशोधित राष्ट्रीय जल नीति, 2002 को स्वीकार करते समय ''राज्यों के बीच जल आबंटन के लिए राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देशों'' को राष्ट्रीय जल बोर्ड को भेजने का निर्णय लिया ताकि उन दिशानिर्देशों पर सर्वसम्मति प्राप्त की जा सके। तथापि, राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में अंतर्राज्यीय जल बंटवारे संबंधी दिशानिदेशों के लिए अपेक्षित प्रावधान को इस परिषद द्वारा स्वीकार किया गया है और यह इस प्रकार है : ''21.1-नदी-बेसिन में जल संसाधनों की उपलब्धता और आवश्यकता पर उचित ध्यान देते हुए राज्यों के बीच जल का बंटवारा/वितरण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के द्वारा निर्देशित होना चाहिए। बेसिन राज्यों के बीच भावी समझौते कराने के लिए, बेसिन के बाहर के जल की कमी वाले राज्यों को भी शामिल करते हुए आवश्यक दिशानिर्देशों को तैयार करने की आवश्यकता है।''

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की सहायता के लिए संसाधन मंत्रालय को एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।

(ङ) जल संबंधी अतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान बेसिन राज्यों के बीच द्विपक्षीय/बहुपक्षीय विचार-विमर्शों द्वारा तथा अंतर्राज्यीय समझौते करके, अंतर्राज्यीय नदियों में जल संसाधनों के विकास के लिए बोर्डों और निगमों की स्थापना करके अथवा क्षेत्रीय परिषदों में सर्वसम्मति की व्यवस्था करके किया जाता है। कोई भी समझौता न हो पाने की स्थिति में, निर्णय के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत किसी भी पक्षकार राज्य से अनुरोध प्राप्त होने पर विवाद को अधिकरण को भेजा जाता है। विवादों का शीघ्रता से, समयबद्ध ढंग से समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में हाल ही में संशोधन किए गए हैं।

(च) जल राज्य का विषय होने के कारण, स्कीमों का अन्वेषण, आयोजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत चल रही सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए केन्द्रीय ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि

उनसे शीघ्र लाभ प्राप्त किए जा सकें। तद्नुसार, वर्ष 2001-2002 की समाप्ति तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को 8480 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता (सी०एल०ए०) मुहैया कराई गई है। वर्ष 2002-2003 के लिए 2800 करोड़ रुपये का परिव्यय मुहैया कराया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत मार्च, 2002 तक एक मिलियन हेक्टेयर से अधिक की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। सृजित और प्रयुक्त क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए कमान क्षेत्र विकास (सी०ए०डी०) कार्यक्रम के तहत भी राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 764.15 करोड़ रुपये व्यय किए गए और वर्ष 2002-2003 के लिए 202 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल के संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य सरकारों तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भी प्रायोगिक आधार पर ''भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन'' संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम प्रारंभ की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में, जल संसाधनों के विकास के वास्ते राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल को जल की कमी वाले बेसिनों में हस्तांतरित करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है।

[हिन्दी]

पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर

***491. श्रीमती जस कौर मीणा :**
योगी आदित्यनाथ :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पर्यटन को प्रोत्साहन देकर रोजगार के और अवसर सृजित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है और नौवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी तुलना में कितनी धनराशि प्रदान की गई थी; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और दसवीं पंचवर्षीय योजना में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अन्य क्षेत्रों से सम्पर्क विकसित करके पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावित नीतियां इस प्रकार हैं :–

* पर्यटन को आर्थिक विकास के एक मुख्य यंत्र के रूप में अवस्थित करना;
* रोजगार सृजन, आर्थिक विकास तथा ग्रामीण पर्यटन को बल प्रदान करने की दिशा में पर्यटन के प्रत्यक्ष एवं गुणात्मक प्रभाव में वृद्धि के प्रयास करना;
* घरेलू पर्यटन की ओर अधिक ध्यान देना ताकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास और विस्तार को बढ़ावा मिल सके;
* फैलते विश्व यात्रा एवं व्यापार तथा एक गंतव्य के रूप में भारत की व्यापक अप्रयुक्त संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए भारत को एक विश्व ब्रांड के रूप में अवस्थित करना;
* निजी क्षेत्र की सरकार के साथ भूमिका स्वीकार करना, जो एक सक्रिय सुविधाकारक एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है;
* राज्यों, निजी क्षेत्र एवं अन्य एजेंसियों की भागीदारी से भारत की अद्वितीय सभ्यता, हेरिटेज एवं संस्कृति के आधार पर एकीकृत पर्यटन परिपथों का सृजन एवं विकास;
* यह सुनिश्चित करना कि भारत में पर्यटक शारीरिक बल-वर्धन, मानसिक पुनर्योवन, सांस्कृतिक समृद्धता, आध्यात्मिक उन्नयन एवं ''भारतमय'' महसूस कर सकें।

(ग) योजना आयोग ने पर्यटन विभाग के लिए नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 595 करोड़ रुपये के वास्तविक आवंटन की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2900 करोड़ रुपये का योजनागत आवंटन किया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के क्षेत्र/स्कीमवार ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार उपलब्ध हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान सृजित रोजगार के अवसर के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

	रोजगार (मिलियन में)		
वर्ष	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल योग
1997-98	12.75	17.34	30.09
1998-99	14.39	19.57	33.96
1999-2000	15.90	21.62	37.52
2000-01	16.45	22.37	38.82
2001-02	अभी अन्तिम रूप दिया जाना है		

पर्यटन मंत्रालय का अनुमान है कि वर्ष 2007 तक पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का वर्तमान स्तर बढ़कर 66 मिलियन हो जाएगा तथा कुल 5586 करोड़ रुपयों का परिव्यय होगा बशर्ते कि कुछ नीतिगत उपाय किए जाएं। योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन क्षेत्र के लिए 2900 करोड़ रुपयों के परिव्यय का उल्लेख किया है। इस परिव्यय पर आधारित संसोधित रोजगार के आंकड़ों के अनुमान को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों को घाटा

***492. श्री गुनीपाटी रामैया :**
श्री बी०के० पार्थसारथी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विमानपत्तनों सहित देश में अधिकांश विमानपत्तनों को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक विमानपत्तन को वर्ष-वार तथा विमानपत्तन-वार कितना घाटा हुआ तथा घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए०ए०आई०) द्वारा अनुरक्षित 86 प्रचालनात्मक हवाई अड्डों में से केवल 11 हवाई अड्डे लाभ अर्जित कर रहे हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश का हैदराबाद हवाई अड्डा सम्मिलित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, हवाई अड्डा-वार तथा राज्य-वार प्रत्येक हवाई अड्डे को होने वाले घाटे का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। इन हवाई अड्डों पर घाटे का मुख्य कारण ट्रैफिक कम होना है। यहां तक कि कुछ हवाई अड्डों पर नियमित प्रचालन भी नहीं है। जब तक इन हवाई अड्डों पर ट्रैफिक की बढ़ोत्तरी नहीं होगी, तब तक यहां लाभ अर्जन करना संभव नहीं है। तथापि, जहां संभव होता है, लागत में कटौती के उपाय तथा नॉन-ट्रैफिक राजस्व में बढ़ोत्तरी के द्वारा घाटों को कम करने के प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण घाटे में चलने वाले हवाई अड्डों की सूची

(घाटा लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य	स्टेशन का नाम	1998-99	1999-00	2000-01
1	2	3	4	5	6
1.	अडंमान और निकोबार	पोर्टब्लयेर	65.78	52.06	206.41
2.	आंध्र प्रदेश	रामुंद्री	34.75	31.50	40.90
3.		तिरूपति	119.73	140.57	184.08
4.		विजयवाड़ा	103.98	105.54	180.12
5.		विशाखापत्तनम	156.59	30.46	178.16
6.	अरूणाचल प्रदेश	तेजू	20.26	19.58	11.53
7.		जेरो	10.69	13.54	3.91
8.	असम	डिब्रुगढ़	387.27	341.02	423.13
9.		गुवाहाटी	1,440.48	2,020.73	2,567.87
10.		जोरहाट	56.59	54.07	95.59
11.		उत्तरी लखीमपुर	120.58	128.80	133.76
12.		सिल्चर	161.86	157.01	136.03
13.		तेजपुर	9.17	10.94	26.97
14.	बिहार	गया	66.97	83.86	75.11
15.		पटना	384.07	396.87	591.28
16.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	191.96	146.34	151.72
17.	दिल्ली	सफदरजंग	419.14	489.63	596.42
18.	गुजरात	अहमदाबाद	287.87	254.76	499.64
19.		भावनगर	92.95	146.02	88.53
20.		जामनगर (डब्ल्यू०आर०)	40.33	63.15	17.77
21.		कांडला	54.22	54.57	42.74
22.		केशोड़	69.08	68.29	54.53
23.		पोरबन्दर	51.62	65.12	53.41
24.		राजकोट	91.02	149.47	250.43
25.		बडोदरा	80.71	231.61	361.83
26.		गग्गल (कांगड़ा)	18.68	23.46	33 34
27.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू (भूंटर)	314.77	131.10	139.38
28.		शिमला	71.43	62.62	120.91
29.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	99.96	107.61	152.10
30.		लेह	54.22	51.46	86.09

1	2	3	4	5	6
31.		श्रीनगर	185.66	168.61	176.01
32.	झारखंड	रांची	202.25	265.71	381.94
33.	कर्नाटक	हुबली	12.81	30.14	36.23
34.		मंगलौर	99.44	32.12	222.33
35.		बेलगांव	130.28	161.52	122.74
36.	केरल	त्रिवेन्द्रम	1011.37	1020.18	996.35
37.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप (अगत्री)	33.17	37.69	84.00
38.	मध्य प्रदेश	भोपाल	269.82	343.69	535.84
39.		ग्वालियर	70.90	82.59	101.56
40.		जबलपुर	55.10	76.38	61.48
41.		खजुराहो	178.77	191.69	231.66
42.		रायपुर	93.07	128.01	116.22
43.		इंदौर	109.90	248.80	155.17
44.	महाराष्ट्र	नागपुर	796.55	895.45	985.21
45.		औरंगाबाद	97.40	154.66	100.57
46.		कोल्हापुर	0.00	0.00	0.00
47.	मेघालय	शिलांग	0.00	0.00	0.00
48.	मणिपुर	इम्फाल	437.55	406.68	461.05
49.	मिजोरम	आइजोल	24.63	37.08	67.96
50.	नागालैंड	दीमापुर	190.87	207.99	199.58
51.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	311.78	470.24	449.89
52.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	15.58	24.44	11.10
53.	पंजाब	अमृतसर	324.14	283.23	331.16
54.		लुधियाना	74.54	80.81	77.03
55.	राजस्थान	जयपुर	436.43	368.41	664.04
56.		जैसलमेर	6.02	14.19	13.26
57.		जोधपुर	111.27	163.38	135.65
58.		कोटा	48.73	49.54	35.89
59.		उदयपुर	218.36	276.10	319.91
60.	तमिलनाडु	कोयम्बतूर	44.41	40.63	258.19
61.		मदुरै	183.25	203.62	244.02
62.		सेलम	26.25	31.66	23.38
63.		त्रिची	252.01	179.32	288.32
64.		टुटीकोरिन	16.82	25.62	25.51
65.		वेलौर	7.01	8.31	4.71
66.	त्रिपुरा	अगरतला	553.22	514.69	755.95
67.	उत्तर प्रदेश	आगरा	124.46	154.00	185.96
68.		इलाहाबाद	0.00	0.00	0.00
69.		कानपुर	156.43	123.02	135.72
70.		कानपुर (चखेरी) (उका)	6.29	7.15	5.31
71.		लखनऊ	724.56	658.06	921.80
72.		वाराणसी	318.6	496.48	546.40
73.	उत्तरांचल	देहरादुन	54.11	59.85	70.65
74.		पन्ननूगर	53.02	61.54	65.29
75.	पं० बंगाल	बागडोगरा	188.23	158.01	268.58

विमान दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को मुआवजा

***493. श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ एयरलाइंस कंपनियां विमान दुर्घटनाओं के शिकार लोगों अथवा उनके संबंधियों/निकट संबंधियों को मुआवजे का भुगतान नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार एयरलाइंस कंपनियों के पास एयरलाइंस-वार मुआवजों संबंधी कितने दावे लंबित पड़े हैं;

(ग) ये दावे कब से लंबित पड़े हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विमान दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को मुआवजे का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री .(श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं। एयरलाइन कम्पनियां निर्धारित आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं जैसे दावे की हकदारी आदि को पूरा करने के पश्चात विमान दुर्घटना प्रभावित/उनके रिश्तेदारों को देय मुआवजे की विधिक राशि दे रही है।

(ख) से (घ) 17.7.2000 को पटना में दुर्घटनाग्रस्त बी-737 विमान के चार मामले (दो जीवित यात्रियों सहित) अभी लंबित हैं क्योंकि दावेदारों ने अभी हाल ही में अपनी अभिभाविकता को साबित किया है और अब उनको इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर द्वारा पेश किए गए मुआवजे के निपटारे हेतु अपनी स्वीकृति देनी है।

उन मामलों के अलावा एयरलाइन कंपनियों के पास कोई भी मामला लंबित नहीं है जो कि न्यायालय में मुख्यत: इसलिए लंबित है क्योंकि दावेदारों ने कानूनी द्वारा निर्धारित सांविधिक सीमाओं से अधिक धनराशि के लिए कहा था इसलिए वे न्यायाधीन हैं। इन मामलों के ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं।

	मामलों की संख्या	दुर्घटना की तिथि
एअर इंडिया	03	23.06.1985
इंडियन एयरलाइंस	47	19.10.1988
	03	14.02.1990
	11	26.04.1993
	02	17.07.2000

इंडियन एयरलाइंस द्वारा बीमा राशि का भुगतान

***494. श्री वाई०वी० राव :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान बीमा प्रीमियम के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) किन-किन बीमा कंपनियों ने इंडियन एयरलाइंस का बीमा किया हुआ है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस द्वारा इस वर्ष प्रीमियम के रूप में बीमा राशि का भुगतान पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इंडियन एयरलाइंस द्वारा सर्वाधिक संभव दरों पर बीमा प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए विमान, कलपुर्जों और तृतीय पार्टी देयता के संबंध में बीमा प्रीमियम निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपए में)

दिनांक 1 अक्तूबर, 2000 से 30 सितंबर, 2001	59
दिनांक 1 अक्तूबर, 2001 से 30 सितंबर, 2002	185

(ख) मैसर्स जनरल इंशोरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सामान्य बीमा निगम) (जी०आई०सी०) 30 सितंबर, 2001 तक इंडियन एयरलाइंस की बीमाकर्त्ता थी। जी०आई०सी० के राष्ट्रीय पुन: बीमाकर्त्ता बनने के परिणामस्वरूप मैसर्स न्यू इंडिया इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडियन एयरलाइंस एलाइंस एयर की 1 अक्तूबर, 2001 से बीमाकर्ता हैं।

(ग) और (घ) अमेरिका में 11 सितंबर, 2001 की घटना के बाद बीमाकर्त्ताओं द्वारा तृतीय पार्टी 'वार रिस्क' लाइएबिलिटी के संबंध में बीमा बाजार की हार्डनिंग और 'वार रिस्क' बीमा प्रीमियम में वृद्धि तथा अतिरिक्त सरचार्ज की वसूली के कारण बीमा प्रीमियम में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।

(ङ) विमान कल पुर्जों और तृतीय पार्टी देयताओं के संबंध में इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर की एविएशन इंशोरंस पॉलिसी प्रत्येक वर्ष के 1 अक्तूबर से नवीकृत होती है।

प्रत्येक अवसर पर, इंडियन एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारियों, वित्त मंत्रालय (बीमा विभाग) और राष्ट्रीय बीमाकर्त्ता के मुख्य कार्यकारी की टीम ने विदेश में अंडरराइटर बोर्ड के समक्ष अपना विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया। इस प्रस्तुतिकरण में इंडियन एयरलाइंस द्वारा संवेदनशील/नाजुक प्रचालन क्षेत्रों जैसे उड़ान सुरक्षा, इंजीनियरिंग, उड़ान प्रशिक्षण, सुरक्षा मानदंडों आदि में सुधार के लिए उपाय किए गए। यह इंडियन एयरलाइंस को बीमा पालिसी नवीकृत कराने की बेहतर संभावित दरों को प्राप्त करने में सहायता करता है।

ट्रेवल एर्जेसियों की ओर बकाया राशि

***495. श्री ए० ब्रह्मनैया :**
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक ट्रेवल एर्जेसियों की ओर एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस की भारी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो विमान सेवाओं की इस राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों विमान सेवाएं अपने मान्यता प्राप्त एर्जेटों की संख्या कम कर रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा निजी क्षेत्र से चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए क्या वैकल्पिक विपणन रणनीति अपनाई गई है;

(ङ) क्या इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया और एलाइंस एयर ने ट्रेवल एर्जेटों का कमिशन कम करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 30.9.2001 की स्थिति के अनुसार एअर इंडिया का ट्रेवल एर्जेसियों के ऊपर कुल बिक्री बकाया 194.39 करोड़ रुपए है। यद्यपि, इन एर्जेसियों के साथ हुए प्रबंध को ध्यान में रखते हुए एयरलाइनें इनसे बकाए की वसूली व्यवस्था के अनुसार 15 दिन, 30 दिन और 45 दिन के भीतर करने हैं। केवल ऐसी रकम जो चूक (डिफॉल्ट) में हैं शेष रह जाते हैं और तत्पश्चात् इन्हें बैंक निपटान योजना में उपलब्ध बैंक गारंटियों में समायोजित कर दिया जाता है। इसमें से, एर्जेटों के ऊपर 5588.95 लाख रुपए वर्ष 1981 से बकाया है इस राशि पर या तो उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है या एअर इंडिया को भुगतान करने में ये चुककर्ता रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस

के मामले में, 4.64 करोड़ रुपए की वसूली की जानी है। इस रकम में कई वर्षों से संकलित बकाया शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने क्रमश: दिनांक 1.1.2002 और 1.3.2002 से ट्रेवल एजेंटों की कमिशन को 9 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है।

विमानपत्तनों पर यात्री सुविधाएं

***496. श्री टी०एम० सेल्वागनपति :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर की यात्री सुविधाओं संबंधी समिति ने सभी प्रमुख विमानपत्तनों, विशेषकर जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा रही हैं, पर और अधिक यात्री सुविधाएं प्रदान किए जाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने देश में सभी प्रमुख विमानपत्तनों के लिए दलालों को रोकने के लिए समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सरलीकरण समिति जिसकी छ: महीने के समयान्तराल पर नागर विमानन महानिदेशक की अध्यक्षता में एक बार बैठक होती है। दिनांक 27.02.2002 को अपनी अंतिम बैठक आयोजित की जिसमें एम्बार्केशन/डिसएम्बार्केशन कार्डों की कमी, सीमा-शुल्क विभाग के कर्मियों द्वारा एक्स-रे स्क्रीनिंग के कारण सामानों की डेलिवरी में विलंब, प्रस्थान स्थल पर शतप्रतिशत सीमा-शुल्क जांच की प्रक्रिया का उन्मूलन, आब्रजन में जनशक्ति की कमी और दलालों के उत्पाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दलालों के उपद्रव पर काबू पाने के लिए ऐसा निर्णय किया गया कि विमानपत्तन निदेशक, एयरलाइन ऑपरेटर्स कमिटी और स्थानीय पुलिस के प्रतिनिधी सहित स्थानीय उप-समिति यथा सीमाशुल्क/आब्रजन प्रत्येक अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बनाया जाना चाहिए।

भूमि के अनारक्षण के माध्यम से एकत्र की गयी धनराशि

***497. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जनवरी, 2002 के ''दि टाइम्स ऑफ इंडिया'' में -एन्वायरनमेंट मिनिस्ट्री फाइन्ड अगेन' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार पत्र में प्रकाशित इस मामले का ब्यौरा तथा तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार भूमि का उपयोग परिवर्तित करने हेतु जमा की गई धनराशि के उपयोग के लिए एक योजना तैयार करने में कमी के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए किसी जांच का आदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और परिणाम क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) प्रश्न में उल्लिखित समाचार टाइम्स ऑफ इण्डिया के दिनांक 19 फरवरी, 2002 में प्रकाशित हुआ था।

.:थ्य ये हैं कि उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका (दीवानी) संख्या 202/1995 में वादकालीन आवेदन (संख्या 574) में वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी देते समय प्रतिपूरक वनीकरण न किए जाने का मामला उठाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 8.9.2000 के अपने आदेश में इच्छा व्यक्त की थी कि प्रतिपूरक वनीकरण करने का दायित्व परियोजना प्राधिकारियों पर डाल देना चाहिए और निर्देश दिया कि मंत्रालय प्रतिपूरक वनीकरण से संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों पर विचार और संशोधन करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु एक स्कीम प्रस्तुत करे। इसके अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए एक स्कीम के साथ 03.01.2001 को न्यायालय में एक शपथ-पत्र दायर किया।

रिट याचिका (दीवानी) संख्या 202/1995 में एक अन्य वादकालीन आवेदन (संख्या 566) में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 23.11.2001 के अपने आदेश में मंत्रालय को एक स्कीम तैयार करने के लिए कहा जिससे जब कभी वनेतर उपयोग के लिए वन भूमि की अनुमति दी जाए तो प्रतिपूरक वनीकरण करने का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होना चाहिए।

जैसा कि ऊपर उललेख किया गया है, एक विस्तृत शपथ-पत्र पहले ही दायर किया गया था, इसलिए मंत्रालय द्वारा पहले ही दायर स्कीम के बारे में न्यायालय को अवगत कराने के लिए वकीलों से अनुरोध किया था लेकिन दुर्भाग्यवश न्यायालय के ध्यान में यह मामला नहीं आया। इसलिए, शपथ-पत्र प्रस्तुत न करने के लिए 18.2.2002 को मंत्रालय पर 5,000/-रुपए का जुर्माना लगा दिया गया।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष शपथ-पत्र भी दायर किया है और मंत्रालय ने न्यायालय से जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया है। इस स्कीम को मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है और समय पर उच्चतम न्यायालय में दायर किया गया है, इसलिए इस गलती के लिए मंत्रालय के किसी अधिकारी को उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता।

जल का इंटर-बेसिन अंतरण

***498. श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बाढ़ से निपटने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में जल के इंटर-बेसिन अंतरण की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश में विभिन्न जल विवादों के समाधान के लिए जल के इंटर-बेसिन अंतरण को लागू करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय (तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय) ने वर्ष 1980 में अनेक दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़कर एकीकृत जल संसाधन विकास की एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण संबंधी लाभ प्राप्त करने की योजना भी है। इस कार्यक्रम के जरिए जल को अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरित करने के लिए अब तक के अधिशेष जल वाले बेसिनों का मूल्यांकन करने की योजना है ताकि देश के जल संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों के जल-संतुलन और व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री इस सोसायटी के प्रमुख हैं और राज्यों के मुख्य मंत्री/सिंचाई मंत्री इसके सदस्य हैं। सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एक शासी निकाय और अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति भी है जिसमें राज्य सरकारो को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। इन निकायों की नियमित रूप से बैठकें होती हैं जिनमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है और आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के तहत 30 संपर्कों का पता लगाया है और 6 संपर्कों की व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार की है। जल हस्तांतरण संपर्कों का कार्यान्वयन उसी दशा में संभव होगा जब संबंधित सह-बेसिन राज्य जल संपर्क प्रस्ताव के लिए सहमत हों बशर्ते कि परियोजना कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अन्य समुचित सहायता और निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई हो।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन०ए०आई०एस०) के अंतर्गत गन्ने की प्रीमियम दर

*499. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन०ए०आई०एस०) के अंतर्गत गन्ने की प्रीमियम दर 2.5 प्रतिशत निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रीमियम की उच्च दर के कारण गन्ना उत्पादक, बीमा योजना में भाग नहीं ले रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार से उक्त प्रीमियम दर को कम करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं। इस स्कीम के प्रावधान के अनुसार, गन्ने की फसल के लिए बीमांकिक प्रीमियम दरें प्रभारित की जाती हैं, जो राज्य दर राज्य और वर्ष दर वर्ष अलग-अलग हो सकती हैं। खरीफ 2000 और 2001 मौसमों के दौरान ये दरें 1% से 2.3% के बीच रही।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में गन्ने की फसल हेतु ऊँची प्रीमियम की उच्च दर के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार से कुछ मामलों की जानकारी मिली है।

(घ) और (ङ) जी, हां। महाराष्ट्र से खरीफ 2001 के लिए गन्ने की फसल हेतु प्रीमियम दरें 0.5% तक घटाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(च) बीमांकिक प्रीमियम दरों का निर्धारण प्रीमियम दर निर्धारण की मानक प्रणाली के आधार पर क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा किया जाता है। अत: इस प्रकार से प्ररिकलित प्रीमियम दरों में किसी राज्य विशेष के अनुरोध पर फेर-बदल नहीं किया जा सकता।

कोयले का अवैध खनन

*500. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) की विपणन को अविनियमित करने के लिए 1 अक्तूबर, 2001 से लागू की गई नई नीति के कार्यान्वयन को स्थगित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी०आई०एल० और इसकी सहायक कंपनियों ने अवैध खनन से राज्य तथा कंपनी की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का गहन अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड (सी०आई०एल०) ने नॉन कोर सेक्टर को कोयले की बिक्री को विकेन्द्रित करने के लिए जून, 2001 में एक निर्णय लिया था। तद्नुसार सी०आई०एल० की कोयला कंपनियों

ने अपनी बिक्री संबंधी नीतियों को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जो उनके द्वारा निर्धारित तारीखों से लागू होनी थीं। तदनन्तर नॉन कोर सेक्टर के पहले से सम्बद्ध उपभोक्ताओं की स्थिति का सत्यापन करने का भी निर्णय किया गया ताकि फर्जी लिंकेजों को समाप्त किया जा सके और इस प्रकार वाजिब यूनिटों को कोयले की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। सत्यापन की यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की गई है। इस बीच कोयला कंपनियां बिक्री संबंधी नई नीतियों का ब्यौरा तैयार कर रही हैं।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी कोयला कंपनियों द्वारा किए गए गहन अध्ययन से यह पता चला कि कोयला कंपनियां पट्टा धारी क्षेत्रों के भीतर तथा बाहर परित्यक्त/अप्रयुक्त खदानों अथवा आउटक्रॉप क्षेत्रों से कोयले के प्रच्छन्न निष्कर्षण और उठाईगीरी प्रकृति के अवैध खनन क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। चूंकि अवैध खनन क्रियाकलाप चोरी छिपे और प्रच्छन्न रूप से किए जाते हैं इसलिए उनकी मात्रा बताना अथवा राज्य/कंपनी की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ङ) मुख्य रूप से यह राज्य/जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वह अवैध खनन को रोकने/उसमें कटौती करने के लिए आवश्यक निरोधक कार्रवाई करें। तथापि कोयला कंपनियां भी निम्नलिखित कदम उठा रही हैं :–

(i) आसूचना संग्रहण।

(ii) कंपनी के सुरक्षा बल तथा सी०आई०एस०एफ० द्वारा 24 घंटे पेट्रोलिंग करना।

(iii) कंपनी के सुरक्षा बल और सी०आइ०एस०एफ० द्वारा अवैध खनन स्थलों की औचक जांच करना/छापा मारना।

(iv) परित्यक्त/अप्रयुक्त खदानों, पुरानी खादानों के ड्राउनिंग की फेंसिंग/चार दीवारी करना।

(v) जहां भी संभव हो अवैध खनन स्थलों की डोजिंग और भराई करना।

(vi) ऐसे प्रचालन से कोयला ले जाते हुए पकड़े गए ट्रकों को काली-सूची में डालना।

(vii) जब कभी छापे के दौरान अवैध रूप से खनित कोयला और अवैध खनन के उपकरण पकड़े जाते हैं तो उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशनों को सौंप दिया जाता हैं और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है।

(viii) अवैध खनन क्रियाकलापों पर रोक लगाने के लिए जिला तथा राज्य प्राधिकारियों की सहायता और सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ निकट संपर्क रखा जाता है।

राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान

5160. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान की स्थापना के लिए पशु कल्याण डिवीजन को निधियों की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या संस्थान की स्थापना कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त संस्थान के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान के निर्माण के लिए अनावर्ती और आवर्ती खर्च को शामिल करते हुए 7.55 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत कर दी है। यह संस्थान बल्लबगढ़, हरियाणा में 8.5 एकड़ भूमि पर स्थित है। इस संस्थान का निर्माण, समापन की निर्धारित तारीख 30 जून, 2002 सहित सितम्बर, 2001 में शुरू हुआ था। संस्थान का निर्माण चल रहा है।

अनुकंपा के आधार पर रोजगार

5161. श्री अमर राय प्रधान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधिकारियों के वर्ष-वार, कार्यालय-वार नाम तथा पदनाम क्या है जो सेवाकाल में ही दिवंगत हो गए;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या है जिनके योग्य आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर उपयुक्त रोजगार दे दिया गया है;

(ग) उनके नाम क्या है जिन्हें अभी तक अनुकंपा के आधार पर रोजगार नहीं प्रदान किया गया है; और

(घ) दिवंगत अधिकारियों के इस प्रकार के सभी योग्य आश्रितों को कब तक रोजगार प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत-यूरोप विमानन परियोजना

5162. श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री पी०आर० खूंटे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-यूरोप विमानन परियोजना को मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ एक संयुक्त नागर विमानन परियोजना के करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें एयरलाइन उद्योग में विमानन सुरक्षा, एयरलाइन प्रबंधन, एयर ट्रैफिक प्रबंधन, हवाई अड्डा गतिविधियों, पायलेटों/अनुदेशक प्रशिक्षण, उत्पाद समर्थन तथा रख-रखाव आदि जैसे विभिन्न नागर विमानन पहलुओं के संबंध में कार्यशालाएं, सेमिनार तथा पाठ्यक्रम संचालित करने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य उड़नयोग्यता, सुरक्षा विनियमों तथा मानकों सहित यूरोपीय संघ उद्योग की कार्य प्रणालियों के संबंध में भारतीय जागरूकता उत्पन्न करना है। ताकि इस क्षेत्र में विमानन सुरक्षा संबंधी मानकों में सुधार एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ऋण/अनुदान

5163. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में प्रसंस्कृत खाद्य के उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निजी उद्योगों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सुलभ ऋण और अनुदान दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में लगे उद्योगों को कुल कितना सुलभ ऋण/अनुदान उपलब्ध कराया गया ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। लेकिन, 2001-2002 से केवल अनुदान ही दिए जा रहे हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों यानि 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के वास्ते 301.00 लाख रुपये सुलभ ऋण के रूप में तथा 263.98 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए गए।

नए न्यायाधिकरणों का गठन

5164. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से नए न्यायाधिकरण के गठन का अनुरोध किया है जिससे उसे सूखा प्रवण जिलों में सिंचाई के लिए बछावत पंचाट की योजना-बी के अंतर्गत 500 टी०एम०सी० पानी अतिरिक्त में से अपने हिस्से के 278 टी०एम०सी० पानी के उपयोग की अनुमति प्राप्त हो सके;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

5165. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कृषि श्रम सामाजिक सुरक्षा योजना के अधीन विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र को वर्ष 2001-2002 की अवधि के लिए निधिया उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना से विभिन्न राज्यों में कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए; और

(घ) कृषि श्रम सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी विभिन्न उप-योजनाएं चलाई जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए देश के 50 चुनिंदा जिलों में भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए लागू की जानी वाली, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना-2001 नामक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की है जिसके दायरे में अगले तीन वर्षों के दौरान 10 लाख कृषि श्रमिकों को लाया जाना है इस योजना में जीवन-सह-दुर्घटना बीमा, धन वापसी, पेंशन तथा अधिवर्षिता लाभों का प्रावधान है। श्रमिक को प्रतिदिन 1/- रुपए या प्रतिवर्ष 365/-रुपए देना होता है तथा केन्द्र सरकार प्रतिदिन 2/- रुपए या प्रतिवर्ष 730/- रुपए प्रति लाभार्थी अंशदान करती है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को निधि जारी नहीं की गई है क्योंकि केन्द्रीय हिस्से को वर्ष 2001-02 के दौरान में शामिल किए गए श्रमिकों और एल०आई०सी० में जमा प्रीमियम के आधार पर, सामाजिक सुरक्षा निधि से एल०आई०सी० में स्वत: डाल दिया गया है। एल०आई०सी० से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, विभिन्न राज्यों के 1.01 लाख श्रमिकों को योजना के दायरे में लाया जा चुका है। तथा 31 मार्च, 2002 तक 2.11 करोड़ रुपए बतौर प्रीमियम एकत्र किये जा चुके हैं। राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राज्य वार लाभार्थियों की संख्या तथा कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना-2001 के तहत एल०आई०सी० द्वारा संग्रहीत प्रीमियम (31.03.2002 की स्थिति के अनुसार) (अनंतमि)

क्रम सं०	राज्य का नाम	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	एल०आई०सी० द्वारा संग्रहीत प्रीमियम राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	10991	34.07
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	—
3.	असम	4116	3.76
4.	बिहार	1307	1.18
5.	छत्तीसगढ़	9938	19.82
6.	गोवा	0	—
7.	गुजरात	3589	4.55
8.	हरियाणा	0	—
9.	हिमाचल प्रदेश	0	—
10.	जम्मू और कश्मीर	0	—
11.	झारखंड	268	0.24
12.	कर्नाटक	981	0.77
13.	केरल	410	0.37
14.	मध्य प्रदेश	18807	47.78
15.	महाराष्ट्र	9728	8.75
16.	मणिपुर	0	—
17.	मेघालय	0	—
18.	मिजोरम	645	0.58
19.	नागालैण्ड	185	0.36
20.	उड़ीसा	10546	24.97
21.	पंजाब	1097	1.14
22.	राजस्थान	8905	24.75
23.	सिक्किम	4314	3.88
24.	तमिलनाडु	11271	30.77
25.	त्रिपुरा	0	—
26.	उत्तर प्रदेश	3008	2.71
27.	उत्तरांचल	398	0.36
28.	पश्चिम बंगाल	802	0.73
	योग	101306	211.49

[अनुवाद]

पाउडर वाला दूध और उत्पाद

5166. श्री जे०एस० बराड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाउडर वाले दूध और दुग्ध उत्पादों के अनियंत्रित आयात के कारण स्वदेशी दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन और विपणन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार मांग और आपूर्ति और आयात की गई मात्रा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दूध की मात्रा में बढ़ोत्तरी और गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भारत भी दूध और दुग्ध उत्पादों का निर्यात करता है; और

(ङ) यदि हां, तो वार्षिक रूप से विभिन्न दुग्ध उत्पाद कितनी मात्रा में निर्यात किए जाते हैं और उनका निर्यात किन देशों को किया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए हैं :—

1. राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना।
2. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म।
3. केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन तथा प्रशिक्षण संस्थान।
4. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना।
5. गैर ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना।

उत्पादन स्तर पर दूध की गुणवत्ता को सुधारने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आवश्यक कदम उठा रहे हैं। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद (संशोधन) आदेश, 2002 में दूध की सुरक्षा एवं गुणवत्ता की व्यवस्था है।

(घ) जी, हां।

(ङ) 2000-2001 के दौरान विभिन्न डेयरी उत्पादों के निर्यात के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

2000-2001 के दौरान विभिन्न डेयरी उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा

एक्जिम कोड़	मद का विवरण	देश	मात्रा (कि०ग्रा०)
1	2	3	4
0401	दूध और क्रीम सांद्रित नहीं, न ही चीनी अथवा अन्य सुस्वादु पदार्थ मिलाए गए।		
	दूध और क्रीम में 1 प्रतिशत से अधिक वसा निहित नहीं है।		
04011000		इजिप्ट ए०आर०पी०	8574
040210	दूध और क्रीम सांद्रित/चीनी/सुस्वादु पदार्थ सहित।		
	दूध और क्रीम चूर्ण, दाने अथवा अन्य ठोस रूप में जिसमें वजन का 1.5 प्रतिशत से अधिक वसा नहीं है।		
04021001	स्किम्ड दूध		
		अंगोला	600000
		बंगला देश	1709250
		चीनी टायपेट	50000
		इजिप्ट ए०आर०पी०	50000
		इथोपिया	70000
		घाना	48200
		हांगकांग	35000
		इंडोनेशिया	60000
		आयवरी कोस्ट	32000
		जॉर्डन	5000
		कोरिया डी०पी०आर०पी०	5000
		कुवैत	6224
		म्यांमार	5000
		मोजाम्बिक	3750
		नेपाल	11020
		नीदरलैंड	32000
		फिलीपींस	48000
		सऊदी अरब	51000
		सिंगापुर	40055
		श्रीलंका	190000
		युगांडा	1000
		यू०ए०ई०	401252
		यमन गणराज्य	173104
04021003	बच्चों के लिए दुग्ध आहार		
		बंगलादेश	236000
		चीनी पीआरपी	59000
		नेपाल	6860
		सऊदी अरब	2500
		साउथ अफ्रीका	10468
		यू०ए०ई०	19000
		यू०एस०ए०	3873
04021009	अन्य		
		बहरीन आई०एस०	66300
		बंगला देश	1071450
		बेल्जियम	604500
		चीनी पी०आर०पी०	76452
		हांगकांग	6
		आयबरी कोस्ट	32000
		कुवैत	52000
		मालागेबी आर०पी०	256000
		मलेशिया	84
		म्यांमार	50000

1	2	3	4
		नेपाल	26060
		नाईजीरिया	160000
		ओमन	595800
		फिलीपींस	8000
		कतार	2600
		तनजानिया आर०ई०पी०	64000
		यू०ए०ई०	595700
		यू०एस०ए०	39500
04022100	दुग्ध और क्रीम पाउडर, दाने/अन्य ठोस रूप में जिसमें चीनी/अन्य सुस्वादु पदार्थ निहित नहीं हैं। 1.5 × बी० वी०डब्ल्यू०टी० से अधिक वसा सहित		
		बंगला देश	207600
040229	दुग्ध और क्रीम पाउडर, दाने बी/अन्य ठोस रूप में जिसमें चीनी/अन्य सुस्वादु पदार्थ निहित हैं। 1.5 × बी०वी०डब्ल्यू०टी० से अधिक वसा सहित		
04022902	सम्पूर्ण दुग्ध		
		बंगला देश	227300
		जमर्न एफ०आर०	2000
		नेपाल	22200
04022903	बच्चों के लिए दूध		
		बंगला देश	18000
		नेपाल	2319
04022909	अन्य (ई०जी० दुग्ध क्रीम)		
		बंगाल देश	591125
		कनाडा	500
		इजिप्ट एआरपी	7000
		नेपाल	1500
		ओमान	240000
		सिंगापुर	1550
040229	अन्य दूध अथवा क्रीम जिसमें सुस्वादु पदार्थ निहित हैं।		

1	2	3	4
04029903	सम्पूर्ण दूध		
		नेपाल	450
		यू०एस०ए०	2226
04029903	कंडेंस्ड दूध		
		कनाडा	1500
		नेपाल	1553
		रूस	12400
		सिंगापुर	500
04029909	अन्य		
		बंगला देश	368800
		चीनी पी०आर०पी०	3500
		नेपाल	200
		श्रीलंका	1000
		जाम्बिया	18500
04039009	कर्डल्ड दूध एवं क्रीम एवं केफीर एवं अन्य फरमेंटेड अथवा ऐसिडिफाइड दूध अथवा क्रीम।		
		सिंगापुर	7290
		यू०ए०ई०	1050
040410	व्हे एवं पदार्थ जिसमें प्राकृतिक दुग्ध घटक डब्ल्यू/एन निहित है। चीनी अथवा सुस्वादु पदार्थ निहित है।		
04041002	व्हे, सूखा, ब्लॉक्स एवं चूर्ण।		
		फ्रांस	9694
		पोलैंड	25000
		यू०एस०ए०	110000
04049000	व्हे के अलावा पदार्थ जिसमें प्राकृतिक दुग्ध घटक निहित हैं।		
		कनाडा	22500
		चीनी पी०आर०पी०	64000
		जर्मन एफआर	43200
		कोरिया आर०पी०	82292
		यू०ए०ई०	1930
		यू०एस०ए०	61001

1	2	3	4
0405	बटर एवं अन्य वसा एवं दुग्ध डेयरी स्प्रेड में से निकले तेल।		
04051000	बटर		
		बहरीन आई०बी०	5300
		कनाडा	646
		कुवेत	8600
		नेपाल	29932
		ओमान	27800
		पाकिस्तान	1262
		सिंगापुर	7958
		यू०ए०ई०	86610
		यू०एस०ए०	97760
04059001	अन्य (बटर तेल)		
		सिंगापुर	4660
		यूएसए	46200
04059002	पिघला हुआ बटर (घी)		
		बहरीन आई०एस०	69600
		कम्बोडिया	16
		कांगो पी०आर०	562
		हांगकांग	76095
		इजराईल	4000
		फिलीपींस	21680
		कतर	2400
		सऊदी अरब	26100
		सिंगापुर	92647
		साऊथ अफ्रीका	1000
		स्विटजरलैंड	7
		थाइलैंड	6688
		यू०ए०ई०	695600
		उक्रैन	9800
		यू०एस०ए०	140830
04059099	अन्य		
		मलेशिया	1200
		नेपाल	4392
		नाईजीरिया	1000
		यू०एस०ए०	173800
0406	पनीर एवं दही		
04061000	ताजा पनीर (व्हे चीज सहित) प्राकृतिक, फरमेंटेड एवं कर्ल्ड		
		सिंगापुर	220
		श्रीलंका	140
		स्वीडन	1275
		यू०ए०ई०	4590
		यू०एस०ए०	100
04062000	सभी प्रकार का ग्रेटेड अथवा पाउडर्ड पनीर		
		यू०ए०ई०	6170
04063000	प्रसंस्कृत पनीर, ग्रेटेड/पाउडर्ड नहीं		
		घाना	288
		हांगकांग	800
		यू०ए०ई०	3500
04069000	अन्य पनीर		
		इंडोनेशिया	128
		नेपाल	24509
		ओमान	400
		सेसल्स	4000
		सिंगापुर	225
		श्रीलंका	2145
		यू०ए०ई०	5708
		यू०एस०ए०	8100

जैव कृषि को बढ़ावा देना

5167. **श्री मोहन रावले :**
श्री सईदुज्जमा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में जैव कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) देश में जैव कृषि की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) निर्यात बाजार के लिए जैव कृषि संवर्धन हेतु वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति ने 2 मई, 2001 को जैव उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसके अन्तर्गत आदर्श जैव फार्म स्थापित किये गये हैं, जागरूकता कार्यक्रम शुरू किये गये हैं, विशिष्ट प्रत्यायन, निरीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया आदि को अंतिम रूप दिया गया है।

दसवीं योजना के दौरान देश में जैव कृषि का आगे और सवंर्धन करने हेतु एक नई स्कीम 'जैव कृषि पर राष्ट्रीय परियोजना' हेतु एक प्रस्ताव कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें एक राष्ट्रीय जैव कृषि बोर्ड की स्थापना शामिल है जिसका कार्य देश में जैव कृषि के विभिन्न पहलुओं का संवर्धन तथा उन्हें सुविधाजनक बनाना होगा।

(ख) जैव कृषि पर कार्य बल के प्रेक्षण के अनुसार, हालांकि अधिकांशत: असंगठित रूप से ही सही, देश में जैव कृषि हजारों कृषकों और संस्थानों द्वारा की जाती हैं।

[हिन्दी]

जम्मू एवं कश्मीर में जल संसाधन का विकास

5168. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जल संसाधन के विकास हेतु जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष श्रेणी में सम्मिलित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड विहित किए गए हैं और इन राज्यों को क्या विशेष लाभ दिए जा रहे हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने भी इस राज्य को उसी श्रेणी में सम्मिलित करन हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसे कब तक सम्मिलित किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जल संसाधनों के विकास के संबंध में स्थलाकृतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी०एल०ए०) मुहैया कराने के लिए जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों तथा उड़ीया के के०बी०के० जिलों को विशेष श्रेणी का माना गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इन विशेष श्रेणी राज्यों को गैर विशेष श्रेणी राज्यों को दी जाने वाली 2:1 की केन्द्रीय ऋण सहायता की तुलना में 3:1 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, विशेष श्रेणी राज्यों द्वारा जल क्षेत्र में सुधार करने के लिए सहमत होने की स्थिति में उन्हें गैर विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 4:1 के अनुपात में दी जाने वाली ऋण सहायता की तुलना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 100% ऋण सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान को विशेष दर्जा देने और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत मानकों में छूट देने के लिए अनुरोध करते हुए 31.1.2000 को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखा तथा पुन: 22.1.2001 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। अनुमोदित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार, राजस्थान को सामान्य श्रेणी अर्थात गैर-विशेष श्रेणी का राज्य माना जाता है और इस प्रकार विशेष श्रेणी राज्यों को दी जाने वाली छूट इस राज्य को नहीं दी जाती है।

जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा कोयला उत्पादन

5169. श्री विष्णुदेव साय : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड को कोयला उत्पादन की अनुमति किस तारीख को दी गई थी;

(ख) इस उद्देश्य के लिए उनके साथ किए गए समझौते की निबंधन एवं शर्तें क्या है;

(ग) वार्षिक उत्पादन हेतु कोयले की कितनी प्रमात्रा निर्धारित की गयी है; और

(घ) कोयला उत्पादन में निजी क्षेत्र के प्रवेश के पहले साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस०ई०सी०एल०) द्वारा कितनी मात्रा में कोयला प्रदान किया जाता था और अब कंपनी द्वारा वर्ष में कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जा रहा है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) स्क्रीनिंग समिति की 3.4.1996 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर मैसर्स जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड को, उनके रायगढ़ स्थित स्पंज आयरन प्लांट की 2 मि०ट० प्रतिवर्ष की कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जून, 1996 में, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कमांड क्षेत्र में गारे-पालमा IV/1 कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था। मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड जोकि अब इस ब्लाक को विकसित कर रहा है, एक ऐसी कंपनी है जिसका गठन भूतपूर्व जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड के स्पॅंज आयरन यूनिट, रायगढ़ तथा इंजीनियरिंग डिवीजन, रायपुर को मिलाकर किया गया है।

ब्लाक का आवंटन, खनन अधिकार का पट्टा प्राप्त करने और विभिन्न कानूनी तथा वाणिज्यिक औपचारिकताओं का छ: माह की

अवधि के भीतर अनुपालन करने की सामान्य शर्तों के अध्यधीन किया गया था।

(घ) मैसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड ने, गारे-पालमा IV/1 कोयला ब्लाक से, फरवरी, 1999 से उत्पादन आरंभ कर दिया है। कंपनी ने वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान क्रमश: 1.416 मि०ट० तथा 1.549 मि०ट० कोयले का उत्पादन किया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पवर लिमिटेड को, कंपनी द्वारा कोयले का उत्पादन आरंभ किए जाने से पूर्व तथा बाद में किए गए कोयले के प्रेषण नीचे दिए गए हैं :–

वर्ष	मात्रा हजार टनों में
1994-95	221.64
1995-96	454.10
1996-97	633.64
1997-98	575.72
1998-99	653.30
1999-00	199.04
2000-01	16.38
2001-02	12.00 (अनंतिम)

[अनुवाद]

नई आर्थिक नीति

5170. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की नई आर्थिक नीति के पहले और बाद में देश में क्षेत्र-वार क्रमश: कितने कर्मचारी थे/हैं; और

(ख) देश में औद्योगिक रूग्णता, बंदी, विनिवेश और उद्योगों के निजीकरण के कारण कितने कर्मचारियों के रोजगार चले गए ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षणों (प्रत्येक पांच वर्ष में किए जाने वाले) के अनुसार, 1993-94 में 374.27 मिलियन कर्मचारी थे जबकि 1999-2000 में यह संख्या 397.88 मिलियन हो गयी। रोजगार संबंधी क्षेत्रवार सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) 1991-2001 के दौरान बंदियों के कारण 168675 कामगार प्रभावित हुए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 1991-2000 के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजित कार्यबल में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सही आकार देने सहित विभिन्न कारणों से लगभग 3.87 लाख की कमी हुई।

विवरण

रोजगार (मिलियन में)

	क्षेत्र	1993-94	1999-2000
1.	कृषि	242.34	238.09
2.	खनन और उत्खनन	2.70	2.24
3.	विनिर्माण	42.48	48.12
4.	विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	1.35	1.29
5.	निर्माण	11.67	17.66
6.	व्यापार, होटल और रेस्टॉरेन्ट	27.77	37.41
7.	परिवहन, भंडारण और संचार	10.33	14.73
8.	वित्त, बीमा, जमीन-जायदाद और व्यापार सेवाएं	3.52	5.06
9.	समुदाय, सामाजिक और व्यैक्तिक सेवाएं	32.11	33.28
10.	सभी	374.27	397.88

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

[हिन्दी]

श्रमिकों के बच्चों के लिए विद्यालय

5171. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर राजस्थान में श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए कितने विद्यालय चलाए जा रहे हैं;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन विद्यालयों का वास्तविक सत्यापन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार उन विद्यालयों को दिए जा रहे अनुदान को बंद करने का है जो केवल कागज पर चल रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) श्रम कल्याण संगठन, श्रम मंत्रालय राजस्थान सहित देश में कहीं भी श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल नहीं चलाता है। तथापि, श्रम कल्याण संगठन मान्यता-प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे सिने/बीड़ी और कुछ गैर-कोयला खान कामगारों के बच्चों को वित्तीय सहायता दे रहा है। चल रही शैक्षणिक योजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

ऐसे कामगारों के बच्चों को लाभ मंजूर करने और वितरित करने से पहले उन स्कूलों का जहां वे पढ़ रहे हैं श्रम कल्याण संगठन द्वारा वास्तविक सत्यापन किया जाता है।

विवरण

बीड़ी कामगारों के लिए कल्याण योजनाओं की सूची

शिक्षा

1. बीड़ी कामगारों (घर खाता बीड़ी कामगारों सहित) के बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाना।
2. बीड़ी कामगारों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक सैट वर्दी, स्लेट, कापियां तथा पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता की कम्पोजिट स्कीम।
3. हाई स्कूल के बाद विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन का भुगतान।
4. बीड़ी कामगारों की बालिकाओं को स्कूल में उपस्थिति के आधार पर 2/- रुपए प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

खान (लोह अयस्क, मैगनीज़ अयस्क, क्रोम अयस्क खानें; चूना पत्थर और डोलोमाइट खानें; माइका खानें) कामगारों के लिए कल्याण योजनाओं की सूची

शिक्षा :

1. खान कामगारों के स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाना।
2. खान कामगारों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक सैट वर्दी, स्लेट, कापियां तथा पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता की कम्पोजिट स्कीम।
3. केन्द्रीय पुस्तकालय चलाने के लिए खान मालिकों को सहायता।
4. स्कूल बसों की खरीद के लिए खान प्रबंधनों को सहायता।
5. पुस्तकालयों के रख-रखाव के लिए खान प्रबंधनों को सहायता।
6. लौह अयस्क खनन क्षेत्रों में मान्यताप्राप्त स्कूलों को फर्नीचर और उपस्कर की खरीद के लिए सहायता अनुदान।
7. दोपहर का भोजन स्कीम।
8. हाई स्कूल के बाद विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन का भुगतान।
9. खान कामगारों की बालिकाओं को स्कूल में उपस्थिति के आधार पर 2/- रुपए प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

सिने कामगारों के लिए कल्याण योजनाओं की सूची

शिक्षा

1. सिने कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाना।
2. हाई स्कूल के बाद विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन का भुगतान।
3. सिने कामगारों की बालिकाओं को स्कूल में उपस्थिति के आधार पर 2/- रुपए प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

[अनुवाद]

अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर वायु यातायात प्रबंधन

5172. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश के बड़े विमानपत्तनों पर वायु यातायात प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए किन-किन विमानपत्तनों का उन्नयन किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस योजना में उन विमानपत्तनों को भी सम्मिलित कर लिया गया है जहां से अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं और जिन्हें अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) जी, हां। वायु यातायात प्रबंधन संरचना का कार्यान्वयन अगरतला, अहमदाबाद, अगाती, इलाहाबाद, औरंगाबाद, भावनगर, बारापानी, बैंगलोर, बेलारी, बेलगांव, भुवनेश्वर, बडोदरा, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, डिब्रूगढ़, दीमापुर, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, जोधपुर, जमशेदपुर, कटिहार, कांचीपुरम, लीलाबाडी, मदुरई, मैंगलोर, मोगा, मुम्बई, नागपुर, पटना, पोर्टब्लेयर, रांची, रायपुर, सिल्चर, त्रिवेन्द्रम, त्रिची, उदयपुर, वाराणसी, विजयवाडा, विशाखापट्टनम, श्रीनगर, अमृतसर, कालीकट और बेंगलोर हवाई अड्डों पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मार्च, 2004 तक 80 स्टेशनों पर नई डेडीकेटिड सेटेलाइट कम्यूनिकेशन नेटवर्क प्रदान किए जाने की योजना है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को हैंडल करने वाले हवाई अड्डे को यहां उपलब्ध संचार व्यवस्था के आधुनिकीकरण, नेवीगेशन और निगरानी सुविधाओं के लिए अपग्रेड किए जाने की योजना में भी शामिल किया गया है।

कोयले का अवैध खनन और चोरी

5173. **श्री सुनील खां :** क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई०सी०एल०) के कनस्तोड़िया क्षेत्रीय कार्यालय में प्रत्येक कोलियरी भंडार/क्षेत्रीय भंडार की अप्रयुक्त भंडार सामग्री और मांग-पत्रों का सत्यापन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसकी लागत क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक कोलियरी/क्षेत्र में कोयले के बुक स्टॉक और वास्तविक स्टॉक और उसकी माप का सत्यापन किसी स्वतंत्र निकाय/एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए; और

(घ) ई०सी०एल० साईडिंग्स/डिपो से धड़ल्ले से होने वाले कोयले के अवैध खनन और चोरी को रोकने और वाहनों के आवागमन एवं कारों/वाहनों की संख्या में कमी सहित अनावश्यक सरकारी खर्च में कटौती हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां। ई०सी०एल० के कुनुस्तोरिया क्षेत्र के क्षेत्रीय भंडार तथा कोलियरी भंडार में सभी अप्रयुक्त भंडार वस्तुओं का ई०सी०एल० के आंतरिक लेखा-परीक्षक विभाग तथा सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा आवधिक तौर पर सत्यापन किया जाता है।

(ख) कुनुस्तोरिया क्षेत्र में 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार कुल अप्रयुक्त भंडार तथा कलपुर्जे निम्नानुसार हैं :–

कुनुस्तोरिया क्षेत्रीय भंडार में स्टाक	–	305.72 लाख रु०
कुनुस्तोरिया क्षेत्र के विभिन्न कोलियरी भंडारों में स्टाक	–	108.72 लाख रु०
	जोड़ :	414.44 लाख रु०

(ग) प्रत्येक कोलियरी/क्षेत्र में बुक स्टाक की तुलना में वास्तविक स्टाक का सत्यापन मापन के द्वारा निम्नलिखित समय-अनुसूची में किया जाता है :–

1. इकाई/कोलियरी स्तर पर – मासिक
2. क्षेत्र स्तर पर – त्रैमासिक
3. सहायक कंपनी स्तर पर – अर्ध-वार्षिक
4. कोल इंडिया स्तर पर – वार्षिक। वास्तविक स्टाक को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक मापनों हेतु कंपनी में, अन्य सहायक कंपनी के सदस्यों के साथ कोयला माल-सूची (इन्वैन्टरी) दलों का गठन किया जाता है। लगभग 10% खानों का उन दलों द्वारा जांच-मापन किया जाता है जिनके सदस्य सी०एम०पी०डी०आई०एल० तथा एम०ई०सी० एल० भारतीय खान ब्यूरो तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० जैसे अन्य स्वतंत्र संगठनों से लिए जाते हैं।

(घ) ई०सी०एल० द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए गए कदम निम्नानसार है :–

1. खुफिया रिपोर्ट एकत्र करना।
2. स्वयं के सुरक्षा बल तथा सी०आई०एस०एफ० द्वारा 24 घंटे गश्त लगाना और सुरक्षा कर्मियों, सी०आई०एस०एफ० तथा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से छापे मारना।
3. कंपनी सुरक्षा बल तथा सी०आई०एस०एफ० द्वारा अवैध खनन स्थलों की अचानक जांच करना/छापे मारना।
4. परित्यक्त/अप्रयुक्त खदानों में कटीली तार लगाना/दीवार लगाना, पुरानी खदानों को ढ़हा देना।
5. जहां कहीं संभव हो, अवैध खनन स्थलों को गिराना तथा भरना।
6. इस प्रकार के संकार्य से निकाले गए कोयले को ढोने वाले जब्त किए गए ट्रकों को काली-सूची में सूचीबद्ध करना।
7. छापे के दौरान जब भी अवैध रूप से खनित कोयला तथा कोयले के अवैध खनन के उपकरणों को जब्त किया जाता है तो उन्हें स्थानीय पुलिस थानों को सौंप दिया जाता है और एफ०आई० आर० दर्ज कराई जाती है।
8. अवैध खनन रोकने में जिला तथा राज्य प्राधिकारियों की सहायता तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए उनसे नजदीकी संपर्क रखा जाता है। राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय संयुक्त समिति, प्राय: बैठकें करती हैं तथा सभी संबंधित प्राधिकारियों के साथ परस्पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

ई०सी०एल० साइडिंग/डिपो पर यादृच्छिक तौर पर कोयले की चोरी रोकने के लिए उठाए गए कदम :–

1. पुलिस के पास नियमित रूप से एफ०आई०आर० दर्ज कराई जा रही है।
2. कोयले की चोरी को रोकने के लिए साइडिंग्स/डिपों पर 24 घंटे सुरक्षा कार्मिक नियोजित किए जा रहे हैं।
3. सी०आई०एस०एफ० तथा ई०सी०एल० सुरक्षा कर्मियों द्वारा अचानक जांच की जा रही है/छापे मारे जा रहे हैं।
4. सी०आई०एस०एफ०, ई०सी०एल० सुरक्षा कर्मियों तथा स्थानीय पुलिस की सहायता से संयुक्त गश्त लगाई जा रही हैं।

ई०सी०एल० में मितव्ययी उपाय पहले से ही प्रचलन में हैं। वाहनों के प्रयोग पर तथा व्यय पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन

5174. डा० जसवंतसिंह यादव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी संरचना क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस समिति की, तारीख-वार, कितनी बैठकें हुईं, और

(घ) सरकार द्वारा इन बैठकों को नियमित रूप से कराये जाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 4 संसद सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 2 संसद सदस्य, राजभाषा विभाग द्वारा 3 सदस्य, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा 1 सदस्य, अखिल भारतीय स्वयं सेवी संस्था द्वारा 1 सदस्य तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 4 सदस्य नामित किए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 4 बैठकें हुई थीं, तारीख-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं :– (1) 21 सितम्बर, 2000, (2) 11 अप्रैल, 2001, (3) 15 जून, 2001 तथा (4) 31 जनवरी, 2002।

(घ) बैठक के आरम्भ में ही अगली बैठक की तारीख तय कर दी जाती है।

पर्यटकों के लिए गाइड एजेंसियां

5175. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटकों को मार्गदर्शन/सहायता देने हेतु सरकारी और निजी क्षेत्र में गाइड एजेंसियों की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं। तथापि, पर्यटन विभाग मूल्यांकित अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न पर्यटक केन्द्रों में गाइडों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करता है। गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर भाग लेने वालों को एक लाइसेंस जारी किया जाता है, जिससे वे निजी क्षेत्र में प्रशिक्षित गाइडों के रूप में कार्य कर सकते हैं।

(ख) पर्यटन विभाग ने गाइडों के चयन, उनकी शैक्षणिक योग्यता, स्क्रीनिंग प्रक्रिया आदि के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल-विज्ञान परियोजना

5176. श्री जी०एस० बसवराज : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय जल-विज्ञान परियोजना को पूरा करने के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु कितनी निधियां प्रदान की गई और इस परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस परियोजना का उद्देश्य सतही जल और भू-जल दोनों प्रदान करना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जल विज्ञान परियोजनाओं में कर्नाटक भागीदार राज्य है। इस राज्य को क्रेडिट 10 दिसंबर, 1996 से प्रभावी हुई तथा क्रेडिट की समापन तिथि 31 मार्च, 2003 है। सतही जल तथा भू जल घटकों के लिए संशोधित आबंटन क्रमश: 20.25 करोड़ रुपया तथा 14.62 करोड़ रुपया है।

एन०ई०सी० के अधीन चिकित्सा बोर्ड का गठन

5177. श्री विकास चौधरी : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन०ई०सी० एल०) के अधीन किसी चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एन०ई०सी०एल० के अंतर्गत चिकित्सालयों में चिकित्सा कार्मिकों की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) एक चिकित्सा बोर्ड जिसमें मुख्य महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक, मुख्यक चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ डाक्टर तथा मुख्य कार्मिक

प्रबंधक/कार्मिक प्रबंधक हैं, नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एन०ई०सी०) में पिछले तीन वर्षों से कार्य कर रहा है।

(ग) उपर्युक्त (ख) भाग में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) एन०ई०सी० में 24 की स्वीकृत संख्या की तुलना में 21 चिकित्साकर्ता पदस्थापित हैं। रिक्तियों को आन्तरिक स्थानान्तरण के माध्यम से भरा जाएगा।

केरल में नारियल गिरी की खरीद

5178. **श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुछ सहकारी समितियों को नारियल गिरी की खरीद से वंचित कर दिया गया था क्योंकि उन्हें नारियल गिरि की खरीद से संबंधित सौदे में हुए भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण आरोपित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन समितियों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य सरकार ने इन समितियों को पुन: खरीद क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पशु गोबर का उपयोग

5179. **श्री सईदुज्जमा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वार्षिक रूप से पशु गोबर को कितनी मात्रा में जलाया जा रहा है और मुद्रा और उत्पादन की उपयोगिता के संदर्भ में इसका अनुमानित मूल्य कितना है;

(ख) क्या अद्यतन अनुसंधान और विकास के अनुसार मिट्टी में पर्याप्त पोषण पर उगायी गई फसलें अधिकांश तौर पर कीटनाशी हमलों से मुक्त रहती हैं और इससे कीटनाशकों का उपयोग कम होता है और स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा भी कम होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जलाने के बदले गोबर का उपयोग खाद और बायो गैस के रूप में करने का है जिससे रासायनिक उर्वरकों की उपयोग में कमी आयेगी इनके उपयोग को समाप्त किया जा सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) देश में जलाए जा रहे पशु गोबर की मात्रा और मृदा एवं उत्पादकता में इसकी उपयोगिता के बारे में इसके अनुमानित मूल्य के संबंध में अभी तक कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, अनिश्चित अनुमानों के अनुसार देश में खास तौर से ईंधन की कमी वाले क्षेत्रों में लगभग 50% पशु गोबर जलाया जा रहा है।

(ख) अपेक्षित मात्रा में पर्याप्त पोषक तत्वों युक्त फसलें सामान्यत: स्वस्थ होती हैं और इन पर रोगों तथा कीटों का प्रकोप कम होता है। सरकार पौधों को समुचित स्वस्थ्य पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जैव उर्वरकों सहित उर्वरकों के अजैविक तथा जैविक दोनों प्रकार के स्त्रोतों के उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित सन्तुलित एवं समेकित पोषक तत्व प्रबंध की संस्तुति करती रही है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना जिसके तहत घरेलू उपयोग के लिए पारिवारिक बायोगैस संयंत्र के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है, का कार्यान्वयन एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में वर्ष 1981-82 से किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय राजसहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना का उद्देश्य रसोई तथा प्रकाश के प्रयोजनार्थ स्वच्छ एवं सुविधाजनक ईंधन मुहैया कराना एवं रासायनिक उर्वरकों के साथ उपयोग के लिए गुणकारी जैविक खाद का उत्पादन करना ग्रामीण परिवारों में स्वच्छता तथा स्वास्थ्य में सुधार करना व महिलाओं के परिश्रम में कमी लाना है। सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में इनका कार्यान्वयन किया जाता है। अब तक देश में लगभग 33.15 लाख पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है।

इस कार्यक्रम को 2.00 लाख बायोगैस संयंत्रों के लक्ष्य के साथ वर्ष 2002-03 में भी जारी रखा जा रहा है।

ड्रिप सिंचाई यंत्रों की स्थापना हेतु अतिरिक्त धनराशि

5180. **श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ड्रिप सिंचाई यंत्रों की स्थापना हेतु अतिरिक्त धनराशि मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने नौवीं योजना के दौरान टपका सिंचाई के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम 100.00 करोड़ रु० मुहैया कराने

हेतु अनुरोध किया। बहरहाल, इस स्कीम के अधीन बजटीय आबंटनों तथा उनकी प्रगति के आधार पर राज्य सरकार को प्लास्टिकल्चर हस्तक्षेपों के माध्यम से बागवानी विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 8655.11 लाख रु० की सहायता मुहैया कराई गई थी। इस स्कीम को अक्तूबर, 2000 से कृषि में वृहत् प्रबंधन – कार्य योजनाओं के जरिए राज्य के प्रयासों का अनुपूरक/सम्पूरण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में मिला दिया गया जिसके अधीन राज्य सरकार को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनके कार्यक्रमों को प्राथमिकता तय करने में लचीलापन मिला है। तद्नुसार, राज्य सरकार को उनकी कार्य योजना में टपका सिंचाई हेतु पर्याप्त निधियां मुहैया कराने के लिए सूचित किया गया था।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता

5181. श्री जार्ज ईडन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-02 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण किन राज्यों में सबसे ज्यादा जान-माल की हानि हुई है;

(ख) इन राज्यों के लिए सहायता-स्वरूप राज्य-वार कितनी राशि प्रदान की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कितनी राशि व्यय की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल तथा उड़ीसा के कुछ भाग बाढ़/अचानक बाढ़ से गम्भीर रूप से प्रभावित हुए, परिमाणत: जनजीवन एवं सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा।

(ख) वर्ष 2001-02 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की राशि जारी करने के अलावा, अचानक बाढ़ आने पर आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 20.44 करोड़ रुपये, बाढ़ आने पर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 23.94 करोड़ रुपये, अचानक बाढ़ आने पर हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 17.50 करोड़ रुपये तथा बाढ़ आने पर उड़ीसा को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 100 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(ग) निचले स्तर पर राहत का विवरण संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार से इस संबंध में किए गए व्यय का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है।

ट्रैक्टरों के लिए राज-सहायता

5182. श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अश्व शक्ति की क्षमता वाले छोटे ट्रैक्टरों की किसान समुदाय की रियायती दर पर आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा किसी राज्य से विशेषकर तमिलनाडु से 40 अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों पर भी इस राजसहायता को प्रदान करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु सरकारों ने राजसहायता हेतु ट्रैक्टर अश्वशक्ति को 30 पी०टी०ओ० अश्वशक्ति से बढ़ाकर 35-45 अश्वशक्ति करने का अनुरोध किया है। तमिलनाडु सरकार ने 45 अश्वशक्ति तक के ट्रैक्टरों पर राजसहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। ट्रैक्टरों के आकार को बढ़ाने के अनुरोधों की जांच की गई है और इस संबंध में निर्णय की जानकारी राज्य सरकारों को दे दी जाएगी।

अवैध खनन गतिविधियां

5183. श्री अम्बरीश :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर सरकार के स्वामित्व वाली विभिन्न कोयला क्षेत्रों में खनन गतिविधियां अवैध रूप से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी अनुमानित हानि हुई; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। अवैध खनन के क्रियाकलापों के मामलों की सूचना, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल तथा बिहार/झारखंड राज्यों में स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०सी०एल०), भारत कोकिंग कोल लि० (बी०सी०सी०एल०) तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० (सी०सी०एल०) से प्राप्त हुई है। अवैध खनन के मामलों की संख्या, जिनके बारे में पिछले चार वर्षों के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है, निम्नानुसार है :–

कंपनी	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001	अप्रैल से दिसम्बर, 2001
ई०सी०एल०	पश्चिम बंगाल/बिहार/झारखंड	263	155	203	116
बी०मी०सी०एल०	पश्चिम बंगाल/बिहार/झारखंड	2	2	1	6
सी०सी०एल०	बिहार/झारखंड	25	25	15	44

(ग) परित्यक्त/बंद/अप्रयुक्त खानों अथवा खनित किए गए क्षेत्रों से कोयले के प्रच्छन्न निष्कर्षण तथा उठाईगीरी की प्रकृति के अवैध खनन के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। इसलिए उठाए गए घाटे की सही मात्रा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती। तथापि, मारे गए छापे के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान बरामद किए गए कोयले की मात्रा निम्नानुसार है :–

कंपनी	1998-99		1999-2000		2000-01	
	बरामद की गई मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रु० में)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रु० में)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रु० में)
ई०सी०एल०	5271	42.17	403	3.22	5636	46.09
बी०सी०सी०एल०	2	0.01	1830	22.87	0.2	0.001
सी०सी०एल०	826	8.99	524	5.24	677	6.8

(घ) पट्टाधारी क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के लिए कोल इंडिया लि० ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

1. आसूचना संग्रहण।
2. जहां भी संभव हो, अवैध खनन क्षेत्रों का डोजिंग ऑफ/भराई करना।
3. परित्यक्त/अप्रयुक्त खानों में फेंसिंग/चारदीवारी का निर्माण करना।
4. निजी सुरक्षा बल तथा सी०आई०एस०एफ० द्वारा 24 घंटे पेट्रोलिंग करना।
5. सुरक्षा बल/सी०आई०एस०एफ० द्वारा औचक जांच करना/छापा मारना।
6. छापे के दौरान जब कभी अवैध रूप से खनित कोयले तथा अवैध खनन के उपकरण पकड़े जाते हैं; उन्हें स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है।
7. अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जिला प्राधिकारियों की मदद तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है।

अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए, सरकार ने भी कोयला उत्पादक राज्यों के साथ मामले को उठाया है।

भीमा लिफ्ट सिंचाई योजना को स्वीकृति

5184. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने भीमा लिफ्ट सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) कर्नाटक सरकार द्वारा भीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 1985 में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्रस्तुत की गई थी। केन्द्रीय जल आयोग और अन्य केन्द्रीय अभिकरणों में इस परियोजना की जांच की गई और विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणियां जुलाई, 1986 से जून, 1987 के दौरान राज्य सरकार को भेजी गई थी इसमें शामिल मुख्य मुद्दे हैं – जल उपलब्धता को अन्तिम रूप देना, बाढ़ डिजाइन, तलछट अध्ययन, भूजल और कमान क्षेत्र सर्वेक्षणों को ठोस रूप प्रदान करना। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न करने के कारण यह स्कीम नवम्बर, 1988 में राज्य सरकार को लौटा दी गई। राज्य सरकार द्वारा संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस समय इस परियोजना पर अध्यायवार आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) इन परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की बकाया टिप्पणियों की शीघ्र अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

विभिन्न श्रेणियों के कोयले में राख की मात्रा

5185. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक श्रेणी के ऊष्मीय मात्रा वाले कोयला खानों के मुहाने पर विभिन्न श्रेणी के कोयले में उपलब्ध राख की मात्रा का सहायक कंपनी – वार और कपंनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड (सी०आई०एल०) की प्रत्येक सहायक कंपनियों और अन्य कंपनियों के प्रत्येक श्रेणी के कोयला खानों के मुहाने पर कोयले का अद्यतन बिक्री मूल्य क्या है;

(ग) वर्ष 1994 से प्रत्येक वर्ष के पहली अप्रैल से वर्ष 2001 तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक कोयला उत्पादन राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल द्वारा रायल्टी और उपकर के रूप में प्रति टन कोयले से कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(घ) क्या कोयले के बिक्री मूल्य पर गैर-विनियमीकरण के बाद कोयले को उसी श्रेणी के प्रति टन राजस्व स्वरूप विभिन्न राज्यों द्वारा भिन्न-भिन्न राशि प्राप्त की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस पर क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सी०आई०एल० की सभी सहायक कोयला कंपनियों के लिए लागू कोयले का श्रेणीकरण विवरण-I में (1), (2) तथा (3) पर दिया गया है। तथापि नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के लिए कोयले का श्रेणीकरण विवरण में (4) के अनुसार है। अधिसूचना के अनुसार प्रचलन में जहां नॉन-कोकिंग कोयले का श्रेणीकरण उपयोगी ऊष्मा मान (यू०एच०वी०) पर आधारित है, वहीं कोकिंग कोयले का राख तत्व के आधार पर और अर्ध-कोकिंग/निम्न कोकिंग कोयले का राख तथा नमी तत्व पर आधारित है।

(ख) सी०आई०एल० तथा एस०सी०सी०एल० की प्रत्येक सहायक कंपनी के कोयले की प्रत्येक श्रेणी का पिट मुख पर नवीनतम विक्रय मूल्य विवरण-II में दिया गया है।

(ग) अप्रैल, 1994 से वर्तमान तिथि तक विभिन्न संशोधन बिन्दुओं पर सभी राज्यों के लिए रायल्टी की दरें तथा पश्चिम बंगाल में उपकर की दरें विवरण-III में दी गई हैं।

(घ) से (च) कोयले की विभिन्न श्रेणियों के लिए रायल्टी की दरें टनेज आधार पर निर्धारित की जाती हैं। ये दरें पश्चिम बंगाल राज्य, जो कोयले पर उपस्कर लगा रहा है, को छोड़कर सभी कोयला उत्पादक राज्यों पर सामान रूप से लागू होती हैं। पश्चिम बंगाल राज्य पर समान रायल्टी दरें कोयले पर लगाए जाने वाले उपकर को हटाने या न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाने के पश्चात् ही लागू की जाएगी। ऐतिहासिक तौर पर आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पादित कोयले की सभी श्रेणियों के लिए रायल्टी की दर एक ही है।

विवरण-I

1. कोकिंग कोयले का ग्रेड

ग्रेड	राख तत्व
इस्पात ग्रेड-I	15 प्रतिशत से अधिक नहीं
इस्पात ग्रेड-II	15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत से अधिक नहीं
वाशरी ग्रेड-I	18 प्रतिशत से अधिक किन्तु 21 प्रतिशत से अधिक नहीं
वाशरी ग्रेड-II	21 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं
वाशरी ग्रेड-III	24 प्रतिशत से अधिक किन्तु 28 प्रतिशत से अधिक नहीं
वाशरी ग्रेड-IV	28 प्रतिशत से अधिक किन्तु 35 प्रतिशत से अधिक नहीं

2. नॉन-कोकिंग कोयले का ग्रेड

ग्रेड	उपयोगी ऊष्मा मान (यूएचएफ) (कि०कैलो० प्रति किलोग्राम) यू०एच०वी० = 8900-138 (ए+एम)	(60% आर०एच० तथा 40 डिग्री सैंस०) पर समतुल्य राख प्रतिशत + नमी प्रतिशत	सकल कैलोरीफिक मान जी०सी०वी० (कि०कैलो० प्रति किलोग्राम) (5% नमी स्तर पर)
1	2	3	4
ए	6200 से अधिक	19.5% से अधिक नहीं	6454 से अधिक
बी	5600 से अधिक किन्तु 6200 से अधिक नहीं	19.6 से 23.8	6049 से अधिक किन्तु 6454 से अधिक नहीं
सी	4940 से अधिक किन्तु 5600 से अधिक नहीं	23.9 से 28.6	5597 से अधिक किन्तु 6049 से अधिक नहीं

1	2	3	4
डी	4200 से अधिक किन्तु 4940 से अधिक नहीं	28.7 से 34.0	5089 से अधिक किन्तु 5597 से अधिक नहीं
ई	3360 से अधिक किन्तु 4200 से अधिक नहीं	34.1 से 40.0	4324 से अधिक किन्तु 5089 से अधिक नहीं
एफ	2400 से अधिक किन्तु 3360 से अधिक नहीं	40.1 से 47.0	3865 से अधिक किन्तु 4324 से अधिक नहीं
जी	1300 से अधिक किन्तु 2400 से अधिक नहीं	47.1 से 55.0	3113 से अधिक किन्तु 3865 से अधिक नहीं

3. अर्ध-कोकिंग तथा निम्न कोकिंग कोयले के ग्रेड

ग्रेड	राख + नमी तत्व
अर्ध-कोकिंग ग्रेड-I	19 प्रतिशत से अधिक नहीं
अर्ध-कोकिंग ग्रेड-II	19 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं

4. एन०ई०सी० कोयले का ग्रेड :

ग्रेड	यू०एच०वी० (कि० कैला० प्रति किलोग्राम)	समतुल्य राख प्रतिशत + नमी प्रतिशत
ए	6200-6299	18.85 — 19.57
बी	5600-6199	19.58 — 23.91

विवरण-II

सी०आई०एल० एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा 1.2.2001 से विभिन्न ग्रेड में कोयले के मूल्यों में किया गया संशोधन निम्नवत है :— 1.2.2001 से आर०ओ०एम० कोयले का मूल्य

I ए. नॉन-कोकिंग कोयला

(रु० प्रति टन)

ग्रेड	डब्ल्यू०सी०एल०		एस०ई०सी०एल०			सी०एम०एल०		बी०सी०सी०एल०		एन०सी०एल०		एम०सी०एल०	
	एलएफ	कुछ विनिर्दिष्ट खानों में	एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ
ए	1083	1017	1100	999	934	1177	1100	1121	1047	1147	1072	979	912
बी	1022	956	1034	939	872	1065	989	1014	942	1039	964	885	819
सी	955	890	862	784	717	890	813	847	774	867	792	740	674
डी	902	835	736	669	600	758	680	722	648	740	664	633	566
ई		708			497		539		514		527		445
एफ		590			396		431		410		420		351
जी		445			283		308		294		300		250

नोट :—

''एलएफ'' का आशय ऊंची लपटों (लौंग फ्लेम) से है।

''एनएलएफ'' का आशय है : ऊंची लपटों का न होना। उक्त सूची केवल रन-आफ-माइन्स कोयले के लिए है। स्टीम, रबल (मलबा) और स्लैक कोयले के लिए अलग दरें विद्यमान है।

1.2.2001 से ई०सी०एल० हेतु आर०ओ०एम० कोयले का मूल्य

I-बी. नॉन-कोकिंग कोयला

(रु० प्रति टन)

ग्रेड	कुछ विनिर्दिष्ट एसपी खानों में दरें	रानीगंज की कुछ विनिर्दिष्ट खानों में दरें	एसपी खानें एवं मुगमा		राजमहल परियोजना		सालनपुर	रानीगंज की अन्य कोलियरियों में उत्पादित कोयला	
			एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ
ए	1319	1388	1199	1120			1177	1263	1184
बी	1192	1312	1085	1007			1059	1192	1115
सी	996	1118	905	828			870	1018	939
डी	810	905	735	660	915		694	824	748
ई				524		703	524		524
एफ				417		597	417		417
जी				298		479	298		298

"ई०सी०एल०" का आशय है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1.2.2001 से कोयले (आर०ओ०एम०) का मूल्य

2. कोकिंग कोयला

(रु०/प्रति टन)

ग्रेड	बीसीसीएल		ईसीएल मुगमा	सीसीएल	एसईसीएल	डब्ल्यूसीएल	बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल के अलावा सहायक कंपनियां
	कुछ विनिर्दिष्ट खानों में दरें	विनिर्ष्टि खानों के अलावा					
इस्पात ग्रेड-I	1914	1695					
इस्पात ग्रेड-II	1598	1416					
वाशरी ग्रेड-I	1385	1227	1312	1287	1096	1075	
वाशरी ग्रेड-II	1147	1016	1087	1067	907	890	
वाशरी ग्रेड-III	848	751	803	789	671	803	
वाशरी ग्रेड-IV	789	699	747	734	625	659	
अर्ध-कोकिंग ग्रेड-I	1335	1183	रानीगंज 1360	1241			1096
अर्ध-कोकिंग ग्रेड-II	1106	979	रानीगंज 1126	1027			907

3. कुछ विनिर्दिष्ट खानों में कोकिंग कोयले की सीधी आपूर्ति (फीड) — 1899 (राख 20 प्रतिशत से अधिक लेकिन 21 प्रतिशत से अधिक नहीं)

4. नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स

असम कोयला	कोयले का ग्रेड और यू०एच०वी० रेंज (कि०कैलो० प्रति कि० ग्राम)	रन-आफ-माइन रु०/टन
ए	6200-6299	998
बी	5600-6199	741

टिप्पणी :

1. ग्रेड "ए" में 6299 कि०कैलो० प्रति कि०ग्राम से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 100 कैलो० प्रति कि०ग्राम के यूनिवर्सल उष्मामान के लिए अतिरिक्त 65 रु० प्रति मि०ट० ग्रेड के मूल्य में जोड़े जाते हैं।

2. रन-आफ-माइन कोयले (आर०ओ०एम०) के लिए यूनिवर्सल ऊष्मामान 7099 कि०कैलो० कि०ग्राम से अधिक होने पर कोयले का मूल्य 18.36 रु० प्रति मि०ट० है।

5. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०

(रु० प्रति टन)

ग्रेड	स्टीम कोयला	स्लैक कोयला	आर०ओ०एम० कोयला	क्रश्ड रन-आफ-माइन कोयला
ग्रेड-बी	1224.00	1174.00	1164.00	1209.00
ग्रेड-सी	1107.00	1057.00	1047.00	1092.00
ग्रेड-डी	987.00	937.00	927.00	972.00
ग्रेड-ई	761.00	747.00	741.00	786.00
ग्रेड-एफ	638.00	624.00	618.00	663.00
ग्रेड-जी	485.00	471.00	465.00	510.00

विवरण-III

1.4.1994 से आज की तिथि तक रायल्टी तथा उपकर की प्रचलित दरें

विवरण	ग्रेड	1.8.1991 से प्रभावी		11.10.1994 से प्रभावी		कोयले के सभी ग्रेडों के लिए मूल्यानुसार होने पर पश्चिम बंगाल में उपकर की प्रचलित दरें		
		पं० बंगाल में रायल्टी दरें (रु०/मि०ट०)	अन्य राज्यों में रायल्टी दरें (रु०/मि०ट०)	पं० बंगाल में रायल्टी दरें (रु०/मि०ट०)	अन्य राज्यों में रायल्टी दरें (रु०/मि०ट०)	1.1.89 से 14.7.96 तक	15.7.96 से 30.11.98 तक	1.12.98 से आज तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कोकिंग कोयला	इस्पात-I	7.00	150.00	7.00	195.00			
	इस्पात-II	7.00	150.00	7.00	195.00			
	वाशरी-I	7.00	150.00	7.00	195.00			
	वाशरी-II	6.50	120.00	6.50	135.00	40%	45%	25%
	वाशरी-III	6.50	120.00	6.50	135.00			
	वाशरी-IV	5.50	75.00	5.50	95.00			
अर्ध-कोकिंग कोयला	I	6.50	120.00	6.50	135.00	आधार मूल्य का	आधार मूल्य का	आधार मूल्य का
	II	6.50	120.00	6.50	135.00			
असम कोयला	अश्रेणीकृत/एबी		6.50	6.50	120.00			
	हाथ से चुना हुआ कोयला		7.00		150.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नॉन-कोकिंग कोयला	ए	6.50	120.00	6.50	135.00			
	बी	6.50	120.00	6.50	135.00			
	सी	5.50	75.00	5.50	95.00			
	डी	4.30	45.00	4.30	70.00			
	ई	4.30	45.00	4.30	70.00			
	एफ	2.50	25.00	2.50	50.00			
	जी	2.50	25.00	2.50	50.00			
आंध्र प्रदेश कोयला	सभी ग्रेड		70.00		75.00			

नोट : असम में रायल्टी की दरें 25.3.1994 से बढ़ाई गई थीं।

खनन क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

5186. श्री सुरेश कुरूप : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खनन क्षेत्रों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवा निवृत्ति श्रेणी-वार कितने कामगारों ने ली; और

(ख) उनमें से कितने दलित, आदिवासी और महिला वर्ग से थे ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पनधारा विकास परियोजना

5187. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य जिला प्राधिकरण, गांधीनगर में पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत विकास हेतु गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्र के करीब 30,000 हेक्टेयर भूमि को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना को स्वीकृत करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। 34 गांवों को कवर करने वाली पनधारा प्रबंध परियोजना हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 13.36 करोड़ रुपये की राशि की मांग हेतु एक प्रस्ताव गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त हुआ था।

(ख) से (घ) गुजरात सरकार के परामर्श से एक पनधारा प्रबंध/सूखा रोधी परियोजना को कच्छ में 300 गांवों हेतु अंतिम रूप दिया गया और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 70.00 करोड़ रु० के अनुदान की संस्वीकृति दी गई। इस परियोजना हेतु 5.20 करोड़ रु० की राशि प्रारंभिक अग्रिम के रूप में 16.2.2002 को जारी की गई है।

[हिन्दी]

एम०टी०एन०एल० में कर्मचारी संघ का चुनाव

5188. डा० बलिराम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के उप श्रम आयुक्त ने 7 मार्च, 2002 को नई दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में कर्मचारी संघ का चुनाव कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रम मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के अनुसार कर्मचारी संघों के मान्यता देने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) 7 मार्च, 2002 को हुए चुनाव में अधिकृत कर्मचारी संघ ने प्रशासन के साथ वार्ता/समझौता किया है; और

(ङ) 10 प्रतिशत से कम मत प्राप्त करने वाले कर्मचारी संघों की मान्यता/पंजीकरण कब रद्द कर दी जाएगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के०) ने 7.3.2002 को गुप्त मतदान द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की कर्मचारी संघ का चुनाव करवाया है।

(ख) 6,427 मत हासिल कर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कर्मचारी संघ के रूप में उभरा है।

(ग) जिस अनुशासन संहिता का इस्तेमाल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में गुप्त मतदान के लिए किया गया था उसमें कहा गया है कि सबसे बड़े यूनियन को ही मान्यता दी जायेगी। इस मानदण्ड के अनुसार, किसी भी श्रमिक संघ के सदस्यों की संख्या, उस प्रतिष्ठान के कुल श्रमिकों के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

(घ) यूनियनों के साथ बातचीत करना प्रबंधन पर निर्भर है।

(ङ) समय-समय पर संशोधित व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी संघों के पंजीकरण को निरस्त करने का फैसला कर्मचारी संघों के रजिस्ट्रार पर निर्भर करता है। जहां तक यूनियनों की मान्यता का सवाल है, यह फैसला प्रबंधन को करना होता है। कि वह बातचीत के लिए किस कर्मचारी संघ को बुलाए।

[अनुवाद]

आपदा प्रशमन को विकास आयोजना के साथ समेकित करने की आवश्यकता

5189. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री दिन्शा पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में आए भूकंप के संदर्भ में, वहां विकास योजना के साथ आपदा में कमी लाने हेतु समेकित योजना की नितांत आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि इस दिशा में कोई कार्रवाई की गई है तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) आपदा शमन तथा तैयारी विकासात्मक योजना निरूपण प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। अनेक केन्द्रीय प्लान स्कीमों जैसे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, समेकित बाल विकास स्कीम, बाढ़ नियंत्रण स्कीम आदि में आपदा शमन का योगदान होता है।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने भी यह सिफारिश की है कि विकासात्मक कार्यों के माध्यम से इन आपदाओं के आने में कमी लाने और यदि सम्भव हो, इनके उन्मूलन के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों एवं योजना आयोग द्वारा माध्यम तथा दीर्घावधिक उपाय किए जाएं।

राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे विकासात्मक योजनाएं बनाते समय आपदा शमन तथा तैयारी को भी उसमें शामिल करें।

पर्यटन परिव्यय में वृद्धि

5190. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में पर्यटन क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किए गए आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यटन उद्योग को कुछ कर छूट/राहत दी है;

(घ) यदि हां, तो इन छूटों का सदुपयोग करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ङ) इससे पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने सम्पूर्ण देश के लिए अवसंरचना के विकास, संवर्धन और प्रचार, मानव संसाधन विकास आदि स्कीमों के लिए पर्यटन विभाग, भारत सरकार को वर्ष 2001-02 के लिए 150 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2002-03 के लिए 225 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है।

(ग) से (ङ) सरकार ने निम्नलिखित कर रियायतों की पेशकश की है :—

- पूर्वोत्तर के लिए आने जाने हेतु हवाई यात्रा पर हवाईयात्रा कर में छूट।
- पहले से दी गई सेवा कर छूट को एक और वर्ष के लिए बढ़ाना : कार्यक्रमों तथा वैंक्वेंटों के मामले में, जहां समस्त बिल केटरिंग सेवा के लिए हों, कोई सेवा कर चार्ज नहीं लिया जाएगा।
- अब से होटलों पर व्यय कर केवल कमरा प्रभारों पर लागू होगा : पहले व्यय कर कमरा प्रभारों तथा अन्य सेवाओं पर चार्ज किया जाता था।
- व्यय कर लगाने के लिए न्यूनतम सीमा को 2000 रुपए से बढ़ा कर 3000 रुपए करना।
- 80 एच०एच०सी० तथा 80 एच०एच०डी० के बीच असमानताओं को हटा दिया गया है। धारा 80 एच०एच० सी० के अधीन छूट कुल विदेशी मुद्रा अर्जन के 100% के लिए है। लेकिन होटलों के लिए धारा 80 एच०एच०डी० के अंतर्गत यह 50% थी और शेष 50% की छूट थी, बशर्ते इसे एक रिजर्व रखा जाये और विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाये। अब यह असमानता हटा दी गई है। 80 एच०एच०सी० के अंतर्गत इकाइयों

की तुलना में होटल उद्योग के लिए लाभों को समाप्त करना ठीक नहीं था।

* धारा 80-1बी के अधीन समागम केन्द्र स्थापित करने वाली इकाइयों द्वारा अर्जित लाभों में 50% की कटौती की 5 वर्ष के लिए अनुमति होगी। इससे नए समागम क्षेत्र स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

* आयातित मदिरा पर सीमाशुल्क 210% से घटा कर 182% कर दिया गया है।

* धारा 194 एच के अंतर्गत स्रोत पर कर 10% से 5% तक घटा दिया गया है : इससे होटलों तथा यात्रा एवं टूअर प्रचालकों को लाभ होगा।

ये रियायतें पर्यटन क्षेत्र की वृद्धि में बढ़ोत्तरी करेंगी।

आंध्र प्रदेश में एन्थ्रैक्स के मामले

5191. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के कोलेरू झील क्षेत्र में कई भेड़ एन्थ्रैक्स रोग के कारण मर गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रोग की पुष्टि हेतु कोई शव परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस रोग को फैलने से रोकने हेतु क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एन्थ्रैक्स रोग के कारण पश्चिमी गोदावरी जिले में कोलेरू झील क्षेत्र के आस-पास स्थित गांवों में भेड़ों की मृत्यु हुई है।

(ख) जी, नहीं। इस रोग की पुष्टि प्रयोगशाला जांच से हुई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस क्षेत्र में जोखिम वाली भेड़ों को एन्थ्रैक्स के बचाव के लिए टीके लगाए गए। राज्य सरकार ने पशुशवों के उचित निपटान के संबंध में किसानों को जानकारी दी तथा स्थानीय पशुचिकित्सकों को इस रोग को और फैलने से रोकने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए।

तमिलनाडु में मत्स्यन बंदरगाह की स्थापना

5192. **डा० ए०डी०के० जयशीलन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मत्स्य बंदरगाह की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। रामानाथपुरम जिले में रामेश्वरम, पझियार चरण-2 और नागापट्टिम जिले में पुम्पूहार तथा थंजावूर जिले में मल्लिपट्टनम चरण-2 पर मत्स्यन बंदरगाहों की स्थापना के प्रस्ताव हैं।

(ख) रामेश्वरम तथा पझियार में मत्स्यन बंदरगाहों के विकास के लिए प्रस्तावों की जांच करने के बाद राज्य सरकार से इस बात की पुष्टि करने के लिए कहा गया है कि (1) प्रस्तावित मत्स्यन बंदरगाहों के विकास के लिए संबंधित विभाग के पास आवश्यक भूमि उपलब्ध है (2) सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई है तथा (3) परियोजना की 50 प्रतिशत पूंजीगत लागत को वहन करने के लिए राज्य बजट में आवश्यक बजट प्रावधान मौजूद है। रामेश्वरम में मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए राज्य सरकार को अभी आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करना है और पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी है। पझियार के मामले में राज्य सरकार को इस बात की पुष्टि करनी है कि उन्होंने पर्यावरणीय स्वीकृति ले ली है। पुम्पूहार मत्स्यन बंदरगाह के संबंध में राज्य सरकार से आवश्यक भूमि की उपलब्धता संबंधी पुष्टि के अतिरिक्त प्रस्ताव की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए विस्तृत हाइड्रॉलिक माडल अध्ययन तैयार करने को कहा गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में तैयार की गई माडल अध्ययन रिपोर्ट नहीं भेजी है। मल्लिपट्टनम के संबंध में केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान (सी०आई०सी०ई० एफ०), बंगलौर ने इंजीनियरिंग और आर्थिक जांच पूरी कर ली है और परियोजना का विस्तृत लागत अनुमान तैयार करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जल संसाधन का संरक्षण

5193. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं स्वैच्छिक संगठनों ने जल संरक्षण के क्षेत्र में काम किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्ष्य को किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई वास्तविक पुनरीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण सभी जल संरक्षण उपायों की आयोजना, अन्वेषण, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसलिए स्वैच्छिक संगठनों को जल संरक्षण में दी गई भूमिका तथा उनके द्वारा निभाई जा रही भूमिका की मानीटरी स्वयं राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। लक्ष्यों तथा उपलब्धियों संबंधी सूचना का रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुवाद बोर्ड का गठन

5194. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के अन्य क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भारतीय साहित्य का प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय अनुवाद बोर्ड गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत अल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड

5195. **श्री सुबोध राय :** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत अल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) को करोड़ों रुपयों का घाटा हुआ है जैसा कि दिनांक 20 मार्च, 2002 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घोटाले में बाल्को कंपनी का नया प्रबंधन भी संलिप्त है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) जी, हां। परन्तु दिनांक 20 मार्च, 2002 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित रिपोर्ट बढ़ा चढ़ाकर दी गई है। वर्ष 2000-01 में भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) को कर पूर्व घाटा 13.80 करोड़ रुपए का हुआ और कर के बाद यह घाटा 43.03 करोड़ रुपए का था। बाल्को को घाटा होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :–

(i) मार्च, 2001 के दौरान कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उत्पादन और बिक्री में गिरावट।

(ii) कैप्टिव पावर संयंत्र के 4 यूनिटों में से एक यूनिट के लंबे समय तक बंद रहने के कारण विद्युत लागत में तीव्र बढ़ोतरी।

(iii) विनिवेश से पूर्व, भारत सरकार द्वारा शेयरों के बाई-बैंक के लिए उपलब्ध अधिशेषों का उपयोग करने के कारण ब्याज आय में कमी।

(iv) विनिवेश से पूर्व स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीमों (वी० आर०एस०) के कारण किया गया भुगतान।

[अनुवाद]

कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए आवंटित धनराशि

5196. **श्री आर०एस० पाटिल :**
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान अलग-अलग देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने बोंगल कोट सहित राज्य के ग्यारह नवगठित जिलों में नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान क्रमश: रु० 15722.50 लाख और रु० 16778.89 लाख विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और क्रमश: रु० 2819.46 लाख और रु० 3447.41 लाख कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन कृषि विज्ञान केन्द्रों को आवंटित किए गए थे। राज्यवार ब्यौरा विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) कर्नाटक में सात नए जिले गठित हुए हैं। जिनमें से गडग और हावेरी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। उदुपी जिले में क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र (जैड०ए०आर०एस०) को राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन०ए०टी०पी०) के अधीन के०वी० कें० के अतिरिक्त कार्यों को संभालने के लिए सुदृढ़ किया गया है। चामराजनगर, कोपल, बगलकोट और देवांगरे जैसे अन्य चार नए जिले उन मूल जिलों में कार्यरत के०वी०के०/जैड०ए०आर०एस० के साथ आ जाते हैं जिनमें से ये जिले अलग करके बनाए गए हैं।

विवरण-I

पिछले दो वर्षों के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों (राज्यवार) को आवंटित राशि

क्रम सं०	राज्य का नाम	राज्य कृषि विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित राशि (रु० लाख)		
			2000-2001	2001-2002	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	आचार्य एन०जी० रंगा कृषि विश्वविद्यालय	1013.25	1100.54	2113.79
2.	असम	असम कृषि विश्वविद्यालय	505.15	633.03	1138.18
3.	बिहार	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	490.68	489.92	980.6
4.	छत्तीसगढ़	आई०जी०के०वी०वी० रायपुर	323.17	355.42	678.59
5.	गुजरात	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय	1051.46	980.34	2031.8
6.	हरियाणा	चौ० चरण सिंह हिसार कृषि विश्वविद्यालय	838.34	806.85	1645.19
7.	हिमाचल प्रदेश	1. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	564.722	602.41	1167.132
		2. वाई०एस०पी०यू०एच० एंड एफ०			
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1. एस०के० कृषि विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, जम्मू	269.57	528.444	798.014
		2. एस०के० कृषि विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर			
9.	झारखंड	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	203.23	288.73	491.96
10.	कर्नाटक	1. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1208.30	1211.46	2419.76
		2. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलोर			
11.	केरल	केरल कृषि विश्वविद्यालय	480.99	526.93	1007.92
12.	मध्य प्रदेश	जे०एन०के०वी०वी०, जबलपुर	823.26	957.35	1780.61
13.	महाराष्ट्र	1. पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकोला	2163.41	1836.38	3999.79
		2. मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी			
		3. कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली			
		4. महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहूरी			
14.	मणिपुर	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	26.22	25.55	51.77
15.	उड़ीसा	ओ०यू०ए०टी०, भुवनेश्वर	582.30	651.91	1234.21
16.	पंजाब	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	867.02	1059.39	1926.41
17.	राजस्थान	1. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	1213.68	1256.09	2469.77
		2. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर			
18.	तमिलनाडु	1. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	1018.43	962.26	1980.69
		2. तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मद्रास			

1	2	3	4	5	6
19.	उत्तर प्रदेश	1. एस०वी०बी० पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरत	965.56	1090.52	2056.08
		2. एन०डी० कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद			
		3. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर			
20.	उत्तरांचल	जी०बी० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर			
21.	पश्चिम बंगाल	1. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	639.76	780.09	1419.85
		2. डब्ल्यू०बी०यू०ए० एंड एफ०, कलकत्ता	474.00	635.28	1109.28
	कुल		15722.502	16778.894	32501.396

विवरण-II

पिछले दो वर्षों के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों (राज्यवार) के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्दों को जारी की गई राशि

क्रम सं०	राज्य का नाम	कृ०वि०के० की सं०	राज्य कृषि विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित राशि (रु० लाख में) 2000-2001	2001-2002	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	7	आचार्य एन०जी० रंगा कृषि विश्वविद्यालय	93.74	116.153	209.893
2.	असम	4	असम कृषि विश्वविद्यालय	131.60	0	131.60
3.	बिहार	10	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	170.30	276.57	446.87
4.	छत्तीसगढ़	5	आई०जी०के०वी०वी० रायपुर	80.40	99.60	180.00
5.	गुजरात	4	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय	75.60	118.30	193.90
6.	हरियाणा	11	चौ० चरण सिंह हिसार कृषि विश्वविद्यालय	182.20	261.777	443.977
7.	हिमाचल प्रदेश	9	1. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	216.14	361.895	578.035
			2. वाई०एस०पी०यू०एच० एंड एफ०			
8.	जम्मू एवं कश्मीर	3	1. एस०के० कृषि विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, जम्मू	60.70	80.70	141.40
			2. एस०के० कृषि विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर			
9.	झारखंड	1	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	19.10	16.45	35.55
10.	कर्नाटक	6	1. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	101.16	134.95	236.11
			2. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलोर			
11.	केरल	3	केरल कृषि विश्वविद्यालय	48.10	62.60	110.70
12.	मध्य प्रदेश	13	जे०एन०के०वी०वी०, जबलपुर	161.59	206.59	368.18
13.	महाराष्ट्र	5	1. पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकोला	65.79	86.25	152.04
			2. मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी			
			3. कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली			
			4. महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहूरी			

1	2	3	4	5	6	7
14.	उड़ीसा	8	ओ०यू०ए०टी०, भुवनेश्वर	150.295	213.40	363.695
15.	पंजाब	9	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	203.96	236.10	440.06
16.	राजस्थान	23	1. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर 2. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	510.73	526.53	1037.26
17.	तमिलनाडु	5	1. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर 2. तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मद्रास	89.69	119.18	208.87
18.	उत्तर प्रदेश	19	1. एस०वी०बी० पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ 2. एन०डी० कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद 3. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	381.42	429.17	810.59
19.	उत्तरांचल	2	जी०बी० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	45.90	47.60	93.50
20.	पश्चिम बंगाल	2	1. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर 2. डब्ल्यू०बी०यू०ए० एंड एफ०, कलकत्ता	31.05	53.60	84.65
	कुल	149		2819.465	3447.415	6266.88

नर्मदा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया जाना

5197. **श्री पी०एस० गढ़वी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नर्मदा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिए जाने का संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) वर्तमान में किसी सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बैठक

5198. **श्री पी०डी० एलानगोवन :**
श्रीमती कान्ति सिंह :
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में अप्रैल, 2002 में एक बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें हुई चर्चा और किए गए निर्णयों की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय नीति को अपनाए जाने पर अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नदी बेसिन संगठनों के गठन पर कोई जोर डाला गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय जल नीति के संशोधित प्रारूप पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय, जल संसाधन परिषद की पांचवीं बैठक माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1 अप्रैल, 2002 को आयोजित की गई थी। सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्री इसके सदस्य हैं। दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों का प्रतिनिधित्व जल संसाधन/सिंचाई मंत्रियों द्वारा किया गया। इस परिषद् के सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों एवं सुझावों को ध्यान में रखते हुए कुछ संसोधनों के साथ राष्ट्रीय जल नीति को अपनाया गया तथा इसके आशय का संकल्प परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह योजना है कि प्रत्येक राज्य दो वर्षों की अवधि के भीतर समयबद्ध आधार पर एक प्रचालनत्मक कार्य योजना

के सहयोग से अपनी राज्य जल नीति तैयार करे तथा इस नीति में यथा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे कार्यान्वित करें।

(ङ) और (च) इस राष्ट्रीय जल नीति में देश में जल संसाधनों के विकास के लिए आधारभूत इकाई के रूप में नदी बेसिन/उप बेसिन को मान्यता प्रदान की गई है। एकीकृत जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जल नीति में यह व्यवस्था है कि जहां कहीं आवश्यक हो, समग्र रूप से नदी बेसिनों अथवा उप बेसिनों के योजनाबद्ध विकास एवं प्रबंधन के लिए उचित नदी बेसिन संगठन स्थापित किया जाना चाहिए। न केवल सिंचाई की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बल्कि विभिन्न अन्य जल उपयोगों की समुचित आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यापक योजना तैयार करने के लिए विशेष बहु-विषयी इकाई का गठन किया जाना चाहिए ताकि उपलब्ध जल संसाधन का निर्धारण हो सके तथा उपयुक्त कानूनों के अंतर्गत विद्यमान समझौतों का अधिकरण के निर्णयों के संदर्भ में उनका अधिकतम उपयोग किया जा सके। नदी बेसिन संगठनों के कार्यक्षेत्र एवं शक्तियों का निर्णय बेसिन राज्यों द्वारा किया जायेगा।

तमिलनाडु में पर्यटक केन्द्रों का विकास

5199. श्री पी० कुमारासामी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में घोषित स्थानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार पलानी, तमिलनाडु में भगवान मुरूगन के प्रचीन मन्दिर को देखते हुए उसे राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस मंदिर के विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा किसी स्थान को एक राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में घोषित करने की कोई प्रथा नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्य

5200. डा० साहिब सिंह वर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की संरचना और कार्य क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान (i) बढ़े हुए लाभ; (ii) हवाई यातायात प्रणाली के आधुनिकीकरण; (iii) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डों पर आधारभूत संरचनाओं के उन्नयन; (iv) गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, जम्मू, गया, लखनऊ और जयपुर इत्यादि सहित देश के पूर्वोत्तर भागों में हवाई अड्डों की आधारभूत संरचनाओं के उन्नयन; (v) उपग्रह आधारित संचार, विमानचालन, निगरानी और आधुनिक हवाई यातायात प्रणाली के संदर्भ में इसका कार्यनिष्पादन क्या रहा है और अगले तीन वर्षों के दौरान कैसा होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए०ए०आई०) में एक अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में नागर विमानन महानिदेशक (डी०जी०सी०ए०) और केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त न्यूनतम आठ और अधिकतम 14 सदस्य तथा आवश्यक सहायक स्टॉफ है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मुख्य कार्य हैं :– (i) भारतीय एयरस्पेस का नियंत्रण और प्रबंधन; (ii) एयरपोर्टों, यात्री टर्मिनलों, कार्गो टर्मिनलों को डिज़ाइन करना, विकास, प्रचालन और अनुरक्षण (रख-रखाव) करना; (iii) यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराना; (iv) दृश्य, संचार और मार्गनिर्देशक (छंअपहंजपवदंस) सहायता उपलब्ध कराना आदि।

(ख) 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान टैक्स के बाद हुआ लाभ 211.38, 214.08 और 245.54 करोड़ रुपए है और अगले तीन वर्षों के लिए Projections 265.24, 304.79 और 324.13 करोड़ रुपए है। हवाई यातायात सेवाओं का आधुनिकीकरण, एयरपोर्ट की बुनियादी सुविधाओं (Infrastructure) का अद्यतन और सैटेलाइट आधारित संचार नैवीगेशन, निगरानी कुछ ऐसी नियमित प्रक्रियाएं हैं जिनके लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं की योजना बनाई जाती है और उन्हें समय-समय पर कार्यान्वित किया जाता है। मुम्बई में न्यू टर्मिनल काम्पलैक्स, विभिन्न एयरपोर्टों पर पार्किंग खण्डों का निर्माण, कोलकाता में टर्मिनल-2 (फेज-I) का रूपांतरण, आई०एल०एस० कैट-III के लिए आई०जी०आई० एयरपोर्ट पर मुख्य रन-वे का अद्यतन, चेन्नै में अन्ना अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का रूपांतरण आदि पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए थे। कार्य जैसे निर्माण/टर्मिनल बिल्डिगों का रूपांतरण/रीकापैटिंग/सुदृढ़ीकरण/रन-वे का विस्तार/तकनीकी खण्डों का निर्माण/तकनीकी टावर/फायर स्टेशन आदि जैसे मुख्य कार्य देश के उत्तरी पूर्वी भागों सहित अन्य एयरपोटों पर किए गए हैं। मुम्बई और दिल्ली में आधुनिक हवाई यातायात प्रणाली और 423.89 करोड़ रुपए की इसकी स्वचालित यंत्र प्रणाली पहले से ही पूरी कर दी गई है। कोलकाता और चेन्नै में एयरट्रैफिक सर्विसिज को अद्यतन किया जा रहा है। अगले तीन वर्षों में भी विकास कार्यों के कदम उठाए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

कृषि के विकास हेतु विशेष कोष

5201. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कृषि के विकास हेतु एक विशेष कोष बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

जल संसाधनों का संरक्षण

5202. **श्री वाई०जी० महाजन : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जल संरक्षण हेतु कोई विशेष तकनीक अपनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नई तकनीक द्वारा प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में जल का संरक्षण होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) संशोधित राष्ट्रीय जल नीति अर्थात् राष्ट्रीय जल नीति-2002 में सतही एवं भूजल दोनों ही के संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है जिसे दिनांक 1.4.2002 को आयोजित राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की पांचवीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। इस नीति में, जल की गुणवत्ता की नियमित मानीटरी, जहां कहीं आवश्यक हो जल की गुणवत्ता में सुधार, बहिस्रावों को प्राकृतिक नदियों में गिरने से पहले स्वीकार्य सीमा तक इसका शोधन, बारहमासी नादियों में न्यूनतम जल प्रवाह बनाए रखना तथा "पाल्युटर पेयज" के सिद्धांत को अपनाने की योजना है। जल संरक्षण के लिए संभावित जल की मात्रा का आकलन नहीं किया गया है।

कृषि योग्य भूमिजोत का औसत आकार

5203. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से देश में कृषकों के कृषि योग्य भूमिजोत में लगातार कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश में कृषि योग्य भूमिजोतों का औसत आकार क्या है;

(ग) क्या इतने छोटे भूमिजोतों पर कृषि करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि संगणना 1970-71, 1976-77, 1980-81 और 1990-91 के अनुसार प्रति जोत औसत आकार (हेक्टेअर में) क्रमश: 2.28, 2.00, 1.84, 1.69 और 1.55 था। कृषि संगणना के अद्यतन अखिल भारतीय परिणाम कृषि वर्ष 1990-91 से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) कृषि जोत की व्यवहार्यता कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें कृषि जलवायु-स्थितियां, कृषि आदानों के उपयोग का स्तर, सिंचाई क्षमताओं की उपलब्धता, बोई गई फसल की किस्में और किसानों की उद्यम संबंधी दक्षता शामिल है। कृषि जोतों के आकार और इसकी आर्थिक व्यवहार्यता के संबंध के बारे में कोई निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षण

5204. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं योजना के दौरान निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने और प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रशिक्षण हेतु और प्रशिक्षित भवन निर्माण श्रमिकों को प्रमाण पत्र देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) निर्माण क्षेत्र से संबंधित कुछ व्यवसायों जैसे राजमिस्त्री एवं नलसाज आदि को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों (आई०टी०आई०/आई०टी०सी०) द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। सफल अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं।

दुग्ध उत्पादन

5205. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-1999 की अवधि के दौरान एन०डी० आर० आई० करनाल में उत्कृष्ट नस्लों से दुग्ध उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दुग्ध उत्पादन में कितनी कमी आई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) एन०डी०आर०आई० में दूध का उत्पादन वर्ष 1996 में 14,06,064 कि०ग्रा०, 1997 में 14,08,172, कि०ग्रा० 1998 में 12,08,706 कि०ग्रा० और 1999 में 12,38,804 कि०ग्रा० था। दूध उत्पादन में यह कमी वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में 1,99,466 कि०ग्रा० और वर्ष 1999 में 1,69,368 कि०ग्रा० हुई थी।

(ग) दूध उत्पादन में यह गिरावट पशुओं की कुल संख्या में हुई कमी तथा अक्तूबर, 1998 में मुंहपका और खुरपका रोग के फैलने के कारण आई है।

(घ) दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है – मौजूदा पशुधन दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जननद्रव्य की अधिप्राप्ति और मवेशी यार्ड के साथ हाउसिंग स्ट्रैक्चर आर्ट का आधुनिकीकरण करना।

[हिन्दी]

पर्यटन के विकास हेतु राज्यों को सहायता

5206. **डा० चरणदास महंत : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नवगठित छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल राज्यों की पर्यटन संभावनाओं को विकसित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार देश में अवसंरचना के विकास और पर्यटन के संवर्धन के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2002-03 के लिए प्रस्तावों को छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल सहित सभी राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जाएगा।

गंगा बांध परियोजना

5207. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा जल के स्तर को घाट तक लाने के लिए केन्द्रीय गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा बांध परियोजना का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के मुंगेर और भागलपुर में इस परियोजना से संबंधित कार्य प्रगति पर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) केन्द्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा बांध परियोजना का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया द्वारा निरर्थक व्यय पर नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक की आपत्ति

5208. **श्री धावरचन्द गेहलोत : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक ने एयर इंडिया द्वारा 7.00 करोड़ रु० के निरर्थक व्यय पर आपत्ति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इतनी बड़ी राशि अमरीका और भारत के बीच यदा-कदा विमान चालकों की अदला-बदली और महंगे होटलों में परिहार्य व्यय के कारण निरर्थक रूप से खर्च की गयी; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए दोषी पाए गए व्यक्ति/प्राधिकारी कौन हैं और इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

5209. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :**
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति हेतु कई सिंचाई परियोजनाएं लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं कब से लम्बित है;

(घ) क्या कर्नाटक में मार्कण्डेय, अपर तुंगा और वाराही परियोजनाएं उन कुछ परियोजनाओं में से हैं जो केन्द्रीय जल आयोग के पास स्वीकृति के लिए लम्बित है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(च) उक्त परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) ऊपरी तुंगा परियोजना संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) फरवरी, 1992 में तथा मार्कण्डेय परियोजना रिपोर्ट मई, 1997 में प्राप्त की गई थी। ऊपरी तुंगा की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में जनवरी, 2002 में प्राप्त की गई है। मुख्यत: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कमियों के कारण इन परियोजनाओं पर पत्राचार चल रहा है और तब से केन्द्रीय जल आयोग तथा अन्य केन्द्रीय अभिकरणों की टिप्पणियों का राज्य सरकारों से संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है।

केन्द्रीय जल आयोग की पूर्व टिप्पणियों पर आधारित वाराही सिंचाई परियोजना की परियोजना रिपोर्ट अप्रैल, 1993 में प्राप्त की गई और जांच समिति द्वारा इसकी जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि इसमें संशोधनों की आवश्यकता है। इस परियोजना को दिसम्बर, 1994 में राज्य सरकार को वापस भेजा गया था। राज्य सरकार ने हाल ही में जनवरी, 2002 में सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को प्रस्तुत करने, उनके मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए "वाराही सिंचाई परियोजना संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट" को अनुमोदन के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट की जांच की गई है और इसमें बड़ी कमियां पाई गई हैं जैसे कि इस प्रारम्भिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण/सूचना नहीं है।

(च) परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की बकाया टिप्पणियों की तत्काल अनुपालन करने पर निर्भर करती है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजनाओं का नाम	राज्य का नाम	वृहद/ मध्यम	नदी/बेसिन	लाभान्वित होने वाले जिले	प्राप्ति की तारीख	लाभ (हजार हे०)	अनुमानित लागत (करोड़)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	नेत्तामपाडु लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	कृष्णा	महबूब नगर	11/2000	10.926	134.30	ए
2.	कालवा कुर्थी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	कृष्णा	महबूब नगर	11/2000	20.234	380.00	ए
3.	ठेतापल्ली बैराज	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	नागावली/नागावली	विजियानगर और श्रीकाकुलम	9/2001	120 (नई) 64 विद्यमान	462.00	ए
4.	पुलिनचिंताला सिंचाई परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	कृष्णा	गुन्टूर, कृष्णा प्रकाशम पश्चिमी गोदावरी	7/93	575	506.20	बी
5.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण ई०आर०एम०	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	कृष्णा	गुन्टूर, कृष्णा प्रकाशम पश्चिमी गोदावरी	1/96	575	659.16	बी
6.	भीमा लिफ्ट सिंचाई	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	भीमा/कृष्णा	महबूब नगर	1/96	83.78	744.00	बी
7.	श्रीराम सागर चरण-II	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	गोदावरी	वारंगल, वालागोण्डा खम्माम, आदिलाबाद	9/86	253.40	697.70	बी
8.	एस०आर०एस०पी० से बाढ़ प्रवाह नहर	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	गोदावरी	करीम नगर, वारंगल नालगोण्डा	12/93	102.00	1331.00	बी
9.	जुराला (मैसनरी बांध)	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	कृष्णा	महबूब नगर	9/80	47.84	545.82	बी
10.	वम्सधारा परियोजना चरण-II* (नेरादी बैराज)	आन्ध्र प्रदेश	वृहद	वम्सधारा	श्रकाकूलम	5/83	50.958	275.74 (86-87 एस ओ आर)	बी
11.	गोल्लावागु जलाशय	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	गोल्लावागु/गोदावरी	आदिलाबाद	9/2001	3.845	39.58	ए
12.	राल्लीवागु जलाशय	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	राल्लीवागु/गोदावरी	आदिलाबाद	9/2001	2.430	26.75	ए
13.	निलवाई जलाशय	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	पेड्डावागु/गोदावरी	आदिलाबाद	9/2001	5.260	48.90	ए
14.	पेड्डेरू जलाशय	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	पूर्व को बहने वाली/शारदा	विशाखापटनम	9/91	6.46	26.23	बी
15.	पालेमवागु (मैशनरी बांध)	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	पालेमवागु/गोदावरी	खम्माम	5/88	6.23	29.13	बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	वाल्लिगल्लु जलाशय	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	पापाग्नि/पेन्नार	कुड्डप्पा	12/96	9.60	131.82	बी
17.	येर्रावागु (मिट्टी का बांध)	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	येर्रावागु/गोदावरी	आदिलाबाद	3/99	4.46	31.28	बी
18.	सुद्दावागु (मिट्टी का बांध)	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	सुद्दावागु/गोदावरी	आदिलाबाद	3/99	5.66	56.48	बी
19.	पेद्दावागु (मिट्टी का बांध)	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	पेद्दावागु/गोदावरी	आदिलाबाद	8/99	9.915	202.60	बी
20.	सुरमपलेम जलाशय स्कीम (मिट्टी का बांध)	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	बरदा-कालवा/गोदावरी	पूर्व गोदावरी	10/99	4.88	46.70	बी
21.	सुरमपलेम फेज-II	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	बदरा-कालवा/गोदावरी	पूर्व गोदावरी	7/2000	5.12	49.50	बी
22.	भूपतिपलेम (बांध)	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	सीतापल्ली/गोदावरी	पूर्व गोदावरी	7/2000	5.419	47.23	बी
23.	कोव्वादाकालवा	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	पश्चिम गोदावरी	3/89	4.18	16.02	डी
24.	कादवान जलाशय परियोजना	बिहार	वृहद	सोन/गंगा	पालामू/रोहतास	5/98	221.27	1111.14	ए
25.	ऊपरी महानन्दा सिंचाई स्कीम	बिहार	वृहद	महानन्दा/गंगा	पूर्णिया	5/2001	26.80/0	126.53	ए
26.	पुनपुन बैराज	बिहार	वृहद	पुनपुन/गंगा	पटना और जहानाबाद	5/2000	13.898	102.26	बी
27.	तिलैया धाधर	बिहार	वृहद	धाधर (दामोदर)/गंगा	नवादा/गया	1/98	38.99 एवं 12 मेवा	220.11	बी
28.	महानदी जलाशय परियोजना – ई० आर०एम०*	छत्तीसगढ़	वृहद	महानदी	धामतारी/रायपुर/दुर्ग	7/2001	264.00	572.00	ए
29.	मच्चु-I का आधुनिकीकरण – ई० आर०एम०	गुजरात	वृहद	मच्चू/पश्चिम को बहने वाली	राजकोट	2/91	2.14	8.12	बी
30.	बकरोल जल संसाधन परियोजना (बांध)	गुजरात	मध्यम	मेशो/बतरक	सुवर्णकन्था	1/95	4.50	23.85	ए
31.	पश्चिमी यमुना संपर्क चैनल*	हरियाणा	वृहद	यमुना	–	12/96	कैरियर चैनल	31.26	बी
32.	सतलज यमुना संपर्क नहर	हरियाणा	वृहद	रावी व्यास	अम्बाला	10/93	4.46	61.76	बी
33.	खेत पुराली बांध परियोजना* (मिट्टी का बांध)	हरियाणा	मध्यम	घग्गर/यमुना	पंचकुला	12/95	3.335	16.92	ए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	रेणुका बांध (बहुउद्देश्यीय)	हिमाचल प्रदेश	वृहद	गिरि/यमुना	दिल्ली को जल आपूर्ति	8/97	दिल्ली को जल आपूर्ति एवं 40 मेवा	1224.64	बी
35.	बल्ह घाटी बांया तट सिंचाई परियोजना	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	व्यास	मण्डी	8/99	4.354	41.64	बी
36.	दादी नहर का आधुनिकीकरण – ई०आर०एम०	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	लिद्दर नल्लाह/झेलम	अनंतनाग	6/99	4.53	10.91	ए
37.	नन्दी नहर का आधुनिकीकरण – ई०आर०एम०	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	झेलम बेसिन	अनंतनाग	5/99	3.06	6.61	ए
38.	अहजी नहर का आधुनिकीकरण – ई०आर०एम०	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	सुखनाग नल्लाह/झेलम	बडगाम	11/97	17.19	7.96	ए
39.	लार नहर का आधुनिकीकरण – ई० आर०एम०	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	सुखनाग नल्लाह/झेलम	बडगाम	11/97	5.25	6.63	ए
40.	मावखुल का आधुनिकीकरण – ई० आर०एम०	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	वेशो नल्ला बांया तट/ झेलम	अनंतनाग	12/97	9.35	7.00	ए
41.	मारतण्ड नहर का आधुनिकीकरण – ई०आर०एम०	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	झेलम/सिंधु	अनंतनाग	12/97	6.50	17.72	ए
42.	बाबूल नहर का आधुनिकीकरण – ई०आर०एम०	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	झेलम/सिंधु	बारामुला	6/99	3.08	4.77	ए
43.	न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकरण – ई०आर०एम०	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	चेरब, अखनूर/चेनाव	जम्मू	12/99	12.042	21.68	बी
44.	कथुआ नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	रावी बेसिन	कथुआ	9/99	3.304	15.68	बी
45.	तावी पम्प हाउस और तावी लिफ्ट नहर-ई०आर०एम०	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	वृहद	तावी/रावी/सिंधु	जम्मू	9/2001	13.660	13.563	ए
46.	कन्हर जलाशय परियोजना	झारखण्ड	वृहद	कन्हर/सोन	पालमू	11/98	57.67 व 300 मेवा	1015.76	ए
47.	उत्तर कोयला जलाशय	झारखण्ड	वृहद	उत्तर कोयल/सोन	पलामू, औरंगाबाद एवं गया	5/99	104.50	836.11	ए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	पुनासी जलाशय*	झारखण्ड	वृहद	पुनासी/अजय/गंगा	संथाल परगना	7/92	24.292	221.65	बी
49.	सुवर्ण रेखा (बहुउद्देश्यीय) – बैराज*	झारखण्ड	वृहद	सुवर्ण रेखा/गंगा	सिंधभूमि और रांची	8/89	236.846	1428.82	बी
50.	अजय बैराज/सिक्तिया बैराज	झारखण्ड	वृहद	अजय/गंगा	संथाल, परगना	3/98	40.509	248.10	बी
51.	ऊपरी सकरी जलाशय	झारखण्ड	वृहद	सकरी/गंगा	हजारीबाग	1/98	67.67	123.81	बी
52.	कोनार सिंचाई	झारखण्ड	वृहद	कोनार/दामोदर	हजारीबाग/गिरिडीज	7/99	64.738/0	336.69	बी
53.	ऊपरी तुंगा परियोजना मिट्टी का बांध और बांया तट नहर	कर्नाटक	वृहद	तुंग भद्रा/कृष्णा	शिमोगा, धारवाड़, चित्रदुर्ग	2/92	94.70	556.00	ए
54.	मारकण्डे (दोनों तटों पर कंक्रीट बांध व नहर)	कर्नाटक	वृहद	मारकण्डे/कृष्णा	बेलगाम	5/97	19.105	134.53	ए
55.	सिंगतलुर (हुली गुड्डा) लिफ्ट सिंचाई स्कीम	कर्नाटक	वृहद	तुंगभद्रा/कृष्णा	गोदेज बेल्लारी	7/98	16.188	123.00	ए
56.	हिप्पारगी सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)	कर्नाटक	वृहद	कृष्णा	बिजापुर	8/85	59.69	186.70	बी
57.	बासापुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	कर्नाटक	मध्यम	तुंगभद्रा/कृष्णा	धारवाड़	11/96	2.267	9.36	ए
58.	इदमल्यार सिंचाई परियोजना (दोनों तटों पर नहर प्रणाली सहित बैराज, मिट्ट का बांध)	केरल	वृहद	इर्नाकुलम त्रिचूर	पेरियार	2/92	27.51	107.00	बी
59.	अट्टापादी सिंचाई परियोजना—वर्टिकल लिफ्ट टाइप स्पिलवे युक्त चिनाई बांध, दोनों तटों पर नहर प्रणाली	केरल	मध्यम	पालघाट	सेरूबेनी/कावेरी	3/96	8.38	110.00	ए
60.	ऊपरी नर्मदा परियोजना (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	नर्मदा	माण्डला व शहडोल	9/96	18.61	211.92	ए
61.	हेलोन सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	हेलोन/नर्मदा	माण्डला	1/2000	11.736	193.01	ए
62.	कोलार परियोजना (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	नर्मदा	सीहोर	10/99	भोपाल को 60.87 व 56.75 एम सी एम जल की आपूर्ति	139.14	बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63.	थनवर टैंक (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	गोदावरी	माण्डला	12/89	18.21	24.38	बी
64.	पेंच डाइवर्जन (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	गोदावरी	सिवनी, छिन्दवाड़ा	8/88	96.52	184.04	बी
65.	महान (चिनाई बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	महान/सोन	सिधी	6/83	19.04	39.00	बी
66.	राजघाट नहर	मध्य प्रदेश	वृहद	यमुना	दतिया, भिण्ड, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और टीकमगढ़	2/90	121.45	309.21	डी
67.	ह्यूमन नदी परियोजना (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	ह्यूमन/गोदावरी	चन्द्रपुर	9/91	58.283	494.60	ए
68.	निचली वर्धा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	वर्धा/गोदावरी	वर्धा	11/97	44.00	61.99	ए
69.	गुंजावनी (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	कुनाड/कृष्णा	पुर्ण	5/98	20.325	86.77	ए
70.	लेन्दी सिंचाई परियोजना – महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश का संयुक्त उद्यम (मिट्टी का बांध)*	महाराष्ट्र	वृहद	लेन्दी/गोदावरी	नान्देड (महाराष्ट्र) और निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश)	5/97	26.924 (महा०-15.71 आ०प्र०-11.214)	177.615	ए
71.	दुधगंगा सिंचाई (बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	दुधगंगा/कृष्णा	कोल्हापुर (महाराष्ट्र) व बेलगाम (कर्नाटक)	8/83	81.97	204.58	बी
72.	वार्ना सिंचाई (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	वार्ना/कृष्णा	सांग्ली और कोल्हापुर	8/83	113.92	337.81	बी
73.	कोयना कृष्णा लिफ्ट सिंचाई	महाराष्ट्र	वृहद	कृष्णा	सांधी	1/87	85.78	259.10	बी
74.	अरूणावती नदी परियोजना (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	अरूणावती/गोदावरी	यावतमल	12/87	25.15	66.48	बी
75.	पुनाद सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	पुनाद/तापी	नासिक	3/89	10.85	29.22	बी
76.	निचली वुन्ना (कम्पोजिट बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	वार्ना/गोदावरी	नागपुर व वर्धा	2/89	28.82	87.55	बी
77.	तालम्बा सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	कारली	सिंधुदुर्ग	6/92	28.90	289.09	बी
78.	संगोला शाखा नहर	महाराष्ट्र	वृहद	नीरा/भीमा	सोलापुर	2/86	9.22	37.01	डी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.	तंजन पुर लिफ्ट सिंचाई	महाराष्ट्र	मध्यम	गोदावरी	अहमदनगर	2/94	2.74	23.47	ए
80.	पुर्ना (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	पुर्ना/तापी	अमरावती	9/95	7.53	51.97	ए
81.	सुलवाडे बैराज	महाराष्ट्र	मध्यम	तापी	धुले	12/97	10.06	88.25	ए
82.	लाल नाला (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	लाल नाला/गोदावरी	वर्धा	9/97	7.71	45.53	ए
83.	पोथरा नल्ला (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	पोथरा नल्ली/गोदावरी	वर्धा	5/98	6.70	42.50	ए
84.	चिकोतरा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	चिकोतरा/कृष्णा	कोल्हापुर	6/98	9.12	114.38	ए
85.	प्रकाश बैराज	महाराष्ट्र	मध्यम	तापी/तापी	धुले	4/99	8.86	93.60	ए
86.	जाम्बरे (मिट्टी का बांध)	महाराट्र	मध्यम	तामरा-पारनी/कृष्णा	कोल्हापुर	7/99	5.36	55.72	ए
87.	चित्री (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	चित्री/कृष्णा	कोल्हापुर	1/2000	9.65	79.94 (1996-97)	ए
88.	आन्ध्र खोर (चिनाई बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	आन्ध्रा/कृष्णा	पुणे	2/2000	12.461	44.37	ए
89.	किरीमीरी दारूर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	महाराष्ट्र	मध्यम	वर्धा/गोदावरी	चन्द्रपुरी	3/2000	2.04	27.89	ए
90.	वकोद (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	गिरिजा/गोदावरी	औरंगाबाद	3/2000	2.214	28.32	ए
91.	सपन (मध्यम) (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	सपन/तापी	अमरावती	9/2000	6.380/0	36.30	ए
92.	सोनापुर (तोस्ता) (लिफ्ट सिंचाई स्कीम)	महाराष्ट्र	मध्यम	वर्धा/गोदावरी	चन्द्रपुर	9/2000	2.034/0	14.43	ए
93.	सरंगखेदा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	तापी/तापी	नन्दुरबार	10/2000	8.77	132.51	ए
94.	हरणघाट लिफ्ट सिंचाई स्कीम	महाराष्ट्र	मध्यम	वेनगंगा/गोदावरी	चन्द्रपुर	11/2000	3.65	44.11	ए
95.	गुल नदी (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	गुल/तापी	जलगांव	11/2000	2.59	55.94	ए
96.	घट प्रभा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	घट प्रभा/कृष्णा	कोल्हापुर	1/2001	5.463	34.92	ए
97.	कोरादिनल्ला (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	कोरादि-नल्ला/तापी	धुले	3/2001	2.61	17.32	ए
98.	दारा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	वाकी/तापी	धुले	3/2001	2.29	32.62	ए
99.	नगन (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	नागन/तापी	धुले	3/2001	2.49	48.38	ए
100.	नार्थमंड (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	नार्थमंड/कृष्णा	सतारा	4/2001	4.80	93.00	ए
101.	मोरनागौरेघर (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	मोरना/कृष्णा	सतारा	4/2001	5.32	101.50	ए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.	वंग (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	नागन/तापी	सतारा	4/2001	6.20	134.39	ए
103.	नागेवाडी (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	लोकलनल्ला/कृष्णा	सतारा	6/2001	1.56	51.47	ए
104.	कामनी टंडा	महाराष्ट्र	मध्यम	वाधुर/तापी	जलगांव	7/2001	6.032	42.22	ए
105.	रायगावन (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	मुरूद/गोदावरी	ओस्मानाबाद	12/93	1.70	9.51	बी
106.	जाम सिंचाई (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	आम/गोदावरी	नागपुर	5/94	5.47	42.63	बी
107.	कार (कम्पोजिट बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	कार/गोदावरी	वर्धा/नागपुर	4/95	6.36	44.71	बी
108.	उत्वानी (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	उतावली/तापी	बुधाना	11/95	5.39	35.77	बी
109.	नवारगांव (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	निरोकोड/गोदावरी	यरतमाल	12/97	3.70	5.26	बी
110.	जनगम हाती लिफ्ट सिंचाई	महाराष्ट्र	मध्यम	हामलनल्ला/कृष्णा	कोल्हापुर	6/98	5.47	4.29	बी
111.	तिपाई मुख बांध परियोजना (बहुद्देश्यीय) (अर्थ एवं डाकफिल बांध)	मणिपुर	वृहद	बराक	असम, मणिपुर और मिजोरम के जिले	2/95	विद्युत (6x250) मे०वा० व बाढ़ नियंत्रण	2899	बी
112.	जिरी सिंचाई (बराज)	मणिपुर	मध्यम	जिरी/बराक	कछार (असम) व मणिपुर	10/97	9.78	48.68	डी
113.	डिजुजा सिंचाई परियोजना (बराज)	नागालैण्ड	मध्यम	डिजुजा/ब्रह्मपुत्र	कोहिमा	5/98	13.50	49.0	बी
114.	इब सिंचाई परियोजना दायें और बायें दोनों किनारों पर कंक्रीट स्पिलवे नहरों सहित कम्पोजिट राकफिल बांध	उड़ीसा	वृहद	ईब/महानदी	सुन्दरगढ़	2/98	115.0	966.03	ए
115.	तालाडंडा नहर और वितरणी संख्या 12 और इसकी प्रणाली का सुधार-ई०आर०एम०*	उड़ीसा	वृहद	महानदी	कटक	9/99	13.237	57.06	ए
116.	महानदी डेल्टा चरण-I और II के तहत जल निकास विकास फेज-I ई०आर०एम०*	उड़ीसा	वृहद	महानदी	कटक/पुरी	2/2000	47.80	227.75	ए
117.	ओंग बांध परियोजना (ओ जी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें व बायें दोनों तटों पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	वृहद	महानदी	बारागढ़	3/97	34.50	304.66	बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118.	कानुपुर सिंचाई परियोजना (मिट्ट का बांध)*	उड़ीसा	वृहद	वैतरणी	क्योंझर	9/97	47.71	428.32	बी
119.	बुटंग सिंचाई परियोजना (कंक्रीट स्पिलवे सहित मिट्टी का बांध, कुवांरिया जलाशय तक संपर्क नहर, कुवांरिया जलाशय के दायें तट पर मुख्य नहर)	उड़ीसा	वृहद	बुतंग/महानदी	नयागढ़	1/98	31.00	227.25	बी
120.	ऊपरी इन्द्रावती विस्तार परियोजना – ई०आर०एम०*	उड़ीसा	वृहद	इन्द्रावती/गोदावरी	कालाहांडी	9/98	41.794	136.67	बी
121.	ऊपरी कोलाब विस्तार परियोजना – ई०आर०एम०*	उड़ीसा	वृहद	कोलाब/गोदावरी	कोरापुट और नवरंगपुर	9/98	19.28	71.66	बी
122.	साल्की सिंचाई परियोजना का सुधार – ई०आर०एम०*	उड़ीसा	वृहद	साल्की/महानदी	बौध	9/99	20.141	11.57	बी
123.	हीराकुंड वितरण प्रणाली पर ससोन नहर प्रणाली का सुधार – ई०आर० एम०*	उड़ीसा	वृहद	महानदी	सम्बलपुर/बोलनगीर	1/2000	26.051	34.92	बी
124.	आनंदपुर बराज परियोजना	उड़ीसा	वृहद	बैतरणी/बैतरणी	क्योंझर, भद्रक, बालासोर	1/2001	56.72	482.26	बी
125.	तुरी-गुंटट सिंचाई परियोजना (डाइवर्जन स्कीम)	उड़ीसा	मध्यम	तुरी, गुंटट/इंद्रावती	नवरंगपुर	1/2000	9.135	53.96	ए
126.	महेन्द्रतन्य सिंचाई परियोजना (बांध)	उड़ीसा	मध्यम	महेन्द्रतन्या/वम्सधारा	गजपति	3/2000	7940	68.96	ए
127.	ओ जी टाइप स्पिलवे युक्त मनजोर मिट्टी का बांध, दायें और बायें तट पर नहर प्रणाली	उड़ीसा	मध्यम	महानदी	धेनकैनाल	8/91	10.43	37.70	बी
128.	तेलनगीर (सेन्ट्रल ओ जी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें और बायें तटों पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	मध्यम	तेलनगीर/इंद्रावती/गोदावरी	कोरापुट	9/97	13.83	106.19	बी
129.	रूकुरा (ओ जी टाइप स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें और बायें तटों पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	मध्यम	बाहमणी	सुन्दरगढ़	5/93	7.65	15.15	बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130.	धौरागोथ (सेन्ट्रल ओ जी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें और बायें तटों पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	मध्यम	बाराबंकी/महानदी	धेनकैनाल	9/96	3.01	16.80	बी
131.	ओ जी टाइप स्पिलवे युक्त रेत मिट्टी का बांध, तट के दोनों साइडों पर नहर प्रणाली	उड़ीसा	मध्यम	रेत/टेल/महानदी	कालाहांडी	10/97	9.775	86.14	बी
132.	ऊपरी लांथ (सेन्ट्रल ओ जी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें तट पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	मध्यम	लांथ/टेल/महानदी	बोलनगीर	11/97	6.105	48.99	बी
133.	समकोई (बराज)	उड़ीसा	मध्यम	समकोई/ब्राह्मणी	अंगुल	2/99	14.27	43.85	बी
134.	चेलीगादा बांध परियोजना	उड़ीसा	मध्यम	बदजोड़ नाला/वम्सधारा	गजपति	1/99	3.00 व बेहरामपुर को 1 क्यूमेक जल आपूर्ति	52.96	बी
135.	हदुआ/महानदी सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)	उड़ीसा	मध्यम	हदुआ/महानदी	कटक	2/2001	5.728	61.48	बी
136.	पंजाब सिंचाई व जल निकास परियोजना (फेज-III)*	पंजाब	वृहद	—	पंजाब के सभी जिलें	5/98	1936	1149.00	ए
137.	श्री दसमेश सिंचाई परियोजना	पंजाब	वृहद	आनन्द पुर जल विद्युत चैनल	पटियाला	2/2001	130.00	647	ए
138.	भाखड़ा मुख्य नहर की रेजिंग लाइनिंग — ई०आर०एम०	पंजाब	वृहद	सतलज	—	6/99	—	20.46	बी
139.	सतलज यमुना संपर्क नहर भाग-III का संशोधित परियोजना अनुमान*	पंजाब	वृहद	सतलज	रोपड़, पटियाला	12/82	130.00	195.44	बी
140.	सतलज यमूना संपर्क मुख्य नहर भाग-I*	पंजाब	वृहद	सतलज, यमुना	कैरियर चैनल	9/84	—	601.25	डी
141.	सरहिंद हिडर के तटों/रेजिंग लाइनिंग — ई०आर०एम०	पंजाब	मध्यम	फिरोजपुर फीडर	फिरोजपुर	5/2001	—	13.7543	ए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.	प्रथम पटियाला फीडर और कोटला शाखा के चैनलों का सुधार	पंजाब	मध्यम	–	संगरूर	5/2001	9.700	46.00	ए
143.	पंजाब सिंचाई परियोजना (चैनलों को पक्का करना) रिड्फ निधी के तहत – ई०आर०एम०	पंजाब	मध्यम	रावी	गुरदास पुर, अमृतसर व पटियाला	2/2000	8.330	49.02 (9/99 मूल्य स्तर)	बी
144.	पिपल्दा लिफ्ट सिंचाई	राजस्थान	वृहद	चम्बल/गंगा	सवाई माधोपुर	9/96	14.87	11.39	ए
145.	भरतपुर जिलें में यमुना जल का उपयोग	राजस्थान	वृहद	यमुना/गंगा	भरतपुर	7/96	86.500	172.96	ए
146.	झुंझुनू जिलें में यमुना जल का उपयोग	राजस्थान	वृहद	यमुना/गंगा	झुंझुनू	1/98	35.00	273.00	ए
147.	इन्दिरा गांधी नहर चरण-I – ई० आर०एम०	राजस्थान	वृहद	रावी-ब्यास/सिंधु	श्रीगंगानगर बीकानेर व जैसलमेर	3/93	32.60	121.92	बी
148.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परि-योजना – ई०आर०एम०	राजस्थान	वृहद	–	राजस्थान के 26 जिलें	1/2001	619.195	745.59	बी
149.	पिपलाद सिंचाई (बांध)	राजस्थान	मध्यम	पिपलाद/चम्बल	झालावाड़	2/93	4.70	21.88	ए
150.	चाकन्द सिंचाई (बांध)	राजस्थान	मध्यम	चाकन/चम्बल	बून्दी	9/92	3.38	9.55	बी
151.	गरारदा सिंचाई (बांध)	राजस्थान	मध्यम	मांगली/चम्बल	बून्दी	7/95	9.22	39.51	बी
152.	मद्रास चरण-I को कृष्णा जल आपूर्ति (बहुउद्देश्यीय)	तमिलनाडु	वृहद	मद्रास	कृष्णा	6/89	मद्रास शहर का 15 टी एमसी की जल आपूर्ति	176.46	ए
153.	कावेरी डेल्टा फेज-I का आधुनिकी-करण – ई०आर०एम०	तमिलनाडु	वृहद	कावेरी	थन्जावूर	8/85	70.00	78.80	बी
154.	इरूकन्गुड्डी जलाशय (मिट्टी का बांध)	तमिलनाडु	मध्यम	कन्या कुमारी	वैप्पार	2/95	4.21	28.70	ए
155.	मौजूदा सारदा नहर प्रणाली पर जल प्रबंधन सुधार – ई०आर०एम०	उत्तर प्रदेश	वृहद	सारदा/गंगा	बरेली, पीलीभीत, नैनीताल, हरदोई, शाहजहां पुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव व राय बरेली	7/2001	65.544	102.98	ए
156.	कन्हर सिंचाई	उत्तर प्रदेश	वृहद	सोन/गंगा	मिर्जापुर	6/99	33.12	341.45	ए
157.	कचनोदा बांध	उत्तर प्रदेश	वृहद	जामनी/बेतवा	ललितपुर	11/2000	13.55	70.45	ए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158.	बाणसागर नहर	उत्तर प्रदेश	वृहद	गंगा	इलाहाबाद और मिर्जापुर	2/02	150.13	956.43	ए
159.	लचुरा बांध का आधुनिकीकरण-ई०आर०एम०	उत्तर प्रदेश	वृहद	धसन/यमुना	झांसी	4/2002	14.575	98.05	ए
160.	उत्तर प्रदेश जल पुनर्संरचना परियोजना*	उत्तर प्रदेश	वृहद	घग्गर/गोमती बेसिन	प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, बहराइच	4/2001	300.00	663.41 (अनन्तिम)	बी
161.	मेजा बांध को ऊंचा उठाना	उत्तर प्रदेश	वृहद	टौंन्स/गंगा	इलाहाबाद और मिर्जापुर	3/92	17.88	65.0	बी
162.	मौदाहा बांध	उत्तर प्रदेश	वृहद	बेतवा/यमुना/गंगा	हमीरपुर	3/90	17.70	125.16	बी
163.	चित्तौड़गढ़	उत्तर प्रदेश	वृहद	भाभरा/नल्ला/घाघरा/गंगा	गोन्डा	10/93	11.88	36.70	बी
164.	बुन्देलखण्ड में चैनलों को पक्का करना – ई०आर०एम०	उत्तर प्रदेश	वृहद	गंगा	इलाहाबाद, बांदा, झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर व वाराणसी	5/92	23.78	57.37	बी
165.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण – ई०आर०एम०	उत्तर प्रदेश	वृहद	यमुना	उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा व हरियाणा में फरीदाबाद	8/98	50.00	74.16	बी
166.	भूपाली पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना – ई०आर०एम०	उत्तर प्रदेश	वृहद	गंगा	वाराणसी	8/97	34.605	60.53	सी
167.	भौरात व उतराई बांध	उत्तर प्रदेश	मध्यम	जामनी/बेतवा	ललिपुर	9/2001	7.905	52.10	ए
168.	किसाऊ बांध (वृहद)	उत्तरांचल	वृहद	टौन्स/गंगा	–	7/97	विद्युत (600 मेगावाट) दिल्ली को 617 एम सी एम प्रति वर्ष जलापूर्ति	4099.00	सी
169.	कंग्सावती जलाशय का आधुनिकीकरण (फेज-I) – ई०आर०एम०	पश्चिम बंगाल	वृहद	कंग्सावती/गंगा	बांकुरा, मिदनापुर व हुगली	10/96	355.48	471.90	ए

स्थिति

ए – मूल्याकन की विभिन्न अवस्थाओं के तहत परियोजना।

बी – जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के अधीन स्वीकृत।

सी – जल संसाधन मंत्रालय की सलाहाकार समिति द्वारा आस्थगित।

डी – निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेजी गई।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

5210. श्री रामदास आठवले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषत: जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में शुरू की गयी केन्द्र प्रायोजित सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कितनी राशि संवितरित की गयी और इन योजनाओं को लागू करने में राज्य सरकारों द्वारा कितनी प्रगति की गयी; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार और योजनावार कितनी राशि के आवंटन की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में (I) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम और (II) लघु सिंचाई आंकड़ों का युक्तिकरण नामक दो केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम और लघु सिंचाई आंकड़ों के युक्तिकरण की स्कीम के तहत प्रारंभ से मार्च, 2002 की समाप्ति तक राज्यों को क्रमश: 2452.53 करोड़ रुपये और 35.23 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इन दोनों स्कीमों के तहत की गई प्रगति विवरण I और II पर दी गई है।

(ग) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम और लघु सिंचाई आंकड़ों के युक्तिकरण की स्कीम के लिए नौवीं योजना के वास्ते प्रस्तावित आवंटन क्रमश: 1505 करोड़ रुपये और 49.75 करोड़ रुपए हैं। राज्यों को केन्द्रीय सहायता अनुमोदित वित्तीय प्रणाली राज्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकारों द्वारा किये गये बजट प्रावधान, अनुमोदित मानकों और संबंधित स्कीमों के तहत निष्पादन के आधार पर मुहैया कराई जाती है।

विवरण-I

केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा

क्रम सं०	स्कीम	मद	इकाई	प्रारंभ से मार्च, 2001 तक उपलब्धि	अनुमानित उपलब्धियां 2001-02	कुल
1.	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	फील्ड चैनल	मिलियन हैक्टेयर	15.34	0.23	15.57
		फील्ड निकास	मिलियन हैक्टेयर	1.05	0.04	1.09
		वाराबंदी	मिलियन हैक्टेयर	9.92	0.69	10.52
		भूमि सतहीकरण	मिलियन हैक्टेयर	2.17	0.02	2.19

उपरोक्त के अतिरिक्त, किसानों में कुशल सिंचाई जल प्रबंधन तथा उन्नत का कृषि पद्धति संबंधी तकनीकी जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अनुकूली परीक्षण और प्रदर्शन आयोजित किए गए।

विवरण-II

लघु सिंचाई आंकड़ों के युक्तिकरण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा

1. संदर्भ वर्ष 1986-87 की प्रथम लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट वर्ष 1993 में प्रकाशित की गई है और संदर्भ वर्ष 1993-94 की द्वितीय गणना रिपोर्ट वर्ष 2001 में प्रकाशित की गई है।

2. लघु सिंचाई परियोजनाओं की तीसरी गणना चल रही है।

3. संदर्भ वर्ष 1998-99 के लिए लघु सिंचाई स्कीमों की स्थिति संबंधी नमूना सर्वेक्षण 17 राज्यों में पूरा कर लिया गया है तथा शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यह कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में है।

4. अभी तक 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सांख्यिकीय सेल स्थापित किए हैं जो कि राज्यों में लघु सिंचाई विकास संबंधी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करने के उत्तर दायी है।

[अनुवाद]

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आई०एस०ओ० प्रमाण-पत्र

5211. श्री सुरेश चन्देल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का विस्तार इन्टरनेशनल स्टैण्डर्ड आरगेनाइजेशन (आई०एस०ओ०) सर्टिफिकेट, 2000-01 के लिए आवेदन करने का है जो सेवा संगठन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप विमानपत्तन पर सुविधाओं में किस सीमा तक सुधार आने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) जी, हां। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन प्रमाण (2000-01) के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस उद्देश्य के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति और चयन की कार्रवाई कर रहा कि आई०एस०ओ० प्रमाणन 2000-2003 तक पूरा हो जाएगा।

इस प्रमाणन से यात्रियों/आगंतुकों को दी जा रही सुविधाओं में सुधार होगा क्योंकि प्रमाणन में जुड़ी एजेंसी के विशेषज्ञों द्वारा इन सुविधाओं की मानिटरिंग/रिकार्डिंग/सुधारात्मक कार्रवाई तथा रिकार्ड की आडिटिंग की जाएगी।

वैतरणी नदी जल का दोहन करने हेतु कार्य योजना

5212. **श्री अनन्त नायक** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैतरणी नदी के जल का दोहन करने हेतु कोई कार्य योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना द्वारा उड़ीसा की कौन-सी अन्य बड़ी नदियों के जल का दोहन करने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण नदी बेसिनों के जल का उपयोग करने के वास्ते सिंचाई परियोजनाओं तथा बाढ़ नियंत्रण, जल निकास परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, वित्त पोषण, कार्यान्वयन, प्रचालन तथा रखरखाव स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार ने उड़ीसा की वृहद नदियों के जल का उपयोग (टैप) करने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की है।

[हिन्दी]

विश्व पर्यटन के मानचित्र पर कुरूक्षेत्र

5213. **श्री पदमसेन चौधरी**
डा० अशोक पटेल :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुरूक्षेत्र को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

पक्षियों से टकराने के कारण दुर्घटनाएं

5214. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पक्षियों से टकराने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए पूर्व में किसी समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और की गई सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इस समिति की उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिसे सरकार द्वारा अब तक लागू किया जा चुका है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान पक्षियों से टकराने के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है और उससे जानमाल की कितना नुकसान हुआ ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान पक्षी टकराने से कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई है।

बाल श्रमिकों के लिए मासिक अनुदान

5215. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाल श्रमिकों के माता-पिता को मासिक अनुदान देने का है जिससे वे बच्चों को काम पर न भेजें; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिमाह कितनी अनुदान राशि दिए जाने की संभावना है और इस पर कितना वार्षिक व्यय होगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि

5216. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि में उच्च वृद्धि प्राप्त करने के लिए कृषि संबंधी संचालन दल की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों के विचार लिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) 'कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों पर संचालन समूह' की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :–

नीतिगत सुधार :

- बीज जैसे आदानों और लोक नीतियों सहित प्रौद्योगिकीयों, सेवाओं के समेकित पैकेज के माध्यम से मुख्य कृषि प्रणालियों की अदोहित क्षमता का दोहन;
- कृषि में सार्वजनिक उपक्रम निवेश में वृद्धि;
- पूर्वी क्षेत्र में लघु सिंचाई विकास पर जोर;
- सभी कृषि उत्पाद की आवाजाही पर रोक को हटाना;
- विद्यमान अवसंरचना के लाभों को अधिकतम करना;
- परम्परागत और अद्यतन प्रौद्योगीकीयों का सम्मिश्रण;
- कृषि अनुसंधान और पाठ्यक्रम में महिलाओं को मुख्य-धारा में लाना;
- कृषि में महिलाओं को प्रौद्योगीकीय अधिकारिता;
- अनुसंधान और शिक्षा में फार्म प्रणाली पहुंच को अपनाना;
- प्राकृतिक संसाधनों पर बुरा प्रभाव डालने वाली राजसहायता का पुनर्निधारण;
- सूक्ष्म कृषि के युग हेतु विस्तार सेवाओं की पुनर्संरचना और पुन: यंत्रीकरण;
- सहकारी समितियों को पूर्णत: वाणिज्यिक निकायों के रूप में कार्य करने की अनुमति देना;
- समुदाय/समूह समपार्श्विकता और कृषकों की जमीन पर पेड़ों को ऋण देने के समय समपार्श्विक प्रतिभूति माना जाय;
- खास तौर से बड़े शहरों एवं महानगरों के पास वैकल्पिक एवं बड़ी मंडियों को प्रोत्साहन देना।
- श्री शंकरलाल गुरू की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विपणन के संबंध में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन;
- जैविक कृषि अंचलों पर जोर देना;
- कृषि वानिकी एवं वृक्षारोपण पर बल देना एवं औषधीय व सुंगधित पौधों पर विशेष ध्यान देना;
- पशुपालन में रोगमुक्त अंचल;
- पशुधन की दुर्लभ नस्लों का संरक्षण एवं सूखे तथा मालवाही पशुओं के रूप में उपयोग की जाने वाली नस्लों में सुधार;
- चारागाहों के पुनरूद्धार के लिए एक समेकित दृष्टिकोण की आवश्यकता;
- अन्तर्देशीय जल में मछलियों की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाना;
- गुणवत्ता मछलियों/श्रिम्प बीज एवं आहार का उत्पादन बढ़ने हेतु अनुसंधान एवं विकास;
- मात्स्यिकी एवं जलकृषि के विकास संबंधी गतिविधियों का विविधिकरण;
- कम मात्रा में बाहरी आदान वाली सतत् जलकृषि पर जोर;
- गहरे जल में मत्स्यन प्रबंध पर बल;
- मात्स्यिकी विकास के आधारभूत ढ़ांचे एव रखरखाव पर बल;

संस्थागत सुधार :

- उत्पादकता क्रान्ति; गुणवत्ता क्रान्ति, एवं प्रबंध एवं विपणन क्रान्ति का सूत्रपात करना;
- आसन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना;
- अनुसंधान एवं शिक्षा में कृषि प्रणाली दृष्टिकोण अपनाना;
- कृषि अनुसंधान और पाठ्यक्रम में महिलाओं को मुख्य-धारा में लाना; कृषि में महिलाओं का प्रौद्योगिकीय सशक्तीकरण;
- सभी राज्यों द्वारा बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम का कार्यान्वयन;
- प्राकृतिक स्त्रोतों के विकास के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाना;
- निम्नलिखित से संबंधित राष्ट्रीय चुनौती परियोजनाओं को अभिज्ञात एवं कार्यान्वित करना;
  - सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उपयोग करके परती भूमि विकास,

– तटवर्ती क्षेत्रों में एग्रो-एक्वा फार्म,

– गहरे जल में मत्स्यन,

– पूर्वी भारत में छोटी सिंचाई,

– कृषि में महिलाओं का प्रौद्योगिकीय सशक्तीकरण,

– जैविक कृषि क्षेत्र,

– पशु रोगमुक्त क्षेत्र।

निम्नलिखित के माध्यम से शिक्षित ग्रामीण युवकों के लिए लाभप्रद स्वरोजगार को बढ़ावा देना :–

– कृषि क्लीनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र,

– सार्वजनिक नीतियां,

– सामुदायिक खाद्यान्न, आहार एवं चारा बैंक,

* प्रौद्योगिकी मिशनों का एकीकरण;

* कृषि विज्ञान आयोग की स्थापना;

* एक स्वायत्तशासी फसल किस्म परीक्षण संस्थान की स्थापना करना;

* खाद्य सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय अनुवांशिकता संशोधन आयोग की स्थापना करना।

संचालन दल की रिपोर्ट सभी राज्यों व केन्द शासित प्रदेशों तथा संबंधित शीर्ष केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को परिचालित कर दी गई है।

बी०टी० कॉटन सीड्स छोटे किसानों के लिए नया ऋण जाल

5217. **डॉ० एन० वेंकटस्वामी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी०टी० कॉटन सीड्स छोटे किसानों को त्रणी बनाने का एक नया ऋण जाल है क्योंकि ये सीड निजी फर्मों के माध्यम से ही बेचे जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छोटे किसानों को इससे बचाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। देश में पहले ही की जा चुकी अधिकांश संकर कपास बीज की बिक्री निजी फर्मों द्वारा की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ट्रांसजेनिक किस्मों के विकास में अनुसंधान भी आयोजित कर रही है।

[हिन्दी]

कृषि और सहकारी क्षेत्र हेतु आबंटन

5218. **श्री रामजीलाल सुमन :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहकारी क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त धनराशि कृषि और सहकारी क्षेत्र पर उपयुक्त रूपेण खर्च की गई है;

(ग) यदि हां, तो मार्च 2002 तक कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और उसमें से कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान कृषि हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कृषि और सहकारी क्षेत्र हेतु आबंटित व उपयोग की गयी योजना निधियों का विवरण निम्नवत है :–

(करोड़ रु०)

नौंवी योजना	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय/उपयोग
(1997-2002)	9293.00	7645.69	7518.43

(घ) और (ङ) नौंवी योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2001-2002 में निर्धारित लक्ष्य एवं संभावित उत्पादन उपलब्धियों (अग्रिम अनुमानों में अनुसार) का विवरण निम्नवत है :–

(मिलियन टन)

वर्ष 2001-2002

फसल	लक्ष्य	अग्रिम अनुमानों के अनुसार उपलब्धियां
1	2	3
चावल	92.00	90.75 •
गेहूं	78.00	73.53
मोटे अनाज	33.00	33.10

1	2	3
दलहन	15.00	13.79
खाद्यान्न	218.00	211.17
तिलहन	28.00	21.16
गन्ना	325.00	289.41
कपास*	14.50	11.30
जूट एवं मेस्ता@	11.00	10.68

*170-170 कि०ग्राम की मिलियन गांठे

@180-180 कि०ग्राम की मिलियन गांठे

लक्ष्यों की उपलब्धियों में कमी के मुख्य कारण प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों में निवेश कम थे।

[अनुवाद]

एअर इंडिया द्वारा उतार दिए गए यात्री

5219. **श्री पी०आर० किन्डिया :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 2002 के *दि हिन्दुस्तान टाइम्स में गेट ऑफ लोडेड, मेक ए पैकेज शीर्षक* से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 11 सितम्बर, 2001 से आज तक एअर इंडिया द्वारा कितने वास्तविक यात्री उतार दिए गए और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उतारे गए यात्रियों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई और एअर इंडिया द्वारा उतारे गए प्रत्येक यात्री पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या एअर इंडिया को उतारे गए ऐसे यात्रियों पर खर्च की गई धन राशि से भारी नुकसान हुआ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे अपव्यय को न्यूनतम करने हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाब हुसैन) : (क) जी, हां। एअर इंडिया द्वारा दिनांक 30.09.2001 से 14.04.2002 की अवधि में मुम्बई हवाई अड्डे पर 1065 यात्रियों को ऑफलोड किया गया था तथा दिनांक 11.09.2001 से 31.03.2002 तक की अवधि में दिल्ली हवाई अड्डे पर 741 यात्रियों को आफलोड किया गया। मुम्बई तथा दिल्ली हवाई अड्डों पर ऑफलोड किए गए यात्रियों पर क्रमश: 35,71,613 रुपए तथा 27,25,764 रुपए व्यय किए गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के नक्शे कदम पर चलते हुए एअर इंडिया अपनी उड़ानों में ओवरबुकिंग करती है ताकि सीट भरने के मामले में उड़ानों का युक्तिसंगत प्रचालन सुनिश्चित किया जा सके। कभी-कभी पुस्टिकृत यात्रियों को ऑफलोड किया जाता है, यह एक वाणिज्यिक जोखिम है जो एयरलाइन को लेना पड़ता है। ऐसे यात्रियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती हैं इन यात्रियों के भोजन तथा आवास की सारी व्यवस्था एअर इंडिया द्वारा की जाती है और उन्हें अगली उड़ान पर स्वीकार किया जाता है। एअर इंडिया ने हाल ही में आटोमेटिड रेवेन्यु मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है जिसके अंतर्गत उड़ान निस्पादन के पिछले आंकडे फीड किए जाते हैं और अति आधुनिक सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग करते हुए युक्तिसंगत स्तर पर ओवर बुकिंग की जाती है। इसके अलावा पीक सीज़न में डी०जी०सी०ए० द्वारा अतिरिक्त उड़ाने चलाने की इजाजत दी जाती है। बोर्डिग अस्वीकार करने की स्थिति में मुआवजे के भुगतान के रूप में एअर इंडिया को ज्यादा हानि नहीं हुई है।

आई०सी०एफ०आर०ई० का अपव्यय

5220. **श्री रामजी मांझी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुशल योजना की कमी और त्रुटिपूर्ण आकलन के कारण 80 स्टाफ क्वार्टरों का बिना किसी जरूरत के निर्माण किया गया जिसके परिणामस्वरूप भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून के 3.33 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अपव्यय के इस मामले की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसे अपव्यय को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (ए०सी० एफ०आर०ई०) ने अपने सभी स्टाफ सदस्यों को आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए 3.33 करोड़ रु० की कुल लागत से शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (ए०एफ०आर०आई०), जोधपुर में 80 अतिरिक्त आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कराया था। सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने पर लगे प्रतिबंध के कारण 80 में से 72 क्वार्टर खाली पड़े हैं। इस मामले का आई०सी०एफ०आर०ई० के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा पुनर्निरीक्षण किया गया है और खाली पड़े क्वार्टरों को जोधपुर स्थित केन्द्रीय सरकार के विभागों/संगठनों को किराए पर देने का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु सहायता

5221. **श्री एन०टी० षणमुगम : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में पर्याप्त रोजगार के सृजन और गरीबी के उन्मूलन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु केंद्रीय सहायता मंजूर करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : (क) और (ख) सरकार स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विभिन्न योजना स्कीमें चला रहा है जिनमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्रों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों आदि को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। ये योजना स्कीमें राज्य अथवा क्षेत्र विशेष नहीं होती।

[हिन्दी]

एअर इंडिया की आरक्षण प्रणाली

5222. **प्रो० दुखा भगत : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया उड़ान में सभी सीटों की आरक्षण सम्पुष्टि के लिए अपनी कम्प्यूटीकृत आरक्षण प्रणाली तक चुनिंदा ट्रैवल एजेन्टों को सीधी पहुंच की अनुमति देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये एजेंट उपलब्ध क्षमता से अधिक सीटों की बुकिंग कर रहे हैं जिसे एअर इंडिया को घाटा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा एअर इंडिया की आरक्षण बुकिंग प्रणाली में अनियमितता को रोकने हेतु क्या कार्रवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) एअर इंडिया ने उस वैश्विक संवितरण प्रणाली (जी०डी०एस०) के साथ करार में भाग लेने के लिए हस्ताक्षर कर दिए है जिसमें एअर इंडिया प्रणाली में प्रवेश को परिभाषित किया गया है। इसके बदले, जी०डी०एस० ने उन सभी ट्रैवल एजेंटों जो उनकी प्रणाली का प्रयोग करते हैं, को भागीदारी के इस मोड का विस्तार किया है। एअर इंडिया के प्रमुख जी०डी०एस० उदाहरणार्थ *सबरे* तथा *गलिलेया* के साथ सीधे प्रवेश करार है।" इस सीधे प्रवेश प्रणाली में, एजेंट जैसा कि एअर इंडिया की रिजर्वेशन प्रणाली में डिस्पले किया गया है डायनामिक रूप से उड़ान उपलब्धता का व्यू कर सकते हैं यदि एयर इंडिया प्रणाली में फ्लाइट पर सीट उपलब्ध हैं तो कोई ट्रैवल एजेंट फ्लाइट पर कंफर्म सीट प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि फ्लाइट बंद हो गई है तो ट्रैवल एजेंट फ्लाइट पर सीटें कंफर्म कराने की स्थिति में नहीं रहेगा।

(ग) जी, नहीं। एजेंट उपलब्ध क्षमता से अधिक कंफर्मड सीटें प्राप्त नहीं कर सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जनपथ होटल को पर्यटन भवन में बदलना

5223. **श्री दलपत सिंह परस्ते :**
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनपथ होटल को अन्तर-राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के रूप में काम करने हेतु भारतीय पर्यटन भवन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निर्णय के कारण कितना नुकसान उठाए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त केन्द्र (पर्यटन भवन) में पर्यटकों को सभी आवश्यक सूचना/सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) मामला विचाराधीन है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उड़ीसा में नई कोयला खान खोलना

5224. **श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में कोई नई कोयला खान खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) की दसवीं योजनावधि के दौरान उड़ीसा में 19 नई परियोजनाएं आरंभ करने की योजना है। उनका स्थल-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	परियोजनाएं	कोलफील्ड का स्थल
1.	बसुन्धरा वेस्ट	ईब घाटी
2.	भरतपुर विस्तार-II	तलचर
3.	भूबनेश्वरी	तलचर
4.	गर्जन बहल	ईब घाटी
5.	गोपाल प्रसाद	तलचर
6.	हिंगुला-II विस्तार	तलचर
7.	जगन्नाथ	तलचर
8.	जगन्नाथ विस्तार	तलचर
9.	कन्हैया-II	तलचर
10.	कन्हैया	तलचर
11.	करतीकच्चर	ईब घाटी
12.	कुलदा	ईब घाटी
13.	लखनपुर विस्तार	ईब घाटी
14.	लिंगराज विस्तार	तलचर
15.	जगन्नाथ वेस्ट	ईब घाटी
16.	सियारमल	ईब घाटी
17.	तालाबेरा-III	ईब घाटी
18.	तालाबेरा-II	ईब घाटी
19.	तलचर वेस्ट	तलचर

[हिन्दी]

पर्यटन का विकास

5225. श्री राजो सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में पर्यटन और अपनी यूनिटों के विकास हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कुछ होटल खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन संवर्धन तथा विकास के लिए उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, तमिलनाडु और राजस्थान राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। तथापि, देश में इसके मौजूदा होटलों के विस्तार की कोई योजना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्तमान नीति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र को प्रत्यक्ष सेवा प्रदाता की भूमिका निभाने की बजाय सुविधा प्रदाता की भूमिका निभानी चाहिए।

भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री यात्रा

5226. श्री रामपाल सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री यात्रा की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरणीय एटलस

5227. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा प्रकाशित भारत के पर्यावरणीय एटलस में यह दर्शाया गया है कि दिल्ली और इटावा के बीच 500 किमी० तक यमुना देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है;

(ख) यदि हां, तो एटलस, में दिखाए गए ऐसे अन्य धूसर और काले धब्बों और फैलाव का ब्यौरा क्या है जिस पर प्रदूषण रहित उद्देश्यों के लिए सरकार के तत्काल ध्यान की आवश्यकता है; और

(ग) सरकार द्वारा एटलस से इन धब्बों को मिटाने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) भारतीय पर्यावरणीय एटलस और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जल गुणवत्ता मानीटरिंग के परिणामों के अनुसार यमुना नदी प्रदूषित है और ये अपने

दिल्ली से इटावा तक के क्षेत्र में अपेक्षित जल गुणता मानदण्डों को पूरा नहीं करती है।

(ख) उक्त एटलस में प्रस्तुत जल गुणता निगरानी परिणामों के अनुसार अन्य प्रदूषित नदी क्षेत्र अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, काली, अदयार और क्यूम नदी का पूरा क्षेत्र, मदुरई में वैगई और हैदराबाद में मूसी अधोप्रवाह है। इसी प्रकार गंगा नदी के क्षेत्र कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और त्रिघाट अधोप्रवाह नासिक, नान्देड़ और राजामुन्दरी में गोदावरी अधोप्रवाह रंगपट्टना, के०आर०एस० बांध, सत्यमंगलम पुल, कावेरी अधोप्रवाह महाबलेश्वरी और सांगली के बीच कृष्णा, नेपानगर और बुरहानपुर के बीच तापी, कटक में महानदी अधोप्रवाह, बदनावर और वासाद के बीच माही, राऊरकेला, तलचर और धर्मशाला में ब्रह्मणी अधोप्रवाह प्रदूषित है।

(ग) 16 राज्यों में 27 नदियों के प्रदूषित 152 नगरों में प्रदूषण निवारण के कार्यों के लिए एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना में अन्य के साथ उपर्युक्त सभी नदियां/नगर शामिल हैं।

[हिन्दी]

खनन पट्टे हेतु लंबित आवेदन

5228. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वेक्षण और खनन पट्टे हेतु लाईसेंस लेने के लिए केन्द्र सरकार के पास राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र के कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने आवेदनों का निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

(ग) शेष आवेदनों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 10 (3) के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा टोही परमिटों, पूर्वेक्षण लाइसेंसों और खनन पट्टों की मंजूरी दी जाती है। उपरोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत खनिजों के लिए खनिज रियायतों की मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव मूल रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं और कानून के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा उनकी प्रोसेसिंग की जाती हैं और उनका निपटान किया जाता है। केन्द्र सरकार का अनुमोदन कम से कम समय में प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण पाए जाते हैं और इस प्रकार के मामलों में राज्य सरकारों से पूर्ण सूचना/अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने का आग्रह किया जाता है ताकि इन मामलों को तत्काल निपटाया जा सकें।

केन्द्र सरकार के पास 26.4.2002 को टोही परमिटों, पूर्वेक्षण लाइसेंसों और खनन पट्टों की मंजूरी के लिए 67 आवेदन लंबित हैं जिसमें से महाराष्ट्र से प्राप्त 4 प्रस्ताव भी शामिल है। वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान खनिज रियायत की मंजूरी के लिए 762 आवेदनों का निपटान किया गया। राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	वर्ष 1999-2002 के दौरान निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या	26.4.2002 को लंबित प्रस्तावों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	140	02
2.	बिहार	18	—
3.	गोवा	12	01
4.	गुजरात	34	02
5.	हरियाणा	07	—
6.	हिमाचल प्रदेश	06	—
7.	जम्मू एवं कश्मीर	03	—
8.	कर्नाटक	80	14
9.	केरल	22	05
10.	मध्य प्रदेश	68	05
11.	महाराष्ट्र	48	04
12.	उड़ीसा	95	12
13.	राजस्थान	96	11
14.	सिक्किम	02	—
15.	तमिलनाडु	115	01
16.	उत्तर प्रदेश	03	—
17.	झारखंड	10	03
18.	छत्तीसगढ़	03	07
	कुल	762	67

[अनुवाद]

अया-कट टैंकों की गाद निकालना

5229. श्री ई० पोन्नुस्वामी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के अया-कट टैंकों की गाद निकालने हेतु कोई योजना तैयार की है जिस पर कृषि भूमि के बड़े भाग सिंचाई हेतु निभर हैं;

(ख) यदि हां, तो संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसके लिए किसानों की सहायता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, टैंकों सहित सभी लघु सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण तथा निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजना निधि तथा अपनी प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

तथापि ग्रामीण स्तर पर तालाबों/टैंकों की गाद निकाल कर जल संचयन के परंपरागत स्रोतों के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान ग्रमीण विकास एक मुश्त कार्यक्रम बनाया गया।

इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन अभियान के रूप में किया जाएगा तथा कम से कम एक विद्यमान गांव के तालाब/टैंक या ऐसे गांवों में अन्य कोई ग्राम स्तरीय जल संचयन संरचना का जीर्णोद्धार किया जाएगा जहां राज्य या केन्द्र की किसी भी स्कीम के अंतर्गत इस तरह का कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं किया गया है।

कार्यक्रम के लिए निधियां, रोजगार आश्वासन स्कीम घटक, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री ग्राम योजना (पेय जल आपूर्ति घटक) सहित सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरू भूमि विकास कार्यक्रम, एकीकृत परती विकास कार्यक्रम जैसे जल विभाजक विकास, के लिए जारी विद्यमान निधि से एकत्र की जाएंगी।

नई परियोजनाओं को स्वीकृति देना

5230. **श्री रघुनाथ झा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जुलाई, 2001 में प्रबंधन बोर्ड और कर्मचारी अनुसंधान परिषद से 210 नई परियोजनाओं की मंजूरी ली थी जिसको मंजूरी जुलाई, 1999 में दी जानी चाहिए थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी और अधिक परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) 1994 से आरंभ हुई सभी 210 परियोजनाएं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई थीं। नवगठित कर्मचारी अनुसंधान परिषद (एस०आर०सी०) की पहली बैठक 1997 में आयोजित की गई जिसमें 210 परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में विभिन्न तिथियों को आयोजित बैठकों में विषयवार चर्चा की गई किन्तु जहां तक कर्मचारी अनुसंधान परिषद में मामले के अनुमोदन, परियोजनाओं के विस्तार का संबंध है, परियोजनाओं के अनुमोदन तथा विस्तार को पहले प्रभागीय बजट एवं अनुसंधान समिति (डी०बी० एवं आर०सी०) में अनुमोदित किया जाता है तथा बाद में अनुमोदन के लिए इसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उन परियोजनाओं पर कर्मचारी अनुसंधान परिषद की बैठक में विस्तार से चर्चा की जाती है तथा अनुमोदित किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कोई नई परियोजनाएं लंबित नहीं पड़ी हैं। सभी परियोजनाओं पर कर्मचारी अनुसंधान परिषद की बैठक में चर्चा की गई तथा इनकी समीक्षा की गई।

[हिन्दी]

जोखिमपूर्ण पर्यटक स्थल

5231. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री सुकदेव पासवान :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों की तर्ज पर पर्यटन स्थलों की जोखिमपूर्ण पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श से, देश में साहसिक पर्यटन के विकास के एक भाग के रूप में स्की/जल तथा एरो क्रीडाओं/पर्वतारोहण/ट्रेकिंग उपकरण तथा उनके सहायक उपकरणों की प्राप्ति जैसी प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं हेतु, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान साहसिक पर्यटन के विकास हेतु 2.00 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

बीज का वितरण

5232. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गुजरात में अमरेली जिले की खम्बा तहसील में बीज निगम द्वारा वितरित गेहूं की जी०डब्ल्यू० 173 बीज की किस्म से कृषक समुदाय को कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र और राज्य सरकारों ने इसकी कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) गुजरात राज्य बीज निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उन्होंने खम्बा सहकारी समिति को 116 कुन्तल जी०डब्ल्यू० 177 प्रमाणित बीज आपूर्ति किए थे। खड़ी फसल की कमजोर स्थिति के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर, गुजरात राज्य बीज निगम के अधिकारियों ने खेतों का निरीक्षण किया और पाया कि देरी से बोई गई फसलों की स्थिति बहुत अच्छी थी किन्तु जल्दी बोई गई फसलों की स्थिति कमजोर थी। गेहूं की जी०डब्ल्यू० 173 किस्म देरी से बुवाई हेतु संस्तुत है। किसानों को आपूर्त बीजों को गेहूं जी०डब्ल्यू० 173 के प्रमाणित बीज हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया था।

[अनुवाद]

खेती का खाद्यान्नों से खाद्य तेलों की ओर बदलाव

5233. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान गेहूं और चावल का कितना उत्पादन हुआ और हमारी अनुमानित मांग कितनी है;

(ख) क्या सरकार खेतीहरों को खाद्यान्नों से खाद्य तेलों और दालों जिनकी कमी है में अपनी फसलों को बदलने हेतु प्रोत्साहन देने के उपाय कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान गेहूं और चावल का उत्पादन निम्नवत है :

वर्ष	गेहूं	चावल (मिलियन मी० टन)
2000-2001	68.76	84.87
2001-2002 (अनुमानित)	73.53	90.75

गेहूं और चावल की मांग के अलग-अलग अनुमान नहीं लगाए जाते।

(ख) और (ग) सरकार अनाज के बाद पुन: अनाज फसलों की खेती के परिणामस्वरूप आने वाली मृदा स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए फसल विविधिकरण पर जोर दे रही है। तिलहन एवं दलहन के आयात को देखते हुए भी फसल विविधिकरण की सिफारिश की जा रही है। देश के विभिन्न भागों में अनाज आधारित फसल प्रणाली के विविधिकरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अनेक दलहन एवं तिलहन फसलें अभिज्ञात करके निर्मुक्त की गई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किसानों के लाभार्थ अग्रणी प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं। विगत दो मौसमों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति के अंतर्गत भी इन फसलों की खेती को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि गेहूं और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में दलहन व तिलहन के मूल्य अधिक रखे गए हैं, ताकि किसानों को इन फसलों की खेती की ओर प्रवृत किया जा सके।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय संग्रहालय

5234. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 2002 के राष्ट्रीय सहारा में ''प्रधान मंत्री कार्यालय के पत्रों तक को ठंडे बस्ते में डाल देता है – राष्ट्रीय संग्रहालय प्रबंध'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समाचार में कोई सच्चाई नहीं है, अत: इस मामले में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के कोन्टाय तट में हानि

5235. डा० नीतिश सेनगुप्ता : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कोन्टाय तट से लगे समुद्री बांध वर्ष 1999 के चक्रवात से काफी कमजोर हो गए है;

(ख) क्या समुद्र की बड़ी लहरों से कोन्टाय उप-मंडल के कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ सकती है और भूमि और जान-माल का विनाश हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से तत्काल आधार पर मरम्मत कार्य पर ध्यान देने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1999 के चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल के कोन्टाय तट से लगे समुद्री बांधों की कुछ क्षति हुई है तथा कुछ स्थलों पर बांध कमजोर हो गया है।

(ख) समुद्र से बड़ी लहरों के कारण क्षति होने के संबंध में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ के कारण समुद्र के पास वाले कुछ क्षेत्रों की भूमि और स्थानीय बस्तियों की संपत्ति की क्षति तथा अस्थायी रूप से जन-जीवन के अस्त-व्यस्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ग) और (घ) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, तट कटाव सहित बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार तकनीकी, प्रोत्साहनात्मक और संवर्धनात्मक स्वरूप की सहायता मुहैया कराती है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने प्राथमिकता आधार पर क्षतिग्रस्त समुद्री बांधों के मरम्मत संबंधी कार्य प्रारंभ कर दिए हैं तथा वर्ष 1999 के चक्रवात के बाद अपने संसाधनों से निम्नलिखित कार्य प्रारंभ कर दिए हैं :–

(i) समुद्री बांध को 36 कि०मी० से 41.00 कि०मी० तक ऊपर उठाने और उसे पक्का करने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

(ii) 27.50 कि०मी० से 29.15 कि०मी० तक और 30.50 कि०मी० से 36.00 कि०मी० तक समुद्री बांध (डायक) को ऊपर उठाने और उसे पक्का करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

(iii) 41.00 कि०मी० से 48.00 कि०मी० तक तथा 61.25 कि०मी० से 65.40 कि०मी० तक समुद्री बांध (डायक) को ऊपर उठाने और उसे पक्का करने संबंधी एक स्कीम को स्वीकृत किया गया है।

(iv) 64.66 लाख रुपये की अनुमानित लागत से मौजा गोपालपुर और भोगपुर के बीच ईंट और कंक्रीट द्वारा सैण्डड्यून, "समुद्री बांधों के संरक्षण" संबंधी स्कीम पर भी राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

कुक्कुट पालन के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना

5236. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुक्कुट पालन के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावना का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष का विशेषत: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों ने कुक्कुट के जरिए रोजगार सृजन का काम शुरू किया है। विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों में व्यक्तियों/रोजगार सृजन की संख्या इस प्रकार है :–

राज्य	1999-2000	2000-2001	2001-2002
मध्य प्रदेश	2099	1275	1703
छत्तीसगढ़	1430	1450	2900
उड़ीसा	643	887	659

निधियों का उपयोग

5237. श्री दिनशा पटेल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों द्वारा पर्यटन विकास और प्रोत्साहन हेतु आबंटित निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार देश में पर्यटन तथा अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ प्रतिवर्ष विचार-विमर्श करके अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

परियोजनाओं को पूरा करने और रख-रखाव तथा धनराशि का उपयोग करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परियोजनाओं के प्रबोधन के लिए पर्यटन विभाग तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों को शामिल कर एक प्रबोधन समिति गठित की गयी है। पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी अपने सरकारी दौरों के दौरान परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं। राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है।

(ख) विगत 3 वर्षों यथा 1999-2000 से 2000-2001 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, स्वीकृत धनराशि तथा अवमुक्त धनराशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान राज्यवार स्वीकृत/अवमुक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य	1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं०	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं०	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं०	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	14	242.22	124.43	7	180.00	129.60	6	167.85	67.71
2.	असम	17	357.35	92.76	12	298.35	125.02	—	—	—
3.	अरूणाचल प्रदेश	11	239.28	102.18	6	49.78	17.50	14	224.90	104.40
4.	बिहार	7	150.75	49.01	13	324.48	98.22	1	1.35	1.35
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	3	115.28	36.75	2	30.00	15.00
6.	गोवा	11	279.82	70.08	9	89.54	27.91	9	93.73	49.85
7.	गुजरात	23	407.64	136.42	19	510.85	152.86	11	315.50	100.30
8.	हरियाणा	9	238.33	155.94	6	112.63	46.86	7	125.44	40.02
9.	हिमाचल प्रदेश	17	691.79	437.75	19	397.29	200.79	12	157.64	63.83
10.	जम्मू एवं कश्मीर	16	311.43	226.03	11	470.93	247.15	3	65.50	55.95
11.	झारखण्ड	—	—	—	6	206.49	61.92	2	80.00	0.50
12.	कर्नाटक	38	890.70	459.67	19	489.30	248.41	8	206.26	71.00
13.	केरल	19	772.28	289.56	7	407.85	122.65	10	841.87	239.52
14.	मध्य प्रदेश	16	431.08	174.04	12	243.21	78.22	11	256.37	94.54
15.	महाराष्ट्र	30	1003.69	260.21	10	270.81	142.01	13	1098.21	284.51
16.	मणिपुर	10	229.00	70.10	18	782.77	235.42	—	—	—
17.	मेघालय	6	80.72	20.26	5	105.59	36.10	—	—	—
18.	मिज़ोरम	13	297.23	235.08	13	309.19	208.66	6	75.25	41.77
19.	नागालैण्ड	16	303.30	229.65	7	145.03	42.84	5	41.54	20.20
20.	उड़ीसा	20	306.90	90.92	4	156.94	47.07	4	38.05	27.12
21.	पंजाब	8	175.00	55.63	6	203.50	61.33	3	17.50	12.34
22.	राजस्थान	12	131.22	36.59	22	455.00	143.47	2	5.00	2.50
23.	सिक्किम	12	118.98	48.57	33	376.49	172.32	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	तमिलनाडु	27	531.95	168.07	8	113.83	37.30	17	542.83	128.77
25.	त्रिपुरा	7	340.76	187.80	13	333.23	151.55	—	—	—
26.	उत्तरांचल	—	—	—	7	70.19	29.78	3	65.51	32.04
27.	उत्तर प्रदेश	36	749.58	242.56	17	154.21	62.54	5	56.54	24.87
28.	पश्चिम बंगाल	6	194.01	76.56	20	412.68	268.14	11	229.85	88.63
29.	अण्डमान एवं निकोबार	1	32.37	16.18	1	1.78	0.89	—	—	—
30.	चण्डीगढ़	4	68.44	15.37	5	22.13	8.50	5	22.13	8.50
31.	दादरा नगर हवेली	1	30.00	9.00	1	8.00	2.40	—	—	—
32.	दिल्ली	5	24.50	12.20	1	16.28	8.57	7	58.96	39.50
33.	दमन एवं द्वीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	पांडचेरी	10	163.89	56.24	3	26.18	9.09	3	78.61	31.98
	जोड़	422	9794.21	4148.86	343	7859.81	3256.84	180	4896.39	1646.70

डेयरी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

5238. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी विकास हेतु जिन राज्यों में प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किए गए उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के लिए राज्यवार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं की सफलता की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) भारत सरकार द्वारा डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन (टी०एम० डी०डी०) अगस्त, 1988 में शुरू किया गया था तथा यह मार्च, 2000 में पूरा हुआ था। यह 16 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था।

(ख) डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के तहत निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए थे :—

1. ऑपरेशनल लिंकेज कार्यक्रम।
2. हिमित वीर्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण।
3. तरल नाइट्रोजन डिलीवरी प्रणाली।
4. चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई नई परियोजना शुरू नहीं की गई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार आबंटित धनराशि विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन की प्रगति को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में मिशन की शक्ति प्राप्त समिति के माध्यम से लगातार समीक्षा की है। कुल मिलाकर मिशन के वांछित परिणामों को प्राप्त कर लिया गया था।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम के तहत राज्यवार आबंटित धनराशि

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	55.01	31.78	27.29

1	2	3	4	5
2.	बिहार	36.89	149.21	5.56
3.	गोवा	0.00	0.00	13.76
4.	गुजरात	78.10	119.01	72.48
5.	हरियाणा	2.05	0.41	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	4.18	0.00	0.00
7.	कर्नाटक	138.41	22.11	38.68
8.	मध्य प्रदेश	11.73	13.41	38.89
9.	महाराष्ट्र	0.00	0.69	33.55
10.	उड़ीसा	16.16	57.99	7.93
11.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
12.	पंजाब	0.00	30.76	11.13
13.	राजस्थान	0.09	9.04	10.14
14.	तमिल नाडु	0.00	2.50	0.01
15.	उत्तर प्रदेश	58.75	34.83	20.86
16.	पश्चिम बंगाल	0.00	4.33	5.96

[हिन्दी]

''पाटा'' सम्मेलन

5239. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्रीमती कैलाशो देवी :
श्री जी०जे० जावीया :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में ''पाटा'' सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भारत और अन्य देशों के किन-किन व्यक्तियों ने भाग लिया;

(ग) इसमें की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या-क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) प्रस्तावों का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। पैसेफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन (पाटा) का 51वां वार्षिक सम्मेलन दिल्ली में 14 से 18 अप्रैल, 2002 तक आयोजित किया गया। (ख) से (घ) इसमें भाग लेने वालों की कुल संख्या 1015 थी। उद्घाटन सत्र पूर्ण अधिकारियों के सत्रों, ब्रक आउट सत्र तथा समापन सत्र के दौरान चर्चाएं हुई। चर्चा का मूल विषय ''पर्यटन का भविष्य और उससे आगे'' था। इस सम्मेलन में चर्चित सिफारिशों को पाटा अन्तिम रूप देगा तथा उन पर कार्यवाही करेगा।

[अनुवाद]

कोयला खान राख का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव

5240. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कोयला खान राख के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले के आसपास के कतिपय क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका निष्कर्ष क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रित स्थानों अर्थात् वे स्थान जहां कोई कोयला खान स्थित नहीं है, चन्द्रपुर जिले की कोयला खानों के आसपास के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य स्थिति से तुलना करने पर यह पाया गया है कि यह स्थिति समान है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रिक्त पद

5241. श्री अमर राय प्रधान : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में कौन-कौन से पद श्रेणी-वार रिक्त पड़े हैं और ये पद किस तारीख से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : (क) वर्ष 1998 से 2002 तक की अवधि के दौरान विभिन्न तारीखों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत निम्नलिखित पद, निदेशक (फल एवम सब्जी परिरक्षण) और उपायुक्त (डेरी उत्पाद) के पद को छोड़कर जिन्हे वर्ष 1990 से वर्तमान ड्यूटी प्रभार द्वारा भरा गया है, नियमित आधार पर नहीं भरे गए हैं :–

ग्रुप 'क'

1. औद्योगिक सलाहकार
2. निदेशक, फल एवम सब्जी परिरक्षण
3. उपसचिव
4. उपायुक्त (डेरी उत्पाद)
5. संयुक्त औद्योगिक सलाहकार
6. वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी (फल एवम सब्जी परिरक्षण)

ग्रुप 'ख'

1. कनिष्ठ निरीक्षण अधिकारी (फल एवम सब्जी परिरक्षण)
2. तकनीकी अधिकारी, औद्योगिक सलाह
3. अनुसंधान अधिकारी
4. निरीक्षक (फल एवम सब्जी परिरक्षण)
5. सहायक
6. आशुलिपिक ग्रेड 'ग'
7. वरिष्ठ तकनीकी सहायक

ग्रुप 'ग'

1. आशुलिपिक ग्रेड 'घ'
2. उच्च श्रेणी लिपिक
3. अवर श्रेणी लिपिक

(ख) इन पदों को न भरने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ अदालती मामले और अदालत के निर्देश, भर्ती करने के लिए प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं जैसे समाचार पत्र में विज्ञापन देने आदि को पूरा करने में लगने वाला समय, नए पदों के लिए भर्ती नियम बनाने के वास्ते कार्मिक विभाग और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा ग्रुप 'ख' और ग्रुप 'ग' सचिवालय पदों पर प्रतिस्थापन तैनाती करना आदि शामिल है।

(ग) भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग और अन्य सरकारी विभाग शामिल हैं, इसलिए किसी निश्चित समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

अन्तर-राज्यीय पर्यटन को बढ़ावा देना

5242. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री शशि कुमार :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु सरकार के साथ अन्तर-राज्यीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इससे दोनों राज्यों के बीच पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम तथा तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन अवसंरचना विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ प्रतिवर्ष विचार-विमर्श करके पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

बागान कम्पनियों को सहायता

5243. श्री कैलाश मेघवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागान कार्य में लगी बागान कंपनियों का ब्यौरा क्या है और ये कंपनियां देश में राज्यवार किस वर्ष से काम कर रही हैं;

(ख) क्या इन कम्पनियों को बागान कार्य के लिए कोई वित्तीय सहायता/राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्ष के दौरान इन कम्पनियों में से प्रत्येक को प्रतिवर्ष प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है और उक्त सहायता किस स्रोत से प्रदान की गई है;

(घ) क्या इन्हें प्रदान की गई सहायता के दुरूपयोग संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) गत तीन वर्ष के दौरान उक्त कम्पनियों द्वारा राज्यवार हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (च) यह सूचना इस मंत्रालय में न तो एकत्र की जाती है और न ही मिलान की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों पर एविएशन टरबाइन ईंधन का विपणन

5244. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र की कुछ तेल कम्पनियों ने हवाई अड्डों पर एविएशन टरबाइन ईंधन के विपणन के लिए स्थान की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मार्केटिंग एविएशन टरबाइन फ्यूल हेतु हवाई अड्डों पर स्थान के लिए किसी भी सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की ऑयल कम्पनी से कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

कोयला और खान मंत्रालय के अधीनस्थ विद्यालयों में रिक्त पद

5245. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन विद्यालयों में राज्य-वार कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन्हें कब तक भर लिए जाने की संभावना है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कोयला कंपनियों अथवा कोयला विभाग द्वारा कोई विद्यालय नहीं चलाए जाते हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

गौरैया पक्षी की संख्या में कमी

5246. **श्री गुनीपाटी रामैया :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गौरैया पक्षी की संख्या में कमी के संबंध में लंदन में एक अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में पक्षियों, विशेषत: गौरैया की संख्या कम हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनकी संख्या में कमी पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। रॉयल सोसायटी फॉर प्रोटैक्शन ऑफ बर्ड्स, युनाइटिड किंग्डम एण्ड ब्रिटिश ट्रस्ट फॉर आर्निथोलॉजी द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार ब्रिटेन में गौरैया पक्षियों (हाऊस स्पैरो) की संख्या में गिरावट आई है।

(ग) बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने देश के कतिपय शहरों में गौरैया पक्षियों की संख्या में कमी होने की सूचना दी है। यह कमी तेजी से हो रहे शहरीकरण और परिणामस्वरूप उनके वासस्थलों को हुए नुकसान तथा घोंसला बनाने हेतु आवश्यक सामग्री की कमी के कारण आई है। तथापि, गौरैया पक्षी देश के लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसके आस्तित्व को तत्काल कोई खतरा नहीं है।

(घ) वनीकरण कार्यक्रम ऐसे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जाते हैं जो गौरैया सहित विभिन्न पक्षी प्रजातियों के वासस्थलों के रूप में मददगार होते हैं।

[हिन्दी]

निशुल्क उड़ान की अनुमति

5247. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान देश और विदेश में प्रति वर्ष उनके मंत्रालय द्वारा कितने व्यक्तियों को निशुल्क हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप सरकार पर कितना वार्षिक वित्तीय बोझ पड़ा ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति

5248. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण विभाग झींगी से इतर मत्स्य संसाधनों हेतु नए क्षेत्रों में काम करने पर विचार कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। मौजूदा बेड़े के साथ डिमरसल मात्स्यिकी संसाधन सर्वेक्षण और टूना के लिए लौंग लाइनिंग के सर्वेक्षण के लिए चालू कार्यक्रमों के अलावा, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण अपने संसाधन सर्वेक्षण प्रयासों में और विविधता लाने के लिए नए जलयानों की खरीद की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

(च) मछली पकड़ने और उसके बाद के कार्यों के लिए मौजूदा संरचना को सुदृढ़ करने के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र में नई सुविधाओं का सृजन, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानदंडों को बेहतर बनाना तथा मानव संसाधन विकास ऐसे उपाय हैं जो मात्स्यिकी उद्योग को गति प्रदान कर सकते हैं।

आंध्र प्रदेश में हवाई अड्डों पर पुलिस गार्डों की तैनाती

5249. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हवाई अड्डों पर पुलिस गार्डों की तैनाती के बदले केन्द्र सरकार से 81,66,129/- रुपये का भुगतान करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने हवाई अड्डों पर राज्य पुलिस की तैनाती पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुरोध किया है। समय-समय पर प्राप्त ऐसे दावों की जांच की जाती है और देय राशि की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। 1.1.97 से 30 नवम्बर, 2001 तक की अवधि में वास्तविक तैनाती के आधार पर 99,28,177/- रु० के दावों का 2.1.2002 को निपटान कर दिया गया है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड

5250. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक सहायता कम्पनी ने मालवाहन में विलम्ब और/या किन्हीं अन्य कारणों से रेल विभाग को कितना विलम्ब शुल्क अदा किया है;

(ख) क्या सरकार ने इन सहायक कम्पनियों द्वारा रेल विभाग को अदा किए जाने वाले विलम्ब शुल्क को कम करने के लिए कोई कदम उठाए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) गत चार वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०) की कोयला कंपनियों द्वारा रेलवे को अदा किए गए विलंब शुल्क नीचे दिए गए हैं :–

(आंकड़े करोड़ रु० में)

कंपनी का नाम	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02*
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	3.38	2.64	3.29	0.65 (जुलाई, 01 तक)
भारत कोकिंग कोल लि०	7.83	6.07	7.26	4.58
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	4.45	2.85	3.14	2.14
महानदी कोलफील्ड्स लि०	0.11	0.11	0.01	**
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	1.43	0.38	0.69	0.25
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	2.30	1.43	1.16	0.83
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	0.03	0.00	0.70	0.10 (दिसम्बर, 01 तक)
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	0.07	0.05	0.04	0.01
जोड़ : सी०आई०एल०	19.60	13.53	16.29	8.56

*अनंतिम

**अभी रेलवे के साथ विचार-विमर्श के अधीन।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों ने संभव सीमा तक विलंब शुल्कों को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(1) लदान (लोडिंग) की कारगर ढांचागत सुविधाओं को सुव्यवस्थित करना।

(2) साइडिंग में वैगनों के स्थापन के लिए रेलवे के साथ नजदीकी समन्वय करना और तद्नुसार वैगन मांग पर निगरानी

रखना ताकि रैक उन्हीं साइडिंग में रखे जाएं जहां कोयला उपलब्ध हो।

(3) निर्धारित समय के भीतर रेकों/वैगनों की लोडिंग हेतु साइडिंग्स में समुचित स्टाक सुनिश्चित करने के लिए कोयले का नियमित परिवहन।

(4) सी०एच०पी०, फीडर ब्रेकर तथा अन्य लोडिंग उपकरणों के खराब होने को न्यूनतम करने के लिए निवारक रख-रखाव किया जा रहा है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में निवेश

5251. श्री मोहन रावले : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व खाद्य व्यापार की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : (क) और (ख) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए हैं जिसका घरेलू व्यापार के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें अन्यों के साथ-साथ इस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा देना, अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्यों के लिए 100% विदेशी निवेश हेतु स्वत: अनुमोदन, प्रसंस्कृत फल तथा सब्ज़ी उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

सरकारी क्षेत्र के एल्यूमिनियम संयंत्र

5252. श्री के०पी० सिंह देव : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के एल्यूमिनियम संयंत्रों का वर्तमान ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान इन संयंत्रों में एल्यूमिनियम के उत्पादन और इसके निर्यात के लिए प्रतिवर्ष क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां हासिल की गई ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नालको) वर्तमान में, एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाली एक मात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान नालको का एल्यूमिनियम उत्पादन और निर्यात निम्नानुसार था :–

(इकाई : एम०टी०)

	1999-00		2000-01		2001-02	
एल्यूमीनियम	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
उत्पादन	2,18,000	2,12,663	2,18,000	2,30,516	2,30,000	2,31,674
निर्यात	60,000	95,185	1,00,000	1,18,868	1,25,000	1,06,284

राष्ट्रीय कौशल विकास निधि

5253. श्री राम मोहन गाड़े : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बदलते आर्थिक परिदृश्य में नौकरियों की कमी को देखते हुए निकट भविष्य में एक राष्ट्रीय कौशल विकास निधि स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निधि से श्रमिकों को किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) कौशल विकास निधि के सृजन का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

हवाई अड्डों पर सुरक्षा संबंधी आसूचना ब्यूरो की रिपोर्ट

5254. श्री सुनील खां : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना ब्यूरो ने देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रबंधों के संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था में बहुत सी खामियों की ओर ध्यान दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इसमें सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) आसूचना ब्यूरो के नेतृत्व वाली टीम ने महत्वपूर्ण हवाई अड्डों का निरीक्षण किया और कतिपय सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया जो कि परस्पर चारदीवारी की ऊंचाई, चारदीवारी के चारों तरफ की लाइटनिंग, प्रचालन क्षेत्र से खरपतवार को हटाने, नालियों पर जालियां लगाने की व्यवस्था, सख्त निगरानी तथा नियंत्रण पहुंच इत्यादि से संबंधित थे। तद्नुसार सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए और भी उपाय किए गये हैं जिनमें शामिल हैं :—

(i) सभी प्रचालन हवाई अड्डों पर सी०आई०एस०एफ० की तैनाती,

(ii) प्रमुख हवाई अड्डों पर क्विक रिएक्शन टीम की तैनाती,

(iii) सभी अन्तरदेशीय हवाई मार्गों पर रेन्डम आधार पर स्काई मार्शलों की तैनाती।

बंगलौर विमानपत्तन का कुप्रबंधन

5255. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 2002 के द इंडियन *एक्सप्रेस* में *चिप्स टु बिस्किट्स एवरीथिंग इज डाउन हियर* शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमानपत्तन का समुचित रूप से रखरखाव नहीं कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कुप्रबंधन के लिए उत्तरदायी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) जी, हां। बंगलौर हवाई अड्डा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का है। जबकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण केवल एक सिविल एंक्लेव का ही रखरखाव करता है। घरेलू प्रस्थान टर्मिनल में रेस्टोरेंट और स्नैक बार सुविधाएं उपलब्ध हैं जबकि अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल में रात्रि के समय ही यात्री कंकोर्स में स्नेक बार सुविधा उपलब्ध है। घरेलू व अन्तरराष्ट्रीय दोनों टर्मिनलों में विभिन्न स्थानों पर काफी संख्या में चाय/कॉफी वेंडिंग मशीनें मुहैया की गई हैं। ड्यूटी फ्री शॉपों के साथ-साथ *टी०आर०* स्टलों पर चाकलेट, बिस्कुट आदि उपलब्ध हैं। प्रस्ताव कंकोर्स में कुर्सियों की व्यवस्था है जबकि सुरक्षा वाले क्षेत्र में रखरखाव संतोषप्रद है। मौजूदा कार पार्क में 280 तक वाहनों को खड़ा किया जा सकता है जबकि पार्किंग सुविधा का विस्तार किया जा रहा है और अब उसमें 360 वाहनों के लिए जगह होगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किसी यात्री की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि उससे टैक्सी ड्राइवरों द्वारा अधिक चार्ज वसूला हो। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कस्टम विभाग की एक्स-रे मशीन की रिपोजिशन भी की है और उसके अतिरिक्त चेकिंग काउंटरों की व्यवस्था की है, कंवेयर्स आदि के लिए प्रोविजन की व्यवस्था की गई है। बंगलौर हवाई अड्डे पर नई ट्रालियों को भी ऑपरेशन में लगा दिया गया है।

बाल श्रमिकों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य परिचर्या

5256. श्री सईदुज्जमा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत और बहुत से अन्य देशों में घरेलू बाल श्रमिकों के विषय पर ग्लोबल मार्च इन्टरनेशनल, न्यू डेलही द्वारा हाल ही में प्रकाशित की गई फुटप्रिंट (जनवरी, 2002) के मुद्दे की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त श्रेणी के श्रमिकों की राज्यवार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार तथा उनके नियोक्ताओं द्वारा उन्हें नि:शुल्क स्वास्थ्य परिचर्या मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) घरेलू बाल श्रमिकों की संख्या के बारे में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) सभी बच्चों सहित आम जनता को मुफ्त स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं उपलब्ध हैं।

कर्नाटक के पुष्प क्षेत्र को बढ़ावा

5257. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के बंगलौर, हसन, बागलकोट और मैसूर जैसे कुछ बड़े शहरों में और उनके निकवर्ती इलाकों में पुष्प उगाने की व्यापक संभावनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कर्नाटक में पुष्पों की नीलामी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र विकसित करने हेतु कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक के पुष्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारत सरकार कर्नाटक के विभिन्न भागों में फलों की खेती की संभावना से अवगत है।

(ख) और (ग) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) द्वारा मण्डी विकास एवं फूलों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के संबंध में व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन कराया गया है। अपेडा द्वारा कर्नाटक सरकार को बंगलौर में एक पुष्प नीलामी केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता की गई है जिसके लिए 3.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग केन्द्रीय स्कीम "कृषि का वृहत् प्रबंध – राज्यों को मदद/सहायता" के अंतर्गत कर्नाटक सरकार को पुष्पकृषि के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। उक्त स्कीम के अंतर्गत राज्य को अपनी आवश्यकतानुसार कार्यक्रम निरूपित करने की सुविधा प्रदान की गई है। कर्नाटक सरकार ने क्षेत्र विस्तार तथा विभिन्न फूलों की उन्नत किस्मों की गुणवत्ता रोपण सामग्री की आपूर्ति के माध्यम से राज्य में पुष्पकृषि को बढ़ावा देने के लिए उनके उपाय किए हैं। राज्य द्वारा पादप घर निर्माण तथा सहकारी समितियों एवं राज्य में पंजीकृत पुष्प उत्पादक संगठनों के माध्यम से मण्डी के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए भी सहायता दी जा रही है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा भी अपनी स्कीम "उत्पादन एवं फसलोपरान्त प्रबंध के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" के अंतर्गत अधिकतम 25 लाख रुपये की सीमा तक कुल परियोजना लागत के 20% की दर से पूंजी सब्सिडी सहायता के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2001-02 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कर्नाटक में विभिन्न पुष्पकृषि परियोजनाओं के लिए 112.739 लाख रुपये की राजसहायता उपलब्ध कराई गई है।

विस्थापित जनजातियों का पुनर्वास

5258. **श्री सी० श्रीनिवासन :**
श्री अम्बरीश :
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के बनने से देश में कई जनजातीय परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को कोई वनभूमि प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन विस्थापित जनजातियों का उसी तरह के पर्यावरणीय क्षेत्र में जहां से उन्हें विस्थापित किया गया है, कब तक पुनर्वास किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ङ) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आपदा प्रबंधन संबंधी पंत समिति

5259. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपदा प्रबंधन संबंधी पंत समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री जे०सी० पंत की अध्यक्षता में आपदा प्रबंध योजना से संबंधित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन अगस्त, 1999 में किया गया था।

(ख) और (ग) समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नवत हैं :–

- आपदा प्रबंध हेतु एक अलग मंत्रालय की स्थापना।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंध परिषद् की स्थापना।
- आपदा प्रबंध के क्षेत्र में राज्य एवं केन्द्रीय स्तर के कानून बनाना।
- आपदा राहत कोष का पुनर्गठन।
- प्रमुख आपदाओं से निपटने के लिए एक अलग राष्ट्रीय कोष की स्थापना।
- गुजरात तथा उड़ीसा में गठित प्राधिकरणों के अनुरूप राज्य स्तरीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना।

एक अंतर्मन्त्रालयी दल द्वारा इन सिफारिशों की जांच के उपरान्त इन्हें प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति को भिजवा दिया गया है, क्योंकि आपदा प्रबंध के क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नीतिगत कार्रवाई राष्ट्रीय समिति द्वारा देखी जा रही है, जबकि उच्चाधिकार प्राप्त समिति इस समिति के कार्यदल के रूप में कार्य कर रही है।

समिति द्वारा की गई अन्य प्रमुख सिफारिशों में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों की स्थापना; आपदाओं का मानचित्रण मिशन; राज्य एवं जिला स्तरीय योजनाएं तैयार करना; पूर्वानुमान प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, पूर्वाभ्यास का आयोजन; अग्नि शमन सेवा तथा नागरिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण, युवकों तथा गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता, नियंत्रण

कक्षों की स्थापना; शिक्षा को जन जागरूकता के रूप में उपयोग करके आपदा संबंधी ज्ञान आधारित नेटवर्क की स्थापना करना; विकास को आपदा न्यूनीकरण से जोड़ना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

फसल चक्र के पैटर्न में बदलाव

5260. **श्री पुन्नू लाल मोहले :**
श्री पी०आर० खूंटे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें, विशेषकर छत्तीसगढ़ की सरकार देश के फसल चक्र में बदलाव लाने के लिए किसानों को शिक्षित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) अध्ययनों से पता चलता है कि परम्परागत ज्ञान (क्षेत्र विशेष तथा सामाजिक-परिस्थितिकी की दृष्टि से उपयुक्त) पर आधारित पारम्परिक विधि से की गई खेती काफी लाभप्रद होती है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता में सुधार करने एवं प्राकृतिक संसाधनों की सततता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत बीजों, सन्तुलित तथा पर्याप्त पोषण, समेकित खरपतवार एवं कीट प्रबंध एवं कारगर जल प्रबंध विधियां लागू करके कृषि को और अधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है। सामाजिक – आर्थिक परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त मिश्रित पारम्परिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित खेती भी लाभप्रद समझी जाती है। जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है कृषि जलवायु अंचलों, मृदा के प्रकार, खेती की स्थिति किसानों को उपलब्ध संसाधनों एवं बाजार की उपलब्धता के अनुसार फसल पैटर्न में परिवर्तन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से किसानों को शिक्षित एवं प्रेरित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

स्ववित्तपोषित आई०टी०आई० खोला जाना

5261. **श्री सवशीभाई मकवाना :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार स्ववित्तपोषित आई०टी०आई० खोलने के लिए कोई नई नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने आई०टी०आई० खोले जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र द्वारा की जाती है। सरकार की नीति व्यावसायिक प्रशिक्षण में बुनियादी विस्तार हेतु इस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की है।

प्रदूषण के कारण रोगों का फैलना

5262. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरों में बढ़ते प्रदूषण के परिणामस्वरूप कैंसर, सांस फूलने आदि जैसे विभिन्न रोगों की अप्रत्याशित वृद्धि की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वायु प्रदूषण और सांस लेने संबंधी बीमारियों के बीच आपसी संबंध के मामले में गहन अध्ययन करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निमित्त देश में स्थापित किए जा रहे प्रस्तावित पर्यावरणीय विज्ञान अनुसंधान केन्द्र कौन-कौन से हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) प्रमुख नगरों में श्वसन संबंधी बीमारियों व अन्य रोगों की घटनाएं होने की सूचनाएं मिली हैं। तथापि, ऐसे कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह पता चलता हो कि विभिन्न श्वसन संबंधी ये बीमारियां जैसे कैंसर, सांस फूलना आदि प्रदूषण के कारण हुई हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बारे में एक उपयुक्त नीति, कार्यनीति एवं कार्य योजना तैयार करने के लिए पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी एक समिति का गठन किया था। सरकार ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। उक्त समिति की सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में एक पर्यावरण स्वास्थ्य सैल बनाया गया है और कारण-प्रभाव संबंध सहित एक डाटा बेस तैयार करने के लिए अनेक पर्यावरणीय स्वास्थ्य अध्ययन आरम्भ किए गए हैं।

फ्रांस के पेचिनी को खनन पट्टा का अधिकार दिया जाना

5263. **श्री विनय कुमार सोराके :** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के ग्लोबल कार्पोरेट मैसर्स पेचिनी ने उड़ीसा में बाक्साइट अयस्क के खनन पट्टे की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मैसर्स पेचिनी भी नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के लिए बोली लगा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) मैसर्स पेचिनी ऑफ फ्रांस के पक्ष में बॉक्साइट खनिज के लिए खनिज पट्टा प्रदान करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विनिवेश विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार नालको की बोलियां आमंत्रित नहीं की गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खनिज परामर्शदात्री परिषद् की सिफारिशें

5264. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार खनन से संबंधित योजना का अनुमोदन करने हेतु राज्य सरकारों को शक्तियां हस्तांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनिज परामर्शदात्री परिषद् ने खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी आकर्षिक करने के लिए राज्य सरकारों को कई सिफारिशें प्रस्तुत की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत् खनिज रियायतें प्रदान की जाती हैं। अधिनियम की धारा 5 (2) (ख) अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि राज्य सरकार कोई खनन पट्टा तब तक प्रदान नहीं करेगी जब तक वह संतुष्ट न हो जाए कि संबंधित क्षेत्र में खनिज भंडारों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट खानों के ऐसे वर्ग के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा खनन योजना विधिवत अनुमोदित है। खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 22 (4क) के अधीन राज्य सरकारों को 29 अधात्विक या औद्योगिक खनिजों जिन्हें राजपत्र अधिसूचना सं० जी०एस०आर० 743(ई) दिनांक 25.9.2000 के द्वारा अधिसूचित किया गया था और उसकी एक प्रति दिनांक 27.11.2000 को सभा पटल पर पहले ही रख दी गई है, के बारे में ओपन कास्ट खानों (भूमिगत खानों को छोड़ कर) की खनन योजना को अनुमोदित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। सभी अन्य खानों के बारे में खनन योजना को अनुमोदित करने की शक्तियों का उपयोग खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है।

खनिज सलाहकार परिषद् की दिनांक 30.8.2000 को आयोजित 26वीं बैठक में कई मुद्दों जैसे कि खनिज रियायत के आवेदन पत्रों के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित करना, खनन योजना के अनुमोदन के लिए समय-सीमा निर्धारित करना, केन्द्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा विदोहन के लिए पहले से आरक्षित क्षेत्रों जिनकी सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विदोहन के लिए अब कोई आवश्यकता नहीं है, की जांच/समीक्षा पर विचार विमर्श किया गया।

केन्द्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11.1.2002 के द्वारा खनिज रियायत नियमावली, 1960 को संशोधित किया है जो खनिज रियायतों को प्रदान करने के आवेदन पत्रों पर निर्णय सूचित करने की समय सीमा को निर्धारित करता है। यदि निर्धारित समय सीमा के बाद विलंब होता है तो राज्य सरकार को खनिज रियायत के आवेदन पत्र के निपटान में विलंब के कारणों को रिकार्ड करना होता है। उक्त अधिसूचना के द्वारा 90 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। पहले सार्वजनिक क्षेत्र के विदोहनार्थ आरक्षित क्षेत्रों के अनारक्षण के लिए कई राज्य सरकारों ने संबंधित राज्य की जनरल पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करना आरंभ कर दिया है।

[अनुवाद]

भुवनेश्वर विमानपत्तन पर धावनपट्टी का विस्तार

5265. श्री भर्तृहरि महताब : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर विमानपत्तन पर इसकी धावनपट्टी का विस्तार किये जाने का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विस्तार करने के इस कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) भुवनेश्वर हवाई अड्डे के उस भाग को छोड़कर, जिसमें से सड़क गुजरती हो और जो राज्य सरकार द्वारा बन्द की जानी है, पर धावनपथ के विस्तार का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पूरा कर लिया गया है इस कार्य को किये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक जनहित मुकदमा भी लम्बित है।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रनवे के प्रस्तावित विस्तार से होकर गुजरने वाली मौजूदा सड़क से यातायात को बन्द करने के लिए समय-समय पर उड़ीसा राज्य सरकार को लिखा है।

टैक्सी/ऑटो रिक्शा चालकों की कल्याणकारी योजना

5266. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के टैक्सी/ऑटो रिक्शा मालिकों/चालकों की कार्य दशाओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के प्रमुख महानगरों में इस क्षेत्र में कितने लोग/श्रमिक लगे हुए हैं;

(घ) इन्हें सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क और ई०एस०आई० योजना के दायरे में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उक्त लोगों के कल्याण के लिए इस समय चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार परिवहन, संचार और सेवा क्षेत्रों में 3.7 करोड़ कर्मकार लगे हुए हैं। शहर-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) कर्मचारी राज्य बीमा खासतौर पर संगठित क्षेत्र में कर्मकारों को सामाजिक बीमा लाभ प्रदान करता है। क०रा०बी० स्कीम के अंतर्गत टैक्सी/ऑटो रिक्शा चालकों के लिए एक प्रायोगिक स्कीम चलाने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन कारखानों और गैर-कारखाना प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित है।

[हिन्दी]

कृषि जल प्रबंधन योजना के लिए धन

5267. **श्री राम सिंह कस्वां :**
श्री वाई०जी० महाजन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र की कृषि जल प्रबंधन योजना हेतु गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान धनराशि आवंटित की है और इसे स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने उक्त धनराशि का उपयोग किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध भूमिगत जल की क्षमता के दोहन के लिए भारत सरकार ने "खेतों पर जल प्रबंध" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अनुमोदित की है जिसका कार्यान्वयन पूर्वी भारत में फसल उत्पादन में वृद्धि हेतु वर्ष 2001-2002 के दौरान किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को खराब उथले नलकूपों/निचले लिफ्ट इरीगेशन प्वाइन्टों, बिजली/डीजल से चलने वाले पम्प सैटों तथा खुदे कुओं (केवल पठारीय क्षेत्रों के लिए) के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से क्रेडिट लिंक स्कीम के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस स्कीम का वित्त पोषण पैटर्न 20:30:50 होगा; अर्थात लाभानुभोगियों का अंशदान 20%, सब्सिडी के रूप में भारत सरकार द्वारा 30% तथा शेष 50% वाणिज्यिक/राज्य सहकारी/ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण के रूप में। यह स्कीम दस राज्यों अर्थात अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जानी है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के लिए सरकार के अंश के रूप में 15 करोड़ रुपये की सहायता राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को जारी की गई है और वर्ष 2002-2003 के लिए 115 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है। राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "खेतों पर जल प्रबंध" के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के लिए जारी राज्यवार केन्द्रीय धनराशि एवं 2002-2003 के लिए प्रस्तावित आवंटन

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	राज्य	वर्ष 2001-2002	वर्ष 2002-2003
1.	असम	0.522	8.970
2.	बिहार	5.370	41.400
3.	झारखण्ड	1.884	12.250
4.	छत्तीसगढ़	0.171	5.370
5.	उड़ीसा	1.200	13.800
6.	उत्तर प्रदेश (35 पूर्वी जिले कवर)	3.345	19.170
7.	पश्चिम बंगाल (9 जिले कवर)	1.068	9.200
8.	अरूणाचल प्रदेश	0.480	1.730
9.	मणिपुर	0.480	1.730
10.	मिजोरम	0.480	1.380
	कुल	15.000	115.000

[अनुवाद]

प्रायद्वीपीय जल ग्रिड के संबंध में अध्ययन

5268. **श्री पी० कुमारासामी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रायद्वीपीय जल ग्रिड की व्यवहार्यता के संबंध में अध्ययन पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में संबंधित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) वर्ष 1980 में जल संसाधन मंत्रालय सिंचाई मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, इस मंत्रालय ने अनेक दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़कर एकीकृत जल संसाधन विकास की एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है। इस

कार्यक्रम के जरिए जल को अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानांतरित करने के लिए अब तक के अधिशेष बेसिनों का मूल्यांकन करने का विचार है ताकि देश के जल संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों के जल संतुलन और व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल संसाधन अभिकरण की स्थापना स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री इस सोसाइटी के प्रमुख हैं और राज्यों के मुख्य मंत्री/सिंचाई मंत्री इसके सदस्य हैं। सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एक शासी निकाय भी है और अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति है जिसमें राज्य सरकारों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। इन निकायों में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में हुई प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययनों के जरिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय नदी घटक के तहत 16 सम्पर्कों का पता लगाया है और 6 सम्पर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो गई हैं।

[हिन्दी]

गंगा ड्रैग लाइन मशीन

5269. **डा० बलिराम :**
श्री बी०के० पार्थसारथी :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी कोलफील्ड्स लिमिटेड की जयंत परियोजना में काम में लाई जा रही गंगा ड्रैग लाइन मशीन को ठीक कराने में वर्ष 2000-2001 के दौरान 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दोरान उस मशीन को इस तरह ठीक कराने में खर्च की गई कुल राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उस मशीन का निर्माण करने वाली कंपनी के बजाय स्थायी कम्पनियों से उसको ठीक कराने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मशीन से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण के पश्चात् इस पूरे मामले की जांच कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि वर्ष 2000-01 के दौरान गंगा ड्रैगलाइन मशीन की मरम्मत पर एन०सी०एल० द्वारा 50 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई थी। वर्ष 2000-01 के दौरान नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० की जयन्त परियोजना पर गंगा ड्रैगलाइन को नया रूप देने के लिए वास्तविक व्यय 23.853 करोड़ रु० किया गया था जो निम्नानुसार है :—

अधिप्राप्ति द्वारा उपयोग किए गए कलपुर्जे	स्टाक में से उपयोग किए गए कलपुर्जे	अन्य खर्चे (लोहा तथा इस्पात), बीमा, मैसर्स बी०ई०एम०एल० से मशीनी उपकरणों को किराए पर लेना तथा अन्य संविदा संबंधी कार्य	मेसर्स बी०ई०एम०एल० (भारत सरकार का एक उपक्रम और ओ०ई०एम० का भारतीय विनिर्माता भागीदार) को नवीनीकरण के समग्र पर्यवेक्षण के लिए तकनीकी सेवा शुल्क	कुल
15.166 करोड़ रु०	6.734 करोड़ रु०	1.5 करोड़ रु०	0.453 करोड़ रु०	23.853 करोड़ रु०

(ग) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० की जयन्त परियोजना द्वारा गंगा ड्रैगलाइन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	रिफरबिशमेन्ट पर व्यय (करोड़ रु० में)		रिफरबिशमेन्ट से इतर चालू/ नियमित व्यय (करोड़ रु० में) अनुमानत:	कुल व्यय (करोड़ रु० में) अनुमानत:
	कलपुजों का मूल्य	संविदात्मक कार्य		
1	2	3	4	5
1999-2000	13.55	0.1436	1.07	14.7636
2000-2001	8.35	1.3564 + 0.453 (बीईएमएल)	0.58	10.7394
2001-2002	शून्य	शून्य	0.49	0.49
जोड़	21.90	1.500+0.453 (बीईएमएल	2.14	25.9930

(घ) संपूर्ण नवीनीकरण कार्य को विभागीय तौर पर किया गया था सिवाय कुछ उच्च तकनीकी कार्यों को जिन्हें मेसर्स बी०ई०एम० एल० (भारत सरकार का एक उपक्रम), जो भारत में मूल उपकरण

विनिर्माता के विनिर्माण सहयोगी हैं, के पर्यवेक्षण तथा तकनीकी सहायता से किया गया था।

64.63 लाख रु० लागत वाले कुछ विविध छोटे कार्य जैसे वैल्डिंग, मशीनिंग, डेन्टिंग तथा पेन्टिंग इत्यादि, जिनके लिए कंपनी के पास आधारभूत संरचना/सुविधाएं नहीं थीं, को कंपनी की निर्धारित कार्य-विधियों, नियमों तथा विनियमों का पालन करते हुए स्थानीय एजेन्सियों द्वारा करवाया गया था।

(ङ) कोई भी अनियमितता नहीं हुई है और इसलिए किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या जांच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(च) उपर्युक्त (घ) भाग में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में वी० आर०एस० के लिए विश्व बैंक से धन

5270. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए विश्व बैंक से धन मांगने का अनुरोध किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(ग) विश्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार दोनों एयरलाइनों को आत्मनिर्भर और अर्थक्षम बनाने के लिए कोई दीर्घावधि योजना तैयार करने का है; और

(ङ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) को पूरा करने के बाद एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लिए सरकार द्वारा इस तरह के उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) एअर इंडिया ने राजस्व में सुधार लाने और प्रचालन दरों को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। जिनमें (i) घाटा हो रहे मार्गों से क्षमताओं का हटाना और उन्हें अधिक मुनाफे वाले मार्गों पर पुन: लगाना; (ii) पायलेट उपलब्धता के कारण बेड़ों की उपयोगिता बढ़ाना; (iii) क्षमता बढ़ाने के लिए विमानों को ड्राइलीज पर देना; (iv) उड़ानगत सेवाओं में सुधार लाना; (v) यात्रियों को नेटवर्क द्वारा ऑन-लाइन बुकिंग कराने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनवरी, 2002 से प्रभावी ई-मार्केटिंग को प्रारंभ करना; (vi) भारत तथा विदेशों में स्टॉफ क्षमता को घटाना; (vii) विदेश स्थित विविध विभागों में भारतीय अधिकारियों के विभिन्न पदों को खत्म करना सम्मिलित है।

इंडियन एयरलाइंस ने राजस्व में सुधार लाने और प्रचालन दरों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :– (i) संवदेनशील क्षेत्रों जैसे प्रचालन और इंजीनियरिंग के अतिरिक्त बाहर से सीधी भर्ती पर रोक लगाना; (ii) बाजार की आवश्यकताओं के आधार पर मार्गों का पुनर्गठन और विमानों का डिप्लयमैंट करना; (iii) बाजार प्रभावित फ्लैक्सी फेयर पॉलिसी प्रारंभ करना; (iv) बाजार नीतियों को प्रेरित करना; (v) अधिक आयु वाले विमानों को बदलने के लिए लीजद्य पर विमानों को प्राप्त करना/क्षमताक में वृद्धि करना; (vi) उत्पादन/यात्री सेवाओं की क्षमता में सुधार लाना और (vii) लागत नियंत्रण और अर्थव्यवस्था मानदण्ड।

[हिन्दी]

पर्यटन का विकास

5271. श्री वाई०जी० महाजन :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नौवीं योजना की तुलना में पर्यटन उद्योग को और धनराशि आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृत मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 595 करोड़ रुपए के वास्तविक आवंटन की तुलना में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए पर्यटन विभाग, भारत सरकार को 2900 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय अनुमोदित किया है।

[अनुवाद]

बछावत वेतन बोर्ड

5272. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इस बात की जानकारी है कि देश में 1714 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में से 1043 प्रतिष्ठानों ने बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशें लागू नहीं की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में स्थित 1714 समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में से 1043 ने पिछले वेतन बोर्ड अर्थात् बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन नहीं किया। कार्यान्वयन में धीमी प्रगति की वजह वित्तीय कठिनाइयां, ठेकागत नियोजन, छेटी इकाइयां आदि रहीं। इसके साथ ही, नए वेतन बोर्ड अर्थात् मणिसाना वेतन बोर्ड के पंचाट को दिनांक 5.12.2000 और 15.12.000 के आदेशों द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है।

वेतन बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अतएव सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से मणिसाना वेतन बोर्ड के पंचाट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने हेतु कहा गया है। उन्हें खासतौर पर सलाह दी गई है कि वेतन बोर्डों की सिफारिशों के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य-स्तरीय त्रिपक्षीय समितियां/कार्यान्वयन सेल गठित करें। मंत्रालय ने एक मानिटरिंग समिति का भी गठन किया है जो कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करती है और उसे सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से मामले को उठाती है।

इंडियन एअरलाइन्स का किराया

5273. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एअरलाइंस ने अभी-अभी समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान 950.65 करोड़ रुपये के नुकसान के बावजूद यात्री किराया में वृद्धि न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंडियन एअरलाइंस 19,000 रुपए प्रति कि०लि० की दर से एविएशन टरबाइन फ्यूल खरीद रही है जो 9,200 रुपये प्रति कि०लि० के अंतरराष्ट्रीय मूल्य से कहीं अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने सरकार के अनुमोदन से दिनांक 25 मई, 2001 से प्रभावी फ्लेक्सीबल फेयर पोलिसी अपनाई है। फ्लेक्सीबल फेयर पोलिसी इंडियन एयरलाइंस को मार्केट आकार, शेयर प्राइस सेंसीविटी तथा अन्य मार्केट फेक्टर्स समेत विभिन्न फेक्टरों पर आधारित सेक्टर-टू-सेक्टर तथा सीजन-टू-सीजन के अनुसार किराये में बढ़ोतरी या कटौती कर सकती है। फ्लेक्सीफेयर पोलिसी से किराये को लागत आधारित की तुलना में मार्केट आधारित बनाने का प्रयास किया गया है।

2001-2002 के संशोधित अनुमानों के अनुसार इंडियन एयरलाइंस का घाटा 250.65 करोड़ है।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान रु० 9200/- कि०लि० के औसत अंतरराष्ट्रीय प्राइस की तुलना इंडियन एयरलाइंस द्वारा ए०टी०एफ० भी खरीद पर औसत प्राइस रु० 18500/- कि०लि० की दर से भुगतान किया गया। यह मुख्य रूप से अत्यधिक बेसिक प्राइस तथा 25 प्रतिशत के औसतन उच्च दर से राज्यों द्वारा बिक्रीकर की लेवी के कारण से है। ए०टी०एफ० पर लगे बिक्री कर को तार्किक बनाने के लिए इंडियन एयरलाइंस ने ए०टी०एफ० को सैंट्रल सेल्स टेक्स में *घोषित सामान* की श्रेणी में रखने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। ताकि बिक्रीकर अधिकतम दर 4 प्रतिशत पर रोका जा सके। यह मामला सरकार के समक्ष सक्रिय रूप से विचारधीन है।

[हिन्दी]

खान सर्वेक्षण कराने के लिए उड़ान नियमों में संशोधन

5274. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान क्षेत्र में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों द्वारा हवाई सर्वेक्षण कराने के लिए उड़ान नियमों में संशोधन करने के लिए कोई आश्वासन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) अनुसंधान कार्य हेतु भारत में और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पायलटों के लिए ऊंचाई की क्या सीमा निर्धारित की गयी है;

(घ) क्या इस संबंध में नागर विमानन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त कर ली गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, नहीं। नागर विमानन महानिदेशालय (डी०जी०सी० ए०) ने सूचित किया है कि सुरक्षा की दृष्टि से इन नियमों को संशोधित करना वांछनीय नहीं है।

(ग) से (च) डी०जी०सी०ए० ने सूचित किया है कि अन्य देशों के भांति, भारत में ये नियम आबादीवाले क्षेत्रों पर 300 मीटर तथा जल पर और आबादीरहित क्षेत्रों पर 150 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई का प्रावधान करते हैं। अतिरिक्त सुरक्षा शर्तें निर्धारित करके इससे कम ऊंचाइयों पर उड़ान भरने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रक्रियाएं हैं।

[अनुवाद]

वी०टी० कपास के निर्माताओं के लिए डी०एन०ए० की जानकारी

5275. श्री जे०एस० बराड़ : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बी०टी० कपास उत्पादकों के लिए डी०एन०ए० संबंधी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों ने सरकार को यह चेतावनी दी है कि इन शर्तों में से किसी भी शर्त से स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी समस्या हल नहीं होगी;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि छेटे किसान सरलतापूर्वक शर्तें पूरी कर सकें ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) बी०टी० कपास सहित कृषि ट्रांसजीनिक फसल/किस्म हेतु पर्यावरणीय मंजूरी चाहने वाले आवेदकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत नियमों के अधीन डी०एन०ए० सूचनाएं प्रस्तुत करें।

(ग) और (घ) बी०टी० कपास से संबंधित स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी मामले पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जैनेटिक इंजीनियरिंग एप्रुवल कमेटी द्वारा व्यापक विचार-विमर्श किया गया। जी०ई०ए०सी० का विचार है कि बी०टी० कपास से स्वास्थ्य, संबंधी कोई खतरा नहीं है।

(ङ) बी०टी० कपास के बीज के पैकेटों पर बोने का तरीका, कृषि प्रबंधन, कृषि जलवायु की उपयुक्तता आदि सहित उपयोग के लिए छेटे किसानों सहित सभी किसानों के लाभार्थ विस्तृत वर्णन देशी भाषा में होना जरूरी है।

खतरनाक रासायनिक तत्वों के कारण होने वाली दुर्घटनाएं

5276. **श्री रामदास आठवले** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में खतरनाक रासायनिक तत्वों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक प्रभावी नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय, मुंबई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान परिसंकटमय रासायनिक पदार्थों के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार है :—

प्रकार	1998		1999		2000	
	घातक	अघातक	घातक	अघातक	घातक	अघातक
विस्फोट	16	86	10	22	22	68
आग	12	76	11	63	11	26
विषैली गैस का रिसाव	3	16	3	64	7	20

(ग) से (ङ) दुर्घटनाओं की रोकथाम और दुर्घटनाओं से होने वाली हानि को कम करने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियमावली 1989 और रासायनिक दुर्घटनाएं (आपातकालीन योजना, तैयारी एवं प्रतिक्रिया) नियमावली 1996 अधिसूचित की हैं। अन्य बातों के साथ-साथ नियमों में स्थल आपातकालीन योजना, मोक ड्रिल करना और आवधिक सुरक्षा आडिट की व्यवस्था है। राज्य फैक्ट्री निरीक्षणालय द्वारा इनके अनुपालन की मानीटरिंग की जाती है।

[हिन्दी]

भगवान बुद्ध का अस्थि कलश

5277. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के वैशाली में वर्ष 1958 में कराये गये उत्खनन के पश्चात् पाये गये भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि कलश को अब पटना के संग्रहालय में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1984 में पर्यटन मंत्रालय के तत्कालीन महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कृतिक बल गठित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त कृतिक बल ने भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को स्तूप के रूप में प्रतिष्ठित करने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त कृतिक बल ने यह सुझाव दिया है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि कलश को प्रतिष्ठित करने का संपूर्ण व्यय केन्द्र सरकार वहन करें;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को प्रतिष्ठित करने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने एक कृतिक बल का गठन किया था जिसके संयोजक अपर महानिदेशक (पर्यटन) थे।

(ग) से (ङ) इस कृतिक बल ने 1986 की अपनी रिपोर्ट में, अस्थिकलश को प्रतिष्ठित करने के लिए वैशाली में एक नए स्तूप का निर्माण करने की सिफारिश की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस प्रयोजन के लिए, प्राचीन स्थल पर नए स्तूप के निर्माण के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था क्योंकि यह स्थापित पुरातत्वीय मानदण्डों के विपरीत था।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटन विकास के लिए गुजरात को सहायता

5278. **श्री प्रकाश वी० पाटील :**
श्री दिन्शा पटेल :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने राज्यों में पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय सहायता की मांग करने वाले प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों को कितना धन आवंटित किया गया है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्येक वर्ष उनके साथ परामर्श करके अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2002-03 के लिए परियोजनाओं को अभी अभिनिर्धारित किया जाना है।

(ख) पर्यटन विभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों सहित देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए 225.50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान राज्यवार स्वीकृत/अवमुक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य	1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं०	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं०	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं०	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	14	242.22	124.43	7	180.00	129.60	6	167.85	67.71
2.	असम	17	357.35	92.76	12	298.35	125.02	—	—	—
3.	अरूणाचल प्रदेश	11	239.28	102.18	6	49.78	17.50	14	224.90	104.40
4.	बिहार	7	150.75	49.01	13	224.48	98.22	1	1.35	1.35
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	3	115.28	36.75	2	30.00	15.00
6.	गोवा	11	279.82	70.08	9	89.54	27.91	9	93.73	49.85
7.	गुजरात	23	407.64	136.42	19	510.85	152.86	11	315.50	100.30
8.	हरियाणा	9	238.33	155.94	6	112.63	46.86	7	125.44	40.02
9.	हिमाचल प्रदेश	17	691.79	437.75	19	397.29	200.79	12	157.64	63.83
10.	जम्मू एवं कश्मीर	16	311.43	226.03	11	470.93	247.15	3	65.50	55.95
11.	झारखण्ड	—	—	—	6	206.49	61.92	2	80.00	0.50
12.	कर्नाटक	38	890.70	459.67	19	489.30	248.41	8	206.26	71.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	केरल	19	772.28	289.56	7	407.85	122.65	10	841.87	239.52
14.	मध्य प्रदेश	16	431.08	174.04	12	243.21	78.22	11	256.37	94.54
5.	महाराष्ट्र	30	1003.69	260.21	10	270.81	142.01	13	1098.21	284.51
16.	मणिपुर	10	229.00	70.10	18	782.77	235.42	—	—	—
17.	मेघालय	6	80.72	20.26	5	105.59	36.10	—	—	—
18.	मिजोरम	13	297.23	235.08	13	309.19	208.66	6	75.25	41.77
19.	नागालैण्ड	16	303.30	229.65	7	145.03	42.84	5	41.54	20.20
20.	उड़ीसा	20	306.90	90.92	4	156.94	47.07	4	38.05	27.12
21.	पंजाब	8	175.00	55.63	6	203.50	61.33	3	17.50	12.34
22.	राजस्थान	12	131.22	36.59	22	455.00	143.47	2	5.00	2.50
23.	सिक्किम	12	118.98	48.57	33	376.49	172.32	—	—	—
24.	तमिलनाडु	27	531.95	168.07	8	113.83	37.30	17	542.83	128.77
25.	त्रिपुरा	7	340.76	187.80	13	333.23	151.55	—	—	—
26.	उत्तरांचल	—	—	—	7	70.19	29.78	3	65.51	32.04
27.	उत्तर प्रदेश	36	749.58	242.56	17	154.21	62.54	5	56.54	24.87
28.	पश्चिम बंगाल	6	194.01	76.56	20	412.68	268.14	11	229.85	88.63
29.	अण्डमान एवं निकोबार	1	32.37	16.18	1	1.78	0.89	—	—	—
30.	चण्डीगढ़	4	68.44	15.37	5	22.13	8.50	5	22.13	8.50
31.	दादरा नगर हवेली	1	30.00	9.00	1	8.00	2.40	—	—	—
32.	दिल्ली	5	24.50	12.20	1	16.28	8.57	7	58.96	39.50
33.	दमन एवं द्वीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	पांडचेरी	10	163.89	56.24	3	26.18	9.09	3	78.61	31.98
	जोड़	422	9794.21	4148.86	343	7859.81	3256.84	180	4896.39	1646.70

मेसो इस्पात संयंत्र को बंद किया जाना

5279. श्री अनन्त नायक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के जजपुर जिले में मेसो (एम०ई०एस०ओ०) इस्पात संयंत्र बंद किये जाने के कारण कितने मजदूर प्रभावित हुए हैं; और

(ख) उन्हें वैकल्पिक रोजगार अथवा मुआवजा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एम०एस०पी० की गणना के लिए विधि

5280. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि वस्तुओं के एम०एस०पी० की गणना करने के लिए कोई विधि विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि वस्तुओं के एम०एस०पी० की गणना करने की मौजूदा प्रणाली को अप्रभावी पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कृषि वस्तुओं के एम०एस०पी० की गणना करने की विधि का उन्नयन करने से आम किसानों को किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) की गणना की विधि की आवधिक समीक्षा की जाती है और इनमें बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं। इस संदर्भ में, प्रमुख फसलों के उत्पादन की लागत आकलन के संबंध में हाल में हुई एक राष्ट्रीय कार्यशाला में विचार किया गया तथा वर्तमान प्रणाली में प्रभावी सुधारों के सुझावों पर चर्चा की गई। सरकार की नजर में किसानों के हित हमेशा सर्वोपरि रहे हैं और जब भी जरूरी होती है, उनके हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए नीतिगत उपाय किए जाते हैं।

ओलिव रिडले कछुओं को खतरा

5281. डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित झींगा मछली पालन केन्द्रों और रासायनिक कारखाने ओलिव रिडले कछुओं के लिए एक खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) आंध्र प्रदेश के मुख्य वन्यजीव संरक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, झींगा मछली पालन केन्द्रों तथा रासायनिक कारखानों से आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्र में ओलिव रिडले कछुओं की संख्या को कोई विशेष खतरा नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रवासी मजदूरों के लिए योजना

5282. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों से रोजगार की खोज में कुशल और अकुशल श्रमिक बड़े पैमाने पर महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन श्रमिकों को राज्यों के भीतर लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है ताकि उनका प्रवास रोका जा सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार लगभग 22.6 करोड़ व्यक्तियों ने देश के भीतर अपना निवास स्थान परिवर्तित किया जिनमें से 1.7 करोड़ या 8.8 प्रतिशत व्यक्तियों ने रोजगार के लिए महानगरों सहित अन्य स्थलों को उत्प्रवास किया है। कुशल और अकुशल श्रमिकों के उत्प्रवास संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों के लिए लाभदायक रोजगार मुहैया कराने हेतु अनेक रोजगारोन्मुख स्कीमें और कार्यक्रम चला रही है। इनमें से कुछ स्कीमें/कार्यक्रम रोजगार आश्वासन स्कीम, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आदि हैं।

अल्प प्रयुक्त फलों का विकास

5283. श्री एन०टी० षणमुगम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मूल्य संवर्द्धित उत्पादों का विकास देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा;

(ख) ऐसे फलों की खेती का ब्यौरा क्या है और इनकी उपलब्धता कितनी है;

(ग) क्या इन फलों को इनके स्वास्थ्यकारी, औषधीय और पोषक गुणों के लिए जाना जाता है;

(घ) यदि हां, तो इन फलों के विकास के लिए कितनी सहायता प्रदान की गयी है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने इस उद्देश्य के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को ज्ञात है कि देश में छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए फलों सहित बागवानी उत्पादों में मूल्यवर्धन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

(ग) से (च) जी, हां। लगभग सभी फल, अपने पौष्टिक, औषधीय तथा उपचारात्मक गुणों के लिए जाने जाते हैं। सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम – "कृषि का वृहद प्रबंध-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता" के अन्तर्गत सभी प्रकार के फलों के विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के आधार पर अपने कार्यक्रमों को प्राथमिकता क्रम दे सकती हैं। तदनुसार अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी कार्य योजनाओं में फलों के विकास से संबंधित कार्यक्रम शामिल किए हैं, जिनके आधार पर उन्हें धनराशि जारी की गई है।

विवरण

क्षेत्र : '000 हैक्टेयर

उत्पादन : '000 मीटरी टन

फल का नाम	क्षेत्र	उत्पादन
सेब	238.3	1047.4
केला	490.7	16613.5
नींबू कुल	526.9	4650.0
अंगूर	44.3	1137.8
अमरूद	150.9	1710.5
लीची	56.4	433.2
आम	1486.9	10503.5
पपीता	60.5	1666.2
अनन्नास	75.5	1025.4
सपोटा	64.4	800.3
अन्य	601.9	5707.6
कुल	3796.8	45496.0

खानों को पट्टे पर देने के लिए नियमों और विनियमों में परिवर्तन

5284. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खानों को पट्टे पर देने के लिए नियमों और विनियमों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे देश में खनन क्षेत्र के विकास के लिए किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) खनिज रियायत नियमावली, 1960 (एम०सी०आर०) जो खनन पट्टा प्रदान करने के लिए नियम तथा विनियमन निर्धारित करते हैं, को हाल ही में दिनांक 11.1.2002 की अधिसूचना के द्वारा संशोधित किया गया है। इस अधिसूचना की एक प्रति दिनांक 7.3.2002 को सभा पटल पर रखी गई है। ये उपबंध अन्य बातों के साथ खनन पट्टे के आवेदन पत्र पर निर्णय सूचित करने के लिए 12 महीने की समय-सीमा निर्धारित करते हैं और विलंब होने पर राज्य सरकार को कारण लिखित में रिकार्ड करने होते हैं। अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई खनन योजनाओं पर निर्णय सूचित करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो और राज्य सरकारों के लिए 90 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। नियमों के अधीन विभिन्न आवेदन पत्रों की शुल्क संरचना को भी आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग लागत के अनुसार संशोधित किया गया है।

खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 (एम०सी०डी० आर०) जो व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन के लिए शर्तें निधर्रित करती है, को भी हाल ही में दिनांक 11.1.2002 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है। इस अधिसूचना की एक प्रति दिनांक 7.3.2002 को सभा पटल पर रखी गई है। इन संशोधनों में अन्य बातों अन्य बातों के साथ-साथ एम०सी०डी०आर० के उपबंधों के उल्लंघन के दंड प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है।

(ग) इन संशोधनों से प्रत्याशा की जाती है कि इनके परिणामस्वरूप एक पारदर्शी और स्पष्ट रूप से खनिज रियायतों के आवेदन-पत्रों का शीघ्रता से निपटान होगा जिससे भारतीय और विदेशी निजी निवेश और अधिक बढ़ेगा।

पर्यटन पर संगठित गिरोहों का प्रभाव

5285. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित गिरोहों से पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार पर्यटन उद्योग को ऐसे गिरोहों से बचाने के लिए कोई योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कौन-कौन से निवारक उपाय किये गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामान्यत: पर्यटकों को सुरक्षा एवं संरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित

क्षेत्रों से उपयुक्त विधान बनाने तथा पर्यटकों को सुरक्षा उपलब्ध कराने और उनकी सहायतार्थ विशेष पर्यटक सहायता बल या पर्यटक पुलिस तैनात करने के लिए कहा है। गोवा, केरल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों ने पहले ही पर्यटक पुलिस का गठन कर लिया है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पर्यटकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों हेतु एक शिकायत प्रकोष्ठ गठित किया है तथा शिकायतों के निवारण की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।

वन्यजीवों का गैर-कानूनी व्यापर

5286. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 मार्च, 2002 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में ''ई-ऑक्शन ऑफ टाइगर स्किन रेजेज ऐ स्टिन्क'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में की गई जांचों के परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मेरठ शहर के दीपक चन्द्र नामक व्यक्ति ने सबसे बड़ी बाघ की खाल अपने पास होने का दावा करते हुए गिन्नीज़ बुक आफ रिकार्डस के लिए नवम्बर, 2001 में बाज़ी डॉट-कॉम पर बाघ की एक ट्राफी को सूचीबद्ध किया था। क्षेत्रीय उपनिदेशक, वन्यजीव अनुरक्षण, नई दिल्ली ने 8.3.2002 को श्री चन्द्र के घर के परिसर में छापा मारा और वहां पर दीवार पर लटकी हुई सबसे बड़ी बाघ की खाल को पाया। जांच करने पर यह पता चला कि श्री चन्द्र के पास मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र था। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार, कोई व्यक्ति जिसके पास वन्यजीव से संबंधित कोई वस्तु है और उस वस्तु का स्वामित्व प्रमाण पत्र में उचित रूप से उल्लेख है तो वह ऐसी वस्तु को बेच सकता है अथवा बिक्री हेतु ऑफर कर सकता है। इस तरह, श्री चन्द्र वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का उल्लंघन करने के दोषी नहीं हैं।

[हिन्दी]

पौधों में विषाणुजनित रोग

5287. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पौधों में विषाणुजनित रोगों से निपटने और कृषि के लाभ के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कोई एजेंसी गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) बागवानी और पुष्प कृषि के लिए कृषि आदानों की वर्षवार अनुमानित मांग कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा पादप-ऊतक सवंर्धन के वाणिज्याकरण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कृषक समुदाय के लाभार्थ विषाणु रहित एवं उच्च गुणवत्ता वाले परीक्षित उत्तक संवर्धन पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तक संवर्धन पद्धति द्वारा उत्पादित रोपण सामग्री के लिए विषाणु निदान तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय सूचना सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। इसका मुख्य केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा पांच उप केन्द्र हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे, टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली एवं सदर्न पेट्रो एंड इण्डस्ट्रियल केमिकल्स साइन्स फाऊण्डेशन, चेन्नै में स्थित है।

(ग) कृषि, बागवानी तथा पुष्पकृषि के क्षेत्र में उत्तक संवर्धन एक विकासशील प्रौद्योगिकी है। इसकी अनुमानित मांग बढ़ते रहने की संभावना है।

(घ) जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पौध उतक संवर्धन के वाणिज्यिकरण को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। दो माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए हैं जो शिक्षाविदों एवं उद्योग के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी पार्क उद्योगों को सिद्ध प्रौद्योगिकी अन्तरण हेतु एक प्रभावी माध्मय के रूप में कार्य करते हैं तथा ''टर्न की'' आधार पर यूनिटों की स्थापना हेतु परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण इस गति-विधि का एक महत्वपूर्ण घटक है। विषाणु निदान एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय सूचना सुविधा का उद्देश्य उत्पादित रोपण सामग्री के प्रमाणीकरण के माध्यम से उद्योगों को लाभ पहुंचाना है।

[अनुवाद]

अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा और उनका मूल्यांकन

5288. श्री रामजी मांझी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई०ए०आर० आई०) के निदेशक ने वर्ष 1995-2001 के दौरान हुई एस०आर०सी० की बैठकों में अनुसंधान परियोजनाओं की मंजूरी, समीक्षा और मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गयी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं;

(ग) क्या वर्ष 1995-96 से 2000-2001 के दौरान एस०आर० सी०की बैठक केवल तीन बार हुई जबकि इसकी बैठक 12 बार होनी चाहिए थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक ने अनुसंधान परियोजनाओं की मंजूरी, समीक्षा तथा मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है। निदेशक, कर्मचारी अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं तथा सभी परियोजना निदेशक, प्रभागाध्यक्ष एवं परियोजना समन्वयक, कर्मचारी अनुसंधान परिषद के सदस्य होते हैं। परियोजनाओं को प्रभागीय बजट तथा अनुसंधान समिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किया जाता है तथा उसके बाद कर्मचारी अनुसंधान परिषद के द्वारा इसे मंजूरी दी जाती है।

(ग) और (घ) जी नहीं। वर्ष 1995-96 से 2000-2001 के दौरान कर्मचारी अनुसंधान परिषद की 20 बैठकें हुईं।

[हिन्दी]

एअर इंडिया द्वारा ईंधन पर व्यय

5289. श्री राजो सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने चालू वित्त वर्ष के दौरान ईंधन पर अनुमानित धनराशि की तुलना में अधिक धनराशि खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित धनराशि की तुलना में ईंधन पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) इस अतिरिक्त व्यय के क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए ईंधन पर बजटीय व्यय 1062 करोड़ रुपये हुआ जबकि उक्त वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित व्यय 892 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गुजरात में विरासती सम्पत्तियों का विकास

5290. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विरासती सम्पत्तियां सबसे अधिक होने के बावजूद राज्य में विरासती पर्यटन का विकास नहीं किया गया है/उसे प्रोत्साहित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विरासती पर्यटन का विकास करने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार की व्यक्तिगत निजी हेरिटेज परिसम्पत्तियों के विकास की अलग से कोई योजना नहीं है। तथापि, गुजरात सहित सभी राज्यों में हेरिटेज पर्यटन सहित पर्यटन का विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों के साथ परामर्श करके अभिनिर्धारित पर्यटक गंतव्य स्थलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

प्रकाशनों पर व्यय

5291. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और उससे संबद्ध कार्यालयों द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में कितनी पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं;

(ख) प्रत्येक वर्ष इसमें से प्रत्येक प्रकाशन पर कितना धन व्यय किया जाता है; और

(ग) मंहगे और नियमित रूप से न होने वाले प्रकाशनों को बंद करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से निम्नलिखित रिपोर्टें प्रकाशित की जाती है।

जल संसाधन मंत्रालय (खास)

1. वार्षिक रिपोर्ट

केन्द्रीय जल आयोग (संबद्ध कार्यालय)

1. वार्षिक रिपोर्ट
2. भगीरथ

केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला केन्द्र (संबद्ध कार्यालय)

1. वार्षिक रिपोर्ट
2. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र समाचार पत्रिका

(ख) जिस अवधि के लिए सूचना उपलब्ध करानी है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, विगत पांच वर्षों की सूचना दी जाती है जो इस प्रकार है :—

जल संसाधन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष	व्यय की गई राशि
1997-98	3,37,300/= रुपया
1998-99	3,49,200/= रुपया
1999-2000	3,95,000/= रुपया
2000-2001	6,26,000/= रुपया
2001-2002	6,06,986/= (प्रत्याशित)
केन्द्रीय जल आयोग	
वार्षिक रिपोर्ट	
1997-98	1,57,000/= रुपया
1998-99	1,61,000/= रुपया
1999-2000	1,64,000/= रुपया
2000-2001	1,67,000/= रुपया
2001-2002	1,76,000/= रुपया
भगीरथ (तिमाही)	
1997-98	5,87,000/= रुपया
1998-99	7,57,000/= रुपया
1999-2000	11,36,000/= रुपया
2000-2001	8,51,000/= रुपया
2001-2002	3,58,000/= रुपया
केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र	
वार्षिक रिपोर्ट	
1997-98	33,100/= रुपया
1998-99	28,966/= रुपया
1999-2000	20,907/= रुपया
2000-2001	रिपोर्ट प्रकाशनाधीन है।
2001-2002	रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
सी०एस०एम०आर०एस० समाचार पत्रिका	
1997-98	30,130/= रुपया
1998-99	कुछ भी व्यय नहीं हुआ क्योंकि कार्यालय में विद्यमान सुविधाओं का उपयोग करते हुए इन्हें प्रकाशित किया गया है।
1999-2000	
2000-2001	
2001-2002	

(ग) चूंकि प्रकाशित की जा रही पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा ये न केवल तकनीकी संगठनों/कार्मिकों के लिए ही उपयोगी हैं बल्कि आम लोगों के लिए भी उपयोगी है।

[अनुवाद]

नबकाजोरा कोयला खान

5292. श्री विकास चौधरी : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) ने दिसम्बर, 2001 के अंतिम सप्ताह में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई०सी० एल०) के कजोरा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली नबकाजोरा कोयला खान के कार्यालय पर छापा मारा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने अधिकारी दोषी पाये गये;

(घ) क्या तथाकथित रैकेट में दोषी पाये गये अधिकारियों में से एक अधिकारी की पदोन्नति कर दी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

आपदा राहत निधि का उपयोग

5293. श्री रघुनाथ झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 1999 की अपनी रिपोर्ट सं० 3 (सिविल) में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि राज्य सरकारों द्वारा 519.59 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग राहत-उपायों के लिए न करके अन्य गतिविधियों के लिए किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि राज्य सरकारों को आपदा राहत के लिए राज्य प्रदत्त धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जाये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने आपदा

राहत कोष तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से विभिन्न राज्यों द्वारा असंगत और अमान्य खर्च की घटनाओं का उल्लेख किया था। इन कार्यवाहियों को उन पर लोक लेखा समिति की उनकी 28वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों सहित राज्य सरकारों के नोटिस में लाया गया है, इन निर्देशों के साथ कि इस प्रकार की प्रत्येक घटना की जांच की जाए और उपचारात्मक कार्रवाई सहित इन कमियों के लिए विशेष जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।

आपदा राहत निधि और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अन्तर्गत धनराशि का निर्गम

5294. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपदा राहत निधि (सी०आर०एफ०) और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन०एफ०सी०आर०) की स्थापना क्रमश: नौवें और दसवें वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार की गई थी और आपदा राहत निधि में त्रैमासिक रूप से केन्द्र का अंशदान स्वत: ही जारी किया जाता था;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थाओं के स्थापनाकाल से आज तक इनके अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई और उसमें से कितनी राशि का व्यय हुआ;

(ग) क्या लेखा-परीक्षण से यह बात उजागर हुई है कि 1992 से 1998 की अवधि में अधिकांश राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत प्राप्त राशि को अपनी सामान्य राजस्व राशि से सुपृथक रखने की नियमबद्धता का पालन करने में विफल रहे और परिणामत: करोड़ों रुपये की आपदा राहत राशि को उनेक राज्यों ने राज्य प्राप्तियों के रूप में दर्शाया; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं कि राज्य सरकारें समकालिक रूप से राहत राशि के समतुल्य अनुदान जारी करें और इस धनराशि को उचित मद में दर्शायें ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। नवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आपदा राहत कोष (सी०आर०एफ०) का गठन 1990-91 से 1994-95 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए किया गया था और दसवें वित्त आयोग (टी०एफ०सी०) की सिफारिशों पर 1995-96 से 1999-2000 तक जारी रहा तथा इसमें भारत सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 3:1 के अनुपात में अंशदान दिया गया। केन्द्रीय अंश सामान्यत: चार त्रैमासिक किश्तों में निर्मुक्त किया गया। इसके अलावा, विरल गंभीरता वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर 1995-96 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन०एफ०सी०आर०) का गठन किया गया। वर्ष 1990-91 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश तथा 1995-96 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए एन०एफ०सी०आर० से सहायता की निर्मुक्ति का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने आपदा राहत कोष (सी०आर०एफ०) तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन०एफ०सी०आर०) से किए गए आबंटनों में से विभिन्न राज्यों द्वारा अनुपयुक्त एवं अमान्य व्यय के उदाहरण प्रस्तुत किए थे। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी 28वीं रिपोर्ट में इन निष्कर्षों तथा इन पर की गई सिफारिशों को राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि इस स्वरूप के प्रत्येक उदाहरण की जांच की जाए और उपचारात्मक कार्यवाही सहित मालूम की गई गलतियों के लिए विशिष्ट जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। सी०आर०एफ० में राज्य के अंश को समय पर देना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होगी। धनराशि से समुचित उपयोग के बारे में समय-समय पर राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

विवरण

1990-91 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश तथा 1995-96 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता की निर्मुक्ति का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	निर्मुक्त किया गया सी० आर०एफ० का केन्द्रीय अंश		एन०एफ०सी० आर० से निर्मुक्त सहायता
		1990-1991 से 1994-1995	1995-1996 से 1999-2000	1995-1996 से 1999 2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	322.50	490.33	306.86
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.50	27.79	26.47
3.	असम	122.50	197.46	80.90
4.	बिहार	131.25	193.88	87.63
5.	गोवा	3.75	4.23	—
6.	गुजरात	318.75	551.17	196.83
7.	हरियाणा	63.75	98.93	52.68
8.	हिमाचल प्रदेश	67.50	106.41	47.85
9.	जम्मू व कश्मीर	45.00	77.80	91.59
10.	कर्नाटक	101.25	165.23	89.07
11.	केरल	116.25	218.74	12.91

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	138.75	201.67	141.62
13.	महाराष्ट्र	165.00	254.50	—
14.	मणिपुर	3.75	9.25	4.93
15.	मेघालय	7.50	11.01	10.00
16.	मिजोरम	3.75	5.00	10.71
17.	नागालैण्ड	3.75	6.71	—
18.	उड़ीसा	176.25	193.51	912.90
19.	पंजाब	105.00	213.80	16.16
20.	राजस्थान	465.00	706.89	145.91
21.	सिक्किम	11.25	18.59	20.19
22.	तमिलनाडु	146.25	234.33	25.00
23.	त्रिपुरा	11.25	17.75	10.39
24.	उत्तर प्रदेश	337.50	494.00	147.83
25.	पश्चिम बंगाल	150.00	202.63	116.85
	कुल	3015.00	4701.61	2555.28

विदेशी एयरलाइनों के साथ द्विपक्षीय समझौता

5295. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या नागर विमानन **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 17 मार्च, 2002 के *दि हिन्दुस्तान टाइम्स* में *क्रूइज कंट्रोल गवर्नमेंट रिस्ट्रेक्सन्स मेड फोरेन एयरलाइन्स थिंक टवाइस बिफोर सेटिंग अप शाप इन इंडिया* शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों ने विदेशी एअरलाइनों को भारत से बाहर विकल्प चुनने के लिए बाध्य कर दिया है;

(ख) क्या भारत ने पूरे विश्व के 96 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या 96 में से 46 एअरलाइनों ने भारत के बाहर परिचालन करने का विकल्प चुना है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भारत से परिचालन के लिए विदेशी एयरलाइनों को आकर्षित करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं। सरकार ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है जिसमें विदेशी एयरलाइनों को भारत से बाहर विकल्प चुनने के लिये बाध्य किया गया हो। द्विपक्षीय विमान सेवा करारों को पारस्परिकता के सिद्धांत तथा दोनों पक्षों के लाभों की समानता के आधार पर किया जाता है। इसे प्राप्त करने की दृष्टि से एयरलाइनें कभी-कभी वाणिज्यिक प्रबंध करती हैं जिससे प्रचालनों तथा लाभों में आए असंतुलनों की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(ख) से (ङ) भारत ने अब तक 97 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा करार किए हैं। इस समय कुल 50 विदेशी एयरलाइनें भारत के लिए/से अनुसूचित अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं का प्रचालन कर रही हैं। यद्यपि इन करारों के अधीन, भारत के लिए/से अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के प्रचालन के लिए विदेशी एयरलाइनों के यातायात अधिकार स्वीकृत किए गए हैं, तथापि, वास्तविक प्रचालनों का निर्णय संबंधित एयर-लाइनों द्वारा उनके वाणिज्यिक विवेक तथा विभिन्न मार्गों पर तुलनीय उपलब्धियों के आधार पर लिया जाता है।

प्याज का उत्पादन

5296. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में, कृषकों के समक्ष प्याज की अत्यधिक पैदावार की समस्या उठ खड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कृषकों को समुचित मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्ष 2001-02 के दौरान देश में प्याज का उत्पादन 54.84 लाख मी० टन होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2000-01 में 52.32 लाख मी० टन और वर्ष 1999-2000 में 48.99 लाख मी० टन० प्याज का उत्पादन हुआ था। महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2001-02 के दौरान 14.16 लाख मी०टन प्याज का उत्पादन होने का अनुमान है जो पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन अर्थात 12.72 लाख मी० टन से कुछ अधिक है।

(ग) भारत सरकार ने लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने में किसानों के हित की रक्षा के लिए पिछले वर्ष के 5 लाख मी० टन की तुलना में इस वर्ष निर्यात के लिए प्याज के आबंटन को बढ़ाकर 7 लाख मी० टन कर दिया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र सहित देश में प्याज के भण्डारण सुविधाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान द्वारा भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। भारत सरकार ऐसी स्थिति में जब पिछले वर्ष के सामान्य उत्पादन से उत्पादन में कम से कम 10% की वृद्धि हो अथवा पिछले सामान्य मौसम की दरों से मण्डी मूल्यों में कम से कम 10% की कमी आए तो राज्य सरकार के अनुरोध पर मण्डी हस्तक्षेप स्कीम भी चलाती है।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में संशोधन

5297. **श्री वाई०वी० राव :**
श्री ए० नरेन्द्र :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि-दर को संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें कमी का सभी क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों को संबंधित अभिकरणों द्वारा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर संकलित करता है और इनको अलग-अलग समय पर जारी करता है।

वर्ष 2000-01 के लिए जनवरी, 2002 में जारी त्वरित अनुमानों में स्थिर (1993-94) मूल्यों पर कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को इसी वर्ष के लिए जून, 2001 में जारी सकल घरेलू उत्पाद में 5.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में संशोधित करके 4.0 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2000-01 के लिए समग्र सकल घरेलू उत्पाद दर में अधोगामी संशोधन मुख्यतया ''कृषि'' तथा बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि दरों के कारण हुआ है। वर्ष 2000-01 के लिए क्षेत्र और समग्र स्तर पर जून, 2001 तथा जनवरी, 2002 में जारी अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद तथा वृद्धि दर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विवरण : राष्ट्रीय आय, 2000-01 के संशोधित और त्वरित अनुमानों में जारी स्थिर (1993-94) मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान और क्षेत्रक वृद्धि दर

	जून, 2001 में जारी संशोधित अनुमान		जनवरी, 2002 में जारी त्वरित अनुमान	
	सकल घरेलू उत्पाद (करोड़ रु०)	वृद्धि (%)*	सकल घरेलू उत्पाद (करोड़ रु०)	वृद्धि (%)**
1. कृषि, वानिकी और मत्स्य	290895	0.2	289194	-0.2
2. खनन और उत्खनन	27432	3.7	27796	3.3
3. विनिर्माण	207750	5.6	205220	6.7
4. विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	29557	4.7	30406	6.2
5. निर्माण	61942	5.5	62801	6.8
6. व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	270208	6.9	266817	5.3
7. वित्त प्रबंध, बीमा, स्थावार सम्पदा और व्यवसाय सेवाएं	159919	9.1	150051	2.9
8. समुदाय, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	164043	7.8	161637	6.0
कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	1211747	5.2	1193922	4.0

*वर्ष 1999-2000 के लिए जनवरी, 2001 में जारी त्वरित अनुमानों की तुलना में वृद्धि दर।

**वर्ष 1999-2000 के लिए जनवरी, 2002 में जारी अनुमानों की तुलना में वृद्धि दर।

चरागाहों का विकास

5298. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में पशुओं के चरने की समस्या के बढ़ जाने के मद्देनजर, सरकार ने चरागाहों को हरित भूमि के रूप में विकसित करने के लिए कोई योजना प्रायोजित की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ग) हरित भूमि के विकास के लिए राज्यों ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारत सरकार नौवीं योजना के दौरान "आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता" नामक योजना चला रही थी जिसमें 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के आधार पर बायोमास उत्पादन के लिए सिल्वीपाश्चर प्रणाली की स्थापना और घास रिजर्व सहित चारागाह का विकास जैसे दो घटक पाश्चर भूमि और चारागाहों के विकास के लिए रखे गए थे। इन घटकों की क्रियान्वयन एजेंसियां राज्य पशुपालन और वन विभाग थे। दसवीं योजना के दौरान सामान्य सम्पदा संसाधनों का उन्नयन सहित आहार और चारा उत्पादन सवंर्धन नामक एक नई योजना को उपरोक्त योजना के स्थान पर प्रस्तावित किया गया है जिसे अभी तैयार करके अनुमोदित किया जाना है।

(ख) उपरोक्त उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों से योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और उनको जारी किए गए अनुदानों के धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के लिए अनुरोध किया जाता है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान पाश्चर भूमि/चारागाह विकास के लिए विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई

(लाख रुपए में)

राज्य	बायोमास उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिल्वीपाश्चर प्रणाली की स्थापना			घास रिजर्व सहित चारागाह का विकास		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002
मिजोरम	7.89 *					19.60
सिक्किम	6.00 *			5.60 *	28.00 *	14.00
जम्मू एवं कश्मीर	—			25.20 *		47.60
गुजरात				28.00		
उड़ीसा				56.00		
हिमाचल प्रदेश		3.00 *				
महाराष्ट्र					7.60	
अरूणाचल प्रदेश					7.00	
कर्नाटक		25.00			25.00	
नागालैंड					14.00 *	
त्रिपुरा						2.80
कुल	13.89	28.00	—	114.80	81.60	84.00

*धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिए गए हैं।

घरेलू विमान सेवाओं के लिए समान अवसर

5299. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू नागर विमानन क्षेत्र को अप्रचालन राजस्व को अन्य एयरलाईन्जो के साथ बाटंने के संबंध में समान अवसर प्रदान किये जाने की आवश्यकता है जैसा कि 14 मार्च, 2002 के दि हिन्दुस्तान टाइम्स में लेबल प्लेयिंग फील्ड क्रूशियल फॉर डोमोस्टिक एयरलाइंस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का घरेलू विमानन क्षेत्र में भी समान अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) अधिकांश वाणिज्यिक प्रबंधों का प्रारंभिक उद्देश्य प्रचालनों में असंतुलन जैसे एक पक्षीय प्रचालनों, अपने देश से परे स्थल से विदेशी एयरलाइंस द्वारा यातायात ले जाने के कारण होने वाला राजस्व घाटे से भारतीय वाहकों को क्षतिपूर्ति करना होता है।

क्योंकि एअर इंडिया, इंडिया की प्रारंभिक अंतरराष्ट्रीय वाहक है जो कि इंकार के प्रथम अधिकार का उपभोग कर रही है। ऐसे यातायात परिवर्तन द्वारा यह अत्यंत प्रभावित रही है तथा इसलिए अधिकांश मामलों में उनको अपेक्षित वाणिज्यिक अनुबंध करने के लिए मनोनीत किया गया। इंडियन एयरलाइंस को भी विदेशी एयरलाइंस के साथ वाणिज्यिक अनुबंध करने की अनुमति दी गई जहां पर विदेशी एयरलाइंस में प्रचालन के कारण वे आर्थिक रूप से प्रभावित हुई है।

एयर-कार्गो यातायात

5300. श्री ए० नरेन्द्र : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री नौवहन उद्योग के लगातार परिवर्धित होते जाने से एयर-कार्गो उद्योग के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही है;

(ख) यदि हां, तो एयर-कार्गो उद्योग को और अधिक आकर्षकत: एवं कार्यदक्ष बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) आगामी दशक के दौरान देश में एयर-कार्गो यातायात में वार्षिक: कितनी दर से वृद्धि होने की आशा की गई है; और

(घ) एयर-कार्गो सेवाओं के और अधिक विस्तार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) जी, नहीं। मुम्बई, दिल्ली, चेन्नै तथा कोलकाता स्थित चार मेट्रो हवाई अड्डों पर पिछले पांच वर्ष के दौरान, हैंडिल किए गए कार्गो में 3.73 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। निर्यात संबर्धन बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चार मेट्रो हवाई अड्डों पर 24.9.2001 से सामान्य कार्य दिवसों के दौरान और छुट्टियों के दिनों को एयर कार्गो को सुसाध्य करने की दृष्टि से कार्य घंटों में वृद्धि कर दी है उसने ऐसा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा कस्टम विभाग द्वारा क्लीरेंस क्रियाविधियों के सरलीकरण के अलावा किया है। आगामी दशक में हमारे मेट्रो हवाई अड्डों पर एयर कार्गो ट्रैफिक में वार्षिक वृद्धि की दर 7 प्रतिशत से अधिक होनी प्रत्याशित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने चारों मेट्रो हवाई अड्डों की मार्फत एयर कार्गो को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से अपेक्षित आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाएं सृजित की हैं।

राष्ट्रीय जल ग्रिड

5301. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) वर्ष 1980 में जल संसाधन मंत्रालय सिंचाई मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, इस मंत्रालय ने अनेक दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़कर एकीकृत जल संसाधन विकास की एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है। इस कार्यक्रम के जरिए जल को अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरित करने के लिए अब तक के अधिशेष बेसिनों का मूल्यांकन करने का विचार है ताकि देश के जल संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों के जल संतुलन और व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल संसाधन अभिकरण की स्थापना सोसाइटी के रूप में की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यावहारिकता रिपोर्ट तेयार करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के तहत 30 संपर्कों को अभिज्ञात किया है तथा 6 संपर्कों की व्यावहारिकता रिपोर्ट पूरी कर ली है। जल स्थानान्तरण संपर्कों का क्रियान्वयन संबंधित सह-बेसिन राज्यों के जल संपर्क प्रस्ताव पर सहमत होने के साथ ही साथ परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अन्य आवश्यक समुचित सहायता तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

आंध्र प्रदेश में एन०सी०डी०सी० द्वारा संवितरित धनराशि

5302. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश स्थित विभिन्न उद्योगों तथा संस्थानों को राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषद (एन०सी०डी०सी०) द्वारा संवितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकारों को सम्मिलित किये बिना केवल सीधे बैंक-गारंटी के आधार पर सीधे उद्योगों/संस्थानों को दीर्घावधिक ऋण उपलब्ध कराने में क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं;

(ग) क्या इसके लिए सरकार एन०सी०डी०सी० के नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने आंध्र प्रदेश में सहकारी समितियों हेतु गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशियां वितरित की हैं :

(लाख रु० में)

वर्ष	राशि
1999-2000	1661.27
2000-2001	2083.42
2001-2002	3401.74

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों तथा बहु-राज्य सहकारी समितियों को छोड़कर संबंधित राज्य सरकारों की गारण्टी के बिना सहकारी समितियों को सीधे निधियां जारी नहीं कर सकता है।

(ग) और (घ) रा०स०वि०नि० (संशोधन) विधेयक, 1995 (1995 का विधेयक सं० एल VII) जिसमें अन्य बातों के साथ, बिना सरकारी गारण्टी को सीधे सहकारी समितियों को निधियां मुहैया कराने के लिए रा०स०वि०नि० को सक्षम बनाने की दृष्टि से रा०स०वि०नि० अधिनियम, 1962 में संशोधन करना अपेक्षित है, को 25.8.1995 को राज्य सभा में पेश किया गया था और वह विचार किए जाने व पारित किए जाने के लिए लम्बित है।

सहकारी संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण को कम करने हेतु विधान

5303. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की ओर से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के लिए सहकारी संस्थाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से उन पर सरकारी नियंत्रण कम करने हेतु विधान लाने का उपाय करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विधान संबंधी उपायों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, हां। चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति की रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सहकारी समितियों की स्वायत्तता और प्रजातंत्रिक प्रबंधन को बहाल करने हेतु राज्य सरकारों के मागदर्शन के लिए एक मॉडल सरकारी समिति अधिनियम की सिफारिश की थी, पर विचार करने के पश्चात, यह निर्णय लिया गया था कि मॉडल सहकारी समिति अधिनियम की तर्ज पर वर्तमान बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के स्थान पर एक नया विधान लाने हेतु राज्य सरकारों का मार्गदर्शन किया जाए। तदनुसार, बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के स्थान पर नया विधेयक लाने के लिए लोक सभा में 24 नवम्बर, 2000 को बहु-राज्य सहकारी समिति विधेयक, 2000 पेश किया गया है। यह विधेयक सदन द्वारा विचार किए जाने तथा पारित किए जाने के लिए लम्बित है। विधेयक का उद्देश्य है – वर्तमान बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 में अभिज्ञात प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को समाप्त करना और बहु-राज्य सहकारी समितियों को पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्ता व प्रजातंत्रिक प्रबंधन मुहैया कराना तथा-साथ ही इन संस्थानों के प्रबंधन में व्यवसायीकरण प्रदान करना ताकि खुली और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके।

[हिन्दी]

श्रम कानूनों के विरोध में श्रमिक-हड़ताल

5304. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री सुनील खां :
श्री जी०जे० जावीया :
श्रीमती कैलाशो देवी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन मांगों की जानकारी है जिनको लेकर 16 मार्च, 2002 की श्रमिक-हड़ताल की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त हड़ताल में भाग लेने वाले प्रत्येक संगठन द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रत्येक संगठन की मांगों पर सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस हड़ताल के फलस्वरूप कितना वास्तविक तथा वित्तीय नुकसान हुआ ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) 16 मार्च 2002 को किसी हड़ताल की सूचना नहीं मिली।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में सोयाबीन की पैदावार

5305. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में सोयाबीन की पैदावार का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य के सोयाबीन कृषकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सोयाबीन, कृषकों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने तथा राज्य में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) आंध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान सोयाबीन का उत्पादन इस प्रकार है :–

वर्ष	उत्पादन ('000 मी० टन में)
1998-1999	16.8
1999-2000	13.9
2000-2001	11.8

(ख) से (घ) खाद्य तेल के भारी आयात के कारण, घरेलू बाजार में सोयाबीन समेत तिलहनों के मूल्य में गिरावट आई है। सरकार सोयाबीन सहित तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है ताकि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मुहैया कराये जा सकें। मण्डी मूल्य के न्यूनतम समर्थन मूल्यों से कम होने की स्थिति में खरीद प्रचालन चलाने के लिए नैफेड केन्द्रीय नोडल अभिकरण है। चूंकि अच्छी औसत गुणवत्ता वाली सोयाबीन के मण्डी गूल्य इस वर्ष (2001-2002) में आम तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक ही रहे इसलिए कोई खरीद नहीं की गई।

आंध्र प्रदेश सहित देश में सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीम के अधीन, सोयाबीन उत्पादकों को राजसहायता के द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन मुहैया कराए जाते हैं जिससे कि उन्हें बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

[हिन्दी]

मिर्च, लहसुन, सरसों और प्याज का आयात/निर्यात

5306. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिर्च, लहसुन, सरसों, प्याज इत्यादि के आयात पर प्रतिबंध लगाकर इनका निर्यात करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) मिर्च, लहसुन, सरसों, प्याज आदि के आयात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्तमान आयात-निर्यात नीति के तहत मिर्च, लहसुन और सरसों के मुक्त निर्यात की अनुमति है। सरकार द्वारा जारी कोटे के तहत कुछ निश्चित नामित राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से प्याज निर्यात की अनुमति दी जाती है।

कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु सरकार की नीति को सिद्धान्त: देश की खाद्य सुरक्षा, कृषिगत आय और आयत सृजन को अधिकतम करने पर विचार करके नियंत्रित किया जाता है।

बी०सी०सी०एल० और सी०सी०एल० द्वारा एल०टी०सी० का भुगतान

5307. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी०सी०सी०एल०) के कर्मचारियों को एल०टी०सी० और एल०टी०सी० का भुगतान बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार, बी०सी०सी०एल० और "सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड" (सी०सी०एल०) के कितने कर्मचारियों को उनके एल०टी०सी० तथा एल०टी०सी० दावों का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) क्या इन कर्मचारियों को एल०टी०सी० दावों का भुगतान पिछले 10-15 वर्षों से लम्बित है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाये गये हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। अत्यधिक वित्तीय संकट के कारण बी०सी०सी०एल० कर्मचारियों को, सेवानिवृत्त होने वाले अथवा स्थानान्तरण पर कम्पनी से बाहर जाने वाले कर्मचारियों को छोड़कर, एल०टी०सी० तथा एल०एल०टी०सी० का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सार्वजनिक उपक्रम विभाग के आदेश के परिणामस्वरूप सी०आई०एल० की अन्य सहायक कम्पनियों में एल०टी०सी० तथा एल०एल०टी०सी० की सुविधा पर मार्च 2001 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। तथापि, सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने, दिनांक 28 फरवरी

2002 से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों के सन्दर्भ में जिनके 1.1.92 से 1.1.97 तक वेतन संशोधन क्रियान्वित किए गए हैं, एल०टी०सी० पर से प्रतिबंध हटा लिया है।

(ग) दिनांक 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार, सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त हो चुके या अन्य कोयला कम्पनियों में स्थानान्तरित हुए कर्मचारियों को छोड़कर, 108043 कर्मचारियों के दावे बी० सी०सी०एल० में लम्बित हैं। सी०सी०एल० में इन सुविधाओं की निलंबन की अवधि को छोड़कर एल०टी०सी० तथा एल०एल०टी०सी० का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, सेवानिवृत्त होने वाले या अन्य कम्पनियों में स्थानान्तरित हुए कर्मचारियों को अपवाद स्वरूप बी०सी०सी०एल० के सभी कर्मचारियों के एल०टी०सी० के दावे वर्ष 1995-96 से लम्बित हैं।

(ङ) बी०सी०सी०एल० की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है और यह भारी घाटे में चल रही है तथा इसे बी०आई०एफ०आर० को सन्दर्भित किया गया है। कम्पनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होने के पश्चात स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश की लम्बित सिंचाई-परियोजनाएं

5308. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की कतिपय सिंचाई-परियोजनाएं, यथा झंझावती, वेलिकगोंडा और हैदराबाद जल आपूर्ति परियोजनाएं लम्बे समय से केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं पर मंजूरी कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) सलाहकार समिति की 28.03.81 को आयोजित 16 वीं बैठक में आंध्र प्रदेश की जंझावती सिंचाई परियोजना पर विचार किया गया था और इसे रोक दिया गया था क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार को उड़ीसा के क्षेत्र में जलमग्नता के लिए उसकी सहमति प्राप्त नहीं हुई थी। उपरोक्त की अनुपालना प्राप्त नहीं हुई थी और यह परियोजना अप्रैल, 1987 में आंध्र प्रदेश सरकार को अंतिम रूप से वापस भेज दी गई थी।

बेल्लीगोन्डा सिंचाई परियोजना रिपोर्ट, केन्द्रीय जल आयोग में मार्च, 1996 में प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय जल आयोग की जांच समिति द्वारा इस परियोजना की जांच की गई थी और जल की उपलब्धता प्रमाणित न होने के कारण विस्तृत जांच के लिए यह उपयुक्त नहीं पाई गई। यह परियोजना राज्य सरकार को नवम्बर, 1996 में वापस भेज दी गई थी।

(ख) हैदराबाद शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना की दूसरी परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में मई, 1998 में प्राप्त हुई थी। इसकी जांच की गई थी। और अंतर्राज्यीय पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां जुलाई, 1998 में राज्य सरकार को भेजी गई थी, जिनका उत्तर सितम्बर, 2001 में प्राप्त हुए हैं। इन उत्तरों से यह चलता है कि 3.30 टी०एम०सी० के अतिरिक्त उपयोग, इसके अतिरिक्त कृष्णा जल के 3.90 टी०एम०सी० का प्रतिबद्ध उपयोग, आंध्र प्रदेश के श्रीसैलम जलाशया से वाष्पन हानियों में कमी के कारण बचें हुए जल की 10.70 टी०एम०सी० की मात्रा में से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, कृष्णा जल विवाद अधिकरण के पंचाट को ध्यान में रखते हुए, कृष्णा में बढ़े हुए जल पर महाराष्ट्र सरकार के दावे तथा कर्नाटक सरकार के अनुसार श्री सैलम बांया तट नहर का पानी लेने संबंधी स्कीम सहित श्री सैलम बांया तट नहर के निर्माण से जुड़े मुद्दों के सभी पहलू उच्चतम न्यायालय में हैं इसलिए परियोजना के वास्ते जल की उपलब्धता अभी स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं हुई है।

(ग) इन परियोजनाओं की स्वीकृति, विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की बकाया टिप्पणियों की सरकार द्वारा तत्काल अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

अनुकम्पा आधार पर रोजगार

5309. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला और खान मंत्री** बी०सी०सी०एल० में अनुकम्पा आधार पर रोजगार के लंबित मामले के बारे में 21 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4292 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि में, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी०सी०सी०एल०) में अनुकम्पा आधार पर रोजगार संबंधी प्रत्येक लंबित मामले का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पहले तो इन मामलों में विलम्ब किया जाता है और फिर ''अत्यधिक विलम्बित'' टिप्पणी करके खारिज कर दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मामलावार तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते में ऐसे मामलों को ''अत्यधिक लम्बित'' कह कर खारिज कर देने का कोई प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कोल इंडिया लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अभी 171 मामलों को निपटाया जाना है। इन मामलों में कार्रवाई की जा रही है। यह एक सतत प्रक्रिया है। जबकि पुराने मामलों को निपटाया जा रहा है,

नए मामले भी प्राप्त हो रहे हैं। तथापि, मामलों के अन्तिम रूप से निपटान के मुख्य कारणों का सारांश नीचे दिया गया है :–

1. दावाकर्ताओं द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना में भिन्नता होने के कारण वास्तविकता को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अनिवार्य होती है और राज्य प्राधिकारियों द्वारा ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समय लगता है।

2. कुछ मामलों में कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को दावाकर्ता की आयु 15 वर्ष से कम थी। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एन०सी०डब्ल्यू०ए०) के प्रावधानों के अनुसार आश्रित की आयु कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

3. कुछ मामलों में पुरूष आश्रित जिनकी आयु कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत सेवा के उद्धरण के अनुसार 35 वर्ष से अधिक है, आयु निर्धारण के लिए कह रहे हैं।

4. महिला अश्रितों के मामले में जहां केवल मौद्रिक मुआवजा दिया जाता है, वे भी 45 वर्ष से कम आयु का दावा करते हुए रोजगार की मांग करते हैं, हालांकि पूर्व कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत सेवा के उद्धरण के अनुसार उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है।

5. ऐसे भी मामले हैं जिनमें आवेदक ने 15 वर्षों की समाप्ति के पश्चात आवेदन किए हैं। ऐसे मामलों में सही स्थिति का पता लगाने के लिए, सही आश्रित के सुनिश्चिय के लिए कुछ सत्यापन करने की आवश्यकता होती है।

6. अलग-अलग आश्रितों से दावे तथा प्रतिदावे किए गए हैं तथा कुछ मामले ऐसे हैं जो न्यायाधीन हैं।

7. कुछ मामले दूसरी और तीसरी पत्नी संबंधी है और सभी आश्रितो होने का दावा करती हैं।

8. कुछ मामलों में ऐसे श्रमिक के आश्रित को जिसे भूमिगत कार्य के लिए चिकित्सकीय तौर पर अयोग्य घोषित किया जाता है, रोजगार दिया जाता है और तत्पश्चात दूसरा आश्रित रोजगार के लिए दावा करता है।

9. दावाकर्त्ताओं के कम्पनी रिकार्ड में उपलब्ध नाम तथा शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र में उल्लिखित नाम में भिन्नता होती है।

10. टनक-पुत्र के मामले भी हैं जिनके सत्यापन/कार्यवाही में भी समय लगता है।

11. अन्तिम कार्य दिवस और मृत्यु की कथित तारीख के बीच काफी अन्तर होता है। ऐसी विभिन्नता के सत्यापन में भी समय लगता है।

(ख) और (ग) सी०आई०एल० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किसी मामले को निलम्बित नहीं किया जा रहा है। तथापि, कुछ मामलों में, आश्रित सम्बन्ध आदि की वास्तविकता के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं। यदि आश्रित कई वर्षों तक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो ऐसे मामलों को संदिग्ध समझा जाता है और उन पर विचार नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। एन०सी०डब्ल्यू०ए० के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अनुकम्पा के आधार पर रोजगार का मामला होने की वजह से यह आशा की जाती है कि दावे समुचित सीमाओं के भीतर किए जाने चाहिए।

वन्य क्षेत्र का संरक्षण

5310. श्री नरेश पुगलिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के प्रमुख वन्य क्षेत्र की सुरक्षा हेतु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी०आर०पी०एफ०) के जवानों को मुहैया कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें इस प्रयोजनार्थ सी०आर०पी०एफ० को नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने अब वन्य क्षेत्र से सी०आर०पी०एफ० को हटाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर०बालू) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार गड़बड़ी संभावित क्षेत्रों में अर्ध-सैनिक बलों/पी० ए०सी० को सम्मिलित करके तैयार की गई समर्पित स्ट्राइक फोर्स की तैनाती के लिए राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराती है। तैनात की जाने वाली फोर्स का चयन करने का कार्य राज्य सरकारों का होता है। वर्तमान में गृह मंत्रालय द्वारा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती को व्यवहार्य नहीं पाया गया है। इसलिए इस प्रयोजन हेतु राज्यों को अपनी-अपनी सशस्त्र टुकड़ियों का उपयोग करना है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत व्यय राशि का मूल्यांकन

5311. श्री सईदुज्जमा : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक आदि द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत व्यय धनराशि का कोई आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली म संसद-सदस्यों ने अपनी धनराशि का एक बड़ा हिस्सा कालोनियों में सर्विस लेनें, बनवाने तथा स्ट्रीटलाइटें लगवाने में खर्च किया जबकि इसकी वास्तविक आवश्यकता नहीं थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सर्विस लेनें बनवा देने से पानी जमा होकर वापिस भूमि में ही सूख रहा है और इससे जल-आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मार्च, 2000 की अंतिम अवधि की अपनी रिपोर्ट में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों के कतिपय उल्लंघनों को इंगित किया है, जैसे वाणिज्यिक/निजी संगठनों के लिए कार्यों की स्वीकृति, मरम्मत एवं रख-रखाव के कार्यों पर अनियमित व्यय, भंडार का क्रय इत्यादि।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि कॉलोनियों में सर्विस लेनें बनवाने तथा सड़कों पर रोशनी का प्रावधान करने के कार्य सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए गए हैं। सर्विस लेनें बनवाने तथा सड़कों पर रोशनी के प्रावधान की आवश्यकता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांचा तथा अनुमोदित किया गया था।

(ग) और (घ) पैदल चलने वाले लोगों, वाहनों के आवागमन की सुविधा, स्वच्छता, मच्छरों के प्रजनन को कम करने इत्यादि जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं के मद्देनजर लेनें बनवाने का निर्णय लिया गया था। आजकल जल संग्रहण उपाय उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से जल, भूमि में वापिस चला जाता है।

नि:शुल्क विमान यात्रायें

5312. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री गुनीपाटी रामैया :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइंस/एयर इंडिया और अन्य विमान कंपनियां प्रोत्साहन उपाय के रूप में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर नि:शुल्क विमान यात्राओं की सुविधा प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) क्या सरकारी उद्देश्य से यात्रा करने वाला सरकारी अधिकारी भी योजना का लाभ उठा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत इन विमान कंपनियों को कितनी आय हुई या कितना घाटा हुआ है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) विश्वभर में एयरलाइनों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत यात्रा के लिए नि:शुल्क टिकटें प्रदान की जाती हैं जिसमें सदस्य बोनस अंक प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें नि:शुल्क टिकट दिये जाने पर पुर्नविचार किया जा सकता है। एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस का एक समान *ज्वाइंट फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम* चला रहे हैं। जेट एयरवेज में भी *जेट प्रिवीलेज प्रोग्राम* नामक समान फ्रिक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम है जिसमें प्रोग्राम के सदस्यों को जेपी माइलेज दिए जाते हैं तथा उनके बदले में के एल०एम० नोर्थईस्ट तथा ब्रिटिश एयरवेज में अंतरर्राष्ट्रीय यात्रा की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त इंडियन एयरलाइंस राजस्व टिकट पर यात्रा करने तथा अंतर्देशीय सैक्टरों में की गई यात्रा के आधार पर सभी यात्रियों के लिए अपने देश-विदेश योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रोत्साहन टिकट प्रदान करती हैं। एअर इंडिया में एक अन्य *कंपेनियन फ्री स्कीम* है जिसके तहत इंटरनेशनल एयर ट्रेवलर्स एशोसियेशन द्वारा प्रकाशित किराये पर यात्रा करने वाले यात्री इंडिया/गल्फ रूटों को छोड़कर एअर इंडिया के रूट नेटवर्क पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय गंतव्य स्थान पर बगैर किसी लागत के एक साथी को ले जा सकते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। किसी भी एयर लाइन द्वारा प्रस्तुत ऐसी योजनाओं के अंतर्गत अर्जित अंकों से सरकारी कर्मचारी मुफ्त टिकट प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक *फ्री कंपेनियन स्कीम* का संबंध है इस सुविधा की उपलब्धता केवल राष्ट्रीय वाहकों तक ही समिति है।

(ङ) ये योजनाएं अपने नेटवर्क पर यात्रियों को आकर्षित कर एयरलाइंस के यातायात तथा राजस्व की बढ़ोत्तरी में सकारात्मक प्रभावी डालती है।

कोयला उत्पादन

5313. **श्री विनय कुमार सोराके :** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयले का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस्पात उद्योग में मंदी के कारण कोयले की बिक्री घट रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विद्युत और सीमेंट क्षेत्रों में कोयले के प्रयोग को प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रैकों के अभाव के कारण कोयला खानों के मुहानों में कोयला भंडार जमा हो गया है; और

(च) यदि हां, तो भंडार के निपटान हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के उत्पादन का ब्यौरा, श्रेणीवार, नीचे दिया गया है :–

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोकिंग	नॉन-कोकिंग	जोड़
1999-2000	32.98	267.06	300.04
2000-2001	30.90	278.73	309.63
2001-2002*	29.01	293.60	322.61

*अनंतिम

(ख) से (घ) कोयले के समग्र उठान में कमी नहीं हो रही है। वर्ष 2000-01 के 315.60 मिलियन टन के मुकाबले 2001-02 के दौरान कोयले का समग्र उठान 325.41 मिलियन टन (अनंतिम) था। विद्युत तथा सीमेंट क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले उठान में वृद्धि हो रही है परन्तु इस्पात क्षेत्र में कमी दर्शायी है।

(ङ) और (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले का उठान उत्पादन से अधिक रहा है जिससे कोयले के स्टॉक में कमी हुई है। रेलवे के पास वैगनों की कोई कमी नहीं है तथा वे प्रस्तावित सारे कोयले का संचलन करने की स्थिति में हैं।

व्यय सुधार आयोग

5314. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और विभागों में वर्तमान अपव्यय को कम करने के लिए सिफारिशें देने हेतु किसी व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) इस आयोग द्वारा अब तक की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके मंत्रालय या विभागों द्वारा अभी लागू की जाने वाली सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और आज तिथि तक उन्हें लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इनके कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन में एअर इंडिया के विमान चालकों को विमान उतारने की अनुमति देने से इन्कार

5315. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ तकनीकी कारणों से एअर इंडिया के कुछ विमान चालकों को ब्रिटेन में विमान उतारने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) एअर इंडिया में ऐसे कोई पायलेट नहीं हैं जिन्हें तकनीकी कारणों की वजह से यू०के० में अवतरण करने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एम०सी०एल० द्वारा घटिया कोयले की आपूर्ति

5316. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने यह शिकायत की है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड तालचेर (उड़ीसा) स्थित उसके सुपर ताप विद्युत संयंत्र को घटिया कोयले की आपूर्ति कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन०टी०पी०सी० ने एम०सी०एल० के बिल से कुल धनराशि काट ली है क्योंकि घटिया कोयले से उक्त संयंत्र की मशीने खराब हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उड़ीसा में अन्य विद्युत संयंत्रों को भी एम०सी०एल० से उक्त कोयला प्राप्त हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लिमिटेड के अलावा किसी अन्य स्वतन्त्र निकाय से इस मामले की जांच कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कोल इंडिया लि० ने सूचित किया है कि उसे ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भुगतान संयुक्त प्रतिचयन के विश्लेषण/परिणाम के अनुसार क्वालिटी के आधार पर किया जा रहा है।

(घ) उड़ीसा में दूसरे विद्युत संयंत्रो को एम०सी०एल० द्वारा उसी प्रकार के कोयले अर्थात ग्रेड एफ कोयले की सप्लाई की जा रही है।

(ङ) और (च) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

फसल चक्रण का सिद्धांत

5317. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने ऐसे किसानों को केन्द्रीय सहायता दिये जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु फसल चक्रण के सिद्धांत को अपनाना चाह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस संबंध में राज्यों विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र को कितनी केन्द्रीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों ने आर्थिक रूप से व्यवहार्य फसल चक्रण विकसित किए हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य अभिकरणों के माध्यम से संबंधित विभागों को यह सूचना उपलब्ध कराई जाती है। उन्नत फसल चक्रणों की श्रेष्ठता के प्रदर्शन के वास्ते कुछ सीमित प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में रेत और कच्चे ग्रेनाइट का खनन

5318. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेत और कच्चे ग्रेनाइट ब्लाकों के खनन के लिये तमिलनाडु में कई क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में स्थान-वार ऐसी पार्टियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें रेत और ग्रेनाइट ब्लाकों की खनन परियोजना का कार्य सौंपा गया है; और

(घ) वर्ष में अनुमानत: रेत और ग्रेनाइट की कितनी मात्रा निकाली गई और इससे कितनी आय हुई है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) रेत (सिरामिक के विनिर्माण उच्चताप सह और धातुकर्म प्रयोजनार्थ ऑप्टिकल प्रयोजनार्थ, कोयला खानों में भू गर्भ करण इत्यादि को छोड़कर) और ग्रेनाइट को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ङ) के तहत् गौण खनिज के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 15 के अधीन संबंधित राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई गौण खनिज रियायत नियमावली (एम०एम०सी०आर०) के अनुसार गौण खनिजों के लिए खनिज रियायत प्रदान करने या विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों को पूरी शक्तियां प्राप्त हैं। अतएव ऐसी सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान तमिलनाडु राज्य में रिपोर्ट करने वाली सिलिका सैंड खानों (उत्पादन की मात्रा और मूल्य सहित) की संख्या नीचे दी गई है :–

(मात्रा टन में)

(मूल्य '000 रुपए में)

2000-2001

खानों की संख्या	मात्रा	मूल्य
2 (चेनगप्ट्टा जिला)	2687	1778

एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर बिक्री कर

5319. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने यह अभ्यावेदन दिया है कि विदेशी विमान कंपनियों की तरह एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर बिक्री कर समाप्त किया जाये;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इंडियन एयरलाइंस द्वारा वर्ष 2001-02 में ए०टी०एफ० पर कुल कितने बिक्री कर का भुगतान किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2002-03 में बिक्री कर समाप्त नहीं होने की स्थिति में इंडियन एयरलाइंस को राज-सहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस के लिए योजनाबद्ध ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस ने अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों के लिए ए०टी०एफ० पर बिक्रीकर में छूट देने का सुझाव दिया है। अंतर्देशीय प्रचालनों के संबंध में सेंट्रल सेल्स टेक्स एक्ट के तहत ए०टी०एफ० को *घोषित सामान* के रूप में वगीकृत करने के अनुरोध के परिणामस्वरूप 4 प्रतिशत बिक्रीकर का एक समान कराधान लगाया गया।

(ख) प्रस्ताव सरकार के समक्ष सक्रीय रूप से विचाराधीन है।

(ग) एलाइंस एयर समेत इंडियन एयरलाइंस के लिए वर्ष 2001-2002 के लिए ए०टी०एफ० पर बिक्रीकर 175 करोड़ रुपए आंका गया।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा के प्रकाशन विभाग में अनियमितातयें

5320. **श्री सुरेश रामराव जाधव :**
योगी आदित्यनाथ :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 मार्च, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में ''प्रकाशन विभाग में अनियमितताओं के चलते करोड़ों रुपये का नुकसान'' शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा द्वारा कितने मूल्य की सामग्री प्रकाशित की गई और कितना घाटा हुआ; और

(घ) प्रकाशन विभाग में बरती जा रही अनियमितताओं के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। 19 मार्च, 2002 को राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित समाचार की जांच की गई और यह पाया गया कि सरकार अर्थात राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा अथवा संस्कृति विभाग से तथ्यपरक स्थिति का पता लगाए बिना इस समाचार को प्रकाशित किया गया। इसमें लगाए गए आरोप बेबुनियाद तथा निराधार हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा के प्रकाशनों पर किया गया वास्तविक व्यय इस प्रकार है :

(लाख रु० में)

वर्ष	वास्तविक व्यय
1999-2000	4.41
2000-2001	6.72
2001-2002	शून्य

(सूचीपत्र (कैटेलॉग), पोर्टफोलियो, बधाई कार्डों, चित्र पोस्ट कार्डों आदि को छापने में कोई घाटा नहीं हुआ है, क्योंकि यह प्रकाशन जनता को न लाभ न हानि के आधार पर बेचे जाते हैं)।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुरातत्व संस्थान के साथ एन०एम०आई० का विलय

5321. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :**
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली स्थित नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट, कंजरवेशन एण्ड म्यूजोलॉजी का पुरातत्व संस्थान के साथ विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में जीर्णशीर्ण स्थिति में पड़े संग्रहालयों के पुनरूद्धार हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) भारत सरकार मुख्यतया संस्कृति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले संग्रहालयों के विकास के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकारें अपने संग्रहलयों का रख-रखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, भारत सरकार ''क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम'' के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के आधार पर राज्यों में स्थित संग्रहालयों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

अभ्रक भंडार

5322. **श्री रामदास आठवले :** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में अभ्रक भंडार कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अभ्रक आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा 1.4.1995 की स्थिति के अनुसार तैयार की गई राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार देश में अभ्रक के प्राप्ति योग्य भंडार 59980 टन

बताए गए हैं। भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में किसी आर्थिक रूप से व्यवहार्य अभ्रक भंडारों का पता नहीं लगाया गया है।

राष्ट्रीय खनिज सूची, 1993 के अनुसार अभ्रक सहित खनिजों का गवेषण/विदोहन प्राइवेट उद्यमियों के लिए खोल दिया गया है। इस उदारीकरण व्यवस्था में यह निजी क्षेत्र के लिए है कि वे खनिजों के गवेषण/विदोहन और खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए पहल करें जो ऐसी परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। सरकार का वर्तमान में अभ्रक आधारित उद्योग लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डेयरी विकास

5323. श्री अनन्त नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों से डेयरी विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार विशेषकर उड़ीसा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में अनुसूचित जिलों में डेयरी और पशुधन के प्रोत्साहन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को प्रेरित करने के लिए कोई सहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग ''गैर ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास परियोजना'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रहा है। यह योजना संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासत प्रदेशों को 100 प्रतिशत अनुदान सहायता के आधार पर वित्त पोषित की जाती है। यह एक मांग आधारित योजना है जो राज्यों/निर्धारित क्षेत्रों सहित संघ शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है। विगत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित समेकित डेयरी विकास परियोजनाओं का उड़ीसा सहित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

(ग) और (घ) डेयरी और पशुधन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग बहुत सी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चला रहा है। तथापि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनन्य रूप से कोई योजना नहीं है। उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ''गैर ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास परियोजना (आई०डी०डी०पी०)'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत गठित ग्रामीण स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों के लगभग 32 प्रतिशत कृषक सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (31.3.2001 तक) से संबंधित है।

विवरण

1999-2000 से 2001-2002 के दौरान अनुमोदित समेकित डेयरी विकास परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/परियोजना	अनुमोदन का वर्ष और अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपए में)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	आंध्र प्रदेश-2	—	934.28	
2.	बिहार-5	—	447.73	
	बिहार-6	—		279.78
3.	छत्तीसगढ़-2	—		700.63
	छत्तीसगढ़-3	—		849.16
4.	मेघालय-2	—	472.52	
5.	मिजोरम-3	—		199.41
6.	उड़ीसा-4	—	784.53	
7.	सिक्किम-3	—	368.16	
8.	उत्तर प्रदेश-4	—	758.44	
	उत्तर प्रदेश-5	—		1231.32

टिप्पणी : उपयुक्त स्तर पर योजना की नई स्वीकृति लेने तक नई परियोजनाओं की मंजूरी पर व्यय विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण वर्ष 1999-2000 में किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई।

ओ०एफ०डी० कार्यों के लिये अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल किया जाना

5324. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में माही सिंचाई परियोजना, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना और बिलासपुर परियोजना के ओ०एफ०डी० कार्य हेतु अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने के लिये राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 42759 हेक्टे० (सी०सी०ए० 84170 हेक्टे०) की चरम सिंचाई क्षमता वाली सिधमुख नोहर परियोजना को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव जुलाई, 1997 में राजस्थान सरकार से प्राप्त हुआ था। अन्तर मंत्रालयी स्वीकृति समिति ने सितम्बर, 1997 में इस परियोजना को शामिल करने के लिए सिद्धांत रूप से इस शर्त पर स्वीकृति प्रदान की थी कि राजस्थान सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ सृजित क्षमता के सही आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। 55224 हेक्टे० (सी०सी०ए० 76700 हेक्टे०) की चरम सिंचाई क्षमता वाली बिसलपुर पेयजल सह सिंचाई परियोजना को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव फरवरी, 2001 में राजस्थान सरकार से प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि 60% की न्यूनतम आवश्कयता की तुलना में सृजित क्षमता बहुत कम थी।

केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में माही सिंचाई परियोजना के तहत 18095 हेक्टे० की अतिरिक्त क्षमता को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव जून, 2001 में राजस्थान सरकार से प्राप्त हुआ था। चूंकि नौवीं योजना समाप्त होने वाली है इसलिए राजस्थान सरकार को यह सूचित किया गया है कि इस स्थिति में परियोजना को शामिल नहीं किया जा सकता है।

(ग) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत प्रस्तावों को शामिल किए जाने का समय राजस्थान सरकार द्वारा सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करता है।

अव्यवहार्य सिंचाई परियोजनाएं

5325. **श्री के०पी० सिंह देव : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनापशनाप व्यय, कुप्रबन्धन और अधिक भुगतान के कारण देश की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनायें अव्यवहार्य हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिये उपचारात्मक उपाय करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, वित्त पोषण के साथ-साथ उनकी प्राथमिकता तय करने, निष्पादन, प्रचालन एवं रख-रखाव का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकारों को अंतर-राज्यीय नदियों पर वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए निवेश स्वीकृति करने की शक्ति प्राप्त है। अंतर्राज्यीय नदियों पर केवल उन्हीं वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजने की आवश्यकता होती है जिसमें आर्थिक व्यवहार्यता, परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकृति और वैधानिक स्वीकृति लेने के पश्चात योजना आयोग द्वारा तदनुसार निवेश स्वीकृति भी प्राप्त करना शामिल है। राज्य सरकारों द्वारा अत्यधिक परियोजनाएं शुरू करने के कारण संसाधनों का बिखराव होने तथा अन्य कारण जैसे – परियोजनाएं प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण, ठेकेदारी समस्याएं, कानून एवं व्यवस्था समस्याएं आदि के कारण कई सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण का समय बढ़ने के साथ-साथ उनकी लागत में वृद्धि हुई है। योजना आयोग द्वारा अनुमोदित ऐसी परियोजनाओं के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट भी राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की जानी है जिसमें मूल्य वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि सहित परियोजना का संशोधित आकलन मूल लागत से 15 प्रतिशत बढ़ गया है तथा जहां परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। कुछ मामलों में, इस पद्धति का राज्य सरकरों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है।

जल संसाधनों के विकास के लिये योजना

5326. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल संसाधन विकास और प्रबंधन में दूरसंवेदी प्रणाली लागू करने संबंधी किसी योजना को मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना आठवीं योजना में पूरी नहीं हुई और नौवीं योजना में भी चलती रही; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक पूरी किये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) 202.75 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली "जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन में दूर संवेदी का अनुप्रयोग" नामक स्कीम को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिसम्बर, 1994 में प्रारम्भ किया गया था। वित्तीय वर्षों 1994-95 से 1996-97 तक कुल 121.57 लाख रुपये का व्यय हुआ। स्कीम के अनुमोदन में विलंब और नियोजित किए अनुसार अपेक्षित बजट के उपलब्ध न होने के कारण इस स्कीम के तहत आयोजना की गई गतिविधियां पूरी नहीं की जा सकीं और इसके परिणामस्वरूप यह स्कीम नौवीं योजना में चली गई और 336.11 लाख रुपये के लिए अनुमोदित की गई। दूर संवेदी तकनीकों का उपयोग करने के लिए इस स्कीम के तहत चित्र प्रसंस्करण इकाईयों, जी०आई०एस० विश्लेषण इकाईयों और संबंधित हार्डवेयर और साफ्टवेयर के रूप में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को शुरू किया गया जिन्हें पूरा कर लिया गया। जल जमावग्रस्त क्षेत्रों का आकलन, नदियों का बदलता हुआ आकारिकी व्यवहार, जलाशयों में गाद जमने की स्थिति इत्यादि जैसे जल संसाधनों के विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अध्ययन आवधिक रूप से किए जाते हैं। इन अध्ययनों को प्राप्त आंकड़ा आधार को लगातार आकलन करने के लिए दूर संवेदी तकनीकों का उपयोग करके जारी रखा जाना अपेक्षित है।

तकनीकी मूल्यांकन समिति की सिफारिश

5327. श्री सुबोध मोहिते : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया को अपने विमान खरीद कार्यक्रम के लिये तकनीकी मूल्यांकन समिति से रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या विमान खरीद हेतु वित्तीय रूप रेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश और विदेश में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिये अलग से जेट विमानों को खरीदने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार ने वी०वी०आई०पी० के लिए प्लेन एक्वायरिंग के लिए समिति गठित की है।

हीरे और बहुमूल्य पत्थरों के भंडारों में धोखाधड़ी

5328. श्री एन०टी० षणमुगम : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न हीरा और मूल्यवान पत्थरों की खानों में 1996-97 की अवधि के दौरान से हीरे और मूल्यावान पत्थरों के भंडार में कमी और ऐसी ही अन्य धोखाधड़ी के कई मामले पकड़े गये है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक हीरे की खान में अब तक पकड़े गये ऐसे मामलों की जांच हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों की जांच हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी समितियों का ब्यौरा क्या है और उनकी मुख्य विशेतायें क्या है;

(ङ) प्रत्येक समिति द्वारा इस पर की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या समितियों की सिफारिशों के अनुसार अब तक सभी दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित किया जा चुका है।

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा आज की तिथि तक ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया है; और

(ज) सरकार द्वारा बाकी बचे मामलों को तेजी से निपटाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) राज्य सरकारें खनिज रियायतें प्रदान करती है और खान खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन डेड रैंट तथा पट्टाधारी द्वारा हटाए गए या उपयोग किए गए किसी खनिज पर रायल्टी एकत्र करती है। रायल्टी का संग्रहण खनिजों के हटाने और खपत पर आधारित है। चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा कोई रायल्टी एकत्र नहीं की जाती है अत: हीरे और रत्नों या अन्य खनिजों को हटाने या उनके स्टोरेज से संबंधित कोई सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है।

(ग) से (ज) पिछले कुछ वर्षों में, उक्त प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई समिति गठित नहीं की गई।

पर्यटन का विकास

5329. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटलों के निजीकरण के बाद अपने व्यवसाय के विस्तार और उसकी वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम ने तमिलनाडु, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश से समझौता किया है ताकि आधार संरचना विकास और यात्रा संबंधित सेवाओं में सहायता दी जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे ही अन्य समझौतों हेतु कुछ और राज्यों की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) इन समझौतों से पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि को बेहतर बनाने में किस सीमा तक सहायता मिली है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने अन्य राज्य पर्यटन निगमों/सरकारों के साथ इसी प्रकार के समझौते की संभावना दर्शायी है।

(घ) पर्यटक सुविधाओं के सवंर्धन/विपणन और पर्यटन अवसंरचना के विकास से, भारत पर्यटन विकास निगम तथा संबंधित राज्य सरकारों

दोनों के प्रयासों से संसाधनों की सहक्रिया द्वारा राज्य सरकारें लाभान्वित होंगी।

धान का उत्पादन

5330. **श्री सुनील खां : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों पर से राजसहायता समाप्त करने के कारण धान उत्पादन की लागत बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसान अपने खाद्यान्नों के लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण अब भी आत्महत्या कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) किसी भी राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान किसानों द्वारा अपनी फसलों का लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण आत्महत्या किए जाने की कोई सूचना नहीं दी है।

कृषि क्षेत्र में निवेश

5331. **श्री राजो सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कितना निवेश किया गया है और आगामी तीन वर्षों के लिए राज्यवार कितना निवेश दर्शाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार ने कृषि में पूंजी निर्माण बढ़ाने के लिए अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित अनेक उपाय किए हैं :–

(i) वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2002-03 के अपने बजट अभिभाषण में उल्लेख किया कि संस्थागत माध्यम से कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कुल ऋण वर्ष 2000-01 में 64000 करोड़ रुपये के स्तर से बढ़कर वर्ष 2002-03 में 75000 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है।

(ii) उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों जैसे जलकृषि, पुष्पकृषि, मत्स्यपालन आदि में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विशेष कृषि वित्त शाखाएं खोली गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अब तक 61 विशेष कृषि वित्त शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

(iii) किसानों को कृषि में निवेश बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें एक व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई है।

(iv) ग्रामीण आधारभूत ढांचे में निवेश हेतु राज्यों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में ग्रमीण अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की गई है। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष-VIII की धनराशि वर्ष 2002-03 में 5000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5500 करोड़ रुपये कर दी जाएगी, जबकि ब्याज की दर 2001-02 में 10.5 प्रतिशत से घटाकर 2003-03 में 8.5 प्रतिशत कर दी जाएगी।

(v) स्वयं सहायता समूह सम्पर्क कार्यक्रम को बढ़ाने तथा अन्य क्रेडिट डिलीवरी माडलों के सहायतार्थ 100 करोड़ रुपये की राशि के साथ नाबार्ड में माइक्रो-वित्त विकास कोष की स्थापना की गई है। स्वयं सहायता समूहों के जरिए माइक्रो क्रेडिट स्कीम के तहत वर्ष 2001-02 में 70 लाख परिवारों की तुलना में वर्ष 2002-03 में 1.25 लाख परिवारों को कवर करने का लक्ष्य है।

(vi) नाबार्ड और भारत सरकार प्रत्येक से 100 करोड़ रुपये की राशि के अंशदान वाली 200 करोड़ रुपये की राशि के साथ पनधारा विकास कोष की स्थापना की गई है।

(vii) प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु राज्यों की सहायता करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) हेतु पिछले वर्ष में 2000 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2002-03 में 2800 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है।

(viii) त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (ब्याज राजसहायता स्कीम) के तहत गांवों के विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान 164 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

(ix) प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए अब तक आवंटित 5000 करोड़ रुपये के आवंटन के अलावा वर्ष 2002-03 के दौरान 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में कृषि सहित पूंजी निर्माण के बारे में जानकारी का स्रोत केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमान के अनुसार कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी क्षेत्र में वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के लिए सकल पूंजी निर्माण क्रमश: 26714 करोड़ रुपये, 30252 करोड़ रुपये तथा 31630 करोड़ रुपये है। कृषि में राज्यवार पूंजी निर्माण एवं उसके प्रक्षेपण उपलब्ध नहीं हैं।

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयले के विपणन में गिरावट

5332. **श्री विकास चौधरी : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयले के विपणन में गिरावट की प्रवृत्ति आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या निवारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स से कोयले के उठान में हाल के वर्षों में गिरावट आई है। एन०ई०सी० में पिछले तीन वर्षों में कोयले का उठान निम्नलिखित रहा है :–

(लाख टन में)

वर्ष	उठान
1999-2000	8.40
2000-2001	7.70
2001-2002 (अनंतिम)	6.25

(ग) बोगाईगाँव विद्युत स्टेशन द्वारा कोयले को अस्वीकार करना हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, बोकाजान, चाय बागानों, ईंट उद्योग जैसे नियमित ग्राहकों द्वारा कोयला कम मात्रा में स्वीकार करने के कारण उठान में कमी आयी है।

(घ) एन०ई०सी० द्वारा कोयले के उठान में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) लिक्ड उपभोक्ताओं के साथ अन्तर्ग्रहण बढ़ाने के लिए नियमित अनुवर्तन करना।

(ii) कोयले को खुली बिक्री योजना के अंतर्गत भी बेचा जाता है।

(iii) स्पांसरशिप के प्रति कोयले की रेल द्वारा बुकिंग करने के लिए लगातार सार्वजनिक सूचनाएं दी जाती है।

उद्वह सिंचाई को प्रोत्साहन

5333. **श्री प्रकाश बी० पाटील : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के अनेक जिले सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई के लिए उद्वह सिंचाई को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य के सूखा संभाव्य क्षेत्रों में उद्वह सिंचाई को वित्त पोषित करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून, 2001 के दौरान राज्य के 12 जिले कम वर्षा के कारण सूखे से प्रभावित हुए हैं।

(ख) से (घ) इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का दायित्व मूलत: राज्य सरकार का है और इस मामले में राज्य सरकार ने कोई विशेष सहायता नहीं मांगी है।

वन आयोग का गठन

5334. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे वन क्षेत्र की पुनसंरचना करने हेतु वन आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान वन्यजीव संरक्षण से संबंधित सरकार की क्या रणनीति है; और

(घ) सरकार द्वारा माफिया से वनों और वन्यजीवों को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) वन आयोग का प्रमुख उद्देश्य देश में संपूर्ण वन स्थापना और संबद्ध संस्थाओं की पुनर्संरचना, सुधार और सदृढ़ीकरण मामलों की देख-रेख करना है।

(ग) प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 21 जनवरी, 2002 को आयोजित की गई भारतीय वन्यजीव बोर्ड की 21वीं बैठक के दौरान अंगीकृत वन्यजीव संरक्षण नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) माफिया से वनों और वन्यजीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :–

(1) राज्य स्तर पर उठाए गए कदम

(i) वन्य प्राणियों को उनके शिकार और वाणिज्यिक प्रयोग से बचाने के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972

के प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां गठित की गई हैं।

(iii) राज्य वन्यजीव प्राधिकारी पक्षियों के व्यापारियों के स्टॉक की नियमित जांच करते हैं।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(ii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(iii) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय खाद्यान्नों और अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही हैं, विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(iv) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय और प्रवर्तन समिति गठित की गई है।

(v) निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(vi) राज्य सरकारों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 और 30 जनवरी, 2001 को आयोजित किया गया था। अवैध शिकार को प्रभावी ढंग से रोकने और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों स्थानों पर प्रवर्तन संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को व्यवहारिक स्वरूप में संगठित करने का संकल्प लिया गया।

(vii) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशन्स की मदद करें।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज आफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

(ii) सीमा पारीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं .और नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

विवरण

भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा अंगीकृत वन्यजीव संरक्षण रणनीति-2002 की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है :

1. राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव और वनों को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया जाएगा जिसके लिए निधियां अलग से निर्धारित की जाएं।

2. कानून लागू करने वाले अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि वे लोग जो अवैध शिकार, वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों, उनके वासस्थलों को नष्ट करने और अन्य ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं उन्हें शीघ्र और कठोर दंड दिया जाए।

3. इस बात का ध्यान रखते हुए कि इससे वन्यजीवों और सुरक्षित क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, वन्यजीव पर्यटन की संभाव्यता का पूरी तरह से पता लगाना चाहिए। बढ़े हुए पर्यटन से अर्जित राजस्व को संरक्षण के लिए उपलब्ध संसाधनों की वृद्धि हेतु पूर्णत: उपयोग में लाया जाए।

4. महत्वपूर्ण व पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक वन्यजीव वासस्थलों में वन भूमि का वनेत्तर प्रयोजनों के लिए अपवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के 10 कि०मी० के भीतर पड़ने वाली भूमियों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम की धारा 3(v) के अंतर्गत और पर्यावरण (सुरक्षा) नियम के नियम 5 उपनियम 5 (viii) और (x) के तहत परिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील अंचलों के रूप में अधिसूचित किया जाए।

6. वनभूमियों और सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर अनधिकृत कब्जों और अवैध गतिविधियों को समाप्त किया जाए।

7. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में अधिकारों के निस्तारण का उपयोग ऐसे क्षेत्रों को अलग करने अथवा उनमें कमी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है और वन्यजीव वासस्थल का अभिन्न हिस्सा है।

8. सुरक्षित क्षेत्रों के अग्रिम पंक्ति वाले स्टाफ में 2000 से अधिक रिक्त पदों को तत्काल भरा जाएगा और प्रभावी कर्तव्यपालन के लिए आधारभूत ढांचा मुहैया कराया जाएगा। पुलिस विभाग की तर्ज पर रिक्त पदों की भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाए।

आन्ध्र प्रदेश में सघन सहयोग विकास कार्यक्रम

5335. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से राज्य के सभी जिलों में सघन सहयोग विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश में आठ जिलों में कार्यान्वयन हेतु सघन सहयोग विकास परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है और चार जिलों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माणाधीन है। सघन सहयोग विकास कार्यक्रम परियोजनाएं बाकी जिलों में स्कीम हेतु संसाधनों की सकल उपलब्धता में कमी के कारण देश के अन्य राज्यों में जिलों को कवर करने की जरूरत तथा राज्य में क्रियान्वयनधीन वर्तमान परियोजना की धीमी गति से क्रियान्वयन की वजह से संस्वीकृत नहीं की गई।

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

5336. डा० बलिराम : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली के कई अधिकारी एक ही परियोजना, विशेषकर बिगही, जयंत और बीना परियोजनाओं में गत 10 से 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) विभाग की स्थानांतरण नीति का ब्यौरा क्या है और इस नीति को लागू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अधिकारियों के कब तक स्थानांतरित किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या गत दो वर्षों के दौरान नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) निगाही, जयंत तथा बीना परियोजनाओं में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो एक ही परियोजना में पिछले 10 से 15 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। तथापि, कोयला कम्पनी के अनुसार यह सच नहीं है कि इस कारण परियोजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

(ख) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० में कार्यरत कुल 1410 अधिकारियों में से 268 ऐसे अधिकारी हैं जो एक ही परियोजना में 10 से अधिक वर्षों से तैनात हैं तथा 34 अधिकारी एक ही परियोजना में 15 से अधिक वर्षों से तैनात हैं। जहां तक निगाही, जयंत तथा बीना परियोजना का संबंध है, इनमें कार्यपालकों की कुल संख्या 466 हैं जिसमें से 121 अधिकारी 10 से अधिक वर्षों से तथा इनमें से 17 अधिकारी 15 से अधिक वर्षों से तैनात हैं।

(ग) कोल इंडिया लि० की एक सुस्पष्ट स्थानांतरण नीति है। इस नीति के अनुसार एम०-1 तथा उससे ऊपर के ग्रेड में कार्यरत अधिकारीगण जो कि एक ही कंपनी में 10 साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हों तथा उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक हो, वे स्थानांतरण के योग्य हैं। स्थानांतरण नीति में आगे शर्त यह है कि अधिक मात्रा में स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए लेकिन मानकों के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों में से कम से कम 10% अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाना चाहिए। इस स्थानांतरण नीति को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से 1998 में स्थान की वरिष्ठता के आधार पर प्रति वर्ष 20% अधिकारियों का स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया है। उक्त नीति के अनुसार एम०-1 के और उनसे ऊपर के ग्रेड के संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों, को 5 वर्ष की अवधि के पूरे होने पर वर्तमान कंपनी से स्थानांतरित किया जा सकता है। ई-1 से ई-5 के ग्रेडों के संवेदनशील पदों में कार्यरत अधिकारियों को 3 वर्ष की अवधि के पूरा होने पर कम्पनी से ही रोटेशन से अदला-बदला जाता है। वर्ष 2001 में एम०-1, एम०-2 तथा एम०-3 सभी ग्रेड के अधिकारियों को, जो एक ही कम्पनी/तैनाती के स्थान पर 20 वर्षों तथा उससे अधिक की अवधि तक रह चुके हैं स्थानान्तरित करने का एक नीति-गत निर्णय किया गया है। तथापि, चिकित्सा क्षेत्र में विश्व बैंक परियोजना में, लौंगवाल तथा नई तकनीकी और 100 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना में तथा उससे ऊपर वाली परियोजनाओं में कार्यरत अधिकारियों को इससे अलग रखा गया है।

(घ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में स्पष्ट की गयी स्थानान्तरण नीति तथा अन्य संगत कारकों के अनुसार स्थानान्तरण पर विचार किया जाएगा।

(ङ) जी, नहीं। पिछले दो वर्षों में, एन०सी०एल० में कार्यपालकों की संख्या घटी है।

(च) और (छ) उपरोक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

गोदावरी नदी पर भू-कटाव रोधी योजना हेतु आंध्र प्रदेश को सहायता

5337. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से गोदावरी नदी पर भू-कटाव रोधी योजना के अधीन वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग, भारत सरकार ने "गोदावरी नदी की शाखाओं के बाढ़-तटों पर बाहर को गिरने वाले जलद्वार (सेल्यूस) के पुनर्निर्माण" शीर्षक की इस स्कीम के लिए आन्ध्र प्रदेश की वार्षिक योजना 2000-01 के लिए 5.00 करोड़ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की है और "पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी के बाढ़-तटों पर द्वार (सेल्यूस) के पुनर्निर्माण स्कीमों को पूर्ण करना" नामक इस स्कीम के लिए वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 2.31 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की है।

[हिन्दी]

सरफेस माइनर्स द्वारा कोयला उत्पादन

5338. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाइयों में, विशेषकर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में सरफेस माइनर्स द्वारा कोयले का उत्पादन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो 28 फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों का तत्संबंधी अनुषंगी कंपनी वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाइयों और विद्युत संयंत्रों के बीच 4 इंच के आकार वाले कोयले के उत्पादन हेतु कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में समझौते के बावजूद महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोल सरफेस माइनिंग के स्थान पर पे-लोडर द्वारा कोयले की ढुलाई के क्या कारण है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया के कारण कोयले के छोटे कणों की उत्पत्ति होती है और इससे प्रदूषण फैल रहा है और कम्पनी को क्षति हो रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० की एक सहायक कम्पनी नामत: महानदी कोलफील्ड्स लि० में कोयला उत्पादन सतही खनिकों द्वारा किया जाता है। उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(मिलियन टन में)

1999-2000	1.844
2000-2001	6.084
2001-2002 (फरवरी तक)	6.935

(ग) उत्पादन के लिए कोई समझौता नहीं हुआ है। परन्तु राज्य विद्युत बोर्डों के साथ कोयला आपूर्ति समझौता में सामान्यत: विद्युत संयंत्रों को आपूर्तित किए जाने वाले कोयले का उच्च आकार (–) 250 एम०एम० तक सीमित है। तथापि, आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लि० के साथ हुए समझौते के मामले में एम०सी०एल० (–) 100 एम०एम० आकार के कोयले की आपूर्ति का प्रयास करने पर सहमत हुआ है।

(घ) एम०सी०एल० में सतही खनिकों द्वारा कोयले के लदान हेतु कोई समझौता नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

विदेशी पत्रकारों की निर्बाध रूप से आवाजाही

5339. **श्री विनय कुमार सोराके :**
श्री रघुनाथ झा :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग विदेशी पत्रकारों, छायाकारों और दूर ऑपरेटरों की निर्बाध रूप से आवाजाही और मेजबानी करती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 2000-01 के दौरान ऐसी सुविधा प्रदान की गई है और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु आकर्षक बहुआयामी गंतव्य के रूप में भारत को किस प्रकार और कहां तक प्रस्तुत किया गया;

(घ) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने ऐसे विदेशी अतिथियों की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल टिप्पणी की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पूर्व में आतिथ्य सेवा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती थी, किन्तु अब यह मामला समीक्षाधीन है।

(ख) वर्ष 2000-01 के दौरान सुपरिचितीकरण दौरे पर भारत आने वाले जिन पत्रकारों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को आतिथ्य सेवा उपलब्ध करायी गयी, उनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

–	मीडिया प्रतिनिधि	132
–	टेलीविजन टीम	7
–	ट्रेवल एजेंट्स/टूअर आपरेटर	112

एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उपलब्ध कराई गयी उपर्युक्त अनिवार्य आतिथ्य सेवा की स्वीकृति नागर मंत्रालय द्वारा दी गयी थी।

वर्ष 2000-01 के दौरान उपर्युक्त स्कीम के तहत कुल व्यय राशि 38.97 लाख रुपए थी जिसमें हवाई यात्रा व्यय शामिल नहीं है।

(ग) विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकृष्ट करने के विचार से पर्यटन विषयक निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया गया :–

- संस्कृति
- इतिहास
- समुद्रतट
- राजसी शानशौकत
- आध्यात्म/स्वास्थ्यवर्धन
- शापिंग अवसर
- हिमालय श्रृंखला
- साहसिक पर्यटन
- अप्रवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के लोगों के लिए ''डिस्कैवरी ऑफ रूट्स''

(घ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इस आशय की टिप्पणी की है कि एक मामले में एक ही पत्रकार को, भारत दौरे के बाद पब्लिसीटी रिटर्न के बिना ही आतिथ्य सेवा 3 बार मुहैया करायी गई।

(ङ) पर्यटन विभाग ने निर्णय लिया है कि यदि अपेक्षित होगा, तो अपवाद स्वरूप मामले को छोड़कर, विभागीय अतिथि को बार-बार आतिथ्य सेवा मुहैया करायी जाएगी जो तीन वर्षों से पहले नहीं होगी।

कोयला और लिग्नाइट संबंधी कार्य-दल

5340. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले और लिग्नाइट के कार्य-दल ने अनुमान लगाया है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के वित्तीय वर्ष तक कोयले की मांग में वृद्धि होगी और यह बढ़ कर 453 मिलियन टन हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुमान के अनुसार 4.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से कोयले की मांग में वृद्धि होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) कोयले की अनुमानित मांग को किस प्रकार पूरा किये जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) हेतु कोयले तथा लिग्नाइट संबंधी कार्यदल ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष (2003-04) हेतु 402.84 मिलियन टन (मिडलिंग्स सहित) तथा अंतिम वर्ष (2006-07) हेतु 453.29 मिलियन टन (मिडलिंग्य सहित) की मांग का आंकलन किया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मांग में हुई वृद्धि 5.05% संयोजित वार्षिक वृद्धि है।

(ग) और (घ) सरकार ने कोयला तथा लिग्नाइट संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया था और कार्यदल की रिपोर्ट को योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था।

(ङ) कार्यदल ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष की मांग (453.29 मिलियन टन) को नीचे दर्शाए अनुसार एक उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से पूरा कराने का प्रस्ताव किया था :–

(मिलियन टन में)

कंपनी/एजेन्सी	कोयले का प्रक्षिप्त उत्पादन (2006-07
कोल इंडिया लि०	350.00
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०	36.13
अन्य सार्वजनिक क्षेत्र (इस्को/डीवीसी/ जे० एण्ड के०/बीएसएमडीसीएल)	
निजी क्षेत्र (टिस्को)	
गृहीत खनन	13.60
मेघालय	–
अखिल भारतीय – जोड़	**399.73**

इन प्रक्षेपणों में योजना आयोग के परामर्श से संशोधन किया गया है। कोयला उत्पादन के संशोधित प्रक्षेपण निम्न प्रकार से हैं :–

(मिलियन टन में)

कंपनी/एजेन्सी	कोयले का प्रक्षिप्त उत्पादन (2006-07
कोल इंडिया लि०	350.00
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०	36.13
अन्य सार्वजनिक क्षेत्र (इस्को/डीवीसी/ जे० एण्ड के०/बीएसएमडीसीएल)	2.40
निजी क्षेत्र (टिस्को)	5.24
गृहीत खनन	6.73
मेघालय	4.50
अखिल भारतीय – जोड़	405.00

पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक संकट

5341. श्री बसुदेव आचार्य : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों में आर्सेनिक संकट के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से इस संकट का मुकाबला करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए संपर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आर्सेनिक प्रदूषण के स्वरूप, विस्तार और उसके कारण का अध्ययन करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी मिशन के तत्वावधान में 19.82 लाख रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृति प्रदान की गई थी।

केन्द्र और राज्य सरकार के बीच क्रमश: 75:25 की वित्तीय भागीदारी से अब तक चार स्कीमें स्वीकृत की गई है। इनमें से, 858.33 लाख रुपये की अनुमानित लागत से कार्रवाई योजना का पहला चरण पूरा हो गया है। मालदा सतही जल परियोजना 88.48 लाख रुपये की अनुमानित लागत से आंशिक रूप से शुरू की गई है। दक्षिण 24 परगना सतही जल परियोजना 23284 लाख रुपये की अनुमानित लागत से शुरू की गई है। 1733 लाख रुपये की अनुमानित लागत से कार्रवाई योजना का दूसरा चरण क्रियान्वयन के लिए शुरू किया गया है। उत्तरी 24 परगना जिले के 4 ब्लॉकों में सतही जल की आपूर्ति के लिए 124.82 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक स्कीम का क्रियान्वयन शुरू किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने क्रियान्वयन के लिए तीन स्कीमों को अनुमोदित किया है इसमें 18.96 लाख रुपये की अनुमानित लागत से "भूजल के पुनर्भरण का अध्ययन" नामक प्रायोगिक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत दो स्कीमों और 21.00 लाख रुपये की लागत से पश्चिम बंगाल के भागों में भूमि जल में आर्सेनिक संदूषण के कारणों, प्रभावों और सुधारात्मक उपायों पर अनुसंधान एवं विकास अध्ययन संबंधी एक स्कीम है।

निधियों का उपयोग किया जाना

5342. श्री अनंत नायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997 और 2001 के बीच कोलाब, रेंगाली और हीराकुड सिंचाई परियोजनाओं हेतु आवंटित धनराशि का उचित उपयोग नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को लागू करने हेतु केन्द्र सरकार और विदेशी एजेन्सियों से उड़ीसा सरकार को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं तथा बाढ़ नियंत्रण और जल निकास परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, वित्त पोषण, निष्पादन प्रचालन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से तथा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

ऊपरी कोलाब और रेंगाली परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त हो रही है। किसी परियोजना को केन्द्रीय ऋण सहायता की देय किस्त पहले दी गई किस्त के उपयोग और केन्द्रीय जल आयोग की निगरानी रिपोर्ट के आधार पर जारी की जाती है।

(ग) वर्ष 1996-97 से मार्च, 2001 तक रेंगाली और ऊपरी कोलाब परियोजना को लगभग 142 करोड़ रुपये और 32 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई है। रेंगाली सिंचाई परियोजना को भी जापानीज बैंक फार इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जे०बी०आई०सी०) से बाह्य सहायता प्राप्त हो रही है। आवंटित 7760 मिलियन येन में से जनवरी, 2002 तक 3399.68 मिलियन येन का उपयोग किया गया है।

अतिरिक्त सतही जल का उपयोग

5343. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से मई 2001 के दौरान जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में अतिरिक्त सतही जल के उपयोग किये जाने हेतु 413 करोड़ रुपये की लागत वाला कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की क्या स्थिति है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने राजस्थान राज्य सरकार से वर्ष 2001-02 हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत 18 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त किए। इनमें से 5 वर्ष की अवधि के लिए 413.45 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में लघु स्तर पर सतही जल संसाधानों के विकास के लिए था।

(ख) और (ग) अतिरिक्त सतही जल के उपयोग का प्रस्ताव अनुमोदित नहीं हो सका।

बी०टी० कॉटन के व्यवसायीकरण पर किसानों की धमकी

5344. श्री के०पी० सिंह देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसानों ने बीटी कॉटन के व्यवसायीकरण पर नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई निवारात्मक कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशों से घरेलू पर्यटकों को छूट

5345. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री सईदुज्जमा :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया, मॉरीशस, श्रीलंका, हांगकांग, सिंगापुर और कुछ अन्य देश भारतीय यात्रियों को आकर्षित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटकों को भारी छूट और प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इससे किस सीमा तक विदेश जाने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि करने में सहायता मिली है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, हांगकांग, सिंगापुर की अपनी नीतियां तथा संवर्धनात्मक रणनीतियां हैं, जिनमें डिस्काउंटिंग पैकेजों तथा अन्य प्रोत्साहनों को सम्मिलित किया जा सकता है। तथापि, यह नीतियां पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सीमा क्षेत्र में नहीं हैं।

डल झील की सफाई

5346. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डल झील की सफाई हेतु जम्मू-कश्मीर को अब तक कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है;

(ख) क्या स्वीकृत धनराशि का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है और डल झील की सफाई में वांछित परिणाम हासिल हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) धनराशि को उपयोग करने और निर्धारित समय-सीमा के अन्दर लक्ष्य हासिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत संरक्षण और प्रबंधन के लिए अभिनिर्धारित 10 झीलों में से डल झील एक है। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से डल और नगीन झील के संरक्षण के लिए एक परियोजना प्रस्ताव (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार किया गया है। तीन वर्षों की .अवधि के लिए अनुमानित लागत 162.87 करोड़ रुपए हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार को अंतिम रूप से सहमति के लिए भेज दी गई है। प्रस्ताव पर भारत सरकार का अनुमोदन राज्य सरकार की सहमति के बाद ही दिया जा सकेगा। योजना आयोग ने केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त 1997-98 से 2001-2002 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर सरकार को डल झील के लिए अलग से 102.42 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। जम्मू और कश्मीर झील एवं जलनिकाय विकास प्राधिकरण के अनुसार डल झील के संरक्षण पर फरवरी 2002 तक 71.70 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

[हिन्दी]

बागवानी योजनाएं

5347. श्री राजो सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और झारखंड में आदिवासी बहुत क्षेत्रों में उन्नत बागवानी हेतु विभाग द्वारा लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन राज्यों में अनेक बागवानी योजनाएं धनराशि की कमी के कारण संकट का सामना कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं को पुनर्जीवित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में धनराशि कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) बिहार और झारखण्ड में आदिवासी बहुल क्षेत्रों सहित संभावित क्षेत्रों में बागवानी विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जाती हैं :–

(i) कृषि में वृहत् प्रबंधन – कार्य योजनाओं के जरिये राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण,

(ii) जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों (रांची जिला) में समेकित बागवानी विकास,

(iii) नारियल विकास बोर्ड के कार्यक्रम।

(ख) से (घ) राज्यों की खर्च क्षमता और उनके पास पहले ही उपलब्ध अव्ययित निधियों के आधार पर विभिन्न स्कीमों के अधीन राज्यों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान, बिहार व झारखण्ड सरकारों को निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :–

स्कीम का नाम	निर्मुक्त निधियां (लाख रुपये में)	
	बिहार	झारखण्ड
(i) कृषि में वृहत् प्रबंध कार्य योजनाओं के जरिये राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण	1800.00	10.95
(ii) नारियल विकास बार्ड के कार्यक्रम	6.99	–
(iii) जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में समेकित बागवानी विकास	–	220.75*

* रांची जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य द्वारा पदनामित अभिकरण बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची को निधियां निर्मुक्त की गई थी।

[अनुवाद]

कोयला कम्पनियों से आवधिक रिपोर्टें

5348. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न कोयला कंपनियों से, विशेषकर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड इत्यादि से आवधिक रिपोर्टें प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में विभिन्न कोयला कंपनियों के कार्यकरण और शुद्ध लाभ अर्जन में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोयला इकाइयों के विकास पर कुल खर्च की गई धनराशि के सांख्यिकीय ब्यौरे को अद्यतन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। सचिव (कोयला) को अध्यक्ष/संबंधित कम्पनियों के सी०एम०डी० से मासिक अ०शा० पत्रों सहित कोल इंडिया लि०, कोल इंडिया लि० की अनुषंगियों तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० से इस विभाग में आवधिक रिपोर्टें प्राप्त होती रही हैं जिसमें महीने के दौरान तथा सम्बद्ध वित्तीय वर्ष के उक्त माह तक कम्पनी के वास्तविक/वित्तीय निष्पादन को दर्शाया जाता है।

(ग) देश में विभिन्न कोयला कम्पनियों के कार्यकरण निवल लाभ अर्जनों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित रण-नीतियां तैयार की गई हैं :

1. नई खानें खोलना तथा आधुनिकीकरण, नई प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग तथा आदानों और बुनियादी सुविधाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करके विद्यमान खानों में कार्यकुशलता तथा उत्पादकता को बढाना।

2. कोयला परियोजनाओं के तीव्रता से कार्यान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण तथा वन भूमि की स्वीकृति के बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाना।

3. चूककर्त्ता राज्य विद्युत बोर्डों (एस०ई०बी०) की ओर कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कोयला बिक्री की देय राशि का प्रत्याभूतिकरण करने के लिए कदम उठाना।

4. रेलवे के समन्वय से कोलफील्ड क्षेत्रों में जहां उत्पादन को बढ़ाने की संभावना है, परिवहन की बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाना।

5. उपर्युक्त के अलावा जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाकर क्षमता उपयोग में सुधार करने, कोयला परियोजनाओं के समय से पूरा होने में बाधाओं को हटाने, विवेकपूर्ण आयोजना, व्यय में किफायत तथा अच्छे औद्योगिक संबंध बनाने जैसे विभिन्न उपायों का उपयोग करते हुए कोयला उत्पादन लागत को कम करने के लिए कम्पनियों द्वारा सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं।

6. चुनिन्दा खनन तथा परिष्करण के द्वारा कोयले की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए कदम उठाना।

7. नई परियोजना में निवेश के लिए अपेक्षित संसाधनों की पूर्ति करना तथा ग्रीनफील्ड परियोजना के विकास के लिए संयुक्त उद्यम में प्रवेश करके आधुनिक तकनोलोजी तथा प्रबन्धन प्रणालियां और व्यवहार आरम्भ करना।

8. पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रशमन उपायों को खान विकास योजनाओं के साथ एकीकृत करना।

9. सरकार, वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी क्षेत्र के प्रवेश को सुकर बनाने के लिए आवश्यक विधायी संशोधन करने की भी सोच रही है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि०, इसकी अनुषंगियों, सहित, तथा सिंगरोनी कोलियरीज कम्पनी लि० के विकास पर किए गए कुल व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(करोड़ रु० में)

कम्पनी	1998-99	1999-2000	2000-01
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	131.23	119.91	106.58
भारत कोकिंग कोल लि०	172.02	102.18	62.74
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	181.46	236.74	113.72
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	342.73	1080.20	250.66
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	359.82	281.59	167.91
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	309.74	594.40	204.14
महानदी कोलफील्ड्स लि०	326.57	345.44	145.80
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि०	2.91	5.76	3.35
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० एण्ड कोल इंडिया लि०	5.49	3.44	4.42
कुल-कोल इंडिया लि०	1831.97	2769.66	1059.32
सिंगरोनी कोलियरीज क०लि०	206.99	145.20	194.10
सकल जोड़	2038.96	2914.86	2253.42

ताजमहल की सुरक्षा

5349. श्री एन०टी० षणमुगम : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जनवरी, 2002 के "दी हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सेफगार्डिंग ताज: फोसेंज डू नॉट इवेन हैव् डिसेन्ट पेट्रोल बोन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) ताजमहल के संरक्षण और सुरक्षा हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) आगरा जिला पुलिस प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यमुना में अपर्याप्त जल होने के कारण नियमित गश्त नौकाएं नहीं लगाई गई हैं।

आगरा विकास प्राधिकारण ने ताजमहल की पृष्ठ दीवार के साथ पर्याप्त संख्या में फ्लड लाइटें लगाई हैं जो काम कर रही हैं।

विशेष अवसरों और वर्षा ऋतु में भी, ताजमहल की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा एवं नदी गश्त प्रदान की जाती है।

उड़ीसा की जलापूर्ति परियोजनाएं

5350. श्री भर्तृहरि महताब : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास उड़ीसा की कितनी जलापूर्ति परियोजनाएं मंजूरी हेतु लंबित पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए उड़ीसा से 22 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से, 17 परियोजनाओं को कुछ शर्तों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा 5 परियोजनाओं पर राज्य सरकार के साथ पत्राचार चल रहा है।

इन परियोजनाओं की स्वीकृति, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के बकाया प्रेक्षणों को तत्काल अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

विकास योजनाएं

5351. श्री रामदास आठवले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में अब तक आरंभ की गई बागवानी, वनरोपण एवं मत्स्यन से संबंधित राज्यवार विकास योजनाएं कौन सी हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु राज्यवार कितना धन आबंटित किया गया है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं की उपलब्धि के संबंध में आकलन किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कुछ अन्य संस्थानों ने उक्त क्षेत्रों के लिए कोई नई तकनीक विकसित की है; और

(च) यदि हां, तो जनजातीय लोगों के बीच उक्त तकनीक के बारे में जागरूकता लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हैदराबाद विमानपत्तन पर यात्री सुविधाएं

5352. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हैदराबाद विमानपत्तन पर यात्रियों एवं आम जनता को होने वाली समस्याओं का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भवन के बाहर स्थित कार पार्किंग एवं आगमन बिन्दु काफी भीड़ भरे हैं और यात्रियों के अनुकूल नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो विमानपत्तन पर यात्री सुविधाओं में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या शीघ्र प्रवेश एवं निर्गम हेतु पार्किंग सुविधाओं का रूपांकन करने के लिए किसी बाहरी अभिकरण से कहे जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नियमित आधार पर ग्राहक सर्वेक्षण करती है। हैदराबाद हवाई अड्डे का प्रथम चरण का सर्वेक्षण दिसम्बर, 2000 में तथा दूसरा चरण का अप्रैल-मई, 2001 में किया गया था।

(ग) जी, हां जब एक ही समय में एक से ज्यादा उड़ान आती है तब कार पार्किंग क्षेत्र में वाहनों की भीड़ बढ़ जाती है।

(घ) एक नया कार पार्क क्षेत्र बनाने की योजना है जिसमें 150-200 कारें खड़ी की जा सकेंगी। यह कार्य जून, 2002 में शुरू होने की संभावना है और अक्तूबर, 2002 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ङ) और (च) पार्किंग सुविधाओं को पुन: डिजाइन करने के लिए किसी बाहरी एजेंसी की सेवाएं नहीं ली गई है क्योंकि इसके लिए संगठन के भीतर विशेषज्ञ मौजूद हैं।

महाराष्ट्र में पैलेस ऑन व्हील्स

5353. **श्री अशोक ना० मोहोल** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा काफी समय पहले उनके मंत्रालय एवं योजना आयोग से सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को "प्रस्तुत पैलेस ऑन व्हील्स" का प्रस्ताव अभी भी मंजूरी हेतु लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इतने लंबे समय से लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा लग्ज़री ट्रेन शुरू किए जाने संबंधी प्रस्ताव को 8.49 करोड़ रु० की केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 में स्वीकृति दे दी गयी है।

जल संसाधनों का संरक्षण

5354. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं पर विशाल धनराशि व्यय करने के बाद भी सूखा प्रवण क्षेत्रों में किसी गांव को सूखे से मुक्त बनाए रखा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा जल संसाधनों का संरक्षण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के पास जल संरक्षण की लागत में कमी लाने हेतु सामुदायिक जल संरक्षण परियोजनाओं को लोकप्रिय बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) देश में 99 जिलों को शामिल करते हुए वर्ष 1975-82 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इन जिलों के 315 तालुकों में आने वाले 51.33 मिलियन हैक्टे० क्षेत्र को सूखा प्रवण क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया था। जल, राज्य का विषय होने के कारण, सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के साथ-साथ जल संरक्षण स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण, क्रियान्वयन एवं उनका वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। योजना विकास के प्रारंभिक काल से ही 5.8 मिलियन हैक्टे० की प्रयुक्त सिंचाई क्षमता वाली वृहद एवं मध्यम स्कीमों के माध्यम से

इन सूखा प्रवण क्षेत्रों को आंशिक अथवा पूर्ण लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसी प्रकार, निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम स्कीमों द्वारा 4.3 मिलियन हैक्ट० की सिंचाई क्षमता पहले ही सृजित कर ली गई है जिससे इन सूखा प्रवण क्षेत्रों को आंशिक अथवा पूर्ण लाभ प्राप्त होता है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, देश में लगभग 4291 बांधों का निर्माण प्रारंभ किया गया था जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 1995 तक बड़े बांधों के निर्माण के जरिए देश में पूर्ण निर्मित बांधों की सक्रिय भंडारण क्षमता 177 (बी०सी०एम०) पहुंच गई है। ऐसे बांधों को पूरा करके 75 बी०सी०एम० की अतिरिक्त सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित की जाएगी जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। 132 बी०सी०एम० की सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए अतिरिक्त बांधों के निर्माण के प्रस्ताव हैं जिसे तैयार करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, देश में लगभग 3,76,000 टैंकों (लघु बांधों) और तालाबों का भी निर्माण किया गया है।

जल संसाधनों के उपयोग और निर्माणाधीन स्कीमों को शीघ्र पूरा करके सिंचाई क्षमता के त्वरित सृजन के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उनको सहायता प्रदान करने के वास्ते भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई० बी०पी०) प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत समयबद्ध रूप में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है ताकि इनसे शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने देश के जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल संसाधनों के विकास के वास्ते एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना भी तैयार की है। जिसमें अधिशेष जल वाले बेसिन से जल की कमी वाले बेसिन में जल हस्तांतरण के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों एवं हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। संपर्क प्रस्ताव का क्रियान्वयन राज्यों के बीच आपसी सहमति, व्यावहारिकता रिपोर्ट के पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा निधियों की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय का राज्य सरकारों में लाइन डिपार्टमेंट की क्षमता बढ़ाने के अलावा ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और सफाई प्रणालियों के संबंध में प्रत्येक गांव के निचले स्तर के कम से कम एक श्रमिक को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है ताकि पंचायती राज संस्थानों का गठन किया जा सके तथा समुदायों को प्रचालन एवं रखरखाव गतिविधियों की जानकारी देने तथा समुदाय की सहभागिता के उद्देश्य से राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल, मिशन के तहत वर्ष 1994 में संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास (एन०एच०आर०डी०) कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कृषि मंत्रालय की वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना के तहत गैर सरकारी संगठनों, पंचायतों एवं अन्य ग्रामीण संस्थानों को भी शामिल करने की योजना है।

[हिन्दी]

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में "मानसून की तैयारी" पर व्यय की गई धनराशि

5355. डा० बलिराम : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली (मध्य प्रदेश) की विभिन्न परियोजनाओं में "मानसून की तैयारी" में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजना पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं पर परियोजनावार कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का उक्त कार्य पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण रखने एवं निगरानी करने हेतु कोई समिति गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) मानसून के दौरान लगातार कोयले के उत्पादन तथा पावर स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हॉल रोड रख-रखाव, रन-ऑफ वाटर की ड्रेनिंग, स्लाइडिंग से ओ०बी० डम्प की सुरक्षा इत्यादि जैसे कार्यकलाप आवश्यक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मानसून की तैयारी में किया गया परियोजना-वार व्यय निम्नानुसार है :-

(राशि लाख रुपये में) (अनंतिम)

क्रम	परियोजना	1999-00	2000-01	2001-2002
1.	झिंगुरदाह	206.41	1001.15	174.16
2.	दूधीचुआ	789.20	1207.74	800.23
3.	जयंत	128.00	162.05	285.06
4.	निगाही	235.65	267.94	385.01
5.	अमलोरी	100.03	138.01	126.75
6.	खडिया	156.50	428.82	371.84
7.	बीना	266.76	467.02	370.99
8.	ककरी	57.29	60.04	68.01
	कुल	1939.54	2831.77	2582.05

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में खर्च किए जाने के लिए प्रस्तावित राशि का ब्यौरा निम्नवत है :-

(लाख रुपये में)

झिंगुरदाह	दूधीचुआ	जयंत	निगाही	अमलोरी	खडिया	बीना	ककरी	जोड़
143.00	773.24	490.00	362.38	162.09	450.00	367.52	86.00	2834.32

(घ) और (ङ) जी, हां। मानसून की तैयरी के कार्य तथा मॉनीटरिंग गतिविधियों पर खर्च को नियंत्रित करने के लिए जनवरी, 2002 में एक समिति गठित की गयी थी जिसमें सम्बन्धित परियोजनाओं के सी०जी०एम०, जी०एम०(सी०), सी०जी०एम० तथा जी०एम० (एफ०/पी० एण्ड पी०) के सदस्य थे।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश को चक्रवात राहत कार्य हेतु सहायता

5356. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल में आए चक्रवात से प्रभावित लोगों के शहरी एवं ग्रामीण आवासों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से 278.26 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता आबंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो ये अनुरोध केन्द्र सरकार के पास कब से लंबित पड़े हैं;

(ग) इसके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इनको कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सितम्बर-अक्तूबर, 2001 के दौरान भारी वर्षा/अचानक आई बाढ़ के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 278.26 करोड़ रुपए की सहायता मांगी गई। इस पर उच्चस्तरीय समिति द्वारा दिनांक 28.12.2001 को आयोजित बैठक में विचार किया गया और राज्य सरकार के अनुरोध, केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा उस पर अंतरमंत्रालयी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उच्चस्तरीय समिति ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए 20.44 करोड़ रुपए की सहायता का अनुमोदन किया और यह राशि राज्य सरकार को जारी कर दी गई है।

सिंगरेनी कोलियरी में नवीन निवेश

5357. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले के अतिरिक्त उत्पादन हेतु नए गर्तमुख खोलने के लिए सिंगरेनी कोलियरी में नवीन निवेशों का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने निवेश का अनुमोदन किया गया है;

(ग) आंध्र प्रदेश में स्थित कोलियरियों में कोयले के उत्पादन हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य कितना है;

(घ) क्या उक्त प्रयोजन हेतु विश्व बैंक से सहायता मांगे जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं। सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी०एस०यू०) को बजटीय सहायता देना धीरे-धीरे बन्द कर दिया है। तथापि, कार्य-विधिक आवश्यकता के तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एक विनिर्दिष्ट सीमा से ऊपर के निवेशों के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करते हैं।

(ख), (घ) और (ङ) ऊपर भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड द्वारा आन्ध्र प्रदेश की कोलियरियों के लिए कोयला उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार है :–

वर्ष	लक्ष्य (मिलियन टनों में)
2002-03	32.50
2003-04	34.23
2004-05	35.78
2005-06	36.04
2006-07	36.13

कृषि उत्पादों की खरीद हेतु धन

5358. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 में मार्केट इन्टरवेशन स्कीम (एम०आई०एस०) के अंतर्गत विभिन्न कृषि उत्पादों की खरीद करने हेतु विभिन्न राज्यों को वर्षवार कितना धन आबंटित किया गया है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को कर्नाटक सरकार द्वारा खरीद संचालनों पर व्यय की गई विशाल, धनराशि का भुगतान करना है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 से आज तक बकाया धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) मण्डी हस्तक्षेप योजना के लिए निधियों का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। राज्यों से प्राप्त विशेष प्रस्तावों का विचार किया जाता है और कार्यान्वयन किया जाता है।

(ख) और (ग) ऑयल पॉम की खरीद हेतु मण्डी हस्तक्षेप योजना को वर्ष 2000 और 2001 मौसम के दौरान कर्नाटक में कार्यान्वित किया गया था। मंजूरी की शर्तों के मुताबिक वर्ष 2000 मौसम के लेखे प्राप्त हुए थे और उनका निपटान कर दिया गया है। वर्ष 2001 मौसम के ऑयल पॉम के लेखे निपटान हेतु कर्नाटक सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

संदर्भित अवधि के लिए कोई और दावे लम्बित नहीं हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के लिए अस्पताल का निर्माण

5359. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों विशेषकर सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड हेतु अस्पताल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक सहायक कंपनी द्वारा चिकित्सा खर्चे पर कितना धनराशि का वहन किया गया है;

(घ) क्या इन कंपनियों द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार एवं निजी अस्पतालों के चिकित्सा विपत्रों की प्रतिपूर्ति पर भारी धनराशि व्यय की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० की उपर्युक्त तीन सहायक कंपनियों द्वारा किया गया चिकित्सा खर्च नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रुपये में)

कम्पनी	1998-99 (व्यय)	1999-2000 (व्यय)	2000-2001 (व्यय)
ई०एस०एल०	8.99	9.68	11.82
बी०सी०सी०एल०	12.86	12.39	11.30
सी०सी०एल०	8.56	9.30	8.95

2001-02 के लिए व्यय को अभी लेखा-परीक्षित किया जाना है/अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) अधिकारियों तथा कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति का बिल बहुत अधिक नहीं है। प्रचलित पद्धति के अनुसार कुछ रोग/आपरेशन जिनके लिए कम्पनी अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, रोगियों को मान्यता प्राप्त/अनुमोदित अस्पतालों में उपचार हेतु भेजा जाता है। प्रतिपूर्ति केवल उन मामलों में की जाती है। जिन्हें चिकित्सा हेतु पात्रता के अनुसार निजी अस्पतालों में भेजा जाता है।

(ङ) उपरोक्त वर्णित कम्पनियों के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में निजी अस्पतालों सहित बाह्य उपचार हेतु चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति पर किए गए व्यय की राशि नीचे दी गई है :–

(करोड़ रुपये में)

कम्पनी	1998-99	1999-2000	2000-2001
ई०एस०एल०	4.50	4.67	5.74
बी०सी०सी०एल०	4.99	5.70	6.44
सी०सी०एल०	4.27	4.67	4.00

चार्टर्ड उड़ानों से होने वाली आय

5360. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चार्टर्ड उड़ानों एवं विशेष उड़ानों के माध्यम से होने वाली आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) चार्टर्ड उड़ान संचालकों द्वारा सरकार को दी जाने वाली बकाया धनराशि कितनी है; और

(ग) आज तक की तिथि तक बकायों की वसूली करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना के संयंत्रों से दुग्ध उत्पादों की चोरी

5361. श्री रामदास आठवले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के संयंत्रों से बड़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादों की चोरी की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में जन प्रतिनिधियों से कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दोषी करार किए गए व्यक्तियों/कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) भविष्य में उक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान डेयरी उत्पादों की बड़ी मात्रा

में चोरी के संबंध में जन प्रतिनिधियों की शिकायतों सहित कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। तथापि, हानि आदि की कुछ घटनाएं होती हैं और इन पर सरकारी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

डेयरी से चोरी आदि की किसी घटना को रोकने के लिए कड़ी जांच प्रणाली मौजूद है।

[अनुवाद]

हज यात्रियों के लिए उड़ानें

5362. **श्री ए० ब्रह्मनैया :**
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री अनंत गुडे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान एअर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस द्वारा कितने हज यात्रियों को यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हज यात्रियों से वर्षवार कुल कितनी आमदनी हुई और राजसहायता के रूप में हज यात्रियों पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) इस वर्ष के दौरान देश में विभिन्न विमानपत्तनों से संचालित की गई हज उड़ानों की विमानपत्तनवार संख्या कितनी है और अगले वर्ष में कितनी उड़ाने संचालित होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को अन्य धार्मिक मान्यताओं वाले तीर्थयात्रिओं को उक्त रियायत प्रदान करने हेतु कुछ धार्मिक संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) एअर इंडिया की चार्टर्ड उड़ानों से वाहित हज यात्रियों की संख्या के संबंध में ब्यौरा, हज यात्रियों से प्राप्त हुई धनराशि तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा दी गई राज सहायता इस प्रकार है :–

(लाख रुपयों में)

वर्ष	यात्री संख्या	हज यात्रियों से प्राप्त धनराशि	राज सहायता के रूप में सरकार द्वारा खर्च धनराशि
1997	53766	6451.92	7851.02
1998	63648	7637.36	11078.18
1999	62103	7452.36	9846.22
2000	71924	8630.88	11885.51 (अनंतिम
2001	71215	8545.08	14836.00 (अनंतिम)

(ग) हज 2002 के दौरान प्रचालित उड़ानों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

स्टेशन	उड़ानों की संख्या
अहमदाबाद	21
बंगलौर	10
चेन्नई	07
दिल्ली	43
हैदराबाद	22
कोलकाता	15
कालीकट	17
लखनऊ	34
मुम्बई	49
श्रीनगर	30

अगले वर्ष कितने हवाई जहाज हज के लिए प्रचालित किए जाने है यह अगले वर्ष हज यात्रियों पिलग्रिम्स के कोटे पर निर्भर करेगा।

(घ) और (ङ) वर्तमान में किसी अन्य तीर्थ यात्री समूह के लिए ऐसी सब्सीडाइज हवाई यात्रा प्रचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ऑई ए लॉस इज ए०टी०सी० आफिसियल्स गेन

5363. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जनवरी, 2002 के *'दी एशियन एज में आई ए लॉस इज ए०टी०सी० आफिसियल्स गेन'* शीर्षक से प्रकाशित खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजकोष को हानि पहुंचाने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ङ) एशियन एज के दिनांक 7 जनवरी, 2002 की प्रेस क्लीपिंग का शीर्षक *'इंडियन एयरलाइंस का घाटा ए०टी०सी० अधिकारियों का मुनाफा'* है के द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी। यह आरोप था कि अहमदाबाद में ए०टी०सी० की प्राइवेट एयरलाइंस के पायलटों के साथ सांठ-गांठ थी और इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों को एयर

में *'ऑन होल्ड'* रखा जाता है। इस मामले की जांच करवाई गई और यह पाया गया था कि यह शिकायत निराधार थी। अमदाबाद हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक एम०एस०एस०आर० रडार लगे हैं। ट्रैफिक डेनसिटी अहमदाबाद हवाई अड्डे पर काफी कम है और सभी विमानों को एप्रोच कंट्रोल और एरिया कंट्रोल दोनों में रडार सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। अहमदाबाद ए०टी०सी० सुरक्षित, क्रमबद्ध एवं द्रतु गति से विमान यातायात को व्यवस्थित कर रहा है। तथापि, इस बारे में किसी एयरलाइंस से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

बेरोजगार कृषि अभियंताओं/वैज्ञानिकों के लिए स्वरोजगार

5364. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगार कृषि अभियंताओं/वैज्ञानिकों के लिए कोई स्वरोजगार योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत देश में, विशेषकर उड़ीसा में लाभभोगियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना को और प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने कृषि एवं संबंद्ध विज्ञान के स्नातकों के स्व रोजगार के लिए ''कृषि व्यापार एवं एग्री-क्लीनिक्स'' पर एक स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम के अंतर्गत उद्यमियों को कर्ज राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रदान किया जाता है।

(ख) इस स्कीम के तहत प्रत्येक वर्ष पांच हजार उद्यम स्थापित किए जाएंगे। चूंकि यह स्कीम अभी हाल ही में परिचालित हुई है अत: राज्यवार आंकड़े एक वर्ष के बाद ही उपलब्ध हो पाएंगे।

(ग) राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक, रेडियो तथा अन्य प्रेस मीडिया के माध्यम से इस स्कीम के ब्यौरे को अधिसूचित किया जाएगा। स्नातकों की दक्षता को सुदृढ़ करने तथा इनमें विश्वास पैदा करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों और अन्य वैज्ञानिक एजेंसियों में संरचनात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर

5365. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने जनवरी माह में आयोजित अपनी पूर्व बैठक में वर्ष 2002-03 हेतु कर्मचारी भविष्य निधि के अंशधारकों के लिए 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के अंशधारकों के ब्याज दर में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पर अर्जित किए जा रहे ब्याज से संबंधित समग्र स्थिति की समीक्षा करने के लिए हाल ही में इसके केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड की एक बैठक बुलाई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने दिनांक 22 जनवरी, 2002 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2002-03 हेतु कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के संबंध में ब्याज की दर घोषित करने के मामले पर विचार किया तथा इस मामले पर आगे विचार किए जाने तक 9.5% की ब्याज दर को जारी रखने की सिफारिश की है।

(ख) से (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सरकार के निर्णय से सूचित कर दिया गया था कि 9.5% की ब्याज दर को बनाए रखना संभव नहीं होगा। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) ने 12 अप्रैल, 2002 को आयोजित अपनी विशेष बैठक में मामले पर फिर से विचार किया तथा इच्छा व्यक्त की गई कि पिछली बैठक में अन्तरिम आधार पर सिफारिश की गई 9.5% की ब्याज दर को जारी रखा जाए। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

5366. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के अन्तर्गत बदले हुए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए योजनाएं/स्कीम तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य-वार चल रहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार कुछ नई अनुसंधान संस्थाएं, विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो उनके स्थान संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(च) सरकार द्वारा अनुसंधान केन्द्रों और विश्वविद्यालयों में अवसंचरनात्मक विकास हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विश्व व्यापार संगठन की चुनौती से निपटने के लिए ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया है जिनमें भा०कृ०अ०प० के प्रयासों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। ये क्षेत्र हैं – कृषि जैव-प्रौद्योगिकी, जैव-विविधता, 'बायो-सिस्टेमैटिक्स', कीट रोग तथा खरपतवार प्रबंध एवं प्रथम स्तरीय मानव संसाधन विकास।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

(घ) जी नहीं, अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पद्धति के बुनियादी विकास के लिए कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक बार (वन-टाइम) कैच अप अनुदान के रूप में 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था। यद्यपि योजना आयोग ने सैद्धान्तिक रूप में एक बार के कैच अप अनुदान की सहमति दे दी थी, किन्तु इस तरह के कैच अप अनुदान के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं था। तथापि, योजना आयोग ने नौवीं योजना के कुल परिव्यय के रूप में 3376.95 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की थी जिसके अंतर्गत एक बार के कैच अप अनुदान की 400 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कैच अप अनुदान के रूप में 1000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है, जिसमें से 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव वर्ष 2002-2003 के दौरान अनुसंधान केन्द्रों और विश्वविद्यालयों में बुनियादी विकास हेतु किया गया है।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना निदेशालयों/अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं और उनके क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र की राज्यवार सूची :–

राज्य का नाम	संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं का नाम	स्थान
1	2	3
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान	पोर्ट ब्लेयर
आन्ध्र प्रदेश	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान संस्थान	हैदराबाद
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	राजमुन्द्री
	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी	हैदराबाद
	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र	हैदराबाद
	राष्ट्रीय तेल-ताड़ अनुसंधान केन्द्र	पेदावेगी
	राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र	हैदराबाद
	तिलहन अनुसंधान परियोजना निदेशालय	हैदराबाद
	मुर्गी पालन अनुसंधान परियोजना निदेशालय	हैदराबाद
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – शुष्क क्षेत्र कृषि	हैदराबाद
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – ज्वार	हैदराबाद
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – तम्बाकू	राजामुन्द्री
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – कृषि मौसम विज्ञान	हैदराबाद
	नेटवर्क – आर्थिक पक्षी विज्ञान	हैदराबाद
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – सूरजमुखी, कुसुम, अलसी	हैदराबाद

1	2	3
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	एलूरू
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान	विजयवाड़ा
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान – ओ०आर०पी० केन्द्र	कांकिपडु
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	गूंटूर
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	काकीनाडा
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	विशाखापतनम
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	काकीनाडा
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	विशाखापतनम
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	गूंटूर
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	जीदांगी
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान स्थान	कंडुकूर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	हैदराबाद
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	हैदराबाद
	गन्ना प्रजनन संस्थान	कावूर
	मक्का की बिन–मौसम नर्सरी से संबंधित निदेशालय	हैदराबाद
अरूणाचल प्रदेश	राष्ट्रीय याँक अनुसंधान केन्द्र	दीरांग
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	उ०पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	बासर
असम	रष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र	खानपाड़ा, गोहाटी
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान का बारानी निम्न भूमि चावल, का अनुसंधान केन्द्र	गेरूआ
	केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान	सोरभोग
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	गोहाटी
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कोहिकुच्ची
	केन्द्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	जोरहाट
बिहार	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	पटना
	राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र	मुजफ्फरपुर
	राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केन्द्र	दरभंगा
	अ०भा०स०अ०प० – जल प्रबंध	पटना
	अ०भा०स०अ०प० – भूजल का इष्टतम उपयोग	पटना

1	2	3
	अ०भा०स०अ०प० – दियारा भूमि का प्रबंध	पटना
	जल प्रबंध परियोजना निदेशालय	पटना
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	पटना
	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० अनुसंधान परिसर (फसल अनुसंधान केन्द्र)	पूसा
	गन्ना प्रजनन संस्थान	मोतीपुर
चण्डीगढ़ (यू०टी०)	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	चण्डीगढ़
गोवा	गोवा के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	गोवा
गुजरात	राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र	जूनागढ़
	राष्ट्रीय औषधीय एवं सगंधीय पौधे अनुसंधान केन्द्र	आनन्द
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – मूंगफली	जूनागढ़
	अ०भा०स०अ०प० – पान	आनन्द
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	भुज
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	वडोदरा
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	सूरत
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	वेरावल
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	वेरावल
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	वलसाड
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	आनन्द
	केन्द्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान	गोधरा
हरियाणा	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	हिसार
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	करनाल
	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	करनाल
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	करनाल
	राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (रा०डे०अ०सं० का हिस्सा)	करनाल
	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र	हिसार
	गेहूं अनुसंधान परियोजना निदेशालय	करनाल
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – ब्लड प्रोटेस्टा	हिसार
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – भैंस	हिसार
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना – मधुमक्खी	हिसार

1	2	3
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-लवण प्रभावित मिट्टियों और खारे पानी का उपयोग प्रबंध	करनाल
	देशी दुग्ध उत्पादों को बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता	करनाल
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	करनाल
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	हिसार
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	सिरसा
	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	सिरसा
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	रोहतक
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	करनाल
	गन्ना प्रजनन संस्थान	करनाल
हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	शिमला
	राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान केन्द्र	सोलन
	अ०भा०स०अ०प० – सूक्ष्म जैविकीय विघटन	पालमपुर
	अ०भा०स०अ०प० – खुम्बी	सोलन
	अ०भा०स०अ०प० – आलू	शिमला
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	कुफी
	केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान	गर्सा, कुल्लु
	केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान	कुल्लु
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	कटराइन
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	टुटीकंडी, शिमला
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	अमरतारा, शिमला
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	पालमपुर
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	पालमपुर
	राष्ट्रीय पादप आनवंशिक संसाधन ब्यूरो	शिमला
	गेहूं अनुसंधान परियोजना निदेशालय	शिमला
	गेहूं अनुसंधान परियोजना निदेशालय	लाहोलस्पीति
जम्मू एवं कश्मीर	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान	श्रीनगर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	सापोर, श्रीनगर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	श्रीनगर

1	2	3
झारखण्ड	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान	रांची
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० अनुसंधान परिसर (एच०ए० एंड एफ० कार्यक्रम)	रांची
	केन्द्रीय बारानी ऊपरांऊ भूमि चावल अनुसंधान केन्द्र	हजारीबाग
	केन्द्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान – ओ०आर०पी० केन्द्र	रांची
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	रांची
कर्नाटक	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर किया विज्ञान संस्थान	बंगलौर.
	राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र	पुत्तूर
	जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय	बंगलौर
	पशु रोग एवं निगरानी प्रबोध परियोजना निदेशालय	बंगलौर
	अ०भा०स०अ०प० – उष्ण कटिबंधीय फल	बंगलौर
	अ०भा०स०अ०प० – काजू	विट्टल
	अ०भा०स०अ०प० – गौण अनाज	बंगलौर
	नेटवर्क – कृषि एकोलोजी	बंगलौर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	बंगलौर
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	धारवाड़
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	करवाड़
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	हेरेहल्ली
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	विट्ठल
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कीडी
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	बेल्लारी
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	हंसुर
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	धारवाड़
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	धारवाड़
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	चेथाली
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	हैब्बल
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	बंगलौर
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	गन्ना प्रजनन संस्थान	जामखंडी
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	हैसुर

1	2	3
केरल	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	कोचीन
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	कोचीन
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कासरगोड
	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान	तिरूवन्नतपुरम
	केन्द्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान	कालिकट
	अ०भा०स०अ०प० – ताड़	कासरगोड
	अ०भा०स०अ०प० – मसालें	कालिकट
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	एलापुज़ाह
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान – ओ०आर०पी० केन्द्र	कोलमपरमबी
	केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान	नराक्कल
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	कालिकट
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	विंहिंजम
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कयानगुलम
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कन्नारा
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कन्नाड़ा
	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान	अपनगला
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	त्रिचूर
	गन्ना प्रजनन संस्थान	कन्नानौर
	गन्ना प्रजनन संस्थान	अगाली
लक्षद्वीप	**क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र**	
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	मिनीकॉय
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	मिनीकॉय
मध्य प्रदेश	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान	भोपाल
	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान	भोपाल
	राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र	इंदौर
	राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र	जबलपुर
	अ०भा०स०अ०प० – कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – फार्म उपस्कर मशीनरी	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – मानव अभियांत्रिकी एवं सुरक्षा अध्ययन	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – सूक्ष्म गौण पोषण	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – पावर टिलर	भोपाल

1	2	3
	अ०भा०स०अ०प० – नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – मृदा परीक्षण फसल अनुक्रिया	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – सोयाबीन	इन्दौर
	अ०भा०स०अ०प० – पशु ऊर्जा का उपयोग	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – खरपतवार नियंत्रण	जबलपुर
	अ०भा०स०अ०प० – तिल एवं रामतिल	जे०एन०के०वि०वि०, जबलपुर
	अ०भा०स०अ०प० – दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – जैविक नाईट्रोजन स्थिरीकरण	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – भारतीय मृदा का टिल्लेज प्रबंध	भोपाल
	आर०एन०ए०एम०-VI	भोपाल
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	होशंगाबाद
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान	अकोला
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान – ओ०आर०पी० केन्द्र	बालघाट
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	पावरखेड़ा
	केन्द्रीय मास्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	होशंगाबाद
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	ग्वालियर
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	दतिया
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	इंदौर
	उच्च पशु रोग सुरक्षा प्रयोगशाला	भोपाल
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	आई०जी०के०वी०, अम्बिकानगर
महाराष्ट्र	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	नागपुर
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	मुंबई
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नागपुर
	राष्ट्रीय निम्बू वर्गीय अनुसंधान केन्द्र	नागपुर
	राष्ट्रीय द्राक्ष अनुसंधान केन्द्र	पुणे
	राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केन्द्र	पुणे
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	मुंबई
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान – ओ०आर०पी० केन्द्र	बान्द्रा
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	नागपुर

1	2	3
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	**मुंबई**
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	**मुंबई**
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	पुणे
	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र	**शोलापुर**
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	अकोला
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	अमरावती
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नागपुर
मणिपुर	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय	इम्फाल
	उ०पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	इम्फाल
मिजोरम	उ०पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	कोलासेब
	पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, सी०ए०यू०	शैलेष
मेघालय	उ०पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	बड़ापानी
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	शिलांग
	उ०पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	पश्चिमी गारो पहाड़ियां
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	शिलांग
	गृह विज्ञान महाविद्यालय, सी०ए०यू०	तूरा
नागालैण्ड	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र	झरनापानी
	उ०पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	खन्नाखुरूं
नई दिल्ली	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि संबंधी सूक्ष्मजीव ब्यूरो	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय पौध जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय डी०एन०ए० फिंगर प्रिंटिंग अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	मक्का अनुसंधान परियोजना निदेशालय	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – कृषि उप-उत्पाद	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – कृषि जल निकासी	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – सक्षम भूमि के लिए अभियांत्रिक नापतोल एवं जल प्रबंध	नई दिल्ली

1	2	3
	अ०भा०स०अ०प० – पुष्प	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – सूत्रकृमि	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – कीटनाशी अपशिष्ट	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – बागवानी फसलों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – कम प्रयोग और कम दोहित पौधें	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – गृह विज्ञान	नई दिल्ली
	समेकित कृषि विज्ञान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय बीज परियोजना	नई दिल्ली
	नेटवर्क स्कीम – पशु आनुवंशिक संसाधन	नई दिल्ली
	नेटवर्क स्कीम – भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी	नई दिल्ली
	कृषि मानव संसाधन विकास (डब्ल्यू०बी०)	नई दिल्ली
	इंडो-इज़रायल प्रदर्शन परियोजना (भा०कृ०अ० संस्थान)	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन०ए०टी०पी०)	नई दिल्ली
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	इसापुर
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नई दिल्ली
उड़ीसा	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	भुवनेश्वर
	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	कटक
	कृषि में महिलाओं पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	भुवनेश्वर
	पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र	भुवनेश्वर
	अ०भा०स०अ०प० – कंद वर्गीय फसलें	भुवनेश्वर
	खारे जल में पदार्थ अपघटन की प्रकिया एवं उपयोग पर ओ०आर०पी०	भुवनेश्वर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	बुर्ला
	केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान	पुरी
	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशें अनुसंधान संस्थान	बमरा
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	कोरापुट
	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	कटक

1	2	3
पंजाब	केन्द्रीय कटाई के पश्चात की अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	लुधियाना
	अ०भा०स०अ०प० – कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	लुधियाना
	अ०भा०स०अ०प० – कटाई एवं कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	लुधियाना
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	लुधियाना
	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	नाभादा
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	लुधियाना
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	जालंधर
राजस्थान	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	जोधपुर
	केन्द्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	अविकानगर
	राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र	बीकानेर
	राष्ट्रीय तोरिया एवं सरसों अनुसंधान केन्द्र	भरतपुर
	राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र	अजमेर
	अ०भा०स०अ०प० – भेड़	अविकानगर
	अ०भा०स०अ०प० – बाजरा	जोधपुर
	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र	बीकानेर
	अ०भा०स०अ०प० – शुष्क क्षेत्र फल	बीकानेर
	अ०भा०स०अ०प० – तोरिया एवं सरसों	भरतपुर
	अ०भा०स०अ०प० – शुष्क दालें	सी०ए०जैड०आर० आई०, जोधपुर
	नेटवर्क – कृंतक नियंत्रण	जोधपुर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	पाली
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	जैसलमेर
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	श्री गंगानगर
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय मृदा एवं जल सरंक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	कोटा
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान केन्द्र	अविकानगर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	आर०ए०यू० मंडौर
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	उदयपुर

1	2	3
सिक्किम	राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र	ताडोंग
	उ०पू०पर्वतीय क्षेत्रों उके लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	गंगटोक
तमिलनाडु	केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान	चेन्नई
	गन्ना प्रजनन संस्थान	कोयम्बटूर
	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र	तिरूचिरापल्ली
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	कोयम्बटूर
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	कोयम्बटूर
	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	कोयम्बटूर
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	मंडपम
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	तुतीकोरिन
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	चेन्नई
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	उधगमंडलम
	केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान	कोडीकनाल
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	उदगमंडलम
	भारतीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	वेदासुंडर
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	वेलिंग्टन
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	अदुतुरइ
	अ०भा०स०अ०प० – कपास	कोयम्बटूर
त्रिपुरा	**क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र**	
	उ०पू०पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	लम्बूचेरा
उत्तर प्रदेश	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर
	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर
	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान	मखदूम
	केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान	लखनऊ
	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान	कानपुर
	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान	लखनऊ
	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान	वाराणसी
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर
	राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो	लखनऊ
	राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का हिस्सा)	इज्जतनगर

1	2	3
	फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय	मोदीपुरम
	मवेशी अनुसंधान परियोजना निदेशालय	मेरठ
	खुरपका एवं मुहंपका रोग परियोजना निदेशालय	इज्जतनगर
	अ०भा०स०अ०प० – चना	कानपुर
	अ०भा०स०अ०प० – गैस्टोइनटैस्टीनल पेरासाइट्ज्म	इज्जतनगर
	अ०भा०स०अ०प० – बकरी	मखदूम
	अ०भा०स०अ०प० – हीमोरहैजिक सेप्टिसीमिया	इज्जतनगर
	अ०भा०स०अ०प० – गुड़ एवं खांडसारी	लखनऊ
	अ०भा०स०अ०प० – सूअर	इज्जतनगर
	अ०भा०स०अ०प० – अरहर	कानपुर
	अ०भा०स०अ०प० – दालें (मूर्लाप)	कानपुर
	अ०भा०स०अ०प० – गन्ना	लखनऊ
	अ०भा०स०अ०प० – सब्जी अनुसंधान	वाराणसी
	अ०भा०स०अ०प० – दियाराभूमि सुधार प्रबंध	मोदीपुरम
	अ०भा०स०अ०प० – उपोष्ण फल	लखनऊ
	राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र	झांसी
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	झांसी
	नेटवर्क स्कीम – फसल आधारित पशु उत्पादन प्रणाली	झांसी
	अ०भा०स०अ०प० – कृषि वानिकी	झांसी
	अ०भा०स०अ०प० – चारा फसलें	झांसी
	अ०भा०स०अ०प० – अलसी	कानपुर
	सब्जी बीज परियोजना (राष्ट्रीय बीज परियोजना)	वाराणसी
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	इलाहाबाद
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान – ओ०आर०पी० केन्द्र	इलाहाबाद
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	चिन्हट
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	मोदीपुरम
	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान	प्रतापगढ़
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	आगरा
उत्तरांचल	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	देहरादून
	खुरपका एवं मुंहपका रोग परियोजना निदेशालय	मुक्तेश्वर

1	2	3
	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	अल्मोड़ा
	राष्ट्रीय शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र	भीमताल (नैनीताल)
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	राष्ट्रीय शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र	चम्पावत
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	भुवाली
	केन्द्रीय शीतोष बागवानी संस्थान	मुक्तेश्वर
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	मुक्तेश्वर
पश्चिमी बंगाल	केन्द्रीय अत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	बैरकपुर
	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान	बैरकपुर
	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	कोलकाता
	अ०भा०स०अ०प० – पटसन एवं संबद्ध रेशा	बेरकपुर
	अ०भा०स०अ०प० – सफेद सूंडी	दुर्गापुर
	क्षेत्रीय केन्द्र/अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	मालदा
	केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मछली अनुसंधान संस्थान	कोलकाता
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	रहारा
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	कल्याणी
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान – ओ०आर०पी० केन्द्र	कोलकाता
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	कोलकाता
	केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान	ककद्वीप
	केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान	मालदा
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	जलपाइगुड़ी
	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान	बुदबुद
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	केनिंग टाऊन
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	दिनहाटा
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	कलिमपोंग
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	कोलकाता
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	कोलकाता
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	कल्याणी
	राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान संस्थान	दार्जलिंग

कृषि विश्वविद्यालयों की सूची

1. आचार्य एन०जी० रंगा कृषि विश्वविद्यालय
   राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030, आन्ध्र प्रदेश

2. असम कृषि विश्वविद्यालय
   जोरहाट (असम)—785003

3. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
   मोहनपुर (पश्चिम बंगाल)—741252

4. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
   रांची (बिहार)—834006

5. चन्द्र आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
   कानुपर (उत्तर प्रदेश)—208002

6. चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
   हिसार (हरियाणा)—125004

7. डा० पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ
   अकोला (महाराष्ट्र)—444140

8 डा० यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
   नैनी, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश)—173230

9. गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
   पंतनगर (उत्तरांचल)—263145

10. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय
    सरदार कुषिनगर, जिला बनासकंठा (गुजरात)—385506

11. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
    पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)—176062

12. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
    जबलपुर (मध्य प्रदेश)—482004

13. महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय
    उदयपुर—313001, राजस्थान

14. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
    इम्फाल—795004 (मणिपुर)

15. इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
    रायपुर—492012 (मध्य प्रदेश)

16. केरल कृषि विश्वविद्यालय
    त्रिचुर—680656 (केरल)

17. कोंकण कृषि विद्यापीठ
    रतनागिरी—415712 (महाराष्ट्र)

18. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ
    रतनागिरी—415712 (महाराष्ट्र)

19. मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय
    परभणी—431402 (महाराष्ट्र)

20. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
    फैजाबाद—224229 (उत्तर प्रदेश)

21. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
    भुवनेश्वर—751003 (उड़ीसा)

22. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
    लुधियाना—141004 (पंजाब)

23. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
    बीकानेर—334002 (राजस्थान)

24. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
    समस्तीपुर—848125 (बिहार)

25. शेरे-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
    श्रीनगर—191121 (जम्मू एवं कश्मीर)

26. शेरे-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
    जम्मू—180004 (जम्मू एवं कश्मीर)

27. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय
    कोयम्बटूर—641003 (तमिलनाडु)

28. तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
    चेन्नई—600051 (तमिलनाडु)

29. कृषि विज्ञान विश्वावद्यालय
    बंगलौर—560065 (कर्नाटक)

30. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
    धारवाड़—580005 (कर्नाटक)

31. पश्चिम बंगाल कृषि एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय
    कोलकाता—700037 (पश्चिम बंगाल)

कृषि विज्ञान केन्द्रों (के०वी०के०) की सूची

क्र० सं०	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम व पता	संयोजक का नाम	स्थापना वर्ष
1	2	3	4
अंडमान निकोबार (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फत केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर-744101 (अंडमान निकोबार)	निदेशक केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट बलेयर–744101 (अंडमान निकोबार)	1992 आई
आंध्र प्रदेश (16)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, एम०आर०ओ० आफिस के पीछे, कोठा, मदनपुर, महबूबनगर (आंध्र प्रदेश)	निदेशक यूथ फॉर एक्शन 1-8-702/26/1, पदमा कालोनी हैदराबाद–500044 (आंध्र प्रदेश)	1992 एन
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द गद्दीपल्ली–508201, नालगोंडा, आंध्र प्रदेश	निदेशक श्री अरविन्दों ग्राम विकास संस्थान गद्दी पल्ली–508201 (आंध्र प्रदेश)	1983 एन
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, राजमुन्द्री पू० गोदावरी–533105 (आंध्र प्रदेश)	निदेशक केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान राजमुन्द्री–500044 (आंध्र प्रदेश)	1992 आई
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द क्रोडा, हैयातनगर, रंगा रेड्डी (आंध्र प्रदेश)	निदेशक क्रीडा परिसर, सैदाबाद, पो०आ० संतोषनगर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	1976 आई
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द आर०ए०एस०एस० वनस्थली गांव, करकनबाड़ी, चित्तूर-517501 (आंध्र प्रदेश)	अध्यक्ष रायल सीमा सेवा समिति, 9, पुराना हुजूर कार्यालय बिल्डिंग, तिरूपति (आंध्र प्रदेश)	1992 एन
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द जमीकुंटा, करीमनगर–505112 (आंध्र प्रदेश)	निदेशक ग्राम नव निर्माण समिति, मकान सं० 1-9-639/1, विद्यानगर, हैदराबाद, (आंध्र प्रदेश)	1992 एन
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द पो०ओ० बगवनापल्ली, कुरनूल (आंध्र प्रदेश) 508201	निदेशक श्री हनुमंतराय, शैक्षिक तथा धर्मार्थ सोसायटी, रेड्डाकांति पब्लिक स्कूल इल्लूरू, कोथापेट कुरनूल (आंध्र प्रदेश)	1989 एन

1	2	3	4
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द मार्फत भाग्यतुला धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा, येलामंचिली, विशाखापटनम–531005 (आंध्र प्रदेश)	सचिव भाग्यतुला धर्मार्थ ट्रस्ट, येलामंचिली, विशाखापटनम–531005 आंध्र प्रदेश	1995 एन
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पो०बा० 214, जहीराबाद, मेडक–502220 (आंध्र प्रदेश)	अध्यक्ष, दक्कन विकास सोसायटी, ए-5, मीरा अपार्टमेंट, बशीरबाग, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	1992 एन
10.	प्रशिक्षण संयोजक एन०जी० रंगा कृषि विज्ञान केन्द्र, विनय आश्रम, काबूर, गुंटूर (आंध्र प्रदेश)	निदेशक विनयाश्रम, काबूर, गुंटूर आंध्र प्रदेश	1992 एन
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र ओ०सी०एम०एस० बिल्डिग, कमला नगर, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)	कुलपति आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030	1983 एस
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र रामकृष्ण मंदिर के सामने, यू०एम०डी०आई० रयालम भीमावरम, पश्चिमी गोदावरी–535208 (आंध्र प्रदेश)	कुलपति आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030	1995 एस
13.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र कृ०वि०के० मलयाल फार्म, गांव मलयाल, वारंगल (आंध्र प्रदेश)	कुलपति आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030	1984 .एस
14.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र कृषि अनुसंधान केन्द्र अमदालवलसा श्रीकाकुलम–532423 (आंध्र प्रदेश)	कुलपति आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030	1984 एस
15.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, रस्ताकुंताबाई, विजयनगरम–535523 (आंध्र प्रदेश)	कुलपति आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030	1992 एस
16.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, नन्दयाल, एम०सी० फार्म–डाकखाना, कुरनूल–518503 (आंध्र प्रदेश)	कुलपति आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030	1992 एस

1	2	3	4
	अरूणाचल प्रदेश (1)		
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बसार, प० सियांग–791101, (अरूणाचल प्रदेश)	निदेशक उ०पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० परिसर, उमरोई रोड, बड़ापानी–793101 (मेघालय)	1979 आई
	असम (4)		
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, नापाम, सोनितपुर, तेजपुर, मार्फत पो०बा० 51, तेजपुर, मुख्य पोस्ट आफिस (असम)	कुलपति असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट, असम–785013	1979 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, अरूणाचल सिलचर–788025, कछार, (असम)	कुलपति असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट, असम–785013	1994 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, खुआनटेल, गोलाघाट–785601 असम	कुलपति असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट, असम–785013	1993 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र गोसाई गांव–783360, जिला–कोकराझार (असम)	कुलपति असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट, असम–785013	1985 एस
	बिहार (16)		
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मुगेर, पो०ओ० शंकरपुर, मुंगेर–811201 (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1979 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र दरभंगा (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1996 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र हाजीपुर फार्म, वैशाली (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1996 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पो०आ० मेघोल, खोदावनपुर, बेगूसराय, (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1992 एस

1	2	3	4
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, अगवानपुर, सहरसा–859901 (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1979 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो०आ० हरनौत, जिला–नालंदा–848125 (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1992 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो०आ० विजयनगर, बांका–813101 (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1983 एस
8.	मुख्य प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बाढ़, जिला–पटना, (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1992 एस
9.	मुख्य प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, शेखुपुरा, बिहार	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1996 एस
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सरइया फार्म, मुजफ्फरपुर (बिहार)	कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर–848125 (बिहार)	1997 एस
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, एस०सी०ए०डी०ए० पो०ओ० आरा, भोजपुर–802301 (बिहार)	अध्यक्ष सोन कमांड क्षेत्र विकास एजेंसी सोना भवन, पटना (बिहार)	1993 ओ
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जहानाबाद (बिहार)	अध्यक्ष सोन कमांड क्षेत्र विकास एजेंसी, सोंना भवन, पटना (बिहार)	1997 ओ
13.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो०ओ सोखोदेवरा, नवादा–805106 (बिहार)	महासचिव, ग्राम निर्माण मंडल आश्रम, सोखोदेरा, नवादा–805106 (बिहार)	1979 एन
14.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वनवासी सेवा केन्द्र, पो०ओ० अधोरा, भबुआ–821116 (बिहार)	अध्यक्ष वनवासी सेवा केन्द्र, अधोरा, भबुआ–821116 (बिहार)	1992 एन

1	2	3	4
15.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, शर्मा भारती, खादीग्राम पो०ओ० जमुई–811313 (बिहार)	चेयरमैन खादी ग्रामोद्योग संघ, खादी ग्राम, जमुई–811313 (बिहार)	1994 एन
16.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वी०पी०ओ० बसैठ, चांदपुरा, मधुबनी–847102 (बिहार)	चेयरमैन एस०के० चौधरी शिक्षा ट्रस्ट, नई दिल्ली	1994 एन
छत्तीसगढ़ (4)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र, सरकंडा फार्म, बिलासपुर–495001	कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर	1984 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सरगुजा	कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर	1994 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पशुपालन विज्ञान, गोकुलन, जी०ई० रोड अंजोरा, दुर्ग–491001	कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर	1992 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वाया डीमरापाल जगदलपुर, बस्तर–494001	कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर	1992 एस
दिल्ली (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, उजवा, नई दिल्ली	निदेशक एन०एच०आर०डी०एफ०, जनकपुरी, नई दिल्ली	1995 ओ
गोवा (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, आई०सी०ए०आर० कॉपलैक्स, ईला, ओल्ड गोवा–403202	निदेशक आई०सी०ए०आर० रिसर्च काम्पलैक्स ईला, ओल्ड गोवा–403202 गोवा	1984 आई
गुजरात (10)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, दीसा, बनासकांठा–385535	कुलपति गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात)	1976 एस

1	2	3	4
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय पर्वतीय मोटे अनाज अनुसंधान केन्द्र, बघाई, डेंग (गुजरात)	कुलपति गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात)	1985 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, देवगढ़बरैया, दहोड—389380,	कुलपति गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात)	1976 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, देवराज (सोजितरा), जिला—खेड़ा—387240 (गुजरात)	कुलपति गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात)	1985 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, रंधेजा, गांधीनगर—383630	कुलपति गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद (गुजरात)	1977 ओ
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो०ओ० अम्बेटी आश्रम, वलसाड (गुजरात)	कुलपति गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद (गुजरात)	1992 ओ
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भड़ोच	चेयरमैन, भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, पुणे	1994 एन
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मंगल भारतीय गोलागामडी, गोलगामण्डी बड़ोदरा, (गुजरात)	चेयरमैन, मंगल भारती, बहादुरपुर, बड़ौदा—391125	1994 एन
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र समोंदा, सिद्धपुरा, मेहसाना—384130	निदेशक, सरस्वती ग्राम विद्यापीठ, समोदा, मेहसाना	1992 एन
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मुंद्रा कच्छ—370130	चेयरमैन, ग्रामीण कृषि अनुसंधान तथा विकास सोसायटी, जुहू, मुम्बई	1992 एन
हरियाणा (12)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सीमा थियेटर कमर्शियल काम्प्लैक्स, कोर्ट रोड, पानीपत	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1993 एस

1	2	3	4
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पी०ओ० पेवड़ा, कैथल–132027 (हरियाणा)	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1992 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मकान नं० 2131, अर्बन एस्टेट, जिंद–126102 (हरियाणा)	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1992 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, प्लाट नं० 82, आटोमार्किट सांदलपुर, हिसार–125052 (हरियाणा)	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1989 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, 430/13, शहरी सम्पदा, कुरूक्षेत्र–132118 (हरियाणा)	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1992 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मकान नं० 604, सैक्टर-16 ए, फरीदाबाद–121001 (हरियाणा)	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1992 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मकान नं० 269-4, माडल टाउन, यमुनानगर–135001 (हरियाणा)	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1992 एस
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सैक्टर-14 मकान नं० 449 सोनापत–131001 (हरियाणा)	कुलपति हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा)	1992 एस
9.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, नं० 2, राजेन्द्र पार्क, महेश नगर, अम्बाला कैन्ट, अम्बाला (हरियाणा)	अध्यक्ष सोसायटी फॉर क्रियेशन ऑफ हैवन ऑन अर्थ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	1993 एन
10.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल–132001 (हरियाणा)	निदेशक राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल–132001 (हरियाणा)	1976 आई

1	2	3	4
11.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत श्रीभगवत भारती आश्रम, रामपुरा, रिवाड़ी–123401 (हरियाणा)	सचिव भगवत भक्ति आश्रम, रामपुरा, रिवाड़ी–123401	1983 एन
12.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, शिकोहपुर, गुडगांवा–122001	निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली–110012	1983 आई
हिमाचल प्रदेश (8)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र बजौरा, कुल्लू–175125 (हिमाचल प्रदेश)	कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)	1993 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, डाकघर–सुल्तानपुर, बालू, चम्बा–176314 (हिमाचल प्रदेश)	कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)	1991 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, रामपुर, ऊना–174303 (हिमाचल प्रदेश)	कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)	1991 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मंडी (हिमाचल प्रदेश)	कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)	1993 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, धौला कुंआ, सिरमौर–173001 (हिमाचल प्रदेश)	कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)	1982 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, बारा, हमीरपुर–177044 (हिमाचल प्रदेश)	कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)	1982 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, शारबो एट रेकोंग पिओ, किन्नौर–171107 (हिमाचल प्रदेश)	कुलपति वाई०एस०पी०यू०एच० एंड एफ०, सोलन (हिमाचल प्रदेश)	1995 एस
8.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पैट्रोल पम्प के निकट, रोहरू, शिमला	कुलपति वाई०एस०पी०यू०एच० एंड एफ०, सोलन (हिमाचल प्रदेश)	1995 एस

1	2	3	4
जम्मू एवं कश्मीर (4)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, आर०एस० पुरा, जम्मू–181102 (जम्मू एवं कश्मीर)	कुलपति, एस०के० कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	1992 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, लेह, (जम्मू एवं कश्मीर)	कुलपति, एस०के० कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	1989 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मलंगपुरा, अनंतनाग (जम्मू एवं कश्मीर)	कुलपति, एस०के० कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	1983 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कालीबाड़ी, कठुआ–184104 (जम्मू एवं कश्मीर)	सचिव, शिव ग्रामोद्योग मंडल, कठुआ, (जम्मू एवं कश्मीर)	1993 एन
झारखंड (5)			
1.	मुख्य प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो०आ० जगन्नाथपुर, प० सिंहभूम–833203	कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची, (बिहार)–834006	1983 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, पो०आ० धोरलैश, देवधर–814152 (बिहार)	महासचिव संथाल पहाड़िया सेवा मंडल, देवधर–814152 (बिहार)	1985 एन
3.	मुख्य प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पो०आ० मोराबादी, रांची–834008 (बिहार)	सचिव कृषि विज्ञान केन्द्र, राम किशन आश्रम, मोराबादी, रांची	1977 एन
4.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, होली क्रास वी०टी०आई० हजारीबाग–825301	निदेशिका, होली क्रास, वी०टी०आई०, हजारीबाग–825301 (बिहार	1984 ओ
5.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सिन्दरी, धनबाद–828122 (बिहार)	चेयरमैन, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन नई दिल्ली	1984 एन
कर्नाटक (11)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, रायचूर (कर्नाटक)	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1994 एस

1	2	3	4
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, हेगारी, बेल्लारी, (कर्नाटक)	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1994 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत, हनुमान मत्ती जिला–धारवाड़ (कर्नाटक)	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1977 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, जानवाड़ा, बीदर (कर्नाटक)	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1985 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कन्डीन, हसन (कर्नाटक)	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	1992 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, रायचूर मुदीगैर–577132 चिकमंगलूर (कर्नाटक)	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	1985 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनिकोप्पल–571213 जिला कुर्ग (कर्नाटक)	निदेशक, आई०आई०एच०आर०–225, अपर पैलेस, आर्चड, बंगलौर–560079 (कर्नाटक)	1976 आई
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सुट्टूर, मैसूर (कर्नाटक)	अध्यक्ष, जे०एस०एस० ग्रामीण विकास फाउंडेशन, मैसूर	1994 एन
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चिक्काबालापुर, कोलार (कर्नाटक)	अध्यक्ष, कर्नाटक कल्याण सोसायटी, चिकाबलापुर (कोलार)	1994 एन
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, टुकन्ट्टी गोहक, बेलगांव–591319 (कर्नाटक)	अध्यक्ष, बेलगांव समन्वित ग्रामीण विकस सोसायटी, बेलगांव	1994 एन
11.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, हुलकोटी, जिला गडग	अध्यक्ष के०एच० पाटिल कृषि विज्ञान विश्व फाउंडेशन, जिला गडग–582205	1985 एन

1	2	3	4
केरल (9)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पटम्बी–679306 (केरल)	कुलपति, केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुथी त्रिशूर–680651 (केरल)	1979 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सदानन्दपुरम, क्विलान (केरल)	कुलपति, केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुथी त्रिशूर–680651 (केरल)	1994 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, अम्बालवयाल, वाईनाड–673593 (केरल)	कुलपति, केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुथी त्रिशूर–680651 (केरल)	1984 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय रोपण फसल अनु०, संस्थान, कासरगोड–671124 (केरल)	निदेशक, केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड–671124	1991 आई
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मित्र निकेतन, वेल्लानाड, तिरूवन्नतपुरम (केरल)	अध्यक्ष, मित्र निकेतन, वेल्लानाड–696543 तिरूवन्नतपुरम (केरल)	1979 एन
6.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चाकूपल्लम, इडुकी (केरल)	अध्यक्ष, बापूजी सेवक समाज, चाकूपल्लम इटुकी (केरल)	1994 एन
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पाथेनामथिता (केरल)	चेयरमैन, ईसाई ग्रामीण विकास समिति, थिरूवल्ला, पाथेनामेथिता (केरल)	1994 एन
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान का अनुसंधान केन्द्र, नरक्कल, एरणाकुलम–682505 (केरल)	निदेशक, केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन (केरल)	1976 आई
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पेरूवन्नमुझी, (कालीकट)–673012 कोझिकोडे (केरल)	निदेशक, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, (क्षेत्रीय केन्द्र) कालीकट (केरल)	1991 आई
लक्षद्वीप द्वीपसमूह (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, किल्टन आइलैण्ड (लक्षद्वीप)	कृषि निदेशालय, संघ शासित लक्षद्वीप तथा मिनीकाय द्वीप समूह करावत्ती, लक्षद्वीप	1996 आई

1	2	3	4
	मध्य प्रदेश (16)		
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान, केन्द्र, चन्दा गांव, छिंदवाड़ा–480001 (मध्य प्रदेश)	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय. जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1983 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय फार्म झबुआ–457661 (मध्य प्रदेश)	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1984 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोवियाना साइट, पो०बा० 7, सिधि–486661 (मध्य प्रदेश)	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1992 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बिरूलिया फार्म, शहडोल (मध्य प्रदेश)	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1992 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि महाविद्यालय वारवाड़ी फार्म, पूर्वी–निमाड़, खंडवा, (मध्य प्रदेश)	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1994 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, ललितपुर नाका के पास, टीकमगढ़–472001 (मध्य प्रदेश)	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1994 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, ब्लाक आफिस कम्पाउंड, सिओनी (मध्य प्रदेश)	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1994 एस
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू कृषि, विश्वविद्यालय कैम्पस, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1997 एस
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, काठी बाग, राजगढ़ (मध्य प्रदेश)	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1994 एस
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, डाकघर–आरोन, गुना (मध्य प्रदेश)	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1994 एस

1	2	3	4
11.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बड़गांव ब्लाक–कोरनपुर, पी०ओ०–पाला, बालाघाट–481115 (मध्य प्रदेश)	कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (मध्य प्रदेश)	1992 एस
12.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जौरा, कालुखेडा, रतलाम–457340	अध्यक्ष, कालुखेड़ा, शिक्षा समिति, रतलाम (मध्य प्रदेश)	1994 एन
13.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्री मालवा महिला विकास समिति, पी०ओ० सिरजॉन विदिशा–464228 (मध्य प्रदेश)	अध्यक्ष, मालवा महिला विकास समिति, 32, नियामतपुर, शाहजानबाद, भोपाल (मध्य प्रदेश)	1992 एन
14.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जगदलपुर बस्तर (मध्य प्रदेश)	कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (मध्य प्रदेश)	1976 एस
15.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मझगांव, सतना–484331 (मध्य प्रदेश)	अध्यक्ष, दील दयाल अनुसंधान संस्थान, रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली	1992 एन
16.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, भोपाल (मध्य प्रदेश)	निदेशक, सी०आई०ए०ई०, (भा०कृ०अ०प०), नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल–462018 (मध्य प्रदेश)	1979 आई

महाराष्ट्र (23)

1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र सेलसुरा, वर्धा (महाराष्ट्र)	कुलपति, पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकोला (महाराष्ट्र)	1976 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र पठ्ठन रोड, औरंगाबाद, (महाराष्ट्र)	कुलपति, मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभणी–415725 (महाराष्ट्र)	1983 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र श्रीगांव रतनागिरी, (महाराष्ट्र)	कुलपति, कोंकण कृषि विद्यापीठ डपोली, रतनागिरी(महाराष्ट्र)	1983 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, धूले, 424004 (महाराष्ट्र)	कुलपति, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, महाराष्ट्र	1983 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा वाई०सी० महा० ओपन विश्वविद्यालय नासिक–422005 (महाराष्ट्र)	कुलपति, वाई०सी० महा० ओपन विश्वविद्यालय नासिक–422005 (महाराष्ट्र)	1994 ओ

1	2	3	4
6.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, भाग्य नगर परभणी–431401 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, जीवन ज्योति चेरीटेबल ट्रस्ट, परभणी (महाराष्ट्र)	1994 एन
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पी०ओ० तालासदी, कोल्हापुर–416012 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, डी०वाई० पाटिल शिक्षा समिति, तालासंडे, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	1994 एन
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जलगांव जमोद, बूलदाना–443402 (महाराष्ट्र)	चेयरमैन, सतपुडा शिक्षा समिति जलगांव, जमोद, बूलदाना–443402 (महाराष्ट्र)	1994 एन
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, घाटखेड, अमरावती (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, श्रम साधना ट्रस्ट, 57, कांग्रेस नगर, अमरावती	1995 एन
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दुर्गापुर अमरावती (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, श्रम शाफल्य फांऊडेशन, मधुबन कालोनी कैम्प, अमरावती	1995 एन
11.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, एच०आई०जी० कालौनी, नजदीक आई०टी०आई०, नान्देड़ (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, जवाहर लाल नेहरू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान शिक्षा संस्थान नान्देड़ (महाराष्ट्र)	1994 एन
12.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द, 51 रेलवे लाइन्स, शोलापुर–413001 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, सबरी कृषि प्रतिष्ठान शोलापुर, (महाराष्ट्र)	1994 एन
13.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कर्दा रिसोड, अकोला–444106 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, एस०यू०वी०आई०डी०ई० फांऊडेशन रिसोड अकोला, (महाराष्ट्र)	1994 एन
14.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पोइप आदर्श कृषि, सिंधुदुर्ग–416622 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, पोइप फलोटपदन संकर समिति सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)	1995 एन
15.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा गोखले शिक्षा समिति, कोसबाद हिल, थाणे, 401703 (महाराष्ट्र)	सचिव, गोखले शिक्षा समिति, डी०वाई०के० कालेज आफ कामर्स नासिक, (महाराष्ट्र)	1976 एन
16.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा सतपुरा विकास मंडल, पाल, रावर, जलगांव–425508 (महाराष्ट्र)	चेयरमैन, सतपुरा विकास मंडल, पाल, रावर, जलगांव–425508 (महाराष्ट्र)	1984 एन

1	2	3	4
17.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, आदर्श कालोनी, ग्राम०- अम्बाजोगई, जिला–बीड–431517 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली	1992 एन
18.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कालावाडी, कराड सतारा–415110 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, कल्याणी गोरक्षण ट्रस्ट, कोरेगांव रोड, पूणे (महाराष्ट्र)	1992 एन
19.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत कृषि विकास ट्रस्ट, शारदानगर बारामती, पुणे–413115 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, कृषि विकास ट्रस्ट शारदानगर बारामती, पुणे–413115 (महाराष्ट्र)	1992 एन
20.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, भाबलेश्वर, श्रीरामपुर अहमदनगर–4131336 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान में परवा अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, परवानगर अहमदनगर	1992 एन
21.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सी-413, बंसतदादा सहाकरी साखर, कारखाना, संगली–416416 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष. बंसत प्रकाश विकास प्रतिष्ठान, संगली (महाराष्ट्र)	1992 एन
22.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत मराठवाड़ा सेठी सहाय मंडल, पी०बी० नं० 225 एस०पी० रोड जलना–431203 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, मराठवाडा सेठी सहाय मंडल, पी०बी० नं० 45 एस०पी० रोड, जालना–431203 (महाराष्ट्र)	1992 एन
23.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत पी०ओ० नं० 225, नागपुर 440001 (महाराष्ट्र)	निदेशक, केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, पी०ओ० नं० 225 नागपुर	1994 आई
मणिपुर (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, उ०पू०प० क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० परिसर, लम्फेड, इम्फाल–795004	निदेशक, उ०पू०प० क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० परिसर, उमरोई रोड, बारापानी–793103 (मेघालय)	1979 आई
मेघालय (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, उ०पू०प० क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० परिसर सनसनगिरी बोबासीपरा, तुरा, पश्चिमी गारो हिल्स–794005	निदेशक, उ०पू०प० क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० परिसर, उमरोई रोड, बारापानी–793103 (मेघालय)	1979 आई

1	2	3	4
	मिजोरम (2)		
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि राज्य विभाग, हनाथीयाल लुगलई (मिजोरम)	कृषि निदेशक, मिजोरम सरकार, आईजावल (मिजोरम)	1995 ओ
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, फार्म विज्ञान केन्द्र, कोलासिब–796081 (मिजोरम)	कृषि निदेशक, मिजोरम सरकार, आईजावल (मिजोरम)	1976 ओ
	नागालैण्ड (1)		
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, उ०पू०प० क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० परिसर झरनापानी, मेदजिफेन	निदेशक, उ०पू०प० क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० परिसर, उमरोई रोड, बारापानी–793103 (मेघालय)	1977 आई
	उड़ीसा (12)		
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र सेमिलिगुडा, पो०बा०10, सूनाबेडा,–763002 कोरापुट (उड़ीसा)	कुलपति, ओ०यू०ए०टी०, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	1982 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रपाडा (उड़ीसा)	–वही–	1994 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र जुडिया फार्म पो०बा० कोझार (उड़ीसा)	–वही–	1982 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पो०बा० देवोग वाया सिंगिला, बलियापाल, बालासौर–756026	–वही–	1983 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, भंजनगर ए०टी० बेनकुंडा पो०बा० दीहापघाल, गंजम–768102	–वही–	1985 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गंभीरपल्ली, पो०बा० लांरम्भा, संबलपुर–768102	–वही–	1992 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पो०बा० उदयगिरी, फूलबनी–762100	–वही–	1982 एस

1	2	3	4
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र एन०ए०आर०पी० परिसर, भवानी पटना, कालाहांड़ी	कुलपति, ओ०यू०ए०टी०, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	1992 एस
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, धनकेन्नल (उड़ीसा)	निदेशक, केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक	1994 आई
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अंगुल (उड़ीसा)	-वही-	1994 आई
11.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कटक-763006 (उड़ीसा)	-वही-	1992 आई
12.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोशल्यागंगा, धौली, भुवनेश्वर—751002 (उड़ीसा)	निदेशक, केन्द्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान, कौशल्यागंगा, धौली, भुवनेश्वर	1976 आई
पांडेचरी (2)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मधुर, करइकाल (पांडिचेरी)	मुख्य सचिव, पांडिचेरी सरकार, मुख्य सचिवालय भवन, पांडिचेरी	1994 ओ
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कुसुम्बापट (पांडिचेरी)	मुख्य सचिव, पांडिचेरी सरकार, मुख्य सचिवालय भवन, पांडिचेरी	1994 ओ
पंजाब (10)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, फरीदकोट—151203 (पंजाब)	कुलपति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब)	1994 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, हरदोचनी रोड, ओल्ड गुरू नानक कालेज बिल्डिंग, गुरूदासपुर	-वही-	1982 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मालवा फार्म, जी०टी० रोड़, फिरोजपुर—152001 (पंजाब)	-वही-	1988 एस

1	2	3	4
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नजदीक खेती भवन, ढाबावाली रोड, भंटिडा–151001 (पंजाब)	कुलपति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब)	1989 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बहोवाल, होशियारपुर–146105	-वही-	1989 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पी०बी० नम्बर, 222, गांव रौनी, पटियाला–147001 पंजाब	-वही-	1989 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सुल्तानपुर रोड, नजदीक नई ग्रेन मार्किट, कपूरथला–144601	-वही-	1989 ए
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, खेरी, संगरूर (पंजाब)	-वही-	1993 एस
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, लांगोरिया नवानाशहर (पंजाब)	-वही-	1994 एस
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अबोहर, (पंजाब)	निदेशक, फसल कटाई के बाद की अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना (पंजाब)	1992 आई
राजस्थान (31)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, टीचर्स कालोनी, गुप्तेश्वर रोड, दौसा–303303 (राजस्थान)	कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर–334001	1994 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बी-33 माननगर झुन्झुनु, (राजस्थान)	-वही-	1989 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, फोडर फार्म, ग्राम–बीचवाल, बीकानेर-334020 (राजस्थान)	-वही-	1983 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पो०बा०-16, सवाईमाधोपुर–322001 (राजस्थन)	-वही-	1992 एस

1	2	3	4
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र ताबीजीफार्म, एन०एच० 08, अजमेर–305001 (राजस्थान)	कुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर–334001	1992 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, ओल्ड सिटी, धौलपुर (राजस्थान)	-वही-	1992 एस
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर सेखावटी, सीकर–332301, (राजस्थान)	-वही-	1976 एस
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, केशवाना, जालोर–342001 (राजस्थान)	-वही-	1985 एस
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, विला, नवगांव, अलवर (राजस्थान)	-वही-	1992 एस
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, किसानविद्यापीठ, नजदीक सारंग गेस्ट हाउस, कुम्हेर, भरतपुर–321001 (राजस्थान)	-वही-	1988 एस
11.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पो०बा०नं० 46, जैसलमेर–345001 (राजस्थान)	-वही-	1992 एस
12.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, संजय कालोनी, नागौर (राजस्थान)	-वही-	1992 एस
13.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेरा, दीपक भवन, डाबला रोड, कोटपूतली–303108, जयपुर	-वही-	1989 एस
14.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नजदीक बाडट मट, शास्त्री कालोनी, डूंगरपुर–314001 (राजस्थान)	कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर	1992 एस
15.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बोरवट कृषि अनुसंधान स्टेशन, बांसवाडा–327001 (राजस्थान)	-वही-	1983 एस

1	2	3	4
16.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, स्टेशन रोड, अन्टा, बारन–325202 (राजस्थान)	कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर	1994 एस
17.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोलार फार्म, अम्बास्वइजी गेट, पो०आ० पालडी, सिरोही–307001 (राजस्थान)	–वही–	1989 एस
18.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्तोड़गढ़–312001 (राजस्थान)	–वही–	1992 एस
19.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बोरखेड़ा फार्म, कोटा–324001 (राजस्थान)	–वही–	1992 एस
20.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्तरपूरा रोड़, बून्दी (राजस्थान)	–वही–	1992 एस
21.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, तलाई, पो०बा० 16, झलवार–326001 (राजस्थान)	–वही–	1992 एस
22.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, धोइन्डा, राजसमन्द–313342 (राजस्थान)	–वही–	1994 एस
23.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान स्टेशन, अमाजिया फार्म, गांधीनगर, भीलवाड़ा–311001 (राजस्थान)	–वही–	1992 एस
24.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, वी०पी० टंकाडरा, चोमू, जयपुर (राजस्थान)	सचिव, प्रगति ट्रस्ट, चोमू, जयपुर (राजस्थान)	1992 एन
25.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बनस्थली विद्यापीठ, टोंक–304022 (राजस्थान)	सचिव, बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली, टोंक (राजस्थान)	1992 ओ
26.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बडगांव, उदयपुर–313001 (राजस्थान)	अध्यक्ष, विद्या भवन सोसायटी, बड़गांव, उदयपुर–313001	1983 एन

1	2	3	4
27.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सरदाब शहर, चुरू–311401 (राजस्थान)	रजिस्ट्रार, गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर, चुरू	1992 एन
28.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गायत्री शांति पीठ, बाड़मेर–344001 (राजस्थान)	सचिव, सोसायटी ऑफ अपलिफ्ट रूरल, इकोनॉमी, बाडमेर (राजस्थान)	1992 एन
29.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सांगरिया, हनुमानगढ़ (राजस्थान)	अध्यक्ष, केशयानन्द मेमोरियल ट्रस्ट, सांगरिया, हनुमानगढ़ (राजस्थान)	1989 एन
30.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, काजरी (भा०कृ०अ०प०) जोधपुर–342003 (राजस्थान)	निदेशक, काजरी (भा०कृ०अ०प०), जोधपुर–342003 (राजस्थान)	1983 आई
31.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, काजरी (भा०कृ०अ०प०), पाली, मारवाड़–304401 (राजस्थान)	-वही-	1992 आई
सिक्खिम (1)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, उ०पू०प० क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का काम्पलैक्स, सरमसा, रानीपूल–737135 पूर्वी सिक्खिम (सिक्खिम)	निदेशक, उ०पू०प० क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का काम्पलैक्स, उमरोई रोड, बड़ापानी–793103 (मेघालय)	1982 आई
तमिलनाडु (16)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सलेम (तमिलनाडु)	कुलपति तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	1994 आई
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन (टी०एन०ए०यू०), वृधाचलम, दक्षिण अरकोट-606001 (तमिलनाडु)	-वही-	1985 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कुमार पेरूमल फार्म, साइंस सुरूगमा, त्रिची-639115 (तमिलनाडु)	-वही-	1977 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कट्टूपक्कम–603203 चंगी एम०जी०आर० जिला (तमिलनाडु)	-वही-	1985 एस

1	2	3	4
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कांचीपुरम, वाया थेन्नी, मदुरई–626520 (तमिलनाडु)	चैयरमैन, सैन्टर फार डेवलपमेंट एंड कम्यूनिकेशन ट्रस्ट, थेन्नी, मदुरई–626520	1994 एन
6.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत उपासी, ग्लेनव्यू, कून्नूर–643101, जिला नीलगिरी (तमिलनाडु)	सचिव, उपासी, ग्लेनव्यू, कून्नूर–643101 जिला नीलगिरी (तमिलनाडु)	1983 एन
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम–624302 डिन्डीगुल अन्ना (तमिलनाडु)	सचिव, ग्रांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम–624302, डिन्डीगुल अन्ना (तमिलनाडु)	1989 ओ
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, किलनेली गांव, वेम्माबाक्कम ब्लॉक, थीरूवन्नामलाई, शम्बूवरयार (तमिलनाडु)	अध्यक्ष, तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड, नं०-13, क्रीसेन्ट पार्क स्ट्रीक, टी नगर, मद्रास–500017	1991 एन
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, तेनकोसी, नेल्लई कट्टाबोमैन, जिला–तिरूनेलवेली (तमिलनाडु)	अध्यक्ष, आर०वी०एस० शिक्षा ट्रस्ट, डिन्डीगुल अन्ना (तमिलनाडु)	1994 एन
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कुन्द्राकुडी, पी०एम०टी० जिला (तमिलनाडु)	कुलपति, तमिलनाडु पशु-विज्ञान एवं पशु-चिकित्सा विश्वविद्यालय, मद्रास–600051	1996 एस
11.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, धर्मपुरी, (तमिलनाडु)	अध्यक्ष, तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड, टी० नगर, मद्रास–500012	1994 एन
12.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, आर०वी०एस० कैम्पस, उसीलमपेट्टी, तंजावुर (तमिलनाडु)	अध्यक्ष, भाकवा मेमोरियल ट्रस्ट, 596, ए-1 एवं ए-2, टी०एन०एच०वी० कालोनी, पेरीयार नगर, कोथुर, मद्रास–600080	1995 एन
13.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अल्लीकुलम, मुन्द्रादजपू, पो०आ० करियापट्टी, कमराजर–606102 (तमिलनाडु)	अध्यक्ष, मेयर ट्रस्ट, मदुरई (तमिलनाडु)	1995 एन
14.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मेराडा का तलमाली केन्द्र, तलवाडी ब्लॉक, सत्थामंगलम, तालुक, पेरियार–638468 (तमिलनाडु)	एक्ज्यूकेटिव निदेशक, मेराडा, डोमलर लायूट, बंगलोर–560071	1991 एन

1	2	3	4
15.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, वेगाईकुलम, चिदम्बरनार (तमिलनाडु)	अध्यक्ष, एस०सी०ए०डी० चेरानदेवी, तिरूनेलवेल्ली (तमिलनाडु)	1995 एन
15.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सी/ओ अविनासीलिंगम ग्रामीण केन्द्र, विवेकानन्दपुरम, करमाडई ब्लॉक, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	सचिव, श्री अविनासीलिंगम उच्च शिक्षा एवं गृह विज्ञान संस्थान, कोयम्टूर–641113 (तमिलनाडु)	1979 ओ
त्रिपुरा (2)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, दिव्योद्या, कृषि विज्ञान केन्द्र, दिबानन्दपाली, सेन्बर, खोवली सब डिविजन, पश्चिम त्रिपुरा–799207	महासचिव, श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र, 23, आर०एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	1979 एन
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, उ०पू०प० क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का काम्पलैक्स, बीरचन्द्र मनु, दक्षिण त्रिपुरा	निदेशक, उ०पू०प० क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का काम्पलैक्स, उमरोई रोड, बड़ापानी–793103 (मेघालय)	1984 आई
उत्तर प्रदेश (28)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बचत भवन, कलैक्टरेट कम्पाउण्ड, शांहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)	कुलपति, जी०बी० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, (उत्तर प्रदेश)	1994 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चावल अनुसंधान स्टेशन, नगीना, बिजनौर–246762 (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1992 एस
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चन्द्र नगर सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1992 एस
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बदायूं–243601 (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1992 एस
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, 243, विकास भवन, नई कलैक्टरेट, राजनगर, गाजियाबाद–201001 (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1992 एस
6.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला पंचायत भवन, रामपुर–244901 (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1992 एस

1	2	3	4
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जलालपुर, मुज्जफरनगर (उत्तर प्रदेश)	कुलपति, जी०बी० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, (उत्तर प्रदेश)	1994 एस
8.	प्रशिक्षण संयोजक, स्वामी कल्याण देव कृषि विज्ञान केन्द्र, हस्तिनापुर, मेरठ (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1992 एस
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1998 एस
10.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, फसल अनुसंधान स्टेशन, बहराइच (उत्तर प्रदेश)	कुलपति एन०डी० कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)	1983 एस
11.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बलिया, पो०आ० सोहेन, बलिया—277504	-वही-	1984 एस
12.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पो०आ० हल्धापुर, मऊ—221705 (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1989 एस
13.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, एस-4/50 ए, महावीर रोड, अरदली बाजार, वाराणसी—221001 (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1989 एस
14.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बनजारियां फार्म, पो०आ० करया, बस्ती (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1989 एस
15.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, भराई, पो०आ० भोजला, झांसी (उत्तर प्रदेश)	कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	1989 एस
16.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, डेरी फार्म, पशुचिकित्सा कालेज, मथुरा—280001 (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1984 एस
17.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दरियापुर फार्म पी०ओ० मुंशीगंज, रायबरेली—229405 (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1984 एस

1	2	3	4
18.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, थारियो फार्म, इलाहाबाद–जी०टी० रोड, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)	कुलपति चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	1989 एस
19.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय डेरी फार्म, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1992 एस
20.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	1994 आई
21.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत कमला नहेरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर–228118 (उत्तर प्रदेश)	सचिव, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर–228118 (उत्तर प्रदेश)	1976 एन
22.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, एटा-टुंडला रोड, अवागढ़, एटा (उत्तर प्रदेश)	प्रधानाचार्य, राजा बलवंत सिंह कालेज, बीचपुरी, आगरा (उत्तर प्रदेश)	1982 ओ
23.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जय-प्रभा ग्राम-गोपालग्राम, खारगू चांदपुर, गांधी पार्क, गोंडा–271001 (उत्तर प्रदेश)	अध्यक्ष, दीनदयाल अनुसंधान संस्थान रानी झांसी रोड, नई दिल्ली	1989 एन
24.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गनीवान, बांदा–210206 (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1992 एन
25.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत इलाहाबाद कृषि अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद–211007 (उत्तर प्रदेश)	निदेशक, इलाहाबाद कृषि अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद–211007 (उत्तर प्रदेश)	1992 ओ
26.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सोहना, सिद्धार्थनगर–272193 (उत्तर प्रदेश)	सचिव, लेऑड टेल एरिया देवी सोसायटी, सोहना, सिद्धार्थनगर–272193 (उत्तर प्रदेश)	1992 एन
27.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बाराकाछ, मिर्जापुर–231001 (उत्तर प्रदेश)	कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी,–110005 (उत्तर प्रदेश)	1984 ओ
28.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, इज्जतनगर, बरेली–243122 (उत्तर प्रदेश)	निदेशक, भारतीय पशुचिकित्सा अनु० संस्थान, इज्जतनगर, बरेली–243122 (उत्तर प्रदेश)	1985 आई

1	2	3	4
उत्तरांचल (2)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पी०ओ० गुलचोरा, (लोहाघाट), पिथौरागढ़	कुलपति, जी०बी० पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (उत्तर प्रदेश)	1994 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल—249199 पिथौरागढ़	-वही-	1983 एस
पश्चिमी बंगाल (9)			
1.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कलिंगपोंग, दार्जलिंग—734301 (पश्चिमी बंगाल)	कुलपति, विद्यानचन्द कृषि विश्वविद्यालय, विद्यालय, हरिघाट, मोहनपुर, नादिया (पश्चिमी बंगाल)	1992 एस
2.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत श्री रामकृष्ण आश्रम, पी०ओ० नीमपीठ आश्रम, साउथ—24 परगना, (पश्चिमी बंगाल)	अध्यक्ष, श्री रामकृष्ण आश्रम, पी०ओ० नीमपीठ आश्रम, साउथ-24 परगना—743338	1979 एन
3.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कापगिरि, मिदनापुर—721505 (पश्चिम बंगाल)	अध्यक्ष, सेवा भारती, कापगिरि, मिदनापुर—721505	1976 एन
4.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दुर्गापुर, बर्दमान—713212	अध्यक्ष, हिन्दुस्तान उर्वरक कारपोरेशन लि० नई दिल्ली	1994 ओ
5.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीनिकेतन, वीरभूम—731236 (पश्चिम बंगाल)	कुलपति, विश्व—भारती शांति निकेतन, बोलेपुर	1994 ओ
6.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पी०ओ० सोनामुखी, बंकुरा—722207 (पश्चिम बंगाल)	कार्यपालक उपाध्यक्ष, पश्चिम बंगाल कम्प्रिहैंसिव एरिया डवलेपमेंट कारपोरेशन, 6-ए, राजा सुबोध मुलिक स्कवेयर, कोलकाता	1983 ओ
7.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, विवेकानंन्द नगर, पुरूलिया—735219 (पश्चिम बंगाल)	अध्यक्ष, कल्याण पी०ओ० विवेकानन्द नगर, पुरूलिया	1992 एन

1	2	3	4
8.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, खारा जल परीक्षण मत्स्य फार्म, पी०ओ० काकाद्वीप दक्षिण परगना–24 (पश्चिम बंगाल)	निदेशक, केन्द्रीय अंत:स्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर–743101	1979 आई
9.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, रामशाही, जलपाइगुड़ी–735219 (पश्चिम बंगाल)	कुलपति, डब्ल्यू०बी०यू०ए० एंड एफ०, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	1983 एस

आई – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

एस – राज्य कृषि विश्वविद्यालय

एन – स्वयं सेवी संगठन

ओ – अन्य, केन्द्रीय, राज्य सरकारों सहित/राज्य सार्वजनिक उपक्रम, शिक्षा संस्थानों सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालय

गैर सरकारी संगठनों के अंतर्गत कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों (के०वी०के०) की सूची

क्र० सं०	कृषि विज्ञान केन्द्र का नाम व पता	मेजबान संगठन	स्थापना वर्ष
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, एम०आर०ओ० आफिस के पीछे, कोठा, मदनपुर महबूब नगर (आंध्र प्रदेश)	कार्यपालक निदेशक यूथ फॉर एक्शन 1-8-702/26/1, पदमा कालोनी हैदराबाद–500044 (आंध्र प्रदेश)	1992 एन
2.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र गद्दीपल्ली–508201, नालगोंडा, आंध्र प्रदेश	सचिव श्री अरविन्दों ग्राम विकास संस्थान गद्दी पल्ली–508201 (आंध्र प्रदेश)	1983 एन
3.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र आर०ए०एस०एस० वनस्थली गावं, करकनबाड़ी, चित्तूर–517501 (आंध्र प्रदेश)	अध्यक्ष रायल सीमा सेवा समिति, 9, पुराना हुजूर कार्यालय बिल्डिंग, तिरूपति (आंध्र प्रदेश)	1992 एन
4.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र जमीकुंटा, करीमनगर–505112 (आंध्र प्रदेश)	निदेशक ग्राम नव निर्माण समिति, मकान सं० 1-9-639/1, विद्यानगर, हैदराबाद, (आंध्र प्रदेश)	1992 एन
5.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पो०ओ० बंगानापल्ली, कुरनूल (आंध्र प्रदेश) 508201	सचिव, श्री हनुमंतराय, शैक्षिक तथा धर्मार्थ सोसायटी, रेडाकांति पब्लिक स्कूल इल्लूरू, कोथापेट कुरनूल (आंध्र प्रदेश)	1989 एन

1	2	3	4
6.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फत भाग्यतुला धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा, येलामंचिली, विशाखापटनम–531005 (आंध्र प्रदेश)	सचिव, भाग्यतुला धर्मार्थ ट्रस्ट, येलामंचिली, विशाखापटनम–531005 आंध्र प्रदेश	1995 एन
7.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र पो०बा० 214, जहीराबाद, मेडक–502220 (आंध्र प्रदेश)	अध्यक्ष, दक्कन विकास सोसायटी, ए-5, मीरा आपर्टमेंट, बशीरबाग, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	1992 एन
8.	प्रशिक्षण आयोजक एन०जी० रंगा कृषि विज्ञान केन्द्र, विनय आश्रम, काबूर, गुंटूर आंध्र प्रदेश	अध्यक्ष, विनयआश्रम, काबूर, गुंटूर आंध प्रदेश	1992 .एन
बिहार			
9.	प्रशिक्षण आयोजक कृपि विज्ञान केन्द्र, पो०ओ० सोखादेवरा, नवादा–805106 (बिहार)	महासचिव, ग्राम निर्माण मंडल आश्रम, सोखोदेरा, नवादा–805106 (बिहार)	1979 एन
10.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वनवासी सेवा केन्द्र, पो०आ० अधोरा, भबुआ–821116 (बिहार)	अध्यक्ष, वनवासी सेवा केन्द्र, अधोरा, भबुआ–821116 (बिहार)	1992 एन
11.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, शर्मा भारती, खादीग्राम, पो०आ० जमुई–811313 (बिहार)	अध्यक्ष, खादी ग्रामोद्योग संघ खादी ग्राम, जुमई–811313 (बिहार)	1994 एन
12.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वी०पी०ओ० बसैठ, चांदपुरा, मधुबनी–847102 (बिहार)	अध्यक्ष, एस०के० चौधरी शिक्षा ट्रस्ट, नई दिल्ली	1994 एन
गुजरात			
13.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भड़ोच	अध्यक्ष, भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पुणे	1994 एन
14.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मंगल भारतीय गोलागामडी, गोलगामण्डी बड़ोदरा, (गुजरात)	अध्यक्ष, मंगल भारती बहादुरपुर, बड़ौदा–391125	1994 एन

1	2	3	4
15.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, समोदा, सिद्धपुरा, मेहसाणा–384130	निदेशक, सरस्वती ग्राम विद्यापीठ, समोदा, मेहसाणा	1992 एन
16.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मुंद्रा, कच्छ–370130	अध्यक्ष, ग्रामीण कृषि अनुसंधान तथा विकास सोसायटी, जुहू, मुम्बई	1992 एन
	हरियाणा		
17.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, नं० 2, राजेन्द्र पार्क, महेश नगर, अम्बाला कैन्ट, अम्बाला (हरियाणा)	अध्यक्ष, सोसायटी फॉर क्रियेशन ऑफ हैवन, ऑन अर्थ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	1993 एन
18.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत श्रीभगवत भारती आश्रम, रामपुरा, रिवाड़ी–123401 (हरियाणा)	सचिव, भगवत भक्ति आश्रम, रामपुरा, रिवाड़ी–123401	1983 एन
	जम्मू एवं कश्मीर		
19.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कालीबाड़ी, कठुआ (जम्मू एवं कश्मीर)–184104	सचिव, शिव ग्रामोद्योग मंडल, कठुआ, (जम्मू एवं कश्मीर)	1993 एन
	झारखंड		
20.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, पो०आ० धोरलाश, देवधर–814152 (बिहार)	महासचिव, संथाल पहाड़िया सेवा मंडल, देवधर–814152 (बिहार)	1985 एन
21.	मुख्य प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो०आ० मोराबादी, रांची–834008 (बिहार)	सचिव, कृषि विज्ञान केन्द्र, राकृष्णमिशन आश्रम, मोराबादी, रांची	1977 एन
22.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, होली क्रास, वी०टी०आई०, हजारीबाग–825301	निदेशक, होली क्राम, वी०टी०आई०, हजारीबाग–825301 (बिहार)	1984 एन
	कर्नाटक		
23.	**प्रशिक्षण आयोजक** **कृषि विज्ञान केन्द्र, सूट्टूर, मैसूर (कर्नाटक)**	अध्यक्ष, जे०एस०एस० ग्रामीण विकास फाउंडेशन, मैसूर	1994 एन

1	2	3	4
24.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, चिक्का बालापुर, कोलार (कर्नाटक)	अध्यक्ष, कर्नाटक कल्याण सोसायटी, चिकाबलापुर (कोलार)	1994 एन
25.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, टुकन्ट्टी गोहक बेलगांव-591319, (कर्नाटक)	अध्यक्ष, बेलगांव समन्वित ग्रामीण विकास सोसायटी, बेलगांव	1994 एन
26.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, हुलकोटी जिला–गडग (कर्नाटक)	अध्यक्ष, के०एच० पाटिल कृषि विज्ञान विश्व फाउन्डेशन जिला गडग–582205	1985 एन
	केरल		
27.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मित्र निकेतन, वेल्लान्द, तिरूवन्नतपुरम (केरल)	अध्यक्ष, मित्र निकेतन, वेल्लान्द–696543 तिरूवन्नतपुरम (केरल)	1979 एन
28.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, चाकूपल्लम, इडुक्की (केरल)	अध्यक्ष, बापूजी सेवक समाज, चाकूपल्लम, इडुक्की (केरल)	1994 एन
29.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पाठिनामिट्ठा (केरल)	अध्यक्ष, क्रिशचन ग्रामीण विकास समिति, थिरूवल्ला, पाठिनामिठ्ठा (केरल)	1994 एन
	मध्य प्रदेश		
30.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जौरा, कालुकेड़ा, रतलाम–457340	अध्यक्ष, कालुकेड़ा शिक्षा समिति, रतलाम (मध्य प्रदेश)	1994 एन
31.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, श्री मालवा महिला, विकास समिति, पी०ओ० सिरजॉन विदिशा–464228 (मध्य प्रदेश)	अध्यक्ष, मालवा महिला विकास समिति, 32, नियामतपुर, शाहजहांबाद, भोपाल (मध्य प्रदेश)	1992 एन
32.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मझगांव, सतना–484331 (मध्य प्रदेश)	अध्यक्ष, दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली	1992 एन
	महाराष्ट्र		
33.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भाग्य नगर, परभणी–431401 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, जीवन ज्योति चेरीटेबल ट्रस्ट, परभणी (महाराष्ट्र)	1994 एन

1	2	3	4
34.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पी०ओ० तालासदी, कोल्हापुर–416012 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, डी०वाई० पाटिल शिक्षा समिति तालासंडे, कोल्हापुर–(महाराष्ट्र)	1994 एन
35.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, जलगांव जमोद, बूलदाना–443402 (महाराष्ट्र)	चेयरमैन, सतपुडा शिक्षा समिति जलगांव, जमोद, बूलदाना–443402	1994 एन
36.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, घाटखेड, अमरावती (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, श्रम साधना ट्रस्ट, 57 कांग्रेस नगर, अमरावती	1995 एन
37.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, दुर्गापुर अमरावती (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, श्रम शाफल्य फांऊडेशन, मधुबन कालोनी कैम्प, अमरावती	1995 एन
38.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, एच०आई०जी० कालौनी, नजदीक आई०टी०आई०, नांदेड़ (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, जवाहर लाल नेहरू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान शिक्षा संस्थान, नांदेड़ (महाराष्ट्र)	1994 एन
39.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, 51 रेलवे लाइन्स, शोलापुर–413001 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, शबरी कृषि प्रतिष्ठान शोलापुर (महाराष्ट्र)	1994 एन
40.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कर्दा रिसोड, अकोला–444106 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, एस०यू०वी०आई०डी०ई० फांऊडेशन रिसोड अकोला महाराष्ट्र	1994 एन
41.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पोईप आदर्श कृषि, सिंधुदुर्ग–416622 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, पोईप आदर्श कृषि, सिंधुदुर्ग–(महाराष्ट्र)	1995 एन
42.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, द्वारा गोखले शिक्षा समिति कोसबाद हिल, थाणे–401703 (महाराष्ट्र)	सचिव, गोखले शिक्षा समिति, डी०वाई०के० कालेज ऑफ कामर्स, नासिक (महाराष्ट्र)	1976 एन
43.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत सतपुड़ा विकास मंडल, पाल, रावर, जलगांव–425508 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, सतपुड़ा विकास मंडल, पाल, रावर, जलगांव–425508 (महाराष्ट्र)	1984 एन
44.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, आदर्श कालोनी, ग्राम–अम्बाजोगई, जिला–बीड–431517 (महाराष्ट्र)	चेयरमैन, दीनदयाल रिसर्च इंस्ट्यूट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली	1992 एन

1	2	3	4
45.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कालावाडे, कराड सतारा–415110 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, कल्याणी गोरक्षण ट्रस्ट, कोरेगांव रोड, पुणे (महाराष्ट्र)	1992 एन
46.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत कृषि विकास ट्रस्ट, शारदानगर बारामती, पुणे–413115 (महारष्ट्र)	अध्यक्ष, कृषि विकास ट्रस्ट शारदानगर बारामती, पुणे–413115 (महाराष्ट्र)	1992 एन
47.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, भाबलेश्वर, श्रीरामपुर अहमदनगर–4137336 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान में परवा अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, परवानगर अहमदनगर	1992 एन
48.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र सी-413, बंसतदादा सहकारी साखर, कारखाना संगली–416416 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, बंसत प्रकाश विकास प्रतिष्ठान, संगली (महाराष्ट्र)	1992 एन
49.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मराठवाड़ा, सेठी सहाय मंडल, पी०बी० नं० 225 एस०पी० रोड जलना–431203 (महाराष्ट्र)	सचिव, मराठवाडा सेठी सहाय मंडल पी०बी० नं० 45 एस०पी० रोड, जलना–431203 (महाराष्ट्र)	1992 एन
	राजस्थान		
50.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, वी०पी० टंकाडरा, चोमू, जयपुर (राजस्थान)	सचिव, प्रगति ट्रस्ट, चोमू, जयपुर (राजस्थान)	1992 एन
51.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बडगांव, उदयपुर–313001 (राजस्थान)	अध्यक्ष, विद्या भवन सोसायटी, बड़गांव, उदयपुर–313001	1983 एन
52.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सरदार्ब शहर, चुरू–311401 (राजस्थान)	रजिस्ट्रार, गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर, चुरू	1992 एन
53.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, गायत्री शांति पीठ, बाड़मेर–344001 (राजस्थान)	सचिव, सोसायटी, ऑफ अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी, बा[illegible] (राजस्थान)	1992 एन
54.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, सांगरिया, हनुमानगढ़ (राजस्थान)	अध्यक्ष, केश्यानन्द [illegible]यल ट्रस्ट, सांगरिया, हनुमानगढ़ (राजस्थान)	1989 एन

1	2	3	4
	तमिलनाडु		
55.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, धर्मपुरी, (तमिलनाडु)	अध्यक्ष, तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड, टी नगर, मद्रास–500012	1994 एन
56.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, टेंकोसी, नेल्लई काट्टाबोमन, जिला–तिरूनेलेवेली (तमिलनाडु)	अध्यक्ष, आर०वी०एस० एजुकेशन ट्रस्ट, डिंडीगुल अन्ना (तमिलनाडु)	1994 एन
57.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, कंट्चीपुरम, वाया थेन्नी, मदुराई–626520 (महाराष्ट्र)	अध्यक्ष, विकास एवं दूरसंचार ट्रस्ट का केंद्र, थेनी, मदुराई–626520	1994 एन
58.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, किलनेली ग्राम, वेम्बाक्कम ब्लाक, थिरूवन्नामलाई, समबुवरयार (तमिलनाडु)	अध्यक्ष, तमिलनाडु बोर्ड ऑफ रूरल डैव०, नं०-13, क्रीसेट पार्क स्ट्रीट, टी० नगर, मद्रास–500017	1991 एन
59.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत यू०पी०ए०एस०आई०, ग्लेनव्यू, कून्नूर–643101 नीलगिरी जिला (तमिलनाडु)	सचिव, यू०पी०ए०एस०आई०, ग्लीनव्यू, कून्नूर–643101 नीलगिरी जिला (तमिलनाडु)	1983 एन
60.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, आर०वी०एस कैम्पस, उसीलमपट्टी, तंजावुर (तमिलनाडु)	अध्यक्ष, भाकवा मेमोरियल ट्रस्ट, 596, ए-1 एंव ए-2, टी०एन०एच०वी० कालोनी, पेरियार नगर, कोराथुर, मद्रास–600080	1995 एन
61.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, अल्लीकुलम, मुन्द्रादजपू, पो०आ० करियापट्टी, कमराजर–626102 (तमिलनाडु)	अध्यक्ष, मेयर्स ट्रस्ट, मदुरई (तमिलनाडु)	1995 एन
62.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, मेराडा का तलमाली केन्द्र, तलवाडी ब्लॉक, सत्यामंगलम, तालुक, पेरियार–638468 (तमिलनाडु)	एक्ज्यूकेटिव निदेशक, मेराडा, डौमलुर ले–आउट, बंगलौर–560071	1991 एन
63.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, वेगाईकुलम, चिदम्बरनार (तमिलनाडु)	अध्यक्ष, एस०सी०ए०डी० चेरानदेवी, त्रिकनेलवेल्ली (तमिलनाडु)	1995 एन

1	2	3	4
	त्रिपुरा		
64.	**प्रशिक्षण आयोजक** **कृषि विज्ञान केन्द्र,** **दिव्योद्या, दिबानन्दपाली, सेन्बर,** **खोवली सब डिविजन, पश्चिम** **त्रिपुरा—799207**	महासचिव श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र, 23, आर०एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	1979 एन
	उत्तर प्रदेश		
65.	**प्रशिक्षण आयोजक** **कृषि विज्ञान केन्द्र, मार्फत कमला नेहरू** **मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर—228118 (उत्तर प्रदेश)**	सचिव कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर—228118 (उत्तर प्रदेश)	1976 एन
66.	**प्रशिक्षण आयोजक** **कृषि विज्ञान केन्द्र,** **जय-प्रभा, ग्राम-गोपालग्राम, खारगू चांदपुर,** **गांधी पार्क, गोंडा—271001 (उत्तर प्रदेश)**	अध्यक्ष दीनदयाल अनुसंधान संस्थान रानी झांसी रोड, नई दिल्ली	1989 एन
67.	**प्रशिक्षण आयोजक** **कृषि विज्ञान केन्द्र,** **गनीवान, सिद्धार्थनगर—210206 (उत्तर प्रदेश)**	-वही-	1992 एन
68.	**प्रशिक्षण आयोजक** **कृषि विज्ञान केन्द्र,** **सोहना, सिद्धार्थनगर—272193 (उत्तर प्रदेश)**	सचिव लेओंड टेल एरिया डेवलपमेड सोसायटी, सोहना, सिद्धार्थनगर—272193 (उत्तर प्रदेश)	1992 एन
	पश्चिमी बंगाल		
69.	**प्रशिक्षण आयोजक** **कृषि विज्ञान केन्द्र,** **मार्फत श्री रामकृष्ण आश्रम, पी०ओ० नीमपीठ** **आश्रम, साउथ-24 परगना, (पश्चिम बंगाल)**	अध्यक्ष, श्री रामकृष्ण आश्रम, पी०ओ० नीमपीठ आश्रम, साउथ—24 परगना—743338	1979 एन
70.	**प्रशिक्षण आयोजक** **कृषि विज्ञान केन्द्र,** **कपगिरि, मिदनापुर—721505 (पश्चिम बंगाल)**	अध्यक्ष, सेवा भारती, क पगिरि, मिदनापुर—721505	1976 एन
71.	**प्रशिक्षण आयोजक** **कृषि विज्ञान केन्द्र,** **विवेकानन्द नगर,** **पुरूलिया—735219 (पश्चिम बंगाल)**	अध्यक्ष, कल्याण पी०ओ० विवेकानन्द नगर, पुरूलिया	1992 एन

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5541/2002]

(3) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5542/2002]

(5) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5543/2002]

(6) (क) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 1996-1997 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 1997-1998 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 1996-1997, 1997-98 तथा 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 1996-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5544/2002]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : महोदय, मैं वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (I) लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5545/2002]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 8 मार्च, 2002 के जारी उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (क) के अंतर्गत 15 दिसम्बर, 2001 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2001

(2001 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 23) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5546/2002]

(2) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 21 के अंतर्गत नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) नियम, 2002 जो 19 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 450(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5547/2002]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5548/2002]

अपराह्न 12.0 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है।

(एक) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने बुधवार, 13 मार्च, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :–

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की लोक लेखा समिति के लिए 1 मई, 2002 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 2003 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और ऐसी विधि से जैसाकि सभापति निदेश दे, उक्त समिति में कार्य करने हेतु राज्य सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों को निर्वाचित करे।"

(2) मुझे लोक सभा को यह भी सूचना देने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित किया गया है :–

1. श्री संतोष मोहन देव
2. श्री के० रहमान खां
3. डा० अलादी पी० राजकुमार
4. श्री एस० अग्निराज
5. श्री लेखराज वचानी
6. श्री रामगोपाल यादव
7. श्री प्रशांत चटर्जी

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने बुधवार, 13 मार्च, 2002 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :–

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 1 मई, 2002 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 2003 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और ऐसी विधि से जैसाकि सभापति निदेश दे, उक्त समिति में कार्य करने हेतु राज्य सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों को निर्वाचित करे।"

(2) मुझे लोक सभा को यह भी सूचना देने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित किया गया है :–

1. श्री कलराज मिश्र
2. श्री विक्रम वर्मा
3. श्रीमती अम्बिका सोनी
4. श्री जीवन राय
5. श्री सुरेश कलमाड़ी
6. श्री सतीश प्रधान
7. श्री के० कलावेंकट राव

[महासचिव]

(तीन) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने बुधवार, 13 मार्च, 2002 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :–

"कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2002 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए दोनों सभाओं की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में सम्मिलित हो और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार सकल संक्रमणीय मत द्वारा उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से दस सदस्य निर्वाचित करे।"

(2) मुझे लोक सभा को यह भी सूचना देने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित किया गया है :–

1. श्री श्याम लाल
2. डा० (कुमारी) पी० सैल्वी दास
3. श्री गांधी आजाद
4. श्री वीरभद्र सिंह
5. श्री वी०वी० राघवन
6. डा० फागुनी राम
7. श्री राजू परमार
8. श्री सुखदेव सिंह लिब्रा
9. श्री अनिल कुमार
10. श्री आर० कामराज

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

प्राक्कलन समिति

आठवां और दसवां प्रतिवेदन

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(एक) प्राक्कलन समिति (तेरहवीं लोक सभा) के संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सेवाएं से संबंधित छठे प्रतिवदेन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन; और

(दो) पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय (पर्यटन विभाग) पर्यटन के विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास संबंधित दसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

लोक लेखा समिति

तेंतीसवां प्रतिवेदन

श्री एन० जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2001-2002) का तेतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

प्रो० एस०पी० सिंह बघेल (जलेसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति के निम्नलिखित अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(एक) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

(तीन) महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड

(चार) 'मेकॉन्ड' लिमिटेड और

(पांच) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री के खिलाफ मेरे विशेषाधिकार नोटिस का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दिल्ली की ट्रांसपोर्ट समस्या के बारे में अपनी बात कहनी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपने नोटिस दिया है तो आपको चांस मिलेगा।

कुवंर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के किसानों की हालत दयनीय हो गई है। आप उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की हालत चल कर देखें। इस समय किसान अपना गेहूं बिचौलियों के हाथ बेच रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : दिल्ली में पहले से ही ट्रांसपोर्ट प्रॉबलम हैं और अब किराए बढ़ाने की बात हो रही है। इसे लेकर लोगों में असंतोष है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने नोटिस दिया है तो आपका नाम आएगा और मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कम से कम 16 माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है।

श्री वैको (शिवकाशी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जनहित के मामले पर बोलने के लिए कहा है। आपने मुझे बुलाया है। क्या सभा में हर दिन मामले उठाने का एकाधिकार कुछेक सदस्यों का ही है ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : 16 सदस्यों ने नोटिस दिए हैं। मैं आपको बारी-बारी से बुलाऊंगा। आप सभी को अवसर मिलेगा।

श्री वैको : मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठा रहा हूं। आपने मुझे बुलाया है उपाध्यक्ष महोदय। महोदय, कृपया मुझे बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश जाधव, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री वैको : कृपया इसे एकाधिकार का रूप मत दीजिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश बाबू, मैंनें इस बारे में आपको बताया कि प्रधान मंत्री जी ने मुझे लैटर लिखा है।

[अनुवाद]

मैं उससे संतुष्ट हूं। अब आप किस नोटिस की बात कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री वैको : महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नोटिस है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति में भेजा जाए

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको मालूम हैं कि उन्होंने डिनाई किया है। उसके बाद आपको इसके बारे में नहीं कहना चाहिए। अब मामला खत्म हो गया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (राजगंज) : महोदय, क्या सभा के माननीय सदस्यों को विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। *(व्यवधान) आपने कहा है कि आपने मामले का सत्यापन कर लिया है।* *(व्यवधान)* सभा यह जानना चाहती है कि उसका क्या हुआ है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यही मैं कह रहा हूं अखबारों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उसका खंडन करते हुए प्रधानमंत्री का मुझे एक पत्र मिला है ? अत: मैंने प्रधानमंत्री के पत्र और उनके दावे को उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। यही मैंने उन्हें कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा

*(व्यवधान)**

श्री वैको : महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने पूरे समय को बर्बाद करना एक परम्परा बना दिया है। *(व्यवधान)* समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहां के सीनियर मैम्बर हैं और आपको मालूम है कि जब ऐसा मामला आता है तो उसे वैरीफिकेशन के लिये भेजा जाता है। जब उसका रिप्लाई आ गया है जिसमें उन्होंने डिनाई किया है, इसलिए आपका नोटिस एक्सैप्ट नहीं किया है।

[अनुवाद]

इसे बंद समझा जाना चाहिए माननीय प्रधान मंत्री सदन के नेता है और उन्होंने उत्तर दे दिया है। हम आगे क्या करें।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो आपके आदेशों का पालन करते हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : मेरा नोटिस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजे जाने का है, इसकी जांच-पड़ताल करके भेज दिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब माननीय प्रधान मंत्री ने इसका खंडन किया है और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(व्यवधान)

डा० विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, वे सदैव आपके आदेशों की अवज्ञा करते हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब व्यवस्था बनाए रखें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने माननीय प्रधान मंत्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार संबंधी सूचना दी थी। हमारी परंपरा के अनुसार हमने मामले को माननीय प्रधान मंत्री के पास भेज दिया और उन्होंने इसका खंडन कर दिया है इसलिए हमारे पास इस मामले पर और चर्चा करने का कोई कारण नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री वैको : महोदय, अब वे आपके कथनों का उल्लंघन कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमने माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था। अखबारों में जो कुछ भी प्रकाशित हुआ था माननीय प्रधान मंत्री ने उनका खंडन करते हुए मुझे वापस पत्र लिखा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नियम के मुताबिक नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, यदि मैंने आपकी बातों को सही ढंग से सुना है तो आपने यह कहा है कि आपको माननीय प्रधान मंत्री से एक खंडन मिला है जिसे आपने स्वीकार कर लिया है। इसका अर्थ हम लोगों के लिए यह है कि यह मामला समाप्त हो गया है।
(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हां, अब श्री वैको बोलेंगे।

श्री वैको : महोदय, मुझे यह अवसर प्रधान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या जिस विषय को आप उठाना चाहते थे उसे अब भूल गए हैं ?

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : दक्षिण की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ बहुत ज्यादा भेद-भाव किया जा रहा है।

अपराह्न 12.10 बजे

[अनुवाद]

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में दिए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय 'शून्य काल' के दौरान इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले को उठाने का मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

वर्ष 1999 के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित लिपिक पद हेतु भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम हमारे सामने है। चयन की यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दक्षिण, पूर्वोत्तर और गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के उम्मीदवारों के विरुद्ध भेद-भाव और पक्षपात को दर्शाती है। यह वर्ष 1999 से वर्णनात्मक परीक्षा प्रणाली शुरू करने का परिणाम है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 8085 उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु की गई सिफारिशों में से तीन उम्मीदवार तमिलनाडु से, 12 कर्नाटक से, 52 केरल से और सभी पूर्वोत्तर राज्यों को मिलाकर 11 उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों के उम्मीदवारों को मिलाकर कुल 100 उम्मीदवार हैं। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, क्या वे 'शून्य काल' संबंधी निवेदा कर रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य काल' है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या वे इस तरह पढ़ सकते हैं ?

श्री वैको : महोदय, यह बहुत ही गंभीर समस्या है। यह बेरोजगारी की समस्या से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आंकड़ों का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री वैको : सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा जो वर्णानात्मक प्रकार की होती है में प्रश्न का उत्तर संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में लिखने का प्रावधान है। इस परीक्षा में इस सुविधा की अनुमति नहीं प्रदान करना एक अत्यंत ही गंभीर मुद्दा है। आठवीं अनुसूची की भाषाओं को आई०ए०एस०, आई०पी०एस० जैसी शीर्षस्थ सेवाओं में अनुमति दी गई है तो इस प्रकार की प्रक्रिया कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी क्यों नहीं अपनाई जा सकती ?

इस संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चेन्नई के सामने एक अपील दायर की गई थी। उस न्यायाधिकरण ने टिप्पणी की है कि :

> ''हमने यह मानते हैं कि यह भारत सरकार को विचार करना है कि क्या आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए माध्यम के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जब यह सुविधा अब सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए उपलब्ध है तो हम नहीं समझते कि यह बहुत मुश्किल कार्य है। इस तथ्य को दाखिल किये गए उत्तर में ठीक ही स्वीकार किया गया है।''

महोदय, सरकार को या तो आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में परीक्षा का उत्तर देने हेतु उम्मीदवारों को अनुमति देने हेतु तुरंत कदम उठाना चाहिए या फिर भर्ती के लिए पूर्ववर्ती द्विस्तरीय प्रणाली अपनाना चाहिए जिसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा और साक्षात्कार/दक्षता परीक्षा का प्रावधान था।

चयनित 8085 उम्मीदवारों में से एक हजार बिहार के हैं। मुझे बिहार के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उम्मीदवारों के लिए समान अवसर उपलब्ध नहीं है। जब पूरे देश के उम्मीदवारों को आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अपने संबंधित मातृ भाषा में परीक्षा देने की अनुमति नहीं है तब गैर-हिन्दी भाषी दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों के उम्मीदवार बुरी तरह प्रभावित होते हैं। बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। यह बहुत भारी अन्याय किया जा रहा है।

अत: मैं सरकार से अपील करूंगा कि या तो परीक्षा की पूर्ववर्ती प्रणाली को बहाल करें अथवा परीक्षा के माध्यम के लिए आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को अनुमति प्रदान करें। यह मेरा अनुरोध है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाइको साहब की बात से अपने को एसोसिस्ट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं इस मुद्दे पर माननीय सदस्य के विचारों का समर्थन करता हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, मुझे इस पर बोलने के लिए एक मिनट का समय देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : इस मुद्दे पर हम भी सदस्य के विचारों का समर्थन करते हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर श्री वैको के साथ श्री येरननायडू, श्री जनार्दन रेड्डी, श्री नाच्चीयपन, श्री कुप्पुसामी, श्री सुरेश, श्री मूर्ति, श्री थॉमस, श्री फ्रांसिस, श्री मलयसामी, श्री सेल्वागनपति और ये सभी सदस्य है।

श्री वैको : महोदय, कृपया उन्हें बोलने की अनुमति प्रदान करें। यह एक गंभीर समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको, ठीक है मैंने उन्हें समर्थन करने की अनुमति दे दी है।

श्री के० येरननायडू : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री इस पर कुछ कहना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इन सभी अनुरोधों को 30 अप्रैल के पहले अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री दलित इजिलमलाई (त्रिचरापल्ली) : यह भेद भाव है। *(व्यवधान)* कृपया इसका उत्तर दीजिए। *(व्यवधान)* हम तमिल और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। *(व्यवधान)* यह उनके विरुद्ध स्पष्ट रूप से भेदभाव है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इजिलमलाई, आज आपको क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : महोदय, श्री वैको ने जो कहा, उसका मैं भी समर्थन करता हूं। *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : आठवीं अनुसूची में इसका ज़िक है और इसका पालन किया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप बोलिये, फिर एक सवाल करेंगे। हम वैको जी का समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही सवाल पूछ लीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किस प्रदेश का है, किसका नहीं है, पक्षपात है, वह तो आप देख लेंगे, सरकार बैठी हुई है। वैको जी की एक बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं जो उन्होंने भारतीय भाषाओं के बारे में कहा है कि विदेशी भाषा अंग्रेजी की अनिवार्यता को हटाकर भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने का प्रावधान हो। जब हम सरकार में थे उत्तर प्रदेश में तो वहां दक्षिण की सारी भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था की थी और यह भी किया था कि जो हिन्दी के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में इम्तिहान देंगे उनको कुछ विशेष नंबर अलग से भी दिए जायेंगे। मुझे खुशी है कि हमारे विशेषकर तमिलनाडु के साथी वैको साहब भी किसी न किसी तरह से इस रास्ते पर आ गए हैं और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय भाषाओं के बारे में बात कीजिए और विदेशी भाषा अंग्रेजी को हटाने का काम कीजिए और अभी मौका अच्छा है। कल वोट पड़ेगा इसलिए आप लोग इसके पीछे पड़ जाइए। यह अच्छा मौका है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे उचित समय पर उठाया गया है। *(व्यवधान)* यह बहुत बुद्धिमतापूर्ण प्रश्न है। *(व्यवधान)*

श्री वैको : पंडित नेहरू ने आश्वासन दिया था। इस आश्वासन को ईमानदारी पूर्वक पूरा किया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर दें तो भारतीय भाषाओं में इम्तिहान देने की बात करें।

उपाध्यक्ष महोदय : भारतीय भाषाओं में ही उत्तर भी देना है।

श्री मुलायम सिंह यादव : चाहे मराठी में ही उत्तर दीजिए, हिन्दी अच्छी बोलते हैं, हिन्दी में ही दे दीजिए, लेतिकन अंग्रेजी में उत्तर नहीं दें।

[अनुवाद]

श्री एन० जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : महोदय, भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने का प्रश्न अर्द्ध सैनिक बलों के सिपाहियों की भर्ती के समय उठा था। अर्द्ध सैनिक बलों में करीब 10 लाख सिपाही हैं लेकिन उनमें दस प्रतिशत भी दक्षिण भारत से नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें या तो अंग्रेजी में या फिर हिन्दी में लिखना होता है। यही समस्या है।

गृहकार्य संबंधी स्थाई समिति ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा की अनुमति देने हेतु एकमत से गृह मंत्रालय और भारत सरकार से सिफारिश की है। लेकिन गत एक वर्ष से उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। पता नहीं कि क्या माननीय मंत्री इस बारे में भी कुछ कहने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, जो सवाल उठाया है बड़े महत्व का है। प्रादेशिक भाषाओं में परीक्षा देने का सवाल बहुत सालों से चल रहा था जबकि सिर्फ अंग्रेजी में परीक्षा देने की बात थी और प्रादेशिक भाषाओं में कोई उत्तर नहीं दे सकता था। इस कारण से बड़ी भारी आलोचना इसके खिलाफ देश भर में हो रही थी।

उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि प्रादेशिक भाषाओं में जो उत्तर देना चाहें, उसकी अनुमति उन्हें होनी चाहिए और किसी एक ही भाषा, चाहे वह अंग्रेजी हो या हिन्दी हो, उसकी अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। प्रादेशिक भाषाओं में से वह चाहे जिस भाषा में परीक्षा दे, इसकी अनुमति देनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू : महोदय भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के मामले में भाषा प्रयोग में कोई भेदभाव नहीं है और स्थानीय विद्यार्थी क्षेत्रीय भाषाओं में वे परीक्षायें दे सकते हैं ऐसा वहां हो रहा है। लेकिन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अर्द्धसैनिक बल कर्मियों के छोटे पदों की परीक्षा में उन्हें माननीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा रही है। इन पदों हेतु आवेदक 10वीं, 12वीं या स्नातक स्तर तक होने चाहिए। कुछ राज्यों के उम्मीदवार, अच्छी हिन्दी या अंग्रेजी नहीं जानते। तो वे केवल अंग्रेजी या हिन्दी में परीक्षा कैसे दे सकते हैं ? कुछ राज्यों में उन्होंने स्नातक स्तर तक की पढाई क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू की है। जब हम भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं हेतु क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को अनुमति दे रहे हैं, तो छोटे पदों की परीक्षा में अन्य भाषाओं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों होना चाहिए ? यह वैध और उचित मांग है। अत: यहां चर्चा की कोई जरूरत नहीं है

और संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये इस संबंध में अभी घोषणा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि यह महत्वपूर्ण मामला है, अत: मैं माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति देता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष जी, यह स्वाभाविक बात है कि जो भी भारतीय भाषाएं हैं, उनमें से अंग्रेजी में, हिन्दी में या जिस भाषा में परीक्षार्थी को परीक्षा देने में सुविधा हो, इसका निर्णय करने का पूरा अधिकार परीक्षार्थी को होना चाहिए और वह जिस भाषा में परीक्षा देना चाहे उसमें परीक्षा देने की अनुमति होनी चाहिए। जिसे अंग्रेजी में परीक्षा देने में सुविधा हो, उसे अंग्रेजी में परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमें उसे अंग्रेजी से वंचित नहीं रखना चाहिए। देश की सारी भाषाएं खुली रहनी चाहिए। परीक्षार्थी को अधिकार होना चाहिए कि वह जिस भाषा में परीक्षा देना चाहे, उसे उस भाशा में परीक्षा देने का अधिकार देने की शुरूआत करनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, जो भी परीक्षाएं होती हैं, उनमें प्रादेशिक भाषा में जो उम्मीदवार उत्तर देना चाहते हैं, उसकी अनुमति होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल परीक्षाएं ही प्रादेशिक भाषाओं में नहीं हों, बल्कि उनके जो इश्तहार अंग्रेजी के अखबारों में आते हैं वे भी प्रादेशिक भाषाओं के अखबारों में आने चहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां के परीक्षार्थी अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं या कई बार अंग्रेजी का अखबार ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचता ही नहीं है। इसलिए परीक्षाओं के जो भी इश्तहार आते हैं, वे भी प्रादेशिक भाषाओं में आने चाहिए। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, भाषा का सवाल है। इस देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। इसलिए अंग्रेजी भाषा को विदेशी कन्या की भांति देश से तुरन्त विदा कर देना चाहिए। डॉ० लोहिया कहा करते थे –

अंग्रेजी में काम न होगा, फिर देश कभी गुलाम न होगा।
लोहिया की अभिलाषा, चले देश में हिन्दी भाषा।

इसलिए महोदय, इस समय जो सवाल उठ रहा है वह प्रादेशिक भाषाओं में परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह उठ रहा है। मैं चाहूंगा कि प्रादेशिक भाषाओं में जवाब देने की अनुमति मिलनी चाहिए और इसके साथ-साथ मिथिला क्षेत्र में मैथिली भाषा में परीक्षा देने की अनुमति होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर हमारी घोर आपत्ति और विरोध है। हिन्दी का अपमान नहीं होना चाहिए। हिन्दी देश की राष्ट्र भाषा है। अगर हिन्दी को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा तो देश के लिए और लोकतंत्र के लिए घातक और दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम राष्ट्रभाषा का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हिन्दी के प्रति जो विषवमन किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। भारत की जन-जन की भाषा हिन्दी है। उसका सम्मान होना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको, आपके द्वारा उठाया गया मामला सामने लाया जा रहा है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोयदय : अब, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, हमारे देश के कम से कम तीन-चार राज्यों में अंग्रेजी को सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हमें इसे नहीं भूलना चाहिये। हमें हिन्दी भाषा के लिए पूरा सम्मान और आदर मिला है। मैं सुझाव दूंगा कि संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल या सूचीबद्ध सभी भाषाओं के आधार पर प्रश्न पत्र बनाये जाएं। *(व्यवधान)*

श्री वैको : हम माननीय मंत्री महोदय से जवाब चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री डेन्जिल बी० एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट) : महादेय, मैं स्वयं को श्री वैको द्वारा कही गई बात से संबद्ध करता हूं लेकिन माननीय सदस्य श्री मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ अंग्रेजी भाषा के बारे में कहा है, इस पर कड़ी आपत्ति करता हूं। अंग्रेजी इस देश के ऐंग्लो-इंडियन समुदाय की मातृभाषा है और हमे संविधान में मान्यता प्राप्त है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अंग्रेजी भाषा के बारे में ऐसे शब्द न कहें। *(व्यवधान)* लाखों बच्चे हमारे क्रिश्चियन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह विदेशी संतानों की भाषा हो सकती है, भारतीय भाषा नहीं हो सकती। *(व्यवधान)* अंग्रेजी, अंग्रेजों की औलादों की भाषा है। *(व्यवधान)*

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डी०एम०के० पार्टी की ओर से मैं स्वयं को पूरी तरह श्री वैको द्वारा उठाये गये मुद्दे से संबद्ध करता हूं। हम अनुरोध करते हैं कि सभी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षायें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जायें। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मान्यवर, यह बहुत संवेदनशील मामला है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह संवेदनशील मामला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, सब माननीय सदस्यों ने यहां जो अपने मत व्यक्त किये हैं, हम उसका आदर करते हैं। यह बहुत गंभीर मामला है और शून्यकाल में इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। इसलिए हमारी विनती है कि इस संबंध में प्रधान मंत्री जी विरोधी दल की नेता को बुलायें, और उनसे बातचीत करके इसका हल निकालें। यह भाषा का मामला बहुत संवदेनशील मामला है इसलिए इसमें ऐसे कोई कदम नहीं उठाये जाने चाहिए जिससे हमारे देश के किसी प्रांत की जनता को ठेस पहुंचे। *(व्यवधान)*

श्री वैको : यह वाकई बहुत अनमना प्रयास है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको यह क्या ? यह बहुत महत्वपूर्ण मामला हैं मैं चाहता हूं कि प्रत्येक नेता इस पर बोले।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत संवेदनशील मामला है। *(व्यवधान)*

महोदय, अपने मित्रों के लाभ हेतु मेरा कहना है कि यह बहुत संवेदनशील मामला है और शून्यकाल के दौरान इसका जीक्र करके इस पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिये। श्री वैको ने हालांकि वे उस खेमे में हैं, एक महत्वपूर्ण मामला उठाया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर यदि वे उचित समझें तो बिना क्रुद्ध हुये विपक्षी नेता समेत सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलायें ताकि इस चर्चा से उचित निर्णय हो सके। हमारा इरादा किसी भाषा के महत्व को कम करना नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक भाषायें बोली जाती हैं। देखिये, श्री वैको मेरी हिन्दी नहीं समझ सकते और मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ रहा है। यदि यही स्थिति रही तो आप सभा कैसे चलायेंगे ? यदि हर व्यक्ति इस सभा में आकर अपनी-अपनी मातृभाषा में बोलेंगे तो इस सभा का क्या होगा ? सबको इयरफोन लगाना पड़ेगा।

पूरे भारत के लिये एक भाषा होनी चाहिये। यह हिन्दी या तमिल हो सकती है। मैं तमिल के विरुद्ध नहीं हूं। मेरी बेटी चेन्नई में है। मेरी पोती तमिल सीख रही है। वह परीक्षा में प्रथम आई है। कोई भाषा इससे श्रेष्ठ नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इसलिये हमें ऐसे आगे बढ़ना चाहिये ताकि इस पर उचित फैसला हो सके। यही मेरा अनुरोध है।

श्री वैको : यह एक बड़ा मुद्दा है। इस विशेष मुद्दे पर हम प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैंने यह जो विशेष मुद्दा उठाया है, उस पर मैं माननीय प्रधान मंत्री से जवाब चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : मान्यवर, आज की चर्चा में जैसे सोमनाथ जी ने कहा, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और हमें इसे गंभीरता से लेकर, इस पर पूरी तरह चर्चा करके निर्णय करना जरूरी है। जहां तक हिन्दी और अंग्रेजी का संबंध है, हमारे कान्सटीट्यूशन में बताया गया है कि जब तक साउथ के लोग अंग्रेजी चाहते हैं और वह वहां पर है, तब तक हिन्दी और अंग्रेजी चलती रहेगी। जहां तक प्रांतीय भाषाओं का सवाल है, हमारे कान्सटीट्यूशन में जिन प्रांतीय भाषाओं का उल्लेख है, उन सारी प्रांतीय भाषाओं में प्रश्न पत्र पब्लिक सर्विस कमीशन के ऐग्ज़ामिनेशन में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, इसके ऊपर पहले भी चर्चा हुई है। इसके ऊपर थोड़ा सा निर्णय हुआ है, पूरी तरह से निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन यदि हमको लगता है कि ऐसा करने से हर प्रांत के लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन में आने का मौका मिलेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मगर इसके साथ-साथ यह भी देखना जरूरी है कि जब हम पब्लिक सर्विस कमीशन के ऐग्जामिनेशन में प्रांतीय भाषाओं का उपयोग करेंगे तो क्या उस प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में जाकर भी काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे और यह पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। यह बहुत ही सैन्सिटिव ईशू है। हमारे देश में बहुत सारी चीजों से डिवीजन हो रहा है। इसकी वजह से भी कोई डिवीजन नहीं हो, यह देखते हुए यहां के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उन्हें पूरी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वह सबको मिल कर करना चाहिए, ऐसा हमको लगता है।

[अनुवाद]

श्री वैको : महोदय 8085 उम्मीदवारों में से दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुल उम्मीदवारों की संख्या 100 से भी कम है। यह पूरी तरह भेदभावकारी है। इसीलिये मैंने यह मुद्दा उठाया है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह जवाब देंगे लेकिन उससे पहले मैं हर पार्टी को अवसर देना चाहता हूं।

श्री के० मलयसामी (रामनाथपुरम) : महोदय, ए०आई०ए०डी० एम०के० पार्टी की ओर से मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। एक तर्कसंगत मुद्दा उठाने के लिये मैं श्री वैको को बधाई देता हूं। इस

मुद्दे पर दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हम सब एक हैं। जहा तक समूचे देश की भाषाओं के संरक्षण का सम्बंध है, हम किसी भाषा के खिलाफ़ नहीं हैं। लेकिन साथ ही हमारी रूचि तमिलों और तमिलनाडु के हितों की सुरक्षा में भी है। इस मामले में सभा की प्रवृत्ति और भावना बिल्कुल ठीक है। मुझे बहुत खुशी हूं कि बड़े नेताओं को विवेक और सद्बुद्धि आयी। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इससे बहुत सावधानीपूर्वक निपटा जाना चाहिये। मुझे लगता है कि गुजरात को लेकर ही सरकार के सामने बहुत समस्यायें हैं। अत: उन्हें इस तरह की एक और समस्या को न्यौता नहीं देना चाहिये। मैं सरकार को पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं कि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है और सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि बहुमत की तानाशाही अल्पसंख्यकों पर न थोपी जाये। *(व्यवधान)* जिस परीक्षा के बारे में प्रश्न उठाया गया है, उसे रद्द किया जाये। क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने की सुविधा दी जाये। मंत्री महोदय को इसका जवाब देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : वह जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतियोगिताएं या कम्पीटीटिव ऐग्जामिनेशन में देशभर में भारतीय भाषाओं को अधिकार है ही लेकिन छात्र-छात्राओं को प्रांतीय भाषाओं में भी उत्तर देने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि यदि इसमें प्रांतीय भाषाओं का समावेश नहीं होगा तो उनकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी और वे जवाब नहीं दे पाएंगे। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। आज इस सवाल पर सदन या देश को नहीं बंटना चाहिए लेकिन भारतीय भाषाओं को निश्चित रूप से इसमें पूरा आदर मिलना चाहिए। राष्ट्र की एकता भी इससे जुड़ी हुई है। इसीलिए भारतीय भाषाओं की महता होनी चाहिए। प्रांतीय भाषाओं को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के०ए० सांगतम (नागालैण्ड) : भारत एक बहुनस्ली, बहुजातीय, बहुधर्मी, बहुभाषी देश है। अत: यहां मैं एक अपील करना चाहता हूं। पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में हमने अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अपनाया हुआ है। मेरे अपने राज्य नागालैंड में 16 बोलियां हैं लेकिन लिपि नहीं है। हमने रोमन लिपि को सरकारी के रूप में अपनाया है। हमने अंग्रेजी को सरकारी राजकाज की भाषा के रूप में अपनाया है। यदि हमें अन्य भाषाओं में परीक्षा देनी पड़े तो क्या परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करने का हमारे पास अवसर है ?

ठीक ही कहा गया है, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह तथा भारत के अन्य हिस्सों में लोग अलग-अलग भाषायें बोलते हैं। यदि हम इस बात पर बल देते रहे कि अंग्रेजी को मुख्य भाषाओं की सूची से हटा दिया जाये तो यह ठीक फैसला नहीं होगा। भारत ने अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन दिया है और यही कारण है कि आधुनिक विश्व में साफ्टवेयर के क्षेत्र में आज हमारा प्रथम स्थान है। जबकि जापान, कोरिया और चीन ने अपनी भाषा और लिपि को अपनाया, भारत ने शिक्षा के माध्यम और सरकारी राज काज हेतु अंग्रेजी भाषा को अपनाया और इसीलिए साफ्टवेयर के क्षेत्र में हमारा प्रथम स्थान है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है।

यदि हम क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन नहीं देते, हिंदी को प्रोत्साहन नहीं देते तो अपने कर्तव्य से चूकेंगे। साथ ही, हमें अंग्रेजी भाषा को भी चलाते रखना होगा ताकि प्रत्येक अपनी भाषा को दूसरे की भाषा में समझा सके। अत:, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमें सरकारी कामकाज में राजभाषा के रूप में हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी को भी जारी रखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मकान में दीवार होती है, खिड़की की भी जरूरत होती है। राष्ट्रीय भाषाएं दीवार हैं और प्रांतीय भाषाएं खिड़की हैं, इसलिए दोनों ही चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ई० पोन्नुस्वामी (चिंदबरम) : श्री वैको द्वारा उठाया गया मामला बहुत संवेदनशील और गम्भीर है। पी०एम०के० अकेला दल है जिसने राष्ट्रीय भाषाओं के विषय में 1998 में दिल्ली में एक संगोष्ठी आयोजित की थी जिसमें यह कहा गया था कि सभी 18 भाषाओं को राजभाषाओं की सूची में शामिल किया जाए।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा गुजराती में लिखी और रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 'गीताजंलि' बंगला में। इस बात को ध्यान में रखकर प्रतियोगिता-परीक्षाओं में मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि अभ्यर्थी को अपने भविष्य के निर्धारण के सभी प्रयास करने का निष्पक्ष अवसर मिले।

एक बार तो श्री मुलायम सिंह यादव ने भी हमारा यह कहकर समर्थन किया था कि इस क्षेत्र में भी मातृभाषा का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पी०एम०के० दल के हम सभी सदस्य श्री वैको द्वारा उठाए गए मुद्दे से इत्तफाक रखते हैं और यह बात दोहराते हैं कि प्रतियोगिता-परीक्षाओं में मातृभाषा के उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : भारत बहुत विविधता वाला देश है। हमने अपने संविधान में संघवाद को स्वीकार किया है। आवश्क है कि संघवाद की भावना तथा हमारे संविधान निर्माताओं की मूल इच्छा को और बल प्रदान किया जाये। श्री वैको द्वारा उठाया गया मुद्दा संवेदनशील और गम्भीर मुद्दा है और हम सभी को इस ओर ध्यान देना होगा। हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छेड़ सकते।

मैं भी यही बात कहूंगा जिसे सभा में कई लोगों ने कहा, कि हमें हमारी भाषाओं को पूरा महत्व देना होगा। वस्तुत:, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं और इसी रूप में सारे देश में व्यवहार की जाती हैं। हमें सभी प्रकार की परीक्षाओं में श्री वैको द्वारा उल्लिखित बात सहित सारी भाषाओं को महत्व प्रदान करना चाहिए।

[श्री पी०सी० थामस]

यहां यह बात इसीलिए उठी है कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप भी बदल गया है। पहले वे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते थे और अब उन्हें व्याख्यात्मक बना दिया गया है। इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रश्नों के स्वरूप में हुए बदलाव के संदर्भ में हमें भाषा के मुद्दे पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जहां तक अंग्रेजी का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा कि इसे एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है और हम इसे पीछे नहीं छोड़ सकते चूंकि यह हमें दूसरे देशों से भी जोड़ती है। अत:, इसे जारी रखा जाना ही चाहिए।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : लोक सेवा परीक्षाओं में प्रत्याशियों को क्षेत्रीय भाषाओं से परीक्षा देने की अनुमति है। कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर इस उद्देश्य से शुरू किये गये हैं ताकि देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर भागों के उम्मीदवार सफल न हो सकें।

परिणामों से भी यह जाहिर है। इन परिणामों को निरस्त किया जाना चाहिए। इस परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए, फिर से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए और उम्मीदवारों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हरेक सभासद इसमें भाग ले रहा है। कुछ तो उपयोगी बात हो रही है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री वैको जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। बात यह है कि पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश के अन्दर विविधता है और उसी में एकता है। महात्मा गांधी, जिनको हमने राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया है, उन्होंने कहा था कि हर बालक को शिक्षा उसकी मातृभाषा में देनी व चाहिए। जब वह शिक्षा की शुरूआत अपनी मातृभाषा में करता है, तो उसको परीक्षा भी उसी भाषा में देने का अधिकार देना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षाओं में भी अपनी मातृभाषा में बैठ सके, ऐसा होना चाहिए, यह मैं मानता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बात कही थी कि मातृभाषा में परीक्षा होनी चाहिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री वैको जी ने जो सवाल उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। लोकल रीजनल लैंग्वेज में स्टूडेंट को एग्जाम देने का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, अपना भारत देश एक है, अपने देश का संविधान एक है, मगर अपने देश में धर्म ज्यादा हैं और अपने देश में जातियां भी ज्यादा हैं तथा अपने देश में लैंग्वेजज भी ज्यादा हैं, लोकल लैंग्वेज तो हैं ही। इसके बावजूद को-आर्डिनेट करने वाली भाषा की भी आवश्यकता है। अंग्रेजी की भी आवश्यकता है, अगर कोई विद्यार्थी अंग्रेजी में एग्जाम देना चाहता है, तो उसको रोकना भी ठीक नहीं है। अगर हमें दुनिया का सामना करना है, तो अंग्रेजी की भी आवश्यकता है। इसलिए स्टूडेंट अंग्रेजी में एग्जाम देना चाहता है, तो उसका प्रोवीजन होना चाहिए, मगर हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है। हिन्दी सभी लोगों को सीखनी चाहिए। जैसे सोमनाथ जी ने अपनी बात कही। कोई भाषा में बोलने का प्रयत्न करते हैं, तो बोल सकते हैं, सोमनाथ जी ने हिन्दी बहुत अच्छी बोली है और मैं उनका अभिनन्दन करता हूं तथा वैको जी से निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सा मुलायम सिंह जी के साथ आइए। ···*(व्यवधान)* हिन्दी भी थोड़ी-थोड़ी आती है, हम तमिल भी सुनते हैं ···*(व्यवधान)* मराठी नहीं बोलेंगे, तो बालासाहिब जी को बोलना पड़ेगा। ···*(व्यवधान)* मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि सबको जोड़ने वाली भाषा होनी चाहिए। जिस तरह से भारत के संविधान में सभी भारतीय जातियों के लोगों को एक साथ जोड़ा है, उसी तरह की एक भाषा ऐसी होनी चाहिए, जो सभी प्रान्तों में हो। लोकल लैंग्वेज का मैं सपोर्ट करता हूं, मगर उसके बावजूद एक भाषा ऐसी होनी चाहिए और हिन्दी को हम लोगों ने स्वीकार किया है। हिन्दी को सिखाने का प्रयत्न भारत सरकार को करना चाहिए। आपके साथ काफी लोग हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : क्या इस बात में – कि परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में दी जाए और जो यह कह रहे हैं उसमें – कोई मिलान है ? महोदय, यह तो विषय से भटकना हुआ। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, श्री वैको जी ने रिक्रूटमेंट के बारे में बात कही है। इस बात को मोड़कर कहां ले जाया जा रहा है। वैको जी ने भाषा के संदर्भ में इशू यहां पर उठाया है और रीजनल इम्बैलेंस के बारे में बताया है। प्रादेशिक भाषा में परीक्षा होनी चाहिए। इसकी चर्चा यहां पर हो रही है, लेकिन इस चर्चा को कहां से कहां ले जाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सदन में तो बात कहीं से कहीं चली जाती है।

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मेरे कहने का मतलब है कि श्री वैको जी ने जो सवाल उठाया है, उसको मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन सब को जोड़ने के लिए एक भाषा होनी चाहिए और उसकी आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री के० फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : महोदय, मैं श्री वैको द्वारा उठाए गए मुद्दे के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हमारे बहुभाषी देश में किसी क्षेत्रीय भाषा के साथ पक्षपात करना या उसका अवमान करना ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह मुद्दा किस प्रकार उठ खड़ा

हुआ है। यह इसीलिए, क्योंकि हम त्रिभाषी सूत्र अपनाते हैं। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और फिर, राष्ट्रीय भाषा। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने ब्यौरा दे दिया है।

श्री के० फ्रांसिस जार्ज : यदि सरकार इस सूत्र-जिसे संविधान तक में स्वीकार किया गया है – से बंधी हुई है तो यह मुद्दा उठा ही कैसे ? किसी क्षेत्रीय भाषा, जिसे संविधान की आठवीं अनुसूची में स्वीकार किया गया है, के प्रति पक्षपात कैसे किया जा सकता है ? यह है वह बात जिसे मैं उठाना चाहता हूं। श्री वैको और अन्य माननीय सदस्यों के साथ मैं भी अनुरोध करूंगा कि इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाये और देशभर में जो भी लोग इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उन्हें फिर मौका दिया जाए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की भाषा नीति पर काफी बार चर्चा हो चुकी है। व्यापक तौर पर इसी बात पर सर्वसम्मति हुई है कि हमारी एक राजभाषा हो, अर्थात् हिंदी; और अन्य सभी उन भाषाओं – जिनका आठवीं अनुसूची में उल्लेख है – को प्रोत्साहित किया जाए। संयोजी भाषाओं के विषय में हमें त्रिभाषी सूत्र अपनाना पड़ेगा।

यह एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पर ज़रा-सी चर्चा इसके बारे में और भ्रम पैदा कर देगी। भाषा के ही मुद्दे पर हमारे पड़ोसी देश का विभाजन हुआ। ऐसा किसी एक भाषा को थोपने की वजह से हुआ। इस देश में एक भ्रामक धारणा है कि किसी भाषाविशेष को अन्य भाषाओं और मातृभाषाओं पर आरोपित कर दिया जाये। ऐसा पहले ही कहा जा चुका है कि *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : महोदय, यह मुद्दे को दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : मैं समाप्त कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उसी बात पर आ रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक प्राध्यापक हैं और इन्हें तो आना ही पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री के० येरननायडू : यह परीक्षा का माध्यम चुनने का एक सीमित मुद्दा है। श्री रूपचन्द पाल तो भाषा का मुद्दा उठा रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : श्री वैको द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह श्री वैको का ही समर्थन कर रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल : श्री वैको द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन करते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के संदर्भ में भारत को अन्य बातों के साथ-साथ एक बड़ा लाभ जो प्राप्त है, वह यह है कि दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा यहां अंग्रेजी भाषी लोगों की संख्या बहुत अधिक है। यह, सूचना प्रौद्योगिकी – जो कि दुनिया भर में प्रयुक्त हो रही है – के इस युग में एक लाभदायक बात है। *(व्यवधान)* मैं इस मुद्दे पर सविस्तार चर्चा की मांग करता हूं। *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, 'शून्य काल' की सर्वाधिक संवेदनशील बात यह है कि इसमें सभा में एक मुद्दा अचानक उठा है और इसकी सूचना पहले नहीं दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते, मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूं, यद्यपि यह मेरी सक्षमता और अधिकार क्षेत्र से परे हैं। हमने इस मुद्दे पर लगभग चालीस या पैंत्तालीस मिनट तक चर्चा की। यद्यपि इसमें से कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रत्येक ने ऐसा किया। यद्यपि हममें से कोई भी इसे विस्तार नहीं देना चाहता था, लेकिन प्रत्येक ने सविस्तार ही बात की।

उपाध्यक्ष महोदय : ये लोग तो कह चुके हैं।

श्री प्रमोद महाजन : इससे पूर्व कि मैं श्री वैको द्वारा उठाए गए उस विशिष्ट मुद्दे की बात करूं, मैं एक बात कह देना चाहता हूं।

मैं समझता हूं कि हम सभी जन इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी भाषा का सृजन लोगों को जोड़ने के लिए किया गया होगा, न कि तोड़ने के लिए। जब हम इशारों की भाषा से वाग्भाषा और फिर लिखित भाषा की ओर बढ़े, तो मानवता की मूल आवश्यकता यही रही होगी कि दूसरे जनों के साथ संपर्क किया जाये और उनसे जुड़ने की कोशिश की जाये, न कि आपसी सम्बन्ध तोड़ने की। मुझे विश्वास है कि सारी सभा इस बात से सहमत होगी कि हम ऐसी परिस्थिति में जो भी चर्चा करें, वह देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए हो, न कि तोड़ने के लिए। अ०भा०अ०द्र०मु०क० के नेता ने सही कहा कि अभी सरकार के पास और भी कई ज्वलंत मुद्दे हैं और हम एक और मुद्दा बढ़ाना नहीं चाहते। मेरी समस्या यही है कि मैंने तो इसे नहीं उठाया। लेकिन जब एक बार यह उठ गया, तो जवाब देना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है।

मैं संक्षेप में यही कह सकता हूं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम हिंदी से प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। श्री वैको द्वारा उठाए गए मुद्दे के आलोक में, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है। किंतु एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं कहूंगा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी परंपरा अति प्राचीन है। मैं सोचता हूं कि हिंदी के प्रति प्रेम और अनुराग के कारण हमें उसे सीखना का प्रयास करना चाहिए। मैंने जो यह कहा कि प्रेम और अनुराग के कारण हमें इसे सीखना चाहिए, तो मैं यह भी दोहराऊंगा कि काफी पहले, 1960 के दशक में ही, पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि यदि पूरा देश हिंदी के प्रति प्रेम और अनुराग रखकर उसे सीखता है तो इसमें

[श्री प्रमोद महाजन]

कोई आपत्ति नहीं है। मैं सोचता हूं कि श्री वैको भी इस पर आपत्ति नहीं करेंगे। किन्तु, साथ ही साथ, हम किसी भाषा को समाज में तब तक प्रवर्तित नहीं कर सकते या कहें, कि अर्जित नहीं कर सकते, जब तक कि वह समाज उसके लिए परिपक्व न हो, तैयार न हो। जब तक यह स्थिति है, अंग्रेजी का प्रयोग आवश्यक है।

एक और बात जो हमारे कॉमरेड रूपचन्द पाल ने कही। वस्तुत: उन्होंने तो इस मामले में मेरी मदद ही कर दी। मैं भी श्री मुलायम सिंह की तरह एक आंदोलन में शामिल था। अपने शुरूआती दिनों में, कॉलेज पढ़ते समय, मैं 'अंग्रेजी हटाओ' मुहिम में शामिल हुआ था। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं अब इस बात को समझा कि भारत के पास आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो क्षमताएं हैं, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में; उनमें से एक है -- उसका वह विपुल जनवर्ग, जो अंग्रेजी में वार्तालाप कर सकता है। हम चीन से केवल इसीलिए आगे हैं क्योंकि हम अंग्रेजी में पटु हैं अब चीनी लोग भी तेजी से अंग्रेजी सीखने के प्रयास में लगे हैं। और इस समय यदि हम अंग्रेजी को छोड़ने लगे या अपने छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी सीखने से रोकें, तो हम चीन को दुहरे लाभ का मौका देंगे, जैसा कि – मैं समझता हूं कि – एक राष्ट्र के रूप में हमें नहीं करना चाहिए। अत:, मैं श्री मुलायम सिंह से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

हिंदी का मेरा स्नेह और प्रेम किसी से कम नहीं है। मैं तो कभी-कभार मुलायम सिंह जी से कह देता हूं कि इनसे अच्छी और शुद्ध हिंदी मैं बोलकर बता सकता हूं और अगर शर्त लग जाए कि आधे घण्टे बिना अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करके हिंदी बोलें तो उत्तर भारत के भी बहुत से सांसद बोल नहीं पाएंगे और मैं बोलकर दिखा सकता हूं। इसीलिए मेरी हिन्दी की भक्ति कम नहीं है।

[अनुवाद]

लेकिन, साथ ही, मैं कहना चाहूंगा कि यदि वास्तविक भारत – गांवों के लोगें – को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे आना है, और, यदि हम उन्हें अंग्रेजी सीखने से रोकते हैं; तो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें हम एक अहितकारी स्थिति में डाल देंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी भी राज्य के निवासी भारतीय नागरिक, भारतीय छात्र-छात्राएं और भारतीय नौनिहाल, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के वासी, जब सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचें तो केवल अंग्रेजी भाषा में पटु न होने की वजह से वे किसी अहितकारी स्थिति में पड़े जाएं।
(व्यवधान)

श्री वैको : महोदय, माननीय मंत्री जी अपनी बात पूरी करें।
(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई गलतफहमी है तो अब दूर हो जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव : वैको जी, हम इनके विरोध में नहीं है। हमारा यह कहना है कि आप जो यह कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी अंग्रेजी विरोधी हैं, तो जो विदेशी भाषा या विदेशी साहित्य है उसका कोई विरोध मुलायम सिंह नहीं कर सकता, वह तो कोई नादान या मूर्ख करेगा। यह सवाल नहीं है, सवाल यह है कि हमारा सरकारी कामकाज, संसद, न्यायालय, सार्वजनिक क्षेत्र का कामकाज, बहुभाषी बने। अगर कोई अंग्रेजी सीखे, जर्मनी सीखे या कोई विदेशी भाषा सीखे, इटैलियन कोई सीखे – मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लोक सभा का सारा सरकारी कामकाज बहुभाषी बने और न्यायपालिका भी बहुभाषी बने। सरकारी नौकरियों में उन्हें हर भारतीय भाषा में लिखने का अवसर दिया जाए। इसलिए कृपया आप समाजवादी पार्टी की नीतियों को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे इस बात की खुशी हुई कि आग हम से ज्यादा हिन्दी जानते हैं। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। हम इसका स्वागत करते हैं और कभी मौका आएगा तो आपका सम्मान भी करेंगे।
(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वैको : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई गलतफहमी भी हैं तो अब दूर हो सकती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : जिस किसी मनुष्य ने यहां जन्म लिया, वह कृपया बताए कि वह जब पैदा हुआ तब उसने कौन सी भाषा बोली थी ? *(व्यवधान)* फ्रांस और जर्मनी के लोग मातृभाषा ही बोलते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले मां बोलता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात कहना गलत है। आप ऐसा कह कर सदन को गुमराह मत कीजिए चाहे वह रूस हो, जर्मनी हो या फ्रांस हो। मैं बहुत से देशों की बात कह सकता हूं। वहां सरकारी कामकाज अंग्रेजी में नहीं होता है। उन देशों ने अंग्रेजी के सहारे तरक्की नहीं की। उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग करने से तरक्की की। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको : तमिल सबसे शास्त्रीय भाषा है। तमिल को भारत की राजभाषा बनाया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उन्होंने अंग्रेजी हटाने के लिए कैसा कानून बनाया, आपको यह भी पढ़ना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको, समय बीत रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अभी लोक सभा के क्वश्चन पेपर्स हिन्दी और अंग्रेजी में आते हैं। क्या कल से ये सभी भारतीय भाषाओं में बनेंगे ? वह अभी हिन्दी और अंग्रेजी में बनते हैं। अब उसे पूरी इंडियन लैंग्वेजस में बना दिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया आप अपनी-अपनी सीट ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : मुलायम सिंह जी, जब मनुष्य पैदा होता है तो वह किसी भाषा में नहीं बोलता है। वह रोता है तो रोने की कोई भाषा नहीं होती है। *(व्यवधान)* मुझे पूरा करने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : बच्चा सबसे पहले मां की भाषा बोलता है इसलिए उसे मातृभाषा कहा गया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप एक राय दीजिए। जब किसी को दिल की खतरनाक बीमारी होती है तो वह बड़े डाक्टर को बुलाता है। क्या वह उसके कान में कहता है कि मेरी प्रान्तीय भाषा में प्रिसक्रिप्शन लिखो ? वह कहता है कि जल्दी से मेरा इलाज करो। ऐसी बहस करके यहां क्यों झगड़ा कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : अब मैं इस विशेष मुद्दे के विषय में यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने एक मुद्दा उठाया है, मंत्री जी इसका जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : मैं दुविधा में था। मैं केवल उनके द्वारा उठाये गये मुद्दे का ही उत्तर देने जा रहा था। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप की भी सभा के वाद-विवाद में भाग लेने की इच्छा हैं।

श्री प्रमोद महाजन : मुझे ऐसा करना ही चाहिए क्योंकि यह मेरा कर्त्तव्य बनता है।

अंत में, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा और वह कर्मचारी-चयन आयोग से संबंधित परीक्षाओं के मामले में श्री वैको द्वारा उठाया गया मुद्दा।

सिद्धांतत: मेरा मानना है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अमुक भाषा की जानकारी नहीं है, तो जहां तक इन परीक्षाओं का सवाल है, उस व्यक्ति को अलाभकारी स्थिति में नहीं समझा जाना चाहिए। श्री वैको ने दो बातें कहीं है। पहली बात कि परीक्षा की शैली बदल गई है। जहां कुछ वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं वहां ऐसे प्रश्नों की वजह से वे लोग जो हिन्दी या अंग्रेजी नहीं जानते हैं, नुकसान की स्थिति में रहते हैं। इसे पता चलता है कि वास्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षा में आपकी जानकारी और क्षमता की आवश्यकता नहीं होती। इस समय श्री वैको और पूरी सभा इस महत्व को समझ सकेंगे मुझे नहीं पता कि किस तरह की परीक्षा हुई थी, किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और पिछली बार क्या पूछा गया था; जैसाकि सिद्धांत रूप में मैंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नुकसान में रहे; चाहे वह तमिल हो या बिहारी। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति नुकसान की स्थिति में रहे। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति लाभ की स्थिति में हो। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतिभा को ही तरजीह दं जानी चाहिए।

अपराह्न 1.00 बजे

इस तरह, चाहे तमिल पूरी सीटें ले जाएं या बिहारी सभी सीटें ले जाएं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। किन्तु, जैसाकि आपने ठीक कहा है एक समान अवसर मिलना चाहिए। जब सभी एक उच्च स्तर तक के हो तभी प्रतियोगिता होनी चाहिए। उन्होंने जो कहा है उसे मैंने ध्यान में रख लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे कल तक जवाब देने के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : मैं कल तक जवाब दे भी नहीं सकता हूं। इसलिए मैं इस मामले को संबद्ध विभाग के साथ उठाऊंगा और जैसाकि उन्होंने कहा है कम-से-कम इस बात का पता लगाऊंगा कि भाषा बदल जाने से कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। साथ ही, मैं इस पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं। मैंने इस बात को गंभीरता से लेता हूं और इसे संबद्ध मंत्री को भेजूंगा।

श्री के० येरननायडू : उपाध्यक्ष महोदय, वे संबद्ध मंत्री से इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कह सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए दो मांगे हैं। एक है वृहत् मामले के लिए, जिसकी मांग श्री सोमनाथ चटर्जी ने की है और दूसरा है एक छोटे मामले के लिए जिसकी श्री येरननायडू ने मांग की है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य काल' है। वह किस तरह ऐसे जवाब दे सकते हैं ?

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, संसद के एजेंन्डे को देखते हुए श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री येरननायडू ने जो कुछ भी कहा है उसे प्रधान मंत्री और संबद्ध मंत्री तक न पहुंचाना मेरे लिए कठिन है। मैं उन दोनों अनुरोध को पहुंचाऊंगा। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मैं मदद नहीं कर सकता हूं।

अपराह्न 1.02 **बजे**

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 **बजे**

लोक सभा अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामले लेगी। श्रीमती जसकौर मीणा।

अपराह्न 2.04 **बजे**

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राज्यों में, विशेषकर राजस्थान में केन्द्र द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न नवाचार लागू किए गए हैं, जैसे सर्वशिक्षा, शिक्षा आपके द्वार, बी०पी०ई०पी० सतत साक्षरता, सुलभ शिक्षा इन सभी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक दिशा भ्रमित हो रहे हैं। बालिका शिक्षा के नाम पर कोई ठोस योजना को व्यावहारिक रूप दिया जाना चाहिए था, जो अब तक राज्यों की सरकारों ने नहीं दिया है। मैं राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की बालिका शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठोस उपाय एवं भारत सरकार की योजनाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए आग्रह करती हूं।

मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो योजनाएं राज्यों में लागू कर रहे हैं, उनमें सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित करावें।

(दो) छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, बिलासपुर जिले के गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की आवश्कयता है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में यह एकमात्र विश्वविद्यालय है। यह अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और इनके सामाजिक व राजनैतिक विकास हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालय में मेडिकल कालेज, टेकनोलॉजी, कम्प्यूटर शिक्षा प्रणाली लागू होना आवश्यक है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिलासपुर में गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकृति दी जाए।

(तीन) झारखंड में ग्राम पंचायतों में विभिन्न वर्गों के लोगों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : महोदय, झारखंड प्रदेश में 12 जिलों में सभी ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिया है जबकि इन जिलों में दलित, मुस्लिम, पिछड़े एवं सामान्य वर्ग के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। कहीं-कहीं पर तो इनकी जनसंख्या 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक है। जहां पर आदिवासी कम संख्या में हैं, वहां, पर पूरी तरह से आदिवासी लोगों के लिए आरक्षण कर दिया है जिससे अन्य वर्ग क्षुब्ध हैं और समाज में एकता, सौहार्दपूर्ण वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करके विकास कार्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जिन जिलों की पंचायतों में आदिवासियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, वहां पर आरक्षण आबादी के हिसाब से किया जाए।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इस निर्णय की समीक्षा की जाए और इस प्रकार के बनाए गए कानूनों में शीघ्र संशोधन किया जाए।

(चार) राजस्थान में किशनगढ़ और ब्यावर रेलवे स्टेशनों पर आश्रम एक्सप्रेस का ठहराव बनाए जाने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : महोदय, अजमेर से 29 किलोमीटर पहले किशनगढ़ नामक एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी है जो मार्बल व्यवसाय एवं पावरलूम का महत्वपूर्ण केन्द्र है और जहां देश के विभिन्न भागों से हजारों व्यवसायी मार्बल खरीदने के लिए आते हैं। यहां कृषि उपज की भी प्रसिद्ध मंदी है। किशनगढ़ एवं मदनगंज को मिलाकर एक लाख आबादी है।

दिल्ली–अहमदाबाद ब्राडगेज लाइन पर बांदीकुई और दौसा में 25 किलोमीटर की दूरी है और वहां दोनों रेलवे स्टेशनों पर इस गाड़ी (आश्रम एक्सप्रेस) का दो-दो मिनट का ठहराव है परंतु किशनगढ़ स्टेशन पर इस गाड़ी का ठहराव नहीं है।

अत: भारत सरकार से विशेष आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर 2915/2916 सुपरफास्ट "आश्रम एक्सप्रेस" का दो मिनट का ठहराव निश्चित किया जाए जिससे आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा हो सके। इस ठहराव से रेलवे की आय भी बढ़ेगी और जनता को राहत भी मिलेगी।

(पांच) लोहरदगा और जसपुर बरास्ता गुमला के बीच एक रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

प्रो० दुखा भगत (लोहरदगा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के गुमला जिला के मुख्यालय में आज़ादी के 54 साल के बाद भी रेल सेवा नहीं है जिसके कारण यहां के लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कत हो रही है। यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और अत्यंत पिछड़ा हुआ है। रेल सेवा के अभाव में यहां का आर्थिक विकास तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में रेल लाइन का बनना अति आवश्यकता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि लोहरदगा से जसपुर बरास्ता गुमला नई रेल लाइन बनाकर इस पर रेल सेवा आरंभ की जाए जिससे इस क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव हो सके।

[अनुवाद]

(छह) गडग-बंगलौर और गडग-बीजापुर के बीच सीधी रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता

श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार (मैसूर) : गडग और बंगलौर के बीच सीधी रेलगाड़ी न होने के कारण कर्नाटक के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में रेलगाड़ियां हुबली और होसपेट से होकर गुजरती हैं। होसपेट मार्ग 550 कि०मी० लम्बा है और हुबली का मार्ग 470 कि०मी० लम्बा है। यदि बंगलौर और गडग के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाई जाती है तो यह दूरी केवल 365 कि०मी० की ही रह जाएगी। इसलिए, मेरी मांग है कि गडग और बंगलौर के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाई जाए। इसके साथ ही मेरी यह भी मांग है कि गडग और बीजापुर के बीच भी एक सीधी रेलगाड़ी चलाई जाए।

(सात) देश के कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कपास पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री वाई०वी० राव (गुंटूर) : महोदय, भारत में कपास-उत्पादकों अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कपास-उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है जिससे उनके लिए अप्रत्याशित मुश्किलें पैदा हो रही हैं। आंध्र प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। कपास उत्पादकों के सामने आने वाली कठिनाइयों का मुख्य कारण कपास का आयात है। कपास के आयात से देशी कपास उत्पादकों पर भारी असर पड़ रहा है। कपास पर आयात शुल्क बहुत ही कम है जिससे आयतित कपास सस्ती दरों पर मिल रही है। सभी लोग जानते हैं कि विकसित देश कृषि पर दी जाने वाली अपनी राजसहायता को बनाए रखने की कोशिश में रहते हैं। इसलिए भारत को भी चाहिए कि वह अर्थव्यवस्था को रीढ़ समझे जाने वाले अपने किसानों की रक्षा करे।

उसी प्रकार, इस समय कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 180/220 रुपए प्रति क्विंटल है जो उत्पादकों की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

अत: भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह कपास पर आयात शुल्क कम-से-कम 25 फीसदी तक बढ़ाए और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1800/2000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए।

[हिन्दी]

(आठ) पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उसके वाणिज्यिकरण पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, देश में गत चार वर्षों से एक नए उद्योग का उदय हुआ और देखते ही देखते यह उद्योग आज 1000 करोड़ रुपए का व्यापार करने लगा। उद्योग है पानी की बिक्री का। आज इस उद्योग में सैकड़ों कम्पनियां जिनमें दर्जनों बहुराष्ट्रीय कंम्पनियां भी हैं, लगी हुई हैं। आज देश में पानी दूध की कीमत पर बेचा जा रहा है। नगरपालिकाओं और रेलवे स्टेशनों पर सरकारी जल व्यवस्था ठप्प हो रही है। साथ ही उनके प्रति प्रामाणिकता भी समाप्त हो गई है कि उनमें शुद्ध जल है। पानी पर जो समाज का अधिकार होना चाहिए था, निजीकरण के नाम पर उस पर मुट्ठीभर उद्योगपतियों का अधिकार बढ़ता जा रहा है। परिणामत: आज पेयजल का भी अभाव इस देश में हो रहा है। उपलब्ध जल का आधा पानी बिना उपयोग के समुद्र में बहता है। जल-व्यवस्था के विशेषज्ञ अनेकों महानुभावों ने इस आशय का मत व्यक्त किया है कि जल पर समाज के अधिकार को बनाए रखा जाना बहुत जरूरी है। मेरा सरकार से आग्रह है कि जल के इस व्यापारीकरण पर रोक लगाए और सरकार पेयजल व्यवस्था को व्यवस्थित व विश्वसनीय बनाने के लिए अविलम्ब कार्रवाई करे।

(नौ) उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फतेहपुर ताल रेटॉय और फतेहपुर ताल नारजा झीलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान फतेहपुर ताल रेटॉय और फतेहपुर ताल नारजा झीलों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इनका बहुत बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय क्षेत्र में आता है। चूंकि उल्लिखित क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है इसलिए लोगों को नौकरियों और जीविकोपार्जन के लिए मजबूरन शहरों की ओर जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में उल्लिखित झीलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है ताकि जनहित में आय के स्रोत का सृजन किया जा सके। इस क्षेत्र के लोग इन झीलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की वर्षों से मांग कर रहे हैं।

[श्री बालकृष्ण चौहान]

अत: मैं सरकार से फतेहपुर ताल रेटॉय और फतेहपुर ताल नारजा झीलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने का अनुरोध करता हूं।

(दस) बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड की लाभ अर्जित करने वाली सेलम इकाई को बंद किए जाने से रोकने के लिए उसे मूल कम्पनी से अलग किए जाने की आवश्यकता

श्री टी०एम० सेल्वागनपति (सेलम) : महोदय, बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड, सेलम बहुत पुरानी और आई०एस०ओ० 9002 प्रमाण प्राप्त कम्पनी है। यह 1976 से चल रही है। बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड की सेलम इकाई एक मात्र ऐसी इकाई है जो अपने स्थापना काल से ही मुनाफे में चल रही है। इसी बीच, बी०आई०एफ०आर० ने बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड की लाभ कमाने वाली सेलम इकाई सहित पूरी बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड का निजीकरण करने उसे बंद करने की घोषणा की है। यदि इस इकाई को बंद कर दिया जाता है या इसका निजीकरण किया जाता है, तो निजी क्षेत्र के निर्माता इस्पात उद्योग को रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की आपूर्ति में मनमानी करेंगे। सलेम इकाई में 2500 कामगार आश्रित हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड की सेलम इकाई को मूल कम्पनी से अलग कर इसे अलग अस्तित्व प्रदान किया जाए या इसे भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की अनुषंगी इकाई के रूप में स्थापित किया जाए और । तद्नुसार इस मामले को बी०आई०एफ०आर० में भेजा जाए।

(ग्यारह) बंगाल के मालदा जिले में रातुआ ब्लाक-I का सर्वांगीण विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, रातुआ ब्लॉक-I मेरे लोकसभा क्षेत्र के मालदा जिले में उत्तरी मालदा के सबसे अधिक पिछड़े और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में से एक है। इस ब्लॉक में एक द्वीपनुमा जोन है जिसे महानन्द टोला और बिलाइमारी के नाम से जाना जाता है। इसे बहुत ही तेज बहने वाली फुलोहर नदी से खतरा रहता है। बिहार से आने वाली फुलोहर नदी रामायणपुर से जांजली टोला तक के क्षेत्र को प्रभावित करती है। रातुआ ब्लॉक के महानन्द टोला और बिलाइमारी के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए केन्द्र से एक करोड़ से भी अधिक की राशि आवंटित की जा चुकी है, किन्तु अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है। इस ब्लॉक में स्वास्थ्य और सड़क से संबंधित कोई समुचित आधारभूत संरचना नहीं है और न ही भारी मानसून और बाढ़ के दौरान जल जमाव की निकासी के लिए, विशेषकर कहाला जी०पी० और देवीपुर जी०पी० में, कोई जल निकास की व्यवस्था है। महानन्द डिविजन को जल संसाधन मंत्रालय से तत्काल विशेष सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

मेरा योजना मंत्रालय से अनुरोध है कि इस मामले को बिना देरी किए हुए हल किया जाए।

अपराह्न 2.15 बजे

[अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2002 — *जारी*

सभापति महोदय : अगली मद है — वित्त विधेयक, 2002 पर विचार करना और उसे पारित करना। श्री अधीर चौधरी अपना भाषण जारी रखें। उन्हें केवल 3 मिनट बोलना हैं।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, जहां पिछले शुक्रवार की बैठक में मैंने छोड़ा था।

मैं जिस बात पर पुन: जोर दे रहा हूं वह यह है कि हम आधुनिक प्रौद्योगिकी विशेषत: जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करके कृषि क्षेत्र को पुन: सशक्त करें और यह ध्यान रखें कि इससे हमारे देश की अनुवंशिक तथा जैव विधिता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, क्योंकि भारत नैसर्गिक सम्पत्ति सर्वांगत्र से सदैव समृद्ध रहा है। हमें मालूम है कि हम मांग की मंदी के दौर में हैं जिसे कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार करे पुन: प्राप्त किया जा सकता है। इस समय खपत 5.3 प्रतिशत से गिरकर 2.2 प्रतिशत हो गई है। सरकार आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए अनेकों करोपाय थोपना चाह रही है। तथापि, वह उन गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली के मामले में मौन सामधे हुए है जो अब 90,000 करोड़ से भी अधिक हो गयी है।

जहां तक वस्तुओं और सेवाओं का सम्बन्ध है, सरकार ने यह सोचे बिना कि इस प्रकार के उपाय से वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और बढेगी और इससे अंतत: हमारे देश के आम लोगों की तकलीफें बढेंगी। सामान और सेवाओं सहित घरेलू अर्थव्यवस्था पर और अधिक कर लगाना चाहा है।

क्या मैं वित्त मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने हमारे देश के कर-अपवंचनों को नियोजित करने के लिए कोई रणनीति बनाई है ? गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की पुन: प्राप्ति करने के लिए उन्होंने क्या उपाय किये हैं ? उनकी लागत ब्याज राशि अब 90000 करोड़ रुपये से भी ऊपर हो रही है।

मैं नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की कुछ टिप्पणियों का हवाला देना चाहूंगा। यह कहा गया है कि वर्ष के अंत में 314.06 लाख निर्धारणों में से 125.48 लाख निर्धारण अर्थात् 40% बिक्री हेतु लंबित रह गए थे। 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार निर्धारणों की कुल संख्या 232.13 लाख थी, जिसमें 230.02 लाख आयकर व निगम-कर निर्धारक थे। स्थायी खाता संख्या आबंटन विषयक 40.84 लाख आवेदनों में से, इस वर्ष के अंत तक 17.84 लाख आवेक्ष लंबित पड़े थे महोदय, 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, आयकर और निगम-कर के कारण 56,431.25 करोड़ रुपये की राशि की वसूली नहीं हुई इसलिए स्थिति ऐसी है कि हम वस्तुत: आर्थिक तंगी में हैं और इस आर्थिक तंगी की चपेट में पहले ही पूरा देश

आ चुका है, जबकि हमारा खर्च बढ़ता ही जा रहा है। इस साल के बजट में, संशोधित अनुमानों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद का 16.1 प्रतिशत से अधिक खर्च अभिलिखित किया गया है।

और फिर, इस सरकार की उधारी भी तेजी से बढ़ती जा रही है। यह अब 89,000 करोड़ रुपये या 90,000 करोड़ रुपये के आसपास है। यही कारण है कि भारत की ऐसी आर्थिक स्थिति से हमें चिंता होती है। आर्थिक विषैलापन सारे देश में व्याप्त हो गया है।

क्या मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक और प्रश्न पूछ सकता हूं ? मैं यह जानना चाहूंगा कि गुजरात की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से देश को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है। हम सभी इस मुद्दे से सरोकार रखते हैं क्योंकि राजनैतिक स्तर पर शांति के बगैर आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती। अत:, गुजरात में तो शांति होनी ही चाहिए चूंकि वह भारत का एक समृद्ध राज्य है।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं हकीक़त को हकीक़त ही कहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में, हम भुगतान के क्षेत्र में वे बेहतरीन संतुलन बना चुके हैं। आगे, जहां तक सेवा-क्षेत्र का सम्बन्ध है, हम विश्व-व्यापार का 1.2 प्रतिशतांश अधिगृहीत कर चुके हैं। फिर भी, नकारात्मकताओं की सूची लम्बी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था सुचारू रखने का मूलयंत्र है — आपके सोचने की दिशा। उड़ाऊ पूत परिवार को आर्थिक कल्याण प्रदान नहीं कर सकता।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण चर्चा है। वित्त विधेयक, 2002 की प्रस्तुति के बाद अनेक सवालों के उत्तर दिये जाना शेष है। बजट को केवल लेखाशास्त्रीय अभ्यास का उपकरण भर ही नहीं माना जा सकता। बजट राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए नयी पहलों को उत्प्रेरित करने वाले अति महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं।

विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करें तो पायेंगे कि हम काफी संभावनाओं के उलट चल रहे हैं। दिवसांत में, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लक्ष्यों को प्राप्त करने के अपने प्रयासों में बुरी तरह विफल हो रहे हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय विद्भुत नीति को ही ले लीजिए। नौवीं योजना में हमने 40,000 मेगावाट विद्युत के उत्पादन की बात सोची थी लेकिन हम लगभग 18,000 मेगावाट विद्युत ही उत्पादित कर पाये। हमने वर्ष 2012 तब देश के 'प्रत्येक व्यक्ति को विद्युत' उपलब्ध कराने के लक्ष्य की पूर्ति करनी चाही। इसके लिए हमें लगभग एक लाख मेगावाट विद्युत चाहिए। जब हम वार्षिक रूप से केवल 4000 से 5000 मेगावाट विद्युत का भी अतिरिक्त उत्पादन करने में सफल नहीं हो रहे, तो क्या 2012 तक एक लाख मेगावाट विद्युत उत्पादित करना सम्भव हो पायेगा ? हम ऐसा कैसे कर सकेंगे ? अनेक बार हम देश के निर्धन वर्गों के हितों का सरंक्षण करने में विफल सिद्ध हुए हैं। जनता अब हम लोगों — संसद्-सदस्यों — पर विश्वास नहीं करती। जब हम लोगों के पास जाते हैं तो हमें हमारे आश्वासनों का स्मरण कराया जाता है। यदि यथार्थ की बात करें तो हम बुरी तरह विफल रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत-खपत 345 इकाई है जबकि स्वीडन जैसे विकसित देशों में यह 17000 इकाई प्रति व्यक्ति है। अमरीका में यह 11000 इकाई प्रति व्यक्ति है। क्या इस दर से हम हमारी विकास गतिविधियों के द्वारा उनके आधे रास्ते पर भी पहुंच सकते हैं ? यदि हम कहें कि हां, तो बाहर वालों को तो हम लुभा सकते हैं लेकिन खुद को यह धोखा देना होगा।

हम अपने यहां के किसानों की तुलना अन्य देशों के किसानों से करते हैं क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अब तो विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था है और इस कारण हमें विश्व व्यवस्था से भी सहमत रहना पड़ेगा। हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमें मात्रात्मक प्रतिबंध हटवाने हैं और दूसरे देशों से बीजों का आयात करना है। लेकिन, जरा देखिए तो सही, हमारे देश की आबादी का कितना प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर है और अन्य देशों की आबादी का कितना प्रतिशत ? हम उनके पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस गरीब देश की लगभग 70 प्रतिशत जनता अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है, जबकि विकसित देशों में यह प्रतिशत केवल 7 ही है। 70 प्रतिशत का 7 प्रतिशत से क्या मुकाबला ? क्या ऐसा संभव है ? यदि ऐसा संभव नहीं, तो हमें अपनी 70 प्रतिशत जनता की आजीविका की रक्षा करनी चाहिए। हमने इन दीनहीन कृषकों के लिए क्या किया है ? यह एक बहुत विषम स्थिति है। फिर, उन्हें 'नाबार्ड' और अन्य बैंकों के माध्यम से ऋण देते समय, तो सरकार ने निवल अतिशेष जमा पर 18 प्रतिशत का राशिगत लक्ष्य निश्चित कर रखा है, लेकिन औसतन, यह उस 70 प्रतिशत आबादी के लिए निवल अतिशेष जमा का केवल 15 प्रतिशत ही बैठता है। जो किसान सकल घरेलू उत्पाद के 38 से 39 प्रतिशत भाग के लिए जिम्मेदार हैं, क्या वे निवल अतिशेष जमा का इतना प्रतिशतांश पाने के भी हकदार नहीं ? जब वे सकल घरेलू उत्पाद में बराबर से योगदान कर रहे हैं, तो हमें उन्हें उसी अनुपात में इस सुविधा से नवाजा जाना चाहिए। कृपया इस ओर सोचें। अन्यथा, हमारे देश की स्थिति सदैव ऐसी ही बनी रहेगी क्योंकि हम उन्हें गरीबी के पाश से खीचने का प्रयास ही नहीं कर रहे। वे गांवों में पड़े-पड़े दुर्गति का शिकार हो रहे हैं। आज अनेक किसान क्यों आत्महत्या का रास्ता चुन रहे हैं — क्योंकि वे ऋण को चुकता करने में असमर्थ हैं। हम हमेशा कहते रहते हैं कि हम किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन सब्सिडी को तो बिचौलिए दलाल ही खा लेते हैं — उर्वरक विनिर्माता, भारतीय खाद्य निगम का विपणन अधिकारी, मिल मालिक और बीच के कितने ही लोग।

अपराह्न 2.29 बजे

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

हम उर्वरक विनिर्माताओं को निधियां उपलब्ध तो कराते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह देखा कि वे किस प्रकार इन निधियों का दुरुपयोग कर रहे हैं ? हम उन्हें हजारों करोड़ रुपये दे रहे हैं। ऐसा करने की बजाय यदि आप ब्याज-मुक्त ऋणों के जरिये, फसल बीमा के

[श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति]

जरिये, किसानों को यह पैसा दें तो कम से कम उन्हें अपने ऋण के बोझ को कम करने का कुछ मौका तो मिलेगा। वे बहुत ही सोचनीय स्थिति में है। इस धनराशि का उपयोग करके उन्हें ब्याज-मुक्त ऋण का नाममात्र ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराइए।

काफी समय से वायदा किया जाता रहा है कि फसल-बीमा का कामकाज देखने के लिए एक विशेष फसल बीमा निगम स्थापित किया जायेगा। इसकी स्थापना भी नहीं हो सकी है। क्या इससे आबादी का एक बड़ा वर्ग प्रभावित नहीं हो रहा ? अब हमारे किसी कार्य से आबादी के एक बड़े हिस्से का नुकसान होता है, तो हमारा और सरकार का यह अवश्य कर्तव्य हो जाता है कि हम उस वर्ग के हितों की उसकी समस्या के परिदृश्य में सुरक्षा करें। फसल-बीमा एक ऐसी ही वस्तु है। हम इस समस्या का निदान करने में असफल रहे हैं।

किसान को अपने बीज चुनने का अधिकार नहीं, उसे नाममात्र अथवा कम या रियायती ब्याज दर पर ऋण लेने का अधिकार नहीं, ताकि वह और अधिक उत्पादन की ओर ध्यान दे सके। किसानों को दलालों के पास जाना पड़ता है और फिर भी अपना काम करते रहना पड़ता है। इस देश की तुलना उन विकसित देशों से नहीं की जा सकती, जहां की आबादी का केवल 10% हिस्सा ही कृषि पर निर्भर है। हमारे देश में तो 70 प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर है। अब, 70 प्रतिशत आबादी को 10 प्रतिशत के मुकाबले पर रखना एक अव्यावहारिक बात है। हाल ही में एक प्रैस-समाचार में छपा था। मैं आपको इसकी कतरन की एक प्रति दे दूंगा। आंध्र प्रदेश में न्यायमूर्ति पी०ए० चौधरी की अध्यक्षता वाले एक त्रि-सदस्यीय आयोग ने कहा :

> "विपणन करने में भारतीय खाद्य निगम की विफलता, किसानों का माल न उठाए जाने और इससे उत्पन्न विकट स्थिति का एक प्रमुख कारण रही है और मिल मालिकों ने भी किसानों को 1,000 करोड़ रु० तक का नुकसान पहुंचाया है।"

ऐसा प्रभावी विपणन न होने की वजह से हुआ है। इस बजट में कुछ सुझाव दिए गए हैं। यह एक शुभ संकेत है और स्वागतेय है। कृषि-उत्पाद के विपणन के लिए नये विपणन-क्षेत्रों का सृजन किया जा रहा है। पांच उल्लिखित क्षेत्रों वर्तमान पांच क्षेत्रों के अलावा और भी अधिक क्षेत्र बनाइए। जब आबादी का इतना बड़ा वर्ग इस पर निर्भर है तो प्रतिबंधन का सवाल ही क्यों ? भारत के अनेक राज्यों में अलग-अलग तरह के कृषि-उत्पाद की भारी पैदावार होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर में आम होते हैं, त्रिपुरा में अनन्नास, आंध्र प्रदेश आम-गूदे और शाक-भाजी के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र आम के लिए और मध्य प्रदेश आलू, प्याज और लहसुन के लिए जाने जाते हैं। आज किसानों की हालत यह है। हमारे देश की निर्भरता मुख्यत: कृषि-उत्पादों पर ही है। यदि हम किसानों को विपणन सहायता नहीं दे सकते, तो पूरी व्यवस्था ही संकट में पड़ जायेगी और यह बिलकुल चरमरा जायेगी। आज सुबह भी बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि तंजाबूर, पटना और अन्य स्थानों से चावल नहीं उठाया जा रहा है। यह केवल एक ही राज्य की बात नहीं है, सभी राज्यों में ऐसा ही है। पूरे विपणन कार्य का बुरा हाल है। यदि इसको दुरूस्त नहीं किया गया तो मुश्किल हो जाएगी।

हम किस बात पर बहस कर रहे हैं ? किसान भिखारियों की तरह एफ०सी०आई० के चक्कर लगा रहे हैं। एफ०सी०आई० का मौजूदा विपणन तंत्र पर्याप्त नहीं है। देश के सभी महत्वपूर्ण बाजारों को जोड़ा जाना है। एक नेटवर्क सम्पर्क होना चाहिए और जहां कहीं भी कमी हो वहां आपूर्ति की जानी चाहिए तथा हम यह नहीं कह सकते कि यह राज्य का विषय है और इस पर राज्य ही ध्यान देंगे। सभी राज्य मिलकर भारत कहलाते हैं। भारत राज्यों में है और राज्यों में भारत है। अत: कुछ विपणन सहायता मिलनी चाहिए। यदि आप प्रमुख बाजारों को सहायता प्रदान करते हैं और उन्हें आपस में जोड़ते हैं तो पहुंच आसान हो जाएगी। आप आधार तैयार करें। आप पाबंदियां आवश्यकतानुसार लगाएं, नियमित आधार पर नहीं। यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है।

एक और बात गांवों में गरीबी का बढ़ना है। 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम जैसे कई अच्छे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं जिनके अंतर्गत निशुल्क या न्यूनतम मूल्य पर चावल दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में यह कार्यक्रम लोकप्रिय है। हाल ही में मानव विकास आयोग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह चल रहा है।

देश में अनुमानत: गरीबी का प्रतिशत 26.5 है जबकि आंध्र प्रदेश में हाल के इन कार्यक्रमों की वजह से यह प्रतिशत घटकर 16 पर आ गया है। यदि चावल की अधिक मात्रा हमारे पास है तो उसे बाद में समुद्र में फैकने की बजाय गरीब लोगों को दे दें ताकि वे इसका उपयोग कर सकें। दूसरे, हम चावल का दो वर्ष से अधिक भंडारण भी नहीं कर सकते। यदि इसका दो वर्ष से अधिक समय तक भंडारण किया जाता है तो यह मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रहता। लेकिन, गोदामों में कितने टन चावल दो वर्ष से अधिक की अवधि से पड़ा है ? यह सच्चाई हमें कोई नहीं बताता। कोई आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम किसानों की सहायता कर सकते हैं और जब तक हम उनके उत्पादों के विपणन के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाते, हम किसानों की सहायता नहीं कर पाएंगे। हमें लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें कुछ और प्रोत्साहन दीजिए। ऐसे कई लघु उद्योग हैं जो बैंक ऋण उपलब्ध नहीं होने के कारण या तो बंद हो चुके हैं या रुग्ण हो गए हैं या उनमें काम नहीं हो पा रहा है। यदि उन्हें कोई ऋण मिलता है तो वह बड़े उद्योगों को मिल रहे ऋण की तुलना में बहुत अधिक ब्याज दर पर मिलता है। कैसी विड़म्बना है कि बड़े उद्योगों को बैंक से कम ब्याज पर ऋण मिलता है जबकि किसानों या लघु उद्योगों को ऋण अधिक ब्याज दर पर मिलता है। माननीय वित्त मंत्री ने इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लघु उद्योग क्षेत्र को सौंपा जा सकता है। मूल्य संवर्द्धित कर के एम समान कानून बनाकर सभी स्थानों पर इन पदार्थों की प्रतिस्पर्धी उपलब्धता के द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसका किसानों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि खपत बढ़ने से जो कुछ हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी मांग बढ़ेगी। एक ओर, स्कूल जाने वाले बच्चों को पोषाहार नहीं मिलता दूसरी ओर, हमारे देश में एक अतिरिक्त खाद्यान्नों की विकट समस्या हैं तीसरी चीज यह है कि विपणन की व्यवस्था नहीं है। अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए ? इसके लिए कोई तंत्र होना चाहिए। इसीलिए, मैं कह रहा हूं कि बजट लेखाओं का प्रस्तुतीकरण मात्र नहीं है; बल्कि यह समस्त विचाराधीन विकास कार्यों का प्रस्तुतीकरण है।

रोजगार के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि गांवों में बेरोजगारी बेतहाशा बंढ़ रही है। सत्तर प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हमें पांच से दस वर्ष की अवधि में एक त्वरित प्रणाली के माध्यम से यह निर्भरता कम करनी है। माननीय वित्त मंत्री अपने उत्तर में यह बताएं कि एक निश्चित समयावधि के भीतर सरकार देश की कितनी जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता चाहती है क्योंकि हम सारी चीजों को विश्व स्तर पर जोड़कर देख रहे हैं। जब हम हर चीज को विश्व स्तर से जोड़कर देख रहे हैं तो हमें कृषि पर निर्भरता के प्रतिशत को भी इसी से जोड़कर देखना चाहिए। बिजली की खपत 345 यूनिट प्रति व्यक्ति है। राज्य इसे बढ़ाकर 1,000 यूनिट कब करने जा रहे हैं ? कई राज्य अतिरिक्त बिजली होने का दावा करते हैं परन्तु उसे घरों को, गांवों को नहीं देते। आधी आबादी को बिजली उपलब्ध नहीं हैं और राज्य दावा करते हैं कि उनके पास अतिरिक्त बिजली है। खाद्यान्नों के मामले में भी राज्यों के पास अतिरिक्त भंडार हैं परन्तु भूख से मौतें हो रही हैं। यदि उनके पास खाद्यान्नों के अतिरिक्त भंडार हैं तो लोग भृख से क्यों मर रहे हैं ? इन सब के बीच कहीं न कहीं सम्पर्क टूटा हुआ है। यह केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है कि इन दोनों सिरों का सम्पर्क बनाए ताकि इस देश के लोगों, देख के गरीब वर्ग के लोगों को सम्मान जनक जीवन जीने के लिए एक नीति बने। तभी हम गरीबी उन्मूलन कर सकते हैं।

हम हर साल रोजगार की बात करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो एक पार्टी को या दूसरी पार्टी सभी पार्टियां प्रतिवर्ष एक करोड़, दो करोड़ या तीन करोड़ नौकारियां देने का आश्वासन देती हैं।

बजट दस्तावेज में श्वेतपत्र के रूप में एक अध्याय जोड़े जाने की भी आवश्यकता है, जो वार्षिक प्रस्तुतीकरण होना चाहिए। इसमें प्रतिवर्ष ऐसे युवाओं का विस्तृत ब्यौरा हो जिनको नौकरियां दी गईं। अंतत: यह हमारा कर्त्तव्य बनता है कि बेरोजगारी पैदा न हो बल्कि समाप्त हो। मानव संसाधनों को उत्पादक कार्यों में लगाया जाना चाहिए। हम उन्हें यह कहकर नहीं छोड़ सकते कि आप अपने लिए स्वयं काम ढूंढ़िए। हम वार्षिक आधार पर कितनी नौकरियां सृजित कर रहे हैं ? कृपया इस प्रश्न पर ध्यान दें। अन्य देशों में, एक व्यवस्था यह है कि प्रतिवर्ष जितने रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं, उनका ब्यौरा श्वेत पत्र में दिया जाता है। हम भी इस बारे में सोच सकते हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार का जहां तक संबंध है, मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 55 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। यह एक अच्छी बात है क्योंकि इससे लोगों का हमारे देश की सामर्थ्य के बारे में विश्वास प्रकट होता है और उनका विश्वास है कि इस धन का उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाएगा। जब आपके पास इतना मुद्रा भंडार है तो रुपये का मूल्य क्यों गिर रहा है ? कृपया हमें बताएं कि यह 50 के आंकड़े को कब पार करता है ताकि हम कुछ व्यापार कर सकें। क्या इस भंडार के साथ हम अनुकूल स्थिति में हैं ?

आप हमेशा दावा करते हैं कि आप मुद्रा स्फीति की दर को एक दशमलव कुछ पर ले आए हैं। यह भी खतरनाक है क्योंकि यदि यह और नीचे गई तो खपत ही समाप्त हो जाएगी; मुद्रा स्फीति खपत से भी जुड़ी होती है। यदि आपकी खपत ही नहीं है तो आप क्या पैदा करेंगे; यदि आप उत्पादन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बेचेंगे कुछ भी उत्पादक नहीं होगा। इसलिए, मुद्रा स्फीति न होने का अर्थ है धन का न होना।

आप अनुभवी वित्त मंत्री हैं और आपने अन्य किसी भी वित्त मंत्री से अधिक बजट पेश किए हैं। हो सकता है कि आप का नम्बर ही पहला हो। श्री कानूनगो ने यह कहते हुए मेरी बात में सुधार किया है कि आपका दूसरा नम्बर है, और मैं चाहता हूं कि आपक नम्बर पहला हो। मैं चाहता हूं कि आप स्थिति में सुधार करें। आपको स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए, अन्यथा लोग आपको इस पद पर नहीं रहने देंगे। यहां पर सभी का और मेरा समर्थन होने के बावजूद यदि आपने स्थिति में सुधार न किया तो लोग आपको इस पद पर नहीं बैठने देंगे।

जब हमारे पास 55 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी मुद्रा भंडार है तो रुपये के मूल्य में गिरावट क्यों आ रही है ?, राष्ट्र इस बात का जवाब आपसे चाहता है और आपको हमें इसके बारे में बताना चाहिए। यह आर्थिक गतिविधियों में मंदी के कारण हो रहा है। जो धन आ रहा है, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका उपयोग बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए नहीं किया जा रहा हैं और यह धन 'धरोहर' के रूप में रखा हुआ है। लोगों को आप पर विश्वास है कि आप इस धन का उपयोग करेंगे। किन्तु, क्या आप इस धन का उत्पादक कार्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं ? आप रुपये का मूल्य बरकरार नहीं रख पाए हैं; आप उत्पादकता में सुधार नहीं कर पाए हैं, और आप खपत में सुधार नहीं कर पाए हैं। आर्थिक गतिविधि में मंदी आई है और वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत पर आकर थम गई है। आप कहते हैं कि जब तक वृद्धि दर आठ प्रतिशत पर नहीं पहुंच जाती, तब तक कोई समाधान नहीं है। ताजा सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि हम 5.6 से 6 प्रतिशत के आस-पास हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें अर्थव्यवस्था को प्रेरित किया जाना है। अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ? हम राजकोषीय घाटे को रोकने में असफल रहे हैं। यदि कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है तो कम से कम हम यह कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटे के

[श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति]

कारण आर्थिक गतिविधि में मंदी आई है। एक ओर आर्थिक गति-विधि में मंदी है।

दूसरी ओर, राजकोषीय घाटा प्रतिवर्ष क्यों बढ़ रहा है। यह इसलिए बढ़ रहा है। क्योंकि सरकार का अनुत्पादक व्यय दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। सरकार अपने अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण पाने में असमर्थ है। माननीय वित्त मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस पहलू पर ध्यान दें और राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करके इसे 4.6 प्रतिशत पर लाएं जैसा कि इस वर्ष के बजट में वादा किया गया है। राजकोषीय घाटे में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। यह सरकार द्वारा निर्धारित सीमा को कैसे पार कर जाता है ? सरकार ने इस पर नियंत्रण करने के लिए क्या व्यवस्था की है ? इस पहलू पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : यह इनके अन्दरूनी दवाब के कारण है।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : मैं यह नहीं जानता। लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर ध्यान दिया जाना है।

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : महोदय, अपने दल की ओर से मैं एक मात्र वक्ता हूं, इसलिए मुझे कुछ अधिक समय मिलना चाहिए। लेकिन, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात समाप्त करूं तो मैं बैठ जाता हूं।

महोदय, दो कारणों से गरीब लोग और श्रमजीवी वर्ग इस बजट से खुश नहीं है। पहला कारण यह है कि सरकार ने इस बजट में काम की सुरक्षा के लिए किन्हीं उपायों का प्रस्ताव नहीं किया है और दूसरे, सरकार ने समाज के इन वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं किया है। सरकार को चाहिए कि कम से कम वह गरीब की रसोई तो पकती रहे। सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बहुत ही प्रतिस्पर्धी दरों पर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में लोग मिट्टी के तेल का उपयोग नहीं करते, इसका उपयोग गांवों के लोग ही करते हैं। गांवों में गरीब किसानों के पास बिजली तो होती नहीं और उनके पास खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल पर ही निर्भर करते हैं। ग्रामों में अपना खाना पकाने के लिए लोग मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। यद्यपि यह कार्य कठिन है फिर भी सरकार अपना बजट संतुलित करने में असमर्थ है तो लोग नाराज हो जाएंगे। यह लोगों के क्रोध का ही प्रश्न नहीं है बल्कि सुधारों का भी मानव वादी रूख होना चाहिए। हम ऐसे सुधार चाहते हैं जो कल्याणकारी हों मात्र सुधार के लिए ही सुधार नहीं मैं माननीय हमारी वित्त मंत्री से हमारी उच्च शिक्षा में मानवीय मूल्यों के विकास हेतु कुछ धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं। यह कार्य कुछ देशों में किया जा रहा है। अत: यदि माननीय वित्त मंत्री इस प्रयोजनार्थ धनराशि आवंटित कर सकें तो हम संबंध में सरकार का इरादा भलीभांति समझा जा सकता है।

महोदय, मध्यम वर्ग अथवा श्रमिक वर्ग, जैसाकि ज्ञात है, रसोई गैस सिलेंडर का उपयोग करता है और वे रसोई गैस सिलेंडरों के मूल्य में वृद्धि की तुलना अपने वेतन में हुई वृद्धि से करते हैं। अत: यदि आप रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य नहीं घटाते हैं तो आपको उनके वेतन में वृद्धि करने होगी। लोगों के वेतन में वृद्धि करने की अपेक्षा रसोई गैस सिलेंडरों का मूल्य कम करना अच्छा है। इसका प्रभाव यह होगा कि लोग रसोई गैस सिलेंडरों के मूल्यों में इस वृद्धि का फायदा उठा लेंगे।

महोदय, मैं जमा धनराशि पर ब्याज की दरों में वृद्धि करने का आग्रह नहीं करूंगा किन्तु साथ ही हमें यह याद रखना चाहिए कि सेवानिवृत्त लोगों के पास जो प्रतिभूति होती है वह उस धनराशि को वे बैंकों में रखते हैं। हम अपनी दरों को विश्व स्तर पर प्रति-स्पर्धात्मक बनाने के लिए कम दर पर ब्याज दे रहे हैं। किन्तु क्या हमारी जमा और ऋण समान बैंक दर है ? हम बैंकों में जमा और ऋण पर चार प्रतिशत से छह प्रतिशत के अन्तर की अनुमति दे रहे हैं। जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं में यदि कोई ब्याज के रूप में छह से आठ प्रतिशत की अधिकतम दर दे रहा है तो वे भी बैंकर के मार्जिन के रूप में छह प्रतिशत ही एकत्र कर रहे हैं और कुल मिलाकर चौदह प्रतिशत ब्याज वसूल रहे हैं। अन्य देशों में ब्याज की जमा दर और ऋण दर में चार प्रतिशत के अन्तर की अनुमति है। कुछ मामलों में हम चार प्रतिशत की भी अनुमति देते हैं। इस पहलू की भी जांच करने की आवश्यकता है।

अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए ब्याज दरों को कम करने की जरूरत है। किन्तु वर्तमान स्थिति के अनुसार इसकी एक ऊपरी सीमा होनी चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री से इसकी जांच करने का अनुरोध करता हूं। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। काम अथवा नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। देश में बड़ी संख्या में युवक बेरोजगार हैं।

जल विद्युत के उपयोग के माध्यम से किसानों को जो लाभ मिल सकते हैं उनकी जांच की जानी है। देश में जल विद्युत क्षेत्र में कुल क्षमता बहुत अधिक है। मोटे तौर यह क्षमता 1,45,000 मेगावाट है। तथापि, लगभग 42000 मेगावाट का इस समय उपयोग किया जा रहा है। यदि नदियों के जल का उपयोग बिजली का उत्पादन करने के लिए किया जाए तो इस प्रकार होने वाली बचत हमारे जैसे गरीब देश के लिए बहुत लाभदायक होगी। भारत सरकार को राज्यों से इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। यदि नदियों के जल का बेहतर उपयोग किया जाए, तो हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर गरीब किसानों को बिजली दे सकते हैं। इससे उसकी उत्पादन लागत में कमी आएगी और उसे प्राकृतिक उथल पुथल से भी बचाएगी।

बजट में बहुत सारी अच्छी बाते हैं। देश की सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया गया। हो सकता है हम ऋण जाल में फंसे हुए हों किन्तु

हमारे पास काफी मुद्रा भंडार हैं। मुद्रा भंडार का उचित उपयोग किया जाना चाहिए ताकि अधिकतर लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या और शिक्षा दी जा सके। मैं माननीय वित्त मंत्री से इसमें भूल न करने का अनुरोध करता हूं। इन तथ्यों को उनके ध्यान में लाना हमारा कर्तव्य है। लघु उद्योग तब तक जीवित नहीं रह सकते जब तक खाद्य प्रसंस्करण हेतु सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं और बाजारों का विकास नहीं किया जाता। हाल ही में ग्रेनाइट यूनिटों को कुछ रियायतें दी गई हैं। कृत्रिम फाइबर को भी कुछ रियायतें दी गई हैं।

अपारम्परिक ऊर्जा क्षेत्र में लगी यूनिटों द्वारा ऐसी समस्याओं का सामना किया जा रहा है। उपकरणों के आयात के समय वे कहते हैं कि मशीनरी संयंत्र से भिन्न है। जब आप संयंत्र की बात करते हैं तो इसमें सारी मशीनरी शामिल होती हैं। लेकिन उनका कहना है कि इसमें कलपुर्जे शामिल नहीं हैं, केवल मुख्य मशीनरी शालिम है। इसके अंत में विनिर्माण कार्य को चालू रखने के लिए कुल मशीनरी की आवश्यकता होती है। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा।

इन शब्दों के साथ में श्री यशवंत सिन्हा द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे मेरे द्वारा उल्लेख किए गए क्षेत्रों पर भी ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, हम लोग वर्ष 2002 03 के केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

जहां तक बजट का सवाल है, बजट व्यावहारिक होना चाहिये। हिन्दुस्तान के बहुसंख्यक लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं, और उन लोगों का संबंध कृषि से हैं। अगर हिन्दुस्तान जैसे देश का बजट कृषि पर आधारित नहीं होगा तो इसके अच्छे दूरगामी परिणाम निकलने वाले नहीं हैं। यह बात अपनी जगह सही है कि इस बार श्री यशवंत सिन्हा ने कृषि पर ज्यादा धन खर्च करने का थोड़ा प्रयास किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह नहीं के बराबर है। यह कोई सार्थक प्रयास नहीं है। हमारे देश का बजट 4,10,309 करोड़ रुपये का है। हमारे 65-70 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की धुरी कृषि है। कृषि क्षेत्र को जितना मजबूत, जितना सशक्त करने का काम हमारे देश में होना चाहिए, वह काम इस बजट की मार्फत नहीं हुआ है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि क्षेत्र में जो शोध हो रहे हैं, उन शोधों का कोई लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। ये शोध सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित हैं। न तो वैज्ञानिक गांवों में जाते हैं और न सरकार के पास उन शोधों को किसानों को देने की कोई व्यवस्था है। इन शोधों का यदि सही मायनों में व्यावहारिक लाभ लेना है तो जब तक ये शोध किसानों तक नहीं जायेंगे, तब तक ये शोध अर्थहीन हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। शोध कार्यों को संरक्षण देने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो काम बजट में होना चाहिए, वह नहीं हुआ।

सभापति महोदय, यही हालत जल प्रबंध की है। अभी तक 62 फीसदी खेती असिंचित है। हमारे देश में सिर्फ 38 प्रतिशत खेती सिंचित है। खेती सिंचित हो, इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास हमारे देश में नहीं हुए और न इस बजट में कोई इस तरह का प्रयास हुआ है। तमाम जल परियोजनाएं लम्बे समय से लम्बित पड़ी हैं। लेकिन वे जल परियोजनाएं इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं की जा सकीं।

कृषि के बाद हमारे देश का जो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां लोगों को अधिक रोजगार मिलता है, वह लघु उद्योग है। 'इस बार के बजट में लघु उद्योगों के लिए 433 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो नहीं के बराबर है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और कॉटेज इंडस्ट्रीज को 580 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है और इसी में से 392 करोड़ रुपये खादी और ग्रामोद्योग को भी दिये जायेंगे। बजट में लघु और कुटीर उद्योगों की भी उपेक्षा हुई है। मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज जो देश में बेरोजगारी की समस्या है और जो देश के हालात बने हैं, इस परिस्थिति में यदि हम लघु और कुटीर उद्योगों को सशक्त और मजबूत नहीं बनायेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो इस देश की स्थिति और भी खराब होगी।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, कि हमारे देश में गैर योजना व्यय बढ़ता जा रहा है। इस पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। जब गैर सरकारी व्यय बढ़ता है तो आप कर्ज लेते हैं और उस पर आपको ब्याज देना पड़ता है। फिर उसका जिक्र आप बजट में करते हैं कि हमें भारी मात्रा में ब्याज देना पड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की कर प्रणाली दोषपूर्ण है। आज जितना धन संचालन में है उससे कहीं ज्यादा काला धन हमारे देश में है और वह कालाधन बिल्कुल अनुपयोगी है। उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। अगर इस काले धन को निकालकर हम उत्पादन के काम में लगा दें तो निश्चित रूप से काफी हद तक हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है।

सुबह श्री प्रमोद महाजन जी जिक्र कर रहे थे और अक्सर इसका जिक्र होता है कि देश में बड़ी भारी क्रान्ति सूचना प्रौद्योगिकी के नाम पर हो रही है। सरकार ने भी फैसला किया और संविधान संशोधन भी हुआ कि छः से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा का लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।

अपराह्न 3.00 बजे

इसके लिए 4900 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया गया लेकिन एक वर्ष से कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैं आपके द्वारा एक और निवेदन करना चाहूंगा कि सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उन बच्चों और विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने इंटरमीडियेट या बारहवीं कक्षा पास कर ली हो। 20 प्रतिश बच्चे तो हमारे यहां स्कूल ही नहीं जाते। 12वीं कक्षा तक जाते-जाते 87 प्रतिशत बच्चे घर बैठ जाते हैं और जो कालेज में जाते हैं वे सिर्फ 6 प्रतिशत

[श्री रामजीलाल सुमन]

हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से कुछ लोगों को लाभ हो सकता है, एक निश्चित वर्ग को लाभ हो सकता है लेकिन आम आदमी को उससे कोई लाभ नहीं हो सकता है। पिछले वर्ष इस क्षेत्र में 41 मिलियन रुपये का कारोबार इस देश में हुआ और सिर्फ 5 लाख 22 हजार लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार मिला। यह हिन्दुस्तान जैसे देश में कोई व्यावहारिक नहीं है। यही बात है कि योजना आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, जो प्रधान मंत्री जी ने जारी की थी, प्रधान मंत्री जी ने खुद उसमें कुबूल किया है कि जीवन स्तर भले ही अच्छा हुआ हो लेकिन क्षेत्रीय विषमता हमारे देश में ज्यादा बढ़ी है। जहां केरल सबसे ऊपर है, वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जो और पिछड़े हैं।

महोदय, मैंने पिछली बार निवेदन किया था और फिर कहना चाहता हूं कि इस बार बेरोजगारी के सवाल पर यह बजट मौन है। पिछली बार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिक्र हुआ कि हर वर्ष एक करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। 1998 में लालकिला की प्राचीर से प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम आने वाले दस सालों में दस करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार लोगों को रोज गार देने में विफल रही है और न सिर्फ रोजगार के अवसर कम हुए हैं बल्कि जिन लोगों के पास रोजगार था, उनसे रोजगार छीन जाने का भी काम हुआ। मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि बेरोज़गारी जैसी गंभीर समस्या से अगर सरकार नहीं निपटेगी तो इस देश में तनाव को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिय यह आवश्यक है कि युद्ध स्तर पर बेरोज़गारी की समस्या से निपटा जाए।

मंत्री जी ने अपने बजट में कई बार अमेरिका का जिक्र किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सीनेट की बैठक बुलाई और सीनेट के सम्मुख उन्होंने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अगर सुधारना है तो उसके लिए दो ही शब्द हैं – ज्यादा रोजगार। अमेरिका में भी बेरोजगारी की समस्या है मैं वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी से कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी के सवाल से मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा। अपनी जिम्मेदारी को आप स्वीकार करिये। यह जो शिक्षित और गैर-शिक्षित बेरोज़गारों की फौज खड़ी है, अगर इसको काम नहीं मिलेगा तो यह दूसरे रास्ते पर भी जा सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बेरोज़गारी की समस्या से निपटने के लिए बेरोज़गारी के सवाल पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे।

महोदय, हमने विकास के लिए कितनी दौलत दी, हमने कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कितना धन आबंटित किया, यह एक अलग सवाल है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो धन का आबंटन हम करते हैं और राज्य सरकारों को वह धन भेजा जाता है, उसके बाद केन्द्र सरकार कभी मुड़कर नहीं देखती कि भेजे गए धन का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। अभी कल-परसों संसद की स्थायी समिति की श्रम एवं स्व-रोजगार पर रिपोर्ट पेश हुई और उस समिति का जो निष्कर्ष है, उन्होंने कहा है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में 6071 करोड़ 93 लाख रुपये सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय को दिये गये, और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने 6071 करोड़ 93 लाख रुपये में से 5080 करोड़ 73 लाख रुपया खर्च किया और 991 करोड़ 20 लाख रुपये जो कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के वर्गों के लिए आबंटित था, उसका प्रयोग ही नहीं हुआ।

सभापति महोदय, हम कितनी ही अच्छी योजना बना लें, हम कितनी ही विकास की बात करें, हम कितना ही धन गरीबों के लिए आबंटित करें, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जिन वर्गों के लिए हम धन आबंटित कर रहे हैं, क्या उन वर्गों तक वह धन, वह दौलत, वह पैसा पहुंचता है या नहीं। क्या उन वर्गों को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं।

यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों, गरीबों एवं पिछड़ों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित धन नहीं पहुंचा, तो केन्द्र सरकार द्वारा धन के आबंटन का क्या फायदा। इस धन का कोई अर्थ नहीं है। यह निरर्थक है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जो धन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आबंटित किया था, उसका सदुपयोग नहीं हुआ है, उसका सदुपयोग किया जाए।

महोदय, एक एस०ई०पी० योजना है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के उत्थान हेतु एक विशेष योजना बनाई गई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 27 राज्यों में से केवल आठ राज्यों ने उस योजना से लाभ प्राप्त किया ओर सबसे दुखद बात यह है कि जिन आठ राज्य सरकारों ने धन लिया उसके उपयोगिता प्रमाणपत्र भी अभी तक नहीं भेजे।

महोदय, केन्द्र से जो दौलत राज्यों को दी जाती है, उसको सही रूप से खर्च किया जा रहा है या नहीं, अथवा जिन वर्गों के उत्थान के लिए धन आबंटित किया जा रहा है, वह धन उनके पास पहुंच रहा है या नहीं, उनका कल्याण हो रहा है या नहीं, जब तक इस बात की निगरानी के लिए कोई कुशल तंत्र स्थापित नहीं किया जाएगा और उस पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तब तक केन्द्र द्वारा दिए गए धन का राज्य सरकारें दुरुपयोग करती रहेंगी।

महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को हिदायतें दी जाएं कि जिन वर्गों के कल्याण के लिए धन आवंटित किया गया है, उन वर्गों का उस धन से कल्याण हो, वह उनके उत्थान के लिए व्यय हो एवं राज्य सरकारें उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित करें। जब तक ऐसा नहीं किया जएगा, हम निश्चित रूप से उन वर्गों की बातें तो कर सकते हैं, लेकिन उनका भला और कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से ऐसी अपेक्षा करता हूं कि वह ऐस तंत्र को विकसित करे।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : सम्माननीय सभापति जी, वित्त मंत्री जी ने जो फायनेंस बिल प्रपोज किया था, उसके संबंध में शुक्रवार को कुछ रिप्लिकेशन दिए गए थे। जो बजट प्रपोजल

रखा था, उसको अंतिम रूप देने का प्रयत्न माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है।

सभापति जी, इस बारे में विभिन्न पक्षों ने अलग-अलग प्रकार की प्रतिक्रिया दी है, लेकिन मैं उनकी प्रतिक्रिया को समझ नहीं सका। कुछ लोगों ने कहा कि जो वित्त मंत्री कहते हैं, बजट प्रपोजल लाते हैं और फिर सब का सब विदड्रा कर लेते हैं। कुछ लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। मैं ने देखा कि विरोधी पक्ष के कुछ नेताओं ने टी०वी० पर इंटरव्यू दिया था कि

[अनुवाद]

सैल्फ बैक अथवा काल बैक का क्या अर्थ है ?

[हिन्दी]

फिर मैंने समझने का प्रयत्न किया कि

[अनुवाद]

बजट की प्रक्रिया क्या है ? जब वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है तो यह कुछ नहीं होकर बजट प्रस्ताव होता है।

[हिन्दी]

वित्त मंत्री प्रपोजल्स हमारे सामने, लोगों के सामने रखते हैं और उसके बाद अगले महीने फायनेंस बिल दोनों सदनों में पारित किया जाता है। लगभग एक-डेढ़ महीने का समय सांसदों के लिए, विभिन्न सामाजिक और वित्तीय संस्थाओं तथा सामान्य व्यक्तियों के लिए मिलता है कि वे उस फायनेंस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और वह प्रतिक्रिया सुनकर जो फायनेंस प्रपोजल्स होते हैं, उनको अंतिम स्वरूप वित्त मंत्री देते हैं। जो बीच का डेढ़-दो महीने का समय होता है, इसमें जो प्रतिक्रिया लोगों द्वारा व्यक्त की जाती है, उसे सुनकर वित्त मंत्री यदि फायनेंस प्रपोजल्स में कुछ सुधार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कहा जाता है कि पता नहीं वित्त मंत्री अपने आप को क्या समझता है कि हमारे द्वारा इतनी चर्चा किए जाने और इतनी प्रतिक्रिया दिए जाने के उपरान्त उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। यदि संवेदनशील वित्त मंत्री होता है और जन-भावनाओं का आदर करने वाला होता है, तो जो प्रपोजल उन्होंने रखे हैं, उनमें यदि कुछ त्रुटियां बताई गई हैं या कुछ अच्छे पाजीटिव सजैश्चन्स आए हैं उनका अपने फायनेंस प्रपोजल्स में समावेश कर के उसे अंतिम स्वरूप देकर सदन का अभिप्राय मांगता है या सदन का समर्थन प्राप्त करता है, तो ऐसा कर के वह अच्छा काम ही करता है।

[अनुवाद]

हम उन्हें क्या कहेंगे ? हम उन्हें 'रौल बैक वित्त मंत्री' कहेंगे। मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा कि वे क्या चाहते हैं।

[हिन्दी]

अगर मिडल क्लास के लिए इन्होंने कुछ प्रपोजल रखे तो कहा गया कि यह मध्यम वर्ग को खत्म कर देगा और जब वित्त मंत्री जी ने इन सबकी भावनाओं का आदर करके अलग-अलग प्रकार के प्रपोजल को अंतिम स्वरूप देने का प्रयत्न किया तो फिर कहने लगे कि यह रोल बैक मिनिस्टर हैं। मुझे लगता है कि वास्तव में यह वैसी स्थिति है कि अंगूर खट्टे हैं। जब वित्त मंत्री जी ने ये प्रपोजल एनाउंस किये, मैं "टाइम्स ऑफ इंडिया" के एक आइटम मिडल क्लास बोनेन्जा को पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सैक्शन 88 के तहत जो 10 प्रतिशत टैक्स रिबेट मिलेगी, वह अब 15 प्रतिशत मिलेगी। *(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति जी, इन्होंने कहा है कि अंगूर खट्टे हैं। आप उसको मीठे करने का प्रयत्न करे क्योंकि मैं खट्टे अंगूर नहीं खाता। *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : आपको अगर अंगूर मीठे खाने हैं तो हम खिलाने के लिए तैयार हैं। *(व्यवधान)* वित्त मंत्री जी ने जन भावनाओं का आदर करके सैक्शन 88 के तहत जो 10 परसेंट टैक्स रिबेट एनाउंस की थी, उसको 15 परसेंट किया है। आज देश में पांच करोड़ से ज्यादा स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, मध्यम वर्गीय सेलरी क्लास है, जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उसके लिए बधाई देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने जन-भावनाओं की कद्र की है।

[अनुवाद]

विपक्ष संसद सदस्यों और मंत्री के बीच, राजनीतिक दलों और मंत्री के बीच और एन०डी०ए० और मंत्री जी के बीच दरार पैदा करने का प्रयास करता है।

[हिन्दी]

पार्टी यह कहती है, एम०पी० ऐसा कहता है, एन०डी०ए० वाले ऐसा कहते हैं – हां, हम अपना काम करते हैं। हमारा काम है, सांसदों का काम है, पार्टी प्रतिनिधियों का, कार्यकर्त्ताओं का काम है कि जन भावनाओं को कैबिनेट तक, मंत्री तक, सरकार तक पहुंचाये। हम अपने फर्ज को, अपने कर्त्तव्य को अदा करते हैं। हमारे मंत्री उन जन-भावनाओं का आदर करने का काम करते हैं। दोनों अपना फर्ज अदा करते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की, यह उनका कितना सुन्दर कदम है।

[अनुवाद]

एक ओर हम पूछ रहे हैं कि बचत आधारित कर प्रोत्साहन पद्धति होनी चाहिए।

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि मैं सैक्शन 88 के बारे में आपका नुकसान नहीं होने देना चाहूंगा। आपको अगर गये साल 16 हजार रुपये टैक्स रिबेट मिलती थी, तो मैं उसे भी दूंगा। अब सिर्फ एक हजार रुपये कम मिलेगी।

[श्री किरीट सोमैया]

[अनुवाद]

आपको कर में 15000 रु० की छूट मिल सकेगी। साथ ही, उन्होंने निवेशकों, छोटे निवेशकों, छोटे निवेशकों और मध्यम वर्गीय लोगों पर ध्यान रखा है।

[हिन्दी]

आप एक काम करो। पहले आप 80 हजार रुपये बचाते थे, अब आप एक लाख रुपये सेविंग करो। मैंने आपसे जो टैक्स लेने का प्रयत्न किया है, उसे मैं वापिस लौटाता हूं।

[अनुवाद]

क्या यह विवेकपूर्ण पहल नहीं है।

[हिन्दी]

एक और आपको टैक्स रिबेट मिल रही है और दूसरी ओर वे आपके भविष्य के लिए, आपकी संतान के भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के आर्थिक उत्थान के लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमैंट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सैक्शन 88 में एक और चीज कही है। पहले आय कर बचाने के लिए एक व्यक्ति 20 हजार रुपये इन्वेस्टमैंट बांड में इन्वेस्टमैंट कर सकता था लेकिन अब वह 30 हजार रुपये इन बांडों में इन्वेस्टमैंट कर सकता है — इससे किसको फायदा होगा ? एक ओर हम संसद में प्रश्नोत्तर काल में चर्चा करते हैं कि देश के चार महानगरों को जोड़ने के लिए रास्ता जल्दी बनना चाहिए। दूसरी ओर हम पूछते हैं कि सिर्फ कलकत्ता, मुम्बई दिल्ली और चेन्नई आदि ये महानगर ही क्यों, दूसरे शहरों को भी जोड़ा जाये। दूसरे शहरों को जोड़ने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने लोगों से कहा कि आप 10 हजार रुपये के एडीशनल इन्फ्रास्ट्रक्टर बांड में अपना इन्वेस्टमैंट करिये। इसका पहला फेज 2004 तक समाप्त होने वाला है, उसे मैं 2003 तक पूरा कर दूंगा और दूसरा फेज जो 2007 तक पूरा होना है, उसे हम 2006 तक पूरा करे देंगे।

उन्होंने एक और बहुत सुन्दर कदम उठाया। जब 1997 तक डिविडैंड टैक्स था, डिवीडैंड जो टैक्य पेयर के हाथ में टैक्सेबल था, उस समय 80-एल यानी आज अगर किसी कम्पनी में इन्वैस्ट करते हैं तो आपको 9000 रुपये टैक्स डिडक्शन करके मिलेंगे। एक अखबार ने कितनी सुन्दर हैडिंग दी है।

[अनुवाद]

दि बिजनैस स्टैन्डर्ड, मुम्बई : छोटे निवेशकों को 65 करोड़ रुपय का और लाभ होगा।

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि कितना सुन्दर कदम उठाया। एक ओर सरकार का टीका-टिप्पणी हो रही थी कि आपने डिविडैंड टैक्स जो 10 प्रतिशत था, उसे ऐसा क्यों किया।

[अनुवाद]

आप लाभार्थियों पर कर क्यों लगाने जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

मैं उनके आंकड़े पढ़ना चाहता हूं। बिजनस स्टैन्डर्ड ने बहुत सुन्दर आर्टिकल लिखा है।

[अनुवाद]

छोटे निवेशक कितने हैं ?

[हिन्दी]

यानी टोटल 1,58,000 इक्विटी होल्डर और टोटल शेयर ऑफ कैपिटल सिर्फ 11.94 प्रतिशत।

[अनुवाद]

उन्होंने दो कम्पनियों का उदाहरण दिया है। टाटा पावर एक ऐसा ही मामला है। जिसमें लगभग 1.58 लाख छोटे निवेशक हैं जिनके पास 500 से कम इक्विटी शेयर हैं। वार्षिक प्रतिवेदन में दी गई सूचना के अनुसार इन छोटे निवेशकों के पास कुल शेयर पूंजी का लगभग 11.94 प्रतिशत शेयर हैं।

[हिन्दी]

उन्होंने आगे लिखा है —

[अनुवाद]

दूसरा मामला टाटा टी का है। टाटा टी में चौरासी हजार छोटे निवेशकों के पास 14.2 प्रतिशत शेयर ही हैं।

[हिन्दी]

आप बताइए कि एक ओर पर्याय है कि आप 10 प्रतिशत टी०डी०एस० काट लें और दूसरी ओर यह है कि जो स्माल इन्वैस्टर है

[अनुवाद]

जो इक्विटी धारकों का 90 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

उनका टोटल नेट 10-11-14 प्रतिशत है। उनके टी०डी०एस० में से माफ कर दें। उन्होंने आगे लिखा है। कि इन कम्पनियों का डिवीडैंड स्माल इन्वैस्टर में कितना आता है। टाटा पावर में 746, टाटा टी में 852 रुपये।

वित्त मंत्री जी ने 1,000 रुपये तक का टी०डी०एस० माफ कर दिया यानी एक झटके में स्माल इन्वैस्टर को मुक्त कर दिया। जो टाटा, बिरला, अम्बानी प्रमोटर्स हैं।

[अनुवाद]

रिलायंस में अम्बानी परिवार के पास 41 प्रतिशत से अधिक इक्विटी धारिता है। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

अगर उस 41 प्रतिशत के पास से 30 प्रतिशत डिवीडैंड टैक्स लिया जाए तो वित्त मंत्री ने अच्छा काम किया है या कोई गलती की है। इसके लिए हिम्मत चाहिए और वह हिम्मत उन्होंने की है। इसी प्रकार टाटा, गोदरेज में किया है।

[अनुवाद]

आप किसी कम्पनी में जाएं जिसमें प्रवर्तकों के पास 25 प्रतिशत से अधिक इक्विटी नहीं है। कुछ मामलों में यह पचास प्रतिशत है।

[हिन्दी]

जो 10 प्रतिशत टैक्स काट रहे थे, आज उनको 30 प्रतिशत काटना पड़ेगा। वह 30 प्रतिशत ऐडीशनल लाएगा जो रास्ते बनाने में जाएगा, अस्पताल या ऐजुकेशन के लिए खर्च होगा। मैं वित्त मंत्री जी से एक और बात कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है जो 80 एल के लिए 9,000 रुपये का बैनीफिट दिया है। उसी प्रकार रिटायर्ड इम्प्लाइज के लिए अच्छा काम किया है। उनकी सेविंग्स इन्वैस्ट करने के लिए मेफ्टी नेट दिया है कि आप आर०बी०आई० बॉड में इन्वैस्ट कीजिए और चिन्ता छोड़ दीजिए। मैं वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करते हुए एक-दो सुझाव देना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आपने अच्छा कदम उठाया है कि जो रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशनल ट्रस्ट इन्स्टीट्यूशन्स हैं,

[अनुवाद]

हम सभी जान रहे हैं

[हिन्दी]

कि मध्यम वर्ग, टैक्स पेयर, अर्बन एरियाज के बच्चे, अस्पतालों में जाकर इलाज करवाते हैं। हम प्राइवेट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल में जाते हैं। हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा, आपने इस बार प्रयत्न किया है कि जो प्राइवेट चैरीटेबल ट्रस्ट हैं, वे इस सैक्शन का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। मैं यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे ट्रस्ट जो सिर्फ बिजनस और टैक्स बचाने के लिए ट्रस्ट बनाते हैं, फिर उसकी इनकम दूसरी, तीसरे और चौथे ट्रस्ट में ट्रांसफर करते हैं।

[अनुवाद]

आप उन पर लगाएं; हम आपका समर्थन करेंगे। किन्तु साथ ही शहरी क्षेत्रों में पचास प्रतिशत से अधिक शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो धर्मार्थ न्यासों द्वारा चलाई जा रही हैं।

[हिन्दी]

उनकी भी व्यथा को समझने का आपने प्रयत्न करें। हम सब अपने लिए उनके पास जाते हैं।

[अनुवाद]

न्यास कैसे चल सकेगा यदि उनके पास मूलराशि न हो ?

[हिन्दी]

कोई भी व्यक्ति या सामाजिक संस्था अस्पताल बनाती है तो यही सोच रहती है कि मेरे मरने के बाद भी 25-50 साल तक वह चलना चाहिए। इसलिए वह हर साल लाभ में से पैसा बचाता है और उसे अलग रखता है। आपने 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया, वह ठीक है। यह आपने अपने अनुभव से किया है। लेकिन हमें खुले दिमाग से सोचना चाहिए, आप चार-छः महीने लोगों की सुनें, उनका अनुभव देखें। कई चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे हैं, जिनकी एक करोड़ से ज्यादा इनकम थी। आपने उनको अखबारों में ज्ञापन देना जरूरी किया है, यह सही है। लेकिन जो पहले के चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप इसको विदड्रा करें और इसे प्रतिष्ठा का इश्यू न बनाएं। आप संवेदनशील व्यक्ति हैं इसलिए मेरी प्रार्थना है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की व्यथा आप सुनें, फिर निर्णय करें। अभी जो निर्णय किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। आपने टोटल एक्यूम्लेशन डिसअलाऊ किया था, 15 प्रतिशत वापस रिस्टोर किया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं इसके बारे में भी सोचने का प्रयत्न करें।

मैं वित्त मंत्री जी से टी०डी०एस० के बारे में एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आपने रिटायर लोगों को और निवृत्त होने वाले लोगों को बेनिफिट दिया है, वह एक सही कदम है। मेरी आपसे इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना है। मेरे सामने कई केस है। एक मि० ओम वृंदावन हैं। वह सरकारी सेवा से रिटायर हुए हैं। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा है। मेरे पास इस प्रकार के काफी पत्र आए हैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण के रूप में यह बताना चाहता हूं। उन शख्स ने मुझे पत्र लिखा है। कि मैंने रिटायर होने के बाद अपना प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और जो भी सेविंग्स थी, इंवैस्ट कर दी हैं।

[अनुवाद]

अब मेरी कुल आय क्या है ? अब मेरी कुल आय ब्याज और लाभांश ही है और कुछ नहीं।

[हिन्दी]

अभी मैं अपने पोते-पोतियों को सम्भालता हूं। मैं धर्मार्थ और समाज सेवा का काम भी करता हूं। आपने मेरे ऊपर टी०डी०एस० लगा दिया।

[अनुवाद]

आप ने विवरणी दाखिल करना मेरे लिए अनिवार्य कर दिया है।

[श्री किरीट सोमैया]

[हिन्दी]

पहले ऐसा था कि 50,000 रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ता था। केवल एक फार्म भरकर देना होता था। वह भर देते थे और हमारा टी०डी०एस० नहीं कटता था। इन्होंने अपने केस में कहा है कि मेरी इनकम 50,000 रुपए से ऊपर होगी या नहीं, लेकिन एक हजार रुपये से ज्यादा कही से अगर मुझे लाभ होने वाला है तो मेरा टी०डी०एस० डिडक्ट हो जाएगा। आप इसके बारे में सोचें और कम से कम रिटायर लोगों से शुरूआत करें। जिनकी उम्र 58 साल या उससे ज्यादा है, जिनके पास बिजनेस नहीं है, उनको एक फार्म सब्मिट करने देना चाहिए कि मुझे कोई टैक्सेबल इनकम होने वाली नहीं है इसलिए उनको टी०डी०एस० से मुक्ति मिलनी चाहिए। इस बारे में आप ध्यान दें।

सभापति जी, मैं वित्त मंत्री जी को एक सुझाव और देना चाहता हूं। आपने सर्विस टैक्स की बात कही है। यह एक अच्छा विषय है। मैं कुछ फिगर्स यहां पढ़ना चाहूंगा। हम रेवेन्यू कहां से इकट्ठा करेंगे, अगर प्लांड एक्सपेंडिचर बढ़ाना है तो टैक्स जेनरेट करना पड़ेगा और रेवेन्यू कलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। जब 1997-98 में एन०डी०ए० की सरकार आई और वे वित्त मंत्री बने,

[अनुवाद]

31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार निर्धारितियों की कुल संख्या 1.43 करोड़ थी। हम यह आंकड़े 1947 से 1997-98 तक पढ़ते आ रहे हैं।

[हिन्दी]

50 वर्ष तक हमने नम्बर आफ टैक्स पेयर कितने किए, सिर्फ एक करोड़ 43 लाख और इस साल 31 मार्च तक हमने दो करोड़ 86 लाख कर दिये हैं। यह करीब दोगुना है। ऐसा करने के लिए किसी के ऊपर अन्याय भी नहीं किया। जो टैक्स नहीं भरते थे, उनको पैन के द्वारा, वन बाई सिक्स स्कीम के द्वारा अलग-अलग जगहों पर जाकर उन्होंने टैक्स नेट बढ़ाने का प्रयत्न किया है। सर्विस टैक्स के बारे में आपने एक अच्छा प्रयत्न किया है। इसको और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं कहीं सी०ए०सी० की रिपोर्ट पढ़ रहा था।

[अनुवाद]

उसमें उन्होंने लिखा है – 83 प्रतिशत प्राईवेट नर्सिंग होम और निजी तौर पर चलाये जा रहे अस्पतालों को आयकर उपबंधों और आय कर संग्रहण के दायरे में नहीं लाया जाता है।

[हिन्दी]

मैं चाहूंगा कि आप उनसे पैसा वसूल करने का प्रयत्न करें। उनके ऊपर ध्यान देकर आप सर्विस टैक्स के रेशो को बढ़ाइए। मैं, यह भी कहना चाहूंगा कि आपने लाइफ इंश्योरेंस में सर्विस टैक्स लगाया था,

[अनुवाद]

आपने समस्या को समझा।

[हिन्दी]

उसमें सेविंग्स में इन्सवैस्टमैंट वाला पार्ट था। उसको एक्सक्ल्यूड किया है।

[अनुवाद]

जब मैं वित्त मंत्री का भाषण सुन रहा था, तो मैं थोड़ा संभ्रमित था।

[हिन्दी]

आपने कहा कि इंश्योरेंस में जो सर्विस पार्ट है, उन्हीं के ऊपर टैक्स लगायेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। मैं आपसे इतनी ही अपील करना चाहता हूं,

[अनुवाद]

जब आप शुरू कर रहे हैं और जब आप अच्छा काम करे रहे हैं।

[हिन्दी]

आपने अभी-अभी लाइफ इंश्योरेंस सैक्टर को प्राइवटाइज किया है।

[अनुवाद]

क्या हम कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं ?

[हिन्दी]

इसमें कितना क्लैक्ट हो गया।

[अनुवाद]

यह प्रीमियम का दो अथवा पांच प्रतिशत हो सकता है।

[हिन्दी]

आप इसमें 8-10-12 करोड़ रुपया क्लैक्ट करेंगे। मैं आपके सामने एक रिपोर्ट कोट करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

"डा० एम० गोविन्दा राव की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह ने सिफारिश की थी कि सेवा क्षेत्र को व्यापक रूप से कर के दायरे में लाया जाना चाहिए। तथापि, जन उपयोगिताओं, राज्य के संप्रभु कार्यों, आवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाओं से संबंधित

सेवाओं को कर मुक्त किया जा सकता है। इसने यह भी सिफारिश की कि कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं, अनुसंधान और विकास सेवाएं, डाक सेवाएं, जीवन बीमा से संबंधित सेवाएं सीमित अवधि के लिए कर मुक्त की जा सकती है।''

[हिन्दी]

मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस में बहुत स्कोप है। थोड़े समय के लिए पूरे का पूरा एग्जैम्प्ट करके, 8-10 करोड़ पर न जाते हुए, थोड़ समय के लिए देखिए।

मैं आपसे प्राइवेट हास्पिटल्स के बारे में कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने समीक्षा की कि देश के 21,103 प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम में से 13863 आयकर निर्धारण में नहीं है।

[हिन्दी]

मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में बात हुई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। फाइनेंस बिल में भी इसका प्रोवीजन किया है।

[अनुवाद]

मैं धारा 126 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसैस को डिफाइन करने के अधिकार एक्साइज अथोरिटी के पास दे दिये हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम में संशोधन किया जाना है।

[हिन्दी]

मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप कृपया यह मत कीजिए। आप इसके संबंध में बिल संसद में लेकर आ सकते हैं।

[अनुवाद]

आप इसे विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में घोषित करें और उस पर कर लगाएं किन्तु आप यह शक्ति प्रशासन के हाथों में ने दें।

[हिन्दी]

हम रेवेन्यु एडमिनिस्ट्रेशन की हालत को जानते हैं। उनको मेन्युफैक्चरिंग प्रोसैस के ऊपर टैक्स लगाना होता, तो डैफिनेशन को चेंज करना होता है।

[अनुवाद]

वे यह वित्त विधेयक में करना होगा। वे यह करना नहीं चाहते। वे इसका दुरूपयोग करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

संसद का वर्ष में तीन बार अधिवेशन होता है, आप इससे संबंधित बिल ला सकते हैं।

[अनुवाद]

मंत्रिमंडल इस पर विचार कर रखता है। मंत्रिमंडल अध्यादेश भी ला सकती है। आप इस पर कर लगा सकते हैं। किन्तु संसद से यह प्राधिकार वापस न लें और इसे प्रशासन को न सौंपें।

[हिन्दी]

यह प्रारम्भ होगा और आवश्यकताओं के अनुसार कल फिर यह कस्टम में जाएगा और दूसरी जगहों पर जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रोसैस पर टैक्स लगाना चाहते हैं। आठ-दस-बारह प्रतिशत लगाए आपने इस बार भी चेंजेस किए हैं।

[अनुवाद]

संसद आपका समर्थन करेगी किन्तु यह प्राधिकार उन्हें न दें।

[हिन्दी]

मैंने उसमें एक्सप्लनेशन पढ़ना चाहा। डिपार्टमेंट ने उस क्लाज़ के लिए जो एक्सप्लनेशन दिया है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है।

[अनुवाद]

फिर मैं खंड 126 की व्याख्या का हवाला देता हूं : जिसमें कहा गया है :

''खंड 126 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 2 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है ताकि अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार को किसी वस्तु के निर्माण के संबंध में कोई कार्य करने की शक्ति दी जा सके।''

उनके सामने क्या कठिनाईयां है। उन्हें क्या समस्याएं हैं ? कृपया पहले उन्हें हमें बताइए और फिर उन्हें ठीक कीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं अंत में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं, जो डायरेक्टली फाइनेंस बिल को टच नहीं करती हैं, फिर भी मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं वित्त मंत्री जी का पहले आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मंथली इंकम प्लान के इनवेस्टर्स को पुन: एक बार खड़ा करने का निश्चय किया है। हम सब जानते हैं 30 अप्रैल को यू०टी०आई० का मंथली इंकम प्लान-1997 की पहली स्कीम, जो मेच्योर हो रही है, उसमें लगभग

[श्री किरीट सोमैया]

500 करोड़ का घाटा है, लेकिन अभी भी दो-चार-पांच दिन की डेवलपमेंट में मुझे पता चला है कि यू०टी०आई० ने यह डिसीजन लिया है कि उनके पास जो डेवलपमेंट रिजर्व फंड है, उसमें से पैसा वे स्माल इनवेस्टर्स को देंगे, यानी इनवेस्टर्स ने जो दस रुपए इनवेस्ट किया है वह पूरा पैसा उन्हें वापस मिलेगा, इसके लिए मैं उनका आभार मानता हूं।

[अनुवाद]

किन्तु वे अधिकारियों और प्राधिकारियों से पूछ सकते हैं कि यह कैसे हुआ। मैं समझता हूं, संसद को किसी समय वित्तीय व्यवस्थापकों की भूमिका पर चर्चा करनी पड़ेगी। हमें नौकरशाहों के कर्त्तव्यों पर चर्चा करनी है जो विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के निदेशक, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष बन रहे हैं। हमें विनियामकों की भूमिका और विनियामकों की जवाबदेही की भूमिका पर चर्चा करनी होगी।

[हिन्दी]

मैं एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूंगा। सेबी के चेयरमैन ने चार साल पहले टेक-ओवर कोड कमेटी बनाई। चार साल तक उसने कोई डिसीजन नहीं दिया, चार साल तक उसका वायोलेशन होता रहा, जिससे 5000 करोड़ रुपए का स्माल इनवेस्टर्स को लॉस हुआ। अब जाकर वह रिपोर्ट 29 अप्रैल को लास्ट पब्लिश हो रही है। टेक-ओवर कोड कमेटी के जो चेयरमैन हैं,

[अनुवाद]

वह भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। जब वह अधिग्रहण नियम बनाने संबंधी संहिता समिति की अध्यक्षता कर रहे थे और व्यक्तिगत अभियोजक कर्ता के रूप में उन्होंने बहुत सी राय दी थीं।

[हिन्दी]

उन्होंने 50 ओपिनियन लिए, सेबी ने उसमें से काफी एक्सेप्ट किए हैं हम कोई रेगुलेटर के बारे में सोचेंगे या नहीं। अब यू०टी०आई० ने, जो मंथली इंकम प्लान में 8,284 करोड़ का लासेस है,

[अनुवाद]

यह सब आश्वस्त विवरणी योजना है। इसे बदल दिया गया है।

[हिन्दी]

90-91-92 की स्कीम, ऑल मंथली इंकम स्कीम जो थी, उसे 97-98-99 में वापस कंवर्ट किया गया। दस साल तक लॉसेस इकट्ठे होते गए, अब उसे आपको भरना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यू०टी०आई० के बोर्ड में ट्रस्टीज़ कौन है ?

[अनुवाद]

क्या हम उनसे इसके बारे में नहीं पूछ सकते हैं ?

[हिन्दी]

यू०टी०आई० में कितनी गड़बड़ी हुई, लेकिन एक आफिसर के ऊपर भी एक्शन नहीं हुआ।

[अनुवाद]

किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है।

[हिन्दी]

फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्या मजाक करके रख दिया, आप जानते हैं।

[अनुवाद]

यू०टी०आई० सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। यू०टी०आई० बैंक के पास यू०टी०आई० की 60 प्रतिशत इक्विटी है जिसे यू०टी०आई० द्वारा प्रोमोट किया गया है।

[हिन्दी]

वित्त मंत्री जी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के आफिशियल हैं, जो रेगुलटर्स हैं, वे सब क्या इस भाषा को यूज़ करते हैं ?

[अनुवाद]

उनका कहना है कि यू०टी०आई० बैंक एक गैर सरकारी बैंक है।

[हिन्दी]

अगर यू०टी०आई० बैंक लॉस करेगा तो यू०टी०आई० भरेगा। यू०टी०आई० लॉस करेगा तो पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भरेगी।

[अनुवाद]

यह एक गैरसरकारी बैंक है। इसका मालिक कौन है ? इसे कौन चलाता है।

[हिन्दी]

जिसने एक पैसे का शेयर नहीं खरीदा, ऐसे सब आफिशियल उसे अपनी आनरशिप की जागीर बना कर बैठे हैं।

[अनुवाद]

मैं आपको 112 कम्पनियां की सूची दे सकता हूं। इसमें भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया शामिल हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की 12 सहायक कम्पनियां हैं।

[हिन्दी]

इन सब के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हैं, उन्हें कौन अपाइंट करता हैं।

[अनुवाद]

यह आप नहीं हैं। यह भारत सरकार नहीं है। यह वित्त मंत्रालय नहीं है। हमें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं, ओ०टी०सी०आई०, तीसरा उदाहरण देता हूं स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब कम्पनियां नई कम्पनी बनाते हैं और बोलते हैं कि ये प्राइवेट हैं। इन्हें कौन चलाता है ? इसके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है ? ऑनरशिप है,

[अनुवाद]

वे निर्णय लेते हैं। वे इसे चलाते हैं।

[हिन्दी]

इसलिए मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कभी न कभी इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा।

अंत में एक बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैंने पहले भी कई बार इस विषय को यहां पर छेड़ा है।

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से यह विशेष चर्चा करनी है उसी प्रकार से

[अनुवाद]

हमें किसी समय दोहरा कराधान परिवर्जन संधि पर चर्चा करनी चाहिए। यह संधि 1982 अथवा 1992 अथवा 1997, 1998 अथवा 2000 में लाई जा सकती थी। यह मॉरिशस में ही नहीं है।

[हिन्दी]

आज मॉरिशस बंद करोगे तो साइप्रस शुरू होगा, साइप्रस बंद करोगे तो दूसरा कोई टैक्स-हैवन शुरू होगा।

[अनुवाद]

हमें यह सोचना है कि क्या हम भारतीय उद्यमियों को ईमानदार बनाना चाहते हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

क्या हम उनको कम्पैल तो नहीं कर रहे हैं कि आप डिसऑनैस्ट बनो। आप टैक्स देने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओ, आप वहां पर ओ०सी०बी० बनाओ, आप वहां से एस०आई०ए० सब एकाउंट आरम्भ करो, आप अपनी कंपनी में जो इंवैस्टमेंट लाते हो वह वाया मॉरिशस लाओ,

[अनुवाद]

क्योंकि आप कर दे सकेंगे।

[हिन्दी]

मैं आपको मॉरिशस सरकार ने जो नोट सर्कूलेट किया है वह पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है कि

[अनुवाद]

लाभांश पर भारतीय विदहोल्डिग कर 1, जून 1997 से समाप्त किया गया और इसे 10 प्रतिशत वितरित मुनाफा कर में परिवर्तित किया गया जो लाभांश दाता भारतीय कम्पनी द्वारा वहन किया गया। तथापि, अप्रैल 2002 से अनिवासियों को लाभांश का भुगतान पुन: 20 प्रतिशत विदहोल्डिग कर तक हो सकता है। यह संधि इस दर को मॉरीशस में पांच प्रतिशत तक कम करती है।

[हिन्दी]

अभी क्या होगा कि जो भारतीय उद्यमी यहां पर से सीधे इंवैस्ट करेगा, उसे 30 प्रतिशत डिविडैंट टैक्स भरना पड़ेगा और वाया मॉरिशस आयेगा तो 5 प्रतिशत। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि एम०एन० सीज० हिन्दुस्तान लिवर की कंपनी लिवर फैयर एंड कंपनी ने इंवैस्टमेंट यहां किया 51 प्रतिशत, अगर वह अपने देश में टैक्स भरना पंसद करेगी तो

[अनुवाद]

हम खोने वाले होंगे।

[हिन्दी]

मैं आपसे प्रार्थना यह कहना चाहता हूं कि मॉरिशस टैक्स

[अनुवाद]

हम मॉरीशस सरकार से बात कर सकते हैं।

[हिन्दी]

कि ये सब लूप-होल्स बंद करो। दो प्रतिशत टैक्स, तीन प्रतिशत टैक्स, पांच प्रतिशत टैक्स, इसलिए

[अनुवाद]

हम समान अवसर चाहते हैं।

[हिन्दी]

इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो कोरपोरेट टैक्स कम होता जाता है उसको कैरी करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें उनसे बात करनी चाहिए। अपने प्रयत्न किया, सरकार ने प्रयत्न किया लेकिन

[अनुवाद]

मॉरीशस सरकार ने वित्त मंत्री और भारत सरकार के प्रयासों का सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है। हमें इसे उपयुक्त स्तर और प्राधिकारी स्तर पर उठाना चाहिए।

[श्री किरीट सोमैया]

[हिन्दी]

उनको हमें कहना चाहिए। उससे हमारे दोनों देशों के संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इस प्रकार से हमारे देश को, हमारे देश के प्रामाणिक इंवैस्टर्स को नुकसान होता है तो हमें इसमें सुधार करना चाहिए। मैं पुन: एक बार फिर जो जनसामान्य की भावनाओं को माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में प्रतिबिम्बित अच्छी तरह से किया है, इसलिए उनका आभार मानता हूं और इस फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री सी० श्रीनिवासन** (डिंडीगुल) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक संबंधी चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं वित्त मंत्री के 2075 करोड़ रुपए के कर प्रस्तावों को वापस लेने के संकेत की प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं इसका तहे दिल से स्वागत नहीं कर सकता।

ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए उर्वरकों पर राजसहायता बहाल करने की घोषणा नहीं की है। आपने मिट्टी के तेल की कीमत कम नहीं की है जिससे ग्रामीण निर्धन लोगों पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है। आपने खाना पकाने वाली गैस की बढ़ी हुई कीमत वापस नहीं ली हैं जो अब और अधिक महंगी हो गई है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि चालू वर्ष के बजट और वित्त विधेयक दोनों को समाज के गरीब लोग और मध्यम वर्ग पर बुरी मार पड़ रही है।

जब हम वित्त विधेयक पर आते हैं तो हमें विभिन्न राज्यों में वितरित केन्द्रीय करों की भागीदारी को इंगित करना है जो न्यायसंगत नहीं है। भागीदारी तंत्र दोषपूर्ण है। तमिलनाडु सरकार को अब प्रतिवर्ष 589 करोड़ रुपए कम मिलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप गम्भीर वित्तीय संकट हो गया है। तमिलनाडु सरकार केन्द्रीय करों की भागीदारी से संबंधित केन्द्र सरकार की कार्यप्रणाली में अंतर होने के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रही है। दसवें वित्त आयोग ने एकत्रित केन्द्रीय करों से 6.637 प्रतिशत शेयर प्रदान किया था। किन्तु ग्यारहवें वित्त आयोग ने इसे घटाकर 5.385 प्रतिशत कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु को वर्ष 2000 से 2005 तक पांच वर्षों में 2946 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

पिछले वर्ष तमिलनाडु सरकार ने निष्पक्ष व्यवहार हेतु केन्द्र सरकार पर दबाव डाला। इस पर विचार करने का वायदा किया गया। यह भी संकेत दिया गया कि तमिलनाडु को 3367 करोड़ रु० दिए जाएंगे। इस संकेत के आधार पर तमिलनाडु सरकार ने कुछ व्यय योजनाएं तैयार की। लेकिन 512 करोड़ रुपये की राशि कम कर दी गई थी और तमिलनाडु को मात्र 2855 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। मुझे यह बात कहते हुए बहुत दु:ख हो रहा है कि तमिलनाडु को किनारे कर दिया गया और उसके साथ भेदभाव किया गया। मैं इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष अपनी निराशा व्यक्त करना चाहूंगा।

केन्द्रीय कर संग्रहण में तमिलनाडु का योगदान और निष्पादन आंध्र-प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से कहीं ज्यादा था। लेकिन फिर भी तमिलनाडु का हिस्सा अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। मध्य प्रदेश को 6476 करोड़ रुपये मिलें हैं। आंध्र प्रदेश को 6432 करोड़ रुपये मिलें हैं। गुजरात को 4016 करोड़ एवं कर्नाटक का हिस्सा 3784 करोड़ रहा है। लेकिन तमिलनाडु जिसका संग्रहण और योगदान इन चार राज्यों से बहुत ज्यादा था और उसे सिर्फ 3428 करोड़ रु० ही प्रदान किये गयें। मैं यह पूछे बिना रह सकता हूं कि तमिलनाडु के साथ ऐसा भेदभाव क्यों ?

औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना और विदेशी निवेश बढ़ाने हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करना राज्यों की जिम्मेदारी है। लेकिन राज्यों को इस संबंध में कोई कदम उठाने और प्रयास करने का कोई अधिकार नहीं है।

केन्द्र द्वारा प्राप्त होने वाली विदेशी धनराशि का अधिकांश भाग ऋण के पुनर्भुगतान में चला जाता है। लेकिन राज्यों में पहुंचने वाली विदेशी धनराशि का व्यय परिसम्पत्ति के सृजन और विकास में लगेगा। राज्यों द्वारा इसका व्यय उत्पादक कार्यों में किया जाएगा। इसलिए, राज्यों को विदेश से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रत्यक्ष ऋण प्राप्त करने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर हमारी नेता और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पराची थलैवी डा० जे० जयललिता ने भी इस पर जोर दिया है। उन्होंने केन्द्र सरकार पर सही रणनीति अपनाने हेतु मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने के लिए दबाव भी डाला है।

हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्री का ढांचा बढ़ाने और व्यक्तिगत कर बोझ को कम करने पर जोर देते रहे हैं। लेकिन उनके बजट में जो बात कही गई है, वह पूर्णतया इसके विरोधाभाषी है। जो पहले से ही कर भुगतान कर रहे हैं, उन्हें और अधिक कर भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। जिन पर पहले से ही बोझ है, उन पर और बोझ डाला जा रहा है। उनके कर प्रस्तावों में यही प्रवृत्ति देखने को मिल रही है।

1.5 लाख रु० से 5 लाख रु० तक की आय सीमा में आने वाले मध्य वर्गीय लोगों को 20% आयकर छूट वापस लेने के वित्त मंत्री के प्रहार को झेलना पड़ रहा है। बजट प्रस्ताव में इसे घटाकर 10% कर दिया गया था। हमारे वित्त मंत्री ने वित्तीय विधेयक पर चर्चा के शुरूआती भाषण में घोषणा की कि इसे बढ़ाकर 15% किया जाएगा। मैं केन्द्र से इसे वापस लेने और आयकर दाताओं के लिए 20% छूट जारी रखने का निवेदन करता हूं।

यह कहा गया है कि केन्द्रीय कर संग्रहण में कमी आई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि केन्द्र बहुधा उत्पाद शुल्क में संशोधन नहीं करता है लेकिन सीमा शुल्क जिसका शेयर (हिस्सा);

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

सभी राज्यों को जाता है में अक्सर ऐसा किया जाता है लेकिन सीमा शुल्क में बदलाव विशेषतया कमी या खत्म करने से केवल राज्यों पर ही इसका प्रभाव पड़ता है।

केन्द्र को बकाया कर राजस्व के संग्रहण हेतु आवश्यक ठोस कदम उठानें चाहिए। कर अपवंचकों से संयुक्त रूप से सरकार को 60,000 करोड़ रुपये वसूलने हैं। लेकिन ऐसा करने की बजाए सरकार उन्हीं को निचोड़ती है जो नियमित रूप से कर भुगतान करते हैं।

मैं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की दयनीय स्थिति का उल्लेख करना चाहता हूं जिनका कार्य स्थल अपने गृह नगर और गृह राज्य से दूर स्थित है। द्विवार्षिक गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिवारों के लाभ के लिए था। दो वर्ष में एक बार वे अपने गृह नगर जाने में समर्थ होते थे। पर्यटन मंत्रालय ने भी छुट्टी यात्रा रियायत बहाल करने का प्रस्ताव भेजा था; इससे देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री से छुट्टी यात्रा रियायत पुन: बहाल करने का निवेदन करता हूं जिसे गत वर्ष वापस ले लिया गया था या स्थगित कर दिया गया था। कम से कम इस वर्ष वित्त मंत्री को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत पुन: बहाल करने के लिए आगे आना चाहिए।

मेरी राय में वित्त विधेयक हाथ में रखे एक ऐसे आइने के समान है जिससे निर्धन और मध्य वर्ग के प्रति सरकार का रवैया प्रतिबिम्बित होता है। इस चर्चा के दौरान वित्त मंत्री को यह आइना दिखाया गया है। कृपया आप देखें कि आप उसमें कैसे लगते हैं। इसलिए, मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री से उपयुक्त संशोधन करने का निवेदन करता हूं।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं वित्त विधेयक के सारे पहलूओं तत्संबंधी संशोधनों, सार्वजनिक वित्त और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ने के विषय में चर्चा करने की सोच रहा था, लेकिन इस खतरनाक स्थिति ने मुझे अब इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दों को उठाने के लिए बाध्य कर दिया है। मैं प्रक्रिया संबंधी नियम के नियम 219, उपनियम (5), के हवाले से ही बोल रहा हूं जिसमें स्पष्ट और साफ शब्दों में यह कहा गया है कि वित्त विधेयक संबंधी विचार प्रक्रिया में भाग लेते समय :

> "कोई सदस्य भारत सरकार या सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में आने वाली स्थानीय शिकायतों या सरकार की धन या वित्तीय नीति से संबंधित विषयों पर चर्चा कर सकेगा।"

इसलिए मैं इस खतरनाक स्थिति पर चर्चा प्रक्रिया से संबंधी नियम 212 उपनियम (5) की सीमा के तहत कर रहा हूं। जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293, खंड (3) और (4), अनुच्छेद 280, खंड (3), उप-खंड (घ), और अनुच्छेद 269, खंड (i) (छ) के साथ पढा जाए। इस संबंध में भारत सरकार की जिम्मेदारी है। यह उड़ीसा राज्य की वित्तीय समस्याओं से संबंधित है। उड़ीसा में ऋण समस्या 28000 करोड़ रु० के करीब तक पहुंच गई है। स्थिति यह हो गई है कि जहां तक उड़ीसा में ब्याज भुगतान और पूंजी पुनर्भुगतान का संबंध है, इसके अपने राजस्व का शत प्रतिशत भाग ऋण निपटाने में ही चला जाता है, स्थिति यह हो गई है कि प्रत्येक वर्ष 2,000 करोड़ रु० से भी अधिक का घाटा होता है। वित्तीय घाटा 8,000 करोड़ रु० तक पहुंच गया है।

कुछ माननीय सदस्य यह प्रश्न कर सकते हैं कि इस बात की चर्चा यहां क्यों की जा रही है क्योंकि न तो यह उड़ीसा विधान सभा है और न ही उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उड़ीसा के बजट की यहां चर्चा की जाए। अपनी स्थिति का औचित्य सिद्ध करने के लिए मैंने प्रासंगिक प्रक्रिया संबंधी नियम और भारतीय संविधान के प्रावधानों को उद्धृत किया है। समस्या खतरनाक है। अपने राजस्व का 100% से भी अधिक भाग का उपयोग ऋण भुगतान में किया जा रहा है। अप्रैल, 2001 और 31 मार्च, 2002 के दौरान, उड़ीसा सरकार ने वर्ष के सभी बारहों महीनों और 365 दिनों के दौरान, या तो ओवर ड्राफ्ट का या फिर अग्रिम धनराशि निकालकर अपना काम चलाया है। 365 दिनों में से साल का एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जब उड़ीसा सरकार ने बिना ओवरड्राफ्ट या फिर अग्रिम धनराशि निकालकर अपना काम चलाया है। मैं आपको बता रहा हूं कि देश के किसी भी राज्य में पिछले 50 वर्षों के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ। यही एकमात्र राज्य है जहां ऐसा हुआ है। ऐसा केन्द्र सरकार की लापरवाही और गलत नीतियों के कारण हुआ। यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। सिर्फ यही सरकार नहीं, बल्कि उड़ीसा की इस खतरनाक वित्तीय समस्या के लिए अनुवर्ती सरकारों की लापरवाही भी जिम्मेदार है। भारत सरकार की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 293, खंड (3) और (4) में उल्लिखित है। राज्य सरकार बिना भारत सरकार की सहमति के कहीं से भी एक रुपया भी उधार नहीं ले सकती है, भारत सरकार ने ऋण लेने के लिए अपनी सहमती दी है। जब राज्य सरकार ऋण लेती है तो यह भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उच्च दर पर लिए गए ऋण के व्यय की निगरानी करे। ऐसा कभी नहीं किया गया।

इसके परिणामस्वरूप, स्थिति सिर्फ उड़ीसा की ही नहीं है बल्कि अन्य राज्य स्थिति भी बद से बदत्तर होती चली गई मैं आपको बता दूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश पर भी अधिक ऋण भार है और उनके अपने राजस्व का 80% से भी अधिक भाग ऋण के पुनर्भुगतान में चला जाता है। इसी कारण यह तीनों राज्यों हमेशा गरीब रहे हैं।

यहां पर बिहार और उत्तर प्रदेश के कई सदस्य हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वे इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं, वे अपनी बात कहने में अक्सर तत्पर रहते हैं, पर उन्होंने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया कम से कम उस तरह से तो नहीं, जिस तरह से इसे उठाना चाहिए था।

इसलिए, यहां मेरी चिंता का कारण यह है कि ऋण निपटान में भारी राशि खर्च होने के कारण राज्य के विकास के लिए बहुत

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

कम धन बचता है। उड़ीसा केवल ऋण पर ही जीवित हैं, यह कर्ज का भुगतान करने के लिए वेतन और पेंशन देने के लिए ऋण लेता है, जो राज्य के राजस्व का 140% है, यही समस्या का कारण है, उड़ीसा में, कि यहां वन, खनिज, भूमि, जल समुद्री प्राकृतिक संसाधन से भरपूर होने के बावजूद भी विकास के लिए यहां धन की कमी है। ये संसाधन राज्य में भरपूर मात्रा में हैं और कहा जाता है कि उड़ीसा में आवश्यकता से बहुत अधिक पानी है लेकिन वहां की भूमि के लिए सिंचाई सुविधा नहीं है।

वहां विकास कार्यों के लिए धन नहीं है, कई वित्त आयोग नियुक्त किए गए लेकिन मुझे यह कहते हुए दु:ख है और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि इन आयोगों के पास राज्यों की वास्तविक समस्याओं देखने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इन आयोगों ने कुछ कागजी कार्य किए। कुछ पूर्व धारणाओं के आधार पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। ऐसा नहीं है कि इन वित्त आयोगों में अच्छे अर्थशास्त्री नहीं थे लेकिन उन्होंने केवल रिपोर्टों में अलग राय ही रखी। यही समस्या है।

ये तीन राज्य, जिनका मैंने जिक्र किया है, अपने राजस्व का उपयोग कर्ज निपटाने के लिए करते हैं। बिहार के अपने राजस्व का 80% कर्ज निपटान में खर्च होता है, उत्तर प्रदेश के अपने राजस्व का 80% कर्ज निपटान में प्रयुक्त होता है और उड़ीसा के मामले में यह आंकड़ा 105% है। और क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र जैसे धनवान राज्यों में कर्ज निपटान में राजस्व का केवल 27% खर्च होता है। कौन समृद्ध होगा महाराष्ट्र या उड़ीसा ? ऐसे उपाय होने चाहिए कि ऐसे राज्यों को कर्ज से कुछ राहत मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों को कर्ज राहत नहीं दी गई है। इस तरह की राहत पंजाब, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों को दी गई है। आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोयला कंपनी को बचाने के लिए प्रति वर्ष 800 करोड़ दिए जाते हैं। सिंगरेनी कोयला कंपनी को ब्याज भुगतान की 10 वर्ष की छूट दी गई है। यह राज्य सरकार का उपक्रम है, जिसमें 51% शेयर आंध्र प्रदेश सरकार और 49% शेयर भारत सरकार के हैं, इसी तरह इन राज्यों को भी बचाया जा सकता है।

मुझे यहां दो सुझाव देने हैं, सर्वप्रथम, सरकार को उड़ीसा राज्य के लिए कर्ज निपटान विशेषकर ब्याज भुगतान और पूंजी पुनर्भुगतान पर 5 वर्ष के छूट की घोषणा करनी चाहिए। दूसरी बात, कृपया समय से एक साल पहले 12वें वित्त आयोग को नियुक्त कीजिए जिसकी अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत जरूरत है इसे पहले भी किया जा सकता है ताकि इसे ऋण संबंधी शिकायतों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का और अधिक समय मिल सके। चाहे वे जरूरी वस्तुएं और सेवाएं हो या फिर गैर जरूरी वस्तुएं और सेवाएं, जिस किसी भी मद में ये खर्च कर रहे हों, यह राज्य की वित्तीय स्थिति का भी अध्ययन कर सकता है और यह कतिपय बहुत ही ठोस सुधारों का सुझाव भी दे सकता है। कृपया ऐसा कीजिए और इसे यह जिम्मेदारी भी दीजिए, इसके परिणामस्वरूप बिना विशेष श्रेणी वाले इन तीन राज्यों उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश को भी बचाया जा सकता है। आप मेरी वेदना को समझ सकते हैं प्रधान मंत्री और पूर्व प्रधान मंत्री सहित उत्तर प्रदेश और बिहार के कई कैबिनेट मंत्री है। उनकी जब उड़ीसा जैसे दयनीय स्थिति होगी तो वे शायद अपनी आवाज उठाएंगे। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह उड़ीसा और विशेषकर इन दो राज्यों की की समस्याओं पर ध्यान दें, ताकि उन्हें अन्य के बराबर लाया जा सके।

दूसरी बात जो मैं बार-बार कहता रहा हूं वह यह कि जब-जब भी मुझे चाहे सभा में या सभा के बाहर मौका मिलता है तब-तब मैं कोयले पर रॉयल्टी पुनरीक्षण संबंधी मामला उठाता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि पश्चिम बंगाल ने एक भी बार इस समस्या का सामना किया होता तो वह भी अपनी आवाज उठाता और काफी पहले रॉयल्टी पुनरीक्षित हो गई होती। कोयले पर रॉयल्टी का पुनरीक्षण पिछली बार वर्ष 1994 में किया गया था। ऐसा पुन: वर्ष 1997 में होना था। सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि इसे प्रत्येक दो वर्ष में पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। वर्ष 1991 एवं 1994 में इसे पुनरीक्षित किया गया था। इसे फिर वर्ष 1997 में किया जाना था। लेकिन इसे पिछले 7 वर्षों से पुनरीक्षित नहीं किया गया है, इसके परिणामस्वरूप, उड़ीसा को प्रतिवर्ष 2150 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, उड़ीसा को 1200 करोड़ रुपए से भी अधिक का घाटा हुआ है। निश्चित रूप से, आप जानते हैं, बिहार में अभी कोई भी कोयला क्षेत्र नहीं है। अब सारे कोयला क्षेत्र झारखंड में चले गए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह कोयले पर रॉयल्टी का पुनरीक्षण क्यों नहीं कर रही है, पिछले सात वर्षों के दौरान, कोयले का मूलय 16 बार से भी अधिक बार पुनरीक्षित किया गया है। इसे 100% से भी ज्यादा पुनरीक्षित किया गया है। इसे अब दोगुने से भी ज्यादा कर दिया गया है। लेकिन कोयले पर रॉयल्टी को एक बार भी पुनरीक्षित नहीं किया गया है। रॉयल्टी सरकार के खजाने से नहीं जाती हैं, फिर भी सरकार निर्णय लेती है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जले पर नमक लगाने वाली बात यह है कि कोयले का मूल्य विनियंत्रित हो गया है।

अपराह्न 3.59 बजे

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

इसका मतलब यह हुआ कि कोयला खानें, सहायक कोयला कंपनियां अपने मूल्य का पुनरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र हैं। ई० और एफ० श्रेणी के कोयले का मूल्य, जो विद्युत श्रेणी (पावर ग्रेड) कोयले के रूप में जाना जाता है, सबजगह एक ही प्रकार का था, लेकिन अभी उसी कैलोरिफीक मूल्य और राख की उतनी ही मात्रा में, उड़ीसा का एम०सी०एल० कोयले के "एक" श्रेणी के कोयले का मूल्य केवल 351 रुपये प्रति टन है जबकि ईस्टर्न कोल फील्ड्स के 'एफ' श्रेणी के कोयले का मूल्य 417 रु० प्रति टन है। यह अद्यतन दर है।

अपराह्न 4.00 बजे

वैस्टर्न कोल फील्ड्स के मामले में, मूल्य अभी भी ज्यादा है, 508 रुपये प्रति टन, सिंगरेनी कोयलियरी के मामले में, 'ई' और 'एफ'

श्रेणी के कोयले के लिए जिसमें राख की मात्रा और कैलोरिफीक मूल्य उतने ही है, उसका मूल्य क्रमश: 778 रु० और 649 रु० प्रति टन है। ऐसा अंतर जानबूझकर रखा गया है, क्योंकि उड़ीसा के लोगों ने आंदोलन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें अपना बिक्री कर खो रहे हैं। वे अपना केन्द्रीय बिक्री कर भी खो रहे हैं। इसलिए, मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोयले की रॉयल्टी का पुनरीक्षण तार्किक हो और ऐसी कोयला खानों के कोयले का मूल्य तार्किक रूप से निर्धारित किया जाये।

केन्द्रीय बिक्री कर अनुच्छेद 269, खंड (i)(छ) के अंतर्गत आता है। यह केवल पश्य गामी कर नहीं है, बल्कि यह दमणकारी और शोषणकारी कर है। यह पिछड़े राज्यों का शोषण कर रहा है तथा उनका दमन कर रहा है। पिछड़े राज्यों की बदौलत ही धनी राज्य दिन व दिन धनी होते जा रहे हैं, मेरा किसी राज्य नेता, पार्टी या किसी से भी विरोध नहीं है लेकिन यहां मेरा कहना यह है कि महाराष्ट्र को प्रति वर्ष 1900 करोड़ रुपये का केन्द्रीय कर मिल रहा है जबकि उड़ीसा को केवल 32-33 करोड़ रुपये ही मिलते हैं। यह अपना सामान उड़ीसा भेज देता हैं और 4% केन्द्रीय बिक्री कर लेता है। केन्द्रीय बिक्री कर इसके लिए नहीं था। 1956 में जब इस वास्ते संविधान में संशोधन किया गया था तो यह इसके लिए था। संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, "केन्द्र द्वारा कर लगाया और संग्रह किया जाता है लेकिन राज्यों को दे दिया जाता है।" उन्हें कैसे दिया जाएगा, इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। केन्द्रीय बिक्री कर कानून इस सभा में ही बनाया गया था, जिसने राज्यों को कर संग्रह करने एवं उसका उपयोग करने की शक्ति प्रदान की है।

श्री मनोहर जोशी जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वह यह बतायें कि धनी राज्य, पिछड़े राज्यों के प्रति सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण क्यों रखें। कभी कभार लोग कहते हैं कि कुछ राज्य गैर-निष्पादक राज्य हैं और कुछ अन्य निष्पादक राज्य हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐतिहासिक कारणों से, कुछ राज्य धनी हो गए हैं। केन्द्रीय बिक्री कर कानून जैसे कुछ नियमों के परिणामस्वरूप भी कुछ राज्य वित्तीय और आर्थिक रूप से धनी हो गए हैं। कई कारण हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए और उनका पता लगाया जाना चाहिए। फिर भी, धनी राज्यों को पिछड़े राज्यों के प्रति बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण और रवैया अपनाना चाहिए। सिर्फ केन्द्रीय बिक्री कर को वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। केन्द्रीय बिक्री कर के अलावा सभी मामले अनुच्छेद 269 के अंतर्गत वित्त आयोग, के क्षेत्राधिकार में रखे गये हैं। केन्द्रीय बिक्री कर को भी आय विभाज्य पूल (कॉमन डिवीजिनल पूल) के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और राज्यों में ऐसा करने का कार्य स्वयं वित्त आयोग को करना चाहिये।

अपनी बात समाप्त करते करते मैं यह और कहता हूं कि उड़ीसा की स्थिति अत्यंत दयनीय होती जा रही है। सौभाग्य, से अब उड़ीसा को एक ईमानदार मुख्य मंत्री मिला है, लेकिन जब तक कि आपके पास धन नहीं है, सिर्फ ईमानदारी ही काफी नहीं है। हमने सोचा था कि जब हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी है, तो कम से कम अब हमारे साथ कोई भेदभाव की नीति तो नहीं बरती जायेगी।

पहले ही हमारी उपेक्षा होती रही है। ऐसा नहीं हुआ उड़ीसा से बी०जे०पी० एवं बी०जे०डी० के 21 में से 19 संसद सदस्य इस प्रतिष्ठित सभा में हैं। बी०जे०पी० और बी०जे०डी० वहां सरकार भी है लेकिन फिर भी कोई धनराशि नहीं। हमें केन्द्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली, न ही हमारी बात पर केन्द्र सरकार ने विचार किया। महोदय, आप जानते हैं कि फिर भी उड़ीसा न तो चिख रहा है और न ही लड़ रहा है। काफी पहले, करीब 90 साल पूर्व, वर्ष 1912 में, 'हाउस ऑफ लार्ड्स' में लार्ड कर्जन ने ठीक ही कहा था कि उड़ीसा के लोग अक्रामक रूख अपनाने वाली जोश खाने वाली जमात नहीं हैं। यदि वे जोश खा रहे होते, आक्रामक रूख अपना रहे होते तो उनके दावे बहुत पहले ही सुन लिये गये होते। 'हाउस आफ लार्ड्स' में वर्ष 1912 में लार्ड कर्जन ने यही कहा था। आज, उड़ीसा के लोग, निस्संदेह, सीधे-सादे एवं विनीत लोग हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं – मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको केवल याद दिला रहा हूं – कि अंग्रेज कवि ड्राइडन ने 300 वर्ष पूर्व स्पष्ट रूप से कहा था कि मासूम आदमी के क्रोध से सावधान रहिए। वह दिन दूर नहीं है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बाहर का कोई भी व्यक्ति मासूम आदमी के क्रोध का दिन तय नहीं कर सकता। मासूम आदमी के क्रोध का निर्णय तो केवल मासूम आदमी ही करेगा। मेरे मित्र, श्री प्रियरंजन दासमुंशी दक्षिण-पूर्व रेल के मुख्यालय को नहीं भूले हैं जो भुवनेश्वर में होना चाहिए था, लेकिन इसे कलकत्ता से भुवनेश्वर स्थानांतरित नहीं किया जा सका है, यद्यपि दक्षिण पूर्व रेल की दो-तिहाई लाइनें वहां है और उड़ीसा से दो-तिहाई से भी अधिक राजस्व मिल रहा है। लेकिन मुख्यालय वहां नहीं जा सकता। दक्षिण-पूर्व रेल का मुख्यालय दक्षिण-पूर्व रेल के भौगोलिक क्षेत्र में है। यह कलकत्ता में पूर्व रेल के क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि यदि दक्षिण-पूर्व रेल का मुख्यालय कलकत्ता से बदल दिया जायेगा तो वहां आग लग जाएगी। *(व्यवधान)* हां, वे उस समय तेज तर्रार युवा थे। मैं भी उस समय युवा था लेकिन वे तेज-तर्रार युवा थे और भारत सरकार उनसे डरती थी, इसके बाद उनसे बंगाल के लोग डरने लगे, और रेलविभाग मुख्यालय का स्थानांतरण नहीं कर रहा है। वर्ष 1996 के बाद भी जब पूर्व तटीय रेल जोन बनाया गया लेकिन रेल मंत्रालय ने उस जोन को अभी तक चालू नहीं किया है। यह इसकी दु:खद स्थिति है। महोदय, आपके माध्यम से, मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह मासूम एवं विनीत उड़ीसा वासी की अंतिम प्रार्थना को सुनें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, वित्त मंत्री ने बजट और वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है, हमने बजट पर आम चर्चा में काफी चर्चा की और मेरे मित्र, श्री पवन कुमार बंसल जो मेरे ही

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

दल के हैं वित्त विधेयक के उन प्रावधानों और रियायतों पर गहन चर्चा की है जिस दिन वित्त मंत्री ने उन सबकी अपने भाषण में घोषणा की थी।

सबसे पहले, मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद दूं कि उनमें साहस है और लोगों को अभिवाहन की समझ है तथा जानादेश की कद्र करने की भी समझ है। श्री किरीट सोमैया ऐसी रियायतें प्रदान करने हेतु वित्त मंत्री को बधाई दे रहे थे, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे दिल्ली के लोगों को बधाई देनी चाहिए जिन्होंने हाल के नगर निगम के चुनाव में बी०जे०पी० को हरा दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, बी०जे०पी० के नेताओं ने भी अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में कहा कि हार का मुख्य कारण वित्त मंत्री का बजट है। मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने जानादेश का सामना करने का साहस किया और बजट की चुनौतियों को भी समझा, और जिसके कारण वित्त मंत्री की घोषणा हुई जिसे आप ''रोल बैक'' कह रहे हैं, यद्यपि इसे अंशकालीन रूप से किया गया है ज्यादा नहीं कोई भी वित्त मंत्री यदि उसे देश के वित्त का प्रबंधन करना है तो वह ज्यादा ''रोल बैक'' नहीं कर सकता है।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री को नौकरशाह होने के कारण फाइलों को बारीकी से देखने तथा देश की अर्थव्यवस्था को समझने का अनुभव है। उन्हें बी०जे०पी० द्वारा समर्पित श्री वी०पी० सिंह सरकार द्वारा विरासत में मिलने वाले दिवालिया पन वाली श्री चन्द्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री होने का दूसरा अनुभव है। उन्हें तब इस बात का एहसास हुआ कि एक गैर-कांग्रेसी सरकार ने कैसे राष्ट्र को अधोपतन की ओर अग्रसर किया। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि यह हमारी कांग्रेसी सरकार ही थी जिसने गर्त में धंसी अर्थव्यवस्था को उबारा और इस देश को 7 प्रतिशत वृद्धि दर पर पहुंचा दिया, जो उपलब्धि आजादी के बाद से लेकर आज तक कोई भी सरकार हासिल नहीं कर पाई और यह सरकार तो इसके लिए प्रयास भी नहीं कर रही है।

इसलिए, हम इस या उस तरफ से जो भी आलोचना करें, यह मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा यह है कि देश अपनी कराधान नीतियों के संबंध में लोगों से कैसी अपेक्षा रखे या करे। महोदय, मैं दो बातों पर माननीय वित्त मंत्री की प्रशंसा करता हूं। प्रथम, उन्होंने कर प्रशासन को आधुनिक बनाया है और स्थिर किया है। मेरे प्रिय मित्र श्री किरीट सोमैया अब यहां नहीं हैं। वह कर अधिकारियों की आलोचना कर रहे थे कि यदि ये सारी चीजें उनके हाथ में सौंप दी जाए, तो देश कहीं का नहीं रहेगा आदि। मेरा विचार बिल्कुल अलग है। कर प्रशासन में एक अथवा दो ही कुल कलंक किन्तु कुल मिलाकर वे देश के बुद्धिमान लोग हैं जो देश को ठीक दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। यह हम राजनीतिज्ञों, इस ओर या उस ओर के चार चार हमारे दखल देने के कारण हैं कि देश उनसे जो कराना चाहता वे वह कार्य नहीं कर सकते।

श्री बी०पी० वर्मा जैसे कि एक अथवा दो कुल कलंकों को छोड़कर हम समूचे कर प्रशासन पर दोषारोपण न करें और न उसे कोसें जिनपर हमारा अत्यधिक विश्वास है, जो संसद की इच्छा के अनुसार अपनी पूर्ण योग्यता से इस राष्ट्र के संसाधनों का संग्रहण करने के इच्छुक हैं।

मैंने सोचा कि माननीय वित्त मंत्री गरीबों में सबसे गरीब लोगों को रियायतें देने से शुरू करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों मैं उनको धन्यवाद देता हूं – ने मिट्टी के तेल, रसोई गैस और अनेक अन्य क्षेत्रों के बारे में ठीक ही कहा है। किन्तु माननीय वित्त मंत्री ने किसानों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहा है। हो सकता है वे मेरी तरह समान रूप से भ्रमित हों। मैं उनकी राजनीतिक सोच के बारे में नहीं जानता। किन्तु आज तक मैं यह बात नहीं समझ सका हूं कि इस देश में किसान कौन है। किसान की परिभाषा जैसाकि देश के किसी भाग से मुझे मिलती है, यह है कि वह व्यक्ति सुबह से शाम तक जमीन जोतता है। वह किसान है। किन्तु वास्तव में जब मुनाफे की बात आती है तो मुझे पता चलता है कि यह बात विशेषकर उत्तरी भारत के प्रसंग में है और अन्य भागों के बारे में मुझे कोई अन्दाजा नहीं है और बंगाल के बारे में मेरे विचार अति सशक्त हैं कि किसान वह नहीं है जो घर में आलसी बनकर बैठा रहता है, अपनी नामी और बेनामी भूमि को विभिन्न एजेन्टों को वितरित कर देता है और अपनी जमीन को जोतने के लिए हरियाणा, बिहार और उड़ीसा से लोगों को मजदूरी पर बुलाता है और उन्हें मजदूरी देता है जो खेती का कार्य करते हैं और दिन के अन्त में लाभ उस व्यक्ति को मिलते हैं जो कहता है कि मैं किसान हूं। वह ऐसा व्यक्ति है जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अत्यधिक शाक्तिशाली है जो उन वास्तविक लोगों को वंचित कर, जो उस जमीन पर कठिन परिश्रम कर रहे हैं और रात दिन जमीन की जुताई कर रहे हैं, अपनी ताकत से राष्ट्र के लाभों का दोहन कर रहा है। यदि यह धारणा किसान के बारे में है तो किसानों को और अधिक लाभों का अर्थ यह है कि उन किसानों को अधिक लाभ नहीं मिलेंगे जो वास्तविक किसान हैं जो श्रम कर रहे हैं बल्कि कुछ लोगों को ही और अधिक लाभ मिलेंगे। कम्यूनिस्टों की विशिष्ट शब्दावली के अनुसार इन लोगों के लिए लोकप्रिय शब्द कोला, योधा और जमींदार हैं और मैं भू-शोषक कहता हूं। उन्हें अधिक लाभ मिलेंगे, का अर्थ है कि राष्ट्र से एक बड़ी आय छिपी हुई है।

अत:, श्री वित्त मंत्री जी, मैं किसानों के लिए और अधिक राजसहायता का समर्थन करता हूं। मैं सस्ती बिजली का समर्थन करता हूं। किन्तु आप इसे बिना किसी राजनीतिक रूखाई के सुनिश्चित करें। देश में ऐसा समय आ गया है कि आप पीपुल्स वार ग्रुप अथवा नक्सलियों पर कितने दिन तक प्रतिबंध लगाएंगे। जीवन का यथार्थ यह है कि बिहार में अथवा बंगाल में अथवा आंध्र प्रदेश में वास्तविक और सकारात्मक भूमि सुधार, जिनसे कृषि नीति को लाभ पहुंचता है, सीधे उन लोगों को जाता है जो यह कार्य कर रहे हैं। जब कोई सकारात्मक भूमि सुधार नहीं हैं और अभी भी लोग किसानों को लाभों

के नाम पर अपनी सम्पत्ति को छिपा रहे हैं, तो यह सम्पत्ति कुछ लोगों के हाथों में जा रही है जो अन्ततः राष्ट्र की दौलत अपनी जेबों में रख लेते हैं। इस परिभाषा पर पुनः राष्ट्रीय वाद विवाद की आवश्यकता है कि किसान कौन है।

मुझे मालूम है कि यदि मैं इस मुद्दे पर वाद विाद करता हूं – मैंने अपनी पार्टी में, अखिल भारतीय कांग्रेस समितियों में इस मुद्दे पर वाद विवाद किया था – कुछ लोग हैं जो मुझे पर दोष लगाएंगे भले ही वे मेरी पार्टी के हो अाि अन्य पार्टी के हों, किन्तु किसान की परिभाषा के बारे में हमेशा के लिए निर्णायक रूप से निर्णय किया जाना चाहिए। यह निर्णय किया जाना चाहिए कि कौन किसान है और लाभ का पात्र कौन है। जब यह निर्णय नहीं किया जाता है तो आंसू बहाने के नाम पर किसानों के नाम पर देश के कुछ भागों में कुछ लोग राष्ट्र की सम्पूर्ण दौलत को हड़प लेंगे और मैं 'राष्ट्र को धोखा' देंगे शब्द का प्रयोग करता हूं।

सभापति महोदय, अब मैं वित्त विधेयक के अन्तिम पृष्ठ को लेता हूं। मैं सोचता था कि रिआयतें वहां से शुरू होंगी। सम्भवतः वित्त मंत्री एक बात पर ठीक हैं कि इन दिनों गरीब लोग टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स अथवा ई-मेल के माध्यम से वार्तालाप नहीं करते हैं। यदि हम देखें कि वह तरीका जिसके माध्यम से वे सबसे अच्छी तरह वार्तालाप करते हैं तो वे एक पत्र लिख देते हैं तो एक पत्र पढ़ना राजनीतिज्ञों के लिए सहन करना कठिन हो जाता है। सम्भवतः इसीलिए वित्त मंत्री डाक प्रशुल्कों को नहीं छुआ। मुद्रित पोस्टकार्ड की लागत तीन रुपए से छह रुपए बढ़ गई।

वे ग्रेनाइट और संगमरमर में छूट दे रहे हैं। ठीक है, मैं उस मुद्दे को नहीं उठा रहा हूं। मेरे मित्र मुझ पर झपट पड़ेंगे। मैं ग्रेनाइट उद्योग और संगमरमर उद्योग के विवाद में नहीं जा रहा हूं, चाहे लघु उद्योग हो अथवा बेनामी हो। आम तौर पर जैसा मैं जानता हूं ग्रेनाइट और संगमरमर इस प्रयोजनार्थ प्रयुक्त एक अत्यधिक महंगी सामग्री है। किन्तु गरीब आदमी के लिए एक पोस्ट कार्ड ग्रेनाइट और मारबल की अपेक्षा बहुत आवश्यक है। पोस्ट कार्ड के प्रशुल्क में कमी नहीं की गई है। इसकी कीमत तीन रुपए से बढ़कर छह रुपए हो गई है। इसकी कीमत दोगुनी हो गई है। इसलिए मैं समझता हूं वित्त मंत्री ने इसकी अनदेखी की है अथवा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तथाकथित सहयोगी जिन्होंने यह सोचा कि यह मामला उठाया गया है, यह महसूस किया कि वह इसे जोरदार ढंग से उठाएंगे, हो सकता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्नता नहीं होगी। अतः इस मुद्दे को छुआ नहीं गया। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की पुनः जांच करें।

महोदय, मैं दो अथवा तीन टिप्पणियों पर अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा। मैं वित्त मंत्री को चाय पर उत्पाद शुल्क प्रति किग्रा० दो रुपए से घटाकर एक रुपया करने के लिए धन्यवाद देता हूं। अब मेरी उनसे अपील है कि वह प्रतिस्पर्धा पर ध्यान दें। विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के बाद आप कीनिया और श्रीलंका से चाय के इस प्रकार हो रहे चाय के पाटन को नहीं रोक सकते वह हमारे बाजार में आएगी किन्तु भारतीय चाय उद्योग को स्थिर होने की अनुमति दीजिए जो श्रम प्रभावी उद्योग हैं जो असम, पश्चिम बंगाल और दक्षिण के कुछ भागों में है, मेरी वित्त मंत्री से अपील है कि तीन वर्षों से उन्हें चार उद्योग से कोई उत्पाद शुल्क नहीं लेना चाहिए। यह श्रम प्रधान उद्योग है।

मेरी वित्त मंत्री से यह भी अपील है कि जूट उद्योग से कोई उत्पाद शुल्क न लें। जूट और चाय के इन दो उद्योगों पर सम्पूर्ण उत्तर-पूर्व चल रहा है। वित्त मंत्री एक समय बिहार से रहे हैं और अब वह झारखंड से हैं। सम्पूर्ण उत्तर बिहार और सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप प्रत्येक गांव में जाएं तो आप देखेंगे कि प्रत्येक गांव का प्रत्येक पांचवा व्यक्ति मनीआर्डर की प्रतीक्षा कर रहा होता है जो पश्चिम बंगाल से जूट मिल से आएगा। इसलिए वित्त मंत्री से मेरी अपील है कि तीन वर्ष जब तक वे स्थिर न हो जाएं, चाय और जूट उद्योगों से कोई उत्पाद शुल्क न लें।

सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री को एक अच्छे कार्य करने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने मनोरंजन उद्योग के लिए थिएटरों आदि को विभिन्न रूपों में कर अवकाश दिए हैं। किन्तु मनोरंजन उद्योग कौन चलाता है ? अभिनयकर्ता मनोरंजन उद्योग चलाते हैं। अभिनयकर्ता कौन होते हैं ? वे सांस्कृतिक अभिनयकर्ता हैं और खिलाड़ी हैं। सभी सांस्कृतिक अभिनयकर्ता लता मंगेश्कर, रवि शंकर, दिलीप कुमार, और अमिताभ बच्चन नहीं होते। वे तो कुछ अपवाद ही होते हैं। वित्त मंत्री महोदय, एक औसत अभिनयकर्ता की प्रतिभा वास्तव में चालीस वर्ष की आयु के पश्चात समाप्त हो जाती है। उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम दिन उसी आय पर गुजारने पड़ते हैं जो कुछ उन्होंने चालीस वर्ष की आयु तक अर्जित की है। किसी क्षेत्र किसी अच्छे खिलाड़ी की अन्तिम क्षमता, किसी अभिनयकर्ता के भरपूर तरीके से अभिनय करने की किसी कलाकार की क्षमता की आयु पैंतीस वर्ष से चालीस वर्ष के बीच होती है। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि यदि वह इस समय घोषणा नहीं कर सकते हैं तो इस पर विचार कर सकते हैं कि देश के सभी खिलाड़ियों द्वारा चालीस वर्ष की आयु के बाद अर्जित की गई आय पर कर नहीं लगाना चाहिए अथवा जिन लोगों ने चालीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है। मुझे इनमें से अनेक लोगों की दयनीय स्थिति की जानकारी है जो लगभग मर रहे हैं अथवा रो रहे हैं। जैसाकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सभी कलाकार लता मंगेशकर और रवि शंकर नहीं हैं। देश के विभिन्न भागों में बड़ी मात्रा में भारतीय कलाकार स्टेज पर, पर्दे पर अभिनय कर, संगीत देकर और खेलों में भाग लेकर जी रहे हैं।

अपने जीवन के अंत में वे देखते हैं कि वे अब मोहक नहीं हैं और अब कुछ नहीं बचा है। वे कैसे जीते हैं ? जीवित रहना बहुत कठिन है। इसलिए चालीस वर्ष की आयु के बाद उन पर कर न लगाया जाए।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

सभापति महोदय, वित्त विधेयक के पृष्ठ सं० 11 पर तलाशी और जब्ती से संबंधित उपबंध के औचित्य के बारे में उल्लेख है। मैं यह बात शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी समूह अथवा कहानी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं बल्कि आप से अपील करता हूं कि जब आप किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज जब्त करने अथवा किसी महिला की तलाशी लेने के लिए भेजें तो कृपया उनके साथ मां अथवा बहन की तरह व्यवहार किया जाए। फर्स्ट ग्लोबल के मामले में हमने एक महिला की कहानी सुनी है। यदि किसी महिला ने हत्या की है तो आप उस पर न्यायालय में मुकदमा चला सकते हैं। किन्तु उसके साथ अन्यायपूर्ण ढंग से व्यवहार न करें। फर्स्ट ग्लोवल के मामले में कहनी यह है कि यह जानते हुए भी कि महिला शौचालाय में थी, उन्होंने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा तोड़ दिया और उसे खींचकर बाहर निकाला गया क्योंकि उनकी कहानी ने तहलका के पक्ष में बयान दिया था। यह ठीक नहीं है। देश भर में यह सन्देश जाना चाहिए कि वे किसी से दस्तावेज जब्त कर सकते हैं किन्तु महिला से बर्ताव करते समय उन्हें उसे कुछ सम्मान देना चाहिए क्योंकि हम भारत में महिलाओं का सम्मान करते हैं। इस मामले में वह बहुत प्रतिभाशाली महिला हैं। वह भयानक कहानी जो हमने संचार माध्यमों के द्वारा सुनी है, कि जिस ढ़ंग से उन्हें पीड़ित किया गया है, वह चौंकाने वाली है। इस तरह नहीं किया जाना चाहिए था। यदि आप यह पता लगा सकें कि यह कार्य किसने किया और कानून के तहत उन पर मामला दर्ज करें, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। इस समय मैं इस मामले की अच्छाइयों में नहीं जा रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मैं एक बात पर स्पष्टीकरण चाहूंगा जिससे हमारी खेल बिरादरी में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। यह उनकी घोषणा के बारे में कि कुछ कर छूट वापस ली जा रही है। मैं समझता हूं वित्त मंत्री महोदय, यह ठीक नहीं है क्योंकि पहले से ही कुछ अन्य प्रावधान है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप इसका स्पष्टीकरण करें ताकि यह संदेश जाए कि खेल बिरादरी को कोई खतरा नहीं है।

अब मैं वापस दो अथवा तीन क्षेत्रों पर आता हूं जिनपर मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। वित्त मंत्री महोदय, आज अपने घाटे वाले बजट में सुधार करने के लिए और धनराशि लेने के इच्छुक थे। मुझे एक संगठन जिसकी स्थापना हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी और महान वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय द्वारा की गई थी अर्थात दि इंडियन कैमिकल मेन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, की ओर से एक विस्तृत ज्ञापन प्राप्त हुआ था। मैंने उनसे वार्ता की और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री ने भी उनसे वार्ता की थी। केन्द्रीय बजट में गैसोहोल कार्यक्रम के तहत अल्कोहल उत्पादक मद्यनिर्माणशालाओं को 1500 करोड़ रुपए की राजसहायता प्रदान की गई है। जबकि गरीब आदमी की वस्तुओं जैसे मिट्टी का तेल, रसोई गैस को राजसहायता के इस कवर के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि पेट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रशासनिक मूल्य तंत्र को समाप्त करते समय केन्द्र सरकार ने सामान्य पेट्रोल पर प्रति लीटर छह रुपए का अधिभर लगाया है जबकि ईथॉनाल युक्त पेट्रोल पर प्रति लीटर 5.25 रु० तक अधिभार कम कर दिया है। केन्द्र सरकार को राजसहायता देने के परिणामस्वरूप 1,500 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति होगी।

देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत लगभग 7.5 मिलियन टन है। पेट्रोल पर अलग-अलग दरों मे अधिभार लगाए जाने के कारण सरकार को राजस्व की क्षति होती है। यह रसायन उद्योग को समान अवसर उपलब्ध कराने से इन्कार करना है। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि देश में अल्कोहल का उत्पादन अधिक नहीं है। जब उन्होंने मुझसे बातचीत की तो मैं काफी उत्साहित था। वित्त मंत्री जी, उन्होंने ब्राजील का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रयोग ब्राजील में निराशाजनक रहा है और उन्होंने इस बात का उदाहरण ब्राजील से संबद्ध दस्तावेज से दिया, और मेरा विश्वास है कि वित्त मंत्री इसका अध्ययन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक सक्षम व्यक्ति हैं कि यह ब्राजील में क्यों विफल रहा। उन्होंने ब्राजील में प्रति व्यक्ति आय, आबादी की सघनता, अल्कोहल की उपलब्धता के आंकड़े दिए हैं और उन्होंने यह दर्शाया है और स्थापित किया है कि यह ब्राजील में और अंशत: अमरीका में क्यों विफल रहा।

महोदय, यदि भारत में यह प्रयोग जारी रहा तो उद्योग का एक हिस्सा पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसलिए, वित्त मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस पहलू पर विचार करें और वित्त विधेयक पर अपने अंतिम भाषण में इस पहलू पर कुछ टिप्पणियां करें।

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी, अब समाप्त कीजिए।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी : महोदय, मैं अभी एक मिनट में समाप्त करता हूं।

महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैंने बस कुछ उदाहरण और सुझाव दिए हैं। राहत बांड रियायतें एक स्वागत योग्य कदम है और मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से वित्त मंत्री द्वारा घोषित इस कदम का स्वागत करता हूं। इससे निम्न, मध्यम और उच्च आय वर्ग को भी इसमें निवेश का अच्छा वातावरण मिलेगा।

लेकिन, वित्त मंत्री जी गत कुछ वर्षों से लम्बित मैसर्स आई०टी० सी० के उत्पाद कर अपवंचन के मामले का क्या हुआ ? पूरा देश धूम्रपान के विरूद्ध है तो आप सिगरेट पर अधिक उत्पाद कर लगाकर अधिक धन संग्रह क्यों नहीं कर रहे हैं ? आप इस उद्योग को जितना चाहे दंडित कर सकते हैं। इससे सरकार को अधिक धन ही प्राप्त नहीं होगा बल्कि लोगों में जागरूकता भी फैलेगी। जहां तक मुझे ज्ञात है कुछ साल पहले मैसर्स, आई०टी०सी० ने लगभग 3500 करोड़ रुपये का उत्पादकर अपवंचन का घोटाला किया था। लेकिन, आज तक कोई नहीं जानता कि इस मामले में क्या हुआ ? क्या वित्त मंत्री जी वित्त विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते समय बताएंगे कि इस मामले

में कितनी प्रगति हुई है ? हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त करके बहुत प्रसन्नता होगी। यदि उनसे आप यह धन वसूल कर पाएं तो इससे वित्त मंत्रालय की तिजोरियां भरने में मदद मिलेगी। मैं इस विषय पर और अधिक नहीं बोलना चाहता।

महोदय, मैं यहां बता सकता हूं कि वित्त मंत्री दूरसंचार क्षेत्र से किस प्रकार अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वित्त मंत्री अपनी ही नीतियों का शिकार हो गए हैं। सरकार दूरसंचार विभाग को ऐसे आवश्यक संसाधन भी नहीं दे रही है जो वित्त मंत्री भी देना चाहते हैं। इसलिए, अब सरकार के भीरत वित्त मंत्री को ही लड़ाई लड़नी है। मैं इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं पुन: यह बात दोहराता हूं कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित कुछ उपाय अच्छे हैं किन्तु ये अपर्याप्त हैं।

महोदय, अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान एक खतरनाक प्रवृत्ति की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारी संघीय राज व्यवस्था में एक स्थापित परम्परा है कि यदि कोई राज्य सरकार किसी परियोजना के लिए विदेशों से वित्त पोषण चाहती है, या कोई राज्य सरकार किसी परियोजना के लिए विश्व के किसी भी भाग से वित्तपोषण कराना चाहती है तो भारत सरकार गारंटीदाता के रूप में संबंधित पक्ष से वार्ता करके इसे अंतिम रूप देती हैं। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है कि केन्द्र सरकार की अनुमति से मुख्य मंत्री संबंधित पक्षों से सीधे बातचीत कर रहे हैं। यह एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। इससे भविष्य में अनगिनत समस्याएं पैदा हो जाएंगी। भारत के बाहर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो निवेश के लिए अपना क्षेत्र और सत्ता पक्ष चुनने के लिए आतुर हैं। कृपया यह न सोचें कि मैं राजनीति की चर्चा कर रहा हूं। देश में स्थायित्व के नाम पर और एकमात्र गारंटीदाता के रूप में और संघ सरकार की निगरानी शक्ति के होते हुए कृपया इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न दें। इस प्रकार की व्यवस्था में यदि कोई आपका भागीदार है तो वह एक देश के साथ सद्भावना के साथ समझौता कर लेगा जबकि यदि कोई दूसरा आपका भागीदार नहीं है तो उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इससे देश में बहुत बुरा पूर्वोदाहरण खड़ा हो जाएगा। कृपया ऐसा न करें। अन्यथा, यह भविष्य में बहुत ही अनर्थकारी होगा। अंत में, माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि यदि वह कर सकें तो भारतीय रसायन उद्योग को और जैसा कि मैंने कहा है चाय उद्योग और जूट उद्योग को कुछ और लाभ दें।

महोदय, हालांकि बजट के कुछ प्रस्ताव गरीब लोगों और उनके हितों के विरुद्ध हैं फिर भी तेलगू देशम दल के मेरे मित्र यही कहेंगे कि वह सरकार से खुश हैं। श्री किरीट सोमैया ने भी वित्त मंत्री को बजट प्रस्तावों पर बधाई दी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मारीशस मार्ग के माध्यम से निवेश किए जाने में मजबूरी दर्शाई उनकी सारी बधाइयां डूब गईं। मैं यह भी महसूस करता हूं कि मारीशस मार्ग पैक्ट को दोहराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। माननीय वित्त मंत्री को मैं आज कष्ट नहीं देना चाहता लेकिन उनसे अनुरोध करता हूं एक ऐसा दिन नियत करें जिस दिन हम इस मुद्दे पर चर्चा कर पाएं जैसाकि श्री सोमैया ने भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने यह बहुत ही सुसंगत मुद्दा उठाया है, हम भी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री प्रदीप रावत (पुणे) : सभापति महोदय, बजट पर अपनी बात कहने के लिए समय देने और अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। मुझे यह टिप्पणियां करनी हैं।

ऐसा लगता है कि माननीय वित्त मंत्री ही नहीं बल्कि हम सभी दूसरे दौर के सुधारों की अपेक्षा दूसरे दौर की विसंगतियां और बाधाएं खड़ी करने में व्यस्त हैं। शायद हम वही काम करने में लगे हैं। जिनको आगामी पीढ़ी बाद में समाप्त करने में गर्व महसूस करेगी। विशेषज्ञों की राय लेने का हमारा पुराना इतिहास रहा है और जो हमारे लिए परेशानी पैदा करने वाली चीज होती है उसे फेंक देते हैं और अनुकूल चीज को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है।

इन प्रस्तावों पर नजर डालें जिनसे आयकर में बचत प्रभावित होगी। माननीय मंत्री जी ने रेड्डी समिति का हवाला दिया है। रेड्डी समिति ने अल्पावधि और दीर्घावधि बचतों में स्पष्ट रूप से अंतर किया है। राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, आदि जैसी अल्पावधि बचतों पर कर प्रोत्साहनों को समाप्त करने की सिफारिश करने के साथ-साथ समिति ने भविष्य निधि जैसी दीर्घकालिक बचतों पर 20 प्रतिशत कर छूट को बरकरार रखने की सिफारिश की है। बजट में अल्पावधि और दीर्घावधि बचतों में कोई अंतर नहीं किया गया है। दोनों पर ही कर प्रोत्साहन या तो कम कर दिए गए हैं या समाप्त कर दिए गए हैं। अब, इतने वाद-विवाद के बाद हम 15 प्रतिशत रियायत के समाधन पर सहमत होने में गर्व महसूस कर रहे हैं। मुझे तो डर है कि यह समाधान भी कोई अच्छा समाधान नहीं हैं। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि जिनके पास अल्पावधि बचत पत्र हैं उन्हें दीर्घावधि बचत पत्रों का विकल्प दिया जाए ताकि कर प्रोत्साहन उपलब्ध हों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत दीर्घावधि बचतों को बढ़ावा देना युक्तियुक्त होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय रेड्डी समिति की इस मंत्रणा, इस परामर्श की उपेक्षा किन कारणों से कर रहा है। हमारे पास सुरक्षा के बहुत कमजोर उपाय हैं और लघु बचतें बुरे वक्त में सुरक्षा का काम करती हैं, साथ ही, दीर्घकालिक बचतों पर कर प्रोत्साहन से अर्थव्यवस्था में बचत में वृद्धि होती है।

रियायतों पर एक नजर डालें। माननीय मंत्री जी रियायतों और कटौतियों को समाप्त करने के बारे में शोभ समिति की सिफारिशों का हवाला देते हैं। साथ ही कुछ रियायतों का प्रस्ताव किया जा रहा है। यहां कुछ उदाहरण हैं : नई मशीनरी और संयंत्र पर अतिरिक्त मूल्यहास; नौवहन कारोबार के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु प्रोत्साहन; ऋण/पूंजी बाजार और वित्तीय क्षेत्र को प्रोत्साहन। क्या ऐसा है कि हम कर लगाने और संग्रह करने के इस पहलू पर विचार नहीं करते ?

अब मैं सोचे-विचारे बिना और जल्द बाजी में किए गए एक और संशोधन की ओर आता हूं। वित्त विधेयक के उपबंधों से धर्मार्थ संस्थाओं को काम करना असंभव हो जाएगा। वर्तमन उपबंधों के तहत

[श्री प्रदीप रावत]

धर्मार्थ कार्यों के लिए दान प्रापत करना और खर्च करना असंभव हो जाएगा। लगभग पिछले पूरे दशक में कराधान मामलों के सलाहकार रहे प्रो० राजा चेल्लिया ने इस कठोर उपाय की खुले तौर पर निंदा की है। लेकिन दान पर चलने वाली धर्मार्थ संस्थाओं पर संकट लाने वाले वर्तमान उपबंधों के बारे में किसी को कोई परवाह नहीं लगती। मैं प्रस्तावित खंडों को निरस्त करने और पहले की स्थिति बहाल करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं उत्पाद कर की दरों में कमी करने के उनके प्रयासों की सराहना करता हूं। किन्तु, मैं उत्पाद कर की अन्य प्रक्रियात्मक और गैर शुल्क वाली कुछ चीजों के जारी रहने के प्रति चिंतित हूं। रियायतों की संख्या में गत वर्ष के 263 की अपेक्षा बहुत थोड़ी कमी की गई है, जो संख्या इस वर्ष 243 है। रियायतों की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इनकी सूची छह से बढ़कर नौ हो गई है। क्या मंत्रालय हमें यह बताने की कृपा करेगा कि रियायतों के कारण कितने राजस्व की क्षति होगी ? इसकी सूची काफी लम्बी है जो स्वयं ही अपनी बात कहती है। यह बाबूराज का जोरदार प्रमाण है जो दूसरे और के सुधारों के जमाने में भी जारी है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि पेंसिल शार्पनरों और गणित के ज्योमेटरी बाक्सों पर रियायत देने के विशेष लाभ क्या है ? क्या वह इस प्रकार गणित की शिक्षा को बढ़ावा देंगे ? क्या मुझे उनको स्मरण दिलाना होगा कि एक करोड़ धोबी ऐसे हैं जो ड्राइ-कलीनर मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं। आप उनको पांच प्रतिशत सेवा कर से छूट क्यों नहीं देते ?

हम उन उपायों पर हाय-तौबा क्यों मचाएं जो कर बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। कृपया कराधान मामले के कार्यदल की उस रिपोर्ट को देखिये जिसमें कर पर की जाने वाली छूट को समाप्त करने की दलील दी गई है। यह उस सही सलाह की उपेक्षा करने का एक दूसरा उदाहरण है जिसमें यह कहा गया है कि यह वित्त मंत्रालय के अंदर और उसके बाहर लाभान्वितों के अनुकूल नहीं है।

अब मैं सीमाशुल्क की बात करना चाहता हूं। मुझे 35 फीसदी की पीक रेट की बात समझ में नहीं आती है जबकि यह सबसे बेहतर और आदर्श मूल्य है; अर्थात् अधिकांश कर लगाई जाने वाली दर/सामान्य अंग्रेजी में, पीक रेट मतलब 'सर्वोच्च दर' होता है। विधेयक के अनुसार 210 प्रतिशत की सर्वोच्च दर अब घटकर 182 प्रतिशत हो गई है। अन्य दरें 210, 170, 115, 100, 80, 75, 55, 45, 40 आदि हैं। माननीय मंत्री जी की इस मामले में बड़ी कृपा रही है कि उनकी घोषणा के अनुसार दो वर्षों बाद इन दरों को केवल दो दरों में विलय कर दिया जायेगा। क्या कोई हमें इस कथित संक्रमण के लिए आवश्यक द्विवर्षीय अवधि की जादूई संख्या को स्पष्ट कर सकेगा ?

छूट के पीछे यहां भी भाग रहे हैं। पिछले साल 378 बार छूटे दी गई थीं। इस गैर-शुल्क मुक्ति के प्रति झुकाव के कारण यह संख्या बढ़कर 415 हो गई है। क्या वे हमें बता सकेंगे कि इन छूटों की

वजह से कितना राजस्व मुहैया कराए जाने का अनुमान है ? एक बार फिर शर्तों की संख्या उतनी ही रही है और सूची-35 से बढ़ कर 42 तक पहुंच गई है। ऐसा जान पड़ता है कि हम दूसरी पीढ़ी के प्रति अधिक वचनबद्ध हैं और पुरानी व्यवस्था फिर से आने वाली है। इसमें आश्चर्य नहीं कि शुल्क आज भी उतना ही जटिल और बोझिल है। इससे परिस्थितियां ऐसी बनी ही रहेंगी कि पहले की ही तरह बेईमानी होगी और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। क्या माननीय मंत्री यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि विरमानी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने में उनकी क्या मजबूरियां हैं ? इस रिपोर्ट में एक बार फिर कहा गया है कि ऐसी छूटों से निहित स्वार्थों वाले विशिष्ट धनी और शक्तिशाली लोगों की निरंतर गुट बंदी शुरू हो जाएगी। क्या इससे यह कल्पना करना कठिन है कि इतनी सारी छूटों शर्तों और सूचियों से दो दरों का लागू किया जाना भी समाधान नहीं है।

लोकप्रिय मांगें और आमसहमति, जो भी हों, किन्तु मुझे आशंका है, हमें व्यवसाय और लोगों में यह संकेत नहीं भेजना चाहिए कि सर्विस टैक्स (सेवाकर) अनुचित है और इसपर बात-चीत की गुंजाइश है। पहले हम उन दरों की बात करना चाहते हैं जो संतुलित और देय हैं। हमें शुरू से ही कर की दरें ऊंची करने के बजाय अधिक से अधिक लोगों को कर के दायरे में लाने की ओर ध्यान देना चाहिए और इसे कानून सम्मत तथा अर्थ क्षम्य कर-आधार के रूप में स्थापित करने के प्रति दृढ़ता दिखानी चाहिए। यदि केन्द्र सरकार हिचकिचाती है, तो राज्यों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और वे सेवाकर आधार को बढ़ाने में आगे अपना मनोबल खों देंगे। कार्यदल ने सेनवैट (सी०ई०एन०वी०ए०टी०) से सेवाकर के दायरे को बढ़ाने की सिफारिश की थी। पर इस बारे में वित्त मंत्रालय जो कहना चाहता है उस पर मुझे आश्चर्य है।

सभापति महोदय, मैंने अपने आपको केवल उन चुनिन्दे तत्वों तक सीमित रखा है जो आर्थिक सुधार की दिशा में हमारी अन्यमनस्कता और अघोषित विमुखता को प्रदर्शित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी मन: स्थिति का विषय आर्थिक सुधार है जो 45 के बजाय 43 आइटमों पर नियंत्रण में विश्वास करता है। प्रति-बंधित नियंत्रण, पुरानी व्यवस्था की काली छाया कई रूपों में और कई अवसरों पर बरकार रह सकती है और यह पुनर्जीवित भी हो सकती है।

मैं एक उदाहरण दूंगा। 1998 में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक संशोधन पेश करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 50 ग के बारे में कहा था कि राज्य सरकारों द्वारा कराए जाने वाले सर्कल मूल्यांकन पर जो तदर्थ होता है, विचार करना यादृच्छिक है और दोनों पक्षों के वास्तविक विचारों पर-कर निर्धारण में विचार किया जाना चाहिए। किन्तु आज हम देखते हैं कि उसी धारा 50 ग को फिर से पुर:स्थापित किया गया है। क्या है यह विश्लेषण गरीबों के नाम पर मुखौटा पहनना आसान होता है। अन्दर में आरामदेह लाइनों वाली रक्षा कवच के साथ राष्ट्रवादी-टोपी पहनना आसान होता है।

मैं, यहां तक कि विपक्ष में भी बैठे सुधारवादी-मित्रों से भी अपील करता हूं कि वे समाजवाद और विकासवाद के संकीर्ण खोखले पन से ऊपर उठकर एक इंसान के तौर पर उन चीजों पर अपना ध्यान केन्द्रित करें जो अत्यधिक महत्वपूर्ण और यथार्थ हैं तथा वे लम्बी अवधि तक चलने वाले आर्थिक सुधारों को और प्रबल बनायें।

सरकारी ऋण की पुनर्संरचना और सबसे महत्वपूर्ण कि व्यय संयोजन और उसकी सार्थकता जैसे कई अन्य मसले हैं। समय की कमी के कारण मैं इसे अब अपने लिखित प्रश्नों और टिप्पणियों के लिए सुरक्षित रखता हूं। मैं यह अवसर प्रदान किए जाने और ध्यान से मुझे सुनने के लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : अब, श्री रूपचन्द्र पाल ।

श्री पाल, आपकी पार्टी के एक सदस्य पहले ही इस वाद-विवाद में बोल चुके हैं। अब आपकी पार्टी के लिए पांच मिनट बचे हैं। कृपया संक्षेप में ही आप अपनी बात कहें।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं यथासंभव संक्षेप में ही कहने की कोशिश करूंगा। मैं मानता हूं कि आप मुझे उन सभी संबद्ध और महत्वपूर्ण बातों को कहने की अनुमति प्रदान करेंगे जो मैं कहना चाहता हूं।

महोदय, मैंने कहा था कि यह बजटीय सम्वाद दिशाहीन और बे सुराग है। मैंने वेंतनभोगी वर्ग तथा अन्य श्रेणी के लोगों पर कर के बारे में भी उल्लेख किया था।

अब वित्त मंत्री कतिपय राहत उपायों की पहले ही घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने वित्त विधेयक में कतिपय परिवर्तन किया है।

यह परिवर्तन छूट के संदर्भ में है, बचत के संदर्भ में हैं तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी है। दी गई राहत की कुल राशि लगभग 2,800 करोड़ रुपए की है; और यह लगभग 4,10,000 करोड़ रुपए के कुल बजट में अल्प राशि मानी जाती है।

जैसाकि आप जानते हैं, हम लोग इंडियन ऑयरन एण्ड स्टील कम्पनी (भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी) के मामले को लेकर कुछ समय से वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री से अनुरोध करते रहे हैं। हमारे देश में, इंडियन ऑयरन एण्ड स्टील कम्पनी (भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी) के नाम से एक इस्पात संयंत्र है, जो बहुत ही गौरवशाली और ख्याति प्राप्त कम्पनी है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार इसके पुनरूत्थान के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। यह राशि भी कोई एक बार में आवश्यक नहीं है; शुरू में इसे केवल 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। वह कम्पनी इस देश के 27,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। इसलिए, 27,000 परिवार इस पर आश्रित हैं। वह कम्पनी देश में उत्तम किस्म के इस्पातों का उत्पादन करने वाली कम्पनी रही है। ऐसा नहीं है कि हमें इस देश में इस्पात की आवश्यकता नहीं है। किन्तु, सरकार हमारे अनुरोध पर विचार नहीं कर रही है। अब इसका कारण क्या है, वह हमसे बेहतर सरकार ही जानती होगी।

हम एक बार फिर प्रधान मंत्री के पास गए हैं। 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि से 27,000 से अधिक परिवारों का जीवन बच सकता है। और तो और, बड़ी संख्या में अन्य लोगों का जीवन भी इस पर आधारित है। यह एक गौरवशाली इकाई है। किन्तु, यह सरकार वह राशि मुहैया नहीं करा रही है; जबकि 2821 करोड़ या इसी के लगभग की राशि उनके लिए अल्प राशि के ही समान है। कहां से वे धन प्राप्त करने जा रहे हैं ? क्या वे मानते हैं कि उनके अनुसार प्रस्तावित राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा ? एक बार फिर मैं यह सवाल कर रहा हूं।

वर्षों से, कर और सकरम घरेलू उत्पाद का अनुपात नौ प्रतिशत या इसी के इर्द-गिर्द घूम रहा है। इसमें कमी आ रही है। इस देश के 'धनी' और 'महान धनी' लोग कोई कर नहीं दे रहे हैं। उनकी आमदनी का मात्र 30 प्रतिशत ही सामने आ पा रहा है। यह सरकार की रिपोर्ट है। मैंने इस विशेष प्रश्न को इस सरकार से किया था। कितने लोग इस देश में सालाना 10 लाख से अधिक का अर्जन करते हैं ? सरकार की रिपोर्ट में बताया गया है कि इनकी संख्या केवल 50,000 है। अकेले दक्षिण दिल्ली में, उन लोगों की संख्य इससे अधिक हैं जिनकी सालाना आमदनी 10 लाख से अधिक की है। बेरोक-टोक अपवंचन होता है। कर की दर घटी है। कुछ लोग इससे सहमत नहीं है किन्तु मंत्री जी सहमत हो गए हैं। किसी बात पर टिप्पणी करते हैं उन्होंने कहा कि हालांकि कर की दर घट गई है, तथापि कर अदा करने की अनुवृत्ति उस अनुपात में नहीं है, बल्कि यह घट ही रही है। फिर कहां से वे धन लाने जा रहे हैं ? क्या वे इसे सर्विस टैक्स (सेवा कर) से पूरा करने जा रहे हैं ? कौन-सा सर्विस टैक्स (सेवा कर) ? भिन्न-भिन्न तरह के सर्विस टैक्सों (सेवा करों) से धन की उगाही की जा रही है। उगाही पर आने वाली लागत और कई अन्य कारणों से यह सरकार के लिए संभव नहीं है।

अब, माननीय वित्त मंत्री और सरकार दोनों ही बुद्धिमान हो गए हैं, वह इसीलिए कि उन्हें अब इसकी मार पड़ी है। ऐसा नहीं है कि वे इसे नहीं जानते थे। चुनाव परिणामों के बाद वे पुनर्विचार कर रहे हैं, और बड़ी राजनीतिक पार्टी के लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं कि अमुक-अमुक चीजें की जाएं।

हमारे लघु उद्योगों में क्या हो रहा है ? कल ही माननीय वित्त मंत्री ने कुछ टिप्पणियां की थीं। मैं केवल एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। महोदय, क्या आप 'छाता' यानी अम्ब्रेला समझते हैं ? एक लाख से भी अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : छाता तो हो गया।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : मैं आपको बता रहा हूं, यह नहीं हुआ है। माननीय वित्त मंत्री ने कल पूर्जों और अनुषंगी उपकरणों पर से कर हटाकर इसे इस आइटम के निर्माताओं पर लागा दिया है। ये लोग कच्ची सामग्री खरीदते हैं और इसका 70 प्रतिशत आयातित होता है। ये इसे डीलरों से खरीदते हैं। वे इसका सीधा आयात नहीं करते हैं। उन लोगों ने माननीय मंत्री के यहां अभ्यावेदन दिया है कि देशी छाता निर्माता असमान प्रतिस्पर्द्धा में आयातित रेडी-मेड छातों के मुकाबले नहीं टिक सकते हैं। वचे अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकते हैं क्योंकि कच्ची सामग्री का 30 प्रतिशत देशी होता है और 70 प्रतिशत आयातित होता है। मेरा मानना है कि माननीय मंत्री अपना दिमाग लगाए कि वे 1996 की गणना के अनुसार तैयार माल पर जिसपर उन्होंने छूट नहीं दी है, 4 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क से कितना अर्जित कर सकेंगे। मंत्री जी ने कलपूर्जों और अनुषंगी उपकरणों पर छूट दे दी है। यदि तैयार माल के निर्माता स्वयं आयात करते हैं, तो वे कुछ रियायत का आनन्द उठा सकेंगें, किन्तु 70 प्रतिशत से भी अधिक विधवाएं, महिलाएं, गरीब तबके के लोग, अनपढ़ व्यक्ति इस तरह आयात नहीं कर पाते हैं। वे बाजार से उनसे खरीदते हैं जो इसका आयात करते हैं। इसलिए, मेरा सरकार से आग्रह है कि इसे खत्म किया जाए यदि मैं गलत नहीं हूं, तो 1996 की गणना के अनुसार केवल 22,000 रुपए की राशि अर्जित की जा सकती है। फिर भी सरकार का कहना है कि वह तैयार माल पर 4 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क जारी रखेगी। मेरा विचार है कि मंत्री जी इसे वापस ले लें क्योंकि इससे घरेलू छाता के एक लाख से भी अधिक निर्माताओं का भला हो सकेगा।

मंत्री जी ने एल०पी०जी० और मिट्टी के तेल के संबंध में बहुत कुछ किया है। मिट्टी तेल का प्रयोग गरीब तबके के लोगों द्वारा किया जाता है। उन्होंने इसका मूल्य, विशेषकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बढ़ा दिया है। नियंत्रित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने के बाद क्या हो रहा है, वह हमें नहीं पता है। आज की खबर है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल निकाय 7700 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहे हैं; यानी 75 करोड़ रुपये प्रतिदिन। उनमें 7700 करोड़ रुपए का घाटा पहले ही हो चुका है। जब गणना की गई, नियंत्रित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने का उपाय किया गया और तेल पूल खाता को अलग रखकर देखा गया तथा इसे बजट प्रक्रिया का एक अंग बनाया गया, तो उस समय प्रति बैरल क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) का मूल्य 20 डॉलर था। अब यह मूल्य 27 से 28 डॉलर के करीब है और किन्हीं कारणों से यह मूल्य बढ़ भी सकता है। अब इसके भुगतान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तेल निगमों पर दबाव दिया जाता है। मिट्टी तेल के गरीब उपभोक्ताओं का क्या होगा ? मध्यम वर्गीय लोगों का क्या होगा जिनके पास एल०पी०जी० का उपयोग करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं हो सकता है ? कहा गया है कि मंदी चल रही है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। कि अतिशय क्षमता है।

मांग कम होने के कारण, निर्यात के अधिकांश क्षेत्रों में कमी आई है। धन कहां से आयेगा ? इस पर, विश्व व्यापार संगठन के प्रति वचनबद्धताएं हैं जिन्हें पूरा किया जाना है। हमें सीमा-शुल्क में कटौती करनी पड़ेगी। इस तरह की स्थिति में, यह क्या हो रहा है ? महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि सीमा शुल्क की दर को 8 से 16 प्रतिशत और 16 से 8 प्रतिशत में परिवर्तित किया जाना उदारीकरण का एक कार्य प्रतीत होता है। यदि हम एक-एक मद को लें, तो हम देखेंगे कि आम आदमी द्वारा उपयुक्त की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया है और समाज के समृद्ध वर्ग द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं पर इसे 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है। यही हाल चाय और नाफ्ता का भी है। इसका घरेलू पेट्रोल – रसायन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विदेशी शराब को सस्ता किया जा सकता है किन्तु मिट्टी के तेल को नहीं। ऐसा क्यों है ? उन्हें अधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने चुनावों से एक सीख ली और उन्होंने वेतनभोगी वर्ग पर लादे गये भारी वजन को कम कर दिया है। लेकिन उन्होंने यह नहीं सीखा कि मिट्टी का तेल भी एक ऐसी मद है और रसोई गैस ऐसी ही एक अन्य मद है।

महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। मैं कह रहा था कि मुद्रास्फीति दर को मापने का तरीका गलत है। उनका दावा हैं कि मुद्रास्फीति न्यूनतम है इसीलिए ब्याज दरों को कम किया जा सकता है। अब मेरी बात सांख्यिकीय आयोग की रिपोर्ट से पुष्ट हो जाती है। डा० रंगराजन आयोग के अनुसार विश्व भर में मुद्रास्फीति की दर का हिसाब थोक मूल्य सूची के आधार पर लगाया जाता है। यहां इसका हिसाब उपभोक्ता मूल्य सूची के आधार पर लगाया जाता है। थोक मूल्य सूची में सेवा संघटक शामिल नहीं किये जाते जबकि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, सेवा संघटक 52 प्रतिशत से अधिक है। मैं समझता हूं कि मुद्रास्फीति का विषयपरक आंकलन कैसे किया जा सकता है इसे ध्यान में रखने के लिए उन्होंने समिति गठित की होगी। इसके बाद पुन: मुद्रास्फीति दर का कुछ अर्थ नहीं निकलता। इससे हमारी खपत और उत्पादन दोनों ही प्रभावित होते हैं। श्री अशोक कुमार चक्रवर्ती ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है और रिजर्व बैंक ने भी यही सब तथ्य प्रकाशित किये हैं। किन्तु मैं यहां इन सब बातों की चर्चा नहीं करूंगा।

महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। वे अभी भी छूटों और इन सभी चीजों को गुजरात के भूकंप से जोड़ते हैं। लेकिन कोई-न-कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए क्योंकि दो लाख से भी अधिक लोग विभिन्न कैंपों में रह रहे हैं। उनके पास न तो भोजन है और न ही दवाइयां। विश्व भर में रिपोर्टें लिखी गयीं हैं। कोइ-न-कोई प्रावधान अवश्य होना चाहिए। हमारे पास खाद्यान्न के विशाल भण्डार हैं जिनकी मात्रा छ: करोड़ टन है। लेकिन लोग भूख से पीड़ित है। केवल गैर सरकारी संगठन उनकी सेवा में लगे हुए हैं। वहां लोग भूख से मर रहे हैं। यह मेरा विनम्र अनुरोध है और मैं यह विश्वास करता हूं कि यहां पर मेरे सभी सहकर्मी मेरी इस

बात का समर्थन करेंगे कि दो लाख से अधिक लोगों के लिए राहत और पुनर्वास का कोई प्रावधान होना चाहिए।

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, सब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जहां तक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का संबंध है, कोई माननीय सदस्य उस ओर से बोल रहे थे। लेकिन महोदय, क्या आप जानते हैं कि क्या होने वाला है ? मैं नहीं जानता कि आपका कोई निवेश है अथवा नहीं है। महोदय, मासिक आय सुनिश्चित योजना 30 अप्रैल को समाप्त हो रही है। हमने कहा था कि प्रायोजक को उत्तरदायित्व वहन करना होगा।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : सी०पी०एम० पार्टी का उसमें काफी निवेश है।

श्री रूपचन्द पाल : हम इसका पहले ही उत्तर दे चुके हैं। कृपया मुझे देरी न करने दें। यदि आपके पास धन है तो उसे निवेश करें। इसके पश्चात् यह आपकी चिंता का विषय होना चाहिए।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : मेरे पास धन नहीं है। लेकिन क्या आप इस बात से इनकार करा सकते हैं कि आपके पार्टी ने वहां कोई पैसा नहीं जमा किया है ?

श्री रूपचन्द पाल : तो, इसमें गलत क्या है ? यह कोई अपराध नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : इसका अर्थ यह है कि आपने वहां धन का निवेश किया है। तो, आप इसे स्वीकार करते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय जी, जब आपकी बार आये, तो आप जो कुछ कहना चाहें, वह कह सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, व्यवधान में जो समय नष्ट हुआ है, मुझे वह समय दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए; आप पहले ही 15 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री रूपचन्द पाल : भारत सरकार ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। यहां तक कि इस वित्त विधेयक में यू०टी०आई० के संबंध में कुछ बातें कहीं गयीं हैं। इस निवेश का क्या होगा ? क्योंकि, आई०डी०बी०आई० और भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों ने लिखित रूप से यह कहा है कि वे इसके प्रायोजक नहीं है; यह संसद के साथ झूठ है, और सेबी ने इसे किसी को भी नहीं दिया है। यह 30 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। यू०एस० 64, एम०आई० पी० और कतिपय अन्य योजनाओं में धन रखने वाले निवेशकों का क्या होगा ?

ऐसे कई सुझाव हैं। माननीय मंत्री जी के विचार के लिए मात्र मैं उनके लिए सिफारिश नहीं कर रहा हूं। कृषि ही नहीं अपितु कुल ग्रामीण संपत्ति का आकलन करने के लिए एक समिति गठित की गयी थी। यह राजस्व उगाही का एक बड़ा क्षेत्र बन सकता है। दूसरी बात यह कही जाती है कि डॉलर के विदेशी राजस्व भंडार की स्थिति बहुत अच्छी है जो 55 बिलियन है लेकिन रिसर्जेन्ट बॉन्डों और इंडिया मिलेनियम बॉन्डों के भुनाने के बाद क्या बचेगा ? अर्जेंटीना और यू०एस० 64 के बारे में हमारे अनुभव के पश्चात् जहां पर निर्गमित क्षेत्र ने पहले ही धन वापस ले लिया था। आपकी इस प्रकार की वचनबद्धताओं का क्या होगा ?

अन्त में उन्होंने जूट मशीनरी के संबंध में कई बातें कहीं हैं। इसी बीच, हाल ही में इस सरकार की मंत्रिमण्डल समिति ने न केवल वर्ष 1997 के जूट पैकेजिंग आदेश को शक्तिहीन करने का निर्णय लिया है अपितु उन्होंने इस आदेश को निरसित करने की भी सिफारिश की हैं। इससे जूट उद्योग और देश के लाखों मजदूरों के लिए संकट उत्पन्न हो जायेगा। हमने यह बात प्रधान मंत्री जी को बता दी है। हमने उनको लिखा है। एक मुकद्दमा चला था और प्रेस रिपोर्टों से हमें पता चला है कि उच्च न्यायालय द्वारा इन प्रयासों पर स्थगन लगा दिया गया। मैं वित्त मंत्री जी से यह देखने का अनुरोध करूंगा कि जूट पैकेजिंग आदेश को शक्तिहीन न करें और जूट उद्योग को अपेक्षित आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कई वस्तुओं का उत्पाद शुल्क घटाया, आयकर में राहत दी, डेयरी उत्पादों के आयात करने पर सीमा शुल्क 30% से बढ़ाकर 40% किया। रसोई गैस के दाम घटाए, टेलीफोन को आयकर से मुक्त किया, ग्रेनाइट का उत्पाद शुल्क भी वापस लिया और इसी प्रकार के कई सुधारात्मक कार्य बजट में किए। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे बहुत से सामान हैं जिन पर टैक्स तो लगाया गया है, लेकिन वह किस तरह से वसूला जाएगा, इसकी पालिसी तय नहीं की गई है।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं कहना चाहूंगी कि इसको वसूलने की पालिसी तय की जाये ताकि जनता ऊहापोह की स्थिति से बच सके।

आजकल गुटका पान मसाला बहुत प्रचलित है। इससे कैंसर जैसी बीमारी भी होती है लेकिन इसके बावजूद गुटका पान मसाला के निर्माता टैक्स की चोरी करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मंत्री जी का ध्यान अभी इस ओर नहीं गया है। जो सिगरेट बनती है, उस पर एक्साइज का फिजिकल कंट्रोल रहता है लेकिन पान मसाला

[श्रीमती रेनु कुमारी]

और गुटके पर कस्टम विभाग का कोई फिजिकल कंट्रोल नहीं रहता। जो गुटका पान मसाला के निर्माता हैं, वे रात को 50-60 लाख पाउच का निर्माण करते हैं और उसे रात में ही सिल करके भेज देते हैं। दिन में कोई काम नहीं करते हैं। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है जिससे सरकार को भी राजस्व का घाटा होता है, उस पर सैंट्रल एक्साइज का फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा ये लोग जो मशीन बनाते हैं, उस मशीन में मीटर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार दूर हो सके।

अपराह्न 5.02 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* हुए]

सभापति जी, केरोसिन तेल और उर्वरक जो आज भी आम लोगों की वस्तु है, उस पर भी वित्त मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है। उन्होंने इनके दाम घटाने के कोई प्रयास नहीं किये हैं। आज गांव में बिजली नहीं है। वित्त मंत्री जी बिहार जैसे गरीब प्रदेश से आते हैं। यह बात अलग है कि आज वे झारखंड में चले गये हैं लेकिन बिहार की संस्कृति उनमें रची-बसी होगी। बिजली बिहार में नहीं रहती है। वहां पटना जैसे बड़े-बड़े शहरों में भी बिजली बिहार में नहीं रहती इसलिए केरोसिन तेल के दाम घटाने बहुत जरूरी हैं क्योंकि यह गरीबों की चीज है। बजट में गरीबों को भी लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा किसानों के लिए उर्वरक का दाम घटाना भी बहुत आवश्यक है। सरकार को इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

सभापति जी, रोल्ड गोल्ड के गहने पर टैक्स बढ़ाया गया है। मैं कहना चाहती हूं कि वैसे ही सोना बहुत महंगा है। सभी जानते हैं कि सोना महंगा होने की वजह से महिलाएं रोल्ड गोल्ड के ओनामेंट्स से ही अपना काम चलाती हैं। इसके अलावा ट्रेनों में या अन्य जगह गहनों की लूट हो रही है। उसकी वजह से भी महिलाएं रोल्ड गोल्ड के गहने पहनकर अपना काम चलाती हैं। सारे लोग जानते हैं कि महिलाओं की कमजोरी भी गहना ही है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इस पर टैक्स घटाया जाये।

मैं जानना चाहती हूं कि किसान की उन्नति के लिए बजट में क्या प्रावधान किये गये हैं ? आज बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान अधिक फसल उपजा कर भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और अपनी लड़की की शादी अच्छी जगह नहीं कर पा रहे हैं। आखिर सरकार किसानों के लिए क्या सोचती है ? किसानों के लिए 20 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइज के बढ़ाये गये हैं लेकिन इससे किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यह पैसा बिचौलिये की झोली में चला जाता है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आप किसान को जो लाभ देना चाहते हैं, उसके लिए एक अलग से इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करें ताकि उनको इसका सीधा-सीधा लाभ मिल सके।

किसानों को क्रेडिट कार्ड इसलिए मिला है ताकि उससे उन्हें ऋण लेने में सुविधा हो लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में, आज भी उनको ऋण लेने में असुविधा होती है। इसके अलावा उन्हें ऋण भी विलम्ब से मिलता है। जो ऋण मिलता भी है, उसमें भी बैंक वाले रिश्वत मांगते हैं। इस मुद्दे को मैंने पहले भी यहां उठाया था। उस समय मैंने कहा था कि जो बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए ऋण लेते हैं, उन्हें इसके लिए काफी दौड़ना पड़ता है। मैंने वित्त मंत्री जी से आग्रह किया था कि वे ऐसी व्यवस्था करें ताकि बेरोजगार नौजवान को रिश्वत नहीं देनी पड़े। इसके अलावा भ्रष्टाचार के कारण ऋण मिलने में जो देरी होती है, उसके लिए भी उन्हें कठोर कदम उठाने की जरूरत है। जो भी बैंक कर्मी रिश्वत मांगे, उसके लिए भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है – आपको इस बजट में ऐसा प्रावधान करना चाहिए।

बिहार में बैंकों में सी०डी० रेशियो घट कर 20 प्रतिशत हो गया है। यह भी बहुत चिंता का विषय है। इस पर भी सरकार को सोचने की जरूरत है।

भारत में उद्योग धंधे वैसे ही बंद हो रहे हैं। अभी चीन से जो सामान आ रहा है, मैंने कई जगह पढ़ा है कि चीन से खिलौने या अन्य जो सामान आ रहे हैं, वे काफी सस्ते हैं। लोग लालच में सस्ता सामान खरीदते हैं और हमारे देश में जो सामान बनते हैं, महंगा होने के कारण वे उसे नहीं खरीद पाते चाहे खिलौने, बैटरी या अन्य सामान हो। इसलिए हमारे उद्योग धंधों पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि भारतीय उद्योग धंधों पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

आज देश में बेरोजगारी, शिक्षा और गरीबी चरम सीमा पर है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि वे अशिक्षा दूर करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। वे शिक्षा परियोजनाओं में पैसा दे रहे हैं। आज बिहार जैसे प्रदेश में सारे सरकारी स्कूल बंद हैं, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, टीचर हैं लेकिन वे पढ़ाने नहीं जाते और कहीं-कहीं तो सिर्फ दो-तीन टीचर्स ही हैं। बिहार में सीमान्त किसान ज्यादा हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे अपने बच्चों को देहरादून, मसूरी जैसे पब्लिक स्कूलों में पढ़ा सकें। इसके लिए सरकार बजट में क्या करने जा रही है।

जनसंख्या नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है आज जनसंख्या सुरसा के मुंह की तरह हमारे देश को निगल रही है। जब जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी तब तक रोजगार संभव नहीं है। श्री रामजीलाल सुमन ने कहा कि अमरीका के राष्ट्रपति ने मोर जॉब की बात की थी। क्या हमारी सरकार मोर जॉब की बात नहीं कर सकती ? क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं कर सकती ? क्या इसके लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती। हमारे नौजवान जो शिक्षित हैं लेकिन रोजगार के अभाव में हथियार उठाने पर विवश हो जाते हैं, क्या उनके लिए रोजगार की कोई कठोर व्यवस्था नहीं हो सकती, बजट में कोई कठोर

कदम नहीं उठाया जा सकता ? आज हमारा देश स्वतंत्र है। हम कोई गुलामी की जिन्दगी नहीं जी रहे हैं। इसलिए आज सबसे बड़ी देशभक्ति इस देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने की होगी। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है और वह ध्यान दें।

आज महिला सर्वगुण सम्पन्न होते हुए भी अबला है। महिलाओं की 50 प्रतिशत आबादी होने के बावजूद उनको जो अधिकार मिलने चाहिए, जहां उनको होना चाहिए, वे वहां नहीं हैं। गांवों की बात तो दूर, शहरों में भी, मैंने कई बड़े परिवारों में देखा है कि आज भी महिलाएं पीड़ित और शोषित हैं। मैं कहना चाहूंगी कि मंत्री जी इस बजट में महिलाओं के लिए अलग से पैकेज के रूप में कुछ प्रावधान करें। मैं जब गांव जाती हूं तो महिलाएं आकर पूछती हैं कि आप महिला सांसद हैं, आप हमारे लिए क्या कर रही हैं। वे यह भी कहती हैं कि देश में आपकी सरकार है – उस समय मेरा मुंह बंद हो जाता है क्योंकि मैं उनके लिए न उद्योग धंधे लगा सकती हूं और न ही नौकरी की व्यवस्था कर सकती हूं, फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूं। वे पढ़-लिख कर घरों में बैठी झक मारती रहती हैं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे महिलाओं की दशा में सुधार के बारे में सोचें। आप कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं, यदि नौकरी संभव नहीं है तो उनके लिए अलग से कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करवाएं ताकि उन्हें कुछ मिल सके वर्ना हमारा महिला सांसद होने का कोई अर्थ नहीं रहता।

डाक सामग्री, जैसे पोस्ट कार्ड और लिफाफे महंगे हो गए। हम डाक द्वारा जो किताबें मंगवाते हैं, डाक सामग्री महंगी होने के कारण वे भी महंगी हो गई हैं। मैं कहना चाहती हूं कि डाक सामग्री की कीमतों को कम करें।

विदेशी शराब सस्ती की गई है। शराब देशी हो या विदेशी, जो लोग शराब पीते हैं, उनके शरीर पर इसका बुरा अवसर जरूर पड़ता होगा। सरकार एक तरफ शराब सस्ती कर रही है और दूसरी तरफ सरकार के ही एक अन्य मंत्रालय में नशा मुक्ति केन्द्र खोलने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि यह कैसी बात है। एक तरफ नशाबंदी के लिए सरकार द्वारा पैसा खर्च किया जाता है, दूसरी तरफ सरकार के द्वारा शराब के दाम घटाए जाते हैं, ताकि लोग ज्यादा मात्रा में शराब खरीदें, पीएं और अपना स्वास्थ्य खराब करें। इससे हम समाज को और देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, यह मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की चर्चा बड़े जोर-शोर से हो रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 2007 तक हर गांव को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस योजना का पैसा बिहार में तो गया है, लेकिन वहां काम नहीं हो रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं। वह पैसा वहां पड़ा हुआ है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि वहां सारा काम हो, इसके लिए वित्त मंत्री जी कौन सा ठोस कदम उठा रहे हैं ? अगर बिहार में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पैसा गया है, बिहार सरकार उस पैसे को उस योजना में खर्च करने में सक्षम नहीं है तो वह पैसा सीधे सम्बन्धित जिले को भेज दें। *(व्यवधान)* कांति सिंह जी आप बीच में इंटरप्ट न करें बिहार पर बोलने के लिए बहुत से मुद्दे हैं।

सभापति महोदय : कांति जी, महिला सदस्य बोल रही हैं, आपको शांति बनाए रखनी चाहिए।

श्रीमती रेनु कुमारी : मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वह पैसा सीधे जिले को भेज दें और जिला पदाधिकारी उस पैसे को खर्च करे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उस पैसे को एम०पी० लैड में जोड़ दें। इस तरह वहां काम हो सकेगा, नहीं तो वह पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा।

जयप्रकाश नारायण जी के नाम से पूरे देश में जिस योजना की शुरूआत की गई है, वह भी एक अच्छी योजना है। लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में इसे किस तरह कार्यान्वित करेंगे, यह समझ में नहीं आता। वहां इसकी मानिटरिंग के लिए कोई गाइडलाइंस तैयार करनी चाहिए, ताकि इसका उपयोग हो सके, नहीं तो इस तरह की सारी योजनाएं वैसी की वैसी पड़ी रह जाएंगी। वहां काम नहीं होगा और लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा।

बिहार के बंटवारे के बाद सब लोग जानते हैं कि बिहार कंगाल हो गया है। अब बिहार में कुछ नहीं रह गया है। यह बात पहले सोचनी चाहिए थी कि बिहार के बंटवारे के बाद बिहार में क्या रहेगा। आज वहां किसान, मजदूर और नौजवानों के विकास के लिए सरकार को कुछ करने की जरूरत है। बिहार में बरौनी में एकमात्र खाद का कारखाना है, लेकिन वह मृतप्राय है। इस कारण उसके सारे कर्मचारी आज बेरोजगारी की स्थिति में आ गए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि बरौनी के उस खाद के कारखाने को आवश्यक राशि उपलब्ध कराकर चालू कराएं। बिहार में चीनी मिलें, जूट मिलें और हथकरघा उद्योग सब बंद पड़े हैं। उनको चालू कराने के लिए आवश्यक राशि वहां दी जाए। इससे वहां के नौजवानों के भी रोजगार मिल सकेगा।

इस बजट में रेल पदाधिकारियों पर यात्रा के खर्चे को आय में जोड़ा गया है। इसके लिए हमने देखा है, हमारे पास कई रेलवे के पदाधिकारी आए। वे काफी चिंतित हैं और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनका कहना है कि हमारी यात्राएं इससे रूक जाएंगी। अंग्रेजों की तरह काला कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। रेल पदाधिकारियों को इससे मुक्ति दिलाने के लिए यह वापस होना चाहिए। रेल पदाधिकारी जितनी यात्राएं करेंगे, अगर वह पैसा उनकी आय में जोड़कर इनकम टैक्स लिया जाएगा तो फिर वे अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेंगे। इसलिए यात्रा भत्ते पर जो टैक्स लगाया गया है, उसको वापस लेने की जरूरत है।

[श्रीमती रेनु कुमारी]

मुंगेर और खगड़िया में गंगा पर रेल-सह-सड़क पुल बनाने का सर्वे का काम पूरा हो चुका है। रेलवे की तरफ से पैसा देने की बात हो गई है। बताया गया है कि भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा पैसा जाएगा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि मुंगेर और खगड़िया के बीच गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल का निर्माण करने के लिए इस बजट में प्रावधान करें और निर्माण के कार्य को करायें। कारण यह कि वहां के लोग जानते हैं कि बिहार सरकार इसके लिए कुछ नहीं करेगी और चाहती भी नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वे बजट में पैसों का प्रावधान करें, ताकि पुल का निर्माण हो सके।

अंत में, आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यदि हमें यह पता चल जाये कि मतदान कब होगा तो अच्छा रहेगा। वित्त मंत्री लगभग 7 बजे उत्तर देंगे।

सभापति महोदय : बहुत-से सदस्य बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्रेस में यह बात आयी थी कि श्री राम विलास पासवान ने त्यागपत्र दे दिया है। क्या यह सच है? सभा को यह जानने का अधिकार है कि उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया है?

श्री बुसदेव आचार्य (बांकुरा) : यह प्रेस में छपा है। जब संसद सत्र चलेगा तब सभा को यह जानने का पूरा-पूरा अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सदन चल रहा है। समाचारों में है कि एक सैन्ट्रल मिनिस्टर ने रिजाइन किया है। हम सब जानना चाहते हैं, सरकार यह बताये कि इसमें सच क्या है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने आसन से पहले ही रघुवंश प्रसाद जी का नाम बोलने के लिए बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है, सरकार को सदन में जानकारी देनी चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आलरैडी रघुवंश प्रसाद जी को बोलने के लिए काल कर लिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार को सदन मे बताना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सदन का कोई महत्व नहीं है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सभी माननीय सदस्य संसदीय परम्पराओं की जानकारी रखते हैं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने पहले ही रघुवंश प्रसाद जी को बोलने के लिए बुला लिया है। फाइनेंस बिल पर चर्चा हो रही है। आप कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सदन को इस बारे में जानने का अधिकार है। हम लोग जानना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने आसन से पहले ही नाम पुकार लिया है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : एक महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है। सदन चल रहा है, उसके बारे में बताना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पासवान ने गुजरात मुद्दे पर केन्द्र सरकार का परित्याग किया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जो विषय सदन के सामने हैं, उस पर बोलिए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, वित्त विधेयक, 2002 माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में विचार करने के लिए लाया गया है। यह विधेयक पास नहीं होने वाला है। एक मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है और

[अनुवाद]

तेलुगुदेशम पार्टी आर्थिक मंदी के लिए केन्द्र की आलोचना करती है।

[हिन्दी]

इसीलिए यह विधेयक पास नहीं होने वाला है। इन सब को देखने से पता चलता है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मंत्री जी जो फाइनेंस बिल आए हैं, कहा जाता है कि यह रोल बैक मंत्री हैं। हम सब लोग मिल कर आग्रह करते हैं, लेकिन यह मानते नहीं हैं। यह तब मानते हैं जब वोटों में इनकी पराजय होती हैं और लोग इन्हें घेरते हैं तब मानते हैं। हम लोगों के कहने से यह सुनने वाले नहीं हैं।

महोदय, अभी कहा कि 2150 करोड़, 2800 करोड़ की छूट दी गई, उसके लिए बड़े-बड़े लोगों ने इन्हें धन्यवाद दिया है। सब

लोग कह रहे हैं कि मिट्टी के तेल के भाव क्यों नहीं कम किए गए। रसोई गैस के दाम में जो बढ़ोत्तरी की है, उसे भी सभी लोग घटाने की मांग कर रहे हैं, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। किसानों के लिए खाद का मामला है, उस पर जो सब्सिडी घटाई गई, उसे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। टैक्स लेने का सिद्धांत है, जैसे भौरां फूल से मधु ले लेता है, लेकिन उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, उसी तरह से टैक्स का सिद्धांत है। जिनकी ज्यादा आमदनी है उनसे कुछ ले लिया जाए, लेकिन उनका कुछ बिगड़े नहीं। ये कहते हैं कि वित्तीय हालत खराब है, उसे बढ़ाने के लिए इनकी जो टैक्स प्रणाली है, वह चौपट है। चार लाख करोड़ का बजट है और देश में आठ लाख करोड़ कालाधन है। उसके लिए वित्त मंत्री जी ने कौन सी कार्यवाही की है ताकि उसे निकाला जाए, उस पर कार्यवाही हो। इसका जवाब मंत्री जी दें। जो लोग इंकम टैक्स मार कर बैठे हुए हैं। 62 हजार करोड़ रुपए इंकम टैक्स छिपा कर जिन लोगों ने रखा है, सब बड़े आदमी टैक्स नहीं दे रहे हैं। संसद की स्थाई समिति ने रिपोर्ट दी थी कि 62 हजार करोड़ रुपया इंकम टैक्स का इवेज़न हुआ है, उसे निकालने के लिए इन्होंने कौन सी कार्यवाही की। एन०पी०ए० जो बड़े लोग, सी०आई०आई० या फिक्की और जहां ये बराबर जाते हैं, उनमें 82 हजार करोड़ रुपया डूबा कर रखा हुआ है, उसे निकालने के लिए इन्होंने कौन सी कार्यवाही की। जिन चीजों का गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के दाम बढ़ा दिए। गरीब आदमी, आम आदमी जो देश की रीढ़ है, उसके बारे में यह नहीं सोचते हैं। ये ब्लैक मार्केटियर की तरफ नहीं देखते हैं, जो इंकम टैक्स की चोरी करता है। बड़े आदमियों की तरफ इनका ध्यान नहीं है।

श्री त्रिलोजन कानूनगो कह रहे थे, मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने पिछड़े राज्यों, उड़ीसा, बिहार आदि का सवाल उठाया। लेकिन जब उन्हें असलियत की जानकारी हो जाएगी तब उन्हें पता लगेगा कि सरकार किस तरफ जा रही है। उन्होंने यह चिन्ता व्यक्त की कि ये पिछड़े राज्य हैं। केन्द्र का जितना उन पर लोन है, उन्हीं का लोन सधाने में इनका सब रेवेन्यू खत्म हो जाता है। पंचम वेतन आयोग, जो केन्द्र सरकार ने लागू किया, राज्य सरकारों ने उसका कार्यान्वयन किया, इस वजह से तमाम राज्यों की हालत खराब है, लेकिन पिछड़े राज्यों की हालत और खराब हो गई। बिहार के बंटवारे के बाद 3000 करोड़ रुपया डेफिसिट में चला गया और 2700 करोड़ सलाना कर्जा केन्द्र सरकार का चुकाना पड़ता है, विकास का काम कैसे होगा। पिछड़े राज्यों की उपेक्षा की गई है, उन पर कोई ध्यान नहीं है। बिहार से खास कर कैसे दुश्मनी हो रही है, कैसे वहां की जनता का गला काटा जा रहा है। दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई। सरकार ने उसमें स्वीकृति दे दी। उसके पश्चात पंचायती राज मद में पांच वर्षों में प्रथम वर्ष का बिहार का रुपया मिला। पंचायती मद का करीब सवा सौ करोड़ पहले साल मिला, बाकी चार साल दसवें वित्त आयोग का, 11वें वित्त आयोग का एक साल का, इसमें लगभग 600 करोड़ रुपया करीब राज्य का पैसा रूक गया। अब महोदय, जब सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी, फिर उस स्वीकृत राशि में से पैसा रोकने का क्या औचित्य है ? माननीय वित्त मंत्री जी ने छोटे अफसरों की कमेटी बना दी और रिपोर्ट ले ली कि जहां पर पंचायती राज का चुनाव नहीं हुआ है वहां पर रुपया रोक लिया जाए, उसका हिस्सा मार लिया जाए। जब सरकार ने उस राशि की स्वीकृति दे दी तो पैसा रोकने का क्या औचित्य है ? सन् 1983 से पंचायती राज का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन प्रथम वर्ष का रुपया मिला, बाकी के चार वर्षों का दसवें वित्त आयोग और ग्यारहवें वित्त आयोग का रुपया नहीं मिला। मैं इस सर्वोच्च सदन में बताना चाहता हूं कि जब दसवें वित्त आयोग और ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट सरकार ने मान ली, फिर उसमें अनुशंसित राशि को रोकने का क्या औचित्य है ?

दूसरा, माननीय वित्त मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया कि चुनाव हो जाने के बाद स्वीकृत राशि मिल जाएगी। माननीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री हुए तो उनकी चिट्ठी का भी जिक्र किया तथा बाद में श्रीमती राबड़ी देवी जी की चिट्ठी का भी जिक्र किया और इन्होंने भी वचन दिया कि मैं प्रयत्न करूंगा कि उस राशि का भुगतान बिहार को मिले। अब माननीय त्रिलोचन कानूनगो चिंता व्यक्त करते हैं कि केन्द्र सरकार पिछड़े राज्यों के बारे में कुछ उपाय करे। लेकिन जब दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की तो उस राशि को क्यों रोक दिया गया ? वहां चुनाव भी हो गया और एक लाख सैंतीस हजार लोग चुने गये और पंचायती राज लागू हो गया। तमाम पंचायती राज कानून बने और सबसे बेहतर कानून बने। वहां हर दो लाख पर एक प्रतिनिधि चुना गया, हर जिले का एक प्रतिनिधि चुना गया, वार्ड के सदस्य चुने गये, फिर समिति के सदस्य चुने गये, फिर जिला परिषद के सदस्य चुने गये। एक लाख सैंतीस हजार में एक-तिहाई महिलाएं हैं और 14 प्रतिशत अनुसूचित ज़ाति के लोग हैं। लेकिन बिहार और झारखंड का पैसा नाजायज़ ढंग से रोके रखा गया। आयोगों द्वारा अनुशंसित राशि को केन्द्र सरकार रोक करके गरीब राज्य का हिस्सा मारने का काम क्यों कर रही है ? ये लोग तो घेराबंदी को मानते हैं। हमारे सारे सदस्य इकट्ठे हो जाएं तो क्या होगा ? माननीय रामविलास पासवान के कदम उठा लिया है। हमारे एक दर्जन मंत्री वहां हैं। *(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : माननीय पासवान जी ने इस्तीफा दे दिया है और कितने लोग इस्तीफा देने वाले हैं ?

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर बैठ जाइये।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय मंत्री जी ने एक बार यहां सदन को मिस-लीड किया और कहा कि दसवें वित्त आयोग ने कहा कि जहां चुनाव होगा वहां पैसा नहीं दिया जाएगा लेकिन दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा का प्रथम वर्ष का पैसा मिला है फिर चार वर्षों का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग का एक वर्ष का पैसा नहीं दे रहे हैं जबकि सरकार ने राशि की स्वीकृति दे दी। यह कैसा अन्याय बिहार राज्य के साथ है ? इसलिए हम तो इस सर्वोच्च सदन में मामला दायर कर रहे हैं। इस पर सभी लोग विचार करें कि गरीब राज्य को जो राशि पंच-परमेश्वर से मिली है वह न देकर कितना बड़ा अन्याय बिहार और झारखंड की 10 करोड़ आबादी के साथ केन्द्र सरकार कर रही है। हमारा वह पैसा कहां चला गया ? हाल में मैंने योजना मंत्री जी से एक सवाल पूछा था।

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

योजना मंत्री जी ने जवाब दिया कि वह पैसा लैप्स हो गया। मैं इस जवाब को चुनौती देता हूं। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन्स के मुताबिक वह पैसा लैप्स नहीं हो सकता। इस तरह से पैसा रोकना ठीक नहीं है। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन्स के खिलाफ मंत्रियों का वक्तव्य आता है। ऐसा अन्याय वहां की 10 करोड़ आबादी के साथ हो रहा है। मैं इसका स्पैसिफिक उत्तर चाहूंगा। जब तक हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे। हमारा यह मामला इस सर्वोच्च सदन में दायर है। यदि इसका यहां फैसला नहीं होगा तो हम जन सभा में जाएंगे और वहां इसे उठाएंगे।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : हम भी इस बात का समर्थन करते हैं।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : ठीक बात है। जब हमारे सदस्यगण हमारी इस बात को समझ गए तो आपको हमारा पैसा रोकने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार का हिस्सा कोई नहीं मार सकता है। यदि हम सब सजग हो जाएं तो बिहार का हिस्सा कोई नहीं मार सकता। इतना ही नहीं आप सभी इस बात के साक्षी हैं, जब सभी सांसद यहां जुटे थे। जब बिहार का बंटवारा हो रहा था तो कहा गया था कि बिहार को आर्थिक पैकेज दिया जाएगा और जो क्षति-पूर्ति होगी उसकी भरपाई की जाएगी। किसी सरकारी कर्मचारी को कहा जाए कि वेतन नहीं देंगे लेकिन बोनस देंगे। वही बात हमारे साथ हुई। आप योजना आयोग द्वारा अनुशंसित राशि हमें क्यों नहीं दे रहे हैं ? ऐसे में आर्थिक पैकेज का क्या होगा ? विधान मंडल के सभी पार्टियों के विधायकों ने 1 लाख 79 हजार 900 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग की थी। यदि आप ईमानदार हैं तो इस पर विचार होना चाहिए और बिहार के साथ न्याय करना चाहिए।

इतना ही नहीं बिहार और झारखंड दोनों को मिला कर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 37 करोड़ रुपए दिए गए। बिहार को इसके लिए 9 करोड़ रुपए यानी एक चौथाई हिस्सा मिला और झारखंड को 28 करोड़ रुपए मिले। बंटवारे का क्या फार्मूला है ? क्या इसका आधार आबादी है ? बिहार की आबादी 8 करोड़ 20 लाख है और झारखंड की 2 करोड़ 70 लाख है। बिहार की चार गुना आबादी ज्यादा है। वहां के गांवों की संख्या, रकबा, गरीबी और गैर विद्युतीकरण गांवों की संख्या को देखते हुए बंटवारा होना चाहिए था। उसे 37 करोड़ रुपए में से केवल 9 करोड़ रुपए मिले। ऐसा अंधेर कहीं नहीं देखा। पिछले चार वर्षों से बिहार को एक पैसा नहीं दिया गया। देश भर में विद्युतीकरण के लिए 10 हजार करोड़ रुपए दिए गए। ऐसा एक मामला नहीं है। देश भर में नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 7800 करोड़ रुपए सैंट्रली स्पौन्सर्ड स्कीम पर खर्च हुए। बिहार को बंटवारे से पहले 780 करोड़ रुपए मिले लेकिन बंटवारे के बाद आबादी के हिसाब से 12वां हिस्सा मिलना चाहिए लेकिन नौवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 35 करोड़ रुपए मिले। मैंने इस बारे में प्रश्न पूछा था। मुझे उसका यह उत्तर आया था। देशभर के तमाम राज्यों को 780 करोड़ रुपया मिला है और हमें सालाना 100 करोड़ मिलना चाहिये था लेकिन हमें पिछले सालों में 2, 3 या 5 करोड़ रुपया मिला। इस साल 35 करोड़ रुपया मिला है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में हाल हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने तमाम राज्यों पर 5000 करोड़ रुपया खर्च किया, बिहार राज्य को सालना 100 करोड़ मिलना चाहिये और नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 500 करोड़ रुपया मिलना चाहिये था जबकि प्रतिवर्ष 2-3 करोड़ रुपया मिला है। हां, 2001-02 वर्ष के लिये पहली बार 41.5 करोड़ रुपया मिला है जो एक तिहाई ही है। इसी तरह सैंट्रला स्पांस्सर्ड स्कीम्स के 700 करोड़ रुपये में से भी बिहार हिस्सेदार है। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई है लेकिन बिहार राज्य का पैसा मारकर अन्य राज्यों में ले जाया जा रहा है और बिहार के साथ अन्याय किया जा रहा है। इससे क्षेत्रीय विषमता बढ़ रही है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जब बिहार जाग जाता है तो दिल्ली धराशायी होती है। हम 60 सांसदों ने प्रधानमंत्री जी से मिलकर ज्ञापन दिया था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजना का आकार इतना बढड़ा हो गया है, जो छोटा होना चाहिये। आठवीं योजना के लिए 13 हजार करोड़ रुपया रखा गया, जिसमें 8000 करोड़ रुपया खर्च हुआ और शेष 5000 करोड़ रुपया बच गया है। बिहार में कोई पैसा इनवैस्ट नहीं किया गया है। क्या इससे क्षेत्रीय विषमता नहीं होगी ? क्या बिहार पीछे नहीं रह जायेगा ? बिहार जी०डी०पी० में नीचे जा रहा है। नौवीं पंचवर्षीय योजना का आकार छोटा हुआ जिसमें खर्चा कम हुआ, यानी 5 से 6 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ लेकिन बिहार में कम इनवेस्ट हो रहा है। बिहार का हिस्सा कहां चला गया ? हम लोगों ने कहा कि केन्द्र का जो कर्जा बिहार पर है, उसे माफ कर दिया जाये और उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये। अभी हाल ही में उत्तरांचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है लेकिन बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुये उसे भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये, हमने यह भी मांग की थी। इकौनोमिक इंडीकेटर के चलते हम लोगों ने यह मांग की थी कि बिहार की सम्प्रति स्थिति को देखते हुये, बिहार के लिये आर्थिक पैकेज दिया जाये।

सभापति महोदय, अभी बिहार में बिजली संकट की बात की जा रही थी। बिहार से केन्द्र के पास 330 करोड़ रुपये का ट्रांसमीशन लाइनों के लिये प्रोजैक्ट आया है। कहा गया कि यह बिहार को नहीं चाहिये। पॉवर ग्रिड कारपोरेशन सैंट्रल गवर्नमेंट का अंडरटैकिंग है। पॉवर ग्रिड कारपोरेशन उस प्रोजैक्ट को इंपलीमेंट करें ताकि ट्रांसमीशन लाइनें दुरुस्त हो सके। ट्रांसमीशन लाइन के अभाव में बिहार में बिजली संकट है। आप जानते हैं कि पॉवर ग्रिड कारपोरेशन के पास बिजली सरप्लस में है लेकिन बिहार को अंधकार में रखा जा रहा है। इसी कारण 330 करोड़ रुपये का पावर प्रोजैक्ट यहां भेजा गया है। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार उसे कार्यान्वित करे। मेरे विचार में सभी संसद सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि विद्युतीकरण का काम 2007 तक सभी गांवों में किये जाने के लिये केन्द्र सरकार कटिबद्ध है। जो राज्य इस योजना में छूट गये हैं, उन्हें विशेष राज्य का दर्जा देकर इस काम को कराना चाहिये।

अंत में मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि बिहार राज्य बाढ़, सुखाड़ और जल जमाव से हर साल बर्बाद होता है। हर साल 90 लाख हैक्टेयर भूमि में जल-जमाव होता है। नौ लाख हैक्टेअर उत्तरी बिहार में और एक लाख हैक्टेयर मोकामा में है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेन कमेटी बैठी थी और उसने रिपोर्ट दी थी कि यह ऐसी समस्या है जिसे भारत सरकार कहती है कि यह स्टेट सब्जैक्ट है, यह राज्य का दायित्व है। लेकिन सेन कमेटी ने कहा कि यह सैन्ट्रल सैक्टर में आना चाहिए। बाढ़, सुखाड़ और जल जमाव की समस्या राज्य के बस की बात नहीं है।

सभापति महोदय : आपका अंतिम बिन्दु समाप्त हो गया, अब आप बैठिये।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं खत्म कर रहा हूं। मैं अन्याय का एक और उदाहरण दे रहा हूं। प्राकृतिक आपदा में तीन-चौथाई केन्द्र सरकार और एक-चौथाई राज्य सरकार देती है। लेकिन दो वर्ष से प्राकृतिक आपदा में एक पैसा इन्होंने बिहार को नहीं दिया है। एक तरह की दुश्मनी हो रही है। इतने भारी अन्याय का अगर स्वस्थ हिसाब करके देखा जाए तो मालूम पड़ेगा कि केन्द्र सरकार उपेक्षा वाला, सौतेला वाला नहीं, बल्कि दुश्मन जैसा व्यवहार बिहार के साथ कर रही है। इस देश का जो फैडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारी नेशनल इन्टीग्रेशन है, उसकी केन्द्र सरकार दुश्मन है। यह राज्य के हित का हिस्सा मारने का काम करती है और दुश्मनी करती है। बिहार की सरकार से इनकी दुश्मनी है और वहां की जनता से, करोड़ों लोगों से भी दुश्मनी की जा रही है। इसलिए इस वित्त विधेयक के माध्यम से हम बताना चाहते हैं तथा जो बिहार के सदस्यगण हैं तथा सरकार में मंत्री हैं, जो सरकार की नौकरी कर रहे हैं, एक मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है, बाकी लोग कब त्यागपत्र देंगे और इस जुल्मी सरकार को धराशायी करेंगे। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : माननीय सभापति महोदय, कुछ टिप्पणियों, कुछ स्पष्टीकरणों कुछ आपत्तियों और कुछ अनुरोधों के साथ मैं इस विधयेक का समर्थन करता हूं।

मुझे याद है जब बजट प्रस्ताव रखे गये थे, तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेता कुमारी ममता बनर्जी जी ने इस सभा में आपके तीन प्रस्तावों पर जोरदार आपत्ति जताई थी। यह भी पता चला था कि आप नाराज हो गये थे। आपने अपना असन्तोष व्यक्त किया था। समाचापत्रों में यह सब प्रकाशित हुआ था और यहां तक कि कुछ बैठकों में आपने भी संसद के में कुमारी ममता बनर्जी द्वारा दिये गये भाषण पर अपना असन्तोष व्यक्त किया था।

हमको यह बात अवश्य कहनी है कि तृणमूल कांग्रेस और हमारी पार्टी ने उस समय यह हो-हल्ला मचाया था कि स्वाधीनता के पश्चात् क्षेत्रीय-क्षेत्रीय असंतुलन के मामले में सबसे अधिक पीड़ित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है। मैं निश्चित रूप से बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले डा० रघुवंश प्रसाद सिंह और उड़ीसा के अपने मित्र को अपने दृष्टिकोण से परिचित कराना चाहूंगा। उन्होंने भी इसका स्पष्टीकरण किया था। लगातार आने वाले सरकारों को उन कारणों की भली-भांति जानकारी है जिनकी वजह से पूर्वी क्षेत्र क्षेत्रीय असंतुलन का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। कई अवसरों पर निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल सूची में सबसे ऊपर रहा है। ईस्को (आई०आई०एस०सी०ओ०) का मुद्दा उठाया गया है।

लोगों के हित वाली ऐसी मांगों का समर्थन करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम ऐसी मांगों का समर्थन करते हैं चाहे वे, किसी भी राजनैतिक दलों के हों. लेकिन मैं इस बात की अवश्य प्रशंसा करूंगा कि लोगों की भावनाओं का परखजे के बाद, आपने निश्चित रूप से 2,857 करोड़ रुपये मूल्य की कुछ छूट प्रदान की है। हम निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा करते हैं। बहुत अच्छा होगा यदि आपने हमें कुछ और रियायतें दी होतीं। किन्तु अप्रत्यक्ष करों में इनमें 1,450 करोड़ रुपये की छूट शामिल है, प्रत्यक्ष करों में 700 करोड़ रुपये, डाक शुल्क में 7 करोड़ रुपये और रसोई गैस मूल्य वृद्धि में 700 करोड़ रुपये शामिल हैं। कुल राशि 2,857 करोड़ रुपये है। मुझे विश्वास है कि आपने मध्यम वर्ग निम्न मध्य वर्ग और समाज के सबसे गरीब वर्ग की भावनाओं, चिंताओं, दुखों और तकलीफों की ओर ध्यान देने का प्रयास किया है।

'बजट एट ए ग्लांस' में यह उल्लेख किया गया है कि कुल खर्च 9,10,309 करोड़ रुपये है जिसमें से आपने पास गैर-योजनागत बजट 2,96,809 करोड़ रुपये है। गैर-योजनागत खर्च और योजनागत खर्च की इस राशि के बीच का अंतर लगभग 1,13,500 करोड़ रुपये है जो भारी भरकम और विशाल धनराशि प्रतीत होती है। मैंने आपके बजट के वक्तव्य को पढ़ा है जहां आपने गैर-योजनागत व्यय के कारणों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और यह इतने भारी स्तर तक कैसे पहुंच गया लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि गैर-योजनागत व्यय को नियंत्रण में लाना होगा।

वित्तीय घाटा 1,35,524 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.3 प्रतिशत है। आप वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं। जब तक वित्तीय घाटे को कम नहीं किया जाता है तब तक योजना परिव्यय प्रस्तावों के माध्यम से विकास की प्रक्रिया पूर्णत: निष्फल होगी।

विभिन्न अवसरों पर मैंने उद्योगपतियों के ब्यौरों के बारे में आपसे जानने की अपनी इच्छा व्यक्त की है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण ले रहे हैं और ऋणों का पुनर्भुगतान न करके उन्हें लूट रहे हैं। उन चूककर्ताओं के नामों की घोषणा क्यों नहीं की जाती है ? क्या ऐसा किसी 'बैंककारी गोपनीय अधिनियम' के कारण हो रहा है ? यदि ऐसा है तो उस 'बैंककारी गोपनीय अधिनियम' को समाप्त करने में क्या समस्या है ? वित्तीय संस्थानों से इन औद्योगिक घरानों द्वारा

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

लिया गया कुल ऋण वित्तीय घाटे की पूरी धनराशि को पार कर जाएगा। इसलिए यदि कुछ सकारात्मक कदम और कठोर उपाय उस धनराशि की वसूली की जा सके तो वित्तीय घाटे को कुछ अनुशासानात्मक सीमा के अंदर लाया जा सकता है। मैं आपसे इन कदमों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानने को बहुत इच्छुक हूं जो सरकार इन चूककर्ताओं के विरुद्ध उठाने जा रही है, जो बैंकों को इस तरह से लूट रहे हैं।

जब भी आप कोई वक्तव्य देते हैं अथवा संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं तो सामान्यत: मैं बहुत ही सावधानी से सुनता हूं। आपने कहा है कि बजट एक परिपूर्ण दस्तावेज है। आपने यह भी कहा है बजट की सत्यनिष्ठा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि आपने अपनी टिप्पिणियों को सही रूप में रखने का बेहतर प्रयास किया है। 'बजट एट ए ग्लांस' से संबंधित आपके स्पष्टीकरण को मैं सरसरी तौर पर देख रहा था कि रुपया कहां से आता है और कहां जाता है।

यहां यह उल्लेख किया गया है कि बजट प्रस्तावों में एक रुपये में से चौदाह पैसे रक्षा क्षेत्र को उपबंध-। आवंटित किये गये हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और मैं जानना चाहता हूं कि यह सच भाषण नहीं, कि तहलका घोटाले के बाद देश में अथवा विदेशों से रक्षा सामग्रियों के अधिग्रहण में नौकरशाहों को सत्ता का खेल आड़े आ रहा है। यह देश की लाल फीताशाही और नौकरशाही व्यवस्था के कारण हुआ है जिसके कारण चालू वर्ष में रक्षा बजट से 5000 करोड़ रुपये की वापसी हुई इस राशि को लोटाया गया है। हम करों का भुगतान करते हैं। आम आदमी करों का भुगतान करता है। हमारे सैनिकों को दिन-रात पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमाओं पर तैनात किया गया है। इस तैनाती का व्यय हमारी जेब से खर्च किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे पाकिस्तान के साथ युद्ध करेंगे अथवा उन्हें वापस बुला लिया जायेगा।

सैनिको की दिन-रात तैनाती की क्या आवश्यकता है और जिस कर के लिए हम अपनी जेबों से भुगतान कर रहे हैं। क्या हम ऐसा लंबे समय तक जारी रख सकते हैं ? आपके बजटीय प्रस्तावों के अनुसार प्रत्येक रुपये में से चौदह पैसे रक्षा क्षेत्र में आवंटित किये गये हैं। हमारे जैसे देश को हमेशा यह सावधानी बरतनी चाहिए कि हम प्रत्येक रुपये को आम आदमी और सबसे गरीब तबके के लोगों के हित में खर्च करें। जब हम निश्चित रूप से कुछ उपायों की मांग करते हैं और जब हम रसोई गैस और अन्य सामग्री के मूल्य में कटौती का विरोध करते हैं तो हम जानते हैं कि सरकार के लिए पक्ष अथवा विपक्ष के विभिन्न राजनीतिक दलों की अपील का उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आप पारेषण और वितरण के नाम पर देश में बिजली की चोरी से इंकार कर सकते हैं जो बढ़कर करोड़ों रुपये तक पहुंच गई है ? यदि पारेषण और वितरण संबंधी घाटे के नाम पर कुछ ठोस उपाय किये जाते हैं तो सरकार के लिये राजस्व अर्जन हो सकता है।

यह मामला प्रकाश में आया है कि जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, महिला समृद्धि योजना जैसी आपकी सभी गरीबी उपशमन योजनाऐं बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं और इस क्षेत्र में धनराशि की लूट की जा रही है। विशेषकर मैं यह कहूंगा कि मितर्व्ययता की प्रक्रिया को बनाए रखनी होगी। आज कल यह कहना फैशन हो गया है कि शासन संचालन के खर्च को कम करना आवश्यक है लेकिन फिजूलखर्ची की पहचान हेतु वास्तव में अभी तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। विशेषकर मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यदि हम सचमुच मितर्व्ययता की नीति को अपनाते हैं तो हम निश्चित रूप से राजस्व की बचत कर सकते हैं। संसद सदस्यों को यात्रा के लिए 'जे' क्लास की सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन मैं यहां यह कहना ज्यादा उचित समझूंगा कि हमारी नेत्री कुमारी ममता बनर्जी कभी भी कहीं भी 'जे' क्लास में नहीं गई हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन किफायती श्रेणी से यात्रा की है।

[हिन्दी]

इस प्रकार से उन्होंने टी०ए० और डी०ए० के रूप में पिछले 20 सालों में सरकार की बहुत बचत की है।

[अनुवाद]

इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि 'स्वचनिय बजट' हमेशा आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है और यदि गरीब लोगों की अनदेखी करते हैं तो वे आपको मत पेटी के माध्यम से रास्ता दिखा देंगे। आपको सभी राजनीतिक दलों, सभी वक्ताओं को धैर्यपूर्वक सुनना होगा। बजट तैयार करने के पहले आप पंचसितारा होटलों अथवा भोज कक्ष में सिर्फ उद्योगपतियों से मिलते हैं। वित्त मंत्री कभी भी दबे कुचले और किसानों के पास नहीं जाते हैं। सम्मेलन सिर्फ नॉर्थ ब्लाक में आयोजित होते हैं न कि जमीनी स्तर और किसानों के स्तर पर और न वह यह जानते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। एक बार बजट प्रस्ताव की घोषणा कर दी जाती है और यदि यह वापस ही जाता है तो स्वभाविक है कि आपको घोषणाओं को वापस लेने वाले वित्त मंत्री के रूप में नामजद किया जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा मैं निश्चित रूप से यह कहूंगा कि आपने लोगों के दु:ख और क्रन्दन की ओर ध्यान दिया है।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : लेकिन पूर्णत: नहीं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : मेरे सहयोगी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको पूरी तरह जवाब देना चाहिए। मैं आपकी मुश्किलों को समझता हूं। मैं आपकी समस्या को समझता हूं। लेकिन मैं अब भी ब्याज दर में आधे प्रतिशत की कटौती के बारे में कहूंगा। सामान्यत: सेवानिवृत्त कर्मचारियों, विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक अपनी धनराशि लघु बचत में रखते हैं। लेकिन आपने कराधान की परिधि को यहां तक बढ़ा दिया है।

महोदय, हम इससे पूर्णत: असहमत हैं। पहले यह 1.5 प्रतिशत थी। अब आधा प्रतिशत और जोड़ दिया गया है। अब कुल कटौती दो प्रतिशत हो गई है। हम यह समझते हैं कि आप ऐसे लोगों को राहत प्रदान करें जिनके पास कम धनराशि है और जिन्हें लघु बचत में विश्वास है। मैं अनुरोध करूंगा कि अधिकतम रियायत टी०डी०एस० स्तर पर और विशेषकर जो गरीबी रेखा के नीचे रहे हैं, उन्हें प्रदान की जाए। उन्हें सभी स्तरों पर सभी प्रकार की सुविधाएं, सहायता और सहयोग प्रदान करना होगा।

हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ में अपने संवोधन में एक बात कही है। बेहतर होगा कि मैं इसे यहां पढ़ूं उन्होंने कहा कि :

> ''जब हमारे वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा सकल घरेलू उत्पाद, में सात अथवा आठ प्रतिशत वृद्धि को प्राप्त करने के हमारे निश्चय के बारे में बात करते हैं तो वे जानते हैं कि उनके पैर जमीन पर है। भारत में विश्वास रखें, हमारे वित्त मंत्री पर भी विश्वास रखें।''

हम निश्चित रूप से आप पर विश्वास करेंगे जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया है। लेकिन आप देश के दबे कुचले लोगों के मन में विश्वास पैदा करें। आप देश के मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों में विश्वास पैदा करें कि एक ऐसी सरकार देश में शासन कर रही है जो सचमुच इस देश के आम लोगों के लिए सोचती है।

यह बात सामने आने लगी है कि यह सरकार मध्यम वर्ग की विरोधी है और यह सरकार हमेशा देश के सबसे गरीब लोगों पर करारोपण के लिए तैयार रहती है और ऐसा लगता है मानो यह सरकार करारोपण के लिए ही है। इस सरकार को इन सब बातों से निजात पानी होगी।

मैं तेलगु देशम पार्टी के अपने सहयोगी और माननीय सदस्य श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति से पूर्णत: सहमत हूं जिन्होंने इस मामले को बहुत ही दृढ़ता और सकारात्मक तरीके से उठाया है। हम आशा करते हैं कि इस वर्ष का बजटीय प्रस्ताव गरीब लोगों की सहायता करेगा।

जब वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही थी और प्रतिष्ठा का कोई सवाल बनाए बगैर और अखबारों द्वारा की गई अनेक टिप्पणियों के बावजूद कि आप राजग इत्यादि सहयोगी पार्टियों के दबाव के आगे झुक गए हैं, आपने करारोपण के कुछ प्रस्तावों को वापस ले लिया है। हमे अभी भी विश्वास है कि जो क्षेत्र अभी भी छुटे हुए हैं, उसको कतिपय स्तर तक आज घोषणा की जा सकती है और जिसके बारे में मैंने शुरू में उल्लेख किया है।

मैं पुन: कहता हूं कि आप कृपया सभी आवश्यक कदम उठायें और मितव्ययिता आपका व्यापक दिशा-निर्देशन कर सकती है। जहां तक वित्तीय घाटे का सवाल है तो कृपया बैंककारी गोपनीयता अधिनियम को समाप्त करें। यह वास्तव में आपको वित्तीय घाटे से राहत दिला सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस पक्ष को आज खुले दिमाग से स्पष्ट किया जाएगा और हम आपसे बिल्कुल सकारात्मक स्पष्टीकरण चाहते हैं। सिर्फ वित्तीय घाटा ही भारतीय अर्थव्यवस्था को ऐसी बर्बादी की स्थिति में ला रहा है। यह कतिपय स्तर तक पहुंच गया है और आपको इन बातों को दूर करते समय पूरे देश की तस्वीर को दिमाग में रखना है।

ये हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के हमारे कुछ प्रस्तावों में से एक है। हमारी नेत्री कुमारी ममता बनर्जी ने पहले ही बजट पर आम चर्चा में भाग लेते समय इन बातों का उल्लेख किया है। मैं यह पुन: कहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप चर्चा का उत्तर देते हुए इन सभी बातों का संतोषजनक उत्तर देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, मंत्री जी ने जब इस वर्ष का बजट पेश किया तो शायद शुभ मुहूर्त देखकर नहीं किया क्योंकि जब उन्होंने बजट पेश किया, उसके तत्काल बाद गुजरात में भीषण दंगें हुए। जब फाइनेंस बिल पेश किया, उस समय भी शूभ मुहूर्त नहीं दिखवाया। जब उन्होंने शुक्रवार को फाइनेंस बिल पेश किया तब कोरम की कमी के कारण संसद की बैठक जल्दी स्थगित हो गयी। आज जब फिर हमने फाइनेंस बिल पर चर्चा की तो हमें पता चला है कि श्री राम विलास पासवान जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैं वित्त मंत्री और सरकार के सभी लोगों से कहूंगा कि कल सुबह जब वे आयें तो मुहूर्त देखकर आयें। हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर आयें क्योंकि इनकी नैया वे ही पार करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जायेगा ? *(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय : यदि सदन की सहमति हो तो सदन का समय बढ़ा दिया जाए क्योंकि अभी 11 माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : एक घंटे का समय और बढ़ा दीजिए।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

सभापति महोदय : लेकिन माननीय सदस्य अपने बोलने के क्रम को ध्यान में रखें।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि किस निश्चित समय पर मतदान होगा ताकि हम सदन में उपस्थित रहें।

सभापति महोदय : मतदान करीब सायं 7 बजे अथवा 7.15 बजे होगी। यह माननीय सदस्यों पर निर्भर करेगा। मतदान का अधिकतम समय सायं 7.30 बजे है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं दूंगा। वित्त मंत्री जी काफी परेशान हैं। वे विपक्ष से कम और सत्ता पक्ष के सांसदों से ज्यादा परेशान हैं। हमारा आधा काम आपके सांसदों ने खुद कर दिया, इसलिए मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं दूंगा। अगर हम आपके फाइनैंस बिल की समीक्षा करें तो देखते हैं कि आपने जो 16 प्रतिशत सैंट्रल वैल्यू ऐडेड टैक्स लगाया है, वह कुछ वस्तुओं पर से हटाया है और कुछ से नहीं हटाया। जिन वस्तुओं पर से वह नहीं हटाया गया, उनमें से एक पौलीएस्टर फिलामैंट यार्न है। दो दिन पहले प्रश्न काल के समय सदन में एक प्रश्न आया था जिस पर चर्चा नहीं हो सकी। प्रश्न यह था कि क्वालीटेटिव रिस्ट्रीक्शन्स के हटते ही, डब्ल्यू०टी०ओ० संधि के बाद, यूरोपियन यूनियन और बंगलादेश ने, जहां हमारे देश से बहुत अधिक मात्रा में पौलीएस्टर फिलामैंट यार्न का निर्यात होता था, उन लोगों ने इम्पोर्ट ड्यूटी लगभग 35-40 प्रतिशत बढ़ा दी। इसलिए यह आपका दायित्व था कि आप इस इंडस्ट्री की मदद करते क्योंकि कपड़ा उद्योग से लाखों हजारों करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। बजाए उनकी मदद करने के आपने क्या किया। आपने ठीक इसके विपरीत 16 प्रतिशत कर उनके ऊपर और थोपा हुआ है। आज हालत यह है कि पौलीएस्टर फिलामैंट यार्न से जुड़े हुए सब लोग परेशान हैं। उद्योग बंद हो रहे हैं और वे भुखमरी के कगार पर हैं। दूसरा कदम आपने क्या उठाया। आपने कर की छूट किनको दी है – अभी हमारे बंधुओं ने बताया कि विदेशी शराब का जो आयात होता है, उसमें आपने कर की छूट दी। आपने कर की छूट किसमें दी है ?

[अनुवाद]

मनोरंजन उद्योग को अगले पांच वर्षों हेतु इकाइयों के निर्माण और बहुपरिसर रंगशालाओं के संचालन द्वारा अर्जित लाभ में 50 प्रतिशत की कटौती की अनुमति प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

आपने कर की छूट उन करोड़पतियों को दी है जो करोड़ों की लागत लगाकर मल्टीप्लैक्स थियेटर लगाएंगे। आपने एक निर्णय लिया कि परती भूमि पर जो सॉफ्टवुड प्लान्टेशन करेगा, उस कम्पनी को कर में राहत देंगे। अच्छा निर्णय है लेकिन अगर यही छूट कर में आप संयुक्त हिन्दू परिवारों या इनडिवीजुअल्स को देते तो उसमें और अच्छा होता। आज कम्पनियां आएंगी, टैक्स का फायदा उठाने के लिए पेड़ लगा देंगी और टैक्स का फायदा लेकर चली जाएंगी। उन पेड़ों की रखवाली कौन करेगा ? उन पेड़ों की रखवाली गांवों, कस्बों में रहने वाले लोग या किसान करेंगे। आपने एक निर्णय और लिया है। एन०डी०डी०बी०, ऑयल इन्वेस्टमैंट बोर्ड और प्रसार भारती – तीनों संस्थाओं को जो कर छूट दी जाती थी, आपने यह समाप्त कर दी। आज नेशनल डेयरी डेवलपमैंट बोर्ड के संस्थापक डा० कुरियन को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। यह पूर्व कांग्रेस की सरकार की योजना थी, यह सरदार पटेल का स्वप्न था जिसे हमने साकार किया था और अमूल डेयरी जैसा इतना बड़ा संस्थान देश में खड़ा किया। लेकिन आपने एक कलम से सरदार पटेल का सपना चकनाचूर कर दिया। अमूल डेयरी को जो नुकसान हुआ है, उससे जुड़े हुए लाखों-करोड़ों किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसके जवाबदेह आप हैं। आप सरदार पटेल को भूल गए, लेकिन उस फर्जी छोटे सरदार को याद कर रहे हैं, जिसने गुजरात में आग लगा दी। उसे बचाने के लिए आप काम कर रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है। गुजरात में जो कुछ हुआ है, उसका देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, यह समय बताएगा। पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकारें जब देश में थी। तो वे एक केलामिटी फंड सूखे-बाढ़ के लिए रखती थी। जिसका जिक्र डा० रघुवंश प्रसाद जी ने भी किया था। उन्होंने बताया था कि नार्थ-ईस्ट और बिहार में हर साल बढ़ आती है, लेकिन उन राज्यों को मदद के लिए केलामिटी फंड खत्म कर दिया गया है। आपको उन उद्योगपतियों को टैक्स में छूट देनी चाहिए जो केलामिटी फंड में पेसा दे ताकि जो विपदा देश पर आती है, उससे हम बच सकें।

आपने एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में भी कुछ नहीं किया है। सोइल कंजर्वेशन एक महत्वपूर्ण विषय है, देश की कृषि से जुड़ा है। देश भर के सोइल कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए आपने केवल 11 करोड़ रुपए दिए हैं, यह बड़े दुख की बात है। अगर आपकी लालू यादव जी से लड़ाई है तो आपने देश के सारे डेयरी डवलपमेंट प्रोग्राम को चौपट कर दिया है। उसके लिए केवल 30 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। यह भी बड़े दुख की बात है यह सिर्फ इसलिए किया है कि आपकी लड़ाई लालू यादव जी से है। वे एक किसान हैं, कृषि से जुड़े हैं, पता ही नहीं क्यों आपको सोते-जागते और सपने में भी लागू यादव जी ही दिखाई देते हैं। आपने डेयरी डवलपमेंट का पूरा प्रोग्राम खत्म कर दिया है। फारेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ एक महत्वपूर्ण विषय है। हमने अखबारों में पढ़ा और टीवी में देखा कि किस तरह से जम्मू क्षेत्र में एक लाख हेक्टेयर जंगल आग लगने से नष्ट हो गया। यही समय हे गर्मियों का, देश में लाखों एकड़ वन सम्पदा नष्ट हो जाती है आग लगने से और इसी के साथ नष्ट हो जाते हैं वनवासियों की जीविका के साधन। उनके लिए आपने कुछ नहीं किया है।

अनाज के स्टोरेज और वेयर हाउसेज के लिए आपने 2001-02 के रिवाइज्ड बजट एस्टीमेट में 208 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इस साल के बजट में उस राशि को बजाय बढ़ाने के आपने घटाकर 168 करोड़ रुपए कर दिया है। आप देख रहे हैं देश में गल्ला रखने की जगह नहीं है, इतना उत्पादन हो रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि गल्ले का उत्पादन बढ़ाओ और दूसरी तरफ उसकी स्टोरेज फैसेलिटी में कटौती करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि देश का गल्ला सड़कों पर पड़े-पड़े सड़ जाए ?

आपने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को कुछ रियायत दी थी। उ क्षेत्र में बड़े उद्योगपतियों को भी जाने की इजाजत दी दी है। उसका परिणाम यह हो रहा है कि आज स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। छोटे उद्योग उद्यमी सड़क पर आ गए हैं। वे बैंकों का कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं।

रूरल डवलपमेंट के क्षेत्र में बजट में आपने काफी पैसे का प्रावधान किया है, यह एक अच्छी बात है। लेकिन वह पैसा राज्यों को समय पर नहीं मिलता है। वह पैसा उन राज्यों को दिया जाता है जो आपको केन्द्र में समर्थन दे रहे हैं लेकिन उन राज्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो समर्थन नहीं कर रहे हैं और गरीब राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, यू०पी० है, उड़ीसा और बिहार आदि हैं।

ऊर्जा के क्षेत्र में आपने पैसा दिया है, वह इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को दिया है, ठीक बात है, लेकिन जो दस, बीस या तीस मेगावाट के छोटे थर्मल पावर स्टेशन लगा सकें, उनका कोई उल्लेख नहीं किया है और वे उनको करों में कोई रियायत दी है। यही कारण है कि देश के अधिकांश राज्य अंधकार की चपेट में हैं। पैट्रोलियम में आपने ओ०एन०जी०सी०, गेल, बी०पी०सी० एल०, एच०पी०सी०एल० और डंडियन ऑयल कार्पोरेशन को बजट में सपोर्ट नहीं दी है। इसी प्रकार नैजुरल गैस औद्योगीकरण के लिए इतना महत्वपूर्ण तथ्य है। भूतपूर्व कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी जी ने एच०बी०जे० पाइपलाइन बिछने का निर्णय लिया था कि हम समुद्र से नेचुरल गैस निकालेंगे और इससे संबंधित उद्योग लगायेंगे। लेकिन नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दें और ओ०एन०जी०सी०, गेल, बी०पी०सी०एल०, एच०पी०सी०एल० और डंडियन ऑयल कार्पोरेशन को बजट में सपोर्ट मिलनी चाहिए।

महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप किसी लघु उद्योग के मालिक या किसान से बात करें, तो वह यही कहेगा कि बड़े उद्योगपति को, यदि वह सौ करोड़ का लोन चाहता है, तो मिल मिल जाता है, लेकिन अगर वही लोन छोटा उद्योगपति या किसान चाहता है, तो उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं। यही कारण है कि आज राष्ट्रीयकृत बैंकों में नान-परफार्मिंग एसैट्स के रूप में राशि 60 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 90 हजार करोड़ रुपए हो गई है। क्या कारण है कि उनको नोटिस नहीं दिया जाता है ? क्या कारण है कि उन्हीं लोगों को पुन: करोड़ो रुपया दे दिया जाता है और यही रुपया हवाला के माध्यम से विदेशों में भेज दिया जाता है ? एक पुरानी कहावत है – "डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है।" आपकी नाव तो डूब रही है, कहीं पर तिनका ढूंढ लीजिए, जिससे आपको सहारा मिल जाए। मेरे प्रस्तावों पर गम्भीरता से विचार करके रियायत दीजिए। कृषि पर ध्यान दीजिए। गरीबों पर ध्यान दीजिए। हो सकता है, डूबते-डूबते आपको तिनका मिल जाए और आपकी नैया पार हो जाए।

इन शब्दों के साथ, आपको धन्यवाद, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी के सामने कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं पिछले तीन सालों से मैट्रोपोलिटन सिटी मुम्बई में रह रहा हूं और बैंक जैसे संस्थान में सर्विस भी किया हूं। इसलिए बड़े शहर में रहने वाले मीडिल क्लास और लोअर क्लास की स्थिति तथा मैं विदर्भ जैसे पिछड़े इलाके से चुनकर आया हूं, इसलिए दोनों ही स्थितियों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है।

मुम्बई जैसे शहर में जब व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, तो सर्विस पर जाने के लिए बस या रिक्शा से स्टेशन जाना पड़ता है। ट्रेन में कितनी भीड़ होती है, इसको आपने टीवी पर देखा होगा। भीड़ में डेढ़-दो घन्टे का समय गुजारना पड़ता है। ऐसी भीड़ में व्यक्ति घड़ी से समय भी नहीं देख पाता है। किसी तरह वह आफिस पहुंचता है और शाम को फिर, दिन भर मेहनत करके, घर जाने के लिए उसी हालत से जाना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि रिक्शा से जाने के लिए उसको पैसा देना पड़ता है और ऐसी स्थिति में उसकी जेब में 50 रुपए रखने पड़ते हैं। इस जाने-आने के अलावा ट्रेन का पास एडवांस में अलग से बनवाना पड़ता है। इतना सब कुछ होने पर वह सोचता है कि बजट में उसको राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से बजट में आपने इनकम टैक्स में राहत दी, उसको अब आपने 10 परसेंट से 15 परसेंट कर दिया है। मीडिल क्लास के ऊपर और भी बोझ डाल दिया। मिडल क्लास की हालत यह है, कोई भी मेट्रोपोलिटन सिटी, शहर हो, जगह का इतना प्रोबलम हो जाता है। आपको ताज्जुब होगा कि जो आम आदमी मुंबई में नहीं रहता, अगर उसे मुंबई में एक बैड रूम और किचन का 500 स्क्वेयर फुट की जगह लेनी है तो वहां 25 लाख से कम कोई जगह नहीं मिलती। लोन की सुविधा है लेकिन इतना लोन कोई बैंक या इंस्टीट्यूशन नहीं देता है। अगर पांच-सात लाख देता है तो उसका डिडक्शन अलग होता है, बाकी अगर हम कहीं भी जगह लेते हैं तो वहां का असेस्मेंट टैक्स, वाटर टैक्स, इलैक्ट्रीसिटी आदि का बोझ दिन-प्रति-दिन इतना बढ़ रहा है, जैसे हमारा सेंट्रल, स्टेट का बजट होता है, कार्पोरेशन के ऐरिये में रहते हैं तो वहां का बजट होता है, नगरपालिका के ऐरिये में रहते हैं तो वहां का बजट होता है। हर जगह बढ़ोत्तरी होती रहती है।

मैंने मीडिल क्लास के बारे में बोला, लोअर क्लास की स्थिति और भी खराब है, उनका जीना ही मुश्किल है। जो शहरी इलाके में रहते हैं, वहां सब्जी के भाव बहुत ज्यादा हैं। उन्हें खरीदना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लोअर क्लास का आदमी एक दिन में कितना कमा सकता है। वह ज्यादा से ज्यादा 50-60 या 70 रुपए कमाएगा। बाजार में उसके लिए कोई अलग भाव नहीं हैं। मुम्बई में ग्राम के हिसाब से सब्जी बेची जाती हैं। सौ ग्राम के लिए तीन-चार रुपए, इस हिसाब से बेची जाती हैं। मीडिल क्लास की हालत क्या है। झोंपड़ी में रहने वाला जो आम आदमी है, वह स्टोव के ऊपर अपना खाना बनाता है। आपने कैरोसिन के दाम बढ़ा दिए, बहुत से लोगों ने इस सवाल को उठाया। जो बड़े-बड़े उद्योगपति, व्यापारी हैं, स्टार्स हैं, वे करोड़ों रुपए का इंकम टैक्स बचाते हैं, चोरी करते हैं। उनके ऊपर खाली केस चलते रहते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता है। एक सर्विस क्लास आदमी से किस तरह टैक्स वसूला जाता है।

[श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल]

अगर आप उन्हें राहत पहुंचाना चाहते तो आप लिमिट बढ़ाते। गरीब व्यक्ति जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनके दाम आपने बढ़ा दिए। आपने गैस के 40 रुपए बढ़ा कर 20 रुपए कम कर दिए। हम अगर यहां सत्ता में बैठे हैं तब भी जो गलत बात होगी, उसे गलत ही कहेंगे। हमने यहां हंगामा भी किया, कोशिश की कि जो कैरोसिन या गैस के दामों में बढ़ोत्तरी की है उसे कम करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। दुर्भाग्य से कैरोसिन पर कोई डिसीजन नहीं लिया।

सभापति महोदय : आपने आवाज उठाई, हंगामा नहीं किया।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : हमने एक बात और उठाई कि 60 हजार करोड़ एन०पी०ए० के लिए हमारे बजट में क्या प्रोविजन किया। अगर इनका इंटरस्ट के साथ प्रिंसिपल लिया जाए, मैं बैंक में सर्विस करने वाला आदमी हूं इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसका इंटरस्ट क्या होता है, एक लाख करोड़ से भी ज्यादा होता है। यह जो राशि है उसका प्रोविजन बड़े लोगों के लिए किया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंक से किस ने पैसा लिया था, यहां तक नाटक चलता है कि अगर कोई उद्योग शुरू करना है तो 20 प्रतिशत खुद को डालना है और 80 प्रतिशत राशि बैंक से मिलती है, लेकिन उद्योग कभी पूरा नहीं होता. अगर पूरा होता है तो उन्हें चलाने नहीं देते और वह मैनेज करके बी०आई०एफ०आर० में डाला जाता है। गवर्नमेंट का पूरा पैसा डूब जाता है, इसलिए एन०पी०ए० बढ़ जाता है और यह एन०पी०ए० का प्रोविजन हमारी सरकार बजट में करती है, लेकिन कोआपरेटिव बैंक, जो आम आदमी के लिए है, छोटे-छोटे लोगों के लिए जो काम करते हैं, अगर किसी वजह से माधेपुरा मर्केंटाइल बैंक ने कुछ घोटाला किया तो उसका असर पूरे कोआपरेटिव बैंकों के ऊपर हुआ। हमारी कोई सरकार नहीं सोचती है कि कोआपरेटिव बैंक आम आदमी के लिए काम करता है उसके लिए हमें कुछ प्रोविजन करना चाहिए। हमने खाली सौ करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमारी राष्ट्रीय और आर्थिक नीति क्या है, यह सोचने की बात है। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमने संतुलन रखने की कोशिश की है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हमने मध्यम वर्ग और आम-आदमी के लिए क्या किया है, हमने तो उनके ऊपर और भी भार डालने का काम किया है।

जो स्वयं का काम करने वाले लोग हैं, रास्ते में गाड़ी में पंक्चर लगाने वाला है, कारपेंटर हैं, धोबी हैं, उनको भी नोटिस आ गया है कि आपको इस साल से इन्कम-टैक्स लगेगा। मुझे ताज्जुब है कि बड़े-बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है और छोटे आदमी पर इन्कम-टैक्स लगाने की जो आपकी नीति है यह सही नहीं है।

डिस-इंवैस्टमेंट के नाम पर या प्राइवेटाइजेशन के नाम पर क्या हो रहा है ? अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो मैनेजमेंट में ज्यादातर लोग प्राइवेट होंगे और हमने पहले भी यह सवाल उठाया कि किसी भी संगठन में काम करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक तो आम आदमी और एक एक्सट्रा मैरिट वाला आदमी। एक्सट्रा मैरिट वाला आदमी यह सोचता है कि आज 15-20 लाख रुपया वी०आर०एस० के नाम पर मिल रहा है तो मैं कोई अपना काम-धंधा कर लूं। लेकिन सामान्य आदमी सोचता है कि प्राइवेट मैनेजमेंट कोई भी बहाना करके मुझे निकाल देगा, इसलिए पहले ही 15-20 लाख रुपया जो मिल रहा है उसे लेकर चला जाऊं। वह जब 15-20 साल पहले ही रिटायर हो जाता है तो उसकी मानसिकता क्या बनती है ? जब वह 45-50 साल का होता है तो उसकी लड़की की शादी का खर्चा आता है और वह 10 साल पहले से ही बेरोजगार होता है, इसलिए उसकी मानसिकता अलग किस्म की हो जाती है और कुछ केसों में तो ऐसे लोगों ने आत्महत्या तक की है। डिस-इंवैस्टमेंट, वी०आर०एस० के नाम पर सी०आर०एस० भी आ रही है। हमारे देश में पहले ही बेरोजगारी बहुत बड़ी हुई है और अब और भी बढ़ती जा रही है। सुबह एक मुद्दा उठा कि परीक्षा में रीजनल भाषा में उत्तर लिखने का उन्हें समय नहीं मिला क्योंकि पूरे साउथ और नार्थ में 100 लोगों की भर्ती हुई, बाकी यू०पी० और बिहार से भर्ती हुई। ये मुद्दे क्यों उठाये जाते हैं ? एक तो केवल 8800 लोगों की कुल भर्ती हुई। हम देखते हैं कि भर्ती पर बैन है लेकिन अब थोड़ी-थोड़ी भर्ती की जा रही है लेकिन बेरोजगारी और भी बढ़ती जा रही है। ये सब बातें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी हैं। आपने मुझे अचानक समय दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। *(व्यवधान)* कोरपोरेट बैंक के लिए 100 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। किसान की बात मैंने इसलिए उठाई कि बैंक अगर छोटे-छोटे काम करने वाले आदमियों को सहूलियतें देते हैं तो केन्द्र सरकार की तरफ से भी उनको मदद होनी चाहिए। हमारे माननीय वित्त राज्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारा मैसेज माननीय वित्त मंत्री जी को दे दीजिए। इन्कम-टैक्स लिमिट बढ़नी चाहिए और अगर एनाउंसमेंट आज होगी तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। स्टैंडर्ड-डिडैक्शन आपने 15 से 10 किया था उसको फिर से 15 रखेंगे तो कुछ राहत मिलेगी। कैरोसीन के रेट जो डेढ़ रुपये से बढ़ाएं हैं वे भी कम होंगे तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। आपने स्व-रोजगार करने वाले छोटे-छोटे लोगों को जो नोटिस दिया है, वह वापस लेना चाहिए। यदि उनकी 10-15 लाख के ऊपर इनकम है तो इनकम टैक्स लगाना चाहिए। इतनी विनती करते हुए यही कहना चाहता हूं कि आप मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने इस सम्माननीय सभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत करते हुए अपने भाषण में स्वीकार किया है कि इनके प्रस्तावित संशोधन से सामान्य बजट की अखण्डता में परिवर्तन नहीं होगा अथवा इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं बल्कि उनकी प्रस्तावित रियायतों से बजट प्रस्तावों की अवधारणा में भी परिवर्तन नहीं होगा।

बजट चर्चा पर अपने भाषण के दौरान मैंने कहा था कि इस बजट का दर्शन यह है कि इसमें निगमित क्षेत्र को, अनिवासी भारतीयों को और विदेशी कम्पनियों को रियायतें दी गई हैं और इसमें आम आदमी पर करों से प्रहार किया गया है। यहां कहा जा रहा है कि माननीय वित्त मंत्री ने लोक भावना का आदर किया है।

सायं 6.26 बजे

[**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

क्या वे हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वे हमारी जनता की भावनाओं का आदर कर रहे हैं। मैं यह नहीं समझ सका। वे किसकी भावना का आदर कर रहे हैं ? क्या वे सोच रहे हैं कि वे कामकाजी लोगों की भावनाओं, किसानों की भावनाओं तथा हमारे देश की आम जनता की भावनाओं का आदर कर रहे हैं ? बजट प्रस्तुत करने से पहले इन्होंने विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ बजट-पूर्व चर्चा की थी; इन्होंने किसानों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की थी; इन्होंने श्रमिक संघों के साथ चर्चा की थी; इन्होंने अर्थशास्त्रियों से भी चर्चा की थी। क्या इन्होंने उन पर कार्यवाही की ? मैं कहता हूं 'नहीं'।

जब इन्होंने इस सम्माननीय सभा में बजट प्रस्तुत किया था तो वे जानते थे कि चार राज्यों में हुए चुनावों का क्या परिणाम रहा। क्या इन्होंने इस पर ध्यान दिया। मैं पुन: कहता हूं कि 'नहीं'। इन्होंने बजट प्रावधानों को आंशिक रूप से वापस क्यों लिया ? इन्होंने ऐसा दबाव के कारण किया। यह दबाव में है – अपनी सभा का दबाव, भाजपा का दबाव, और संभवत: गोवा सत्र का दबाव।

मुझे याद आ रहा है कि कुछ समय पहले हमारे माननीय वित्त मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने बताया था कि वे हमारे देश के सबसे अहितकर वित्त मंत्री हैं। ऐसा प्रतीत होता है। वे हमारे देश के सबसे अतिकर वित्त मंत्री हैं। इस वक्तव्य को ध्यान करना गलत नहीं है जो उन्होंने पहले दिया था। यह जनता की राय की बात कर रहे थे।

क्या मैं जान सकता हूं कि उन्हें मिट्टी के तेल के संबंध में आम जनता की मांग पर विचार करने से किसने रोका ? उन्हें पोस्ट कार्ड, लिफाफों और अन्य डाक सामग्री के बारे में आम जनता की समस्याओं का समाधान करने से किसने रोका ? इन्हें कामकाजी लोगों और किसानों के बारे में विचार करने से किसने रोका ?

दया करके इन्होंनें उर्वरकों के लिए राजसहायता में वृद्धि नहीं की। वे रसोई गैस हेतु, राजसहायता में वृद्धि नहीं कर सके। क्या वे आम जनता की मांगों पर विचार कर रहे हैं ? उक्त वृद्धि वापस ली गयी है परन्तु पूरी तरह वापस क्यों नहीं ली गयी ? मैं उक्त वृद्धि की पूर्ण वापसी की मांग करता हूं। वापस लिए जाने वाले उपायों के कारण राजकोष को 2857 करोड़ रुपए की हानि होने की संभावना है। इनके वक्तव्य के अनुसार यह महत्वपूर्ण नहीं है। यदि यह महत्वपूर्ण नहीं है तो इन्होंने इस पर इस सम्माननीय सभा में बजट प्रस्तुत करते हुए विचार क्यों नहीं किया ?

यह कहा गया है कि वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को ध्यान में रखा है। किसी सीमा तक इन्होंने लाभांश कर को पुन: शुरू किया है। मध्यम वर्ग जो अधिकतर बजट प्रस्तावों का आघात झेल रहा है उस पर अब घातक प्रहार किया गया है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि माननीय मंत्री एक घटक को कर में छूट दे रहे हैं जबकि दूसरे घटक पर लाभांश कर लगा रहे हैं। 1.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच आयकर में छूट, जो आधी की गई है वह अब 15 प्रतिशत रखी गई है। यह और कुछ नहीं बल्कि लॉलीपॉप है। पूरी तरह वापस क्यों नहीं लिया गया ?

प्रतिरक्षा के संबंध में पांच प्रतिशत अधिभार लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। रोजगार का क्या हुआ ? सरकार में 42,000 कर्मचारियों को फालतू घोषित किए जाने के बारे में क्या हुआ ? कर राजस्व की वसूली, जो कि वर्ष दर वर्ष कम होती जा रही है, का क्या हुआ ? और अधिक कर लगाने और छूट समाप्त करने से संग्रहण में बार-बार कमी हुई है। बैंकों के बड़े चूककर्ताओं से संग्रहण के बारे में क्या हुआ ? करोड़ों रुपए का काले धन के तौर पर भुगतान किया जा रहा है। वे उनके विरूद्ध यह क्या कठोर कार्यवाही करने जा रहे हैं ? काला-बाजारियों के विरूद्ध वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? यहां काले धन की वसूली के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ?

चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं कहना चहता हूं कि माननीय मंत्री ने इस कड़वी दवा को मीठा बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास किया परन्तु वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। मूल रूप से यह वित्त विधेयक जन-विरोधी है। मूल रूप से इस वित्त विधेयक ने कामकाजी लोगों, किसानों, मध्यम वर्ग और बेरोजगार युवकों पर घातक प्रहार किया है। मुझे कहना है कि यह और कुछ नहीं बल्कि देश के आम आदमी के विरूद्ध घोषित युद्ध है। इसलिए, मैंने इस सम्माननीय सभा में अपने बजट भाषण के दौरान जो टिप्पणी की थी मैं उस पर कायम हूं। मुझे लगता है कि यह प्रयास और कुछ नहीं बल्कि भाजपा सदस्यों का मुंह छिपाने का प्रयास है जो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। इसलिए, यह एक चाल के अलावा कुछ नहीं है।

मैं अपने देश के एक महान व्यक्तित्व, विवेकानन्द जी द्वारा कही गई बात का उद्घृत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं : "कलाबाजी से कोई भी महान उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता।" परन्तु सरकार इस तरीके से मामलों को निपटा रही है। मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि माननीय वित्त मंत्री पूरे देश के लोगों की भावना को समझेंगे। यदि यह गम्भीर हैं तथा यदि यह इमानदारी से लोगों की भावना का ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि वे हर चीज समझ जाएंगे। अत: मैं वृद्धि को पूरी तरह वापस लिए जाने (रोल बैक) की मांग करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान गांवों की तरफ ले जाना चाहता हूं। माननीय

[श्री धर्म राज सिंह पटेल]

सदस्यों ने यहां काफी बातें कही हैं, उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि जो बजट उन्होंने पेश किया है, क्या यह बजट केवल बड़े-बड़े पूंजीपतियों और शहरों में रहने वाले लोगों के हितों के लिये बनाया गया है या गांवों में रहने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। जब आपने बजट पेश किया था तो मिट्टी का तेल, गैस, खाद, मोमबत्ती, साइकिल, घड़ी, नमक आदि चीजों के दाम बढ़ा दिये। इनके अलावा और भी बहुत सी चीजों के आपने दाम बढ़ाये हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने गरीबों से जुड़ी हुई चीजों के दाम बढ़ा दिये, लेकिन उनमें से एक भी चीज के दाम आपने वापस नहीं लिये। आपने उन चीजों के दाम वापस ले लिये जिसे कु० ममता बनर्जी कहेंगी कि गैस के दाम कम करो, वरना हम आपकी सरकार गिरा देंगे। ये लोग बात उठायेंगे, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, आप उनकी बात मान लेंगे। आप जानते हैं कि गांवों में गैस कम लोग यूज करते हैं, लेकिन आपने शहर के लोगों की बात को मान लिया। लेकिन असंख्य ऐसे लोग हैं, जिनके पास न बिजली है न पानी है और न उनके पास दीया जलाने के लिए मिट्टी का तेल है। जो गांवों में रहने वाले गरीब लोग हैं, जिन्हें आप गरीबी की रेखा के नीचे की सुविधा प्रदान करते हैं, उनके बारे में श्री रघुवंश प्रसाद जी तथा हमारे साथी माननीय सदस्य चिल्लाते रहे, लेकिन आपने उन चीजों पर बढ़ा टैक्स आज तक वापस नहीं लिया। खाद के दाम के बारे में माननीय सदस्य चिल्लाते रहे, लेकिन आपने आज तक उस पर कुछ नहीं बोले कि आप खाद के दाम घटायेंगे या नहीं घटायेंगे। बल्कि आप दाम बढ़ाते जा रहे हैं। आपने पोटाश, यूरिया और डी०ए०पी० के दाम बढ़ा दिये और लगातार बढ़ाते जा रहे हैं।

सभापति महोदय, आज किसानों की क्या हालत है। उन्हें बिजली नहीं मिल रही है, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। गांवों में मिट्टी का तेल साढ़े दस रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। यदि गरीब के यहां कोई मेहमान आ जाए तो उसे आज गांवों में चीनी 14 से 15 रुपये प्रति किलो खरीदनी पड़ रही है। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जो गांवों में रहने वाले लोग हैं, वे बता दें कि जो गरीब आदमी गांव में रहता है, जिसके पास एक-दो बीघा जमीन है, जो मजदूरी करता है या शहरों में लेबर का काम करता है, वह किस तरह अपने यहां आने वाले अतिथियों के लिए 14-15 रुपये किलो के हिसाब से चीनी खरीद सकता है। मिट्टी का तेल आज साढ़े दस रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। गरीब आदमी किस तरह अपने बच्चों को भोजन करायेगा। बिजली गायब है। खाद के दाम आपने बढ़ा दिये, इसके अलावा जब उसकी गेहूं की फसल तैयार होगी तो उसकी सिंचाई के लिए 50-60 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ट्यूबवैल चलेगा। उसे 60 रुपये प्रति घंटा सिंचाई के लिए ट्यूबवैल का देना पड़ता है। इसी तरीके से ट्रैक्टर से खेतों की जुताई होती है। उसे 100 रुपये से 150 रुपये प्रति घंटा जुताई के लिए ट्रैक्टर का किराया देना पड़ता है। आज किसान पूरे देश में गेहूं की मढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके पास बिजली नहीं है। डीजल के दाम आपने 20 रुपये प्रति लीटर कर दिये हैं। आप गांवों में ट्रेन से जाते होंगे तो देखते होंगे कि गांव का किसान ट्रैक्टर किराये पर लेकर भरी दोपहर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेतों की मढ़ाई कर रहा, जबकि डीजल का दाम 20 रुपये प्रति लीटर है।

आप सोचें कि वह किस तरीके से जीवन जी रहा है। जब उसका गेहूं तैयार होगा तो वह 625 रुपये में भी नहीं खरीदा जाएगा। फिर मजबूर होकर 425 रुपये में या 500 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। अभी सुना है कि कानपुर में 200 क्विंटल गेहूं कोई विदेशी प्राइवेट कंपनी ने खरीद लिया लेकिन सरकार के जो क्रय केन्द्र हैं उसमें एक भी किसान अपना गेहूं बेचने के लिए नहीं गया क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। वहां बिचौलियों के माध्यम से गेहूं खरीदने का काम किया जा रहा है। यह सरकार कौन से काम गांवों के लिए कर रही है ?

इसी तरह से बेरोजगारी की समस्या है। गांवों के नौजवान अपने मां-बाप की कमाई से किसी तरह बी०ए० और एम०ए० तक पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद बेकार टहल रहे हैं। यहां तक कि एम०बी० बी०एस० किए हुए लड़कों को भी नौकरी नहीं मिल रही है। जगह-जगह वे बेकार घूम रहे हैं और सरकार कहती है कि हम जयप्रकाश रोजगार योजना शुरू करने जा रहे हैं, हम सुनिश्चित रोजगार योजना शुरू करने जा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जब प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज चार साल हो गए, कितने पढ़े-लिखे नौजवानों को आपने नौकरी देने का काम किया है, कितने लोगों को नौकरी मिली है ? एक तरफ आप कहते हैं कि रोजगार देंगे। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया वित्त विधेयक को संदर्भित करते हुए बोलें।

श्री धर्म राज सिंह पटेल : सरकार एक तरफ रोजगार की बात करती है और दूसरी तरफ आदमी बेरोजगार टहल रहे हैं। सिन्हा जी भी मंत्री कब तक रहेंगे – साल, दो साल या चार साल। इसलिए ऐसा कुछ कर जाइए कि आपका भी नाम हो जाए, ऐसा कुछ करिये कि किसान आपकी वाहवाही करे। बड़े-बड़े पूंजीपति और अरबपति जो बैठे हैं, जिस दिन आपकी सरकार जाने लगेगी, आपको पूछेंगे भी नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो गरीबों के हित में काम करेगा, उसी की पूछ होगी। इसलिए गरीबों और गांवों में रहने वाले किसान, मजदूरों के लिए बजट लाइए। आपने कहा कि जन सुरक्षा बीमा चलाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में किसान का गेहूं रखा हुआ है और चारों ओर आग लग रही है। गेहूं की फसल आई है, मटर और चना की फसल आई है और चारों और आग लग रही है। उस आग में किसान जल रहा है, तबाह हो रहा है। उसकी गाढ़ी कमाई आग की चपेट में जा रही है। आपने कौन सी सुरक्षा व्यवस्था उसे दी है ? आप कहते हैं कि जन सुरक्षा बीमा ला रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें। हम वार्षिक बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल : मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के किसानों के लिए, उनकी फसलों की सुरक्षा के लिए आप ऐसा बीमा करिये और सरकार उसका पूरा बीमा करे जिससे जितने भी देश के किसान हैं, उनकी फसल सुरक्षित रह सके। इसी तरह से जो गरीब तबके के लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, उनके लिए पूरा बीमा प्रीमियम सरकार जमा करे ताकि अगर वे किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएं या बीमार हो जाएं तो केन्द्र सरकार से उनको पैसा मिले। बड़ी बड़ी कार जो लोग रोज बदलते हैं, हम किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हमारे यहां भी 5 प्रतिशत नेता ऐसे हैं जो रोज कार बदलते होंगे, जिनके पास रुपयों की खान है, जो रोज बंगले खरीदते हैं, उन पर भी आप टैक्स लगाइए, उनसे पैसा वसूल किया जाए, इस तरह का बजट आप बनाइए।

अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि सांसद विकास निधि की राशि बहुत कम है। यह हमारे लिए मुसीबत बन गई है। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे लिए वहां चलना मुश्किल हो गया है, लोगों से बात करना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि या तो आप सांसद विकास निधि की राशि बढ़ाएं या इस स्कीम को ही वापस ले लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, वित्त विधेयक पर मैं संक्षेप में केवल दो बिन्दुओं के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं। मिट्टी के तेल के दाम में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उसके बारे में शुरू में भी हमारे कई घटक दलों के सांसदों ने भी अनुरोध किया था कि इस बढ़ी हुई कीमत को वापस लिया जाए। वित्त मंत्री जी, मिट्टी के तेल का उपयोग समाज का अंतिम व्यक्ति करता है जिसके लिए आजादी के प्रारंभ से अब तक, 53 वर्षों में अनेक योजनाएं, अन्त्योदय के नाम से चलती रही हैं, लेकिन लास्ट मैन आफ दि सोसायटी, जिसके पास पहले ही मिट्टी के तेल को खरीदने की शक्ति कम है, जो अपना खाना बनाने के लिए मिट्टी के तेल का प्रयोग करता है, जो पहाड़ों में, वनों में और दूरदराज के क्षेत्रों में रहता है, ऐसे आदिवासी लोग, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं, उनके इस्तेमाल करने के मिट्टी के तेल के ऊपर दाम बढ़ाने का काम आपने किया है। गांवों में बिजली तो है ही नहीं, रोशनी करने का काम भी गरीब लोग मिट्टी के तेल से ही करते हैं। ऐसी गरीब के इस्तेमाल की चीज के दाम आपने क्यों बढ़ाए, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वित्त मंत्री जी का नजरिया क्या है। मैं चाहता हूं कि सरकार को अपना नजरिया स्पष्ट करना चाहिए।

सभापति जी, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी तो पहले से ही बहुत कम है। आज वे बाजार में 10 रुपए प्रति लीटर मिट्टी का तेल खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। वे 5 रुपए और 10 रुपए के लिए बेगार करते हैं। उनकी कोई आय नहीं है, वे गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। ऐसे लोगों के इस्तेमाल की चीज के दाम आपने क्यों बढ़ाए ?

महोदय, कहा जाता है कि लोकप्रियता और वित्त मंत्री, इन दोनों में विरोधाभास है। मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। प्लानिंग कमीशन के आंकड़ों के हिसाब से बताया गया कि देश में 26 प्रतिशत गरीबी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में 36 से 37 प्रतिशत गरीब लोग हैं। जो आंकड़े योजना आयोग द्वारा दिए गए हैं, वह सब आंकड़ों की जादूगरी है। इस प्रकार के आंकड़े देकर देश में भ्रम पैदा नहीं किया जा सकता। जो विशेष रूप से रिमोट एरियाज में, पिछड़े क्षेत्रों में, सुदूर देहाती इलाकों में, पहाड़ी में रहते हैं, वे लोग मिट्टी के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने एवं घर में रोशनी करने के लिए करते हैं। ऐसे इलाके के लोग जो आजादी के 53 वर्षों के बाद भी आजादी के मकसद को समझ नहीं पाए, क्योंकि न तो वहां सड़क पहुंची है और न बिजली और न ही आधुनिक जीवन की अन्य सुख-सुविधाएं, वे लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वित्त मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मिट्टी के तेल के पहले वाले दाम कर दीजिए। इसमें आपको जिद करने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने कुछ राहत देने की कोशिश की है, लेकिन एक कठिनाई है, जब समय व्यतीत हो जाता है, तब बात को समझते हैं। बजट बनाते समय ही अगर ऐसी बातों पर गंभीरता से विचार कर लिया जाए, ऐसी चीजों के दाम बढ़ाने से पहले, बजट बनाते समय, उसके परिणाम, उसके प्रोस और कौंस के बारे में विचार कर लिया जाए, पापुलेशन, ए०पी०एल० ओर बी०पी०एल० आदि के बारे में यदि सोच लिया जाए, तो अच्छा रहता है। पिछली बार अनाज के ऑफ-टेक की समस्या पैदा हो गई। फिर एक एक्सपेंडीचर कमीशन बनाया गया। उसके बाद पांच महीने हो गए, समस्या का समाधान नहीं हुआ और इसी बीच आफ टेक रूक गया और देश में डॉमैस्टिक भंडारण की क्षमता पूर्ण हो गई और संपूर्ण देश में अनाज के भंडारण की एक समस्या पैदा हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि जब समस्या पैदा हो जाती है, तब उसके निवारण का उपाय किया जाता है। पहले से ही उसके बारे में विचार क्यों नहीं किया जाता। एक दीर्घकालीन योजना बनाकर क्यों उसे प्लैन नहीं किया जाता ताकि बार-बार होने वाली परेशानी से मुक्ति मिल सके। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल के मामले में आप बिलकुल रोल-बैक कीजिए। यानी जो दाम आपने बढ़ाए हैं, उन्हें पहले जितना कर दीजिए।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं किसानों और गांवों के बारे में कहना चाहता हूं। आज किसान और गांव गरीबी के पर्यायवाची बन

[देवेन्द्र प्रसाद यादव]

गए हैं। आप किसान कह दीजिए, फिर गरीब कहने की जरूरत नहीं है। किसान का मतलब गरीब ही है। इसी प्रकार गांव कह दीजिए, फिर गरीब कहने की जरूरत नहीं, गांव कहते ही यह आभास हो जाता है कि वह गरीब है। उसे गरीब कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने फर्टीलाइजर, यूरिया के दामों में जो भी बढ़ोत्तरी की है, उसे वापस लें। अमरीका का गेहूं संपूर्ण दुनियां में पी०एल० 480 के नाम से मशहूर हो गया। आज हमारे देश में 610 लाख मीट्रिक टन अनाज का भंडार है। आप सब जगह इस बात को बोलते थकते नहीं हैं। चाहे कोई अवसर हो, चाहे बजट हो या कोई और मौका, अपने भाषण में आप कहते हैं कि हमारे देश में 610 लाख टन अनाज का भंडार है। आपने कभी यह सोचा कि यह भंडार किन की बदौलत है। यह किसान है जिसने इतना अनाज इस देश में पैदा किया कि आपके भंडारों में 610 मिलियन मीट्रिक टन अनाज भर दिया। इस पर आप फख्र करते हैं और गर्व करते हैं तथा कहते हैं कि आज हम ऐसी स्थिति में हो गए हैं कि डॉमैस्टिक जरूरत के अतिरिक्त अनाज को हम निर्यात करने की स्थिति में हैं। यह किसान की मेहनत और परिश्रम के बदौलत है। आज किसान फटेहाल है। आज किसान आधा पेट भरकर ही अपना गुजारा कर रहा है। जो किसान समूचे देश को अनाज खिलाता है, जिस किसान का बेटा सरहद पर, सीमा पर देश की रक्षा करता है, उस किसान के पेट पर आप फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाकर लात मार रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर बात है। मेरा कहना है कि इस पर विचार किया जाये। हम समझ रहे हैं कि आप आर्थिक स्थिति पर पूरे नाप-तौल करते होंगे। इसके अतिरिक्त आर्थिक सुदृढ़ीकरण का भी दबाव होगा। विदेशी फर्टिलाइजर सस्ता होगा और हमारे यहां फर्टिलाइजर महंगा हो जायेगा तो कैसे काम चलेगा ?

इस तरह से लेपटॉप और कम्प्यूटर सस्ता होगा। यदि आप मोबाइल का रेट 50 टका बढ़ा दें तब भी वे लोग मोबाइल चलायेंगे क्योंकि उनकी आर्थिक दशा बदलती रहती है इसलिए उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसान के फर्टिलाइजर का दाम अगर आपने पांच परसेंट भी बढ़ा दिया तो उसका असर उस पर पड़ेगा। किसान अपने खेत में फर्टिलाइजर नहीं डाल पायेगा। जिस तरह से उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, वह उतना उत्पादन नहीं बढ़ा पायेगा। इकनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया में, पिछले साल यह ट्रेंड घट गया था तब बड़ी चिन्ता हुई थी। यह सोचा गया कि फिर से कैसे ट्रेंड बदला जाये। इकनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया में ठीक से डाला गया है या नहीं लेकिन वह ठीक है और उत्पादन बढ़ रहा है। जब किसान की जरूरत की चीजें जैसे खाद, फर्टिलाइजर, पानी आदि सब महंगे हो जायेंगे तो किसान के उत्पादन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम किसान की जान बख्श दी जाये क्योंकि किसान ही एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा वर्ग है जो अपने टारगेट को पूरा करता है। इंजीनियर रोड बनाता है तो 10 किलोमीटर के बदले सात किलोमीटर ही रोड बनाकर अपना बिल वाउचर पूरा कर लेता है। मैं केवल इंजीनियर की ही बात नहीं कर रहा हूं। सभी वर्गों को चारी करने की छूट है लेकिन अगर किसान को पांच कट्ठे में अनाज लगाना है तो उसे पांच कट्ठे में ही हल चलाना पड़ेगा, ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा और उन्नत किस्म के बीज डालने पड़ेंगे, खाद डालनी पड़ेगी और सुपरविजन ऑफ लेबर भी करना पड़ेगा। इस तरह से इतनी मेहनत करके जो देश के लिए अनाज पैदा करता है, उसके पेट पर आप लात मार रहे हैं। उसकी खाद का दाम बढ़ा रहे हैं। यह हमको उचित नहीं लगता है। इसलिए हम अपनी भावना को यहां व्यक्त कर रहे हैं कि किसानों को परेशान न किया जाये।

चूंकि वक्त नहीं है और माननीय वित्त मंत्री जी भी इस पर अपनी राय रखेंगे इसलिए मैं एक अंतिम बिंदू कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरा कहना है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और किसान के फर्टिलाइजर के दाम में आपने जो बढ़ोत्तरी की है, उसको जरूर वापिस लेंगे।

मेरा अंतिम बिन्दु यह है कि डब्ल्यू०टी०ओ० में 1 अप्रैल 2001 से क्वांटिटेटिव रिस्ट्रक्शन लगाये गये हैं। हमारे अपने देश में गेहूं का समर्थन मूल्य 620 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जबकि बाहर के गेहूं का अंतरराष्ट्रीय मूल्य इससे कम है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गेहूं का दाम 400 या 450 रुपये प्रति क्विंटल है। इसके कारण बाहर का अनाज हिन्दुस्तान में डम्प हो जायेगा क्योंकि आप इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ायेंगे। भारत विदेशी अनाज का डम्पिंग ग्राउंड बन जायेगा इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आप किसान को बचा लीजिए। विदेशी अनाज जो मात्रात्मक प्रतिबंध के हटने के चलते हिन्दुस्तान में डम्प होने वाला है, काउंटरवेली ड्यूटी या टैक्स बढ़ाकर जिसके बारे में आपने पहले भी कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। पिछली बार कहा गया था कि यह बहुत संवेदनशील मामला है। हिन्दुस्तान का कृषि उत्पादन कैसे संरक्षित रहे, इसके लिए सरकार समय-समय पर मौनीटर करेगी, क्लोज मौनीटर करेगी। इसके लिए सरकार ने वायदा किया था और हम सरकार को वह वायदा याद दिला रहे हैं कि इस पर काउंटरवेली ड्यूटी बैठाकर बाहर के अनाज के लिए भारत को डम्पिंग ग्राउंड न बना दिये जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : आठवले जी, कृपया आप संक्षेप में बोलें क्योंकि हमको समयावधि में इसे पूरा करना है। माननीय वित्त मंत्री जी को उत्तर भी देना है और संशोधनों को भी करना है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, बजट के बाद फाइनैंस बिल पर बहुत गंभीरता से चर्चा हो रही है। *(व्यवधान)* मुझे खुशी है कि हर माननीय सदस्य देश की गरीबी हटाने के बारे में बात कर रहा है। हम सुन कर आए हैं कि ये गरीबी हटाने की बात करते हैं लेकिन जब तक सरकार इस बारे

में विचार नहीं करेगी, तब तक गरीबी हटने वाली नहीं है। हमारे वित्त मंत्री जी अच्छे हैं। *(व्यवधान)*

यशवंत सिन्हा जी, यह बजट पेश करके आपने सारे देश को दे दिया है धक्का,
यशवंत सिन्हा जी ने अपना मंत्रालय अभी कर दिया है पक्का,
आपने बजट में महंगाई बढ़ाने का काम बहुत अच्छा किया है,
बड़ी होशियारी से आपने गरीबों से बदला लिया है।

हमारा इतना ही कहना है कि यदि गांवों में रहने वाले किसान या खेत मजदूरों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है तो बजट का केन्द्र बिन्दु नीचे का आदमी होना चाहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री रामदास आठवले : मैं गरीबों के बारे में बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि समाप्त कीजिए।

सभापति महोदय : मैं कह रहा हूं कि आप चेयर को ऐड्रैस कीजिए, इधर-उधर मत देखिए।

श्री रामदास आठवले : में इधर-उधर की बात करूंगा तो अगली बार चुन कर नहीं आऊंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बजट के बारे में हमारा इतना ही कहना है कि इस वर्ष का टोटल बजट 4 लाख 10 हजार 309 करोड़ रुपये का है। प्लान बजट 1 लाख 13 हजार 500 करोड़ का है और नान-प्लान 2 लाख 96 हजार 809 करोड़ है। मेरा कहना है कि प्लान का बजट ज्यादा होना चाहिए और नान-प्लान का कम होना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, यह मुझे मालूम नहीं है। यदि नान-प्लानिंग ज्यादा होगी तो बजट पर इसका परिणाम होता है। इसलिए यदि आप अगली बार रहेंगे तो हमारा निवेदन है। *(व्यवधान)* कल क्या होता है, देखते हैं। पासवान जी ने रिज़ाइन कर दिया है और किस-किस का नम्बर लगने वाला है, मुझे मालूम नहीं है। आपको इसके बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

यादव जी ने बताया कि मिट्टी के तेल के दाम कम होने की आवश्यकता है। मिट्टी के तेल के दाम जो डेढ़ रुपये बढ़ाए हैं, उसे कम करने की आवश्यकता है। यदि एकदम डेढ़ रुपये बढ़ाएंगे तो आपकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। मिट्टी का तेल झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोग खरीदते हैं। डीजल का दाम कम से कम 5 या 7 रुपये कम करने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि डीजल का जो पर लीटर दाम 20 रुपये किया है, उसे 10 रुपये कम करने की आवश्यकता है। यशवंत सिन्हा जी, इधर सुनिए। *(व्यवधान)* मैं समाप्त कर रहा हूं। *(व्यवधान)* क्या आपने बंद कर दिया है ?

सायं 7.00 बजे

डीजल का जो अभी 20 रुपए प्रति लिटर का भाव है, उसको घटाकर दस रुपए करना चाहिए। इसी तरह से पेट्रोल जो 26 रुपए प्रति लिटर है, उसको भी कम करके 20 रुपये करने की आवश्यकता है। अगर आपको महंगाई कम करनी है, तो ये दाम कम करने पड़ेंगे। वित्त मंत्री जी को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आप इस पर जरूर विचार करेंगे।

जो वित्त विधेयक पेश किया गया है, उसका समर्थन नहीं कर सकता। जब वक्त आएगा तो हम समर्थन करेंगे। अगर कल आप लोग हमें स्पोर्ट करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपको गरीबों के लिए काम करने की आवश्यकता है। यह काम आप करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी हम वित्त विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे, जब हमारी सरकार आएगी, तब हम समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय, मैं सरकार हटाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये खुद हटना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। कल भी हम सरकार को हराना नहीं चाहते, लेकिन हम गुजरात पर चर्चा करेंगे। उस पर आपको भी सोचने की आवश्यकता है। सरकार को हटाना हमारा काम नहीं है, लेकिन आप जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे, तब तक हम यह कहते रहेंगे। आपको गरीबों के हित में काम करना चाहिए। इतना हीं कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, आज वित्त विधेयक को आखिरी रूप देने के लिए सदन में बहस हो रही है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इरीगेशन, कम्यूनिकेशन, एजुकेशन, बिजली, गरीबी और बेरोजगारी कम करना और देश की रक्षा करना, यह अर्थ विभाग का महत्वपूर्ण काम है। इसके लिए अधिक से अधिक रकम देनी चाहिए। रक्षा के लिए जो आपने अधिक धन का प्रावधान किया है, उसके लिए हम वित्त मंत्री जी के आभारी हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वाह रे सरकार तेरा खेल, सस्ती शराब और महंगा मिट्टी का तेल। जो बातें माननीय सदस्यों ने यहां उठाई हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। आपने आदिम जाति के लिए सिर्फ 360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि उनकी आबादी करीब सात करोड़ है। यह राशि बहुत कम है। जैसे महाराष्ट्र में कमजोर वर्ग और आदिम जाति के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उसी हिसाब से यहां भी करना चाहिए।

सभापति जी, आपको बिजली के बारे में पता ही है। यहां संसद में भी बिजली चली जाती है। इसलिए हमें सौर ऊर्जा के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए। मैं कई क्षेत्रों में गया, आबू भी गया था, वहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमें इसकी तरफ ध्यान देकर अधिक ग्रांट देनी चाहिए। पीने के पानी की बहुत समस्या है। आदिम जाति के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। जहां नल योजना द्वारा पानी दिया जाता है, उसमें भारत सरकार दस प्रतिशत टैक्स लेती है। मेरी आपसे विनती है कि इस दस प्रतिशत टैक्स को कम करना चाहिए।

जहां तक कृषि का सवाल है, देश के आत्मसम्मान का सवाल है, अन्यान्य विभागों में कृषि से सम्बन्धित योजनाएं हैं, सरकार को

[श्री हरीभाऊ शंकर महाले]

उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यही मेरी आपसे विनती है।

आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती कुमुदिनी पटनायक (आस्का) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक, 2002 पर इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

यह सर्वविदित है कि भारत सरकार का धन विधेयक नई दिल्ली में केंद्र सरकार के लिए ही नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए होना चाहिए और देश की सभी समस्याओं का उल्लेख होना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत धन विधेयक पर चर्चा करते समय न केवल केंद्र सरकार की बल्कि उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों सहित सम्पूर्ण राष्ट्र की उच्च आकांक्षाओं की पृष्ठभूमि की प्रशंसा करना आवश्यक है। इस बात पर संतोष करना शायद सही नहीं है कि देश में आठवीं और नौवीं योजना अवधियों में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में सुधारोत्तर अवधि में वृद्धि हुई है परन्तु इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा किए गए बजटीय उपायों ने तेजी से विकसित होने वाली प्रवृत्तियों, यथा अन्य 10 विकसित देश जिनपर गरीब राज्यों की विकास प्रक्रिया में भारत को गर्व है, को भी प्रभावित किया है।

साक्षरता की वृद्धि दर अखिल भारतीय औसत स्तर पर 1991 में 52 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 65 प्रतिशत हो गयी जबकि उड़ीसा में यह 49.09 प्रतिशत है। उड़ीसा राज्य में समग्र महिला साक्षरता 34.68 प्रतिशत है जबकि उड़ीसा के दूरदराज के जिलों यथा नौरंगपुर में प्रतिशत रिकार्ड 9.01 प्रतिशत और मलकानगिरी जैसे जिले में 11.6 प्रतिशत के निम्न स्तर पर है जो कि राज्य के जनजातीय बहुत क्षेत्रों में स्थित हैं।

यद्यपि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह प्रस्तुत किया गया है कि राष्ट्र की शिशु मृत्यु दर 72 प्रति 1000 पर स्थिर है जबकि गत कई वर्षों से उड़ीसा में शिशु मृत्यु दर 96 प्रति 1000 है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों का प्रतिशत 36.32 प्रतिशत है क्या राज्य सरकार के समस्त प्रयासों के बाद भी हमें उड़ीसा में 52.54 प्रतिशत पर स्थिर रहने पर गर्व करना चाहिए।

अखिल भारतीय स्तर 24.34 प्रतिशत की तुलना में उड़ीसा की आबादी का कुल मिलाकर 38.41 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं।

चावल के उत्पादन में कोई स्पष्ट वृद्धि नहीं हुई है। उड़ीसा जैसे कृषि प्रधान राज्य में यह मुख्य फसल है, अखिल भारतीय स्तर पर 18.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की तुलना में उड़ीसा की उपज दर 13.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसमें पंजाब जैसे राज्य, जहां की उपज दर 31.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है अपवाद स्वरूप है उड़ीसा राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है और यह अंतर पिछले कई वर्षों से बढ़ा ही है। वर्ष 1981-82 में यह अंतर 316 था जो वर्ष 2000-2001 में करीब पांच गुना बढ़ गया।

उड़ीसा में कृषि की मानसून पर निर्भरता 70.10 प्रतिशत है; जबकि भारत सरकार ने उड़ीसा में एक भी राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना शुरू नहीं की है। यद्यपि प्रत्येक दूसरे वर्ष बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उड़ीसा में कृषि को भारी नुकसान होता है, फिर भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए महानदी पर बहुदेशीय बांध के निर्माण हेतु धनराशि प्रदान नहीं की है। यहां तक कि उड़ीसा ऋण जाल में है और वर्ष 1999 से 2001 तक लगातार महाचक्रवात, भयानक सूखा और अप्रत्याशित बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, भारत सरकार ने राज्य सरकार के कर्ज चुकाने में मोहलत देने और ब्याज माफी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है।

यद्यपि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र ने आबादी के बड़े हिस्से द्वारा सामना की जा रही भयंकर गरीबी से निबटने पर बल दिया है। फिर भी योजना के पांच दशकों के बाद भी हमारे सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में काफी अंतर है।

दसवीं योजना के पिछली अफसलताओं को दोहराने से बचने के लिए कार्य को मजबूती प्रदान करने की बात की है और उसी के अनुसार पूर्व अनुभवों के आधार पर नीतियों और संस्थाओं को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया है, विशेषकर उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय अर्थव्यवस्था में घटित हुए हैं और उसने संसाधन योजना के स्थान पर सुधार योजना बनाने पर जोर दिया गया है। लेकिन वित्त विधेयक में इस बारे में जिक्र भी नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, यद्यपि उड़ीसा जैसे निर्धन राज्य है, केन्द्र सरकार की बजट प्रक्रिया से काफी आशा रखते हैं। माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में निर्धन राज्यों में पिछले पांच दशकों में जो कमजोरियां सामने आई हैं उसे उनका उल्लेख भी नहीं किया है। प्रधान मंत्री ने योजना आयोग को अगले दस वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्देश दिया है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर करीब 8.7 प्रतिशत निर्धारित की जानी है। इस अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए गरीब राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के बारे में न तो चालू वर्ष के बजट प्रस्तावों में और न ही धन विधेयक में कोई चर्चा की गई है। इससे ब्रिटिश काल से लेकर आज तक आधारभूत ढांचे के विकास की लंबित उपेक्षा का संकेत मिलता है। शायद, केन्द्रीय वित्त मंत्री इस बात से अवगत हैं कि उड़ीसा में औद्योगिक क्षेत्र का एन०एस०डी०पी० के योगदान पिछले दो दशकों में 10 से 11 प्रतिशत तक स्थिर रहा है, फिर भी पूरे देश में खनीज सम्पदा के मामले

में उड़ीसा धनी है। संचार और रेल आदि बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण राज्य में विकास का कार्य दूभर हो गया है। यद्यपि ये सभी केन्द्र सरकार के पास हैं, फिर भी इस धन विधेयक में इन क्षेत्रों में राज्य सरकार को राहत पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। राज्य और अखिल भारतीय औसत पर प्रति व्यक्ति आय के अंतर में वृद्धि और उड़ीसा जैसे निर्धन राज्य में विकास के लिए सतत निवेश की आवश्यकता है। देश में विभिन्न संरचनात्मक कमियों के कारण, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए समुचित मात्रा में विकासात्मक गतिविधियां चलाने हेतु राज्य आवश्यक संसाधन जुटाने में समर्थ नहीं है। गैर सीमान्त राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की उपेक्षा कर सिर्फ सीमा क्षेत्रों पर जोर देने और सीमांत राज्यों को लाभ पहुंचाने से ही राज्यों का विकास नहीं होगा। दुर्भाग्यवश, अनुवर्ती सरकारें भी परम्परागत रूप से ही सोचती रही है उनकी सोच भी यह रही है कि अन्य राज्यों जिनकी आबादी अत्यंत निर्धन है, की कीमत पर सीमांत राज्यों को ही सिर्फ विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। सुरक्षा संबंधी खतरों और उससे जुड़े संकटों का सामना करने वाले सीमांत राज्यों से मेरे विरोध नहीं है। लेकिन ऐसे गरीब राज्यों, विशेषकर देश के निर्धनतम राज्यों की कीमत पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

मैं, इस प्रतिष्ठित सभा के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों के सामाजिक आर्थिक संकेतकों के तुलनात्मक तथ्यों आपके समक्ष रखना चाहती हूं। उड़ीसा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत विशेष श्रेणी प्राप्त राज्यों जैसे मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम से ज्यादा है। सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत मणिपुर और जम्मू और कश्मीर से बहुत कम है। कृषकों और कृषि श्रमिकों की कुल आबादी का प्रतिशत नागालैंड के अलावा विशेष श्रेणी प्राप्त सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है।

पूर्व में, मैंने कम साक्षरता दर और प्राथमिक शिक्षा में बीच में स्कूल छोड़ने वालों के प्रतिशत का उल्लेख किया है। यह सिक्किम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम जैसे विशेष श्रेणी प्राप्त राज्यों से बहुत ज्यादा है। उड़ीसा में प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में उर्वरकों की खपत मणिपुर और जम्मु एवं कश्मीर से बहुत कम है।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, योजना आयोग के 55वें सर्वेक्षण के अनुसार, उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आबादी का प्रतिशत विशेष श्रेणी प्राप्त राज्यों से बहुत अधिक और वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति एन०एस०डी०पी० अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, और जम्मु और कश्मीर से बहुत कम है। प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय विशेष श्रेणी प्राप्त राज्यों की तुलना में बहुत कम है और मिजोरम एवं अरूणाचल प्रदेश जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में यह सिर्फ 1/5 हिस्सा ही है।

इन सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए यदि उड़ीसा को विशेष श्रेणी प्राप्त राज्य घोषित नहीं किया गया – यहां तक कि यह कमियां कई विशेष श्रेणी प्राप्त राज्यों से भी ज्यादा, ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यह सीमावर्ती राज्य नहीं है, इसमें शायद राज्य सरकार की ही कोई गल्ती है जो नक्सली समस्या से तो निपट सकती है, लेकिन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बाहर एक विशेष राष्ट्र नहीं बना सकती शायद तब इसको यह नुकसान उठना ही होगा। यदि केन्द्र सरकार इसे देश के निर्धनतम राज्य घोषित करने के प्रति संवदेनशील है, दूसरे माने में उड़ीसा को एक विशेष राज्य के रूप में घोषित करने में तो क्या केन्द्र सरकार उड़ीसा को इसकी गरीबी दूर करने और कर्ज से मुक्ति के लिए 10:90 के अनुपात में ऋण अनुदान की प्रणाली अपनायेगी ?

केन्द्र सरकार की ओर से यदि उड़ीसा जैसे निर्धन और अविकसित राज्य को विशेष सहायता प्रदान कर विकास की समानता को बनाए रखना संभव नहीं है, तो भारतीय संविधान के अन्तर्गत, उड़ीसा से गरीबी हटाने के लिए सिंचाई उद्योग आदि के विकास हेतु सम्पन्न देशों से सीधे निवेश के लिए उड़ीसा को अनुमति क्यों नहीं देती।

मुझे आशा है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री आज इस सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले वित्त विधेयक में आवश्यक संशोधन कर वित्त विधेयक में उड़ीसा के लोगों की इन भावनाओं को व्यक्त करेगी। वित्त विधेयक में इन बातों के समावेश की आशा के साथ, मैं माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले इस धन विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इससे पहले कि माननीय वित्त मंत्री जवाब दें, हम जानना चाहेंगे कि क्या यह सही है कि माननीय मंत्री श्री रामविलास पासवान ने इस्तिफा दे दिया है या नहीं। सभा के बाहर यह समाचार है, लेकिन सभा को इसकी जानकारी नहीं है। सत्तापक्ष इस बात की पुष्टि कर सकता है। क्या संसद सदस्यों को इसे जानने का अधिकार नहीं है ? *(व्यवधान)*

स्वयं 7.16 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, एक माननीय मंत्री ने इस सरकार से इस्तीफा दे दिया है, संसद चल रही है। हम सत्तापक्ष से यह जानना चाहेंगे कि क्या यह सही है या नहीं। इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। क्या हमें इस बारे में नहीं जानना चाहिए ? सरकार को सभा को इसके बारे में बताना चाहिए। *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, यह सही है कि कोयला और खान मंत्री, श्री राम विलास पासवान ने इस्तीफा दे दिया है, प्रधान मंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और इसे राष्ट्रपति को भेज दिया है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : उपाध्यक्ष महोदय, अपनी गणना के अनुसार मैं उन सभी 27 सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने वित्त विधेयक पर इस चर्चा में भाग लिया और उन्होंने बहुत मूल्यवान टिप्पणी की एवं सुझाव दिए।

महोदय, जैसे की सभा अवगत है, हम बजट पर तीन हिस्से में चर्चा करते हैं। पहला भाग बजट पर आम चर्चा है, जब हम बजट मे संबंधित सामान्य मुद्दे, देश की आर्थिक स्थिति, बजट की रणनीति और उन सभी मुद्दों को उठाते हैं। इस प्रथा के अनुसार इस सभा को सामान्य रूप से बजट पर दो दिनों तक चर्चा का अवसर मिलता है और मुझे भी उस वाद-विवाद का उत्तर देने का मौका मिलता है।

तब, समय की कमी के कारण, सभा चर्चा के लिए सिर्फ एक मंत्रालय के अनुदान संबंधी मांगों को लेती है। वह कृषि मंत्रालय था, जिसका जवाब हमारे मित्र माननीय कृषि मंत्री ने दे दिया है, इसके बाद सभी अन्य मांगों को मतदान के लिए रखा गया और विनियोग विधेयक पारित किया गया था।

यह बजट के पारित होने का तीसरा और अंतिम चरण है। जब सभा वित्त विधेयक पर विचार करती है, जिसमें आम तौर पर बजट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वित्त विधेयक में समाहित कर प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है। लेकिन यह स्वाभाविक है कि माननीय सदस्यों ने भी वित्त विधेयक पर चर्चा करने एवं सामान्य प्रकृति या विशेष प्रकृति के भी मुद्दे उठने लिए इस इस अवसर का उपयोग किया है लेकिन यह वित्तीय प्रस्तावों से कम सामान्य बजट से ज्यादा संबंधित होते हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : लेकिन यह आवश्यक था।

श्री यशवन्त सिन्हा : इसका नियमों में उल्लेख है, मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। श्री कानूनगो ने उड़ीसा के वित्तीय मामलों को उठाया है। समय की कमी के कारण मैं शुरूआत में ही इस बात का उल्लेख करूंगा कि उन मुद्दों में से अधिकांश मुद्दों की चर्चा आम बजट पर चर्चा के दौरान की गई है और निश्चित रूप से उनमें से कुछ मुद्दों को छोड़ना पड़ेगा।

सबसे पहले मैं वित्त विधेयक में शामिल मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा और आपकी अनुमति से और यदि समय ने अनुमति दी तो मैं अन्य मुद्दे उठाऊंगा। पहला मुद्दा रौल बैक प्रस्तावों को (वापस लेने) का है। मैं इस मुद्दे को सबसे पहले उठाना चाहूंगा क्योंकि प्रस्तावों को वापस लेने के बारे में काफी चर्चा इस सदन में हो चुकी है और इससे अधिक चर्चा सदन के बाहर हो चुकी है।

मीडिया से जुड़े कुछ मित्रों को यह स्मरण करने में अति प्रसन्नता हुई है कि मैं "रौल बैक" मंत्री हूं और अपनी इस छवि को सच करने के लिए मैंने इस बजट में किए गए प्रस्तावों को सार्थक रूप से वापस लिया है और मैंने केवल बजटीय प्रक्रिया की पवित्रता को ही नष्ट नहीं किया है बल्कि बजट की सम्पूर्णता को भी नष्ट किया है जिसे बनाए रखने का मैंने आश्वासन दिया था।

मैंने वायदा किया था कि मैं अपना वक्तव्य दूंगा कि किस प्रकार इन बजटीय प्रस्तावों में संशोधन किए गए हैं। मैं पिछले दिनों की बात नहीं करूंगा किन्तु मैं यहां चार सरकारों और तीन वित्त मंत्रियों के कार्यकाल वाले 1990 के दशक का ही उल्लेख करूंगा। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि सरकार वित्त विधेयक में नए खंड जोड़ती है। वे या तो विद्यमान खंडों में संशोधन होते हैं अथवा वे नए खंड होते हैं। ऐसे कई खंडों में यातो विद्यमान खंडों में संशोधन होते हैं अथवा नए खंड जोड़े जाते हैं जो प्रत्येक वर्ष के बजट में रिकार्ड होता हैं और वित्त विधेयक पर विचार करते समय भी कई संशोधन बाद में प्रस्तुत किए जाते हैं, यह भी रिकार्ड की बात है।

मैंने कुछ गणनाएं कराई हैं। वर्ष 1991 में खंडों की कुल संख्या 117 थी; सरकारी संशोधनों की कुल संख्या 28 थी; वित्त विधेयक के पारित होने के समय खंडों में संशोधन का प्रतिशत 23.93 था, अर्थात कुल खंडों का लगभग 24 प्रतिशत। मैं इस मुद्दे पर नहीं जा रहा हूं। उस वर्ष उर्वरकों की कीमतें चालीस प्रतिशत तक बढ़ाई गई थीं और बाद में इसे वापस ले लिया गया और यह वृद्धि तीस प्रतिशत तक सीमित कर दी गई। महोदय, इसके अगले वर्ष 1992 में वित्त विधेयक में खंडों की संख्या 111 थी; सरकारी संशोधनों की कुल संख्या 61 थी; इसलिए खंडों में किए गए संशोधनों का प्रतिशत 55 तक बढ़ गया। वर्ष 1997 में 77 खंड थे। संशोधनों की संख्या 28 थी; खंडों में संशोधनों का प्रतिशत 36.36 था। वर्ष 1998 में, जब मुझे "रौल बैक" मंत्री की उपाधि मिली तो खंडों की संख्या 101 थी; संशोधनों की संख्या 45 थी; खंडों में किए संशोधनों की संख्या 45.55 प्रतिशत थी। इस वर्ष खंडों की कुल संख्या 117 है; सरकारी संशोधनों की कुल संख्या 24 है और प्रतिशतता 20.51 है। मैं यह तुलनात्मक आंकड़े यह बताने के लिए दे रहा हूं कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है और तत्पश्चात मैंने सदन के बाहर बताया था कि वित्त विधेयक में परिवर्तन करने वाला न तो मैं पहला वित्त मंत्री होऊंगा औन न ही अन्तिम वित्त मंत्री, मैं ज्यादा गलती पर नहीं हूं। मैंने परिवर्तन किए हैं। प्रत्येक वित्त मंत्री विधेयक पर विचार के समय परिवर्तन करता है। मैंने जो इस माह की 26 तारीख को इस सदन में कहा है उसमें जल्दी से पुन: कुछ जोड़ूंगा कि इन संशोधनों के बावजूद जिनका सुझाव सरकार ने दिया है, जिसका उल्लेख मैंने 26 तारीख को किया है, बजट की सम्पूर्णता अक्षुण्ण है, बजट की सम्पूर्णता कम नहीं हुई है और मैं यह बात पूरे जोर से कह रहा हूं और रौल बैक का मुद्दा और यह मुद्दा कि क्या यह व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है, इसका निर्णय मैं सदन पर छोड़ता हूं।

महोदय, एक अन्य मुद्दा जो इस सदन में कुछ लोगों ने उठाया है वह बजट के आंकड़ों के हिसाब से राजस्व एकत्र न करने का है। मैंने पुन: वर्ष 1991 से आंकड़े देखे और यह पाया कि पिछली

सरकारों में भी कमियां रही हैं। बजट अनुमानों की तुलना में और यहां तक कि संशोधित अनुमानों की तुलना में भी प्रत्यक्षकरों, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में कमियां रही हैं। मैं ब्यौरे देकर सदन का समय नहीं लेना चाहता किन्तु यह भी एक सुस्थापित तथ्य है कि पहले भी अनेक अवसरों पर राजस्व की तुलना में कमियां रही है।

बात यह है कि जब हम बजट तैयार करने बैठते हैं तो हम कुछ अनुमान लगाते हैं और यह सम्भव है कि अनेक घटनाओं के कारण जिनका पूर्वानुमान बजट तैयार करने के समय नहीं लगाया जा सकता, हमारे बजट अनुमान गलत हो सकते हैं। कभी कभी वे अनुमान गलत हो जाते हैं। इसका पूर्वानुमान कौन कर सकता था कि 13 दिसम्बर को इस संसद पर हमला हो जाएगा अथवा 1, अक्तूबर को जम्मू और कश्मीर विधान सभा पर हमला हो जाएगा अथवा 11, सितम्बर को 'ट्वीन टावर' पर हमला हो जाएगा ? ये सब गैर पूर्वानुमानित घटनाएं थीं। इसलिए कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिनका प्रभाव अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और उनका प्रभाव बजट पर पड़ता है।

मुझे सदन को बताने का अवसर मिला था कि जहां तक पिछले वर्ष के बजट का संबंध है तो राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई है किन्तु यह वृद्धि व्यय में किसी बढ़ौतरी के कारण नहीं हुई है। हमने बजट अनुमानों की तुलना में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक रुपए का व्यय कम किया है। पिछले वर्ष विद्यमान आर्थिक स्थिति के कारण राजस्व में कमी आई है, 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक रुपए के राजस्व की बहुत भारी कमी हुई है जिसके परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा बढ़ा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं माननीय सदन के साथ यह सूचना बांटना चाहता हूं कि इस देश में हमें 'ड्रीम' बजट की गलत अवधारणा है। उस ड्रीम बजट की गलत अवधारणा यह है कि आप कर लगाना छोड़ दें। तब प्रत्येक व्यक्ति ड्रीम बजट प्रस्तुत करने पर आपकी प्रशंसा करता है। बाद में वही लोग कहेंगे कि यह दु:स्वप्न बन गया है। जिस ड्रीम बजट की मुझे जानकारी है वह 1997 का बजट था। मैं इस बात से बिल्कुल प्रसन्न नहीं था जब वर्ष 2001 के मेरे बजट को ड्रीम बजट बताया गया था। दोनों अवसरों पर मेरे पूर्ववर्ती वित्त मंत्री ने कर हटा दिए थे और कर की दरें घटा दी थीं।

गत वर्ष मैंने कर हटा दिए थे और दोनों अवसरों पर मैंने देखा था कि यद्यपि ड्रीम बजट प्रस्तुत करने पर हमारी प्रशंसा की गई फिर भी देश के राजस्व, सरकार के राजस्व को भारी धक्का लगा। दोनों अवसरों पर राजस्व में भारी गिरावट आई और इसलिए उस अनुभाव की पृष्ठभूमि में, वर्ष 1997 के अनुभव की पृष्ठभूमि में मैंने निर्णय किया कि इस वर्ष यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जहां तक संभव हो राजकोषीय घाटे को कम से कम रखें। मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि मैं 5.3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे से बिल्कुल खुश नहीं हूं जिसका अनुमान मैंने बजट में लगाया है। यदि बजट में दी गई कर रिआयतों के साथ और इसके परिणामस्वरूप हम यदि व्यय को कम नहीं कर पाते तो राजकोषीय घाटा 5.4 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। यह मेरे लिए या सदन के लिए खुश होने वाली स्थिति नहीं है। यह गम्भीर स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर स्थिति को और गंभीर बनाने में कर-सकल घरेलू उत्पाद के गिरते अनुपात के मुद्दे का भी योगदान है। वर्ष 1989-90 से कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात लगातार घटा है। मेरे पास यह बताने के लिए आंकड़े मौजूद हैं कि पिछली चार सरकारों के कार्यकाल के दौरान, जैसाकि मैंने कहा, वर्ष 1991 से ही कर कम किए गए हैं। हम यथा सम्भव कर भार के मामले में उदार होना चाहते थे। इसलिए कर की दरों में कमी हुई है।

वर्ष 1991 में जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो कम्पनियों के ऊपर घरेलू कर आज के 35 प्रतिशत की तुलना में 50 प्रतिशत था। निजी आय कर की न्यूनतम दर बीस प्रतिशत थी और अधिकतम दर पचास प्रतिशत थी। समय के साथ इसमें कमी हुई है। मैंने इस सदन में कहा था कि वर्ष 1997 के ड्रीम बजट में इन दरों को तीन दरों में बदलकर तर्क संगत बनाया गया। उन्हें घटाकर दस प्रतिशत, बीस प्रतिशत और तीस प्रतिशत कर दिया गया और मैंने इन दरों को अपने पांच बजटों में जारी रखा है। मैंने इन दरों में परिवर्तन नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूं, कि तथाकथित मध्यमवर्ग के बारे में कराधान संबंधी प्रस्तावों के प्रभावों के बारे में इस सदन के भीतर और इस सदन के बाहर बहुत चर्चा की गई है।

मैंने अभी उल्लेख किया कि वर्ष 1991 में न्यूनतम दर 20 प्रतिशत थी और अधिकतम दर प्रचास प्रतिशत थी। यह दर वर्ष 1991-92 और 1992-93 में जारी रहीं। ऐसा केवल वर्ष 1993-94 में हुआ कि अधिकतम या शीर्ष दर 40 प्रतिशत कर दी गई और वर्ष 1997-98 के ड्रीम बजट के पूर्व तक यह दर 40 प्रतिशत ही रही जब शीर्ष दर तीस प्रतिशत तक कम कर दी गई और निम्न दर दस प्रतिशत तक नीचे कर दी गई। साथ ही बाहर प्रतिशत अधिभार हमेशा बना रहा। एक-दो वर्ष के लिए अधिभार नहीं था किन्तु बाद में अधिभार पुन: लगा दिया गया। वर्ष 2001-2002 में मैंने स्वयं अधिभार तेरह प्रतिशत कर दिया था जिसे मैंने पिछले वर्ष समाप्त कर दिया और गुजरात में आए भूकम्प के लिए दो प्रतिशत अधिभार को छोड़कर कोई अन्य अधिभार नहीं था। इस वर्ष पांच प्रतिशत का अल्प अधिभार लगाया गया है।

अब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जब श्री पवन कुमार बंसल ने सदन में यह चर्चा शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि पांच प्रतिशत का यह अधिभार नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि यह पांच प्रतिशत अधिभार नहीं लगाना चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि देश की सेनाएं वर्तमान रक्षा मंत्री के हाथों में भाग्य भरोसे छोड़ दी गई हैं। *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : जी हां, आपने ऐसा कहा था और मैं उस बात पर आता भले ही आप मुझे याद नहीं दिलाते।

जब मैं अपना बजट प्रस्तुत कर रहा था तो मैंने कहा था कि यह पांच प्रतिशत अधिभार राष्ट्र की रक्षा के लिए सुरक्षा अधिभार है। मैंने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि हमारी सेनाएं अभी भी सीमा पर तैनात हैं। पूरा सदन यह जानता है; पूरा देश यह जानता है। भारी संख्या में सेनाओं को तैनात किया गया है। मैंने यह स्पष्ट किया था कि इस सब के लिए पैसे की जरूरत होती है। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पांच प्रतिशत का यह बहुत उदार अधिभार दस प्रतिशत के निम्नतम स्लैब अर्थात 50 हजार से 60 हजार रु० तक की कर योग्य आय पर न लगाकर इससे ऊंचे स्लैब पर ही लगाया गया है। इसके अतिरिक्त मैंने यह अधिभार विदेशी कम्पनियों पर पहली बार लगाया है। मैंने सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों को भी नहीं छेड़ा है जिन्हें दस वर्ष के लिए कर में छूट दी गई थी। वहां भी दस प्रतिशत लगाया गया है और अधिभार इसलिए लगाया गया है क्योंकि सरकार में हम यह महसूस करते हैं कि यह सुरक्षा अधिभार था जिसे प्रत्येक व्यक्ति को बिना आपत्ति के देना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है क्योंकि श्री बंसल की आपत्ति को छोड़कर मैंने पांच प्रतिशत अधिभार के विरुद्ध विरोध की कोई आवाज नहीं सुनी है।

वह बताते हैं कि उन्होंने यह अधिभार इसलिए बढ़ाया क्योंकि सेनाएं निराधार रूप से रखी गईं आदि आदि। वह अपनी राय देने के पात्र हैं लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच राजनैतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। यह एक ऐसा मुद्दा है जहां से हमें बाकी दुनिया, विशेषकर उन लोगों जो हमारे अधिक निकट नहीं हैं, को यह संकेत देने में सक्षम होना चाहिए कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की चिन्ताओं का संबंध है, वहां हम पूरी तरह एक हैं। वस्तुत: मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय विपक्ष की नेता और कांग्रेस दल के प्रवक्ता के सभी वक्तव्यों से यही संदेश आया था। अत: जब श्री बंसल ने यह मुद्दा उठाया तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह कर सुधार का प्रयास है, जो इस सरकार के पांचों बजटों में किया गया है। हमारा यह प्रयास रहा है कि समस्त कर संग्रह में प्रत्यक्ष करों के अनुपात में वृद्धि हो। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष करों की तुलना में उचित होता है और सदन इस बात को जानता है। अप्रत्यक्ष करों में हम जो कुछ कर लगाते हैं वह सभी को अदा करना होता है फिर चाहे वह गरीब हो या अमीर, किसान हो या कामगार हो या कोई उद्योगपति हो। सभी एक-समान कर अदा करते हैं। प्रत्यक्ष कर के मामले में ही ऐसा उचित प्रावधान होता है कि अमीर अधिक कर दें और गरीब कम और अति गरीब आदमी को कर बिल्कुल न देना पड़े। इसलिए, कराधान के संबंध में पूरी दुनिया में यह एक स्वीकृत सिद्धान्त है कि कुल कर में प्रत्यक्ष कर का अनुपात बढ़ना चाहिए। मुझे सदन को यह सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 1991 में इसका अनुपात 80:20 था। गत दशक के आरम्भ में कुल कर में प्रत्यक्ष कर का अनुपात केवल 20 प्रतिशत था और अप्रत्यक्ष कर का अनुपात 80 प्रतिशत पर था। अब प्रत्यक्ष कर का अनुपात 40 प्रतिशत के ऊपर हो गया है और अप्रत्यक्ष कर 60 प्रतिशत के नीचे है। यह एक बहुत बड़ी घटना है जो गत चार वर्ष के दौरान घटी है जिसमें प्रत्यक्ष करों का अंशदान बढ़ा है और इसका कुछ श्रेय मुझे मिलना चाहिए। मैं इसके लिए श्रेय का दावा कर सकता हूं क्योंकि 1996 में मेरे द्वारा लाए गए 1/6 सूत्र की वजह से यह हो पाया है। नकद लेन-देन और नकद खरीद, आदि जैसे लेन देनों की सूचना प्राप्त करने जैसे अन्य उपायों के परिणामस्वरूप ही जैसा कि श्री किरीट सोमैया कह रहे थे आज आयकर विवरणी दर्ज कराने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 2,86,00,000 और आयकर निर्धारितियों की संख्या बढ़कर 2,50,00,000 हो गई है। जिस समय वर्ष 1998 में हमने सत्ता संभाली थी उस समय हमें जो मिला था उसकी तुलना में यह लगभग शत-प्रतिशत वृद्धि है। इसलिए, अभिसारण (कन्वर्ज) के प्रयास जारी रहेंगे और एक स्थिति आएगी जब प्रत्यक्ष कर, अत्प्रयक्ष करों के अंशदान का स्थान ले लेंगे। इस स्थिति में कर ढांचे को युक्ति संगत बनाना और इसको साधारण बनाना हमारा ध्येय रहेगा। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जब 1998 में मैंने यह पद संभाला था तो अप्रत्यक्ष करों का जहां तक संबंध है, उत्पाद कर की 11 दरें थीं। आज केवल एक ही दर हैं और यह दर 16 प्रतिशत है। वस्त्रों के अलावा केवल आठ ऐसी मदें हैं जो 16 प्रतिशत की दर के बाहर हैं और इनको इस वर्ष के बजट में मैंने विशेष छूट दी है। केवल आठ मदों पर ही 16 प्रतिशत का विशेष उत्पाद शुल्क है जिससे उनपर उत्पाद शुल्क 32 प्रतिशत हो जाता है। अन्यथा, सक्षम प्रयास द्वारा हम इसे 16 प्रतिशत पर ले आए हैं और जहां तक उत्पाद कर का संबंध है, इसे हासिल करना लगभग असंभव है।

जहां तक सीमा शुल्क का संबंध हैं, हमने केवल चार दरें रखी हैं और मैंने इस वर्ष के बजट में यह घोषणा की है कि आगामी तीन वर्ष में हम 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की मात्र दो दरें ही रख सकने की स्थिति में होंगे। इसे पूरी स्पष्टता से कहा गया है।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, मैंने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए इसकी दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। पिछले पांच बजटों में मैंने कुछ मामूली परिवर्तनों को छोड़कर अपने पूववर्ती मंत्री द्वारा 1997-98 में निर्धारित दरों को बनाए रखा है।

जब प्रश्न है कि भावी नीति की दिशा क्या है ? दिशा यही है कि हमें बेहतर अनुपालन पर अधिक बल देना होगा। भविष्य में यह कर की दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप कर-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सुधार नहीं होगा बल्कि कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को हमें बेहतर अनुपालन के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा। बेहतर अनुपालन का अर्थ होगा बेहतर कर प्रशासन। इस दिशा में सी०बाई०सी० और सी०बी०डी०टी० के पुनर्गठन के माध्यम से,

कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से, प्रक्रिया को आसान बनाकर, कर प्रशासन को निर्धारिती के लिए यथा संभव अनुकूल बना कर हमने कुछ उल्लेखनीय कदम उठाए हैं और भविष्य में भी हमारी नीति की दिशा यही रहेगी ताकि कर दाता कर विभाग से भयभीत न हों, वह कर संग्राहक को उत्पीड़क के रूप से नहीं बल्कि एक मित्र के रूप में देखें। कर विभाग को कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से कर दाता और विभाग के अंतराल को कम किया जाएगा। इस प्रकार, समूचा दृष्टिकोण यही है और हम इस दिशा में काम करते रहेंगे। इस प्रकार से हम कर अनुपालन में सुधार लाएगे।

जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है इस वर्ष के बजट में हमारे समक्ष बहुत कठिन राजकोषीय स्थिति थी, इसलिए, रियायतों पर ध्यान देना आवश्यक हो गया था। यहां पर एक उल्लेखनीय बात यह है कि जब कर की दरें ही कम हों तो छूट के लिए कोई स्थान नहीं बचता। मैंने पिछले शुक्रवार अर्थात 26 अप्रैल को भी कहा था कि यदि आप ऐसे वर्ग के लोगों को छूते हैं जो अब तक विशेषाधिकारों का लाभ उठाते रहें हैं तो यह स्वाभाविक ही है कि इसका विरोध होगा। और यह अप्रत्याशित भी नहीं है।

हर वित्त मंत्री इसका सामना कर रहा है और भविष्य में भी हर वित्त मंत्री इसका सामना करेगा। यदि आप किसी चीज को कर के दायरे में लाते हैं या किसी छूट को वापिस लेते हैं तो आपको कुछ विरोध का सामना तो करना ही पड़ेगा। कई बार जो मुद्दे उठाए जाते हैं, वे सही होते हैं और हम उन पर कार्रवाई करते हैं। कई बार जब हम यह पाते हैं कि संबंधित उद्योग या कारोबार या जनसंख्या का वर्ग इसे सहन कर सकता है, तो हम उन्हें जारी रखते हैं।

इसलिए, जहां तक कराधान का संबंध है हमने व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है और मैं आशा करता हूं कि सदन इस दृष्टिकोण को एक स्पष्ट दृष्टिकोण पाकर इससे सहमत होगा और भविष्य में भी हम इसी दृष्टिकोण को अपना सकते हैं।

कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विशेष रूप से उठाए गए हैं। हालांकि ये वित्त विधेयक से सम्बद्ध नहीं हैं फिर भी मैं उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देना चहाता हूं साथ ही सदन में सभी दलों के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। सबसे पहले मैं ब्याज दर के मुद्दे को लेता हूं – मेरे विचार से, हम सभी को इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। यह ऐसा मुद्दा है जिसके लिए मेरी आलोचना की गई है, सरकार की आलोचना की गई है। यह कहा गया है कि हमने विशेष तौर पर ब्याज से होने वाली आय पवर निर्भर रहने वाले सेवानिवृत्त लोगों पर नियंत्रित ब्याज दरों में 50 बेसिक प्वांइट घटाकर कठोर कदम उठाया है और हमने इस वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया है। महोदय, मैं इसे पिछले परिप्रेक्ष्य में समझाता हूं।

सबसे पहली बात मैं जो कहना चाहता हूं वह मुद्रा स्फीति की दर है जो सप्ताह-दर-सप्ताह आधार पर 1.25 प्रतिशत पर है। मुद्रा स्फीति की दर लगातार नीचे आ रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ रही है, सदन को यह जानने में रूचि होगी कि व्यापार के उदारीकरण और औद्योगिक क्षेत्र में मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटाए जाने के फलस्वरूप जहां तक विनिर्मित सामानों के औद्योगिक भाग का संबंध है, उसमें शायद ही मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। हम जानते हैं कि भारत में 90 के दशक के मध्य से हम केवल दो तरह की मुद्रास्फीति ही जानते हैं। एक मुद्रा स्फीति कृषि उत्पादों से संबंधित है – यदि किसी एक समय पर प्याज की, टमाटर की और आलू की कमी रही है या ईंधन, बिजली, और स्नेहकों की श्रेणी की मदों की कमी रही है। ईंधन, बिजली और स्नेहक की वजह से मुद्रा स्फीति दो कारणों से है। एक कारण यह है कि यदि कच्चे तेल की अन्तरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि होती है तो हम देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस चीज का असर देश की मुद्रा स्फीति पर पड़ता है। दूसरा कारण यह है कि जब राज्य सरकारें विद्युत शुल्क में बढ़ोतरी करती हैं, जो कि उचित ही है, तो इससे भी मुद्रा स्फीति बढ़ती है। अत: हमने ईंधन, बिजली और स्नेहकों की श्रेणी में मुद्रा स्फीति देखी है। हमने कृषि उत्पादों के संबंध में भी मुद्रा स्फीति देखी है। सौभाग्यवश, इस समय ये दोनों क्षेत्र भी मुद्रा स्फीति में वृद्धि में योगदान नहीं कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप मुद्रा स्फीति अपने सबसे निचले स्तर पर है।

भारत पहली बार इस बात का दावा कर सकता है कि उसकी मुद्रा स्फीति की दर इतनी हो गई है जिस पर दुनिभर के विकसित बाजार भी गर्व किया करते थे। इस देश में इस प्रकार की मुद्रा स्फीति थी। कुछ मित्रों ने यहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मुद्दा उठाया है। माननीय सदस्य श्री रूपचंदपाल ने कहा कि दोनों में से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अधिक सही होता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी चार से पांच प्रतिशत के आसपास है। हाल ही में अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त दी जिसकी गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है और यह चार प्रतिशत पर है। अत: मुद्रा स्फीति इतनी ही है।

हम जमाराशि पर बाज क्यों देते हैं ? जमाराशि पर दिए जाने वाला ब्याज मुद्रा के मूल्यहास की भरपाई करता है और यदि पहले की अपेक्षा रुपए का मूल्यहास कम हुआ है तो स्वभावत: ब्याज दर को उसी में सम्बद्ध रखना होगा। इसी को वास्तविक ब्याज दर कहते हैं और दुनिया भर में वास्तविक ब्याज दर का स्वीकृत आर्थिक सिद्धान्त है जो अर्थव्यवस्था के प्रतिस्पर्धात्मक लक्षण को निर्धारित करता है। सरकार सबसे बड़ी उधार लेने वाली संस्था है क्योंकि देश में नियंत्रित ब्याज दरें हैं इसलिए हमने इसके बारे में गंभीरता से विचार किया है। इस वर्ष के बजट में मैंने क्या निर्णय लिया है ?

कम महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि हमने नियंत्रित ब्याज दर को 50 बेसिक प्वाइंट अर्थात् आधा प्रतिशत से कम किया है। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में हम इसे सरकारी प्रतिभूतियों

[श्री यशवन्त सिन्हा]

से जोड़ेगे, जिनका लेन-देन समान अवधि के लिए बाजार में होता है और ये प्रतिभूतियां बाजार में जो भी ब्याज दर हासिल कर पाएंगी वही ब्याज दर होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज धन नीति की घोषणा की है और उन्होंने परिवर्तनीय ब्याज दरों की बात कही है जिनकी हर छह महीने में समीक्षा होगी। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को हर छह महीने में समीक्षा सहित परिवर्तनशील ब्याज दरों के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

जहां तक सेवानिवृत्त लोगों का संबंध है, जहां तक बुजुर्ग लोगों का संबंध है, मैंने सदन में घोषणा की है कि हम उनके धन को भारत सरकार के राहत बांडों में जमा करने की अनुमति देकर और उस पर आठ प्रतिशत का कर रहित ब्याज देकर ध्यान रखेंगे और इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी। महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसे लोगों की जानकारी है जो भारतीय रिजर्व बैंक के राहत बांडों में 2 करोड़, 5 करोड़ या 15 करोड़ जमा कर रहे हैं और कर रहित ब्याज कमा रहे हैं। हमने जो व्यवस्था की थी उसमें ऐसी कोई परिकल्पना नहीं की गई थी; इसीलिए हमने धनाड्य व्यक्तियों द्वारा जमा की जा रही ऐसी भारी-भरकम राशियों की वजह से ही हमने 2 लाख रुपये की सीमा निर्धारित कर दी है कि आप एक वर्ष में 2 लाख से अधिक राशि के भारतीय रिजर्व बैंक के राहत बांड नहीं खरीद सकते। और आप ऐसी आय के प्राप्त कर्त्ता नहीं हो सकते जो 'किराए से प्राप्त आय' (रेन्टियर इनकम) कहा जा सकता है। इस आय को कोई भी आदमी इस प्रकार प्राप्त कर सकता है कि मेरे लिए मेरे पिता ने पैसा छोड़ा और मैंने राहत बांड में लगा दिया और बिना कुछ किए-धरे पैसा कमा लिया। मैं नहीं समझता कि सभा करों का भुगतान न करने वाले ऐसे लोगों को देश में फलते-फूलते देखना चाहेगी। मैंने इसी प्रकार के लोगों को कर-जाल के भीतर लाने का प्रयास किया है, लेकिन मैं पहले ही वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत्त लोगों को इसके दायरे में लाने की व्यवस्था कर ली है। इसीलिए, महोदय, जहां तक बचत का संबंध है, मैं इसी मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा।

यहां दूसरा मुद्दा यह है कि इस सभा में प्राय: ये आशंकाएं व्यक्त की जाती रही हैं कि राष्ट्रीय बचत और अन्य चीजों पर ब्याज दर कम किये जाने के परिणामस्वरूप हम बचत को हतोत्साहित करने जा रहे हैं। महोदय, इस सभा में मैंने इस मुद्दे को उठाया था। पिछले वाद-विवाद में, मैंने इस बात का उल्लेख किया था लेकिन यह बात दोहरायी जाती रही कि घरेलू बचत ही कम नहीं हो रही है। घरेलू बचत का जहां तक संबंध है वर्ष 2000-2001 में पिछले आंकड़े के अनुसार घरेलु बचत 20.9 प्रतिशत थी जो देश में दर्ज की गयी सबसे अधिक बचत थी। किन्तु कुल घरेलू बचत में दो तत्व शामिल होते हैं – पहली गैर सरकारी क्षेत्र की बचत और दूसरी सरकारी क्षेत्र की बचत। गैर सरकारी क्षेत्र की बचत 4.2 प्रतिशत थी जो बहुत तर्क संगत है। हम इसमें वृद्धि करना चाहेंगे लेकिन 4.2 प्रतिशत कोई कम नहीं है। हम कहां पर मार रहे हैं ? महोदय, हम सरकारी क्षेत्र में मार खा रहे हैं क्योंकि यह बचत नहीं कर रहा है; यह बचत नहीं कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र की बचत न करने की प्रवृत्ति ऋणात्मक 1.7 प्रतिशत थी और यदि सकल घरेलू बचत घटकर 23.4 प्रतिशत हो गई है तो इसका कारण यह है कि 1.7 प्रतिशत की बचत नहीं हुई है। मैं इस सभा को इस सूचना से अवगत कराना चाहूंगा कि इस बचत न करने की प्रवृत्ति के लिए सरकारी प्रशासन ही जिम्मेदार है। वर्ष 1996-97 में क्या आंकड़े थे ? सरकारी की बचत न करने का आंकड़ा 31,821 रुपये कम था। यह वर्ष 1998-99 में बढ़कर 88,618 करोड़ रुपये हो गया। महोदय, आप केवल यह कल्पना करें कि 31,000 करोड़ रुपये से 88,000 करोड़ रुपये होना सरकारी प्रशासन की कम बचत थी। क्यों ? इसका कारण पाचवां वेतन आयोग है। स्पष्ट रूप से यह पाचवें वेतन आयोग के प्रभाव के कारण हुआ। महोदय, उस महत्वपूर्ण वर्ष, 1997 में क्या हुआ था ? 1997 के उस महत्वपूर्ण वर्ष में, हमने पाचवें वेतन आयोग के माध्यम से समृद्धि दी थी और यह केन्द्र सरकार में सरकारी कर्मचारियों, राज्य सरकारों, शिक्षकों, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों और प्रत्येक व्यक्ति के लिए थी। प्रत्येक व्यक्ति को लाभ प्राप्त हुआ जिसके परिणामस्वरूप हमारी बचत 88,000 करोड़ रुपये से घटकर 31,000 करोड़ रुपये हो गयी।

एक अन्य काम जो हमने किया वह यह था कि हम एक आदर्श बजट लेकर आये। वर्ष 1997-98 में, हम करों में छूट दी लेकिन हमने छूट के लिए कुछ भी नहीं किया। यह मेरा दुर्भाग्य कि छूट देना मेरे हिस्से में आया चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से हो अथवा प्रत्यक्ष रूप से। मेरी काफी आलोचना हुई है क्योंकि अब मैं छूटों से निपटने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन इनका समाधान किया जाना है। महोदय मैं पूर्ण विनम्रता के साथ यह कहूंगा कि यदि आप छूट से छुटकारा नहीं पाते तो आप लाभिक और तर्कसंगत कर प्रशासन नहीं ला सकते और इसीलिए यह देखना हमारी नीति का एक अनवरत हिस्सा होगा कि

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : जनता बुढ़ापे के लिए पी०पी०एफ० में जो रुपया रखती है, उसमें दो प्रतिशत की कमी कर दी गई है। पिछले साल उसमें डेढ़ प्रतिशत और इस सवाल आधे प्रतिशत की कमी की गई है। उसे कम क्यों कर रहे हैं। उनकी जिन्दगी का यही सहारा है। इस पर ध्यान दीजिए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं। मैं ममता जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह बात लगातार हमारे ध्यान में है और जब कभी मौका मिलेगा, कभी परिस्थितियों में बदलाव आएगा और परिस्थितियां यह सुनिश्चित करेंगी क इंटरेस्ट रेट को बढ़ना चाहिए, उस दिन इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ही।

श्री बसुदेव आचार्य : यह कब होगा ?

श्री यशवन्त सिन्हा : कब होगा, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री लक्ष्मण सिंह : यू०टी०आई० के निवेशकों का क्या कर रहे हैं। लोग सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। *(व्यवधान)* उसमें छोटे-छोटे निवेशकों का पैसा लगा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, एक अन्य मुद्दा जो उठाया गया है वह रोजगार का मुद्दा है और मैं यह कहूंगा कि इस सभा के कई माननीय सदस्यों ने रोजगार सृजन के लिए बातचीत की है। रोजगार एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस सरकार की ओर से मैं यह कहना चाहूंगा कि हम रोजगार रहित विकास नहीं चाहते; हम रोजगार-उन्मुख विकास चाहते हैं। हमने बार बार इसी नीति पर बल दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : रोजगार के एक करोड़ अवसर उत्पन्न करने के संबंध में क्या हुआ ?

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : जरा धीरज रखिए।

[अनुवाद]

महोदय, मैं इसके बारे में केवल उल्लेख करूंगा। श्री बसुदेव आचार्य जी ने मुझसे अभी अभी रोजगार के एक करोड़ अवसर उत्पन्न करने के संबंध में पूछा है। वे बार-बार यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने रोजगार के एक करोड़ अवसर उत्पन्न करने का वचन दिया है। उनका वचन सरकारी रोजगार से संबंधित नहीं था; उन्होंने तो गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का वचन दिया था। उन्होंने रोजगार के एक करोड़ अवसरों का वचन दिया था।

महोदय, अब मुझे कुछ आंकड़े सभा को बताने की अनुमति दें। मैंने जो पांच बजट प्रस्तुत किये हैं उनमें हमने आवास क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन दिया है। मुझे सभा को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कि आवास क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो आर्थिक मंदी, निराशा जनक स्थिति के बावजूद, साल दर-साल फल-फूल रहा है। आवास वित्त में शानदार वृद्धि हुई है। इसका कारण हमारे द्वारा दी गयी रियायते हैं। जहां तक ब्याज दर का संबंध है, मुझे, मेरे बैंकर मित्रों द्वारा यह बताया गया है कि गत दो वर्षों में आवास ऋण 4 प्रतिशत पाइंट कम हो गया है। कोई भी युवा व्यक्ति जो भी आज घर बनाने के लिए ऋण लेना चाहता है, उसे यह 11 अथवा 12 प्रतिशत पर मिल सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। मैंने यह संख्या बतायी थी कि गत वर्ष के दौरान वित्तीय एजेंसियों द्वारा आवास ऋण के रूप में 26,000 करोड़ रुपये संवितरित किये गये थे। यह 30 प्रतिशत विकास प्रदर्शित करता है और इससे 2.7 मिलियन मकानों का निर्माण हुआ है। अब, ये 2.7 मिलियन मकानों से 13 मिलियन घंटे का रोजगार पुरूषों अथवा महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के रूप में और अप्रत्यक्ष रोजगार के रूप में 20 मिलियन महिला अथवा पुरुष घंटों के लिए रोजागर के अवसर उत्पन्न करेगा।

अब हम आर०आई०डी०एफ० को 5,500 करोड़ रुपये तक बढ़ा लिया हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि आर०आई०डी०एफ० जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों में, सिंचाई में, भवनों में और इसी प्रकार की चीजों में एक सघन श्रम निवेश है और यह अकेला ही रोजगार के 3.5 मिलियन अवसर उत्पन्न करता है।

यदि आप इस सब का हिसाब करें, तो आप यह पायेंगे कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के एक करोड़ की सीमा के उस वचन से कहीं अधिक पहुंच चुके हैं। हम ऐसा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

हंसने की बात नहीं है।

[अनुवाद]

हम वास्तव में इसमें काफी आगे पहुंच चुके हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, लोग अपने धंधे/रोजगार खोते जा रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : आपके अपने आर्थिक सर्वेक्षण से यह पता चलता ही है कि रोजगार विकास दर प्रति वर्ष एक प्रतिशत कम हुई है। *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, जैसा कि डा० नीतिश सेन गुप्ता जी ने बताया, मैं असंगठित क्षेत्र में रोजगार की बात कर रहा हूं। संगठित क्षेत्र इस देश के कुल रोजगार में केवल सात प्रतिशत का योगदान प्रदान करता है। हम इस बात को न भूलें। मेरे पास यहां आंकड़े हैं। इस देश में कुल रोजगार संख्या 347 मिलियन है। और उसमें से केवल 27 मिलियन संगठित क्षेत्र में है और बाकी असंगठित क्षेत्र में हैं। मैं कोल सेंटरों और देश में आने वाली सूचना प्रौद्योगिकी वाली सेवाओं की बात नहीं कर रहा हूं और न ही मैं और विकास के जो नये अवसर मिल रहे हैं उससे विकास दर बढ़ रही है। मैंने केवल दो संख्या का उल्लेख किया है। एक माननीय प्रधान मंत्री जी की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना थी। जब हम छः हजार किलोमीटर तम्बी सड़क का निर्माण करते हैं, क्या उससे रोजगार सृजन नहीं होता है ? मैंने यह बात इस सभा में कही है। *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : मैंने आपको बताया था कि गत वर्षों की तुलना में हाल के वर्षों में ग्रामीण गैर-फार्म संख्या में तेजी से कमी आई है। कृपया इस बात का खुलासा करें। जब आर० एंड एफ०ई० कम होगी तो रोजगार कैसे बढ़ेगा ? यदि आप भ्रम में हैं विकास ही कर पायेंगे किसी भी तरह बिना रोजगार प्राप्त कराए विकास प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविकता में आप विकास प्राप्त नहीं कर सकते।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं केवल आंकड़ों को उद्धृत कर सकता हूं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार रोजगार की वृद्धि दर घटी है और रोजगार चाहने वालों की संख्या भी घटी है। वह घटकर 1.03 प्रतिशत तक हो गयी है। रोजगार ढूढ़ने वालों की भी संख्या कम हुई है। रोजगार चाहने वालों की संख्या क्यों कम हुई है ? इसका कारण यह है कि रोजगार उपलब्ध है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल : जो लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या स्कीम है ?

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, विशेष क्षेत्रों से संबंधित कुछ मुद्दे उठाये गये थे। ऐसा ही एक मुद्दा श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उठाया था। मैं उनका बहुत आभारी हूं क्योंकि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि कर प्रशासन में कुछ कपटी हो सकते हैं लेकिन कुल मिलाकर कर प्रशासन एक अच्छा प्रशासन है। कुछ बहुत अच्छे अधिकारी हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग के लोगों ने कर वंचकों को पकड़ने के लिए किस प्रकार अपना जीवन दांव पर लगा दिया। मैं उनके इस सराहनीय कार्य के लिए उनका आभारी हूं, जो उन्होंने कर प्रशासन के लिए किया है। लेकिन उन्होंने एक मामले का उल्लेख किया है।

महोदय, मैं इसकी चर्चा करने में सभा का समय लूंगा क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार श्री रूपचन्द पाल ने फ्सर्ट ग्लोबल के इस मामले का जिक्र किया था। मामला अदालत में है और इसीलिए मैं इसकी गुणदोष में नहीं जाऊंगा। यह प्रश्न तो केवल सुश्री देविना मेहरा का है जिससे पूछताछ की जा रही है। मुझे यहां सूचना मिली है। दिनांक 17.12.2001, 18.01.2002 और 20.01.2002 को प्रवर्त्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की थी। श्री शंकर शर्मा के बहिन की उपस्थिति में उसके ब्यान को महिला प्रवर्त्तन अधिकारियों द्वारा दर्ज किया गया था। मुझे दी गई सूचना के अनुसार, उसके साथ जरा-सा भी कोई उत्पीड़न और कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया था और उसके साथ बहुत विनम्रता-पूर्वक व्यवहार किया गया था। मैं सभा को यह जानकारी देना चाहूंगा।

महोदय, एक अन्य मुद्दा जो श्री दासमुंशी जी ने उठाया था वह कुछ खेलकूद निकायों से रियायतों को वापस लेने से संबंधित था। मुझे याद है, श्री संतोष मोहन मेरे खिलाड़ी होने के कारण मेरी कुछ प्रशंसा कर रहे थे। हम सभी खेलकूद के क्षेत्र में हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : चाय पर रियायत प्राप्त करने की आशा में यह किया गया था।

रात्रि 8.00 बजे

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। श्री दासमुंशी यह स्पष्टीकरण चाहते थे। हमने जो परिवर्तन किया है वह रियायत वापसी नहीं है। हमारा कहना है कि खेल निकायों को अपने खाते तैयार करने चाहिये और अपनी विवरणकियां दाखिल करनी चाहिये। वे जिस सीमा तक प्रतियोगिताओं, आधारभूत ढांचे और अन्य चीजों पर धन व्यय करते हैं उन्हें कर में छूट मिल सकेगी। केवल उपर्युक्त खर्चों के अतिरिक्त ट्रस्टों के लिये लागू कर ढांचे के अन्तर्गत हमने 15% और अन्य रियायतें दी हैं, जो खेल निकायों पर भी लागू होंगी। खेल के बारे में जोकि डा० विजय कुमार मल्होत्रा को याद होगा, उनके और कुछ अन्य मित्रों के दबाव में मैंने धारा 80जी के अन्तर्गत खेल निकायों को दिये गये दान पर करों में 100% की छूट दी जो कि पहले की तरह आज भी जारी है। अत: खेल प्रशासन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चिंतित नहीं होना चाहिये। ये चीजे चलेंगी।

एक अन्य मुद्दा जो उठाया गया है वह चाय का मुद्दा है। श्री मणिशंकर अय्यर ने चाय विकास कोष का भी मुद्दा उठाया। मैंने कुछ सूचना एकत्र की है। लेकिन जैसे कि उन्होंने ठीक ही कहा है यह ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे अपने सहयोगी वाणिज्य मंत्री के साथ चर्चा करनी होगी क्योंकि यह वाणिज्य मंत्री के क्षेत्राधिकार में आता है। मैं सभा को आश्वस्त करता हूं। कि चाहे वह चाय हों, जिसपर मैंने पहले ही कर रियायत दे दी है; उत्पाद शुल्क 2 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया है – या कॉफी हो या समुद्री उत्पाद हों या रबर हो, मसाले हों या अन्य कोई नकदी फसल हो, यह सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर सरकार उचित रूप से निगरानी कर रही है, चाहे वह आयात के संबंध में हो या उद्योग की स्थिति के बारे में हो। मैं सभा को यह भी अशवस्त करना चाहूंगा कि अपने सहयोगी वाणिज्य मंत्री के सहयोग से हम यह निगरानी जारी रखेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चाय उद्योग जो इस देश का परंपरागत और अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग रहा है, को किसी प्रकार का अनुचित नुकसान न उठना पड़े और यह कि हम भारतीय चाय उद्योग को घरेलू खपत के साथ-साथ नियांत बाजार में भी संरक्षण देंगे, और यह कि हम न केवल श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका बल्कि दुनिया के तमाम स्थानों से उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करेंगे, और यह कि हम डिब्बा बंद चाय को अपनाकर अपने उत्पाद को और अधिक मूल्य वर्धित बनाने के लिये आगे बढ़ेंगे। ये सब हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चाय उद्योग न केवल जीवित रहे बल्कि वह फले-फूले भी। अब जैसा कि श्री मणिशंकर अय्यर ने चाय विकास कोष का मामला उठाया था, जैसा कि मैंने पहले कहा इस बारे में मैंने कुछ सूचना एकत्र की है किन्तु मुझे वाणिज्य मंत्री के साथ इस पर और विचार-विमर्श करना है।

श्री पवन कुमार बंसल ने हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय बचत पक्ष का मामला उठाया था। राष्ट्रीय बचत पत्र एक ऐसा दस्तावेज है, जो व्यक्तिगत रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है यह हिन्दू अविभाजित परिवारों को उपलब्ध नहीं है। *(व्यवधान)* कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ डाकघर जो इस बात से अवगत नहीं हैं, वे मांग करने पर हिन्दू अविभाजित परिवारों को भी ये राष्ट्रीय बचत

पत्र जारी कर देते हैं। जहां कहीं भी हमने ऐसा मामला पाया वहां हमने यह सुनिश्चित किया कि न केवल अपनी प्रतिवद्धताओं का सम्मान किया जाये, बल्कि इसे पूर्ण ब्याज के साथ लौटाया जाये। अत: हिन्दू अविभाजित परिवारों द्वारा इसमें निवेश का प्रश्न ही नहीं उठता परन्तु गलती से जहां कहीं इस तरह के निवेश स्वीकार किये गये हैं, डाक विभाग और सरकार द्वारा उनका भुगतान किया जायेगा। अत: इस बारे में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिये।

अंत में, महोदय मैं अपनी अंतिम बात रखना चाहूंगा।

श्री पवन कुमार बंसल : कृपया लाभांश आय के बारे में दोहरे कराधान के बारे में कुछ बताइये।

श्री यशवन्त सिन्हा : लाभांश आय पर दोहरे कराधान का सिद्धान्त मैं स्वीकार नहीं करता हूं। यदि हम लाभांश आय पर दोहरे कराधान का सिद्धान्त स्वीकार करते हैं, तो वर्ष 1997 में लगाया गया 10% का लाभांश वितरण कर समाप्त होना चाहिये और लाभांश संबंधी सम्पूर्ण आयकर मुक्त होनी चाहिये। लेकिन यह एक ऐसा विचार है जिसको मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। मैंने पिछले वर्षों में इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है और अंत में मैं आश्वस्त हो गया कि इसे समाप्त कर देना चाहिये और यह प्राप्त कर्त्ता की ओर से बहुत मामूली दर पर कर योग्य होना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैंने नि:शक्तता अधिकार समूहों के बारे में पूछा था। यदि आप इस बारे में बता सकें तो बेहतर होगा।

श्री पवन कुमार बंसल : भंडारण गृहों पर लगाये गये आयकर के बारे में क्या हुआ। *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : स्वाभाविक रूप से यहां कई और मुद्दे उठाये गये हैं। कई सुझाव दिये गये हैं। जितने भी मुद्दे उठाये गये हैं, उन सभी को हमने नोट किया है। हमने सुझावों को भी नोट किया है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। *(व्यवधान)*

मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं किसी को भी आवश्यक रूप से अपने सुझाव देने के लिये आमंत्रित नहीं कर रहा हूं। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त विधेयक में मुख्यत: प्रत्यक्ष करों के बारे में प्रावधान होता है, जिसके लिये इन प्रस्तावों को प्रभावी बनाने हेतु हमें इन विधायी प्रस्तावों की आवश्यकता होती है। किन्तु जहां तक अप्रत्यक्ष करों की बात है, यह मुख्यत: अधिसूचनाओं द्वारा शासित होते हैं जिसे वर्ष में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। जब भी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये हम उस मामले से निपटते हैं। अत: यद्यपि हम आज वित्त विधेयक पारित कर देंगे तथापि ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर आगे चर्चा करने की गुंजाइश बनी रहेगी।

जैसा कि श्री किरीट सोमैया ने भी कहा था, ऐसे कई मुद्दे हैं, जिन पर हम खुले दिमाग से विचार करेंगे, परन्तु खुला दिमाग, खाली दिमाग से भिन्न होता है। मेरे पास निश्चय ही खुला दिमाग है लेकिन मैं सभा को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा दिमाग खाली नहीं है और इसीलिये मैं प्रतिउत्तर दूंगा। लोकतंत्र में आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। सुझाव भी दिये जाते हैं

[हिन्दी]

यहां कहा गया कि पार्टी का दबाव आया तो मैं झुक गया। पार्टी के दबाव में न झुकता तो क्या रंगा-बिल्ला के दबाव में झुकता।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : लेकिन प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में माननीय वित्त मंत्री जी क्या आप नि:शक्त व्यक्तियों के लिये रियायत बढ़ायेंगे ? क्या आप नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु प्रोत्साहनों के बारे में बनाये गये 1993 के अधिनियम के अनुसार कर छूट को बढ़ायेंगे ? यह एक मानवीय प्रश्न है।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय मैंने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया है जैसा कि श्री मणिशंकर अय्यर को पता है, वे लोग आये थे। मैंने उनके शिष्टमंडल से मुलाकात की थी। उन्होंने अपने मामले को मेरे समक्ष उठाया था। लेकिन इसमें एक मुद्दा है। वे कहते हैं कि अभी ऐसा होता है कि आयकर के अलावा जो नि:शक्त जनसंख्या के एक बहुत छोटे वर्ग पर लगता है, क्योंकि आप इस सभा के सदस्य के रूप में यह जानते हैं कि अधिकांश नि:शक्त व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनपर ध्यान नहीं दिया जाता है। हममें से वे लोग जिन्होंने नि:शक्तों के लिये शिविरों का आयोजन किया है, वे इस बात से अवगत हैं कि हम उन्हें जो सहायता दे रहे हैं, उसका लाभ उठाने के लिये वे कितनी बड़ी संख्या में आते हैं।

लेकिन जहां तक आयात और शुल्क रियायतों का प्रश्न है, यह किसी व्यक्ति को तभी उपलब्ध है जब वह अपने प्रयोग के लिये आयात करता है। नि:शक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों ने मुझसे मांग की कि यह गैर-सरकारी संगठनों और धर्मार्थ संगठनों को भी दी जाये। इस मांग पर हम कभी-भी ध्यान दे सकते हैं। जहां तक इसका प्रश्न है, इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो, डा० रघुवंश प्रसाद सिंह और इस वाद-विवाद के अंतिम वक्ता श्रीमती पटनायक और अन्य लोगों ने राज्य वित्त का मुद्दा उठाया था। जैसा कि मैंने और श्री त्रिलोचन कानूनगो ने खुद कहा कि यह वित्त विधेयक के मुद्दे से सीधे संबंधित है। मुझे दो-तीन उचित बातें यहां कहने दीजिए। केन्द्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत हर पांच वर्ष पर नियुक्त वित्त आयोग नामक स्वायत्त अंपायर द्वारा प्रशासित होते हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग, जिसके कार्यकाल के दौरान आज देश का कामकाज चल रहा है, ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सभा को याद होगा कि रिपोर्ट पर कई आपत्तियां उठाई गई थी। लेकिन पिछली सरकारों की तरह जिन्होंने दस वित्त आयोगों की रिपोर्टों पर विचार किया था, इस सरकार ने भी फैसला किया कि 'हम ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों में

[श्री यशवन्त सिन्हा]

कांट छांट नहीं कर सकते क्योंकि यह अंतहीन प्रक्रिया होगी। अत: हमने ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या आपने इसे अक्षरश: स्वीकार कर लिया है। *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : हां।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मैं केवल एक क्षेत्र की ओर संकेत कर रहा हूं उन्होंने कहा हे कि कोयले पर मिलने वाली रायल्टी में हर तीन साल में संशोधन होना चाहिये और यदि भारत सरकार हर तीन वर्ष में रायल्टी दर में संशोधन नहीं करती है तो उन्हें मुआवजा देना होगा। वित्त मंत्री महोदय, क्या आपने उसे स्वीकार कर लिया है।

श्री यशवन्त सिन्हा : वित्त आयोग की सिफारिशों के दो भाग हैं। पहला केन्द्र द्वारा एकत्रित और राज्यों को वितरित किये जाने वाले करों और उससे जुड़ी शर्तों से संबंधित है। अर्थात जहां वे प्रत्येक राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार इस बारे में वित्त आयोग के साथ विस्तार से चर्चा करती है और तब वित्त आयोग अपने निष्कर्ष देता है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : अच्छे वित्त के लिये ?

श्री यशवंत सिन्हा : अच्छे वित्त के संबंध में ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने आशा व्यक्त की है कि राज्यों में स्थिति सुधरेगी और राजस्व घाटा अनुदान आदि जैसे ये सभी विशेष उपाय उस वित्त आयोग की अवधि की समाप्ति पर जरूरी नहीं होंगे; और हमने इसे जारी रखा है। लेकिन इसके बावजूद हमने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है और वे केन्द्र-राज्य के वित्तीय संबंधों को शासित करती हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार सभी राज्यों के प्रति काफी निष्पक्ष रही है चाहे वहां किसी भी दल की सरकार क्यों न हो। इस सभा में खड़े होकर मैंने केरल के उस समय के मुख्य मंत्री के एक पत्र को उद्धृत किया था जिसमें उन्होंने केरल को दी गई सहायता के लिये केन्द्र सरकार को बधाई दी थी।

पिछली बार मैंने ऐसा तब कहा था। जब केरल के वर्तमान मुख्य मंत्री लम्बी हड़ताल का सामना कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे टेलीफोन कर के कहा था कि वे चाहते हैं कि सरकारी खजाना खुला रहे। मैं जो कुछ भी उपलब्ध करा सकता था वे सब कुछ उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया कि खजाना खुला रहे।

मैं श्री त्रिलोचन कानूनगो, श्रीमती कुमुदिनी पटनायक और उड़ीसा के अन्य सभी माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि हमने उड़ीसा को संकट मे उबार लिया है। हमने अन्य राज्यों को भी संकट मे उबारा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार विकास कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध है। हम सभी राज्यों को मदद करते रहेंगे लेकिन इसके साथ ही राज्यों का भी उत्तरदायित्व बनता है। मैं यहां यह और जोड़ना चाहूंगा कि भारत सरकार को धन देने वाले अंतिक विकरण के रूप में न देखा जाए। क्योंकि मेरे पास भी असीमित स्रोत नहीं है। इसलिए, हमारे द्वारा राज्यों की लगातार मदद करते रहने का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा ऐसा करते रहेंगे ?
(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप राज्यों के मुख्य मंत्रियों को सीधे विदेशी एजेंसियों से बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहेंगे ?
(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : नहीं, ऐसा नहीं हुआ है और न ही इसके लिए इजाजत दी जाएगी। यह भारत सरकार तय करेगी कि कौन से राज्य को कौन-सा विदेशी ऋण प्राप्त होगा किस स्रोत से किसी भी राज्य को किसी विदेशी एजेंसी से सीधी बात-चीत की अनुमति नहीं है। चाहे वह विदेशी एजेंसी सरकार की हो या कोई बहुराष्ट्रीय एजेंसी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिए जाने वाले बाहरी वाणिज्यिक ऋण का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसलिए, वहां खतरा नहीं है। *(व्यवधान)* महोदय, हमने अच्छा काम किया है और मैं वित्त विधेयक पर विचार और इसे पारित करने की अनुशंसा करता हूं।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने ग्रेनाइट उद्योग, हैंक-यार्न उद्योग आदि के लिए कई कर रियायतों दी हैं। मिट्टी के तेल और उर्वरक का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आजादी के 53 साल बीत जाने के बाद भी तकरीबन एक लाख गांवों में बिजली नहीं है। गत वर्ष केन्द्र सरकार ने मिट्टी के तेल का दाम 250 गुणा बढ़ाया था; और इस वर्ष भी उसने इसका दाम एक रुपया प्रति लीटर बढ़ा दिया है। इस सत्र के प्रारंभ में वित्त मंत्री ने एल०पी०जी० सिलिंडर का मूल्य 20 रुपए घटा दिए थे। किन्तु, मिट्टी के तेल और उर्वरक का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हमारे 70 फीसदी से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। सबसे गरीब समुदाय के रूप में कृषक समुदाय पर मिट्टी के तेल और उर्वरक के दामों में बढ़ोत्तरी का प्रभाव पड़ता हैं। उन्होंने इस बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया है। मैं आप के माध्यम से वित्त मंत्री से अनुरोध करना हूं कि इन दोनों मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : यह बजट सत्र है और ऐसा जान पड़ता है कि बजट प्रस्तावों, राजस्व वसूली और उन सभी चीजों पर चर्चा करने का यह अंतिम दिन होगा। मैं वित्त मंत्री की कठिनाइयों को समझ सकता हूं और मेरी सहानुभूति भी उनके साथ है।

किन्तु, पेड़ गिनते समय हमें उनकी डालियों को नहीं भूलना चाहिए। स्वयं वित्त मंत्री द्वारा जो मुद्दे हम लोगों के सामने रखे गए हैं वे इस प्रकार हैं – राजस्व वसूली में गिरावट बहुत ज्यादा है। यह 20000 करोड़ रुपए की है। वित्त मंत्री द्वारा यह भी कहा गया है कि कर

और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात भी गिर रहा है। यह बात भी हमारी जानकारी में आई है कि किसी मंत्रालय में, विशेषकर रक्षा मंत्रालय में, 5000 करोड़ रुपए की राशि खर्च नहीं हो पाई है।

तो क्या यह वित्त का समुचित प्रबंधन है ? हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों को विस्तार से इनकी जानकारी दी जाए। हम लोग माननीय वित्त मंत्री की इस बात से संतुष्ट नहीं हो सकते कि वे केवल प्रशासक को चुस्त दुरुस्त करके अधिक से अधिक धन की उगाही की जा सकती है। यह एक घिसा-पिटा जवाब है, जो पर्याप्त नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि हमें इस बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए कि आप राजस्व उगाही का समुचित आकलन कैसे करेंगे, कैसे आप अपने अनुमान के मुताबिक राजस्व की वसूली किस प्रकार करेंगे, आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कर और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में गिरावट नहीं आऐ और विभिन्न मंत्रालयों को दिए धन के खर्च को आप कैसे सुनिश्चित कर पायेंगे।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि 10वें और 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। उसी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार को पंचायती राज मद में पांच वर्ष में 600 करोड़ रुपए मिलने हैं। उन्होंने उसे क्यों रोक कर रखा है जबकि वह लैटिसबल एमाउन्ट नहीं है। वित्त विभाग का एक सर्कुलर है। *(व्यवधान)* मैंने इस बारे में सवाल भी उठाया था कि गरीब राज्य के साथ अन्याय क्यों हो रहा है ? इस पर विचार होना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : जहां तक यू०टी०आई० से होने वाली सुनिश्चित आय का संबंध है देश के लोग अभी भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। *(व्यवधान)* माननीय मंत्री ने यू०टी०आई० से होने वाली आश्वस्त आय के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, मिट्टी के तेल के भाव कम होने चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास, कृपया आप अपनी सीट ग्रहण कीजिए। मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, जहां तक आम मसले का सवाल है जिसे श्री शिवराज पाटील ने उठाया है, मैं समझता हूं कि मैंने अपने उस जवाब में, जब मैंने इस सरकार के कर सुधार और भविष्य की दिशा के बारे में बताया था विस्तार से समझा दिया है। यह ठीक वही बात है जो मैं कर और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में आई गिरावट के संदर्भ में कही थी। यह गिरावट कोई आज से नहीं है। मैंने कहा है कि इस देश में कर और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वर्ष 1989-90 से ही गिरावट आ रही है। जब कर बहुत अधिक थे और कराधान में सुधार से कर की दरें अधिक लचीली हो गई जिससे सकल घरेलु उत्पाद के अनुपात में कमी आई हो। मैंने कहा है कि यदि हम कर अनुपालन में सुधार की अपेक्षा करते हैं, तो यह बेहतर अनुपालन सरलीकरण और करदाताओं के अनुकूल कर व्यवस्था से ही संभव हो सकेगा। मैंने उन आंकड़ों का उल्लेख किया था कि कैसे हमने प्रत्यक्ष कर के मामले में सफलता हासिल की है। भविष्य में भी हम इसी महत्व को बनाए रखेंगे और इसी दिशा में अग्रसर रहेंगे और महोदय मैं आपके माध्यम से सभा को तथा विशेष रूप से श्री शिवराज पाटील को आश्वस्त करना चाहता हूं कि महोदय यह सुनिश्चित करना हमारा प्रयास होगा कि सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने और वित्तीय घाटे को कम करने के लिए हम यथा संभव कर वेसूली कर रहे हैं। यह घाटा एक बेहतर कर-अनुपालन, एक बेहतर कर-उगाही से ही कम हो सकेगा। यह अधिक से अधिक उपयुक्त उपभोक्ता प्रभार से ही कम हो सकेगा। यह अधिक से अधिक युक्तिसंगत राजसहायता व्यवस्था से ही ठीक हो सकेगा। इन्हीं सब पहलुओं पर हमें काम करना होगा।

जहां तक रियायत का सवाल है, तो मैंने पहले ही इस संबंध में सभा को अवगत कर दिया है।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार का क्या हुआ ? उसकी क्यों उपेक्षा हो रही है ? *(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, देश के 37 प्रतिशत लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं वे मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते हैं। 70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे इसका जवाब दे चुके हैं। मैं इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : रघुवंश बाबू को बिहार की बहुत चिन्ता हो रही है। बिहार की हमें भी बहुत चिन्ता है। जैसे सब राज्यों की चिन्ता है, वैसे बिहार की भी चिन्ता है। मैं सारी स्थिति का खुलासा इसी सदन में कर चुका हूं। मैंने आउट ऑफ दी वे जाकर बिहार सरकार से सम्पर्क किया था। और उनसे कहा था कि अगर आप 10वें वित्त आयोग के एक साल के बाद तक चुनाव करा लेंगे तो मैं भारत सरकार से वह राशि रिलीज कर दूंगा लेकिन यह बिहार सरकार का दुर्भाग्य रहा कि वह चुनाव एक साल बीतने के बाद ही संभव हो पाया ।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 10वें वित्त आयोग की रिपोर्ट इन्होंने स्वीकार की है, फिर किस आधार पर पैसा रोका गया ? 11वें वित्त आयोग का भी पांच साल में से एक साल का पैसा मिला, फिर चार साल का क्यों रोका गया ? वह पैसा लैप्स हो गया। बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। एक गरीब राज्य के साथ अन्याय किया जा रहा है। जब चुनाव हो गया तब उसका पैसा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री यशवन्त सिन्हा : 10वें वित्त आयोग को हमारी सरकार ने स्वीकार नहीं किया था और जब उसकी सिफारिशें स्वीकार की गई जिसके सदस्य रघुवंश बाबू भी थे

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : चाहे कोई भी सरकार हो जिसने यह स्वीकार किया हो

श्री यशवन्त सिन्हा : उसने तय किया था कि कोई भी सरकार हो, चुनाव नहीं होगा तो पैसा रिलीज नहीं होगा और यह 10वें वित्त आयोग ने तय किया था, उसने रोक लिया।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यदि कोई सरकार कोई नीति अपनाती है, तो बाद एक सतत् प्रक्रिया होती है। फिर, वे कैसे कह सकते हैं कि उनकी सरकार ने ऐसा नहीं किया है ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं आप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की वचनबद्धता या सिद्धांत रूप में किया गया समझौता राजनीतिक स्थिति के साथ बदलता रहता है। वित्त मंत्री यह कैसे कह सकते हैं कि वह हमारा निर्णय नहीं था; बल्कि वह पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिया गया निर्णय है ? यह सही नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, हम उसी वचनबद्धता की बात कर रहे हैं। यह वही बात है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। पूर्ववर्ती सरकार ने उस रिपोर्ट को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया था कि जो राज्य पंचायती राज का चुनाव नहीं कराएंगे, उन्हें पंचायती राज से संबंधित अनुदान नहीं मिलेगा। यह निर्णय तत्कालीन सरकार द्वारा लिया गया था और हम भी उसी निर्णय का अनुसरण कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : महोदय, मेरे सवाल का क्या हुआ ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप इनके सवालों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : नहीं, महोदय।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रात्रि 8.24 बजे

(तत्पश्चात् डा० रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :–

"कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब इस विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :–

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

संशोधन किया गया खंड-4 धारा 10 का संशोधन

पृष्ठ 3, पंक्ति 32, "विनिर्दिष्ट करें" के *स्थान* पर, "विनिर्दिष्ट करें; या" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (1)

पृष्ठ 4, पंक्ति 40, और पंक्ति 41, "ऐसे संगम या" के *स्थान* पर, "ऐसी" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

पृष्ठ 4, पंक्ति 47, से पंक्ति 49 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

' "(क) अपनी आय का, उन उद्देश्यों के लिए पूर्णतया और अनन्यत: उपयोगी करती है या उपयोग करने के लिए संचय करती है जिनके लिए उसकी स्थापना की गई है और ऐसी दशा में, जहां 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् उसकी आय के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक का संचय हो जाता है, वहां उसकी आय के पंद्रह प्रतिशत से अधिक रकम के संचयन की अवधि किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी; और;"।'। (3)

पृष्ठ 5, पंक्ति 24, "ऐसा संगम" के *स्थान* पर, "यह" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (4)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

संशोधन किया गया खंड-5 धारा 10क का संशोधन

पृष्ठ 5, पंक्ति 45, से पंक्ति 48 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

5. आय कर अधिनियम की धारा 10क में, 1 अप्रैल, 2003 से, –

(क) उपधारा (1) में, तीसरे परंतुक के *पश्चात्* निम्नलिखित परंतुक *अंत:स्थापित* किया जाएगा, अर्थात् :–

''परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2003 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, इस उपधारा के अधीन कटौती किसी उपक्रम द्वारा ऐसी वस्तुओं या चीजों या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का नब्बे प्रतिशत होगी :'';

(ख) उपधारा (1) के *पश्चात्*, निम्नलिखित उपधारा *अंत:स्थापित* की जाएगी, अर्थात् :–

''(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे उपक्रम की कुल आय की संगणना करने में कटौती, जो किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन करना प्रारंभ करता है, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होकर पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों से अवधि के लिए, यथास्थिति, ऐसी वस्तुओं या चीजों का कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का शत-प्रतिशत और उसके पश्चात् अगले दो निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों का पचास प्रतिशत होगी :''

(ग) उपधारा (9) के *पश्चात्* और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाएगा, अर्थात् :–

''(9क) उपधारा (9) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कारबार के पुनर्गठन के फलस्वरूप किसी फर्म या किसी एकल स्वामित्व समुत्थान का उत्तराधिकार किसी कंपनी को प्राप्त होता है और फर्म या एकल स्वामित्व समुत्थान, के उपक्रम में स्वामित्व या फायदाकारी हित कंपनी को अंतरित हो जाता है तो ऐसे उपक्रम की बाबत उपधारा (1) के अधीन कटौती कंपनी को वैसे ही अनुज्ञात की जाएगी जैसे कि यदि पुनर्गठन न हुआ होता तो वह, यथास्थिति, फर्म या एकल स्वामित्व समुत्थान को अनुज्ञात किए गए होते :

परंतु यह कि, –

(क) किसी फर्म की दशा में, फर्म के भागीदारों की कंपनी में शेयरधरिता का योग कंपनी में सकल मत देने की शक्ति के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून है और उनकी शेयरधारिता ऐसी अवधि के लिए उसी प्रकार बनी रहती है जिसके लिए कंपनी इस धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र है;

(ख) किसी एकल स्वामित्व समुत्थान की दशा में, कंपनी में एकल स्वामित्व की शेयरधारिता कंपनी में सकल मत देने की शक्ति के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून है और उनकी शेयरधारिता ऐसी अवधि के लिए उसी प्रकार बनी रहती है, जिसके लिए कंपनी इस धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र है।''।'। (5)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

संशोधन किया गया खंड-6 धारा 10ख का संशोधन

पृष्ठ 5, पंक्ति 49, से पंक्ति 52 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10ख में, 1 अप्रैल, 2003 से, –

(क) उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के *पश्चात्*, निम्नलिखित परंतुक *अंत:स्थापित* किया जाएगा, अर्थात् :–

''परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2003 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, इस उपधारा के अधीन कटौती किसी उपक्रम द्वारा ऐसी वस्तुओं या चीजों या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का नब्बे प्रतिशत होगी :'';

(ख) उपधारा (9) के *पश्चात्* और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाएगा, अर्थात् :–

''(9क) उपधारा (9) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कारबार के पुनर्गठन के फलस्वरूप किसी फर्म या किसी एकल स्वामित्व समुत्थान का उत्तराधिकार किसी कंपनी को प्राप्त होता है और फर्म या एकल स्वामित्व समुत्थान, के उपक्रम में स्वामित्व या फायदाकारी हित कंपनी को अंतरित हो जाता है तो ऐसे उपक्रम की बाबत उपधारा (1) के अधीन कटौती कंपनी को अनुज्ञात की जाएगी जैसे कि यदि पुनर्गठन न हुआ होता तो वह, यथास्थिति, फर्म या एकल स्वामित्व समुत्थान को अनुज्ञात किए गए होते :

परंतु यह कि, –

(क) किसी फर्म की दशा में, फर्म के भागीदारों का कंपनी में शेयरधारिता का योग कंपनी में सकल मत देने की शक्ति के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून है और उनकी शेयरधारिता ऐसी अवधि के लिए उसी प्रकार बनी रहती है, जिसके लिए कंपनी इस धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र है;

(ख) किसी एकल स्वामित्व समुत्थान की दशा में, कंपनी में एकल स्वामित्व की शेयरधारिता कंपनी में सकल मत देने की शक्ति के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून है और उनकी शेयरधारिता ऐसी अवधि के लिए उसी प्रकार बनी रहती है, जिसके लिए कंपनी इस धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र है।''।'। (6)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

संशोधन किया गया खंड-7 धारा 11 का संशोधन

पृष्ठ 6, पंक्ति 2 से पंक्ति 24 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए, –

'(क) उपधारा (1) में, –

(i) (खंड) (क) में, ''पच्चीस प्रतिशत'' शब्दों के *स्थान* पर, ''पंद्रह प्रतिशत'' शब्द *प्रतिस्थापित* किए जाएंगे;

(ii) (खंड) (ख) में, ''पच्चीस प्रतिशत'' शब्दों के *स्थान* पर, ''पंद्रह प्रतिशत'' शब्द *प्रतिस्थापित* किए जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण में, –

(अ) खंड (1) में, ''पच्चीस प्रतिशत'' शब्दों के *स्थान* पर, ''पंद्रह प्रतिशत'' शब्द *प्रतिस्थापित* किए जाएंगे;

(आ) खंड (2) में, ''पचहत्तर प्रतिशत'' शब्दों के *स्थान* पर, ''पचासी प्रतिशत'' शब्द *प्रतिस्थापित* किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, –

(i) ''पचहत्तर प्रतिशत'' शब्दों के *स्थान* पर, ''पचासी प्रतिशत'' शब्द *प्रतिस्थापित* किए जाएंगे; (7)

पृष्ठ 6, पंक्ति 32 में, ''(घ)'' के *स्थान* पर, ''(ग)'' *प्रतिस्थापित* किया जाय। (8)

पृष्ठ 6, पंक्ति 39 में, ''(ङ)'' के *स्थान* पर, ''(घ)'' *प्रतिस्थापित* किया जाय। (8)

(श्री यशवंत सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 7, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गए।

संशोधन किया गया खंड-13 धारा 28 का संशोधन

पृष्ठ 7, पंक्ति 17 में, ''(vi)'' के *स्थान* पर, ''(v)'' *प्रतिस्थापित* किया जाय। (9)

पृष्ठ 7, पंक्ति 19 में, ''(vii)'' के *स्थान* पर, ''(viii)'' *प्रतिस्थापित* किया जाय। (11)

पृष्ठ 7, पंक्ति 23 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंतस्थापित* किया जाए,–

'परंतु यह कि उपखंड (क) निम्नलिखित को लागू नहीं होगा, –

(i) किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण, उत्पादन या प्रसंस्करण के अधिकार के अंतरण या किसी कारबार के करने के अधिकार के मद्दे, जो ''पूंजी अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य नकदी या वस्तु के रूप में कोई राशि, चाहे प्राप्त की गई हो या प्राप्य हो;

(ii) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार से किए गए करार के निबंधनों के अनुसार ऐसे पदार्थों पर, जो ओजोन परत का क्षयण करते हैं, मानटेरियल प्रोटोकोल के बहुपक्षीय निधि के प्रतिकर के रूप में प्राप्त कोई राशि।'। (12)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

संशोधन किया गया खंड-14 धारा 32 का संशोधन

पृष्ठ 8, पंक्ति 2, ''या उसका भाग'' का लोप किया जाए। (13)

पृष्ठ 8, पंक्ति 13 और 14 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए –

'(2) ''संस्थापित क्षमता'' से 31 मार्च, 2002 को यथाविद्यमान उत्पादन की क्षमता अभिप्रेत है।' (14)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 से 20 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड-21 धारा 43क के स्थान पर नई धारा का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 9, पंक्ति 38 के पश्चात् निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए :–

''परंतु जहां वास्तविक लागत या व्यय या अर्जन की लागत इस धारा के अधीन जोड़ी गई है या उसमें कटौती की गई है जैसा कि यह वित्त अधिनियम, 2002 के द्वारा इसके प्रतिस्थापन के ठीक पूर्व था, वहां पूर्वोक्तानुसार दायित्व में वृद्धि या कटौती के कारण संदाय करते समय वास्तविक लागत या व्यय या अर्जन की लागत में इस धारा के अधीन, यथास्थिति, जोड़ने या कटौती की जाने वाली रकम इस प्रकार समायोजित की जाएगी जिससे कि, यथास्थिति, वास्तविक लागत या व्यय या अर्जन की लागत में से जोड़ी जाने वाली या काटी जाने वाली कुल रकम संदाय करने के समय हिसाब में ली जाने वाली पूर्वोक्त दायित्व को जोड़ने या कटौती करने वाली रकम के बराबर हो।'' (15)

पृष्ठ 9, पंक्ति 39, ''उपधारा'' के **स्थान** पर, ''धारा *प्रतिस्थापित* किया जाए – (16)

पृष्ठ 9, पंक्ति 45, ''उपधारा'' के स्थान पर, ''धारा *प्रतिस्थापित* किया जाए – (17)

पृष्ठ 9, पंक्ति 50, ''उपधारा'' के स्थान पर, ''धारा *प्रतिस्थापित* किया जाए – (18)

(श्री यशवंत सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-22 धारा 44कड का संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या-17, श्री जनार्दन रेड्डी – उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

''कि खंड 22 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23 से 25 विधेयक में जोड़ दिये गए।

नियम 80(i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 19 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 19 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 25क धारा 55 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10, पंक्ति 32 के पश्चात्, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए :–

25क, आय-कर अधिनियम की धारा 55 में, 1 अप्रैल, 2003 से, – 25क (नया)

(क) उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (1) में, ''किसी वस्तु या चीज का विनियमन, उत्पादन या प्रक्रिया का अधिकार है'' शब्दों के *पश्चात्*, ''या किसी कारबार को करने का अधिकार है'' शब्द *प्रतिस्थापित* किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) में, ''किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया का अधिकार है'' शब्दों के *पश्चात्*, ''या किसी कारबार को करने का अधिकार है'' शब्द *प्रतिस्थापित* किया जाएगा; (19)

(श्री जसवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 25क, विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 25क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड-29 धारा 80(छ) का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 11, पंक्ति 10 से 18 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ में, –

(क) उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2003 से, –

(i) खंड (क) में, उपखंड (vi) के *स्थान* पर, निम्नलिखित उपखंड *प्रतिस्थापित* किया जाएगा, अर्थात् :–

"(vi) भारत में अधिनियमित विधि द्वारा या उसके अधीन गठित कोई प्राधिकारी जो या तो वास सुविधा से संबंधित हो या उसको पूरा करने के प्रयोजन के लिए हो या जो शहरों, नगरों और ग्रामों की योजना, विकास या सुधार या दोनों के प्रयोजनों के लिए हो;";

(ii) खंड (ग) में, "धारा 10 के खंड (23) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित" शब्दो, अंकों और कोष्ठकों के *स्थान* पर, "भारत में स्थापित, जिसे केन्द्रीय सरकार विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) में, 1 अप्रैल, 2003 से, –

(i) खंड (i) में, "या खंड (23)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का *लोप* किया जाएगा;

(ii) खंड (v) में, "या कोई संस्था है, जो धारा 10 के खंड (23) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का *लोप* किया जाएगा;

(ग) उपधारा (5ग) में, 3 फरवरी, 2001 से, –

(i) आरंभिक भाग में, "यह उपधारा" शब्दों के *स्थान* पर, "यह धारा" शब्द *प्रतिस्थापित* किए जाएंगे और *प्रतिस्थापित* किए गए समझे जाएंगे;

(ii) खंड (iii) में, "31 मार्च, 2002 को या उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के *स्थान* पर, "31 मार्च, 2003 को या उसके पूर्व" अंक और शब्द *प्रतिस्थापित* किए जाएंगे और *प्रतिस्थापित* किए गए समझे जाएंगे;

(iii) खंड (iv) के *स्थान* पर, निम्नलिखित खंड *प्रतिस्थापित* किया जाएगा और *प्रतिस्थापित* किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :–

"(iv) 31 मार्च, 2003 को अनुपयोजित शेष मंदान की रकम 31 मार्च, 2003 को या उसके पूर्व प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि को अंतरित की जाती है;"

(iv) खंड (v) में, "30 जून, 2002 को या उसके पश्चात्" शब्दों और अंकों के *स्थान* पर, "30 जून, 2003 को या उसके पश्चात्" अंक और अक्षर *प्रतिस्थापित* किए जाएंगे और *प्रतिस्थापित* किए गए समझे जाएंगे;

(घ) स्पष्टीकरण 4 के *स्थान* पर, 1 अप्रैल, 2003 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : –

"स्पष्टीकरण 4–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई संगम या संस्था जिसका उद्देश्य भारत में ऐसे खेलों और क्रीडाओं का, जिसको केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, नियंत्रण, अधीक्षण, विनियमन और प्रोत्साहन करना है, पूर्त प्रयोजनों के लिए भारत में स्थापित संस्था समझी जाएगी।"।' (20)

(श्री जसवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 29, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड-33 धारा 801 ख का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 11, पंक्ति 44 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अत:स्थापित* किया जाए, –

'(क) उपधारा (4) और उपधारा (5) में, "31 मार्च, 2002" अंकों और शब्दों के *स्थान* पर, जहां-जहां वे आते हैं, "31 मार्च, 2004" अंक और शब्द *प्रतिस्थापित* किए जाएंगे;'। (21)

पृष्ठ 11 पंक्ति 45, "(क)" के *स्थान* पर, "(ख)" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (22)

पृष्ठ 12 पंक्ति 20, "(ख)" के *स्थान* पर, "(ग)" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (23)

(श्री जसवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 33, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 24 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 24 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 33क धारा 80ठ का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 12, पंक्ति 33 के पश्चात्, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए, –

33क. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ में, उपधारा (1) में खड (iiiक) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2003 से निम्नलिखित खंड *अंत:स्थापित* किए जाएंगे, अर्थात् :–

"(iv) किसी भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश;

(v) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट को यूनिटों की बाबत प्राप्त आय जो ऐसी यूनिटों के अंतरण के उद्भूत आय से भिन्न हो; 1963 का 52

(vक) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि के यूनिटों की बाबत प्राप्त आय जो ऐसी यूनिटों के अंतरण से उद्भूत आय से भिन्न हो;";'। (24)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 33क, विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 33क, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 34 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 35 धारा 88 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13, पंक्ति 3, "दस प्रतिशत" के *स्थान* पर, "पन्द्रह प्रतिशत" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (25)

पृष्ठ 13, पंक्ति 12, "अस्सी हजार" के *स्थान* पर, "एक लाख" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (26)

पृष्ठ 13, पंक्ति 13, "अस्सी हजार" के *स्थान* पर, "एक लाख" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (27)

पृष्ठ 13, पंक्ति 15, "साठ हजार" के *स्थान* पर, "सत्तर हजार" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (28)

पृष्ठ 13, पंक्ति 16, "साठ हजार" के *स्थान* पर, "सत्तर हजार" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (29)

(श्री यशवंत सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 35, संशोधित रूप, में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 36 से 39 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

नियम 80 (i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 30 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 30 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 39क

नई धारा 92 ग क का अंत:स्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13, पंक्ति 55 के पश्चात्, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए, –

39क. आय-कर अधिनियम की धारा 92ग के पश्चात्, 1 जून, 2002 से निम्नलिखित धारा *अंत:स्थापित* की जाएगी, अर्थात् :– 39क (नया)

''92क ग. (1) जहां किसी व्यक्ति ने, किसी पूर्ववर्ती वर्ष में कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है और निर्धारण अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से धारा 92ग के अधीन उक्त अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत की संगणना को अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा। अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया गया है वहां अंतरण मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती को उसे उसमें विनिर्दिष्ट तारीख को पेश होने या पेश किए जाने की अपेक्षा करते हुए, किसी ऐसे साक्ष्य, जिसका उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में ऐसी असन्निकट कीमत के, जो उसके द्वारा संगणित की गई है, समर्थन में अवलंब लेता है, को पेश करने के लिए एक सूचना तामील करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे साक्ष्य को सुनने के पश्चात्, जिसे निर्धारिती पेश करे जिसके अंतर्गत धारा 92घ की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई सूचना या दस्तावेज सम्मिलित है और ऐसे साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, जो अंतरण मूल्यांकन अधिकारी किसी विनिर्दिष्ट मुद्दों पर अपेक्षित करे और ऐसी सभी सुसंगत सामग्री, जो उसने एकत्रित की है, को विचार में लेने के पश्चात् अंतरण मूल्यांकन अधिकारी लिखित रूप में आदेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में धारा 92ग की उपधारा (3) के अनुसार, असन्निकट कीमत अवधारित करेगा और अपने आदेश की एक प्रति निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को भेजेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर निर्धारण अधिकारी धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उपधारा (3) के अधीन अवधारित असन्निकट कीमत को विचार

में लेते हुए, निर्धारिती की कुल आया की गणना करने के लिए अग्रसर होगा।

(5) अभिलेख की किसी स्पष्ट गलती को ठीक करने की दृष्टि से, अंतरण मूल्यांकन अधिकारी उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और धारा 154 के उपबंध जहां तक हो सके तदनुसार, लागू होंगे।

(6) जहां उपधारा (5) के अधीन अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कोई संशोधन किया जाता है वहां वह अपने आदेश की एक प्रति निर्धारण अधिकारी को भेजेगा जो तत्पश्चात् अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के ऐसे आदेश के अनुरूप निर्धारण के आदेश का संशोधन करने के लिए अग्रसर होगा।

(7) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी इस धारा के अधीन असन्निकट कीमत अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 131 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (घ) या धारा 133 की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट शक्तियों में से किसी या सभी का प्रयोग कर सकेगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''अंतरण मूल्यांकन अधिकारी'' से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के संबंध में, धारा 92ग और धारा 92च में विनिर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी के किसी या सभी कृत्यों का अनुपालन करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई संयुक्त आयुक्त या उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त अभिप्रेत है।''।'

(30)

(श्री यशवंत सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 39क, विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 39क, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 40 से 52 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 53 धारा 132 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 15, पंक्ति 44, के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए, –

'(ङक) उपधारा (10) में, ''प्रार्थना करते हुए बोर्ड को आवेदन कर सकेगा'' शब्दों के पश्चात्, ''और बोर्ड आवेदक

को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझता है'' शब्द रखे जाएंगे;'। (31)

(श्री यशवंत सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 53, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 53, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 54 और 55 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 56 धारा 139 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16, पंक्ति 45, के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रति:स्थापित* किया जाए, –

'(क) उपधारा (1) में, पहले परंतुक के खंड (iii) में, ''टेलीफोन'' शब्द के *स्थान* पर, ''सेलुलर टेलीफोन जो स्थानीय लूप टेलीफोन में बेतार नहीं है'' शब्द रखे जाएंगे;

(कक) उपधारा (क) के *पश्चात्*, निम्नलिखित उपधारा *अंत:स्थापित* की जाएगी, अर्थात :– (32)

(श्री यशवंत सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 56, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 56, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 57 से 60 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 61 धारा 158ख का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 19, पंक्ति 3, में, ''1 जून, 2002 से अन्त:स्थापित किए जाएंगे'' के *स्थान* पर, ''1 जुलाई 1995 से अन्त:स्थापित किए जाएंगे और अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे'' *प्रति:स्थापित* किया जाए, – (33)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 61, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 61, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 62 धारा 158खख का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 19, पंक्ति 4 में, ''1 जून, 2002'' के *स्थान* पर, ''1 जुलाई, 1995'' *प्रतिस्थापित* किया जाए, (34)

पृष्ठ 19, पंक्ति 8, ''रखे जाएंगे'' के *पश्चात्*, ''और रखे गए समझे जाएंगे'' अत:*स्थापित* किया जाए, (35)

पृष्ठ 19, पंक्ति 10, ''रखे जाएंगे'' के *पश्चात्*, ''और रखे गए समझे जाएंगे'' अत:*स्थापित* किया जाए, (36)

पृष्ठ 19, पंक्ति 12, ''रखे जाएंगे'' के *पश्चात्*, ''और रखे गए समझे जाएंगे'' अत:*स्थापित* किया जाए, (37)

पृष्ठ 19, पंक्ति 13, ''रखे जाएंगे'' के *पश्चात्*, ''और रखे गए समझे जाएंगे'' अत:*स्थापित* किया जाए, (38)

पृष्ठ 19, पंक्ति 25, ''रखे जाएंगे'' के *पश्चात्*, ''और रखे गए समझे जाएंगे'' अत:*स्थापित* किया जाए, (39)

पृष्ठ 19, पंक्ति 26, ''अंत:स्थापित किया जाएगा'' के *स्थान* पर, ''अत:स्थापित किया जाएगा और अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा'' प्रति*स्थापित* किया जाए, (40)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 62, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 62, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 63 धारा 158खग का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 19, पंक्ति 30, ''1 जून, 2002 से'' का लोप किया जाए। (41)

पृष्ठ 19, पंक्ति 31, ''रखे जाएंगे'' के *पश्चात्*, ''और 1 जुलाई, 1995 से रखे गए समझे जाएंगे'' अत:*स्थापित* किया जाए। (42)

पृष्ठ 19, पंक्ति 32, ''रखा जाएगा'' के *स्थान* पर, ''1 जून, 2002 से रखा जाएगा'' अत:*स्थापित* किया जाए। (43)

(श्री यशवंत सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 63, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 63, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 64 और 65 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 66 नई धारा 174 क का अन्तःस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 20, पंक्ति 9, 'ऐसे व्यक्ति' के *स्थान* पर ''ऐसे संगम'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (44)

(श्री यशवंत सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 66, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 66, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 67 और 68 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 69 धारा 193 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 20, पंक्ति 32, ''नई'' का *लोप* किया जाए। (45)

(श्री यशवंत सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 69, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 69, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 70 धारा 194 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 20, पंक्ति 39 के *स्थान* पर, निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए,–

''परन्तु ऐसी कोई कटौती शेयर धारक के मामले में, जो एक व्यष्टिक है, नहीं की जाएगी, यदि–

(क) कंपनी द्वारा लाभांश का संदाय पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा किया जाता है, और

(ख) यथास्थिति, ऐसे लाभांश की रकम या ऐसे लाभांश की रकमों का योग कंपनी द्वारा शेयर के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान शेयर धारक वितरित या संदत्त किया जाता है या उसके वितरण या संदाय किए जाने की संभावना है, एक हजार रुपए से अधिक नहीं है :

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंध जमा की गई या संदेय की गई ऐसी आय को लागू नहीं होंगे,–''। (46)

(श्री यशवंत सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 70, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 70, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 71 से 75 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 76 धारा 194 ट के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 21, पंक्ति 30 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,–

''परंतु इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई या संदत्त की गई अथवा जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी रकम का कुल योग पाने वाले के खाते में एक हजारपर रुपए से अधिक न हो :

परंतु यह और कि एक हजार रुपए की रकम जमा की गई या संदाय की गई आय के निर्देश से संगणित की जाएगी,–

(क) यथास्थिति, परस्पर निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के शाखा कार्यालय के संबंध में; और

(ख) किसी विशिष्ट स्कीम के अधीन जिसके अधीन यूनिटें जारी की गई है।''। (47)

(श्री यशवंत सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 76, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 76, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 77 से 94 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80 (i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 48 को लागू

करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 48 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 94क धारा 253 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 22, पंक्ति 45, के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अत:स्थापित* किया जाए, –

94क. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) के खंड (ग) में, ''धारा 12कक या धारा 263 के अधीन' शब्दों, अंकों और अक्षरों के *पश्चात्*, ''या धारा 271 के अधीन'' शब्द और अंक, 1 जून, 2002 से *अंत:स्थापित* किए जाएंगे।'। 94क (नया)

(श्री यशवंत सिन्हा)

(48)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 94क विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 94क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 95 से 97 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन० जनार्दन रेड्डी अनुपस्थित हैं।

प्रश्न यह है :

''कि खंड 98 विधेयक का अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 98 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 99 से 113 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 114 धारा 14 का संशोधन

हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (49)

(श्री यशवंत सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 114, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 114 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 115 से 120 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80 (i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 50 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 50 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 120 (क) धारा 75 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25, पंक्ति 48, के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए, –

'120क. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक में ''विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973'', शब्दों और अंकों के *स्थान पर* ''विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999'' शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएं; (50)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 120(क) विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 120 (क) विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 51 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 51 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 120 (ख) नए अध्याय 10क का अंत:स्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25, पंक्ति 48, के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए, –

120ख. ऐसी तारीख से, जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए, सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 10 के *पश्चात्*, निम्नलिखित अध्याय, *अंत:स्थापित* किया जाएगा, अर्थात :–

"अध्याय 10क

विशेष आर्थिक जोन से संबंधित विशेष उपबंध

विशेष आर्थिक जोन की अधिसूचना।

76क. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसचूना द्वारा, विशेष परिसीमित क्षेत्र समाविष्ट करने वाले विशेष आर्थिक जोन अधिसूचित कर सकेगी जहां किसी माल को, जहां तक सीमा-शुल्क का संबंध है, इस अध्याय में यथा उपबंधित भारत के सीमाशुल्क राजक्षेत्र के बाहर का समझा जाएगा।

उपबंधों का लागू होना।

76ख. इस अध्याय के और अन्य अध्यायों के उपबंध, विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश दिए गए माल को लागू होंगे किन्तु इस अध्याय और अन्य अध्यायों के उपबंधों के बीच विरोध होने की दशा में इस अध्याय के उपबंध अभिभावी होंगे।

स्थापना और नियंत्रण।

76ग. (1) केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश माल या मालों के ऐसी संक्रियाओं की प्रकृति की, जिसके अध्यधीन ऐसे माल या मालों के वर्ग होंगे, ऐसी शर्तें पूरी करेगी और वह प्रक्रिया, जिसका इस संबंध में अनुसरण किया जाएगा, से संबंधित अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करने वाले नियम बना सकेगी।

(2) बोर्ड इस निमित्त बनाए गए विनियम में विशेष आर्थिक जोन में सीमाशुल्क के लिए व्यवस्था को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) समुचित अधिकारी को विशेष आर्थिक जोन में रखे गए या भंडारित माल की किसी भी समय जांच करने का अधिकार होगा।

माल का प्रवेश।

76घ. उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, भारत के बाहर से सीधे ही आयातित किसी माल को या भारत के भीतर से उपाप्त माल के विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

सीमाशुल्क से छूट।

76ङ. धारा 76च, धारा 76छ और धारा 76ज के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश दिए गए माल को सीमाशुल्क से छूट प्राप्त होगी।

सीमाशुल्क का उद्ग्रहण।

76च. इस निमित्त बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए –

(क) देशी टैरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश दिए गए किसी माल पर उस दर से निर्यात शुल्क प्रभावी होगा जैसा जो उन पर तब उद्ग्रणीय होता जब उनका निर्यात होता;

(ख) देश में उपयोग के लिए विशेष आर्थिक जोन से हटाए गए माल पर, डंपिंग रोधी, प्रतितुलन और सुरक्षोपाय शुल्क सहित सीमाशुल्क, जहां लागू होता हो, उतना ही उद्ग्रहणीय होगा जितना उन पर तब होता जब उनका आयात किया जाता; और

(ग) विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश दिए गए या हटाए गए माल पर लागू शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर वह होगी और टैरिफ मूल्यांकन वही होगा जो ऐसे प्रवेश या हटाए जाने की तारीख को प्रवृत्त है और जहां ऐसी तारीख अभिनिश्चित नहीं की जा सकती वहां शुल्क के संदाय की तारीख होगी।

प्राधिकृत संक्रिया। 76छ. विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश दिए गए सभी माल, प्रसंस्करण और विनिर्माण सहित ऐसी संक्रिया के अधीन गुजरेंगे जो इस निमित बनाए गए नियमों में विहित की जाए।

एक विशेष आर्थिक जोन में उपयोग किए गए माल। 76ज. (1) केंद्रीय सरकार, उन मामलों में संगणना के लिए नियम बना सकेगी जिनमें किसी आर्थिक जोन में के भीतर उपयोग किए जाने वाले माल को सीमाशुल्क के बिना प्रवेश दिया जा सकेगा और उन अपेक्षाओं को अधिकथित कर सकेगी जो पूरी की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के विपरीत उपयोग किए गए माल पर उसी रीति में सीमाशुल्क प्रभार्य होगा जैसी कि धारा 76च की उपधारा (ख) में उपबंधित है मानो वे देश में उपभोग के लिए हटाए गए हैं।

विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश दिए गए माल पर शुल्क वापसी। 76झ. इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए देशी टैरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक जोन में प्रविष्ट कोई माल, धारा 75 के अधीन उसी प्रकार शुल्क वापसी के लिए पात्र होगा मानों उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसा माल निर्यात माल है।

रखे रहने की अवधि। 76ञ. किसी विशेष जोन में प्रवेश दिए गए किसी माल को उस जोन के भीतर उतनी समय-सीमा से अधिक समय के लिए रहने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जितनी उस निमित बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए।

सुरक्षा। 76ट. विशेष आर्थिक जोन में नि:शुल्क प्रवेश दिए गए माल या ऐसे जोन में या से शुल्क संदाय किए बिना स्थानांतरण के अधीन माल, प्रतिभू या प्रतिभूति के साथ ऐसे बंधपत्र के अधीन होगा जो इस निमित बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

स्वामित्व का अंतरण। 76ठ. विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश दिए गए या उत्पादित या विनिमित माल के लिए स्वामित्व का अंतरण उन शर्तों के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा जो इस निमित बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

माल हटाया जाना। 76ड. विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश दिए गए या उत्पादित अथवा विनिर्मित माल को उस प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकेगा, जो इन निमित बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

विशेष आर्थिक जोन बंद किया जाना। 76ढ. किसी विशेष आर्थिक जोन के बंद होने की दशा में केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जोन में प्रवेश दिए गए, उत्पादित या विनिर्मित माल को ऐसी समय-सीमा और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकेगा जो इस निमित बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।''। (51)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 120 ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 120 ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 121 से खंड 126 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 127 धारा 3 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 27, पंक्ति 13 और 14 के *स्थान* पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

127. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में, –

(i) उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए, खंड (क) और खंड (ख) में ''उत्पाद शुल्क्य मालों'' शब्दों के पश्चात् जहां कहीं भी वे आते हैं, ''(विशेष आर्थिक जोनों में उत्पादित या विनिर्मित मालों को छोड़कर)'' कोष्ठक और शब्द *अंत:स्थापित* किए जाएंगे।

(ii) परन्तुक में,

(क) खंड (i) में, उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए, ''या विशेष आर्थिक जोन'' शब्दों का *लोप* किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) के *स्थान* पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :– (52)

(श्री यशवंत सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 127, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 127, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 128 धारा 5क का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 27, पंक्ति 17 और 18 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

128. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क में, –

(i) उपधारा (1) के परंतुक में,–

(क) खंड; (i) में "या कोई विशेष आर्थिक जोन" शब्द; और

(ख) स्पष्टीकरण में "विशेष आर्थिक जोन" शब्दों का, उस तारीख से, जो केन्द्रीयसरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए, *लोप* किया जाएगा"

(ii) उपधारा 2 के *पश्चात्*, निम्नलिखित उपधारा *अंत:स्थापित* की जाएगी; अर्थात्:– '। (53)

पृष्ठ 27, पंक्ति 24 में, "(ii)" के *स्थान* पर "(iii)" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (54)

(श्री यशवंत सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 128, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 128, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 129 और 136 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 55 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 55 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 136क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 का संशोधन और उसके अधीन की गई कार्रवाई का विधि मान्यकरण

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 28, पंक्ति 12 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए, –

"136क. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 का, जिन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 143 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था, संशोधन किया जाएगा और उन्हें नौवीं अनुसूची के स्तंभ 3 में उस नियम के सामने वर्णित तारीख से ही, भूतलक्षी प्रभाव से उस अनुसूची के स्तंभ 2 में यथा विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया गया समझा जाएगा और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी उक्त नियमों के अधीन की गई किसी कार्रवाई या कृत्य या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या कृत्य को सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार विधिमान्य और प्रभावकारी रूप से किया गया समझा जाएगा, मानों इस धारा द्वारा यथासंशोधित नियम सभी तात्विक समयों पर पवृत्त थे।"। (55)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 136क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 136 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 137 से 141 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 142 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 80 – श्री एन० जनार्दन रेड्डी उपस्थित नहीं।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 34, पंक्ति 12, में ''अभिदाता'' के स्थान पर, ''ग्राहक'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (56)

पृष्ठ 34, पंक्ति 57, में ''130'' के स्थान पर, ''137'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (57)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 142 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 142 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 143 और 144 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 145 धारा 8 का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 36, पंक्ति 25, ''क्रय को लागू दर पर होगा'' के स्थान पर ''क्रय को लागू दर पर, जो भी कम हो, होगा'' *प्रतिस्थापित* किया जाए– (58)

पृष्ठ 36, पंक्ति 49 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए :

(vi) उपधारा (5) के *पश्चात्* निम्नलिखित उपधाराएं *अंत:स्थापित* की जाएंगी, अर्थात् :–

''(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी व्यौहारी द्वारा अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्यिक के अनुक्रम में विनिर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण समंजन, मरम्मत, अनुकूलन, पुन:इंजीनीयरी, पैकिग के प्रयोजन के लिए या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित किसी ईकाई में सामग्री का व्यापार या पैंकिंग करने के रूप में या उपसाधनों की पैंकिंग के उपयोग के लिए ऐसे व्यौहारी द्वारा किए गए किसी माल की विक्रय की बाबत कोई कर संदेय नहीं होगा यादि ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी इस निमित केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकार से ऐसी ईकाई की स्थापना करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(7) उपधारा 6 में निर्दिष्ट माल उस उपधारा में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों का माल होगा।

(8) उपधारा (6) और उपधारा (7) के उपबंध अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्यिक के अनुक्रम में किए गए माल के किसी विक्रय को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक की ऐसे माल का विक्रय करने वाला व्यौहारी उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त किए गए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा, जिसे ऐसा माल विक्रय किया गया है, सम्यकत: भरे गए और हस्ताक्षरित विहित प्ररूप पर विहित रीति में एक घोषणा नहीं दे देता है।

स्पष्टीकरण–उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' पद का वही अर्थ है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (iii) में हैं।''(59)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 145, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 145, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 60 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 60 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 145 क धारा 10 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 36, पंक्ति 49, के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए–

"145क. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 10 के,–

(i) खंड (क) में, "उपधारा (4)", शब्दों, कोष्ठकों, और अंक के पश्चात् "या उपधारा (8)" शब्द, कोष्ठक और अंक *अंत:स्थापित* किए जाएंगे;

(ii) खंड (घ) में, "उपधारा (3)", शब्दों, कोष्ठकों, और अंक के पश्चात् "या उपधारा (6)" शब्द, कोष्ठक और अंक *अंत:स्थापित* किए जाएंगे;

:

(iii) खंड (ङ) में, "उपधारा (4)", शब्दों, कोष्ठकों, और अंक के पश्चात् "या उपधारा (8)" शब्द, कोष्ठक और अंक *अंत:स्थापित* किए जाएंगे; (60)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 145क, विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 145क, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 61 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 61 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 145 ख धारा 13 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 36, पंक्ति 49, के पश्चात् निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया गया।

"145ख. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :–

"(कक) धारा 8 की उपधारा (8) के अधीन घोषणा प्रस्तुत करने की रीति और प्ररुप;"। (61)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 145 ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 145 ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 146 से 151 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 62 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 62 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, क्या नियम 80(i) को निलम्बित करने के लिए ही रखा गया है? हमेशा, इस नियम का निलम्बन ही किया जाता है। *(व्यवधान)* इस नियम को बनाए रखने का क्या अर्थ है? *(व्यवधान)* यह क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, ऐसी आकस्मिकता के लिए निलम्बन का नियम बनाया गया है। जब आवश्यकता होती है, ऐसा किया जाता है।

नया खंड 151 क **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क के साथ पठित तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन जारी अधिसूचना का संशोधन।**

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 37, पंक्ति 48 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए–

''151क (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क के साथ पठित तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम, और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 417(अ) तारीख 12 अप्रैल, 2002 को तारीख 1 मार्च, 2002 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त किया गया समझा जाएगा और तद्नुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी उक्त नियमों के अधीन की गई किसी कार्रवाई या कृत्य या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या कृत्य को सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार विधिमान्य और प्रभावकारी रूप से किया गया समझा जाएगा, मानो इस उपधारा द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत थी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के पास उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मालों को भूतलक्षी प्रभाव से छूट देने की शक्ति होगी और इस प्रकार उसके पास समझी जाएगी मानों केन्द्रीय सरकार के पास सभी तात्विक समयों पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क के साथ पठित तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन उक्त मालों को भूतलक्षी प्रभाव से छूट देने की शक्ति थी।

(3) ऐसे सभी उत्पाद शुल्कों का प्रतिदाय किया जाएगा जिन्हें संग्रहित किया गया है, किन्तु जिन्हें उस समय सनग्रहित न किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट छूट सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 3 के अधीन उत्पाद शुल्क के प्रतिदाय के दावे के लिए आवेदन उस तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाएगा, जिसको राष्ट्रपति वित्त विधेयक, 2002 को अपनी सम्पत्ति देते है।

स्पष्टीकरण –शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कोई कृत्य या लोप, जो यदि इस धारा में निर्दिष्ट अधिसूचना का इस धारा द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन नहीं किया जाता, अपराध के रूप में दंडनीय होता, दंडनीय नहीं होगा।''। (62)

(श्री यशवंत सिन्हा)

रात्रि 9.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 151 क विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 151 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 152 और 153 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली अनुसूची

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :–

पृष्ठ 38, पंक्ति 8 से 15 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए।

आय-कर की दरें

(1)	**जहां कुल आय** 50,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(2)	**जहां कुल आय** 50,000 रु० से अधिक है **किन्तु** 1,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 50,000 रु० से अधिक हो जाती है;
(3)	**जहां कुल आय** 1,00,000 रु० से अधिक है **किन्तु** 1,50,000 रु० से अधिक नहीं है	5,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रु० से अधिक हो जाती है।
(4)	**जहां कुल आय** 1,50,000 रु० से अधिक है	15,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,50,000 रु० से अधिक हो जाती है। (84)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

(संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 41, पंक्ति 48, ''की मद।'' के *स्थान* पर ''की मद'' *प्रतिस्थापित* किया जाए। (63)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि पहली अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 44, में पंक्ति 8 और 9 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया गया।

'(4) अध्याय 4 में,–

(i) सभी उपशीर्षों के (उपशीर्ष 0402.10 0402.21, 0405.10, 0405.20, 0405.90 और 0406.90 के सिवाय) सामने आने वाले स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''30%'' प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) उपशीर्ष 0405.20 और 0405.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने वाले स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, ''40%'' प्रविष्टि रखी जाएगी;'। (64)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

तीसरी अनुसूची, विधेयक में जोड़ दी गई।

चौथी अनुसूची, विधेयक में जोड़ दी गई।

पांचवीं अनुसूची, विधेयक में जोड़ दी गई।

छठी अनुसूची, विधेयक में जोड़ दी गई।

सातवीं अनुसूची, विधेयक में जोड़ दी गई।

आठवीं अनुसूची, विधेयक में जोड़ दी गई।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 65 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2002 की सरकारी संशोधन संख्या 65 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नई नौवीं अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 62 में पंक्ति 6 के *पश्चात्*, निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए –

नौवीं अनुसूची (नई)

'नौवीं अनुसूची

[धारा 136क देखिए]

अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
1	2	3
मा०का०नि० 43(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 [2000-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 में,– (क) नियम 8 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–	1 मार्च, 2002

1	2	3
(एन०टी०) तारीख 1 मार्च, 2002]	"(1क) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी गुजरात राज्य में फरवरी, 2002 के दूसरे पक्ष और मार्च, 2002 मास के दौरान कारखाने या भांडागार से हटाए गए माल पर शुल्क का संदाय 31 मार्च, 2002 तक किया जाएगा : परन्तु जहां गुजरात राज्य में कोई निर्धारिती किसी वित्तीय वर्ष में निकासियों के मूल्य पर आधारित अधिसूचना के अधीन छूट का उपयोग कर रहा है वहां फरवरी, 2002 मास के दौरान निकासी किए गए माल पर शुल्क का संदाय 31 मार्च, 2002 तक किया जाएगा। स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि शुल्क दायित्व का केवल तभी निर्वहन किया गया समझा जाएगा जब संदेय रकम विनिर्दिष्ट तारीख तक केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी जाती है।"; (ख) नियम 8 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "8क. ऐसे विनिर्दिष्ट माल की बाबत, जिनपर उत्पाद शुल्क 1 मार्च, 2002 से अधिरोपित किया गया है, संदाय की रीति—(1) नियम 8 किसी बात के होते हुए भी 1 मार्च, 2002 से आरंभ होने वाली और 31 मई, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कारखाने या भांडागार से हटाए गए इस नियम के उपाबंध में विनिर्दिष्ट माल पर शुल्क का संदाय 15 जून, 2002 तक किया जाएगा। स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि शुल्क दायित्व का केवल तभी निर्वहन किया गया समझा जाएगा जब संदेय रकम विनिर्दिष्ट तारीख तक केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी जाती है। (2) उपनियम (1) के अधीन उपबंधित रीति में हटाए गए उत्पाद शुल्क्य माल पर उत्पाद शुल्क इन नियमों के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया और किसी नियम द्वारा यथा उपबंधित या उसके अधीन ऐसे शुल्क का प्रत्यय अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा। (3) यदि निर्धारिती नियम तारीख तक शुल्क की रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो वह अतिशेष रकम के साथ नियत तारीख के पश्चात् प्रथम दिन से आरंभ होने वाली और अतिशेष रकम के वास्तविक संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए अतिशेष रकम पर अधिनियम की धारा 11 कख के अधीन अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा। (4) यदि निर्धारिती 15 जून, 2002 तक शुल्क के संदाय में व्यतिक्रम करता है तो निर्धारिती 1 जून, 2002 के पश्चात् की निकासी के लिए नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन यथा उपबंधित किश्तों में बकाया का संदाय करने की सुविधा को इस संबंध में, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त द्वारा पारित आदेश की संसूचना की तारीख से आरंभ होने वाली दो मास की अवधि के लिए या उस तारीख तक जिसको बकाया का संदाय किया जाता है, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, समपहृत करेगा और इस अवधि के दौरान निर्धारिती से चालू खाते में विकलन द्वारा प्रत्येक पारेषण के लिए उत्पाद शुल्क का संदाय किया जाना अपेक्षित होगा और ऐसा करने में किसी असफलता	1 मार्च, 2002

1	2	3
	की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे माल की निकासी शुल्क के संदाय के बिना की गई है और इन नियमों में यथा उपबंधित परिणाम तथा शास्तियां लागू होंगी। **उपाबंध** (1) भारत के राजपत्र में सा०का०नि० 131(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 मार्च, 2002 की सारणी के क्रम सं० 9 से 50 में विनिर्दिष्ट सभी माल, जो 1 मार्च, 2002 से ठीक पूर्व उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण शुल्क से छूट प्राप्त थे और जिनपर उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए यथास्थिति, मूल्य अनुसार 4% की दर पर या मूल्य अनुसार 16% की दर से शुल्क 1 मार्च, 2002 से इस प्रकार उद्ग्रहणीय हो गया है मानो केन्द्रीय मूल्यवर्धित का प्रत्यय का उपभोग किया गया हो। (2) ऐसी यूनिटों द्वारा विनिर्मित शीर्ष सं० 68.07 के अधीन आने वाले ग्रेनाइट, जो अधिसूचना सं० 8/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या संख्या 9/2001 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 मार्च, 2002 के अधीन चाहे संपूर्ण रूप में या भाग रूप में शुल्क से छूट के लिए इस प्रकार पात्र होते मानो वे 1 मार्च, 2000 से पूर्व विद्यमान थे और ऐसी यूनिटों द्वारा विनिर्मित शीर्ष सं० 68.07 के अधीन आने वाले ग्रेनाइट जो चाहे संपूर्ण रूप में या भागरूप में छूट के लिए इस प्रकार पात्र होते मानो ऐसी छूट यथास्थिति अधिसूचना 8/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या 9/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दोनों 1 मार्च, 2002 के अधीन वापस नहीं ली गई हो।	
(3) अध्याय 52 के अधीन आने वाले सूत के व्यूतित फैब्रिक, जब उन्हें निम्नलिखित एक या अधिक रूप में प्रसंस्कृत किया जाए, अर्थात्:— (क) सूती फलालेन उगाना; (ख) टेन्टरिंग; (ग) ग्रे और विरंजित सांचे पर अवमंदन; (घ) ग्रे और विरंजित सांचे पर पृष्ठ भरण; (ङ) झुलसाना, अर्थात् फैब्रिक में गांठें और बाहर निकले सिरों को जलाकर निकालना;1 (च) छपाई या बूटा कटाई; (छ) सुखाना या अभिसाधिक करना; (ज) पतर लगाना अर्थात् फैब्रिक के एक या दोनों और स्टार्च या मोटी सामग्री लगाना; या (झ) फुलाना,	1 मार्च, 2002

1	2	3

यदि ऐसे फैब्रिकों को ऐसे कारखाने में, जिसमें विद्युत या भाप की सहायता से विरंजन, रंजक या छपाई या इनमें से किसी एक या अधिक प्रसंस्करणों को करने की प्रसुविधाएं (जिनके अंतर्गत संयंत्र और उपस्कर भी है) नहीं हैं, प्रसंस्कृत किए जाते हैं और ऐसे फैब्रिकों को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की पहली अनुसूची के अधीन 1 मार्च, 2002 से ठीक पूर्व उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण शुल्कों से छूट प्राप्त थी और जिन पर 1 मार्च, 2002 से 12 प्रतिशत की दर पर मूल्यानुसार शुल्क उद्ग्रहणीय हो गए हैं।";

(4) अध्याय 54 या अध्याय 55 के अंतर्गत आने वाले मानव निर्मित फाइबरों के व्युतित फैब्रिक, जब उन्हें निम्नलिखित में से किसी रूप में प्रसंस्कृत किया जाए, अर्थात् :–

(क) झुलसाना अर्थात फैब्रिकों में गांठों और बाहर निकले सिरों को जला देना;

(ख) परत चढ़ाना अर्थात् फैब्रिक के एक ओर या दोनों और प्राकृतिक स्टार्च लगाना;

(ग) पृष्ठभरण अर्थात् फैब्रिक के एक तरफ स्टार्च लगाना;

(घ) कटाई-छटाई अर्थात् फैब्रिक में से मशीनी ढंग से बाहर निकले सिरों को काटना; या

(ङ) ऐक्रलिक फाइबर के व्युतित फैब्रिकों पर की जाने वाली फुलाने (स्टीम प्रैसिंग) की प्रक्रिया,

यदि ऐसे फैब्रिकों को ऐसे कारखाने में, जिसमें विद्युत या भाप की सहायता से विरंजक, रंजक या छपाई या इनमें से किसी एक या अधिक प्रसंस्करणों को करने की प्रसुविधाएं (जिनके अंतर्गत संयंत्र और उपस्कर भी हैं) नहीं हैं, प्रसंस्कृत किए जाते हैं और ऐसे फैब्रिकों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 या 5) की पहली अनुसूची और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की पहली अनुसूची के अधीन 1 मार्च, 2002 को ठीक पूर्व उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण शुल्कों से छूट प्राप्त थी और जिन पर 1 मार्च, 2002 से 12% की दर पर मूल्यानुसार शुल्क उद्ग्रहणीय हो गए हैं।";

(ग) नियम 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"12क. ऐसे विनिर्दिष्ट मालों की, जिनपर 1 मार्च, 2002 से ही उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया है, बाबत विवरण फाइल करना–नियम 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक निर्धारिती नियम 8क के उपाबंध में निर्दिष्ट माल की बाबत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को मार्च, अप्रैल और मई, 2002 मासों के लिए, 10 जून, 2002 तक उक्त माल के उत्पादन और उनको हटाए जाने तथा अन्य सुसंगत विशिष्टयों को बोर्ड द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रस्तुत करेगा।"।' (65)

(श्री यशवन्त सिन्हा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नई नौवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नई नौवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब सभा कल, 30 अप्रैल, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 30 अप्रैल, 2002/10 वैशाख, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

©2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।